राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक–7 नवीं विधान सभा के सातवें सत्र का चौदहवां दिवस संख्या–9

मंगलवार,

29 सितम्बर, 1992

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 247

श्री अध्यक्ष : वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री रामेश्वरदयाल यादव।

थाना चौमूं में दर्ज प्रकरण संख्या 323/92

248 **श्री रामेश्वरदयाल यादव(चौमूं)**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर के थाना चौमूं में चोरी का मुकदमा संख्या 323/92 जो धारा 380 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दर्ज किया जाकर अभियुक्त को गिरफ्तार कर उससे बरामदगी की गई थी? यदि हां, तो बरामद किये गये माल व नकद राशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि थानाधिकारी, चौमूं ने अभियुक्त से बरामद माल व राशि को मालखाने में जमा नहीं करवा कर अभियुक्त को भाग जाना बता दिया है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री शांतिलाल चपलोत) : (1) जी हां। जिला जयपुर के थाना चौमूं में श्री रामेश्वरलाल पुत्र श्री भूरामल जाति महाजन निवासी ग्राम वासवा की रिपोर्ट पर मुकदमा संख्या 323/92 धारा 457, 380 ता. हि. दिनांक 31-7-92 को दर्ज हुआ था। इस अभियोग में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

दिनांक 12-8-92 को उक्त अपराध के संदिग्ध अपराधी बनवारी लाल मीणा को तफ्तीश हेतु बुलाया गया था जो निपटने के बहाने थाने से बाहर गया, जो वापिस नहीं आया। दिनांक 25-8-92 को संदिग्ध अपराधी बनवारी लाल पुत्र किशन लाल जाति मीणा, निवासी विजयपुरा के घर से उक्त मुकदमे का माल बरामद किया गया। बरामदगी माल व नकद राशि की

(2)

(श्री शांतीलाल चपलोत)

सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) यह सही नहीं है। थानाधिकारी चौमूं ने चोरी गये बरामद माल को मालखाना रजिस्टर के मद नम्बर 182/92 पर जमा करवा दिया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो माल बरामद करके रिकार्ड पर लिया गया है, यह किस तारीख को लिया और बनवारीलाल को जो इन्वेस्टीगेशन के लिए आप लेना बताते हैं वह किस तारीख को आपके पजेशन में आया और किस तारीख को भगा ?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है, क्या यह सच है कि आपने 18 हजार रुपया नकद बरामद होना बताया है, पुलिस थाना चौमूं ने इस बनवारीलाल के यहा से 6 हजार रुपये, जो भैंस के बदले दिये गये थे वह भी वसूल किये हैं और वह रिकार्ड पर जमा नहीं है ? क्या यह भी सच है, इस बनवारीलाल का ससुराल जो सांगानेर तहसील में है वहां इसकी सास से, इसकी साली से 40 हजार रुपये के जेवरात वगैरह जो बरामद किये गये हैं वह भी रिकार्ड पर नहीं लाये गये हैं ?

तीसरा प्रश्न, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह है, क्या यह सच है कि इस बनवारी लाल ने मुस्तगीस के मालखाने से दो ट्रक जौ के भरे चोरी करके, पहला ट्रक किशोर ट्रेडिंग कम्पनी, चांदपोल मंडी को 47 बोरी जौ की बेची और वह बिना बिल के बेची यानी उसका मंडी समिति में कोई बिल नहीं है, उचन्ती बेची गयी ? दूसरा ट्रक राजूलाल फतेहलाल, चांदपोल मंडी के यहां 80 बोरी बेची गयीं ?

क्या यह सच है कि दोनों ही ट्रकों में जिस किसान का नाम अंकित किया है वह भी फर्जी नाम है, यशी अहीर जिनोई ? तो पुलिस थाना चौमूं ने इसकी क्या जांच की और रिकार्ड पर जांच में कोई तथ्य पाये गये ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जान-बूझकर पुलिस थाना चौमूं के सी. आई. ने इस मुलजिम को भगाया है। इससे लाखों रुपये वसूल किये हैं। इस मुलजिम के खिलाफ हरमाड़ा, वी. के. आई. और झोटवाड़ा थानों में इसी तरह के पहले कई संगीन मुकदमें दर्ज हैं। सी. आई. चौमूं ने इसे जान-बूझकर भगाया है। बरामद किया हुआ माल रिकार्ड पर नहीं लिया। मंत्री महोदय, जवाब देने का कष्ट करें।

श्री शांतीलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, अभी मुकदमा संख्या 323/92 के बारे में पूछा है। उसमें 18 हजार रुपये नकद, एक पंखा, सीलिंग फैन उषा रंग सफेद, एक प्रेस इलेक्ट्रिक वीडियोकान, एक इलेक्ट्रिक टार्च, जिस पर किसान टार्च लिखा हुआ है वह और धारा 102 जाप्ता फौजदारी में

(श्री शांतीलाल चंपलोत)

जो माल आया है वह एक टेप रिकार्डर सोनिया (सेनो) 0670853396, एक स्टेबलाइजर रोलेक्स 12 वोल्ट स्पीकर पायोनर है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस मुकदमे के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है उसके बारे में ही ज्यादा जानकारी है। अब कहां कहां, किस किस का, कितना कितना माल बरामद हुआ है इस बारे में इस केस में तो वह आ नहीं सकता। इस केस का उसमें वजूद भी नहीं है। उस केस के माल की और किसी में रिकवरी दिखा दें, माननीय अध्यक्ष महोदय ...

श्री रामेश्वर दयाल यादव: माननीय अध्यक्ष महोदय, आप गलत जवाब दे रहे हैं। यह माल जो मैंने बताया, 40 हजार रुपये के जेवर, 6 हजार रुपये जो भैंस के बदले लिए थे, वह इसी केस में बरामद किये गये हैं। सी. आई. ने रिकार्ड पर नहीं लिया। वह 40 हजार रुपये के जेवरात और 6 हजार रुपये नकद, इसे रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अलग से कैसे हुआ ?

श्री शांतीलाल चपलोत : इस केस के ही सारे जेवरात हैं 40 हजार वाले ? यह इस केस के मुतल्लिक नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि जितना माल पकड़ा गया, वह सारा का सारा दर्ज नहीं हुआ।

श्री शांतीलाल चपलोत : इस केस से मुतल्लिक था वह सब बरामद कर लिया।.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसके मायने वह जेवरात और 6 हजार रुपये कौन से केस में जमा किये हैं आपने ?

श्री शांतीलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि.... (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, 6 हजार रुपये और 40 हजार रुपये के जेवर सी. आई. चौमू ने बरामद किये और किसी भी रिकार्ड में आज तक जमा नहीं हैं।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह फरमाया कि 47 बोरी जौ की और यह, यह तो उनसे नहीं हुआ था....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : क्या नहीं हुआ था ?....(व्यवधान) वह तो बनवारी लाल का एडमिटेड फैक्ट था कि इसमें जौ का पैसा जो आया वह 18 हजार रुपये, जो भैंस के 6 हजार रुपये थे वह जौ के पैसे थे।

गृह मंत्री (श्री दिग्विजयसिंह) : अध्यक्ष महोदय, चौमू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो नये तथ्य यहां दिये हैं, 40 हजार के जेवरात उसके ससुराल से बरामद हुए और दो ट्रक माल यहां पर मंडी के

(श्री दिग्विजयसिंह)

अन्दर कोई फर्जी नाम से बेचा। इस सवाल में आपने यह नहीं पूछा, पर आपने नये तथ्य दिये हैं और एक बात और कही है कि माल तो आपने बरामद कर लिया और मुलजिम को नहीं पकड़ा गया। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सी. आई. की, एस. एच. ओ के विरुद्ध जो उसने यह कार्यवाही नहीं की और कोताही की है, उसकी एस. पी. रूरल से जांच करा ली जायगी और वह यह पाया गया तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्यवाही होगी और वह जो मुलजिम फरार है उसको भी गिरफ्तार किया जायगा।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सी. आई. चौमूं ने 46 हजार रुपये का माल रिकार्ड पर नहीं लिया।

श्री अध्यक्ष : वह तो जांच करा रहे हैं उसकी। उसकी भी जांच हो रही है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं, वह जांच हो रही है। अनाज मंडी चांदपोल से इन व्यापारियों से एक लाख रुपया रिश्वत के लिये आशुसिंह सी. आई. ने....

श्री अध्यक्ष : वह भी जांच में आ जाएगा। यह जांच में आ जायेंगे सारे।

श्री हीरालाल देवपुरा : सम्पूर्ण जांच होगी या एक पर्टीकूलर कारनामे की जांच होगी।

श्री अध्यक्ष : सम्पूर्ण जांच होगी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दस रोज तक, 15 रोज तक मुलजिम को थाने में रखा, उसको जंगले के अन्दर बंद किया गया, उसको रायथल, विजयपुरा, चौमूं कई जगह घुमाया गया और फिर कहते हैं कि हमने रिकार्ड पर नहीं लिया। माल बरामद हो गया और मुलजिम नहीं बरामद हुआ?

श्री अध्यक्ष : इसी की तो जांच करवा रहे हैं। आप यह जो माल बता रहे हैं कि वहां मौजूद था मगर रिकवर शो नहीं किया है, उसकी जाच हो जायगी। उसको गिरफ्तार करके और फिर घुमा-फिरा कर छोड़ दिया, दुबारा गिरफ्तार नहीं किया उसकी जांच हो जायगी और वह जो लाख रुपये की बात कर रहे हैं व्यापारियों की, वह भी जांच हो जायगी। पूरी जांच आ जायगी।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, सारे....

श्री अध्यक्ष : हां तो जांच ही होगी और क्या करोगे? आपने पूछा, आपने हां भर ली कि जांच कर लेंगे। नैक्स्ट, **श्री दयाराम परमार।**

जनजाति क्षेत्रों में जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों की भर्ती

249. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने 1990-91 के बजट भाषण में यह कहा

(श्री दयाराम परमार),

था कि जनजाति क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक, सिपाही, एवं वन रक्षक आदि पदों पर भर्ती के समय 50% जनजाति समुदाय के उम्मीदवारों को रखा जायगा ? यदि हां, तो अभी तक किस-किस विभाग में 50% भर्ती इस समुदाय के व्यक्तियों की की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री जीवराम कटारा) : जी नहीं। यह सही नहीं है। वास्तव में यह घोषणा 1991-92 के बजट भाषण में की गयी थी। अभी तक उक्त घोषणा के अन्तर्गत जनजाति उपयोजना क्षेत्र में किसी भी विभाग में जनजाति के उम्मीदवारों की 50 प्रतिशत भर्ती नहीं की गयी है। उक्त घोषणा की क्रियान्विति के लिये जो अधिसूचना जारी की जानी थी उसके प्रारूप को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। प्रारूप अन्तिम रूप से तैयार होकर अधिसूचित किये जाने के पश्चात ही भर्ती की कार्यवाही शुरू हो सकेगी।

श्री दयाराम परमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि इतने दो साल के समय तक तो अधिसूचना का प्रारूप ही तैयार होता रहा, अब यह प्रारूप कब तक तैयार होकर और कब आप लागू कर देंगे। यह आप मुझे निश्चित तारीख बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जीवराम कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस घोषणा की क्रियान्विति संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा 5 (1) के अनुसरण में की जानी थी। विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर, विधि विभाग से इसका परीक्षण भी करा लिया गया था लेकिन उस समय यह ध्यान में आया कि जनजाति क्षेत्र में जहां जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और वहां उनकी जनसंख्या ज्यादा है, वहां तो यह आरक्षण देने में कोई कठिनाई नहीं है। किन्तु उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़ का कुछ ही भाग जनजाति क्षेत्र में है। इस आधार पर यदि इसी प्रारूप को लागू कर दिया जाता तो कई तरह की कठिनाईयां पैदा हो सकती थीं। इसलिए फिर से इस पर विचार किया जाकर इन क्षेत्रों में जहां चित्तौड़ में जनजाति क्षेत्र की पापुलेशन 9.09 है, उदयपुर में यह 25.03 पर्सेण्ट है और सिरोही में जहां 8.15 पर्सेण्ट जनजाति क्षेत्र की पापुलेशन है, उस पर फिर से विचार किया गया और उसके अनुसार पोस्टों का निर्धारण कर उस पर भर्ती की कार्यवाही की जा सके, यह कार्यवाही चल रही थी और इसी के अनुरूप पिछले साल माननीय मुख्यमंत्रीजी के बजट भाषण में तीन जिले नये राज्य सरकार ने निर्मित किये, जिसके तहत उदयपुर जिले में भी राजसमंद नया जिला बना और उस राजसमंद नये जिले में उदयपुर की सात तहसीलें जो बिल्कुल जनजाति क्षेत्र में नहीं थी उसको निकाल देने से उदयपुर के माननीय विधायकों और जनप्रतिनिधियों का भी यह आग्रह था कि उदयपुर जिले को भी ट्राइबल बेल्ट में शामिल किया जाये और इसीलिए इसी आधार पर सरकार ने विचार कर वहां की पापुलेशन को देखा है और इसी आधार पर वर्तमान में 49 एवं 50

(श्री जीवराम कटारा)

पर्सेण्ट उदयपुर जिले के जनजाति क्षेत्र की जनसंख्या है। इस आधार पर यह परीक्षण करने में इतनी देरी हुई है और जैसे ही यह परीक्षण पूरा होकर तैयार हो जायेगा, प्रारूप का नोटिफिकेशन हो जायेगा, इसकी भर्ती की कार्यवाही शुरू हो जायेगी।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जो जबाब रहे हैं, वह असत्य है। ट्राइवल एरिया में पंचायत समितियां इनक्लूड की गई हैं। जो 23 पंचायत समितियां आप बता रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट को इनक्लूड तो किया ही नहीं उदयपुर डिस्ट्रिक्ट का और उदयपुर की सात पंचायत समितियां हैं और बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की जो भी उसके अन्दर पंचायत समितियां परिभाषित करके ट्राइबल एरिया घोषित किया है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी।

एक्चुएल में सरकार की उसके पीछे मंशा ही नहीं थी और यह घोषणा जो की गई थी, तब पार्लियामेंट के चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव को मद्देनजर रखकर यह घोषणा की गई थी और इसीलिए सरकार अब यह चाहती है कि उसको किसी भी तरह से टाला जाये और उसको कार्यान्वित नहीं किया जाये। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि आपकी यह कार्यवाही कब तक पूरी होकर आप कब तक इसको लागू कर देंगे। भारत का संविधान....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री इन्दोरा जी। बैठिये।

श्री हीरालाल इन्दोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि प्रारूप तैयार हो गया है, या हो रहा है, यह दो बातें हैं। यदि हो गया है तो उसकी क्रियान्वित कब होगी ?

श्री अध्यक्ष : इन्होंने यह कहा है कि जहां तक बांसवाड़ा और डूंगरपुर का सवाल है, उसके लिए प्रारूप तैयार हो गया है। प्रारूप तैयार होने के बाद ही इनको लगा कि और जिले भी हैं कि जिनमें पार्शल है। इनमें तो पूरे बैकवर्ड और एस. टी. जिले आते हैं, वहां लागू करने में कठिनाई नहीं है लेकिन जहां पार्शल है। उदयपुर जिसका हिस्सा अब राजसमन्द में आ गया है, चित्तौड में जहां 9 पर्सेण्ट है, उनको भी इसमें शामिल किया जायेगा ताकि उसमें डिसक्रिमीनेशन नहीं हो, इसीलिए इस प्रारूप को दुबारा बनाने के लिए सारा विचार विमर्श चल रहा है। मैं समझता हूं सब ...

श्री केदार नाथ शर्मा : जहां ट्राइवल प्लान लागू है, वहां तो लागू कर देते, ताकि घोषणा की सैंक्टिटी तो होती।

श्री अध्यक्ष : वह तो शामिल करने के बाद है ना " साथ ही हो जायेगा।

श्री अर्जुनदास मदान : (व्यवधान) हो गया आपका। माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी।

आयुर्वेदिक औषधालय

250. श्री अर्जुन दास मदान (लाड़पुरा) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-(1) क्या यह सही है कि सरकार उन कस्बों तथा बड़े ग्रामों से जहां एलोपैथिक चिकित्सालय खुल गये हैं वहां से आयुर्वेदिक औषधालय हटाकर छोटे गांवों में स्थानान्तरित कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि सभी एस. डी एम. मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों एवं पंचायत समिति मुख्यालयों, नगरपालिका केन्द्रों में शैय्यायुक्त आयुर्वेदिक औषधालय खोलेगी ? यदि हां, तो इसका पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

(3) कोटा जिले के उन नगरों, पंचायत समिति, तहसील व उपखण्ड स्थानों की सूची पेश करें, जहां आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है ? अब कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराने का सरकार विचार रखती है ?

आयुर्वेद मन्त्री (श्रीमती विद्या पाठक) : (1) जी नहीं। अधिक आबादी वाले बड़े कस्बों में आवश्यकता के आधार पर एलोपैथिक एवं देशी चिकित्सा सुविधा रखी जा रही है। परन्तु ऐसे छोटे गांवों में जहां दोनों प्रकार की चिकित्सा सुविधायें हैं उनमें से किसी एक को ऐसे गांव में स्थानान्तरित किया जा सकता है जहां दूर-दूर तक किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) वांछित सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-क)।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

श्री अर्जुनदास मदान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है, यह जो जवाब दिया गया है जी नहीं दोनों विषयों में, यह पूरी तरह से सही नहीं है। मैं राज्य सरकार के इस प्रकार के आदेश दे सकता हूं कि जहां राज्य सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि जहां पर मुख्यालय होंगे, तहसील मुख्यालय होंगे, एस.डी.एम. होंगे, वहां पर शैय्याओं के आयुर्वेदिक औषधालय खोले जायें।

मैं निश्चित रूप से आभार प्रकट करता हूं सरकार के प्रति और मन्त्री महोदया के प्रति कि राजस्थान सरकार ने आयुर्वेदिक की दृष्टि से काफी कुछ किया है। आज हिन्दुस्तान में हम पहले नम्बर पर हैं। 3700 आयुर्वेदिक डिसपेंसरीज केवल राजस्थान में हैं जबकि यू.पी. इतना बड़ा प्रान्त होते हुए भी वहां 2500 हैं। यहां पर मन्त्रालय अलग है। यहां पर डायरेक्टरेट अलग है। इस दृष्टि से तो काफी कुछ किया गया है लेकिन यह जो बताया गया है कि ऐसे मुख्यालयों पर कोई लगाने का आर्डर नहीं है, मेरे ख्याल से यह जानकारी मन्त्री महोदया आपके लिए उचित और सही नहीं है और यदि

(श्री अर्जुनदास मदान)

मुझे अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो मैं निश्चित रूप से कल एक आर्डर सरकार का लाकर दिखा सकता हूं जो कांग्रेस सरकार के टाइम में भी था और जो वर्तमान सरकार के टाइम में भी है कि जहां पर भी इस प्रकार के एस. डी. एम. हैं या पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर राज्य सरकार आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज खोलेंगी।

तीसरे सवाल में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह अधूरा जवाब दिया गया है मेरे को। मैंने यह कहा कि जिन पंचायत समिति मुख्यालयों पर नहीं खोला गया तो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में सरकार क्या विचार रखती है? इस पर प्रत्युत्तर बिल्कुल मौन है। मैं निवेदन करूंगा कि इसका भी स्पष्टीकरण यदि उचित समझें तो दें।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, 91-92 के बजट भाषण में इसका हवाला जरूर है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथिक के 25 नये औषधालय अगले वर्ष खोलने का प्रस्ताव है। संभागीय मुख्यालयों पर स्थित चिकित्सालयों के 50 शैय्याओं के चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की योजना भी है।

इसके अतिरिक्त अध्यक्ष महोदय, किसी प्रकार का कोई सरक्यूलर मुझे विभाग के द्वारा बताया नहीं गया है, माननीय सदस्य यदि बतायेंगे तो फिर उसके अनुसार सूचना की कमी को गम्भीरता से माना जाकर कार्यवाही भी की जायेगी। आपने एक दूसरा यह भी बताया है कि मुख्यालयों पर खोलने की कोई योजना का सरक्यूलर जो आप बता रहे हैं, तो उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। तीसरा क्या पूछ रहे थे आप?

श्री अर्जुन दास मदान : तीसरा मैंने आपसे यह निवेदन किया था कि ऐसे मुख्यालयों पर जहां जो सूची इसमें परिशिष्ट में दर्शायी गई है। कोटा जिले में जो-जो स्थान बताये गये हैं, वहां पर यह आयुर्वेदिक सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं मैंने अन्त में इसमें आपसे निवेदन किया था कि क्या सरकार यह बतायेगी कि यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराये जाने का विचार रखती है, इस पर प्रत्युत्तर मौन है।

श्रीमती विद्या पाठक : प्रत्युत्तर मौन नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। यह बजट प्रोवीजन पर निर्भर करेगा। जैसे-जैसे प्रोवीजन मिलेंगे उसके अनुसार होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हेमराज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : नहीं तो अभी तक एक भी खोला गया है क्या?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री हेमराज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मंत्री महोदय बतायें कि एक भी खोला गया है क्या? दो साल हो गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय उजला जी बिना मेरे परमीशन के आप सीधे सवाल पूछ रही हैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, आपकी आज्ञा से और सहमति से....

श्री अध्यक्ष : मेरी आज्ञा आपने ली नहीं और आपने सीधे खड़े होकर मंत्री जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। आप बैठिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं पूछना चाहती हूं इन दो सवालों का....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री हेमराज बोलेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : पिछले वर्ष 25 खोले हैं ना।

राजफैड में नियुक्ति प्रक्रिया

25. **श्री हेमराज** (किशनगंज) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजफैड में नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है? वर्तमान में इस संबंध में क्या नीति बनाई गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या तिलम संघ के गठन के पश्चात् इसकी परियोजनाओं में सीधी भर्ती की गई है? यदि हां, तो किस-किस प्रक्रिया / नियम से की गई, तथा कहां-कहां के लिए?

(3) क्या तिलम में सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन द्वारा प्रार्थना-पत्र लिये गये हैं? यदि हां, तो कब--कब?

सहकारिता मंत्री (श्री चतुर्भुज वर्मा) : (1) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि0 (राजफैड) के उप नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति व अन्य सेवा सम्बन्धी नियमों बाबत अधिकार उक्त संस्था के संचालक मण्डल में निहित हैं। नियुक्ति एवं पदोन्नति हेतु चयन समिति के गठन बाबत निर्देश रजिस्ट्रार, सहकारी विभाग के आदेश दिनांक 25-4-86 द्वारा दिये हुए हैं। राजफैड में नियुक्तियां संचालक मंडल / प्रशासक के अनुमोदन / स्वीकृति से की गई है। वर्तमान में वर्ष 1991-92 से राजफैड में कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

(2) जी हां। तिलम संघ में सीधी भर्ती प्रमुख दैनिक एवं अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी कर अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के उपरान्त संचालक मण्डल द्वारा विभिन्न पद स्तर हेतु गठित चयन समिति के माध्यम से की गई है। उक्त भर्ती संघ के मुख्यालय जयपुर तथा संघ के कोटा, बीकानेर, फतेहनगर, श्री गंगानगर, जालोर, मेडता सिटी, गंगापुर सिटी एवं झुन्झुनू परियोजनाओं में की गई है।

(3) जी हां। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशन की सूची "परिशिष्ट-अ" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, मैं आप

(श्री हेमराज)

के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहूंगा कि राजफैड और तिलम संघ दोनों आटोनोमसबोडी है। दोनों के अपने अलग सेवा नियम होने चाहिये। पूर्व में मैंने प्रश्न पूछा था इनसे तो माननीय मंत्री महोदय ने मुझे उत्तर दिया कि राजफैड सेवा नियमो में भर्ती किये गये हैं। जबकि राजफैड के अपने स्वयं के उप नियम के अनुसार सेवा नियम बनाये गये हैं। तिलम संघ के कोई सेवा नियम नहीं बने हैं और न ही कोई इन्होंने भर्ती करते समय पूर्व में सेवा नियम निर्धारित किये हैं और सीधी भर्ती की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी पूछना चाहूंगा कि जो तिलम संघ में भर्ती किये गये हैं उसमें जो विज्ञापन निकाला गया था उस विज्ञापन के अन्दर रोस्टर प्रणाली का कतई ध्यान नहीं रखा गया है। उस विज्ञापन में एस. टी. के पद कितने हैं, एस. सी. के पद कितने है उस बात का कोई विवरण नहीं है और उसका विवरण न होने के बाद भी लगभग लगातार 150-200 लोगों की भर्तियां विभाग में और की गयी है। मैं चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में कौन अधिकारी दोषी है जिन्होने विज्ञापन निकालते वक्त कतई ध्यान नहीं रखा और एक भी एस. टी., एस. सी. कर्मचारी को इस तिलम संघ के अन्दर भर्ती नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजफैड के नियमों के अनुसार जब तक इस तिलम संघ की स्थापना हुयी है उसके नियम नहीं बने है वहां तक राजफैड के नियमों के अनुसार भर्ती की गयी है और राजफैड के नियम जो प्रसारित है जो रजिस्ट्रार........

श्री अध्यक्ष : भर्ती हुयी तब राजफैड के नियम बन गये थे ना।

श्री चतुर्भुज वर्मा : तिलम संघ के नियम नहीं बने थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं बने तो राजफैड के नियमों के मुताबिक....

श्री चतुर्भुज वर्मा : राजफैड के नियमों के अनुसार भर्ती की गयी है। भर्ती के अन्दर विज्ञापन वगैरह सारे अखबारों में जितने समाचार पत्र, स्थानिय दैनिक या खण्डवाइज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये गये।

श्री अध्यक्ष : रोस्टर का...(व्यवधान) ....आप बैठिये।

श्री चतुर्भुज वर्मा : रोस्टर प्रणाली पूरी लागू की गयी है। 271 पद थे...

श्री अध्यक्ष : आपने जो विज्ञापन में प्रकाशन किया है उसमें उल्लेख है क्या कि इतने रिजर्व रखे जाय।

श्री चतुर्भुज वर्मा : यह जानकारी मैं मंगवा लूंगा। लेकिन जो भी पूछा है....

श्री अध्यक्ष : यह आपने पेश क्या है ना । वह कोपी पेश की है ।....(व्यवधान)..

एक माननीय सदस्य : जगह पूरी हो जायेगी फिर कब लगायेंगे । इसलिये एस. टी., एस. सी. के अधिकारों का कुठाराघात ही रहा है....

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : भर्तियां कर रहे हैं, न कोई नियम न कोई उप नियम है और कह देते है भर्तियां होती जा रही है । एस. टी., एस. टी. की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।....(व्यवधान)....

एक माननीय सदस्य : मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि तीन महीने के अन्दर बैक लोग की पूर्ति कर ली जायेगी । आज तक बैक लोग की पूर्ति नहीं हुयी है ।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के अन्दर एस. टी., एस. सी. के अधिकारों का हनन हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अब आप सभी एक साथ बोलेंगे क्या ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, जब भर्ती की गयी तब इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है ।

श्री अध्यक्ष : आपका टर्न आये पूछ लें ।...(व्यवधान)..आपको परमीशन कौन दे रहा है ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : आपसे परमीशन लेकर बोल रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दे रहा हू । बैठिये आप । हेमराज जी प्रश्नकर्ता है उनका सैकिण्ड सप्लीमेंटरी बाकी है । आप कुछ तो मर्यादा का ध्यान रखिये । आपने सवाल थोड़े ही पूछा है, इन्होंने पूछा है । He must be known to it. वह पूछ ले पहले अपना ।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, आप....

श्री अध्यक्ष : आप वकालत बाद में करिये । पहले वह अपनी वकालत कर रहे हैं फिर आपको लगे कि इसमें सप्लीमेंटरी करना जरूरी है तो करिये मगर उनको तो करने दीजिये पहले ।

श्री चतुर्भुज वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोस्टर प्रणाली का पूरा ध्यान रखा गया है । उसके अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का उसमें ध्यान रखा गया है । 34 पद अनुसूचित जाति के है और 17 पद अनुसूचित जन जाति के भरे गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : रोस्टर प्रणाली सिस्टम के मुताबिक इन्होंने जो प्रकाशन किया है उसमें अनसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के केण्डीडेट की संख्या दी है, उसमें 17 आये उनका अपांइटमेण्ट हो गया । चलिये, अब आप क्या कह रहे हैं ।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, एक भी

(श्री हेमराज)

एस.सी., एस.टी. का अपाइंटमेंट नहीं हुआ है। मेरे पास लिस्ट है पूरी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी लिस्ट है। इन्होंने अभी तक लगभग 150 लोगों को बुलाया उसमें एस टी.एस.सी., का एक भी कर्मचारी नहीं है और यह गलत जवाब दे रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। मंत्रीजी आपके पास 17 के नाम है क्या ?

श्री चतुर्भुज वर्मा : 34 पद अनुसूचित जाति....

श्री अध्यक्ष : नहीं जो 17 अपाइंट हुये उनके नाम है क्या।

श्री चतुर्भुज वर्मा : नाम मंगवा लेता हूं मैं। लेकिन 12 पर्सेण्ट...

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं है नाम। आप को नाम सप्लाई कर देंगे।

श्री हेमराज : अध्यक्ष महोदय, एस.टी., एस.सी. का एक भी आदमी नहीं है। उनके खिलाफ एफ आई. आर. दर्ज करायी जानी चाहिये। मैं कह रहा हूं, मेरे पास लिस्ट है।

अध्यक्ष, महोदय मैंने लिस्ट ली है पहले यहां से मैंने सवाल लगाया था और उन्होंने मुझे लिस्ट भेजी है कि इन इन लोगों को भर्ती किया है और एस. सी., एस. टी. का एक भी आदमी इसके अन्दर नहीं है। तो जिन्होंने यह भर्ती की है और एस.टी, एस सी. का एक भी नहीं लिया तो उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करायी जानी चाहिये क्योंकि भारत सरकार का भी कटिबद्ध निर्णय है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि तीन महीने के अन्दर बैंक लोग पूरा कर दिया जायेगा। तो बैंक लोग तो दूर चला गया नयी भर्ती के अन्दर भी एस टी, एस. सी. के साथ भेदभाव बरता गया है।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय,....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्री चतुर्भुज वर्मा : नाम अभी पूरे नहीं आये।

श्री अध्यक्ष : जितने आये हैं तो सुना दो।... (व्यवधान)... एक भी नहीं है वह कह रहे हैं।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के पास सदन में जवाब देने के लिये कोई जवाब ही नहीं है। यह सदन को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे अधिकारी जिन्होंने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ़ कार्यवाही होनी चाहिये और सदन के नेता ने घोषणा की थी गत सत्र के अन्दर कि तीन महीने के अन्दर बैंक लोग को पूरा करके एस. सी., एस. टी. के लोगों की

(श्री प्रकाश चन्द बैरवा)

भर्ती जितनी रह गयी वह पूरी कर दी जायेगी।

श्री बालचन्द आर्यवीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस अधिकारियो ने अपाइंटमेंट में लापरवाही की है उनके खिलाफ माननीय मंत्रीजी क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री हीरालाल आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जानबूझ कर गलत कह रहे हैं, (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आप एक साथ बोल रहे हैं। देखिये, वह बोल रहे हैं, हीरालाल आर्य बोल रहे है। पहले उनकी सुन लो।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो विज्ञापन निकला उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये स्थान आरक्षित नहीं किये और जो नियुक्तियां की है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को लिया भी नहीं गया तो जिन लोगों ने विज्ञापन जारी करने में अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जन जाति के पद नहीं रखे और भर्ती करते वक्त भी ध्यान नहीं रखा तो क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ माननीय मंत्री महोदय कार्यवाही करने का अभी आश्वासन देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : अब मंत्री महोदय उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कर दें ऐसा कैसे हो सकता है।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : अब सक्षम अथोरिटी बोल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनको ही बोलने दो।

श्री रामस्वरुप मीणा : हमारा भी आ जाय तब जवाब दे देना। (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : कोई जरूरी नहीं है, आगे सवाल और भी है। जवाब आ जाए तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इसी संख्या में और इस अनुपात में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मेम्बर्स को लिया गया है। यदि यह माननीय सदस्य यह कह रहे है कि, कोई भी नहीं लिया गया। नाम इस समय उपलब्ध न हो और यह अपेक्षा भी हाउस नहीं कर सकता कि किन किन की भर्ती की गयी उनके सब के नाम लिये जाय। यदि विज्ञापन देने में जो कुछ इन्होंने बात बतायी है वह सूचना यदि गलत है तो मैं निश्चित रूप से गलत सूचना देने वाले के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

प्रश्न संख्या 252

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री मोतीलाल.

(श्री अध्यक्ष)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

नेक्स्ट । श्री मदन दिलावर ।

कोटा में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन

258. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या कोटा शहर में अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा नगर परिषद् या नगर विकास न्यास के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु दुकानों का निर्माण करवाया गया था ? यदि हां, तो अभी तक कितनी दुकानें किस-किस को आवंटित कर दी गयी हैं ?

(2) क्या कुछ दुकानों का आवंटन शेष है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या आवंटित सभी दुकानों का कब्जा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(4) यदि नहीं तो शेष लोगों को कब्जा कब तक दे दिया जायेगा ?

समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री कुन्दन लाल मिगलानी) : (1) अध्यक्ष महोदय, जी हा, अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा नगर परिषद् एवं नगर विकास न्यास, कोटा के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवंटित करने हेतु दुकानों का निर्माण करवाया गया था । अब तक 23 व्यक्तियों को दुकानों का आवंटन किया जा चुका है । सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है ।

(2) जी हां, कुछ का आवंटन करना शेष है क्योंकि नगर परिषद् एवं नगर विकास न्यास से निर्मित दुकानों की सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है ।

(3) जी नहीं, 23 आवंटित दुकानों में से केवल 13 दुकानों का 12-8-92 को कब्जा दिया जा चुका है । सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है ।

(4) शेष रही 10 दुकानों का कब्जा देने के सम्बन्ध में एडीशनल मुन्सिफ एवं ज्युडिशियल मजिस्टेट नम्बर-एक कोटा के न्यायालय से स्थगन आदेश है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि इतनी दुकानों के निर्माण के लिये कब यह पैसा आवंटित किया गया था और यह कब निर्माण प्रारम्भ हुआ, कब पूरा हो गया और अभी तक यह दुकाने आवंटित न करने का क्या कारण रहा ? इन दुकानों की सूची अब तक प्राप्त नहीं होने का भी क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष : सारी बातें आ गई है आप जवाब सुन लीजिये । 23 दुकानें उनको मिली है, 13 आवंटित कर दी ।

(श्री अध्यक्ष)

10 इसलिए नहीं हुई कि उन पर स्टे लगा हुआ है।

श्री मदन दिलावर : 23 दुकानें तो आवंटित हो चुकी, उसमें 13 का कब्जा दे दिया।

श्री अध्यक्ष : कब्जा दे दिया।

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन यह है कि कितनी दुकानों के निर्माण के लिए आपने पैसा लिया था और कब दिया था।

श्री अध्यक्ष : बैठिये।

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर विकास न्यास को 40 दुकानों के लिए 5 हजार के हिसाब से 2 लाख रुपया सन् 1984 में दिया गया था। नगर परिषद् को 18 दुकानों के लिए 5 हजार रुपये के हिसाब से 90 हजार रुपया सन् 1989 में दिया गया था। मगर उसमें किसी तरह की कहीं भी आपत्तियां आ जाती हैं, वह पैसा दिया गया। जैसे-जैसे दुकाने बनाई जा रही हैं और उनकी तरफ से निगम को सूचना मिल जाती है, उसी तरह से वह समिति जो गठित की गई है, उनके द्वारा वह आवंटन किया जाता है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बताना सन् 1984 में और 1989 में पैसा आवंटित किया है उस समय दुकान की लागत क्या थी और कब पूरा होना था? आज उस दुकान की कीमत क्या हो गई। क्या यह जो देरी हुई है इसका ब्याज उससे लेंगे या नहीं लेंगे जिसको आवंटित हुई है?

श्री कुन्दन लाल मिगलानी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले जब दुकाने बनाई जाती थी तो उस वक्त 5 हजार रुपये तो निगम की तरफ से और 7 हजार रुपये जो अभी वह उनकी तरफ से प्रार्थी होता था, जिसको दुकान वह अलाट की जाती थी। वह बैंक लोन से उसको 7 हजार रुपये दिये जाते थे मगर अब कीमत बढ जाने की वजह से 5 हजार रुपये तो अनुदान रखा गया है मगर उसको लोन की जो कीमत की है, लोन का जो पैसा है, वह 10 हजार रुपये रख दिया गया है।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आपकी दो सप्लीमेण्ट्री हो गई, बैठ जाइये आप। माननीय इन्दौरा जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक नीति से सम्बन्धित प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि 7-8 वर्ष पहले जो दुकानें अलाट हुई थी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में और वह 8-10 चल नहीं रही है, दरवाजें टूट रहे हैं। खिड़कियां टूट रही है।

श्री अध्यक्ष : कहां के बारे में पूछ रहे हैं आप।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नीति से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : नीति से सम्बन्धित है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : नीति से सम्बन्धित है। जो दुकाने हम अपने आगे अलाटमेंट कर चुके और जो टूट रही हैं उनके बारे में क्या पालिसी इनकी है? क्या नीति निर्धारित करेंगे?

श्री अध्यक्ष : नीतिगत सवाल तो होते नहीं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमारे जो (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल में नीतिगत सवाल नहीं पूछे जाते। नेक्स्ट श्री हेतराम जी, स्थगित प्रश्न।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 21 सितम्बर, 1992)

राज्य के आपराधिक प्रकरण

80. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगारिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राज्य में पिछले दो वर्षों में बलात्कार, दहेज हत्या और हरिजन अत्याचार के कितने मुकदमें दर्ज किये गये हैं? इसके मुकाबले में पांच वर्ष पहले इन जुर्मों की संख्या क्या थी? क्या बढोतरी हुई है? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

(2) पिछले दो वर्षों में दर्ज मुकदमों में से कितनों का अदालत में चालान किया गया है, कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई, कितने मुकदमों में आपस में राजीनामा करवा दिया गया और कितने मुकदमें छः माह से ज्यादा समय से लम्बित पड़े हैं?

(3) दो वर्ष में दर्ज उपर्युक्त मुकदमों में अदालत ने कितने मुकदमों में सजा दी है? प्रत्येक वर्ष की अलग-अलग मुकदमों में ब्यौरेवार जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या इन मुकदमों की पैरवी ढंग से न किये जाने के कारण ही इन मुकदमों के नतीजे मुल्जियों के पक्ष में जाते रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह स्थगित प्रश्न है जो उनका उसी आॅर्डर में रखा हुआ है पहले वाले में। आपका बाद में आयेगा। बोलिये मंत्रीजी।

गृहमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (1) राज्य में वर्ष 1990 में बलात्कार, दहेज हत्या, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार के अभियोग निम्न प्रकार हैं :—

क्रम सं0	वर्ष	बलात्कार	दहेज हत्या	एस. सी./एस. टी. अत्याचार
1.	1990	740	279	3260

(श्री दिग्विजय सिंह)

1	2	3	4	5
2.	1991	803	303	5477
3.	1985	522	37	1816
4.	1986	598	88	1906
बढ़ोतरी				
	1990	218	242	1444
	1991	205	215	3571

बढ़ोतरी का कारण : बढ़ोतरी के मुख्य कारण जनसंख्या में वृद्धि, बेरोजगारी, शहरीकरण, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, स्वतन्त्र पंजीयन तथा अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 के प्रभाव में आने के कारण जाति विशेष के लिए अपमानजनक शब्दों पर ही अभियोग दर्ज हो जाना तथा जन जागृति व अपने अधिकारों को समझने की प्रवृति आदि है।

(2) पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(3) पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है तथा जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(4) अभियोजन विभाग से पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला जो जवाब दिया है मंत्रीजी ने, उसमें पहले तो मेरा एतराज यह है कि यह क्रम जो रखा है 91 पहले रखा है, 86 बाद में रखा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पूर्ण सूचना तो है नहीं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं 86 में प्रश्न है, पहली सूचना दी है जो राज की पूरी तरह तस्वीर जाहिर करती है, उसमें इन्होंने कारण दिया है, जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी और शहरीकरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1991 में और 1986 में जो कम्पेरिजन है वह 1906 केसेज हुए हैं 1986 में और 1991 में हुए 5470. हरिजनों पर अत्याचार के। दहेज हत्या के केसेज जो हैं वे 215 से हुए हैं 303 तो तिगुना फर्क पड़ा है। तिगुनी वृद्धि हुई है।

क्या जनसंख्या में तीन गुणी वृद्धि हो गई ? क्या राजस्थान में तीन गुना औद्योगिकरण हो गया। वास्तव में उद्योग मंत्री बतायेंगे कि राजस्थान में तो उद्योग बन्द हुए हैं। मजदूरों की संख्या घटी है। जो

(श्री हेतराम बेनीबाल)

लोगों को एम्पलायमेण्ट मिलना था, वह कम हुआ है। इसलिए यह समझ में नहीं आया कि आपने इस बात को, इस बात से कैसे जोड़ा है, जबकि वास्तविकता यह है कि राज्य के अन्दर पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन ठप्प है। इस वजह से यह अपना जो फर्क आ रहा है, वह आ रहा है।

मुझे एक सवाल यह पूछना है कि इसमें कहा कि जनजागृति आ गई और अपमानजनक शब्द बोलने से बढ़ गये। वह जो एस. सी./एस. टी. एक्ट है। वह अपने आप में ही एस. सी./एस. टी. एक्ट है, यह है सेक्शन 3 की, जिसमें हरिजन की बेइज्जती करने के लिए अपमानजनक शब्द बोलेगे तो उसका केस दर्ज होगा, तो क्या वास्तव में अपमानजनक शब्द बोलना आपकी सरकार की निगाह में यह फर्जी केस दर्ज कराना है। जो आपने यह लिखा है कि अपमानजनक शब्द बोलने की वजह से केस बढ़ गये। यही लिखा है कि बढ़ोतरी इसलिए हो गई कि अपमानजनक शब्द बोलने को जोड़ दिया गया। इसका मतलब यह रजिस्ट्रेशन कानूनी है।

माननीय मंत्री महोदय, यह कानूनी रजिस्ट्रेशन है। तो दूसरा यह है कि मेरा जो सवाल है उसमें मैंने दूसरा प्रश्न किया। तीसरा, चौथा, उसमें माननीय मंत्रीजी ने कहा कि पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है और इकट्ठी की जा रही है। जो राजस्थान का गृह विभाग है, उसके पास एक कम्प्यूटर डिपार्टमेण्ट है पूरा, और उस कम्प्यूटर डिपार्टमेण्ट में एक डी. आई. जी. काम करता है। क्या डी. आई. जी., 2-3 एस. पी., 15-20 सी. आई. और सारा स्टाफ दो साल के आंकड़े इकट्टे नहीं किये हैं। पिछले दो साल के मैंने आंकड़े मांगे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह जो पिछले 3 सवाल हैं, यह पूरे के पूरे राजस्थान के हैं। इनकी सूचना जब प्राप्त होगी, आपको भेज दी जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि कम्प्यूटर क्या करता है।

श्री अध्यक्ष : मैं जो कह रहा हूं, सुनिये आप। बाकी जब वह सूचना आयेगी आपको दे दी जायेगी।

श्री हेतराम बेनीवाल : मुझे दे दी जायेगी। मेरा सवाल यह है कि राज्य सरकार को जो कम्प्यूटर विभाग है। जितने केसेज दर्ज होते हैं उसकी कम्प्यूटर से सूचना जयपुर आ जाती है।

श्री अध्यक्ष : उसमें ये थोड़े ही है।

श्री हेतराम बेनीवाल : जितने केस का चालान होता है उसकी सूचना जयपुर में आ जाती है, कम्प्यूटर से। तो क्या माननीय मंत्रीजी इसी तरह से जिस तरह से सबसे पहले सवाल में किया हैं। यह जानबूझकर जो छुपा रहे हैं। जो सूचना यहां

(श्री हेतराम बेनीवाल)

एकत्र है, वह नहीं दी या फिर उनका विभाग काम नहीं कर रहा। उनका जो कम्प्यूटर विभाग है, पूरा का पूरा डिफेक्ट है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के सम्बन्ध में पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि जो सूचना माननीय सदस्य मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : ये पूरा विस्तार से पूछ रहे हैं।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कम्प्यूटर के लिए पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं मानता हूं, कम्प्यूटर के लिए पूछ रहे हैं आप।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं सारी सूचनायें आपको भिजवा दूंगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं कम्प्यूटर के लिए पूछ रहा हूं। कम्प्यूटर काम कर रहा है कि नहीं ?

श्री दिग्विजय सिंह : दूसरा प्रश्न यह है कि आपने कहा कि कितने में फाइनल रिपोर्ट लगा दी, कितने मुकदमों में आपस में राजीनामा करवा दिया, कि दो वर्ष में।

श्री हेतराम बेनीवाल : मगर प्रश्न के।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसमें टाईम लगना स्वाभाविक है।

श्री दिग्विजय सिंह : इतना बड़ा ब्यौरा है।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका सवाल है, उसका रिकार्ड आता है कि नहीं।

श्री दिग्विजय सिंह : तो कम्प्यूटर में फीड करने के बाद जिला हैडक्वार्टर।

श्री हेतराम बेनीवाल : आपका जिला हैडक्वार्टर, आपको फीड करना है।

श्री दिग्विजय सिंह : क्या एक्शन हुआ, यह बहुत लम्बा प्रश्न है।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैं एक्शन की नहीं कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : आ गया, आ गया।

श्री हेतराम बेनीवाल : मैंने प्रश्न यह पूछा है कि आपने यह जवाब दिया कि औद्योगिककरण और जनसंख्या। वास्तव में राजस्थान में औद्योगिककरण या जनसंख्या वह नहीं है जो आपके इस बलात्कार के और हत्याओं के आंकड़े हैं, दहेज हत्या के कारण आंकड़े हैं। यह आप गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हेतरामजी बिराजें, मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है।

सरस घी का निजी क्षेत्र के माध्यम से विक्रय

254. **श्रीमती सुमित्रा सिंह** (झुंझुनू) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या डेयरी फेडरेशन द्वारा उत्पादित घी को किन्हीं व्यापारिक फर्मों को सस्ते दामों पर बेचकर डेयरी फैडरेशन ने 50 लाख रुपये का घाटा खाया है? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है?

(2) क्या इस प्रकार घाटा खाकर भी बेचने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) आम उपभोक्ताओं के लिए दर घटाकर सरस घी बेचने में फैडरेशन को क्या आपत्ति थी?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री बाबूलाल खाण्डा) (डेयरी राज्य मंत्री श्री उम्मेदसिंह के स्थान पर) : (1) जी नहीं।

(2) कोई घाटा नहीं हुआ।

(3) दुग्ध उत्पादों की दर निर्धारित करते समय फैडरेशन को उपभोक्ता व उत्पादकों के बीच सामंजस्य बनाये रखना होता है व उत्पाद की दर बाजार में प्रचलित प्रतिस्पर्द्धा एवं अन्य ब्राण्डों के भावों को ध्यान में रखकर तय की जाती है। यदि घी की दर घटाई जाती है तो यह उत्पादकों के हित के प्रतिकूल होता है। अतः नहीं घटाई गई।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या डेयरी फेडरेशन के मंत्री बदल गये हैं। मैं यह जानना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने मुझ से लिखित में इजाजत मांगी है वह बीमार हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि—क्या यह सही नहीं है कि 15 किलो के टिन पैक हैं उनको आपने किन्हीं प्राइवेट फर्मों को 71 रुपए के भाव से दिये हैं और पोलिपैक के अन्दर जो एक एक किलो के सरस घी के पैकेट जिसमें 910 ग्राम ही घी है पूरा एक किलो भी नहीं है उसको आप 82 रुपये के भाव से बेच रहे है।

श्री बाबूलाल खाण्डा : माननीय अध्यक्ष महोदय, फैडरेशन है उसमें दूध का जो कलेक्शन होता है ..

श्रीमती सुमित्रा सिंह : दूध की बात कौन कर रहा है? बात तो घी की हो रही है। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : अध्यक्ष महोदय, मेरा 275 पर प्रश्न है शायद मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर भी साथ-साथ देना शुरु कर दिया है। दूध और डेयरी उत्पादकों के बारे में प्रश्न है शायद

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दोनों को मिलाकर बोल रहे हैं। मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री बाबूलाल खाण्डा : दूध का जो कलेक्शन होता है वह शहरी उपभोक्ताओं को दिया जाता है। मैं पूरी बात समझा दूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे सुनायी नहीं दिया। फिर से कहला दें।

श्री बाबूलाल खाण्डा : जो दूध बचता है उसको अनुबंध के अनुसार मदर डेयरी और डी. एम. एस. को सप्लाई किया जाता है उसके बाद जो दूध बचता है उसका पाउडर और घी बनाया जाता है। फेडरेशन की मंशा है कि घी उपभोक्ताओं को पैक में दिया जाय लेकिन जब भण्डार ज्यादा हो जाता है उस स्थिति में और जब यह भी देखा जाता है कि आने वाले सीजन में घी की कीमत कम हो जायेगी, एक यह कारण है। दूसरा कारण वित्तीय कारण भी होता है जो संघ ब्याज पर पैसा लेकर धन्धा चलाता है, ब्याज नही बढ़े, उसके कारण उसको बेचना पड़ता है। पहले बेचते हैं उपभोक्ता पैक में और दूसरा बेचते हैं थोक में। उपभोक्ता पैक में थोक से ज्यादा बेचा है। थोक में 324 टन बेचा है....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने जो, पाइण्टेड प्रश्न पूछा है कि क्या यह सही है कि 15 किलो के टिन के पैक में प्राइवेट फर्मों को आपने 71 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है।

श्री बाबूलाल खाण्डा : वही बता रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कहां बता रहे हैं? आप तो भूमिका बांध रहे हैं।

श्री बाबूलाल खाण्डा : भूमिका भी जरूरी है।

324 मैट्रिक टन थोक के भाव से बेचा है। 71.50 और 72.50 की दर से लेकिन 802 मैट्रिक टन बेचा है उपभोक्ता पैक में। जो उससे ज्यादा है फिर भी हमारे पास 300 मैट्रिक टन बचा हुआ है। उसके बाद बेचा नहीं यह जुलाई में बेचा है 324 मैटिक टन और अब भी 300 टन बचा हुआ है। आने वाले सीजन में जब दूध की आवक ज्यादा बढ़ेगी अक्टूबर से मार्च तक उसमें हमारा जो अनुमानित उत्पादन है वह 1581 हो जायेगा स्थिति यह है। हमारे पास भण्डारण है उसे बेचना ज़रूरी था। आपको संदेह है कि रेट कम है तो उसके लिए अर्ज करना चाहता हूं कि दूसरे फेडरेशन है उनसे हमारी रेट ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश जो फेडरेशन है जिसका व्यापार जोधपुर में होता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने प्राइवेट फर्मों को क्यों बेचा आम उपभोक्ता को घी मिला नहीं। आपने प्राइवेट फार्मों को क्यों बेचा ?

श्री अध्यक्ष : उजलाजी का नोट नहीं

(श्री अध्यक्ष)

करेंगे । जवाब पूरा हो गया । (व्यवधान) इनका नोट मत करो । इसको दर्ज मत करो । बिना मेरी परमिशन के जो बोलता है उसका दर्ज मत करो । (व्यवधान)

श्री बाबूलाल खाण्डा : आन्ध्र प्रदेश फैडरेशन जो है उसका जुलाई में 324 मैट्रिक टन बेचा है उसमें उनकी दर थी 69.40 जो जोधपुर में व्यापार करती है । तमिलनाडू में जो जोधपुर में व्यापार करती है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश की बात कर रहे है । मैं प्राइवेट की बात कर रही हूं ।

श्री बाबूलाल खाण्डा : उसकी रेट 68.80 थी । पंजाब का फैडरेशन जो जोधपुर जयपुर में व्यापार करती है....

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए हो गया जबाब आप पूछें । ... (व्यवधान) सिवाय सुमित्रा जी के किसी का नोट नहीं किया जाय । जिनका नाम लेता हूं उन्हीं का नोट किया जाय....(व्यवधान) सिवाय सुमित्राजी के किसी का नोट नहीं करेंगे । जिसका भी मैं नाम लेता हूं उन्हीं का दर्ज किया जाय बाकी कोई खड़े होकर बोलता है तो दर्ज मत करो ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि डेयरी फैडरेशन ने उन थोक विक्रेताओं को जिनकी बात कर रहे हैं उन प्राइवेट फर्म्स को 5 लाख रुपए का माल एक साथ उठाने की शर्त की थी लेकिन किसी भी फर्म ने 5-6 लाख का माल एक साथ नहीं उठाया । क्या वह बात सही है ? यह सूचना नहीं है इनके पास ।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मई में रेट तय हुई थी वह 78 रुपये की थी लेकिन नहीं उठाया फिर 72 की गयी ...

श्री अध्यक्ष : सही है ना ।

श्री बाबूलाल खाण्डा हां सही है । फिर....

श्री अध्यक्ष : हो गया फिर क्या है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : फिर आम उपभोक्ता को भी 72 रुपये में बेच सकते थे उनको क्यों नहीं बेचा ?

श्री अध्यक्ष : हो गया । नहीं उठाया ठीक कह रही है आप । उजलाजी पूछो आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपभोक्ता संघों के माध्यम से दूध बेचने, घी बेचने का नियम है, प्राइवेट फर्मों को बेचने का नहीं है । पिछले दिनों आपने घी की कमी दिखायी और जब घी महंगा हो गया तो प्राइवेट फर्मों को बेचा गया वह उसको खोलकर दूसरे का घी बताकर महंगे बेच रहे हैं । उपभोक्ताओं को घी महंगा मिल रहा है उनको सस्ता देने में क्या आपत्ती थी ? यहां घी की कमी बताने का क्या अर्थ था ।

माननीय मन्त्री महोदय कभी भी डेयरी

(श्रीमती उजाला अरोड़ा)

को यह आदेश नहीं है कि निजी फर्मों को घी बेचा जाय और दूसरी ओर उपभोक्ताओं को कमी बतायी जाय। मान्यवर, बतायें कि इस तरह से घी के दाम बढ़ाकर निजी फर्मों को सस्ता देते हैं और उपभोक्ताओं को महंगा देने का क्या मतलब है? (व्यवधान)..मैं तो खाती नहीं। खायी सी लगती हूं अगर मेरे खाने न खाने से सबको सस्ता मिल जाये तो कोई बात नहीं मैं संकल्प कर सकती हूं। मैंने बहुत से संकल्प निभाये हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आम उपभोक्ता को आप महंगा दे रहे हैं और उनको सस्ता दे रहे हैं (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जो मिलावट करके बेचते हैं।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि रेट जो निर्धारित होती है उसकी कमेटी होती है। मई जून जुलाई में तीन बार रेट की, सबको लिखा पढ़ी की, अखबार में सूचना दी, कोई उठाये नहीं तो क्या हम प्राईवेट को नहीं बेचेंगे। हमारे पास भण्डार है, हमारे पर ऋण चढ़ रहा है अगर नहीं बेचते तो चार लाख रुपए हमारे संघों को ब्याज का देना पड़ता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने कल्लाजी का नाम पुकारा है। केवल कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व में भी इतनी सस्ती दर पर डेयरी ने किसी को घी बेचा है। क्या यह भी सही है कि डेयरी के बूथ पर जो घी आम उपभोक्ता को उपलब्ध होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। और थोक में आप इतना सस्ता घी बेच रहे हैं। क्या इसके बीच में 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से डेयरी के कितने बूथ हैं उनके माध्यम से नहीं बेच सकते थे। इसके मायने साफ है कि डेयरी में सरासर प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इतना सस्ता घी बेचा गया है इससे एक ओर डेयरी फैडरेशन को चूना लगाया गया है वहां एक ओर आम उपभोक्ता के हितों पर कुठाराघात किया गया है और भविष्य में क्या मन्त्री महोदय आम उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर घी उपलब्ध करायेंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

श्री बंशीलाल पटवा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है यह जो मंत्री महोदय ने रिप्लाई दिया है कि घी नहीं उठाते हैं। इसलिए सस्ती दर पर बेचा है। आम उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से हुआ है। प्राइवेट फर्मों को तो सस्ता घी दें 72 रुपए में और उपभोक्ताओं को 82 रुपए में दें, यह निश्चित रूप से डिस्क्रिमिनेशन है। इस तरह होना नहीं चाहिए, यह एक तरह से पाप है।.. (व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : ना पक्ष की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री प्रेमसिंह दहिया : दोनों पक्ष से लीजिए, इधर भी तो देखिए आप।

श्री रतनाराम चौधरी : सप्लीमेण्ट्री

(श्री रतनाराम चौधरी)

पूछने का समय दें।

श्री अध्यक्ष : आपने कैसे मान लिया ? मैंने प्रश्न समाप्त कर दिया क्या ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हाथ मैंने उठाया। आप देख ही नहीं रहे हो इधर।

श्री अध्यक्ष : एक साथ बोलेंगे सब ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : आपका ध्यान उधर ही उधर रहता है।

श्री अध्यक्ष : आप इतना हेस्टी और इम्पेशेण्ट क्यों होते हैं ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : आप हेस्टी होकर अगला प्रश्न पूछ लेते हैं, इसलिए होते हैं।

श्री अध्यक्ष : अभी मैंने पूछा है अगला ? अभी यही प्रश्न चल रहा है।

श्री हीरालाल इन्दौरा : हमारी तरफ भी आई कैच होनो चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मुझे सब ध्यान है। जिसने पहले हाथ खड़ा किया उसी को पुछवा रहा हूं। आपको पता नहीं है, मुझे मालूम है कि बंशीलाल जी चार बार खड़े हुए थे। कल्ला जी का पहले हाथ था इसलिए मैंने उनको कहा। मुझे सब पता है, किसने पहले कहा किसने बाद में किया। आप जबर्दस्ती ही।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 10 सवाल आएंगे कि नहीं आज ?

श्री अध्यक्ष : आप रोकिए इनको, मैं क्या करूं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो आपका काम है, हमारा थोड़े ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुख्य मंत्री जी दे सकते हैं बाकी मंत्री से कोई जवाब दिया नहीं जा सकेगा।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न किया गया कि उपभोक्ताओं को दर कम करके क्यों नहीं बेच सकते, उसमें एक मुद्दा है जिससे माननीय सदस्या भी शायद सहमत होंगी कि उससे उपभोक्ताओं को हानि होने वाली थी। अगर हम दर एक दफा कम कर देंगे तो वह दर वही रहेगी। उत्पादकों की रक्षा भी हमें करनी है, जो किसान हैं, दूध बेचते हैं। उनको अगर हम कम कर दें तो यह सारा मामला ऐसा हो जाएगा, इसलिए हमने दर नहीं घटाई है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रेमसिंह दहिया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसी डेयरी फेडरेशन ने 1990 में 56 रुपए किलो का सौदा करने के बाद उनको नहीं देकर 39 रुपए में घी बेचा और डेढ़ करोड़ का घाटा हुआ

(श्री प्रेमसिंह दहियां)

उस समय डेढ़ करोड़ का घाटा दिया और, इसी तरह अब व्यापारियों और उपभोक्ताओं के बीच रेट का करके 50 लाख का घाटा हुआ है। आप कह रहे हैं कि घाटा नहीं हुआ, जवाब दीजिए।

श्री बाबूलाल खाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैंने मना कर दिया, इसमें कोई घाटा नहीं है।

श्री प्रेमसिंह दहियां : 71 और 82 में बेच रहे हैं, और घाटा नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : वे कह रहे हैं, घाटा नहीं है। अल्प सूचना प्रश्न, श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैंने 20 बार आपकी तरफ ध्यान आकर्षित किया...।

श्री अध्यक्ष : लेकिन अब टाइम नहीं है, मैं क्या करूं ?

श्री रामसिंह विश्नोई : यह कोई तरीका नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : अल्प सूचना प्रश्न मुझे लेना पड़ेगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको तो लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : और टाइम पांच मिनट का है, मैं क्या करूं समय का ?

श्री रामसिंह विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको दिखता नहीं है तो बिराज जाइये आप।

श्री अध्यक्ष : मुझे सब दिख रहा है। हां, आप बोलिए।

श्री रामसिंह विश्नोई : आपको दिखता भी है कि नहीं ? आपकी आंखें काम करती हैं कि नहीं करती हैं ?

श्री अध्यक्ष : मेरी आंखें सबको कैच करती हैं, मैं सबको तो नहीं बुला सकता।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप क्या बात करते हो इस तरह की...।

श्री अध्यक्ष : शिवकिशोर जी सनाढ्य।

अल्प सूचना प्रश्न

6. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर के उदियापोल, चम्पालाल की धर्मशाला, सामान्य, चिकित्सालय बाहर, रेती स्टैण्ड व सलूम्बर चौराहा पर से हटाये गये प्रवंघ केबिन व कब्जाधारियों को पुनः बसाने का सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है ?

(2) क्या प्रकरणों पर विचार कर, निश्चय करने के लिए कोई अधिकारियों की समिति गठित की गयी थी ? यदि हां, तो लॉटरी डालकर किन-किन व्यक्तियों को

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

केबिना प्रावण्टित किये गये तथा इनमें कितने लाइसेंसधारी व बिना लाइसेंसधारी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस सूची में ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जो स्वयं केबिन पर बैठते थे और कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं केबिन नहीं चलाते हैं ? सूची सदन की मेज़ पर रखें ।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भंवरलाल शर्मा) : (1) उदयपुर के उदियापोल चम्पालाल की धर्मशाला, सामान्य चिकित्सालय के बाहर, रेती बस स्टैण्ड, सलूम्बर चौराहे पर से नगर परिषद् व नगर विकास न्यास द्वारा अभियान के दौरान संयुक्त रूप से हटाये गये अवैध केबिन व कब्जाधारियों को पुनः बसाने हेतु शहर के बाहरी क्षेत्र रेती स्टैण्ड, सेक्टर नम्बर 3, 4, 5, 6, व 11, 12 में न्यास द्वारा भूमि उपलब्ध कराये जाने पर कियोस्क व दुकानें आदि बनाकर बसाने की योजना है ।

(2) प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेने हेतु अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है । दिनांक 4-9-1992 को समिति द्वारा अनुज्ञाधारियों को विभिन्न स्थानों पर दुकाने/कियोस्क आवण्टन करने हेतु लॉटरी द्वारा दुकान नम्बर आवण्टित किये गये हैं । ऐसे लाइसेंसधारियों एवं बिना लाइसेंसधारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(3) ऐसे व्यक्ति जो स्वयं केबिन पर बैठते हैं उनकी संख्या 48 है । स्वयं के केबिन नहीं चलाने वालों की संख्या दो है । सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो पहले प्रश्न का उत्तर दिया है....

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी-जल्दी पूछिये । टाइम खत्म हो जाएगा और रह जाएगा ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : पहले प्रश्न में उत्तर दिया है कि न्यास की भूमि पर कियोस्क, दुकानें और जमीन आवन्टित की जाएगी । लॉटरी पहले डाल दी और जमीन अभी तक आवन्टित की नहीं गयी है । यह भी कहना चाहता हूँ, मान्यवर, कि उदियापोल से जो दुकानें हटायी हैं इनमें जो अवैध दुकानें हैं, जो केबिनधारी अनुज्ञाधारी नहीं थे उन लोगों को भी देने के लिए प्रस्ताव किया है । रेती स्टैन्ड पर आपने जो दुकानें बनायी है वे 10 × 10 की 25, 10 × 15 की 21, 10 × 20 की 39 और 15 × 20 की हैं, जहां पर दुकानें कामर्शियल रेट पर जानी चाहिए थीं । इस तरह से अवैध लोग केबिन बना लें, सरकारी जमीन पर बैठ जायं, तो क्या हम इसी तरह संस्कृति को चलाएंगे ?

माननीय मन्त्री महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि उदियापोल, चम्पालाल की धर्मशाला, रेती स्टैन्ड, हास्पिटल के बाहर या सहेली की बाड़ी के बाहर इन लोगों के

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

कब्जे कब से थे, ये कब से बैठे हुए थे वहां पर ?

श्री अध्यक्ष : अपना टाइम ले रहे हैं, फिर बाद में नहीं मिलेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : नगर विकास प्रन्यास में इतनी बड़ी फौज है, इंस्पेक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं उसके बाद भी कब्जे क्यों होते रहे बराबर ? आज जब उनको संयुक्त रूप से हटाया है तो ऐसे लोगों को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : जवाब नहीं मिलेगा आप भाषण करते जाओगे तो। ठीक 12 बजे समाप्त हो जाएगा यह।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यातायात समिति की एक बैठक हुई। यह तय किया गया कि इस प्रकार रूट्स पर, मार्ग पर जो अतिक्रमी हैं उनको हटाया जाय। उन सबको यह कहा गया कि आप यहां से मार्च, 1992 तक खाली कर दें। लगातार प्रयत्न करने के बाद भी जब खाली नहीं किया गया तो इन अतिक्रमियों को हटाया गया। उसके बाद, इनके साथ अन्याय नहीं हो, इनको कहीं आराम से बसा दिया जाय जहां ये अपना व्यवसाय कर सकें। इस सम्बन्ध में किसी भी अवैध अतिक्रमी को नगर परिषद् उदयपुर द्वारा कोई दुकान या कियोस्क आवन्टित नहीं की जा रही है। अभी तक किसी भी अवैध अतिक्रमी को कोई आवन्टन नहीं किया गया है जिला कलेक्टर महोदय द्वारा स्थानीय नगर विधायक शिवकिशोर जी सनाढ्य, आप स्वयं, अध्यक्ष नगर विकास प्रन्यास श्री नरेन्द्रसिंह लखावत सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर परिषद् एवं नगर विकास प्रन्यास के अधिकारियों के साथ अगस्त 1992 में अन्तिम सप्ताह में बैठक कर मौखिक निर्देश दिये, प्रथम, कि जो नगर परिषद् में पूर्व में लाइसेंसधारी केबिनधारी हैं उन्हें लॉटरी निकालकर राशि नियमानुसार जमा करके दुकानें दी जायें। आप स्वयं उस कमेटी में थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 मध्यान्ह)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट–4 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

करौली के खनिज क्षेत्रों से आय

247. **वैद्य श्री गोविन्द सहाय** (गंगापुर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली खनिज क्षेत्र से प्रति वर्ष कर से कितनी आय होती है ? वर्ष 1985 से अप्रेल 1992 तक की आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कर चोरी से

(वैद्य श्री गोविन्द सहाय)

राज्य सरकार को काफी हानि होती है ? यदि हां, तो कर चोरी रोकने के सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) करौली खनिज क्षेत्र से अप्रेल, 1985 से जून, 1992 तक प्राप्त विक्रय कर की आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92
रुपये लाखों में	26.76	28.54	31.23	48.92	49.48	52.80	60.37

1992-93 जून तक
14.03

(2) जी नहीं। विभाग कर चोरी को रोकने के लिए निरन्तर प्रयास करता रहता है।

सवाई माधोपुर की अरावली पर्वत शृंखलाओं का विकास

252. **श्री मोतीलाल (सवाई माधोपुर):** क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

सवाईमाधोपुर जिले की अरावली पहाड़ियों को अरावली परियोजना में सम्मिलित नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस वर्ष से, उक्त जिले में भी उक्त परियोजना के तहत वनों के विकास करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

सवाईमाधोपुर जिला विश्व बैंक की सहायता से चल रही राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी परियोजना में सम्मिलित होने तथा अधिकांश वन क्षेत्र वन अभ्यारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित होने एवं इस जिले के कुछ ही भाग में अरावली पर्वत शृंखला होने के कारण अरावली परियोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। जी नहीं। उपरोक्त कारणों से इस जिले को अरावली परियोजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सुदर्शन महाविद्यालय की क्रमोन्नति

341. श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 1992-93 में कितने विषय कहां-कहां खोले जायेंगे ? उक्त अवधि में राज्य में कहां-कहां स्नातक महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाया जावेगा ?

(2) क्या सरकार राजकीय सुदर्शन महाविद्यालय को क्रमोन्नत कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 के बजट में विद्यालयों में 10 विषय खोलने का तथा तीन स्नातक स्तर के कन्या महा-महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का प्रावधान था अतः परिशिष्ट "अ" एवं "ब" के अनुसार विषय खोले एवं महाविद्यालय क्रमोन्नत कर दिये गये हैं।

(2) राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में दिनांक 7-9-92 को अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र विषयों के साथ क्रमोन्नत करने स्वीकृति दी जा चुकी है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट—5 देखें)

फालना के महाविद्यालय में कला संकाय की स्थापना

342. श्री अमृतलाल (बाली) : क्या मुख्य (उच्च शिक्षा) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाविद्यालय फालना में कला संकाय का सेक्शन खोलने हेतु महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर पत्र लिखा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि फालना महाविद्यालय में बाली, देसूरी, सुमेरपुर आदि क्षेत्र के विद्यार्थी अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं, परन्तु कला संकाय का सेक्शन कम होने से विद्यार्थियों को काफी परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में कला संकाय का एक और सेक्शन खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) ऐसी कोई मांग विभाग को प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है।

(2) जी हां, ग्राम बाली, देसूरी, सुमेरपुर आदि क्षेत्रों के विद्यार्थी अध्ययन हेतु फालना महाविद्यालय में भी आते हैं महाविद्यालय से प्रथम वर्ष कला का अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रस्ताव विधिवत निदेशालय में प्राप्त नहीं हुए है। ऐसे प्रस्ताव

(उच्च शिक्षा मन्त्री)

आने पर विचार किया जा सकता है।

वीडियो फिल्म प्रदर्शन पर टैक्स

343. **श्री परसराम मोरदरिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे :-

(1) वर्तमान सरकार द्वारा वीडियो, थियेटर पर किस दर से कितना शुल्क (टैक्स) वसूल किया जाता है? मार्च, 1990 एवं 1 मई, 1992 की दरों का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा राजस्थान वीडियो फिल्म प्रदर्शन का विनयमन (संशोधन), विधेयक, 1992 के जरिये बढ़ाये गये टैक्स से इस व्यवसाय में कार्यरत बेरोजगार युवकों के समक्ष व्यावसायिक समस्या पैदा हो गई है? यदि हां, तो इस समस्या के निराकरण हेतु सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(3) क्या सरकार बढ़ाये गये टैक्स को कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में वीडियो थियेटर पर शुल्क (टैक्स) वसूल करने की व्यवस्था नहीं है। वीडियो पार्लर एवं वीडियो सिनेमा के लिए वर्तमान में अधिसूचना दिनांक 15-2-1992 के अधीन कर वसूल किया जाता है तथा मार्च, 1990 की तुलनात्मक कर दर भी निम्न प्रकार है :—

विवरण	मार्च, 1990 में प्रति कैलेण्डर माह या उसके किसी भाग के लिए दरें निम्न प्रकार थी	दिनांक 15-21-992 से दर निम्न प्रकार है वीडियो पार्लर 50 सीटों तक की क्षमता वाला	वीडियो सिनेमा जिसकी बैठक क्षमता 50 से कम और 100 से अधिक न हो	वीडियो सिनेमा जिसकी बैठक क्षमता 100 से कम और 150 से अधिक न हो
अ. ऐसे स्थान जहां पर स्थाई सिनेमा घर न हो	रुपये 500/—	रुपये 250/—	रुपये 500/—	रुपये 750/—
ब. ऐसे स्थान जहां स्थाई सिनेमा घर हों और जहां की जनसंख्या एक लाख से कम हो।	रुपये 1500/—	रुपये 500/—	रुपये 1000/—	रुपये 1500/—

(मुख्य वित्त मन्त्री)

1	2	3	4	5	6
सं.	ऐसे स्थान जहाँ स्थाई सिनेमाघर हों और जहां की जनसंख्या एक लाख और इससे अधिक हो ।	रुपये 2000/—	रुपये 750/—	रुपये 1500/—	रुपये 2000/—

दिनांक 15.2.1992 से पूर्व मार्च 1990 में वीडियो, सिनेमा पर कोई कर बैठक की क्षमता के आधार पर नहीं था ।

(2) इस प्रकार की कोई समस्या विभाग के परिज्ञान में नहीं लाई गई है ।

(3) संशोधित कर दरें दिनांक 15.2.1992 से ही प्रभावी हुई है । दरों के प्रवृत्त होने के पश्चात सम्बन्धित वर्ग द्वारा किसी प्रकार की कठिनाई नहीं बताई है । कर दर में परिवर्तन के किसी प्रकार के सुझाव प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा । वर्तमान में इस प्रकार का कोई सुझाव विचाराधीन नहीं है ।

जिला चित्तौड़गढ़ में निर्बन्ध योजनान्तर्गत कार्य

344. **श्री श्रीचन्द कृपलानी** (निम्बाहेड़ा) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में पिछले ढाई वर्षों से निर्बन्ध योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ?

(2) क्या स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण हो गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन्हें पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में वर्ष 1990-91, 1991-92 व 1992-93 (अगस्त, 92 तक) में स्वीकृत किए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 के स्वीकृत 84 कार्यों में से 50 पूर्ण हो गये हैं तथा 34 कार्य अपूर्ण हैं। चालू वर्ष 1992-93 (अगस्त, 92 तक) 60 कार्य 7-7-92 को स्वीकृत किये गये हैं जिनको अब शुरू कराया जावेगा पिछले वर्षों के 34 अपूर्ण कार्य कार्यकारी संस्थाओं की स्थानीय समस्याओं के कारण पूर्ण नहीं हो सके हैं।

राज्य सरकार इन सभी स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है। सरकार द्वारा इन कार्यों के लिए राशि भी जिले को उपलब्ध करा दी गई है। सभी स्वीकृत कार्यों को चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की सम्भावना है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर में नगर विकास निगम की स्थापना

345. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि जयपुर में नगर विकास निगम बनाया जा रहा है और पुलिस आयुक्त का पद स्थापित किये जाने का भी सरकार का विचार है ? यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

जयपुर विकास निगम नहीं बनाया जा रहा है। पुलिस आयुक्त की व्यवस्था करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

राजगढ़ (अलवर) की सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का प्रकरण

346. **श्री जीतमल जैन** (अलवर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामदयाल जांगिड़, नेहरू सर्किल राजगढ़ (अलवर) की भूमि अवाप्त कर पूर्ण मुआवजा दे

(श्री जीतमल जैन)

दिया गया ? यदि हां, तो भूमि अवाप्ति एवं मुआवजे सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि रामदयाल के वारिसों ने मुआवजे को अपूर्ण बताकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि हां, तो किस-किस स्थान पर, कितनी भूमि एवं उस पर क्या-क्या निर्माण किया गया ? मय नजरी नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अतिक्रमियों को लाभ पहुंचाने के लिए भूमि अवाप्ति की पृष्ठ संख्या दस को गायब कर दिया गया है ?

(4) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं हटाने एवं सरकारी रिकार्ड गायब करने के लिये दोषी व्यक्ति कौन है ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि अवाप्ति एवं मुआवजे सम्बन्धी विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) मूल आदेश की फोटो प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। मूल आदेश पत्रावली में न होने से अतिक्रमियों को कोई लाभ नहीं मिला है।

(4) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, तथा कई अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। अतः मूल आदेश इस पत्रावली में उपलब्ध नहीं हो रहा है। यह आदेश न मिलने से किसी अवाप्ति कार्यवाही पर इसका असर नहीं होता है। अतः कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करना प्रस्तावित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

अता. प्रश्न सं. 347

(स्थगित)

बीकानेर में रंगमंच निर्माण

348. **श्री बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर के पंचायती समारोह के दौरान बीकानेर में रंगमंच के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा 20 लाख रुपये देने की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा की गई ? यदि हां, तो उसमें से कितनी राशि नगर विकास न्यास को प्राप्त हुई ?

(2) क्या नगर विकास न्यास को रंगमंच के निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है ? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

(3) नगर विकास न्यास उक्त रंगमंच का निर्माण कब तक शुरू करा देगा ? क्या नगर विकास न्यास द्वारा रंगमंच के निर्माण

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

हेतु सर्वसम्मति से पूर्व में निर्णय लिया हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण में हो रहे विलम्ब के लिये कौन उत्तरदायी है ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग से नगर विकास न्यास, बीकानेर को 6.00 लाख रुपये प्राप्त हुए।

(2) नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा नगर विकास न्यास, बीकानेर को कार्य प्रारम्भ करने हेतु उसके अंशदान की राशि 20.00 लाख रुपये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई। परन्तु न्यास की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण यह भी निर्देश दिये गये कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पुनः विचार किया जाये।

(3) पब्लिक पार्क स्थित गंगा थियेटर को रंगमंच भवन में परिवर्तित करने का न्यास प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। रंगमंच निर्माण हेतु उपयुक्त स्थान चयन के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। नगर विकास न्यास बैठक दिनांक 25-9-92 में रंगमंच निर्माण का निर्णय लिया गया था, परन्तु उपयुक्त स्थान के चयन न होने के कारण निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। अतः विलम्ब के के लिये कोई उत्तरदायी नहीं है।

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्तियों का हस्तान्तरण

349. श्री श्रीकिशन सोनगरा (नाथद्वारा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ कच्ची बस्तियों का हस्तान्तरण नगर परिषद् जयपुर को किया गया है ? यदि हां, तो क्या कचरा बस्ती का हस्तान्तरण परिषद् को किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बस्ती में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शेष रहे सर्वधारी 16 व्यक्तियों को कचरा बस्ती योजना (पार्क में) भू-खण्ड आवंटित किये थे ? यदि हां, तो कब तथा किन-किन को कब्जा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो अभी तक कब्जा नहीं देने का क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्तियों के आवंटित भू-खण्डों पर अन्य व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो उन्हें कब तक हटा कर आवंटियों को कब्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि आवंटियों को कब्जा नहीं दिये जाने के कारण कचरा बस्ती के स्थान पर ऋषि गालव नगर योजना में खाली भू-खण्डों में से दिये जाने हेतु समय-समय पर आवेदन पत्र दिये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो अब कब तक आवंटन कर इनकी आवासीय समस्या को हल कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हाँ, नगर परिषद जयपुर को हस्तान्तरण करने के आदेश हो चुके हैं। तथा अभिलेख स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

(2) वर्ष 1979 में 16 स्वीकृत दावेदारो को कचरा (पार्क में) भू-खण्ड काटे गये थे। जिनमें श्री राधेश्याम, मंगलराम व दशरथ को कब्जा दिया जा चुका है। शेष रहे आवंटियों को कब्जा इसलिए नहीं दिया जा सका है कि वर्ष 1981 के स्वीकृत/अस्वीकृत सर्वेधारियों ने कब्जे कर रखे है। जिन्हे मालवीया नगर साईट एण्ड सर्विस योजना में भूखण्ड आवंटित किये गये थे। उक्त आवंटी मालवीया नगर साईट एण्ड सर्विस योजना में जाना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में बस्तीवासियों के सहयोग के बिना कब्जा दिया जाना संभव नहीं है।

(3) बिन्दु सख्या 2 के उत्तर के अनुसार।

(4) केवल श्री सीताराम ने ऋषि गालव नगर योजना में भू-खण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया था। वह विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही एवं शिवगंज में हैण्डपम्प की स्वीकृति

350. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में सिरोही शिवगंज विधान सभा क्षेत्र में नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल कितने हैण्डपम्प मजूर हुये तथा कुल कितने हैण्ड पम्प लगाये गये और कहाँ-कहाँ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1992-1993 में कुल कितने हैण्डपम्प लगाये जाने की सरकार की योजना है तथा किस आधार पर ?

उत्तर

(1) उल्लेखनीय विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में स्वीकृत एवं स्थापित हैण्डपम्पों की वांछित सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) हैण्डपम्पों की स्थापना हेतु वर्ष 1992-93 में कोई संख्या अथवा लक्ष्य निर्धारित नही किये गये है। सामान्यत: हैण्डपम्पों की संख्या का निर्धारण स्वीकृत योजनाओं, विशेष स्वीकृतियों अथवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत ही होता है तथा धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार ही इन्हें स्थापित किया जाता है। जनसंख्या तथा गुणवत्ता संम्बन्धी निर्धारित मापदण्डों के आधार पर इन्हें लगाया जाता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

मकराना कस्बे में मातावर की टंकी का निर्माण

351. **श्री गुलाम मुस्तफा खान** (नागौर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कस्बा मकराना जिला नागौर में मातावर की टंकी कब बनाई और क्यों बनाई गई तथा जनता को इससे क्या राहत मिल रही है ?

(2) क्या टंकी पाइप लाइन द्वारा ट्यूब वैल से जोड़ी गई है ? यदि नहीं जोड़ी गई है, तो क्या कारण है, तथा इस टंकी को कौन से ट्यूब वैल से जोड़ने की योजना विचाराधीन है ?

(3) कोहला डूंगरी पर ट्यूबवैल कब और कितने खोदे गए हैं ? उस पर कितना व्यय हुआ ?

(4) राज्य सरकार इस नई (मातावर) ट्यूबवैल से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(5) क्या यह सही है कि मकराना की आबादी निरन्तर बढ़ रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार के पास जल आपूर्ति हेतु अन्य कोई योजना विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) स्वीकृत ग्रामीण जलप्रदाय योजना गुनावती के अन्तर्गत ग्राम गुनावती में जलदाय के निर्माण के प्रावधान के विरुद्ध, इस जलाशय का निर्माण मकराना शहर के उत्तर में स्थित मातावर नामक स्थान पर अक्टूबर 1989 में पूर्ण किया गया। इस जलाशय से मकराना शहर की पेयजल व्यवस्था में आंशिक सुधार, तथा मकराना ग्रामीण क्षेत्र की जलापूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है। जलाशय का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। कार्य को धन संसाधनों के अभाव में पूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। जलाशय को कोलाडूंगरी क्षेत्र में स्थित नलकूपों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(3) उल्लेखित क्षेत्र में 8 नलकूप मकराना शहर एवं मकराना (ग्रामीण) इत्यादि की पेयजल मांगपूर्ति हेतु निर्मित किये गये थे, जिन पर 5 लाख रुपये की राशि व्यय हुई।

(4) जी हां, कार्य धन संसाधनों की उपलब्धता पर सम्भव होगा।

(5) जी हां, कोलाडूंगरी, स्थित नलकूपों को मातावार की टंकी से जोड़ा जाकर, मकराना की बढ़ती हुई जनसंख्या, की पेयजल मांगपूर्ति की जानी प्रस्तावित है।

ग्राम अजान में पेयजल व्यवस्था

352. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि कुम्हेर तहसील के गांव अजान में पेयजल समस्या के समाधान हेतु बड़ी अजान व छोटी अजान की पेयजल योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो सरकार इन योजनाओं को कब तक स्वीकृत करने का विचार रखती है ?

(39)

(श्री नत्थी सिंह)

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा ऐसी पेयजल योजना जो समस्याग्रस्त ग्रामों से सम्बन्धित थी, की तत्काल स्वीकृति करने की नीति बनाई गई थी ? यदि हां, तो उपरोक्त योजनाओं की अब तक स्वीकृत नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) ग्राम अजान की ढाणियां छोटी अजान व बड़ी अजान हेतु विस्तार योजना का प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक स्तर पर है। स्वीकृत धन उपलब्धतानुसार की जानी प्रस्तावित है।

(2) 1981 की जनगणनानुसार, राज्य के शेष समस्याग्रस्त ग्रामों में पेयजल समस्या का समाधान एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार करने की राज्य सरकार की नीति है। परन्तु इसकी क्रियान्वीति धन संसाधनों की उपलब्धतानुसार हो सकेगी। इसी नीति के अन्तर्गत उपरोक्त ढाणियों की योजनाएं स्वीकृत की जा सकेगी।

आडाडूंगर ग्राम सेवा सहकारी समिति का रिकार्ड प्रकरण

353. **श्री प्रभूलाल** (सपोटरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :--

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सपोटरा की आडाडूंगर ग्राम सेवा सहकारी समिति का रिकार्ड चोरी हो गया था ?

(2) क्या चोरी गये रिकार्ड के सम्बन्ध में आर. आई. आर. दर्ज करवाई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) रिकार्ड चोरी के सम्बन्ध में किस की जिम्मेदारी निर्धारित की गई तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि समिति के रिकार्ड के अभाव में सदस्यों को कर्जा देने, लेने व शेयरों के हिसाब-किताब की सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है ? विवरण सदन कि मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उक्त समिति के व्यवस्थापक श्री शिवनाथ पाल, जो सेवा से बर्खास्त कर दिये गये थे, द्वारा समिति का रिकार्ड न संभलवाने पर ऋण पर्यवेक्षक द्वारा प्रयास करके चालू रिकार्ड उससे प्राप्त कर लिया गया था, जिसे उक्त व्यवस्थापक द्वारा धोखाधड़ी से ऋण पर्यवेक्षक की गैर मौजूदगी में, उनके घर से रिकार्ड पूर्ण करने के बहाने ले लिया गया तथा वापिस नहीं लौटाये जाने के कारण रिकार्ड समिति कार्यालय में मौजूद नहीं है।

(2) उक्त धोखाधड़ी के बाबत एफ. आई. आर. दिनांक 28-12-90 को पुलिस थाना सपोटरा में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु थाना प्रभारी द्वारा मामला विभागीय मानकर दर्ज नहीं किया गया। अब पुनः दिनांक 13-9-92 को रजिस्टर्ड डाक से

(सहकारिता मंत्री)

एफ. आई. आर. दर्ज कराने वस्ते भेजी गई है।

(3) बर्खास्त व्यवस्थापक श्री शिवनाथ पाल के विरूद्ध एफ. आई. आर., दर्ज कराने की कार्यवाही एवं क्षेत्रिय ऋण पर्यवेक्षक के विरुद्ध लापरवाही बरतने के लिए सेवा नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(4) बैंक की शाखा सपोटरा में प्राप्त समिति की केश बुक की नकल एवं 30-6-89 को सदस्यों की जमा हिस्सा राशि, अमानत एवं ऋण बकाया के विवरण के आधार पर समिति का नया रिकार्ड तैयार किया जाकर सदस्यों को ऋण उपलब्ध करवाया गया है। इस समिति की वर्ष 91-92 की मांग 3.66 लाख के विरुद्ध 3.12 लाख रुपये की वसूली हुई है और 271 सदस्यों की साख सीमा निश्चित की जाकर 3.10 लाख रुपये का ऋण वितरण हुआ है।

जयपुर स्थित शांति बिहार कालोनी में भू-खण्डों का आवंटन

354. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) :-- क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विभाग ने रजिस्ट्रेशन नं. 2781 एल. दिनांक 16-1-1974 के द्वारा कौन-सी गृह निर्माण सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन जयपुर में कार्य करने हेतु किया, इसका संविधान क्या था ? कृपया गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम, संविधान एवं वर्तमान पदाधिकारियों के नाम व समिति के जयपुर स्थित प्रधान कार्यालय का पता तथा उपरोक्त पदाधिकारियों के निवास स्थान के पतों दूरभाष नं. सहित- सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति द्वारा जगतपुरा जयपुर में शांति बिहार कालोनी में व्यावसायिक/आवासीय भू-खंडों का आवंटन किया है ? यदि हां, तो किस समिति के नाम से, किस-किस व्यक्ति को कौन-कौनसा भू-खण्ड किस-किस दर पर कब-कब आवंटित किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि भू-खण्ड संख्या 40 से 150 तक को दो या दो से अधिक व्यक्तियों को विक्रय किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया प्रत्येक की प्राप्ति रसीद, पट्टे तथा साइट प्लान की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड संख्या के आवंटियों में से भू-खण्ड संख्या 50 से 70 तथा 120 से 150 के आवंटियों से समिति द्वारा पूर्ण राशि प्राप्त कर उनको पट्टे एवं साइट प्लान नहीं दिये गये ? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उनको दे दिये जायेंगे ?

(5) क्या सरकार उक्त समिति द्वारा की जा रही अनियमितता के कारण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब

(श्री कुबेर सिंह)

तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रजिस्ट्रेशन नम्बर 2781 एल, दिनांक 16.1.74 के द्वारा स्वामी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ था। उपनियम परिशिष्ट-1 पर है। इस समिति का पंजीयन के समय नाम स्वामी कच्ची बस्ती गृह निर्माण सहकारी समिति लि. था। इस समिति के उपनियमों में संशोधन के द्वारा इस समिति का नाम श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर दिनांक 16.3.89 को पंजीकृत करवाया गया है। संशोधन परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। वर्तमान में समिति के पदाधिकारियों के नाम निम्न हैं :--

क्रम सं0	पदाधिकारी नाम	पद	पता
1.	श्री गोपाल सिंह	अध्यक्ष	सेन कालोनी, बनीपार्क, जयपुर।
2.	श्रीमती राजकुमारी आकड़	उपाध्यक्ष	जनता कालोनी, जयपुर।
3.	श्री कुम्माराम चौधरी	मंत्री	वैशाली नगर के पीछे, जयपुर।
4.	श्री गिरिराज प्र. सोनी	कोषाध्यक्ष	जगतपुरा रेलवे फाटक के सामने, जयपुर।

समिति के पंजीकृत प्रधान कार्यालय का पता बनीपार्क, कांतिचन्द्र रोड, जयपुर है। समिति के पदाधिकारियों के पास दूरभाष होने की कोई जानकारी नहीं है।

(2) जी हां। भूखण्डों का आवंटन अपने संशोधित नाम श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जयपुर द्वारा किये गये हैं। समिति द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किस-किस सदस्य को कौनसा भूखण्ड किस दर पर व कब आवंटित किये हैं बाबत सूचना परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 70 में जांच कराई जा रही है।

(4) इस सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ऐसा नहीं है। विभाग द्वारा सहकारी अधिनियम की धारा 70 में जांच कराई जा रही है।

(5) समिति द्वारा की गई अनियमितताओं का पता लगने पर पुलिस कार्यवाही हेतु श्री गोपाल सिंह अध्यक्ष के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 13-5-90 को दर्ज करवाई जा चुकी है। जिसमें कोर्ट में चालान

(सहकारिता मंत्री)

प्रस्तुत करने हेतु आदेश हो चुके हैं। समिति के कार्यकलापों के बारे में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच करवायी जा रही है।"

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

लेम्पस कसार वाडी के व्यवस्थापक के विरुद्ध गबन की शिकायतें

355. **श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़):** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1983-84 में लेम्पस कसार वाडी में व्यवस्थापकों के सहायक के रूप में श्री नोकेश्वर पुत्र श्री केशवलाल कारमी को रखा गया था?

(2) क्या सहायक नोकेश्वर ने लेम्पस में गेहूं, चावल, केरोसीन, खाद आदि सदस्यों में वितरण किया है?

(3) क्या सही है कि खाद्य सामग्री वितरण कर 1983-84 में 4244/ रुपये लेम्पस में जमा नहीं कराये, क्या सरकार उक्त रकम को गबन की परिभाषा में नहीं मानती? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ गबन का केस दर्ज कर वसूली की कार्यवाही करेगी? नहीं तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि उसी व्यक्ति याने (नोकेश्वर) ने 1990-91 में गेहूं वितरण में 3165 रु. व खाद बारदाना में 7189 रु. लेम्पस से 2355 रुपये अमानत कुल राशि 12729 रु. का गबन किया है? यदि हां, तो इसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

(5) यह भी सही है कि हिम्मत गढ़ लेम्पस का सामान डेड स्टॉक, कोठीया, पेटी, साईकिल, नोकेश्वर ने अपने घर पर रख रखे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामान को वसूल करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) लेम्पस कसार वाड़ी में श्री नोकेश्वर पुत्र श्री केशवलाल कारमी को दैनिक पारिश्रमिक पर विक्रेता के रूप में लगाया गया था।

(2) जी हां।

(3) वर्ष 83-84 में खाद्य सामग्री वितरण की राशि में से 4244/—रुपये लेम्पस में जमा नहीं कराये जाने का मामला ऑडिट रिपोर्ट से जानकारी में आने पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां बांसवाड़ा के कार्यालय में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत मामला श्री नोकेश्वर के विरुद्ध दर्ज किया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(सहकारिता मंत्री)

(4) वर्ष 90-91 में गेहूं वितरण में रु. 3165 का खाद एवं बारदाना में रु. 7189/ का एवं लेम्पस की अमानत 2365/--रुपये का कुल रु. 12719/--की राशि का दुरुपयोग का मामला श्री नोकेश्वर द्वारा किया जाना आडिट से प्रकाश में आया है। तत्संबंध में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(5) श्री नोकेश्वर द्वारा स्थाई सामान घरेलु उपयोग में लिये जाने बाबत् मामले में जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विधान सभा क्षेत्र आमेर की ग्राम पंचायतों में चीनी वितरण

356. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर के अन्तर्गत काफी ग्राम पंचायतों में लेवी चीनी का वितरण पिछले 4 माह से नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों द्वारा चीनी का वितरण इसलिये नहीं हो पा रहा है कि समितियों को चीनी का आवटंन जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिला प्रशासन लेवी चीनी का वितरण सहकारी समितियों से न करवा कर प्राइवेट डीलर्स से करवाना चाहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति मुण्डिया रायसर, सिरजी, धानक्या, निवारू को आठ माह से चीनी का आवटंन नहीं किया गया एवं बगैर किसी कारण एवं पूर्व सूचना के इन समितियों का लाइसेन्स निलम्बित किया गया ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आमेर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायथल, रामपुराडाबड़ी, जयरामपुरा, अन्तरोल एवं जयसिंहपुरा में लेवी चीनी का वितरण पिछले चार माहों से नहीं हो रहा है। इसका कारण ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होना तथा पंचायतों के आसपास के डीलरों द्वारा चीनी उठा कर वितरण करने को तैयार नहीं होना है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं। सहकारी समितियों द्वारा कार्य न करने की स्थिति में ही प्राईवेट डीलरों से लेवी चीनी का वितरण कराया जाता है।

(4) जी, नहीं। ग्राम सेवा सहकारी

(खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री)

समिति, मुंडिया रायसर एवं सिरसी द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्तों की अवहेलना करना पाये जाने पर दिनांक 21.7.92 को इन समितियों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये। तत्पश्चात् मूंडिया रायसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के प्राधिकार निलम्बित को दिनांक 7.9.92 को कलेक्टर द्वारा स्थगित कर दिया गया तथा ग्राम सेवा सहकारी समिति, सिरसी के मामले में दिनांक 14.9.92 को फैसला कर दिया गया। ग्राम सेवा सहकारी समिति धानकिया व निवारू के प्राधिकार निलम्बित नहीं किये गये हैं। इन दोनों समितियों को प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

जिला श्रीगंगानगर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई

357. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्री गंगानगर जिले में जिला वितरण प्रणाली के अन्तर्गत कुल कितने केन्द्र काम करते हैं ? इन केन्द्रों पर क्या-क्या आवश्यक वस्तु सप्लाई की जाती है ? पिछले एक वर्ष में इन सभी सेन्टर्स पर कितना माल वितरित किया गया ?

(2) मिट्टी का तेल श्रीगंगानगर जिले के कौन-कौन से कस्बे में बांटा जाता है, क्या यह गांव में भी वितरित किया जाता है ? यदि हां, तो उन गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों को लेकर जिला केन्द्र व जयपुर तक शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी शिकायतें हुई ? इन पर विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं के वितरण हेतु 813 केन्द्र (उचित मूल्य की दुकानें) कार्यरत हैं। इन केन्द्रों पर गेहूं, चावल, लेवी चीनी, खाद्य तेल, जनता कपड़ा, व केरोसीन का वितरण किया जाता है। गत एक वर्ष में (अगस्त, 91 से जुलाई, 92 तक) गेहूं 6994 मै. टन, चावल 255.2 मै. टन, लेवी चीनी 12978.3 मै. टन, खाद्य तेल 30 मै. टन, केरोसीन 19201 किलोलीटर एवं जनता-कपड़ा 104 गांठे वितरित किया गया।

(2) गंगानगर जिले में जिन-जिन कस्बों एवं गांवों में मिट्टी का तेल वितरण किया जाता है, की सूची सदन की मेज पर रखदी गई हैं।

(3) वितरण प्रणाली में गड़बड़ियों के संबंध में जिला केन्द्र व जयपुर तक गत दो वर्षों में कुल 34 शिकायतें प्राप्त हुई। प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र सिवाना एवं सिणधरी में खाद्य सामिग्री वितरण

358. **श्री हुकमाराम** (सिवाना) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना, सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से 1992 तक विभाग द्वारा क्या-क्या सामिग्री वितरित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) किन-किन गांवों को कितनी-कितनी खाद्य सामग्री वितरित की गई ? गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना व सिणधरी (बाड़मेर) में वर्ष 1989 से अगस्त, 1992 तक विभाग द्वारा निम्नलिखित सामिग्री वितरित की गई :—

सिवाना

गेहू (क्वि. में)	लेवी चीनी (क्वि. में)	पामोलिन (टिनों में)	केरोसीन (कि. ली.)	नि. कपड़ा (मात्रा गाठों में)
170231	29591	898	5252	62
सिणधरी				
41177	7069	1804	—	—

(2) जिन-जिन गांवों को जितनी-जितनी सामग्री वितरित की गई, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट--9 देखें ।)

जिला झालावाड़ के पंचायत केन्द्रों पर राशन की दुकानें

359. **श्री बालचन्द आर्यवीर** (डग) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) झालावाड़ जिले में सन् 1990 से 92 तक कितनी चीनी व मिट्टी का तेल आवंटित किया गया ?

(श्री बालचन्द आर्यवीर)

(2) क्या यह सही है कि जिन पंचायत केन्द्रों की राशन की दुकानें हैं वह डग चौमेला या अन्य कस्बों में हैं जिससे ग्रामीण जनता को समय पर राशन उपलब्ध नहीं हो पाता है एवं सारा ब्लेक हो रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त दुकानों को पंचायत केन्द्रों पर ही कायम करने हेतु कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले को जनवरी, 1990 से अगस्त, 1992 तक 12665 मै. टन लेवी-चीनी एवं 18283 किलोलीटर मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया।

(2) यह सही नहीं है कि सभी पंचायत केन्द्रों की राशन की दुकानें डग व चौमेला या अन्य कस्बों में है। केवल 6 पंचायतों की दुकानें डग व चौमेला कस्बों में है। जिनसे ग्रामीण जनता को समय पर राशन उपलब्ध होता है।

(3) जी, हां। कार्यवाही की जा रही है। सभी संबन्धित डीलरों को पंचायत केन्द्रों पर स्थानान्तरित करने हेतु नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

राज्य सरकार का गैस एजेन्सीज पर नियन्त्रण

360. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :--

(1) पैट्रोलियम पदार्थ कन्ट्रोल आर्डर पुन: जारी हो जाने के पश्चात राज्य सरकार को गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए क्या अधिकार है ?

(2) क्या इस प्रकार के अधिकारों के अभाव में राज्य सरकार गैस एजिन्सियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं है ? जबकि उपभोक्ताओं को सरक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार पर है।

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कोई वैकल्पिक कन्ट्रोल आर्डर अथवा नियम बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) राजस्थान पेट्रोलियम उत्पादन (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1990 पुन: लागू हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए निम्नांकित अधिकार हैं :—

1. गैस वितरण को राज्य सरकार क्रय, विक्रय, निस्तारण और भण्डारण के सम्बन्ध में निर्देश जारी कर सकती है।

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

2. गैस वितरक के कारोबार स्थल में प्रवेश तलाशी और अधिग्रहण के अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त हो गऐ हैं।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी, नहीं।

जैतारण उपखण्ड में रसोई गैस व्यवस्था

361. **श्री सुरेन्द्र गोयल** (जैतारण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

विधान सभा क्षेत्र जैतारण में उपखण्ड मुख्यालय पर नागरिकों को रसोई गैस उपलब्ध कराने की क्या कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो सरकार जैतारण में रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

गैस एजेन्सी भारत सरकार का पेट्रोलियम विभाग आवंटित करता है तथा निर्धारित मापदण्ड पूरा होने पर विभिन्न गैस एजेन्सियां अपना डीलर नियुक्त करती है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विभाग की जानकारी में नहीं है। वर्तमान नीति के अनुसार जिस कस्बे की जनसंख्या 20 हजार या इससे अधिक होगी, उसी कस्बे में रसोई गैस एजेन्सी खोलने का विचार किया जाता है। जैतारण कस्बे की जनसंख्या 1991 (प्रोविजनल) की जनगणना के अनुसार 14529 ही है। इस लिए जैतारण कस्बे मे रसोई गैस एजेन्सी की स्थापना वर्तमान नीति के अनुसार सम्भव नहीं है।

मदिरा का मूल्य एवं खपत

362. **श्री परसराम मोरदिया** (लक्ष्मणगढ़) एवं **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की करेंगे :

(1) क्या देशी तथा स्वदेशी निर्मित विदेशी मदिरा की उत्पादन लागत वर्ष 1989-90 के मुकाबले कम हुई ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) विभाग से सरकार को शुद्ध आय वर्ष 1989-90 से अब तक कितनी-कितनी हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा मदिरा की कीमत कम करने से बड़ी खपत के कारण अपराधों में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। देशी मदिरा की उत्पादन लागत बाद के वर्षों में वर्ष 89-90 के मुकाबले कम नहीं हुई है। गगानगर शुगर मिल्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की उत्पादन लागत वर्ष 89-90 में रुपये

(आबकारी मंत्री)

4.26 प्रति एल. पी. एल. वर्ष 90-91 में रुपये 5.44 प्रति एल. पी. एल. एवं वर्ष 91-92 मे अनुमानित लागत रु. 7.02 प्रति एल. पी. एल. बताई गई है। स्वदेशी निर्मित विदेशी मदिरा का उत्पादन विभिन्न निजी डिस्टलरीज द्वारा किया जाता है जिनकी उत्पादन लागत की जानकारी आबकारी विभाग को नहीं रहती।

(2) वर्ष 89-90 से अब तक आय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं :—

वर्ष	आय (करोड रु.)
1989-90	219.76
1990-91	260.48
1991-92	356.34
1992-93 (अगस्त, 92 तक)	153.82

(3) सरकार द्वारा मदिरा की कीमत कम करने के कारण ही अपराधों में वृद्धि होने का मूल्यांकन सरकार द्वारा नहीं किया गया है। ऐसा कोई मापदण्ड उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सके की अपराधों की संख्या में अगर कोई वृद्धि हुई है तो उसका कारण मदिरा के उपयोग में वृद्धि है, अतः इस परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

आयुर्वेद विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के रिक्त पद

363. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के कितने व कौन-कौन से पद हैं? पदों का ब्यौरा सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग द्वारा इन सभी पदों को भर लिया गया है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से पद रिक्त है, तथा अब तक नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि विभाग में उपनिदेशक का पद लम्बे समय से रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो इस रिक्त पद को कब तक भरे जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-क)

(2) जी, नहीं। सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है [परिशिष्ट-ख]

(3) जी, हां। उपनिदेशक [आयुर्वेद] के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जिला-टोंक में आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कर्मचारी

364. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

क्या यह सही है कि टौंक जिले में आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कर्मचारियों वैद्यों एवं अधिकारियों आदि के विरुद्ध वहां के उच्च अधिकारियों तथा सरकार को प्राप्त शिकायतें विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो शिकायतकर्ताओं के नाम व दिनांक सहित रिश्वत लेने वाले व राशि का गबन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां।

टौंक जिले में पदस्थापित दो आयुर्वेद चिकित्सकों के विरुद्ध एलोपैथी दवाएं काम में लेने, अनियमित औषध का पुनर्भरण करवाने एवं मुख्यालय पर नहीं रहने आदि से सम्बन्धित शिकायतें प्राप्त हुई है, जिनकी जांच की रही है।

विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में आयुर्वेद औषधालय

365. **श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) :** क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा क्षेत्र में कितने आयुर्वेद औषधालय हैं ? यदि जिले के अनुपात में कम हैं तो इनकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

(2) क्या मोतीपुरा चौकी (छबड़ा) में इस वर्ष औषधालय खोले जाने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) बारां जिले के छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में कुल 15 आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत हैं।

बारां जिले के अन्य विधान सभा क्षेत्रों के अनुपात में छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत विभागीय औषधालयों की संख्या पर्याप्त है। अतः पूर्ति करने का मामला विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं।

दलोट में तहसील कार्यालय की स्थापना

366. **श्री रतनचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार राजस्थान में नयी तहसीलें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिले में दलोट तहसील कार्यालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बड़ी तहसीलों का पुनर्गठन कर नई तहसीलें/उप तहसीलें स्थापित करने हेतु

(राजस्व मन्त्री)

अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है। इस रिपोर्ट पर अभी निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। इस कारण फिलहाल यह बताना संभव नहीं है कि किन-किन स्थानों पर नई तहसील/उप तहसील संस्थापित की जा रही हैं।

(2) प्रश्न के भाग एक में बताई गई स्थिति के परिप्रेक्ष्य में अभी कुछ भी बताना संभव नहीं है।

सीलिंग कानून के अन्तर्गत भू-अवाप्ति

367. **श्री हजारी लाल (खेतड़ी)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील अलीगढ़ (उनियारा) क्षेत्र के कितने कृषकों की कितनी-कितनी भूमि पुराने एवं नये सीलिंग कानून के तहत अवाप्त की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अधिकतम जोत सीमा निर्धारण अधिनियम के तहत अवाप्त भूमि किस व्यक्ति को, किस तारीख को, कितनी-कितनी आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब कितनी भूमि बकाया है तथा उसे कब तक आवंटित कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) पुराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत 7 कृषकों की 820 एकड़ भूमि तथा नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत 17 कृषकों की 4140 एकड़ भूमि अवाप्त की गई है। सूची (परिशिष्ट-'क') संलग्न है।

(2) 700 व्यक्तियों को 2116 एकड़ भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। (सूची संलग्न है)।

(3) अवाप्त की गई भूमि में से 3011 एकड़ भूमि काबिल काश्त हैं, जिसमें 2116 एकड़ भूमि आवंटित करने के पश्चात् शेष 895 एकड़ भूमि में से 835 एकड़ भूमि विभिन्न कारणों से आवंटित नहीं की जा सकती है जैसे–25 एकड़ में न्यायालय का स्थगन होने से, 265 एकड़ नगरपालिका, उनियारा की सीमा में होने से, 405 एकड़ कृषकों की खातेदारी में लग जाने से व 140 एकड़ बीसलपुर परियोजना के प्रस्तावित होने से आवंटित नहीं की जा सकती है। शेष 60 एकड़ भूमि आवंटन से शेष है, जिसका आवंटन शीघ्र ही किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जे. के. टायर फैक्ट्री को भू-आवंटन

368. **श्री शांतिलाल (राजसमंद)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्व विभाग द्वारा वर्ष

(श्री शांतिलाल)

1988 से अब तक जे. के. टायर फैक्ट्री, कांकरोली को अतिरिक्त भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो भूमि का आराजी नम्बर, एवं किस्म का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) आवंटन की कार्यवाही का निर्णय किस स्तर के अधिकारी द्वारा लिया गया ?

उत्तर

(1) सन् 1988 से राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जे. के. टायर फैक्ट्री कांकरोली को कोई भूमि का आवंटन नहीं किया था। वर्ष 1975 में जे. के. टायर फैक्ट्री को ग्राम घोईन्दा में 419 बीघा 03 बिस्वा, एम.डी. में 186 बीघा 13 बिस्वा, नोगामां में 148 बीघा 13 बिस्वा कुल 754 बीघा 09 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थी। ग्राम घोईन्दा की 45 बीघा 14 बिस्वा ऐसी भूमि थी जो जे. के. टायर फैक्ट्री को आवंटित भूमि के बीच में स्थित थी। अतः जे. के. टायर फैक्ट्री ने इस पर भी कब्जा कर लिया था। तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा जरिये पत्रावली संख्या 26/88 इन्द्राज दुरस्ती के रूप में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर इस 45 बीघा 14 बिस्वा भूमि गै0 मु0 रास्ता एवं चारागाह को जे. के. इण्डस्ट्रीज के नाम अंकन करने का आदेश दिया। (पत्रांक राजस्व/88/23 दिनांक 19-4-88) जिसका राजस्व रेकार्ड में अंकन जरिये नामान्तरकरण संख्या 866 दिनांक 6-5-88 द्वारा हो चुका है। किस्म जमीन निम्नानुसार है :-

आ. नं.	रकबा	किस्म
1	2	3
3227 मी.	17 बिस्वा	रास्ता
3299 मी.	5 बिस्वा	रास्ता
3544 मी.	8 बिस्वा	रास्ता
3565	17 बिस्वा	रास्ता
3230/1क	2 बीघा 16 बिस्वा	बंजड़
3226 मी.	13 बीघा 15 बिस्वा	चारागाह
3228 मी.	5 बीघा 10 बिस्वा	चारागाह
3232 मी.	1 बीघा 9 बिस्वा	चारागाह

(राजस्व मंत्री)

1	2	3
3543 मी.	11 बीघा 10 बिस्वा	चारागाह
3558	3 बीघा 14 बिस्वा	चारागाह
3559	4 बीघा 7 बिस्वा	चारागाह
3564	6 बिस्वा	चारागाह
योग किता 12	45 बीघा 14 बिस्वा	

(2) अंकन की कार्यवाही अंकन संशोधन के माध्यम से उप जिलाधीश, राजसमन्द द्वारा दिनांक 19-4-88 को की गयी।

अलवर-भरतपुर जिले के अन्तर्गत ग्रामों का विलिनीकरण

369. श्री जुबेर खां (रामगढ़) : क्या राजस्व-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि सरकार अलवर जिले के उन ग्रामों को जो कि भरतपुर जिले से नजदीक हैं, जिला भरतपुर में विलय करने का विचार रखती है तथा ऐसे ग्राम जो कि जिला भरतपुर में आते हैं लेकिन जिला अलवर से नजदीक हैं उन्हें जिला अलवर में स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में अब तक कोई कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या सम्बन्धित ग्रामवासियों से इस सम्बन्ध में कोई राय ली गई है ?

(3) ग्रामों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने का क्या मापदण्ड है ?

उत्तर

(1) तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सम्पत सिंहजी ने एक अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर जिला भरतपुर एवं अलवर के मध्य निम्न-लिखित गांवों का आदान-प्रदान करने के प्रस्ताव भिजवायें थे :—

1. ग्राम पंचायत टीकड़ी, सोख एव भैषना तथा गांव इन्द्रावली एवं बूकाहेड़ा उप-तहसील कठूमर जिला अलवर से तहसील नगर जिला भरतपुर के अन्तर्गत सम्मिलित करने।

2. तहसील नगर जिला भरतपुर के ग्राम

(राजस्व मन्त्री)

पूठका को गोविन्दगढ़, जिला अलवर में सम्मिलित किया जायें।

3. ग्राम पंचायत कासोट तहसील डीग से तहसील कुम्हेर में सम्मिलित किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में जिला, कलक्टर, अलवर एवं भरतपुर से टिप्पणी प्राप्त हो गयी है। अभी यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जिला कलक्टर, अलवर के द्वारा ग्रामवासियों से कोई राय नहीं ली गई। जिला कलेक्टर भरतपुर ने ग्रामवासियों से राय प्राप्त कर बताया है कि तहसील नदबई के ग्राम कारोली की जनता जिला अलवर में सम्मिलित होने के लिए तैयार है जबकि तहसील नगर भरतपुर के ग्रामों को जिला अलवर में सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर जनता सहमत नहीं है।

(3) ग्रामों का एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण करने का कोई निर्धारित मापदण्ड नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दीगोद में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण के मामले

370. **श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा)** : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दीगोद में वन विभाग की भूमि पर सेटलमेण्ट से पूर्व से ही किसानों का कब्जा है? यदि हां, तो ऐसी भूमि को उनकी खातेदारी में दर्ज करने की कार्यवाही कब तक करदी जावेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि छबड़ा तहसील के ग्राम रतुराई के 10-15 किसानों का सीलिंग व वन विभाग की भूमि पर 40-50 वर्ष से कब्जा है उनके मुकदमें चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या अब उस भूमि की खातेदारी उनको दी जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील दीगोद के ग्राम श्योपुरा, खेडली, तवरान, नामोदा उजाड़ में 9 किसानों का कुल 9.77 है।

वन विभाग की भूमि पर सन् 1971 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 लागू हो जाने के पश्चात इनके नियमन हेतु अलग-अलग प्रकरण उक्त अधिनियम के प्रावधान के अनुसार तैयार करवाये जा रहे है। वर्तमान में क्षेत्रीय वन अधिकारी, सुल्तानपुर के कार्यालय में यह कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) तहसील छबड़ा के ग्राम खुरई के 3 किसानों द्वारा वर्ष 1989-90 में व 4 किसानों द्वारा वर्ष 90-91 में सीलिंग में अवाप्त तथा वन विभाग को हस्तान्तरित की गई भूमि में से 27 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के कारण अतिक्रमियों

(राजस्व मन्त्री)

के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाकर प्रकरण न्यायालय सहायक वन संरक्षक, बारां के न्यायालय में विचाराधीन है।

सिवाय चक सीलिंग भूमि ग्राम खुरई रकबा 28 बीघा 3 बिस्वा पर 4 व्यक्तियों का वर्ष 1980 से अतिक्रमण है।

अतिक्रमियों के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। उक्त भूमि सीलिंग प्रकरण सरकार बनाम बुद्धसिंह बाफना वगैरहा में अतिगृहित की गई है, परन्तु यह प्रकरण अभी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा में विचाराधीन होने के कारण खातेदारी दिये जाने के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी नहीं दी जा सकती।

विधान सभा क्षेत्र सिरोही में भूमि रूपान्तरण के मामले

371. **श्रीमती तारा भंडारी** (सिरोही) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1989 तथा 1990 में भूमि रूपान्तरण के कुल कितने मामले निपटाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि सिरोही बाई पास के दक्षिण के भाग की कृषि भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं करने की नीति नगर-नियोजन विभाग द्वारा तय की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि रूपान्तरित कर दी गई है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय में परिवर्तन कब और क्यों तथा किस अधिकारी द्वारा किया गया ? प्रश्न के भाग (3) में वर्णित क्षेत्र की कौन-कौन सी भूमि रूपान्तरित की गई है और किस प्रयोजनार्थ ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में कुल 1198 मामले भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं।

(3 एवं 4) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था सिरोही बाई-पास के खसरा नम्बर 2234, 2233, 2223, 2222, 2274 व 2675 की कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया गया है।

(राजस्व मन्त्री)

सिरोही जिले में कलक्टर कार्यालय, सिरोही एवं जिले की तहसील सिरोही, शिवगंज, एवं रेवदर क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी, सिरोही द्वारा तथा तहसील क्षेत्र पिण्डवाड़ा, आबूरोड़ तहसीलों के लिये उपखण्डीय अधिकारी, आबू पर्वत द्वारा वर्ष 1989 से 1991 तक भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

	वर्ष 1989	1990	1991
1—कलक्टर कार्यालय, सिरोही द्वारा निर्णित किये गये मामलें	5	5	—
2—उप खण्ड अधिकारी सिरोही द्वारा निर्णित मामलें—			
तहसील, सिरोही.	83	206	145
तहसील, शिवगंज.	51	123	58
तहसील रेवदर	39	31	29
3—उप खण्ड अधिकारी, आबूपर्वत द्वारा निपटाये गये मामलें—			
तहसील, पिण्डवाड़ा (शहरी)	185	—	—
तहसील, आबूरोड़ (शहरी)	10	54	25
तहसील, पिण्डवाड़ा (ग्रामीण)	48	3	7
तहसील, आबू रोड़ (ग्रामीण)	91	—	—
कुल योग :	512	422	264

महा योग :–1198

विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण

372. श्री ऋषीलाल (सपोटरा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सपोटरा विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामों में चारागाह भूमि पर कितना कितना नाजायज कब्जा किस-किस व्यक्ति ने कर रखा है ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा चारागाह की भूमि को खाली करवाने के लिये क्या कार्यवाही की गई तथा कितनी खाली करवाई गई तथा कितना रकबा किस कारण से खाली नहीं हो सका ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में 224 ग्रामों में 1079 बीघा 5 बिस्वा चारागाह भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। ग्रामवार, व्यक्तिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) विधान सभा क्षेत्र सपोटरा में चारागाह भूमि को खाली करवाने के लिए अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 एल आर. एक्ट के तहत कार्यवाही की जाकर कब्जा बेदखल कर दिया जाता है। अतिक्रमियों द्वारा पुनः कब्जा करने पर नियमानुसार विधिवत कठोर कार्यवाही की जाती है। अतिक्रमियों से समस्त चारागाह भूमि खाली करवा ली गई परन्तु वर्तमान में 434 एकड़ चारागाह भूमि पर पुनः कब्जा किये जाने पर 19 एकड़ रकबा नियमानुसार खाली कराने के आदेश दिये जा चुके हैं शेष भूमि के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया जेरकार तजबीज है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

तहसील कुम्हेर व डीग में वन गायों से फसलों का बचाव

373. श्री नत्थी सिंह (कुम्हेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले की कुम्हेर व डीग तहसीलों के अनेक गांवों में वन गायों का भारी प्रकोप है ? ऐसे गावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार प्रति वर्ष उक्त गांवों में किसानों की लाखों रुपयों की फसलों को वन गायों द्वारा नष्ट करने से उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अविलम्ब कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सत्य है कि कुम्हेर एवं डीग तहसील के मध्य में ग्राम मालेरा खण्ड क्षेत्र में करीब 4-5 किलो मीटर में वन गायों का प्रकोप है।

(2) पशु पालन विभाग के पास कोई भी ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है जिससे

(वन मन्त्री)

द्वारा इन वन गायों को पकड़ा जा सके। ऐसी वन गायों को पकड़ने हेतु वर्ष 1987 तक भारत सरकार ने एक प्रकोष्ठ कायम कर रखा था वह भी अब बन्द हो गया है। इन गायों की रोकथाम हेतु विभाग के पास ऐसा कोई साधन नहीं है।

टाइगर प्रोजेक्ट रेंज, सवाईमाधोपुर की चारागाह भूमि

374. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टाइगर प्रोजेक्ट रेंज सवाई माधोपुर के रेंजर द्वारा इस वर्ष खिलचीपुर (सवाई माधोपुर) में कितने हैक्टेयर में चारागाह विकास के लिए कितने ट्रेंच व गड्डे खुदवाये व कितने हेक्टेयर की जुताई ट्रेक्टरों से करवाई तथा इस पर कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) क्या यह सही है कि झरोका व आडा बालाजी एनीकट की सफाई भी वर्ष 1992 में कराई गई ? यदि हां, तो उक्त कार्यों को कराने में कितने श्रमिकों को कितने दिन लगे ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों का सत्यापन किस अधिकारी द्वारा किया गया ? सत्यापन रिपोर्ट क्या रही ?

उत्तर

(1) टाइगर प्रोजेक्ट रेंज सवाई-माधोपुर के रेंजर द्वारा इस वर्ष खिलचीपुर में चारागाह विकास कार्य एक पहाड़ीनुमा क्षेत्र में कराया गया जिसका क्षेत्रफल 40 हेक्टेयर है। इस क्षेत्र में कुल 22649 ट्रेन्चे खुदवाई गई है जिसपर 1,40,051/- रुपये व्यय किये गये।

इस क्षेत्र में कोई गड्ढे नहीं खुदवाऐ गये। इस क्षेत्र के नीचे वाले समतल 17 हैक्टर क्षेत्र में ट्रेक्टर से जुताई व बुवाई का कार्य कराया गया जिसमें 5691--रु. व्यय किये गये।

(2) जी हां। झरोखा एवं आडा बालाजी ऐनीकट की सफाई वर्ष 1992 में कराई गई। यह कार्य तीन अवधि में कराया गया इसका विवरण सदन की मेज पर निम्न प्रकार रख दिया है :—

नामकार्य	श्रमिक संख्या	कार्य दिवस
1. झरोखा ऐनीकट	30	7
2. झरोखा ऐनीकट	180	15
3. आडा बालाजी	180	30

(वन मन्त्री)

(3) उक्त कार्यों का सत्यापन क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा किया गया, कार्य सही है।

जिला टोंक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

375. श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिंचाई विभाग के टोंक जिले में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध जिला स्तर पर, उच्च अधिकारियों के स्तर पर एवं राज्य सरकार के स्तर पर कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(2) इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? शिकायतकर्ता का नाम व शिकायत करने की तारीख एवं की गई कार्यवाही के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग टोंक जिले में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध जिला स्तर पर शून्य, उच्च अधिकारियों स्तर पर 43 मामले व राज्य स्तर पर 10 मामले विचाराधीन हैं।

(2) कर्मचारियों, अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही एवं शिकायत का पूर्ण विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" व "ख" में प्रस्तुत है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

तहसील रामगढ़ के खोह बांध का रख–रखाव

376. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम खोह, (तहसील रामगढ़ जिला-अलवर) के पास कोई पेटा बांध बना हुआ है जो कि खोह के बांध के नाम से जाना जाता है ?

(2) यह बांध कब और किस विभाग अथवा व्यक्ति द्वारा बनवाया गया है ?

(3) क्या सिंचाई विभाग इस बांध को अपने अधीन लेकर इसके रख–रखाव व देखभाल करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह पंचायत समिति द्वारा बनाया गया है।

(3) जी नहीं।

गंगनहर की शाखा एवं माइनर का मोगा

377. श्री चुन्नी लाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर की शाखा एच माइनर का मोगा नं. 4 एच को छोटा कर दिया गया है, जिससे पानी के अभाव में किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं।

(2) इसी नहर के अन्य मोगों के मुकाबले इस मोगे से जमीन की सिंचाई कितनी कम हो गयी है?

(3) क्या किसानों की सिंचाई की कमी को पूरा करने हेतु सरकार इस मोगे को पुन: बड़ा करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। एच. वितरिका पर स्थित चक 4 एच. का मोगा छोटा नहीं किया गया है। मोके पर इसका साईज स्वीकृत डेटा के अनुसार चल रहा है। अत: पानी के अभाव में किसानों की फसलें नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) इस चक की सिंचाई सघनता अन्य साथ पड़ने वाले चकों की तुलना में सामान्यत: कम नहीं है एवं अभिकल्पित से भी काफी अधिक है। पिछले पांच वर्षों की चक 4 एच. एवं समीपस्थ चकों की सिंचाई तालिका परिशिष्ट "क" पर अवलोकनार्थ संलग्न है।

(3) जी नहीं। प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें।)

ग्राम पंचायत सरनावड़ा में चार डिपो

378. **श्री हरिश्चन्द्र (नावां)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1987-88 में अकाल राहत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरनावड़ा जिला नागौर तहसील परबतसर द्वारा चलाये गये चारा डिपो के रेकार्ड की जांच, पटवारी, तहसीलदार, उप-खण्ड अधिकारी तथा राज्य सरकार के आदेश से ऐ. जी. पार्टी द्वारा की है तथा इनका रेकार्ड सही पाये जाने पर भी चारा डिपो के परिवहन किराया का भुगतान अभी तक नहीं किये जाने के क्या कारण है?

(2) उक्त परिवहन किराया किन-किन लोगों को भुगतान किया जाना शेष है तथा भुगतान कब तक करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

(1) अकाल राहत के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सरनावड़ा तहसील परबतसर जिला नागौर के वर्ष 87-88 के चारा परिवहन अनुदान बिलों की जांच सहायता विभाग के निरीक्षण दल द्वारा की गई थी। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार वर्ष 87-88 के चारा परिवहन बिलों की बकाया राशि भुगतान अग्रिम आदेश तक रोके जाने के आदेश सभी जिला कलक्टरों को क्रमांक 24599 दिनांक 27-8-92 द्वारा जारी किये हैं।

(अकाल राहत मंत्री)

(2) उक्त परिवहन किराया तादादी रुपया 41,510/-पंचायत सरनावड़ा को किया जाना शेष है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा चारा परिवहन अनुदान की बकाया राशि के भुगतान पर रोक अग्रिम आदेश तक लगा दी गई है।

जिला सवाईमाधोपुर के छात्रावासों को सहायता

379. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

जिला सवाईमाधोपुर में कुल कितने छात्रावास हैं और उनमें कुल कितने छात्र हैं? उनको वर्ष 1990 से 1992 तक क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला सवाईमाधोपुर में कुल 17 छात्रावास संचालित हैं। छात्र/छात्राओं की संख्या एवं दी जाने वाली सहायता का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट--11 देखें।)

तहसील प्रतापगढ़ के गाघोला ग्राम के छात्रावास का स्थानान्तरण

380. **श्री रत्नचन्द मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या सरकार के समक्ष प्रतापगढ़ तहसील में ही बालक छात्रावास को गाघोला से खेरोट ग्राम में स्थानांतरित करने की कार्यवाही चल रही है? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है?

(2) गाघोला बालक छात्रावास कब से बन्द है? बन्द होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

(1) जी हां, कार्यवाही विचाराधीन है।

(2) गादोला छात्रावास सत्र 91-92 से बन्द है।

पशु चिकित्सालयों की क्रमोन्नति

381. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राज्य सरकार का चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने पशु चिकित्सालय प्रदेश में खोलने या क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव है तथा पशु चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति-निर्धारित की है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चौमूं क्षेत्र में पशु औषधालय, हस्तेड़ा को क्रमोन्नत करने किशन-मानपुरा व बांसा में औषधा-

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

लय खोलने का राज्य सरकार के पास प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्यवाही करदी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) चालू वित्तीय वर्ष में नये पशु चिकित्सालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि 67 पशु औषधालयों को क्रमोन्नत कर चिकित्सालय बनाया जा रहा है। नये पशु चिकित्सालय खोलते समय विचारणीय मापदण्ड की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) चौमू क्षेत्र के पशु औषधालय हस्तेड़ा को चालू वित्तीय वर्ष में चिकित्सालय के रूप में क्रमोन्नत करने का विभाग का प्रस्ताव नहीं है। (वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण) किशनमानपुरा व बांस में पशु औषधालय खोलने का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद् के चुनाव

382. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद् के चुनाव हेतु डाक में मत-पत्र भेजे जा चुके थे जो निर्धारित तिथि 19-8-1992 से पूर्व वापिस प्राप्त हो चुके थे और इस प्रकार 19-8-1992 तक चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण हो गई थी ? यदि हां, तो फिर इन चुनावों को स्थगित क्यों किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त चुनावों को इस प्रकार स्थगित करके तथा चुनाव के लिए पुनः 28-9-1992 की तिथि निर्धारित कर परिषद् के नियम 36 एवं भाग 3 के उप-नियम 4 (2) का उल्लंघन किया गया है ? क्या इस प्रकार की गैर-कानूनी कार्यवाही अध्यक्ष ने अपना मनपसन्द अध्यक्ष चुनवाने की नीयत से की।

उत्तर

(1) चुनाव की तिथि 18-8-92 निर्धारित की गई थी। परिषद् के चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची राजपत्र में विलम्ब से प्रकाशित होने के कारण स्थगित किया गया।

(3) जी नहीं :

नियम 36 : अध्यक्ष—"राज्य पशु-चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष उस परिषद के सदस्यों द्वारा अपने में से ऐसी रीति से, जो विहित की जाय निर्वाचित किया जावेगा" से सम्बन्धित है।

भाग 3 के उपनियम 4 (2) राज्य "परिषद के अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया" के सम्बन्ध में है, जबकि अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा है, अभी केवल चार सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ही चल

(पशु पालन राज्य मन्त्री)

रही है, इसलिए मनपसन्द अध्यक्ष चुनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

स्थगित-प्रश्न

(गुरुवार, दिनांक 17 सितम्बर, 1992)

सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त राशि

29. **श्री महावीर प्रसाद जैन** (टोंक) : क्या मुख्य (आयोजना) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 96.33 करोड़ रुपये की राशि बाह्य सहायता परियोजनाओं के रूप में प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो यह राशि किस-किस परियोजना पर किस-किस वर्ष में व्यय की गई ? योजना एवं वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) चालू वर्ष में किन-किन परियोजनाओं के लिए कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई एवं कितनी राशि अब तक व्यय की जा चुकी है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

जिन-जिन परियोजनाओं पर इस अवधि में व्यय किया गया है उनके सम्बन्ध में परियोजना वार वर्षवार सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) चालू वर्ष (92-93) में जुलाई, 92 तक विभिन्न बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में 8.62 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है एवं 28.50 करोड़ की राशि विभिन्न परियोजनाओं पर व्यय की जा चुकी है। परियोजना वार ब्यौरा परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें।)

(शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर, 1992)

जिला उदयपुर में वन भूमि पर अतिक्रमण का सर्वे

74. **श्री कुबेरसिंह** (फलासिया) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला उदयपुर में वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जों का राज्य सरकार के आदेशानुसार क्या कोई सर्वेक्षण किया गया ?

(2) उक्त जिले में कहाँ-कहाँ, कितनी-कितनी भूमि पर किस-किस व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ? व्यक्ति का नाम, तहसील सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अनधिकृत कब्जों को नियमित कर कब्जा दे दिया गया ? यदि हाँ, तो किस-किस व्यक्ति को, कहाँ-कहाँ ? व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, तहसील सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कुबेरसिंह)

(4) क्या इस प्रकार के अनधिकृत कब्जों को नियमित आवंटन करने हेतु राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार के मध्य कोई समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्वेक्षण प्रगति पर है।

(2) विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बीसलपुर बांध परियोजना से सिंचाई

82. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीसलपुर बांध परियोजना से सिंचित होने वाले क्षेत्र में किस-किस नाम के व किस-किस श्रेणी के सिंचाई बांध है तथा उनसे किस गांव को कितनी कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है ? सिंचाई बांधों का पृथक-पृथक ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

बीसलपुर परियोजना के प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र में 22 सिचाई बांध आते हैं, जिनके नाम, श्रेणी एवं प्रत्येक बांध के पृथक-पृथक सिंचित क्षेत्र एवं गांवों का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

अनुपस्थिति-अनुमति

श्री अचला राम, सदस्य, विधान सभा को वर्तमान सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री अचला राम, सदस्य, विधान सभा ने अस्वस्थता के कारण वर्तमान सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई।

(श्री ग्रध्यक्ष)

(1) श्री हरिसिंह (महुग्रा) एवं दो ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सहाड़ा, भीलवाड़ा के प्रयोगशाला सहायक श्री राजकुमार शर्मा तथा श्री सत्य नारायण जीणगर पर पूर्व सरपंच श्री पृथ्वीराज शर्मा द्वारा कातिलाना हमला करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से तहसील कोटपूतली के ग्राम जोधपुरा-कल्याणपुरा की 20 बीघा सरकारी गोचर भूमि को कर्मचारियों की मिली भगत से एक सेठ द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जनार्दनसिंह गहलोत व 11 ग्रन्य सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दोषपूर्ण होने से जीवनोपयोगी वस्तुग्रों के भाव दिन-प्रतिदिन बढ़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपालसिंह खण्डेला, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि ख.नं. 2346 रकबा 21.36 हैक्टेयर गोचर भूमि पर ईंट भट्टों वालों द्वारा ग्रवैध कब्जा करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बुलाकीदास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से बीकानेर जिले में कृषि कुग्रों हेतु बिजली कनेक्शन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य-सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है ग्रौर जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :

(1) श्री हेतराम बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा की ग्रोर से चुरू नगर की चौकी में पुलिस हिरासत में उस्मान गनी नामक व्यक्ति की मृत्यु से व्याप्त ग्राक्रोष के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि दिनांक 23-9-1992 को 4.55 पी. एम. पर श्री मुबारिक ग्रली ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसके पिता उस्मान गनी को चूरू के सी ग्राई श्री शिवनारायण शर्मा ने सतपाल, बनवारी व विक्रम सिंह के जरिये चौकी पुलिस में बिना किसी कारण के बुलाया, उसके साथ मारपीट की, प्रताड़ित किया ग्रौर वह वहीं मर गया। इसके बाद उसकी लाश को चौकी के ग्रन्दर से प्राइवेट जीप में डालकर ग्रस्पताल भिजवा दिया। पुलिस हिरासत में हत्या की गई है। इस रिपोर्ट पर ग्रभियोग संख्या 213/92 दिनांक 23-9-92 को धारा 302 भा.द.सं. के ग्रन्तर्गत थाना कोतवाली चुरू पर पंजीबद्ध किया गया। ग्रभियोग का ग्रन्वेषण सी. ग्राई. डी. (ग्रपराध शाखा) द्वारा किया जा रहा है। मृतक श्री उस्मान गनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण दिल का दौरा पड़ने से होना ग्रंकित किया है व मृतक के शरीर पर चोट के निशान नहीं पाये गये। कानि. विक्रमसिंह, सत्यपाल व

(श्री अध्यक्ष)

बनवारी को इस सम्बन्ध में निलम्बित किया किया जा चुका है।

(2) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दवाइयों के क्रय एवं विक्रय पर निर्धारित कमीशन निश्चित न होने से उपभोक्ता होलसेल भण्डार में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। राज्य सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि कोटा सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार की औषधियों सम्बन्धी दो शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई थी जिसमें से एक की जांच निरीक्षक (कार्य) से कराई गई थी तथा दूसरी के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा को जांच करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। गत वर्ष की आडिट रिपोर्ट में डंप एवं एक्सपायरी के मामले प्रकाश में आये हैं जिसके लिये कोटा भण्डार के आडिटर ने विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11 (44) सविरा/उप/2/79 दिनांक 19-9-80 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु सुझाया गया था। इसलिये कोटा सहकारी उपभोक्ता भण्डार की आडिट रिपोर्ट में एवं अवधि पार औषधियों तथा परचेज पॉलिसी में परिवर्तन के प्रभाव आदि के बाबत जो आडिट आक्षेप हुए हैं, उनके सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करने हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1956 की धारा 70 के अन्तर्गत आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) श्री घासीलाल चोपड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोडारायसिंह के ग्राम बावड़ी में 33 के वी का सब स्टेशन स्थापित करने के सम्बन्ध में। राज्य-सरकार ने उत्तर में सूचित किया है कि पंचायत समिति टोडारायसिंह में एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वर्ष 1983-84 में स्वीकृत कराई गई थी परन्तु इसका कार्य ठेकेदारों ने प्रारम्भ नहीं किया। तदुपरान्त एम एन पी मालपुरा में 132 जी एस एस 1988-89 में चालू होने के बाद तकनीकि दृष्टि से उचित समझा गया कि बावड़ी को टोडारायसिंह के बजाय मालपुरा से जोड़ दिया जाय। तदनुसार 33 के वी लाइन मालपुरा से खींची जाकर बावड़ी पर 33 के वी जी एस एस बनाये जाने का निर्णय लिया। अवधि समाप्त हो जाने के कारण मार्च, 1990 में इस योजना को बन्द कर दिया गया। तत्पश्चात् इस ग्रामीण विकास योजना (रिप्लेसमेंट) ओ बी श्रेणी में ग्रा. वि. नि. से वर्ष 1990-91 में स्वीकृत करवाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत मालपुरा 132/33 के बी ग्रिड सब स्टेशन से बावड़ी तक 25 किमी. की 33 के बी की लाइन खींचकर ग्राम बावड़ी पर 33/11 के बी की उप चौकी स्थापित करना स्वीकृत किया गया है। इस नई रिप्लेसमेंट योजना के अन्तर्गत स्वीकृत 33 के बी के कार्यों को वर्ष 1992-93 में पूर्ण करना प्रस्तावित है जिसको मार्च, 1993 तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं होगी।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री रामस्वरूप मीणा और चार अन्य सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई विभाग अनुसूचित जाति जन-जाति के अभियन्ताओं की पदोन्नति एवं पदस्थापन के सम्बन्ध में अनियमिततायें किये जाने के सम्बन्ध में। उक्त स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह काफी विस्तृत है। प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं होगी। माननीय सदस्य राज्य सरकार से प्राप्त उत्तर का अवलोकन कर सकते हैं।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से, इसमें आपको बोलने की अनुमति होगी, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रभुलाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की ओर से सपोटरा विधान सभा क्षेत्र के कैला देवी अभ्यारण्य को वहां के ही कर्मचारियों द्वारा कथित रूप से उजाड़ने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामकरण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली ग्रामीण विद्युत सहकारी लिमिटेड के कथित भ्रष्ट कारनामों की उच्चस्तरीय जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री गोपीराम जाट, सदस्य, विधान सभा क्षेत्र की ओर से सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर व श्री गंगानगर में भू-प्रबंध विभाग में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपोसीटों के सेटलमेंट में कर्मचारियों द्वारा अनियमितताएं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री नन्दकिशोर शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से छबड़ा-छीपाबड़ोद क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रतनाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर के राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल से सम्बन्ध कतिपय समस्यों का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बुलाकी दास कल्ला, सदस्य, विधान सभा की ओर से गंगा सादुल राजकीय आचार्य संस्कृत विद्यालय, बीकानेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पद पर हुई नियुक्तियों में अनियमितता के सम्बन्ध में।

(9) श्री मरोसीलाल, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से हिण्डोन से खेरटा रोड के बीच पड़ने वाले चांदोर नदी पर पुल नहीं बनाये जाने से वहां के लोगों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में ।

(10) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों के लम्बे समय से आन्दोलनरत रहने तथा स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(11) श्री हरिशचन्द कुमावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से नावां तहसील क्षेत्र में सेटलमेंट में की गई कथित गम्भीर अनियमितताओं के निराकरण के सम्बन्ध में ।

(12) श्री महावीर प्रसाद जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से टोंक शहर के बस स्टेण्ड की दुर्दशा एव इसे अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में ।

(13) श्री श्रीचन्द कृपलानी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़ जिले में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(14) श्री चम्पालाल बाँठिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से चिकित्सा विभाग के अधीन चल रहे डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(15) श्री गोपालसिंह (आहोर) सदस्य, विधान सभा की ओर मे पुरुष/महिला जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र, जो अक्टूबर 1991 में प्रारम्भ हो जाना था, के 11 माह पश्चात भी प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(16) श्री मोहनलाल चौहान, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील परबतसर, जिला नागौर में अपूर्ण बांधों का पक्का निर्माण कार्य मरू विकास योजना के अन्तर्गत करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(17) श्री जनार्दन सिंह गहलोत, सदस्य, विधान की ओर से तहसील व जिला धौलपुर के थाना कोलारी क्षेत्रान्तर्गत गांव हड्यारपुरा के निवासी बिजेन्द्र जाटव की पुलिस द्वारा अवैध पिटाई किये जाने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में ।

(18) श्री बंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के मेजा बांध की नहरों की सफाई--मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(19) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर शहर में चलने वाले राजकीय विद्यालयों के लिए भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में ।

(20) श्री प्रेम सिंह, दहिया, सदस्य विधान सभा की ओर से अतिवृष्टि से विद्युत लाइनों के गिर जाने से पिछले दो-

(श्री अध्यक्ष)

तीन माह से जालौर, विद्युत खण्ड की सात पंचायतों की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(21) श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर के श्मशानों की अव्यवस्था को सुधारने के सम्बन्ध में । अभी इसका ध्यान नहीं करना चाहिये ।

(22) श्री किशन गोपाल कोगटा, सदस्य, विधान सभा की ओर से पाली जिले की जैतारण तहसील के ग्राम दागला में रेगुलराइज की गई भूमि को निरस्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्तावों को पढ़ने की अनुमति होगी ।

इसके अलावा मेरे पास 18 माननीय सदस्यों की चिट्ठी और आई है बोलने के लिए । अब आप उसमें बहुत कम समय लेंगे मैं आपसे प्रार्थना करूंगा । एक एक करके नाम बोलता हूं । डा. चन्द्रभान । (व्यवधान) मैं एक एक कर बोल रहा हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट. . (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाकर निवेदन किया था कि (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आप हाउस की बजाय वहां करेंगे तो मैं फाइल मंगवा कर हाथों-हाथ बता दूंगा । आप मेरे से यहां यह अपेक्षा मत करिए कि जितने कागजात आप देते हैं वह सारे मेरी खोपड़ी में रहते हैं । डा चन्द्रभान का नाम लिया है मैंने । डा. चन्द्रभान को कहने दीजिए पहले (व्यवधान) आखिर में आ जायेगा । अभी कुछ चालू नहीं हुआ है, अभी तो शून्यकाल है । डा. चन्द्रभान । (व्यवधान) आप डा. चन्द्रभान को बोलने दीजिए । आपका चिट में नाम है तो आ जायेगा, इसमें नाम आ जायेगा । लेकिन 4-4 व्यवस्थाएं कैसे होंगी ? आप चिट भी दे रहे हैं, बिना चिट के भी बोलेंगे और एडजोर्नमेंट पर भी बोलेंगे यह तो कैसे होगा ?

डा. चन्द्रभान : 295 के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री रिछपालसिंह (डेगाना) : मैंने 295 का प्रस्ताव 26 तारीख को लगाया था ।

श्री अध्यक्ष : मैंने 295 आज 22 लगाए हैं, मेरे पास पड़े हैं वह कल लग जाएंगे ।

श्री रिछपाल सिंह : मैंने 26 तारीख को दिया था और जिन्होंने कल दिए उनके आज लग गए ।

श्री अध्यक्ष : मैंने बताया आपको कि 22 ही लगाए हैं और मेरे पास पड़े हैं वह कल लग जाएंगे । डा. चन्द्रभान ।

डा. चन्द्रभान (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का नया भवन

(डा. चन्द्रभान)

लालकोठी एरिया में बनना प्रस्तावित है और इसी को ध्यान में रखकर नए विधायक नगर को बनाया गया था। आज काफी संख्या में विधायक विधायक नगर में रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि तीन दिन से मैं निरन्तर प्रयास में हूं, 10 बज कर 40 मिनट पर वहां से रवाना होता हूं लेकिन रोज 5-7 मिनट देर से सदन में पहुंचता हूं। यह आवागमन की दिक्कत अन्य माननीय सदस्यों को भी है।

मैं जानता हूं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सामने वित्तीय समस्याएं हैं लेकिन यह समस्याएं तो पहले भी थीं और आगे भी रहेंगी। सरकार कुछ धन नए राजस्थान विधान सभा भवन को बनाने के लिए निकाले और इसकी शुरूआत करे।.... (व्यवधान)। आप बोल लीजिए बाद में, पहले मैं मेरी बात कह दूं फिर आप बोल लेना।

अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो जमीन विधान सभा के नये भवन को बनाने के लिए प्रस्तावित है उस पर नोर्थ को साइड पर अभी भी अतिक्रमण जारी है। सरकार ने उस जमीन को सुरक्षित रखने के लिए चार दीवारी का निर्माण तो करवा दिया है लेकिन चार दीवारी का निर्माण कराने के बाद भी वह जमीन तो सुरक्षित हो गई लेकिन हम विधायक लोग जो वहां रहते हैं उनके सामने एक नई समस्या और पैदा हो गई है। चारों तरफ वहां निर्माण हो रहा है भवनों का और विधान सभा के लिए जो प्रस्तावित जमीन है उसकी चार दीवारी बनने के बाद में ओपन बाथरूम के रूप में बन गई है। शाम-सुबह हम लोग वहां चलते हैं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय अध्यक्ष जी से कहना चाहूंगा कि आप एक रोज शाम के वक्त, रात के वक्त या सुबह के वक्त वहां घूमेंगे तो पता लग जाएगा कि वहां एअर पोल्यूशन हो गया है और यह चार दीवारी बनने के बाद बहुत ज्यादा हो गया है। इसलिए इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप थोड़ा विधायक नगर में रहने वाले विधायकों की तरफ भी ध्यान रखें, वहां आवागमन की समस्या है, यह भवन बहुत भव्य है और हमारे पुराने जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनका इसमें भावनात्मक लगाव भी हो सकता है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, पैट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं उसकी दृष्टि से, इतनी सारी जमीन सरकार ने ली है और कास्ट आफ कन्स्ट्रक्शन भी आगे बढ़ती जाएगी।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का जो नया भवन प्रस्तावित है बनना चाहिए। इससे विधायकों को भी सुविधा होगी और सरकार को भी अपने कामकाज कराने में आसानी होगी। उसे बनाना तो है। सरकार फैसला करे। मैं यह नहीं कहता कि एक साल में उसका निर्माण हो जाए। सरकार अपनी 5 सालाना योजना बनावे लेकिन उसका निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय, झालावाड़ जिले की डग, गंगाधर चौमेला, भवानी मण्डी, नानोर आदि स्कूलों में अध्यापकों के पद काफी लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं जिससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। उनका भविष्य अन्धकार में है। डग, मनोहर थाना और बकानी गर्ल्स स्कूलों में तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापिकाएं 5 वर्षों से नहीं हैं, उनके पद रिक्त हैं। इसकी ओर मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही करें। जिससे छात्र-छात्राओं की....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : मुख्य मन्त्रीजी आप यह तो बता दें कि भवन बनेगा या नहीं बनेगा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार का निश्चित तौर से यह मत आना चाहिए कि उस पर विधान सभा भवन कभी बनेगा या उस पर अतिक्रमण होकर इसको लोग ले जाएंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : (मुख्यमन्त्री) : पहले उसका अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा और (व्यवधान)....

श्री हेतराम बेनीवाल : हो रहा है अतिक्रमण। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : अभी भी चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अतिक्रमण हो गया है उस अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा, नम्बर एक। और साधन उपलब्ध होते ही नए विधान सभा भवन का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा।

श्री हेतराम बेनीवाल : कब तक शुरू कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : नहीं, नहीं, अध्यक्ष महोदय, नेता महोदय अवधि समाप्त होने से पहले या अतिक्रमण होने के बाद (व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : यह प्रश्न प्रश्नकाल में आया था, काफी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है। अतिक्रमण हटाए और भवन बनाया जाय।

श्री नत्थीसिंह : बरसात अच्छी हो गई ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं और बिल्डिंग्स हैं। यदि साधनों का अभाव है तो मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि एम. एल. ए. क्वार्टर्स के सामने बहुत सारा अतिक्रमण है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बालचन्द्र आर्यवीर। (व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह दहिया : यह मुख्य मन्त्री जी करेंगे या कोई और करेंगे ?....(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : साधन उप-

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

लब्ध करवाए जा सकते हैं। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा.... (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय मुख्य मन्त्री जी यह आपका मेमोरियल बनेगा, यह भवन जो है आपका मोन्यूमैंट बनेगा, आपका मैमोरियल बनेगा और हम भी कहेंगे कि हमारे टर्म में भवन बनेगा इसलिए दो-दो माह की तनख्वाह दे देंगें। अध्यक्ष, दो-दो माह की तनख्वाहें हरेक माननीय सदस्य दे देगा। इसकी आप शुरूआत कर दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हाँ, दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी दो-दो माह की तनख्वाह से तो चार दीवारी की मरम्मत भी नहीं हो सकेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय. एक निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, हम तो श्रमदान करने के लिए भी तैयार हैं अगर मैटेरियल मुहैया करवा दें तो हम तो श्रमदान करने के लिए तैयार हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : यह तो कई सालों में बनकर तैयार होगा इसलिए इस साल तो खर्चा होगा ही नहीं.... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान विधान सभा भवन का जो मसला है....(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह धीरे-धीरे बन कर तैयार होगा और इस विधान सभा काल में आपके मुख्य मन्त्रित्व काल में जिसमें हम भी विधायक थे इसलिए हम भी गर्व से कह सकेंगे यह भवन बनवाया। आप तो उदार बनें, आप तो व्यवहार से हैं पैसा आपने बहुत जोड़ लिया है, माननीय मुख्य मन्त्री जी पैसा बहुत जोड़ लिया है थोड़ा खर्चा करवाओ आप।

श्री नत्थीसिंह : शिलान्यास की तारीख तो रखें। शिलान्यास की तारीख तो तय कर दें।... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है कि यह राजस्थान विधान सभा भवन का जो मसला है वह आपके और मुख्य मंत्रीजी के बीच में तीव्र मतभेद का सब्जेक्ट बना हुआ है अखबारों के अन्दर, तो मैं यह चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी से आपका कोई परामर्श तो हुआ होगा? इसलिए सदन को कान्फिडेंस में लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें। माननीय सदस्य, सुरेन्द्र व्यास जो बोल रहे हैं मैं इस सम्बन्ध में बड़ी नम्रता पूर्वक उनको कहना चाहता हूं कि वह सारी मर्यादाएं अपने हाथ में ले रहे हैं। यह विधान सभा भवन मेरे लिए नहीं बन रहा है, न मुख्य मंत्रीजी के लिए बन रहा है, पूरे सदन के लिए बन रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिये गये हैं। मुख्य मंत्री जी अपनी स्थिति देख रहे हैं, उन्होंने कह दिया है। अब सरकार पर निर्भर करता है कि जब भी उसकी वित्तीय स्थिति ठीक होगी वह चालू करवा देंगे।

(श्री अध्यक्ष)

यह मुद्दा जो आपने कहा है कि मेरे और मुख्य मंत्रीजी के बीच में मुद्दा है, इसका मैं पुरजोर शब्दों में खण्डन करता हूं और माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि वह भविष्य में भी इस सदन में बोलते समय इस बात की सावधानी रखें, इस सदन की मर्यादाएं हैं उनको ध्यान में रखें आप। अखबारों में निकलने वाले सारे सवाल सदन के अन्दर जहां पर गम्भीर विचार-विमर्श होता है यहां अपेक्षा यह की जाती है कि चुने हुए सदस्य अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करेंगे, उनका इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार उचित नहीं है। माननीय श्री बालचन्द्र आर्यवीर। (व्यवधान)

श्री रामनारायण वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उसके सबसे नजदीक मैं रहता हूं उस एरिया के सबसे नजदीक मैं रहता हूं जो राजस्थान विधान सभा के नये भवन के लिए जगह सुरक्षित की गई है, वहां जब से मैं रहने लगा हूं दो-ढाई साल हो गए हैं, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, कब्जे होते जा रहे हैं उसकी सुरक्षा तो करें। (व्यवधान)

वहां पर जो पड़ौस में मकान बना रखे हैं (व्यवधान) वह प्राइवेट व्यक्ति है.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी....

श्री रामनारायण वर्मा : इसका केस चल रहा है, अतिक्रमण करते जा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रासिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना तो नहीं चाहती थी लेकिन इतने सदस्य केवल एक सदन बनाने के लिए अपने लिए विधान सभा बनाने के लिये, राजस्थान में कितनी परेशानियां हैं, कितनी समस्यायें हैं, कितने पैसों की आवश्यकता है, मैं कहती हूं कि सौ करोड़ रुपया भी यदि आप खर्च करोगे तो इतना भव्य और इतना बढ़िया विधान सभा का भवन आप नहीं बना सकोगे। इसलिए कोई आवश्यक नहीं है। इतना बढ़िया है....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई, किराये के मकान में रहते फिरो, बच्चों को पाले, अच्छे स्कूलों में पढ़ाये, यह क्या बात हुई। विधान सभा का खुद का भवन हो, उसकी बात अलग होती है। कितनी बड़ी विडम्बना है कि राजस्थान विधान सभा का अपना खुद का भवन नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रद्युम्न सिंह जी बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको मेरी बात उचित नहीं लगी....

श्री अध्यक्ष : आपकी बात सुन ली है मैंने, आप बोल चुकी हैं। अब प्रद्युम्न सिंह जी बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी है इसलिए आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे। मैंने तो आधी जिन्दगी बिताई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बात

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सुन ली है ग्रौर मैं समझता हूं कि गृह निर्माण के मामले में महिलाग्रों की बात का विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री प्रद्युम्न सिंह जी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये भवन निर्माण का काम हाथ में लिया जायेगा। मेरा ग्रापके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन यह है कि इसके बारे में सरकार को स्पष्टतया कुछ करना चाहिये। ग्रगर सरकार महसूस करती है कि इस भवन के ग्रन्दर ग्रापका काम सुचारु रूप से चल रहा है तब तो हमें कुछ कहना नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसके बारे में कोई निर्णय निश्चित रूप से होना चाहिये कि ग्रापकी जो ग्रसमंजस्य की स्थिति बनी हुई है, एक तरफ तो ग्रापकी उस कीमती जमीन के ऊपर कब्जा होता चला जा रहा है नं. 1, ग्राप उसको रोकें नं. 2, ग्राप क्या करने जा रहे है इसके बारे में सरकार का स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मैं नहीं कहता लेकिन स्पष्ट नीति होनी चाहिये। कुछ प्रोपर प्रोवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां की जो स्थिति है वह ग्रापसे छिपी हुई नहीं है। यही मेरा ग्रापसे निवेदन है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री हीरालाल। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे को कहना है। ग्रध्यक्ष महोदय, जितने सदस्यों ने बात की उससे थोड़ा सा ग्रलग कुछ कहना है। ग्रध्यक्ष महोदय, ग्रापके मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि यह मामला काफी दिनों से विचाराधीन है। पिछली सरकारों के सामने भी यह मामला उठा है, कोई नया नहीं है. लेकिन यह मामला हमेशा ग्रागे टलता जाता है। कम से कम यह तो निर्णय हो जाये कि सरकार को नया विधान सभा भवन बनाना है कि नहीं बनाना है।

ग्रगर बनाना है तो ग्राज ग्रगर शुरूग्रात की जायेगी तो उसको बनते बनते 15 साल लग जायेंगे। एक साल में राज्य सरकार की ऐसी ग्रार्थिक स्थिति नहीं हो सकती कि एक साल में सारी मद में पैसा दिया जा सकता हो। मैं सोचता हूं कि ग्रगर करना है तो उसकी योजना तो घोषित कर दी जाये, जिससे काम शुरू हो। ग्रगर ग्रापकी मन्शा यही है कि इसको नहीं बनाना है तो ग्राप इसको बन्द कीजिये। ग्राप कम से कम राजस्थान विधान सभा का, इसका एक्सटेन्शन कीजिए, जगह यहां पर कम है फिर ग्रापको यही करना है, इसी विधान सभा में करना है तो उसको एक्सटेंशन करिये रथखाना स्कूल को ग्राप लीजिये, एक्वायर कीजिये। बिल्डिंग को लेकर इसका एक्सटेन्शन कीजिये। ग्राज पार्किंग की प्राब्लम है ग्राज जगह-जगह प्रदर्शन होते हैं। विधान सभा में माननीय सदस्य समय पर नहीं पहुंच सकते।

ग्राज एक डेढ़ घंटा पहले कोई ग्रपने घर से निकलता है तो विधान सभा पहुंच सकता है, ग्रगर प्रदर्शन होने लग जाते हैं तो वह नहीं पहुंच सकता। ग्रध्यक्ष महोदय

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

समय पर घंटी बजायेंगे वह तो बदलेगा नहीं कई बार स्थगन प्रस्ताव के समय उपस्थित नहीं हो पाते हैं। ऐसी कठिनाइयां हैं। अगर इसको आपको स्थाई रूप नहीं देना है और आगे सरकार की योजना नहीं हैं तो कम से कम इस चेप्टर को आप क्लोज करिये। दवाखाना स्कूल को, आप एक्वायर कीजिये, इसको हैण्डओवर कीजिये विधानसभा को ताकि इसका एक्सटेन्शन हो। आज कमेटी के सदस्यों ने, माननीय अध्यक्ष महोदय ने पहले सामने वाली बिल्डिंग में व्यवस्था की फिर इधर करनी पड़ी। मुख्य मन्त्रीजी को स्वयं को कभी ऊपर जाना पड़ता है, कभी नीचे आना पड़ता है। इतनी कठिनाइयां हैं। सारी स्थितियों को देखते हुये ...

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल आर्य। (व्यवधान) आप बोल चुके हैं, श्री परसादी लाल मीणा।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा भवन में कमी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय के कमरे तक पर कब्जा कर लिया गया है, सदन के नेता को बैठने की जगह नहीं है इसको बहुत गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, लाइटली इस मामले को लिया गया है। मुख्य मन्त्रीजी जितना मुस्कुरा करके इस बात को टाल रहे हैं वह ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, यहां आते-आते जान निकलती है। बम्पर पर बम्पर चलता है। रिक्शा यहां चलता है। यहां आते आते, ईमानदारी से कह रहा हूं, माननीय सदस्य जिनके पास अपने साधन नहीं हैं, उन लोगों को, यह तो आपने मेटाडोर की थोड़ी व्यवस्था की है। बीस रुपये आटो इधर से लेता है और बीस रुपये उधर से लेता है और यहां झगड़ा होता है बीच में और यहां इतना डर लगता है आने जाने में कि आप अन्दाज नहीं लगा सकते। मैं उपाध्यक्ष रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, मुझे मालूम है यहां कार्यालय को चलाने में कितनी बड़ी कठिनाई है। यहां कार्यालय नहीं चल सकता, मंत्री नहीं बैठ सकते हैं, एक-एक कमरे में तीन-तीन चार-चार मंत्री बैठे हुये हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, यह एक साल में बनना नहीं है यह विधान सभा की कठिनाइयां हैं इसलिये शुरुआत होनी चाहिये। 10 साल लगे 15 साल लगे। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं। जब इतनी बात हो चुकी मुझे चिन्ता करना स्वाभाविक है। मेरे जैसे आदमी को गेलेरी पास करने में कितनी दिक्कत होती है। अध्यक्ष महोदय, अगर सुमित्रा जी खड़ी हैं तो मैं गैलेरी पास नहीं कर सकती। सुमित्राजी तो निकल सकती है। थोड़े दिन बाद यदि और मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई और मैं और मोटी हो गई तो निश्चित रूप से मैं .. (व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता महोदय ने भाषण दिया था कि आर्थिक कमी के कारण कोई कार्य रोका नहीं जायेगा। चाहे मैं बम्बई से पैसा लाऊं, चाहे कलकत्ता से लाऊं, चाहे मद्रास से लाऊं। आज यह आर्थिक

(श्री मोहम्मद माहिर आजाद)

अभाव में विधान सभा भवन के निर्माण को रुकवा रहे हैं। आपने स्वयं कहा था कि पैसों की कमी के कारण किसी कार्य को रोका नहीं जायेगा। अब आज आप कहीं से भी लाइये जिससे विधान सभा का कम से कम अपना भवन तो बने।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। इनको बोलने दीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने 50 में एडजोर्नमेंट मोशन दिया था उसका जवाब राज्य सरकार की ओर से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना आया है कि....

श्री अध्यक्ष : आप 50 में बोल रहे हैं, बिराजिये। उस पर नहीं बोलने दूंगा मैं। मैंने आपको उस पर बोलने की अनुमति नहीं दी है। एडजोर्नमेंट मोशन का नहीं है ..(व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : मैंने आपको स्लिप दी है। मैंने दिया है आपको।

श्री अध्यक्ष : आपने जो लिख करके दिया है इस पर कहीं पर भी एडजोर्नमेंट मोशन का नाम नहीं है।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, कैसे नहीं है। मैंने लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी बोलिये।....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के हर सत्र में मैं सिरोही जिले के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, व्याख्याताओं के रिक्त पदों का प्रश्न लगाती हूं।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा के हर सत्र में अध्यापकों के रिक्त पदों का सिरोही जिले का प्रश्न लगाती हूं और अध्यक्ष महोदय, विभाग की ओर से रिक्त पदों की एक लम्बी सूची पकड़ाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। अध्यक्ष महोदय, सिरोही मुख्यालय पर गर्ल्स सीनियर हायर सैकेण्डरी स्कूल में 9-9 पद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और व्याख्याताओं के खाली हैं 9-9 पद, आज बालिकाएं बहुत कठिनाई से पढ़ने के लिए स्कूल में जाती हैं और अध्यापकों की कमी के कारण से फैल हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, उन छात्राओं का क्या हाल होगा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुनिये। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। अभी-अभी मुख्य मंत्रीजी ने.... (व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी बात तो सुनिए। आप बैठते तो हो नहीं। मुख्य मंत्रीजी ने अभी कहा है कि महिलाओं की बात का समर्थन करता हूं। ये महिला बोल रही हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, अनेकों पद प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, व्याख्याताओं के प्रधानाध्यापकों के खाली हैं। (व्यवधान)

जब मैं सिरोही नगर में जाती हूं अध्यक्ष महोदय, वे बालिकाएं मेरा घेराव करती हैं और सरकार के प्रति रोष प्रकट करती हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कानून तो बना लिया कि जो छात्र नकल करेगा उसको जेल में बन्द करेंगे। अध्यक्ष महोदय, उन छात्राओं की कल्पना कीजिये जो अध्यापकों की कमी के कारण फेल हो जाती हैं या नकल करती हैं, उनका घर में और बाहर में क्या होता होगा।

अध्यक्ष महोदय, कैलाश नगर और कंवरी में प्रधानाध्यापक नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों से मैं लगातार बोल रही हूं। प्रधानाध्यापक की कमी के कारण से कैलाश नगर सीनियर सैकण्डरी स्कूल का रिजल्ट जीरो आया है लेकिन उसके बाद भी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं डोका में गई, बार-बार मैंने अनुरोध किया है, पत्र लिखे हैं तथा यह विभाग इतनी लम्बी सूची रिक्त पदों की पकड़ाकर इतिश्री कर देता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगी कि जो बच्चे अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फेल हो जाते हैं या जो बालिकाएं अध्यापकों की कमी के कारण फेल हो जाती हैं या नकल करती है उनको आपने जेल में बन्द करने का कानून तो बना दिया लेकिन उनकी पढ़ाई का क्या होगा अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगी....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये हो गया। (व्यवधान) माननीय अमृत लाल परमार।

श्रीमती तारा भण्डारी :... आपके माध्यम से मेरे इलाके में ये सारे खाली पदों को भरने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।

श्री अमृत लाल परमार : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से.... (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, परसादी लाल जी ने जो मुद्दे उठाए हैं, सरकार ने जो जवाब दिया है वह गलत बयान किया है। सरकार का.... (व्यवधान)

श्री अमृतलाल परमार :....बाली में जो रेफरल अस्पताल है, जो रेफरल अस्पताल बन चुका है और उसके बाद भी वहां पर गत ढाई साल से 10 चपरासियों की जगह सिर्फ 6 चपरासी हैं, आज भी 4 चपरासी नहीं हैं। आज वहां पर डाक्टर तो भेज दिये, अस्पताल की हालत भी अच्छी है पर बैड की कमी के कारण वहां आपरेशन के बावजूद उस मरीज को जमीन पर या फर्श पर सुलाया जाता है और उनको बैड नहीं

(श्री अमृतलाल परमार)

मिलता है और वहां अव्यवस्था हो रही है।

बाली अस्पताल के अन्दर भयंकर अव्यवस्था हो रही है। डेढ़ साल से बाली अस्पताल के अन्दर बच्चों का डाक्टर नहीं है। मैंने कई बार मांग कर दी है उसके बाद भी वहां डाक्टर नहीं भेजा है, न वहां चपरासी लगा है, न वहां बैंड की व्यवस्था है। सारी अव्यवस्था हो रही है। ऐसी हालत में वहां कभी भी मरीज मर सकते हैं....

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय जुबेर खान।

श्री अमृतलाल परमार : ....अभी वहां डाक्टर अच्छा आया है, डाक्टर बढ़िया भेजा है, मैं उसकी प्रशंसा करता हू पर वहां पर बच्चों के डाक्टर की अविलम्ब व्यवस्था होनी चाहिये और बैंड की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 16-9-92 को जिला अलवर के गोविन्दगढ़ थाना के पास सेमला खुर्द के एक गांव गोरधन थाना मथुरा जिला यू.पी. के कुछ बदमाश लोग आए, शाम को उन्होंने लूटपाट की, फायरिंग की और एक व्यक्ति की वहां मृत्यु हो गई। लोगों ने जाकर पुलिस में, जो वहां से 6 कि मी. दूर है, उस गांव से सेमला खुर्द, गोविन्दगढ जाकर वहां रिपोर्ट दर्ज कराई, उन लोगों के भी नाम थे जिनकी जीप में बैठ करके वे गुण्डे और डाकू लोग आए थे और जो गांव के लोग उनको लेकर आये थे और जिन्होंने वह घर बताया था।

आज अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज तक भी हरदोई गांव है गोरधन थाना के अन्दर, वहां के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो लोग सेमला खुर्द के उसमें शामिल थे, जो लोग उनको लेकर के आए थे और जिन्होंने गाइड किया था, गांव वालों ने वहां घरना दिया। पुलिस के थानेदार से कहा, डीवाई. एस. पी. से कहा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी से निवेदन है, हम इसमें कोई व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, उससे निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के लोगों में अभी भी आक्रोश है कि अगर इस तरह से वहां हत्या करने वाले खुले आम घूमेंगे और आपके थानेदार और डीवाई. एस. पी. से मिलकर पैसा खाकर उसमें एफ. आर. लगवाने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बड़े दुःख की बात है। 16 तारीख की घटना थी और गांव के लोग मिले थे, वे कह रहे थे कि हम तो 30 तारीख तक उसमें चालान पेश कर देंगे और पूरी गवाहियां नहीं हुई, पूरी गिरफ्तारी नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है गृह मंत्रीजी इसको गम्भीरता से लें और पुलिस को निर्देश देकर के इसमें गिरफ्तारियां करायें ताकि इलाके में शान्ति हो सके।

श्री अध्यक्ष : हेतराम जी।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, राजस्थान का श्रम विभाग मेरी समझ में राजस्थान के इतिहास में इन सालों में जिस तरह निष्क्रिय रहा है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती । जिस तरह से उपेक्षित इस राजस्थान का श्रमिक रहा है, ग्रभी जो गंगानगर जिले का सबसे बड़ा उद्योग कपड़ा मिल में, जे. सी. टी. मिल में सारे मजदूरों की हड़ताल है ग्रौर, उसमें दुखद बात यह है कि हड़ताल में श्रम विभाग की ग्रोर से ग्राज तक भी कंसोलेशन की शुरूग्रात नहीं हुई । किसी मजदूर प्रतिनिधि को बुलाकर उससे बातचीत नहीं हुई ग्रौर राजस्थान सरकार ने ग्रपना योग सबसे बड़ा उसमें यही दिया है कि वहां मिल के ग्रन्दर हथियार बन्द पुलिस, हातों के ग्रन्दर बन्दूकें ग्रौर स्टेनगन लेकर पहुंची है । वातावरण इस तरह का है कि वहां कभी भी कोई गम्भीर घटना हो सकती है। मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमने कभी नहीं सुना कि इस तरह से पुलिस का दखल सेठों की मदद में मिल के ग्रन्दर जाय, मशीनों के ऊपर बन्दूक लेकर मजदूरों को धमकाने के लिए पुलिस पहुंच जाय । यह बहुत गम्भीर घटना है ।

मैं समझता हूं, राजस्थान के मुख्य मंत्री इस श्रम विभाग को स्वयं सम्भालेंगे - जिस तरह का यह लावारिस विभाग ग्रापने कर रखा है, राजस्थान का श्रमिक, विशेष तौर से ग्रापका श्रमिक जो बी. एम. एस. का श्रमिक है, उनकी भी सबसे बड़ी शिकायत है कि श्रमिक विभाग इनइफेक्टिव है ग्रौर गंगानगर की हड़ताल का कारण प्रमुख रूप से सिर्फ श्रम विभाग ही है । श्रम विभाग में उनकी बात नहीं सुनकर जबरदस्ती मालिकों के कहने से एक तरफा वर्क लोड उनके ऊपर थोपा ग्रौर वर्क लोड थोपने का कारण यह हुग्रा कि ग्राज वह सबसे बड़ा उद्योग हड़ताल होकर बन्द हो गया है । मैं उम्मीद करूंगा कि राजस्थान के श्रम विभाग में....

श्री ग्रध्यक्ष : प्रोफेसर केदार जी ।

श्री केदार नाथ शर्मा : ग्रध्यक्ष जी, मैं तो एक ऐसे मसले के बारे में, ग्राप ग्रौर पूर्व विधायक बन जायेंगे । यह इन्स्टीट्यूशन है । हम भी उसके हिस्से हैं ग्रौर पूर्व विधायक भी उसके हिस्से हैं । दिल्ली में गये, कोई जगह ठहरने को नहीं । मैंने पंजाब में, हरियाणा भवन में जाकर पूछा तो बताया गया कि हमने दो कमरे हरेक जगह रिजर्व कर रखे हैं । गुजरात में ग्रौर महाराष्ट्र में कई जगह है । इसलिए मेरा निवेदन है कम से कम जो दिल्ली जाय । ग्राप 500 रुपया देते हो, जो एक टर्म रहा है एम. एल. ए., उसका ग्रध्यक्ष महोदय, केवल 500 रुपया पेंशन मिलती है ग्रौर दिल्ली में ऐसा कमरा नहीं तो 500 रुपया तो उस कमरे का किराया है ग्रौर यहां ग्रध्यक्ष महोदय, केवल 2 कमरे, उन्हें ग्राप देखो कोई देखभाल नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं, वहां ग्रलाटमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं, एजेन्सी नहीं । मालूम नहीं कहां कमरे हैं । एक्स. एम. एल. एज. ग्राते हैं, किराये पर ठहरते हैं ग्रौर जहां भी कोई प्रबन्ध नहीं ग्रौर सर्किट हाउस में जगह खाली पड़ी है फिर भी एक्स. एम. एल. एज को जगह नहीं मिलती ।

(श्री केदारनाथ शर्मा)

दूसरी बात है, अध्यक्ष महोदय, बीमारी के समय कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं। उनके रिएम्बर्समेंट के लिए कोई प्रोवीजन नहीं है। इतनी बड़ी जमात जिसने इतना समय दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा दिया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है राजस्थान के विकास में और उनकी देखभाल नहीं है बुढ़ापे के वक्त में, बीमारी के वक्त में।

तीसरी बात, हर स्टेट में बस पास के साथ में एक अटेन्डेन्ट दे दिया एक्स एम. एल. एज. को, हमारे यहाँ वो भी नहीं है।

आखिर जिनकी 75 वर्ष की एज है, एक अटेण्डेंट वे रखते हैं। वो कहते हैं हमें पास नहीं मिलता। यह तो मामूली सी बात है इसका प्रोविजन आप कर सकते हैं और माननीय अध्यक्षजी, इतनी महंगाई बढ़ने के बाद केवल 500 रुपए पेंशन एक टर्म में। केवल 500 रुपया। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं जो दो टर्म या तीन टर्म रहे। तो इनका आप कम से कम एक हजार रुपया कर दो। अगर रुपए की कीमत देखो तो 1000 की कीमत वो ही है और अध्यक्ष जी, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका हिन्दुस्तान में इलाज नहीं है। मैं सोचता हूं कि दो-अढ़ाई साल बाद मुझे ही बाहर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रोविजन तो आप कर दें। माननीय मुख्यमन्त्री जी, इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दें ठहरने की व्यवस्था के बारे में।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है यहाँ के लिए हमने दो फ्लेट एक्स-मेम्बर्स के लिए रिजर्व किए हैं, फर्नीचर आ गया है, केवल उसमें कुछ पोस्टें चाहिए चपरासी की और देखने वाले की। वे पोस्टें अभी सेंक्सन नहीं हुई है वो होते ही दो फ्लेट्स केवल एक्स-मेम्बर्स के ठहरने के लिए हो जायेंगे।

श्री केदारनाथ शर्मा : ये कहां है ?

श्री अध्यक्ष : विधायक नगर में कर चुके हैं, उसका फर्नीचर भी हमने पूरा मंगा लिया है। केवल उसमें कुछ पोस्टें मांगी हैं ताकि वहां आने वालों को अटेण्डेंट्स मिल जाय। वो पोस्टें अभी तक सेंक्शन होकर नहीं आई हैं बाकी हो जायेगा। श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, प्रो0 केदारजी ने जो बात कही है वो अपने आप में सही है लेकिन आपने कहा कि चीजों के भाव इतने बढ़ गए और तनख्वाह हमारी वो ही है।

श्री केदारनाथ शर्मा : हमारी नहीं, मैं एक्स- एम. एल. एज. की बात कर रहा हूं। केवल एक टर्म में 500 रुपए हैं।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : वर्तमान एम. एल. एज. की भी बात सही है। दोनों की बात सही है।

श्री निर्मय लाल जाटव : किराया थोड़ा हो गया, महंगाई ज्यादा हो गई, दूसरों की पार नहीं पड़ती।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं वो ही बात कह रहा हूं कि सब चीजों के भाव बढ़ गए

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ग्रौर भाव बढ़ने के कारण मे यदि वेतन-भत्ते या सुविधाएं बढ़ाये जाने का सिद्धान्त हो तो भावों के ग्राधार पर ग्रौर चीजें भी बढ़ाई जा सकती हैं। ये सिद्धान्त को तय कर लें जो ग्राप कहोगे उसको लागू कर देऊंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी ग्रौर माननीय उच्च शिक्षा राज्य मन्त्रीजी का ध्यान ग्राकर्षित करना चाहता हूं। पिछले विधान सभा के बजट सत्र में यहां हमने राजस्थान विश्वविद्यालय की हिंदी पाठ्यक्रम समिति द्वारा विश्वविद्यालय ग्रधिनियम की धारा 42 के उल्लघन की बात कही थी जिसको माननीय मन्त्रीजी ने स्वीकार भी किया था ग्रौर इसकी जांच के लिए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री श्यामलाल की ग्रध्यक्षता में एवं कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी ग्रा गई लेकिन इसके बावजूद दिनांक 28 व 29 ग्रगस्त को शैक्षणिक परिषद् की मीटिंग में उसी 1992 वाले पाठ्यक्रम को जिसमें धारा 42 का उल्लंघन करके घोर ग्रनियमितताएं हुई थी, जो उस हिन्दी पाठ्यक्रम समिति के सदस्य थे, उन्होंने ग्रपने स्वयं की किताबों को उसमें लगा दिया था। इसमें विधान सभा के सभी दलों के माननीय सदस्यों ने ग्रपनी राय व्यक्त की थी।

ग्राज मैं ग्रापके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 28 व 29 ग्रगस्त को मीटिंग करके उन्होंने 1993 के लिए जो पाठ्यक्रम तैयार किया है उसको लागू नहीं करके उसी 1992 वाले पाठ्यक्रम को जिसमें ये ग्रनियमिततायें विश्वविद्यालय ने ग्रौर इस सदन ने मानी थी उसको लागू करने का काम करके इस सदन की ग्रवमानना की है ग्रौर कल 30 तारीख को इसी सम्बन्ध में वापस मीटिंग होकर उसको ग्रप्रूव्ड करने का मुद्दा एजेण्डा में रखा है।

मैं यह चाहूंगा कि माननीय उच्च शिक्षामंत्रीजी यहां बैठे हैं। ये विश्वविद्यालय को निर्देश दें कि जिस मामले में इन्होंने यह स्वीकार किया है कि यह घोर ग्रनियमितता हुई है, यह गलत हुग्रा है, इसमें कानून का उल्लंघन हुग्रा है, धारा 42 की ग्रवहेलना हुई है ग्रौर उसके बाद उसी पाठ्यक्रम को पुनः लगा रहे हैं जबकि 93 का पाठ्यक्रम बनकर तैयार है। ग्राप यह निर्देश तुरन्त दें ताकि सदन की ग्रवमानना न हो।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री मोहम्मद माहिर ग्राजाद : ग्रध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी इस सम्बन्ध में कुछ कहें। यह किसी एक का सवाल नहीं है पूरे सदन ने जिस बात को स्वीकार किया है उसकी ग्रवमानना कैसे कर सकते हैं?

श्री ग्रध्यक्ष : हां, बिराजिए।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं जो कानून बना हुआ है उस कानून को आप बहुमत से या प्रस्ताव से उसको समाप्त कर सकते हैं या रद्द कर सकते हैं या उसको पोस्टपोण्ड कर सकते है। यह कानून की अवहेलना पिछली बार मान ली थी अब तो इस सदन की अवमानना विश्वविद्यालय कर रहा है। लगातार अनियमितताओं पर अनियमितताये होती जा रही है। इस संबंध में मैं चाहूंगा कि उच्च शिक्षामंत्रीजी निर्देश दें और कल की मीटिंग के अंदर जो एजेण्डा रखा है उसमें उसको निकाला जाय और 1992 के पाठ्यक्रम की बजाय जो 1993 का नया पाठ्यक्रम उन्होंने तैयार करवाया है उस पाठ्यक्रम को लागू किया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। सहकारिता मंत्रीजी भी यहां बिराजमान हैं। मैं आपका ध्यान सहकारी विभाग द्वारा जितनी भी मार्केटिंग सोसाइटियां संचालित होती हैं....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : रामनारायणजी, एक मिनट। उसका तो जवाब आने दो। माननीय सदस्य उनको कहने दो, क्या आदमी हो आप। थोड़ा सोचा करो।

श्री अध्यक्ष : एक मिनट बिराजिए।

डा. रतन लाल जाट : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने धारा 42 के उल्लंघन की जो बात कही है उस संबंध में विश्वविद्यालय ने प्रो. श्यामलाल शर्मा समिति गठित की है और उसकी रिपोर्ट आ चुकी है एवं उस पर सिण्डीकेट द्वारा विचार किया जाना बाकी है और शीघ्र ही इस पर निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : कौनसा लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : सिण्डीकेट में तय करेंगे।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : अब 28 व 29 को उसको वापस लागू करने की बात कर दी है। यह अवमानना हो गई। इसको आप रूकवाओ।

श्री अध्यक्ष : सिण्डीकेट की मीटिंग में कर देंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : राजस्थान में जितनी भी मार्केटिंग सोसाइटीज हैं, बाकी के डीलर्स जो खाद के हैं उन पर खाद्य मंत्रीजी का कितना कन्ट्रोल है यह मैं नहीं कहना चाहता लेकिन मार्केटिंग सोसाइटीज का प्लेस जॉन है उसके मुताबिक उनका खाद का आंकड़ा मिला लीजिए। नैनवां मार्केटिंग सोसाइटी है उसमें 2 लाख का प्लेस बैंकों का और 50 हजार का खाद वहां मौजूद है। इस तरह से जो प्लेस जॉन लेकर जिन बैंकों ने किया है, खाद ऐसी समस्या है इसमें सरकार का स्टेटमेंट आने वाला है। इसमें सरकार उचित ध्यान दें....

श्री अध्यक्ष : अब आप विराजिए। श्री प्रभुलाल पटेल।

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे सपोटरा क्षेत्र की बिजली के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। मेरे सपोटरा क्षेत्र में आर.एस.ई.बी. द्वारा बिजली के मामले में अन्याय किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा मेरे सपोटरा क्षेत्र के गांव समेरपुर को सन् 1986 में विद्युतीकृत किया गया था जो कि आधा युग हो गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मालूम करना चाहूंगा कि इस गांव को लाइट पहुंचाने में कितनी सदियां लग जायेंगी ?

दूसरा, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अमरवाड़ गांव में लिफ्ट इरिगेशन 50 किसानों के लिए बनाई थी। सरकार ने उसके लिए 10 लाख रुपये खर्च किये हैं। उसका डिमाण्ड नोट मार्च, 90 को जमा कराया गया था लेकिन आज तक भी कनेक्शन नहीं दिए गये हैं। यहां जो किसानों के लिए ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं उसके लिए 5-5 हजार रुपए प्रति ट्रांसफार्मर का वसूल किया गया जिसके लिए मेरे पास में शपथ पत्र मौजूद हैं।

तीसरा निवेदन करना चाहूंगा, सपोटरा में बिजली विभाग द्वारा बिल निकाल दिये हैं जबकि आज की तारीख में वहां किसी कुए पर कोई कनेक्शन नहीं है जबकि बिल मेरे पास मौजूद हैं आप देखना चाहे तो मैं बता सकता हूं। श्री नारायण। हेमराज मीणा, गोठड़ा जो ऐसा बिल है जो कि आज की तारीख में बिजली विभाग ने दिया है। यह मैंने 131 में लगाया था उसकी खबर वे सुनकर उन किसानों के पास में ए.ई.एन. जे.ई.एन. गए हैं कि हम दशहरे के बाद में आपको कनेक्शन दे देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुनिए।

श्री अध्यक्ष : सुन लिया आपका निवेदन दिन भर सुनता रहूंगा क्या आपका निवेदन ? सुन लिया। आपका निवेदन रेकार्ड पर आ गया, सरकार ने सुन लिया।

श्री प्रभुलाल पटेल : पूरा तो सुन लीजिए। कमी-कमार ही बोलता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बार-बार रिपीट कर रहे हैं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय सदस्य बहुत कम बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आज बहुत ज्यादा बोल रहे हैं।

श्री प्रभुलाल पटेल : ज्यादा कहां बोल रहा हूं सर, मैं बहुत कम बोल रहा हूं जो बिल दिए हैं उन कुओं पर कहीं कनेक्शन का नामों-निशान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप रिपीट कर रहे हैं। यह बात तो कह चुके हैं आप। बार-बार वो ही बात कर रहे हैं।

श्री प्रभुलाल पटेल : और नया सुनिये ना इसको जाने दीजिए। मैं आज इस पवित्र हाउस में दावे के साथ कहता हूं कि

(श्री प्रभुलाल पटेल)

मेरे यहां 25-25 हजार रुपये की कनेक्शनों की रेट हो गई है। जो वाटर हट का नियम निकाला था उसमें किसानों को कनेक्शन दे दिये गये ग्रौर फिर उनको एग्रीकल्चर में कन्वंट किया गया उसके 25-25 हजार रुपये लिए गए हैं। ग्रध्यक्ष महोदय, इन गरीब किसानों को जौंक बनकर चूसा जा रहा है ग्रौर यह सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है।

श्री ग्रध्यक्ष : श्री प्रकाशचन्द बैरवा। बाकीका प्रकाशचन्द बैरवा। बोल देंगे। वो भी बिजली पर बोल रहे हैं।

श्री प्रभुलाल पटेल : वहां का पूरा स्टाफ चेंज कीजिए ग्रध्यक्ष महोदय, ताकि किसानों को राहत मिले।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा (फागी) ग्रध्यक्ष महोदय, मैंने 131 का ग्रापके यहां लगाया था लेकिन उसको ग्रापने लिया नहीं है तो पहले मैं इस बारे में बोलूंगा।

श्री ग्रध्यक्ष : किस बारे में बोल रहे हैं ग्राप ?

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : मेडिकल के बारे में।

श्री ग्रध्यक्ष : 17 गावों में तीन वर्ष से विद्युतीकरण। इस पर बोलेंगे ग्राप। कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बोलेंगे।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : ठीक है। ग्रादरणीय ग्रध्यक्ष महोदय....

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं ग्रापको एक निवेदन कर दूं....

श्री प्रकाशचन्द बैरवा मैंने 131 में दिया था, ग्रापने लगाया ही नहीं....

श्री ग्रध्यक्ष : एक बात सुनिये। ग्राप लोग, जो व्यवस्था ग्रासन से दी जाती है उन व्यवस्थाग्रों को तोड़ने के लिए नये-नये तरीके मत निकालिए, जो व्यवस्था दी जाती है उसको मान लीजिए। ग्रापकी बात कहने का मैं मौका देता जा रहा हूं, ग्राप कम से कम व्यवस्थाग्रों की भी इज्जत कीजिए। मैं ग्रापकी बात की इज्जत करता हूं।

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : ग्रादरणीय ग्रध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में 90 के ग्रन्दर विद्युतीकृत घोषित किये हुए 17 गांव हैं जो ग्राज भी बिना बिजली के सरकार की ग्रोर देख रहे हैं। बड़े ग्रफसोस की बात है कि उनके डिमाण्ड नोटिस निकाल दिये, उनके पैसे जमा हो गये, लोग रोजाना चक्कर खाते हैं, तीन विधान सभा सत्रों में हमने लगातार 295 के जरिये, 131 के जरिये बार-बार मामला उठाया है कि इन गांवों को विद्युतीकृत किया जाय, इनकी लाइनें खींची जाय, उनको कनेक्शन दिये जायें लेकिन ग्राज तक सरकार के ऊपर कोई जूं नहीं रेंग रही है।

बड़े ग्रफसोस की बात है। इन 17 गांवों के ग्रन्दर सात गांव तो ऐसे हैं जहां ट्रांसफार्मर रख दिये, सरकार की बिजली

(श्री प्रकाशचन्द बैरवा)

चोरी से जल रही है, कोई मीटर नहीं लग रहा है, डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा है, एल. फार्म जमा है, मकानों में लाइट फिट कर रखी हैं लेकिन सरकार उनमें मीटर नहीं लगा रही है। इसके साथ ही मैं और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने जो 17 गांव विद्युतीकृत घोषित किये हैं उनमें 2-2 कुओं के कनेक्शन प्रत्येक गांव में देने थे, वह भी जो 34 कनेक्शन बिजली के देने थे, नहीं दिये। कुओं के जो फार्म भरे हुए हैं, 17 गांवों में दो-दो कुओं के कनेक्शन देने वाले थे, क्या वह सरकार देगी और जिन गांवों को विद्युतीकृत घोषित कर रखा है, जिनके डिमाण्ड नोटिस के पैसे जमा हैं, क्या उनमें तुरन्त मीटर लगवाकर कनेक्शन देंगे।

इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो सब ग्रिड सात साल से बने हुए हैं, लाइनें खींची हुई हैं, सरकार का लाखों रुपया लग गया लेकिन अब तक वह चालू नहीं हो पा रहे हैं। पहले तो बार-बार यह कह रहे थे कि वहां से रेलवे की परमीशन नहीं मिली है लेकिन अब तो रेलवे की परमीशन भी मिल गई लेकिन सरकार अब तक भी उन लाइनों को, उन सब ग्रिडों को चालू नहीं करवा रही है जिसकी वजह से फागी के 25-30 और चाकसू के 30-35 कुल 50-60 गांव बिना बिजली के परेशान हो रहे हैं। यह सरकार की लापरवाही के कारण सारा कुछ हो रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि इन गांवों में....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। हो गया बस। प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख, श्री रामकिशोर मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा नाम रामकिशोर नहीं है श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : हां, आई एम सॉरी। रामस्वरूप मीणा ... (व्यवधान)

श्री घासीलाल चौपड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी निवेदन किया था स्लिप भेजकर....

श्री अध्यक्ष : मेरे पास स्लिप नहीं है....

श्री घासीलाल चौपड़ा : मैंने भेजी थी अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नहीं है मेरे पास....

श्री घासीलाल चौपड़ा : आपके पास भेजी थी

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरी स्लिप पर तो ध्यान दे दो ...

श्री अध्यक्ष : मेरे पास स्लिप नहीं है आपकी ...

श्री रामस्वरूप मीणा : स्लिप मेरी आई है श्रीमन् ...

श्री अध्यक्ष : आप 295 पर बोलिये।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्लिप दी है....

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : अध्यक्ष महो-

(श्री गुलाम मुस्तुफा खान)

दय, हमने इधर से स्लिप भेजी है, वह आई नहीं सारी।

श्री अध्यक्ष : सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्य अपने-अपने मंत्रियों से बात कह देंगे। यहां बोलने की, आपकी सब की देख ली है। आप अपने-अपने मन्त्रियों का बता दीजिए, काम हो जायेगा आपका। हां, बोलिये आप। मैंने सब की देख ली है, यहां उल्लेख करने वाले मामले नहीं हैं, सीधे-सीधे सरकार को कहने के मामले हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सप्ताह भर पहले 295 का दिया था, आज तक नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : हां, लग जायेगा कल। हां बोलिगे। पढ़िये।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मृतकों के आश्रितों को नौकरी नहीं देने के बारे में निवेदन कर रहा हूं। बहुत ही गम्भीर मसला है। सारे राजस्थान के जो मृतक कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को नौकरी राजस्थान में नहीं दी जा रही है। वर्षों हो गये। इनके बारे में मैं सारे सदन का ध्यान आज इस गम्भीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि जो आश्रित हैं, जो दर-दर रोटी के लिए घूम रहे हैं, आज उनको नौकरी मिल सके।

मेरा निवेदन है कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं देने के अनेक मामले अटके पड़े हुए हैं, बार-बार निवेदन करने के उपरांत भी सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसके कारण मृतकों के आश्रितों के साथ कुठाराघात किया गया है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के अन्तर्गत मृतक राज्य कर्मचारी गोविन्दराम मीणा का निधन 1983 में हो गया। गोविंदराम ने अपनी निजी सन्तान न होने के कारण अपने भाई के लड़के को गोद लिया था। श्रीमती नारायणी देवी ने अपने पुत्र को नौकरी दिलाने के लिए अधिकारियों के अनेक चक्कर लगाये पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बड़े दुख के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय, जो सदन में कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं, विद्युत मंत्रीजी को देख रहा हूं मैं, सदन में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, मैं तो आपको ही सारा दुखड़ा सुना देता हूं. सारे राजस्थान के मृतक कर्मचारियों का मामला है, उनकी विधवाएँ जो घूम रही हैं बेरोजगार....

श्री अध्यक्ष : पढ़ दिया क्या आपने ?

श्री रामस्वरूप मीणा : थोड़ी और

(श्री रामस्वरूप मीणा)

घटना है श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष : हां, पढ़िये । मन्त्री महोदय जवाब देंगे आपको ।

श्री रामस्वरूप मीणा : गये वह तो सदन से ।

श्री अध्यक्ष : वह तो लिखित में जवाब देंगे आपको ।

श्री रामस्वरूप मीणा : हां, तो ठीक है, जवाब दिलवा देना ।

श्री अध्यक्ष : लिखित में जवाब देंगे । बोलिये आप ।

श्री रामस्वरूप मीणा : गोविंदराम ने अपनी निजी सन्तान न होने के कारण अपने भाई के पुत्र गोपालराम मीणा को गोद लिया था । श्रीमती नारायणीदेवी अपने पुत्र को नौकरी दिलाने के लिए कई अधिकारियों की चौखट पर दस्तक दे चुकी है पर उसकी सुनवाई नहीं होने के कारण मां-बेटे की हालत दयनीय हो रही है । आज उनको दो टाइम की रोटी भी प्राप्त नहीं हो रही है । इस प्रकार की हालत पूरे राजस्थान में इन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं दिये जाने से हो रही है । कुछ दिन इनकी सुनवाई और नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं, जब यह लोग भीख मांगने के लिए भी तैयार हो जायेंगे । गोविंदराम, जो अपनी एकमात्र सन्तान, अपने बेटे को एवं अपनी विधवा को छोड़कर मरा है,

(12.55 म.प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उसके बारे में सरकार ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है । अतः मैं इस सदन के माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जितने भी मृतक कर्मचारी हैं उनके आश्रितों के जितने भी मामले अब तक अटके पड़े हुये हैं, यह मामला मैंने 1983 का आपके सामने पेश किया है. आज 83 को कितने वर्ष हो गये, आज तक इस गोविन्दराम की औरत दर-दर मारी फिर रही है, इसके बेटे को आज तक नौकरी नहीं मिली, तो इन आश्रितों का क्या ठिकाना है । इधर सरकार इनको नौकरी नहीं दे रही है, उधर भगवान इनसे रूठ गया जो इनके पति को उठा लिया । आखिर में इनका कौन रखवाला है ? माननीय मन्त्री महोदय सदन के अन्दर मौजूद नहीं हैं, इतना गम्भीर मामला सदन के अन्दर रखा जा रहा है, इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिए आप । रामस्वरूपजी, बैठिये ।

श्री रामस्वरूप मीणा : कि इन मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के जितने भी मामले पेण्डिग है, यह गोविन्दराम मीणा, जो मृतक कर्मचारी है ...

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था नहीं है।

(श्री उपाध्यक्ष)

मीणा साहब, बैठ जाइये। माननीय श्री प्रभुलाल पटेल। बिराजिए आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : इसके लड़के को तुरन्त नौकरी दिलाने की व्यवस्था करावें, इस मामले को गम्भीरता से लें उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपने जो मुझे समय दिया इस गम्भीर मामले के लिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। प्रभुलालजी पटेल, बोलिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : दो मिनट और बोलने दो....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप क्या चाह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं निवाली के मामले में बोल रहा हूं, निवाली के लोग....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए। माननीय प्रभुलालजी पटेल, पढ़िये। इनका अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी, बैठिये। आप बैठिये न। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री प्रभुलाल पटेल : बात तो वास्तव में सही है श्रीमन्....

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : आप पढ़िये। आप क्या पढ़ना चाहते हैं? मैं नेक्स्ट नाम पुकार रहा हूं। माननीय श्री रामकरणसिंह जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए आप। एक मिनट रामकरणसिंहजी।

श्री प्रभुलाल पटेल : मैं पढ़ तो रहा हूं श्रीमन्।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, निवाली के सम्बन्ध में लालसोट से आने वाले माननीय विधायक मुझसे मिले हैं, मैंने इनको सारी बात कह दी है और अभी मैं सम्पर्क कर रहा हूं जिलाधीश सवाई-माधोपुर से और उसको उसकी व्यवस्था कराने के लिए कह रहा हूं।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभुलाल जी।

कैलादेवी अभ्यारण्य की दुर्दशा

श्री प्रभुलाल पटेल (सपोटरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सपोटरा क्षेत्र के कैलादेवी अभ्यारण्य को कर्मचारियों द्वारा उजाड़ने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। कैलादेवी अभ्यारण्य के लिए सरकार काफी खर्चा कर चुकी है, काफी कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था व आबाद करने के लिए लगा रखे हैं परन्तु उलटा हो रहा है। सुरक्षाकर्मी व फोरेस्टरों की मिली भगत से इस क्षेत्र में खनन कार्य भी चला रखे हैं, खानों के ठेकेदारों से चौथ वसूल कर ली जाती है।

इस क्षेत्र के अन्दर कई ग्रामों में इन रेंज वालों की सलाह पर खेती की जाती है, उनसे आधा हिस्सा वसूल कर लिया जाता है तथा अभ्यारण्य के बाहर की मवेशी भेड़ वगैरह चरने की सख्त मनाही है परन्तु इसके बावजूद भी भेड़ों को चरने की इजाजत दे दी जाती है जिसका मेरे पास लिखित सबूत भी मौजूद है। मैं सबूत में अब एक गार्ड हुकमसिंह के हाथ की लिखी चिट्ठी भी बनीजरा के आस-पास भेड़ों को चरने की पेश कर रहा हूं, उसके लिए पाबन्द किया है, भेड़ चराने के लिए, जो चिट्ठी मैंने पेश कर दी है क्योंकि भेड़पालक से चराने का सौदा तय हो गया था, उसके बाद में वह चिट्ठी लिखी गई थी। अभ्यारण्य में कुछ बच नहीं पाता है। उपाध्यक्ष महोदय, इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय और इन्होंने जो यह धन्धा बना रखा है वह सरकार की मंशा के खिलाफ है, इससे आबाद होने के बजाय बरबाद किये जा रहे हैं। अतः सरकार ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों को शीघ्र हटाकर इस अभ्यारण्य को बचाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामकरण सिंह जी।

(1.00 म. प.)

कोटपुतली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि. में व्याप्त अनियमितता की जांच

श्री रामकरण सिंह (कोटपुतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने कोटपुतली ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति लि. कोटपुतली को भंग करने के आदेश प्रसारित करने पर सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं जिससे कोटपुतली तहसील की जनता एवं किसानों ने राहत की सांस ली है। इस समिति के प्रबंध निदेशक, सहायक अभियन्ता द्वारा प्रशासक के सहयोग से सामान की खरीद फरोख्त एवं कनेक्शन जारी करने में लाखों रुपयों की रिश्वत की रकम लूट ली है तथा भ्रष्टाचार के निम्न तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनकी उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कराने की कृपा करें। इनकी जांच के लिए अगस्त में भी आदेश दिया था उसका क्या हुआ ?

(1) यह कि विद्युत कनेक्शन जारी

(श्री रामकरण सिंह)

करने के नियम समिति में वही लागू होते हैं जो राज. राज्य विद्युत मण्डल में लागू होते हैं। श्रीमान् ऊर्जा मन्त्री महोदय, एवं अध्यक्ष राज. राज्य विद्युत मण्डल ने कृषि उपभोक्ताओं को एडवांस स्कीम के तहत कनेक्शन देने की स्कीम को लगभग एक वर्ष बन्द करने के आदेश प्रसारित कर दिये थे किन्तु प्रबंध निदेशक ने इन आदेशों की अविहेलना कर प्रशासक की सांठगांठ से इस समिति में एडवान्स स्कीम को चालू कर दिया और ऊर्जा मन्त्री एवं अध्यक्ष से स्वीकृति प्राप्त की नहीं। इस प्रकार इस क्षेत्र के छोटे किसानों में असन्तोष व्याप्त है। उनके अधिकारों का हनन हुआ है और लाखों रुपयों का सौदा हुआ है।

(2) यह है कि प्रबंध निदेशक श्री एफ. जी. जिन्दल ने खरीद फरोक्त करने एवं एडवान्स स्कीम के तहत कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से इस समिति के कुछ आतकवादी कर्मचारियों से मिलकर एक सरपंच के द्वारा राज. उच्च न्यायालय में समिति बने रहने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए रिट दायर कारवाई एव उनकी तरफ से पैरवी करवाई। यह तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में भी है।

प्रबन्ध निदेशक ने विद्युत मण्डल से प्रतिनियुक्ति पर समिति में आये अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त नहीं किया क्योंकि वह समिति को तब तक चलाना चाहते थे जब तक कि खरीद फरोक्त एवं कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही पूरी न हो जावे। जब कि इस समिति के लेखाधिकारी जिन्होंने दिनांक 18-6-92 को कोटपूतली डिविजन में अधीक्षण अभियन्ता जयपुर जिला वृत राज. राज्य विद्युत मण्डल जयपुर की सहमति से पद मुक्त होकर कार्यभार संभाला किन्तु प्रबंध निदेशक ने अकारण इन लेखाधिकारी को निलंबित करा दिया जब कि इस लेखाधिकारी ने राज्य सरकार की वफादारी में कार्य किया इस अधिकारी को परेशान करने की दृष्टि से प्रबंध निदेशक ने अभी तक वेतन का भुगतान एवं अन्तिम भुगतान प्रमाण पत्र नहीं भिजवाया है न ही चार्जशीट दिलवाई जबकि चार्जशीट एक माह में मिल जानी चाहिए।

(3) इस समिति का लाइसेंस रद्द होने के पश्चात् कोई भी नये कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती है जब कि प्रबंध निदेशक ने बिना लाइन खीचे फिटिंग व एल फार्म चैक करा दिये बिना सामान उपलब्ध होने के जांच आर्डर जारी कर दिये गये एवं नियमों को ताक में रखकर कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शन जारी कर दिये गये।

(4) यह कि इस समिति में 40 नये ट्रांसफार्मरों की खरीद में सीधे लेखाकार की सहमति से खरीदनें होनी थी जिसमें लेखाधिकारी की बजाय लेखाकार उपस्थित रहे एवं तुलनात्मक विवरण को लेखाकार श्री नरहरि शर्मा द्वारा फाइनल किया गया। इस केस की नोट शीट में स्पष्ट है।

(5) यह है कि पैपर्स जयपुर ट्रांस-

(श्री रामकरण सिंह)

फ र्मस एण्ड इलैक्ट्रिकल जयपुर द्वारा माह नवम्बर 1991 में बिलों के डबल भुगतान प्राप्त करने का प्रयास किया तथा परचेज़ ग्रार्डर के भुगतान बजाज की अवहेलना की। इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही करने की बजाय प्रबंध निदेशक ने प्रशासन की मिली भगत से ट्रांसफार्मरों की खरीद एवं रिपेयर के प्रादेश लाखों रुपयों के दिये गये।

(6) इस समिति की रसीद बुक संख्या 396 (ए-9) जो भरी हुई थी जिसकी केशबुक में इन्द्राज नहीं हुई थी समिति एक ग्रातंकवादी कर्मचारी ने केशियर से छीन कर अपने पास रख ली। प्रबंध निदेशक अपने स्तर पर नहीं कराकर दोषी कर्मचारी को बचाना चाहते हैं जिसके कारण लेखाकार श्री नरहरी शर्मा एवं केशियर ने मिलकर लगभग पन्द्रह हजार रुपये का गबन किया है। इस सबंध में प्रबंध निदेशक ने कोई कार्यवाही नहीं की है। कार्यवाही की जावे।

(7) यह कि सहकारी विभाग द्वारा श्री टांटिया, चार्टर्ड ग्रकाउन्टेन्ट की जाच हेतु नियुक्त किया गया था किन्तु प्रबध निदेशक ने खरीद फरोक्त व अन्य स्टोर का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया। सहकारी विभाग द्वारा भी इस सबध में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(8) यह कि समिति में कंडक्टर तार एवं ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए दिनांक 1-4-92 एवं 2-4-92 को, जयपुर में परचेज कमेटी की एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे किन्तु परचेज फाइनल नहीं हुए थे इसके बावजूद प्रबन्ध निदेशक ने दिनांक 3-3-92 को फर्मों को परचेज ग्रार्डर जारी कर दिये इस प्रकार उक्त खरीद में फर्जी कार्यवाही की गयी।

(9) यह कि श्री एस. पी. जिन्दल प्रबन्ध निदेशक दिनांक 2-6-92 को अवकाश पर थे किन्तु इस दिन का जयपुर में टूर बनाकर कन्डक्टर तार एवं ट्रान्सफार्मरों की इन्सपेक्शन चेकिंग करना बताया है। जबकि उक्त सामान की इन्सपेक्शन 25-6-92 को हुई है। इस कार्यवाही में डिस्पेच नं. 1297 व 1298 दिनांक 6-6-92 फर्जी अंकित कर रखा है।

(10) यह कि श्री एस. पी. जिन्दल प्रबन्ध निदेशक निर्धारित क्वार्टर में न रह कर 6 महीने तक रेस्ट हाउस में रहे हैं और इन्होंने झूठा सर्टीफिकेट दिया है कि वह रेस्ट हाउस में रियायती दर पर नहीं रह रहे हैं जब कि वह रियायती दर पर रेस्ट हाउस में रह रहे थे। इस प्रकार 300 रुपये प्रतिमाह 6 माह तक जयपुर की दर से मकान भत्ता गलत उठाया है तथा इन्होंने मकान भत्ता का निर्धारित प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया है तथा बिना स्वीकृति के मकान भत्ता उठा रहे हैं।

(11) श्री एस. पी. जिन्दल/प्रबन्ध निदेशक महीने में केवल 5 से 10 दिन तक ही कोटपूतली में उपस्थित रहे है बाकी के दिनों जयपुर में टूर बनाकर रहे हैं।

(12) इस समिति से कुछ फर्मों को

(श्री रामकरण सिंह)

ट्रान्सफार्मर रिपेयर के लिए भेजे गये थे किन्तु कई ट्रान्सफार्मर्स इन फर्मों से वापिस नहीं आये और समिति को लाखों रुपयों की क्षति हुई है किन्तु प्रबन्धक निदेशक ने इन ट्रान्सफार्मरों की वापसी की कार्यवाही नहीं की।

(13) समिति में कार्यरत लेखाकार श्री नरहरी शर्मा ने बिना लेखाधिकारी के आदेश की यात्रा की और प्रबन्ध निदेशक ने इसे बिना लेखाधिकारी की सहमति के सरकारी कामों पर भेजा है इसके विरुद्ध कई गम्भीर शिकायतें प्रबंध निदेशक के पास भेजी गई किन्तु इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(14) समिति में ट्रान्सफार्मर के घोटालों की जांच के लिए विशेष आडिट पार्टी सहकारी विभाग द्वारा बनाई गयी थी किन्तु इस संबंध में जांच कार्य बंद कर दिया गया। वह क्यों किया? किस कारण से बन्द किया? जांच करके दोषियों को दण्ड दिया जाये।

अतः श्री मान जी से निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही अविलम्बनीय कराने की कृपा करें। धन्यवाद,

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये। माननीय श्री गोपीराम जाट।

सीमावर्ती क्षेत्रों में सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों की अनियमितताएं

श्री गोपीराम जाट (आमेर): उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर की टोपों सीटों मे सेटलमेंट के कर्मचारियों द्वारा की जा रही खिलवाड़ की ओर राजस्व मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भू-प्रबन्ध विभाग में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपों सीटें रहती हैं। उक्त टोपों सीटों में सैनिक छावनी, एरोड्रम रास्ते, सड़कें, राडार, कारखाने, आबादी, नदी-नाले, नहरें, संचार के साधन, रेलवे लाइन, ब्रीज, विद्युत योजनायें व महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें दर्शाई हुई होती हैं। इन सबकी वास्तविक ऊंचाई, दूरी, कि मी. में मय डिग्री अंकित होती है। इन टोपों सीटों में भारतीय जन गणना विभाग एवं आयोजन विभाग आदि अपनी नई योजनायें बनाते हैं।

उक्त टोपों सीटों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की प्रतिबन्धित होती है। यह सीटें विभागों में विभागाध्यक्ष के पास डबल लॉक में एवं सेना में कर्नल रेंक के अधिकारी के पास रखें जाने का प्रावधान है।

मैं राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं:--

(1) कि ये टोपों सीटें भू-प्रबन्ध विभाग में अब कहां हैं और क्या यह सुरक्षित है? अब यह टापों सीटे किस अधिकारी की कस्टडी में हैं।

(2) क्या कभी इन सीटों को डबल

(श्री गोपीराम जाट)

लॉक से बाहर निकालकर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी मुख्यालय की निगरानी में इनकी सहायता से अन्य सीटों में रेल्वे लाइने आदि दर्शाने के भू-प्रबन्ध आयुक्त ने आदेश दिये थे और यह निर्देश दिये थे कि सीटें प्रतिदिन डबल लॉक से बाहर जायेगी और प्रतिदिन ही कार्य के पश्चात डबल लॉक में जमा करांई जावेगी। और यदि ऐसे आदेश दिये थे तो आदेश क्या थे? इन आदेशों की पालना किन-किन कर्मचारियों ने कार्य किया?

(3) क्या इन सीटों की कटिंग कर दी गई है? क्या इन सीटों की फोटो प्रतियाँ निकलवाई गई है और यह टोपों सीटें कितनी संख्या में भारतीय सर्वेक्षण विभाग से खरीदी गई है?

(4) जितनी सीटों को काटा गया है और फोटो प्रति करवाई है यदि नई खरीदी जाती तो कितना खर्चा आता और फोटो प्रति करवाने में कितना खर्च हुआ?

(5) क्या यह सीटें जयपुर से बाहर भी गई है और यदि हां, तो क्यों? इन सीटों को कौन लेकर गया, कोई अधिकारी या कर्मचारी?

(6) क्या राजस्व मंत्री महोदय ने इस लोक महत्व के प्रश्न पर किसी गुप्तचर एजेन्सी या राज्य सरकार की पुलिस एजेन्सी से जांच करवाई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं करवाई?

(7) क्या दिसम्बर, 91 में भू-प्रबन्ध आयुक्त ने इस सम्बन्ध में किसी भू-प्रबन्ध अधिकारी सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी से जांच करवाई थी? यदि हां, तो उस जांच की प्रति सदन के पटल पर रखी जाये।

(8) क्या यह प्रतिबन्धित टोपों सीटें डबल लॉक से बाहर रही, यदि हां, तो किसके पास रही और इन सीटों से उक्त बाहर रहे समय की अवधि में क्या कार्य भू-प्रबन्ध विभाग में मानचित्र शाखा के कर्मचारियों द्वारा किया गया? पूर्ण ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जावे।

(9) दिसम्बर 91 में जांच के आदेश भू-प्रबन्ध आयुक्त ने आदेश होने पर दिये अथवा किसी पुलिस एजेंन्सी पर लिखने पर या फिर किसी कर्मचारी द्वारा विभाग का ध्यान आकर्षित करने पर? यदि किसी कर्मचारी के ध्यान आकर्षित करने पर, तो वह कर्मचारी अब कहां कार्यरत है? बाहर कार्यरत है तो उसका स्थानान्तरण क्या पुरस्कार के रूप में किया गया?

(10) क्या इन सीटों की कटिंग भू-प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा की गई? यदि हां, तो क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग के विभागाध्यक्ष से इसकी स्वीकृति ली गई है? यदि हां, तो उक्त स्वीकृति को सदन के पटल पर रखें।

(11) क्या इन टोपों सीटों का भू-प्रबन्ध विभाग के मानचित्र शाखा के कर्मचारी एवं वह कर्मचारी जिनके पास यह सीटे

(श्री गोपीराम जाट)

रहीं, उनके द्वारा दुरुपयोग तो नहीं कर दिया गया ?

अतः इन लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय के सम्बन्ध में राजस्व मंत्री महोदय से आग्रह है कि आप उपरोक्त वर्णित प्रश्नों के उत्तर अतिशीघ्र दिलवाते हुए एक जांच समिति बनाकर जांच करवायें और राष्ट्र द्रोही व्यक्तियों को कठोर दण्ड दिलवाने की व्यवस्था करवायें।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री नन्दकिशोर शर्मा।

छबड़ा क्षेत्र में औसत से कम वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति

श्री नन्दकिशोर शर्मा (छबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया नियम 295 के तहत् छबड़ा क्षेत्र में औसत वर्षा से कम बरसात होने से उत्पन्न स्थिति के बाबत।

निवेदन है कि इस वर्ष राजस्थान में सब जगह वर्षा अच्छी हुई है पर कोटा संभाग में औसत से कम पानी बरसा है। उसमें भी जिले में छबड़ा में कम बरसात हुई है। केवल शाहबाद तहसील को छोड़कर बाकी सब जगह औसत से 1/2 के करीब बरसात हुई है।

उसमें भी छबड़ा, छीपा बड़ौद क्षेत्र में और भी कम पानी बरसा है। इस क्षेत्र की औसत बरसात 40 इंच है पर पानी इस वर्ष जनवरी से अब तक 20-21 इंच ही बरसा है। नदी-नाले सूखे पड़े हैं। वहां कुओं में कोई पानी नहीं चढ़ा है। कोई तालाब या बांध भी नहीं है। केवल कुओं और नदी नालों से डीजल पम्प या मोटर लगाकर खेतों में पानी दिया जाता है।

अभी मक्का, सोयाबीन की अच्छी फसल होने पर भी अब सूख रही है। फसल इस वर्ष खरीफ की बढ़िया थी पर पकना मुश्किल हो गया है। साथ ही नदी व कुओं में पानी शीघ्र ही टूट जावेगा। रहेगा ही नहीं तथा रबि की फसल होने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे इस वर्ष यह बात हास्यास्पद लगती है पर वास्तविकता है। यदि भगवान पानी बरसा देवे तो रबि के असिंचित क्षेत्र में ही बुवाई हो सकती है, अन्यथा नहीं। ऐसे में मेरी सरकार से मांग है कि उस गरीब पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्र में सर्वे करायें एवं जांच कराकर उचित सहायता प्रदान करें।

मेरा निवेदन है कि इस वर्ष पहली बार वहां पर यदि और बरसात नहीं हुई तो कई ग्रामों में पीने का पानी नहीं मिलेगा। इस वर्ष किसान पानी के बिना अफीम के पट्टे, जिनके लिए आपस में बहुत जोर लगा कर लेते हैं, उन्हें भी छोड़ देंगे इसलिए कोई सर्वे करा कर उचित जांच करा कर सहायता की व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतनाराम चौधरी।

रानीवाड़ा क्षेत्र की ढाणियों में पीने के पानी की व्यवस्था

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) :

(श्री रतनाराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सरकार की नीति के अनुसार ढाणियों में पानी पीने की व्यवस्था करने हेतु सरकार का ध्यान नियम 295 के अन्तर्गत दिलाने बाबत।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की निम्न ढाणियों की योजना विभाग द्वारा बनाई गयी थी परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक किसी प्रकार की पानी पहुंचाने की सुविधा नहीं की गई है जिससे ग्राम जनता तथा पशुओं को पानी पीने की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। यह ढाणियां निम्न हैं :-

(1) दातवाड़ा से या करवाड़ा से रुजारी को ढाणी हरदाराम विश्नोई की ढाणी तक।

(2) करवाड़ा से खावा विश्नोईयान की ढाणी तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था।

(3) कोटड़ा से छलका जाटों की ढाणी तक।

(4) करड़ा से या करवाड़ा से, कहीं से थली के डेरा तक पाइप लाइन बिछाकर, थली के डेरा तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था।

(5) धामसीन से खाखरीया की ढाणी तक। उपरोक्त ढाणियों में पानी पहुंचाने की मांग काफी समय से चली आ रही है। जलदाय विभाग ने वहां पर पानी की दिक्कत को महसूस किया है। इस बाबत हमने कई बार जलदाय विभाग, मंत्री महोदय को भी लिखा है। उन्होंने भी हमको आश्वासन जरूर दिया परन्तु अभी तक कार्य नहीं कराया गया है। कृपया जनहित को मद्दे-नजर रख कर उचित व्यवस्था कराने की कृपा करावें। क्योंकि पश्चिम राजस्थान में ज्यादातर बस्ती हमारी ढाणियों में बसी हुई हैं, और गांव हैं, बिल्कुल इने-गिने घर हैं और पश्चिम राजस्थान में ज्यादातर लोग अपनी ढाणियों में 20-20, 30-30 घरों की आबादी में एक जगह रहते हैं। वहां पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अविलम्ब यह व्यवस्था करके ढाणियों में पानी पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री राजेन्द्रजी गहलोत (अनुपस्थित)

माननीय श्री बुलाकीदासजी कल्ला।

गंगा राजकीय सादुल आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, बीकानेर में अनियमित नियुक्तियां

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत गंगा राजकीय सादुल आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, बीकानेर में हुई नियुक्तियों के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। अभी हाल ही में प्राचार्य, गंगा राजकीय सादुल संस्कृत कालेज, बीकानेर द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

साक्षात्कार लिये गये जिसमें पांच व्यक्तियों का चयन किया गया। उक्त पांच व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं :—कमलपुत्र श्री पूनम चन्द, उपमन्यु त्रिपाठी पुत्र श्री राजेन्द्र त्रिपाठी, मनोहर गोस्वामी पुत्र श्री अम्बिका दत्त शास्त्री, नौरंग लाल पुत्र श्री रामलाल मीणा, दानसिंह पुत्र श्री सत्तूदान। जो नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं उनमें नौरंगलाल, जिसका नाम नियुक्ति पत्र संख्या तीन पर अंकित है, की नियुक्ति विज्ञापन की शर्तों के अनुसार मूल निवासी प्रमाण पत्र के अभाव में कर दी गयी। नियुक्ति आदेश के संख्या तीन पर जो नियुक्ति की गयी है उसमें, उपाध्यक्ष महोदय, उम्मीदवार की जन्म तिथि गलत अंकित की गई है।

उक्त महाविद्यालय के प्राचार्य ने अपने सगे भाई उपमन्यु त्रिपाठी का चयन कर लिया। अपने भाई की नियुक्ति हेतु उन्होंने अपने भाई का राजस्थान का मूल निवासी का फर्जी प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त किया तथा उपमन्यु त्रिपाठी के दो स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, एक बलिया तथा दूसरा ज्ञान मन्दिर विद्यालय, बीकानेर का जो प्रस्तुत किया गया उन दोनों को देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि उपमन्यु त्रिपाठी पुत्र श्री राजेन्द्र त्रिपाठी बलिया के रहने वाले हैं, वे राजस्थान के मूल निवासी नहीं है। उक्त साक्षात्कार में अपने भाई को बलिया से बुलाकर गलत तरीके से राजस्थान के मूल निवासी का प्रमाण पत्र दिलाकर तथा स्वयं द्वारा साक्षात्कार में बैठकर अपने भाई का गैरकानूनी तरीके से चयन कर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है।

इस आपराधिक षडयन्त्र में मूल निवासी का प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों का भी योगदान रहा है। इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों ने जो उक्त साक्षात्कार में बैठे थे उन्होंने बीकानेर में पदेन जिलाधीश के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर एव पुलिस अधिकारियों के सामने जांच की मांग की परन्तु तत्सम्बन्धित रिकार्ड देखने के बावजूद भी अभी तक फर्जी प्रमाण पत्र देने वालों तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। उक्त साक्षात्कार में 25 के लगभग विधवा महिलाओं ने तथा अन्य अनेक युवा बेरोजगार राजस्थान के मूल निवासियों ने, जो अच्छी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं रखते थे, उनकी अनदेखी कर गंगा राजकीय सादुंल संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य ने नियमों को ताक में रखकर जो नियुक्तियां दी हैं, उसको लेकर सम्पूर्ण बीकानेर संभाग में रोष व्याप्त है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के समस्त शिकायत पत्र जाने के बाद भी कार्यवाही न होने से बीकानेर के नागरिक आन्दोलित एव उद्वेलित हैं। उक्त नियुक्तियां तत्काल निरस्त करने योग्य हैं। दोषी व्यक्तियों एवं गलत प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी एव कब तक इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी? अन्यथा यह माना जायेगा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहन दे रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भरोसी लाल (अनुपस्थित) माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह ।

राजस्थान के बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों का धरना

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 में विशेष उल्लेख के जरिये मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि पिछले चौदह महीनों से राजस्थान के बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक पहले सचिवालय के पीछे और अब विधान सभा के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले दो महीने पहले संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद चौधरी का दिनांक 2 जून, 1992 से 13 जून 1992 को 12 दिनों का चला आ रहा आमरण अनशन स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने इस आश्वासन के साथ तुड़वाया था कि स्थानीय निकाय में कोई 200 स्वास्थ्य निरीक्षकों को नौकरी दो माह में दे दी जायेगी तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी शीघ्र स्वास्थ्य निरीक्षकों के 864 पद भरवाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार इससे पूर्व भी दिनांक 20 मार्च, 1991 से 28 मार्च, 1991 का 8 दिन तक चला। श्री चौधरी का आमरण अनशन मुख्य मन्त्री श्री भैरोंसिंह शेखावत ने यह आश्वासन देते हुए तुड़ाया था कि एक माह में स्वास्थ्य निरीक्षक के रिक्त पद व नये पद सृजित करके उन्हें भर दिया जायेगा। आमरण अनशन तुड़वाते समय कांग्रेस विधायक राजेन्द्र पारीक व जनता दल (दिग्विजय) के विधायक व उप सचेतक श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ भी साथ में मौजूद थे परन्तु चौदह महीने बीत गये, हुआ कुछ भी नहीं।

इसी प्रकार यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर 20 फरवरी, 1991 को सचिवालय पर प्रदर्शन किया था और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सचिव श्री अरुणकुमार जी को एक ज्ञापन दिया था। मार्च, 1991 को राजस्थान विधान सभा पर रैली निकाल कर प्रदर्शन किया परन्तु 6 माह बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं करने के विरोध में यूनियन के द्वारा 2 अगस्त, 91 से सचिवालय के पिछले द्वार पर धरना व 28 अगस्त, 91 से क्रमिक अनशन आज तक जारी है। राजस्थान विधान सभा में सन् नवम्बर, 1991 में विधायक श्रीमती रमा पायलट ने इस सम्बन्ध का प्रश्न उठाया तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री ललित किशोरजी चतुर्वेदी ने बताया था कि बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों की बेरोजगारी को देखते हुए इनको शीघ्र ही नियुक्ति दी जायेगी। इसी सम्बन्ध में पुनः 8 अप्रेल, 92 को कांग्रेस विधायक श्री रामस्वरूप मीणा विधान सभा में ही धरने पर बैठे जिसे विधान सभा अध्यक्ष ने यह कहकर कि बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों को सरकार रोजगार देने पर विचार कर रही है, इस आश्वासन के साथ उठा दिया था।

पिछले विधान सभा सत्र में पुनः श्रीमती तारा भण्डारी ने प्रश्न उठाया तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री ने बताया कि बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों को शिक्षकों की नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायगी तथा शिक्षा विभाग में स्कूलों में स्वास्थ्य निरी-

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

क्षकों की नियुक्ति की जायेगी परन्तु आज तक बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों को कहीं भी रोजगार नहीं दिया गया है।

माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी, आप यही पढ़ रहे हैं या और कुछ पढ़ रहे है। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यही है जी, यही है।

श्री सुमित्रा सिंह : दो मार्च, 1992 को बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष श्री जगदीशप्रसाद चौधरी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल डा एम. चेन्ना रेड्डी जी से मिले जिसमें महामहिम राज्यपाल ने भी बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षकों को आश्वासन दिया कि आपकी मांगें वाजिब है, इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से वार्ता करके शीघ्र ही आपको नियुक्ति दिलाई जायगी। राजस्थान में 2900 छात्र छात्राएं स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा तथा 3000 एल. एस. जी. डी. की ट्रेनिंग प्राप्त बेरोजगार है। जबकि 157 छात्र तो अपनी आयु सीमा पार कर गये हैं।

श्री महावीर प्रसाद चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शब्द अधिक हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह धीमे बोल रही है, 500 ही होंगे शब्द।

श्रीमती सुमित्रासिंह : क्या फरमाया ?

श्री उपाध्यक्ष : कुछ नहीं कह रहा, आप पढ़िये। यह कह रहे हैं कि अधिक शब्द बोल रही हैं। मैंने कहा, अधिक नहीं बोल रही हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं अनधिकृत बोल रही हूं तो करेक्ट कर देंगे, आपके चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हुए हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने कहा 200 से ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं मैं गिन कर लायी हूं, 500 ही शब्द हैं। गिन कर लायी हूं, और आप गिन लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कुछ बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक रोजगार न मिलने के कारण निराश होकर अन्य कार्य कर रहे हैं। जैसे बेलदारी, सब्जी का ठेला चलाना, चाय की थड़ी लगाना, फूलमाला बेचना और कुछ तो रिक्शा चलाकर अपना व अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं।

फिर महावीर प्रसादजी, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य कहेंगे कि कौन चलाता है रिक्शा, तो मैं कहती हूं भगवती प्रसाद चौधरी रिक्शा चला कर अपना पेट पाल रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बहुत अच्छा, बिराजो। बहुतब-हुत धन्यवाद। वैसे तो आप हमेशा व्यवधान करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : हर बात के लिये सवाल जवाब करना, महावीरजी, कोई जरूरी थोड़े ही है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन इस बात के लिये आपको धन्यवाद, आपके व्यवधान के लिए भी धन्यवाद, आप मदद करते हैं उसके लिये भी धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य विधान सभा में बजट सत्र के दौरान श्री रामनारायण वर्मा के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया था कि राज्य में स्वास्थ्य निरीक्षकों के 1343 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 643 ही भरे हुए हैं। खाली पड़े 770 पदों को अभी तक सरकार भर नहीं पायी है। सरकार का कहना था कि नियुक्ति के लिये एक्सपर्ट कमेटी गठित करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं। मैं पूछना चाहती हू कि आखिर सरकार को निर्णय तक पहुचने में कितना समय और लगेगा? इस प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 864 पद स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पड़े हुए हैं।

इन निरीक्षकों का जबकि बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने 1989 में ही शासन सचिव को लिखा था कि स्वास्थ्य निरीक्षक अकाल में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम तथा खाने-पीने की वस्तुओं के रख रखाव में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने 1989 में 150, 1991-92 में 50 और, 1992 में 40 स्वास्थ्य निरीक्षक के पदों को भरे जाने के लिए स्वीकृति राज्य सरकार के वित्त विभाग के पास भिजवायी थी। वित्त विभाग ने मितव्ययता वर्ष 1989-90 में भी चिकित्सा निदेशालय में शिक्षकों और डाक्टरों के साथ-साथ स्वास्थ्य निरीक्षकों की भर्ती में भी पाबन्दी में ढील दिये जाने के आदेश निकाले।

निदेशालय के अधिकारियों तथा स्वयं विशिष्ट शासन सचिव ने बार-बार स्वास्थ्य निरीक्षकों के रिक्त पद भरे जाने की स्वीकृति के लिए लिखा। मुख्य मन्त्री तक ने एक माह में सभी पदों को भरे जाने का आश्वासन दिया। स्थानीय निकाय विभाग ने सन् 1984 व 1990 जनवरी में विभिन्न कैडर के 1113 पदों को भरे जाने हेतु आवेदन पत्र मय 10 रुपये के पोस्टल आर्डर के मांगे थे जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों ने आवेदन किया और राज्य सरकार ने 7 लाख रुपये इस माध्यम से बेरोजगार युवकों से इकट्ठे किये। परन्तु आज तक साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया।

राजस्थान की नगरीय आबादी के हिसाब के 509 स्वास्थ्य निरीक्षक होने चाहिए परन्तु विभाग में 160 स्वास्थ्य निरीक्षक ही कार्यरत हैं। जबकि 349 पद स्वास्थ्य निरीक्षक के अभी तक रिक्त हैं और विभिन्न श्रेणी के अस्पतालों में भी स्वास्थ्य निरीक्षकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं।

आशा है स्वास्थ्य निरीक्षकों के इन रिक्त पदों को भरने की शीघ्रातिशीघ्र

(श्रीमती सुमित्रासिंह)

कार्यवाही करेगी सरकार, ताकि इन बेरोजगार स्वास्थ्य निरीक्षक प्रशिक्षितों का धरना खत्म हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिशचन्द्र कुमावत।

श्री केदारनाथ : मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता हूं। इतना सुन्दर और उसमें इतना ऊंचा उन्होंने मोरल रखा। किस ढंग से इन्होंने लड़ाई लड़ी है और पिलानी से आने वाली माननीय सदस्या ने बड़े डिटेल में किस-किस वक्त कितनी वेकेंसीज, क्या-क्या एश्योरेंस हाउस के अन्दर और बाहर दिये गये, यह मैं समझता हूं माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को जवाब देना ही चाहिए। और हमें तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए कि इतनी हिम्मत लड़कों, नौजवानों में और लड़ाई लड़ने का जो मोरल रखा, हम सबको उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए और माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी इस पर कुछ तो बोलिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : सरकार की अकर्मण्यता और शिथिलता का इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या मैं कम्पेल तो कर नहीं सकता।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। चिकित्सा मन्त्रीजी बैठे हुए हैं, पांच बार यह विधान सभा में प्रश्न किया गया...

श्री उपाध्यक्ष : आपका सवाल आया, कोई विचार करेंगे। कोई यहां जवाब देना आवश्यक नहीं है।

श्रीमती सुमित्रासिंह : लेकिन जब वह यहां पर विराजमान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह जवाब देना अगर वह उचित समझते तो दे देते। अब मैं उनको कम्पेल नहीं कर सकता। आपने पढ़ लिया और इस समस्या का का समाधान करेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप खुद ही आगे होकर जब कहेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो कह रहा हूं समस्या का समाधान करेंगे।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप खुद ही आगे होकर कहने लग जाते हैं कि आवश्यक नहीं है तो क्यों खड़े होंगे वह ? फिर क्यों जवाब देंगे वह।

श्री उपाध्यक्ष : ना, ना। मैंने आपको पुकारा है, मैंने आपको पूछा है ?

श्रीमती सुमित्रासिंह : आसन का काम यह तो नहीं है। आसन का यह काम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपको पुकारा है, मैंने आपको पूछा है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आसन का यह काम नहीं है। आसन का काम यह है कि...

श्री उपाध्यक्ष : आसन का काम यह कि मैंने माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी को पुकारा है और पूछा है कि क्या आप बोलना चाहेंगे ? आपने कहा नहीं बोलना चाह रहे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : बोलना चाहने का प्रश्न नहीं है। आपको यह पूछना चाहिए था कि माननीय चिकित्सा मन्त्रीजी बहुत गंभीर मसला है....

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार की परम्परा बना देंगे तो ऐसा भी कर दिया जायेगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप कुछ तो फरमायें, यह कहना चाहिए था आपको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कुमावत साहब।

नावां क्षेत्र में सेटलमेंट में की गयी गम्भीर अनियमितताएं

श्री हरिशचन्द्र कुमावत (नावां) : उपाध्यक्ष महोदय, नावां तहसील क्षेत्र में सेटलमेंट में की गई गंभीर अनियमितताओं के निराकरण के सम्बन्ध में नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव निम्न प्रकार है।

महोदय, नावां तहसील क्षेत्र में हुए भू-प्रबन्ध में भारी अनियमितताएं मनमर्जी के अनुसार की जाकर कृषकों को भारी परेशानी में डाल दिया गया है। गत महीनों में चलाये गये समस्या समाधान शिविरों के वक्त कई पीड़ित लोगों ने जगह-जगह इस आशय की शिकायतें की हैं। अभियान के दौरान माननीय राजस्व मन्त्री नावां क्षेत्र में प्रवास पर गये थे उन्हें भी इस सम्बन्ध में ज्ञापन दिया गया था, उन्होंने निराकरण के लिए आश्वस्त भी किया। कई रास्ते कटानी में थे, मौके पर हैं परन्तु सेटलमेंट रेकार्ड से नहीं दर्शाये गये बल्कि जहां रास्ते नहीं थे वहां रास्ते रेकार्ड में बताये गये हैं। अलग कब्जा काश्त होते हुए भी वह पहले से रेकार्ड में अलग-अलग कृषि भूमि तरकीम होते हुए भी उनके खाते संयुक्त दर्ज कर अनावश्यक पेचदगी बढ़ाई है। कुचामन सिटी के पुराने खसरा नं. 83, 270, एवं 19 इसके स्पष्ट प्रमाण हैं।

इसी तरह की अनियमितताएं पूरे तहसील क्षेत्र में की हैं। कई स्थानों पर सरकारी भूमि का रकबा कम कर निजी तौर पर खातेदारी दे दी गई है। गोचर भूमि की किस्म बदल दी गई है एवं रकबा कम किया गया है। पांचवा, मांगलोदी, परवाडी, गांधीनगर, राजास, खाखड़की, गुठासाट आदि क्षेत्रों में विशेषकर ऐसा किया गया है। किस्म भूमि गलत तरीके से वर्गीकरण किया गया है व गलत लगान कायम किया गया है। जिन सरकारी सिवाय चक भूमि में आवंटन हुआ उन पर कब्जा न होते हुए भी उनका स्थान बदल कर भूमि को महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे अथवा आबादी के नजदीक नक्शों में दर्शाया गया है जो काबिले काश्त भी नहीं हुई है, उनकी मौके पर कोई सीमाएं नहीं होते हुए भी दर्ज कर दी गई है।

(श्री हरीशचन्द्र कुमावत)

इसी प्रकार की अनेक अनियमितताएं हैं भू-प्रबन्ध के दौरान ऐसी अनियमितताओं की दुरूस्ती हेतु तहसील देवली टोंक की भांति जिला नागौर में भी जिला कलक्टर के माध्यम से विशेष अभियान चलाकर गरीब, अनपढ़ काश्तकारों को राहत प्रदान कराई जावे। इसी प्रकार संभवतः वर्ष 1985-86 में तहसील बिराट नगर जिला जयपुर में भी इसी तरह की भू-प्रबन्ध की अनियमितताओं को निराकरण हेतु तहसीलदार को ही सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के अधिकार देते हुए विशेष अभियान चलाया था जो कि अत्यंत सराहनीय, सफल रहा। ऐसा अभियान नावां तहसील में भी कलक्टर के माध्यम से चलाया जावे।

नावां तहसील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं उजागर हो चुकी है। हजारों की संख्या में वाद दायर हो चुके हैं। इन गरीब व अनपढ़, कमजोर लोगों को छुटकारा दिलाने हेतु पुनः अधिसूचना जारी करवा कर उजर बारिया सुनी जावे व यहां विशेष अभियान चलाकर इन्हें राहत पहुंचाई जाये। ताकि लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा की आस्था इन गरीब अभागे लोगों के मनों में कायम रह सके। अत: इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर उत्पन्न पीड़ा को मिटाने का अनुरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय महावीर प्रसाद जैन।

श्री जुबेर खां : सरकार में बैठे हैं, आपको क्या जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रारम्भ कीजिए। व्यवस्था के अनुसार सबको ही आवश्यकता है।

श्री जुबेर खां : आप तो सरकार में बैठे हैं।

टोंक के बस स्टेण्ड की दुर्दशा एवं अन्यत्र स्थापना

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे जिले के मंत्रीजी का ध्यान... जो-जो हैं (व्यवधान) गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : आपको भी ध्यान दिलाने के लिए बोलना पड़ता है यहां।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां। मैं तो समझता था आप वैसे ही समझते होंगे।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत टोंक शहर के बस स्टेण्ड की दुर्दशा एवं इसको अन्यत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में औचित्य के सवाल पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की 1 अक्टूबर, 1964 को यात्रियों की स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण करने प्रशासनिक

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

व्यवस्था से कार्य कलापों पर प्रभावी नियन्त्रण और विशेष ध्यान देने की दृष्टि से किया गया था एवं सड़क मार्गों का शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर निजी वाहनों पर रोक लगाई गई। दिन प्रतिदिन मार्गों की संख्या भी बढ़ रही है और वाहनों की संख्या भी बढ़ रही है एवं यात्रियों का भार भी बढ़ रहा है।

टौंक जिला मुख्यालय पर इस दृष्टि से यात्रियों की सुविधा के लिए किसी प्रकार का विभाग ने इंतजाम नहीं किया है। यातायात मंत्री सौभाग्य से टौंक जिले के ही हैं। टौंक जिले के नागरिक यह अपेक्षा कर रहे थे कि अब जिला मुख्यालय पर शीघ्र ही सुविधायुक्त बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा किन्तु मुझे यह कहते हुए दुख है कि आज तक भी यह व्यवस्था नहीं हो सकी है।

राज्य में सभी जिला मुख्यालयों एवं छोटी-छोटी जगहों पर परिवहन विभाग का सुविधायुक्त बस स्टेण्ड है। वर्तमान में भी कई बस स्टेण्डों का निर्माण एवं रख-रखाव का कार्य चल रहा है किन्तु टौंक मुख्यालय पर यह कार्य नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपयुक्त बस स्टेण्ड के अभाव में यात्रियों को अपमानित होना पड़ता है। सामान खो जाता है, या आवारा पशु सामान को उठा ले जाते हैं। यात्रियों का जो हक है, वह उन्हें मुख्यालय पर उपलब्ध नहीं है जैसे ब्लॉक रूप, आरक्षण की सुविधा, सामायिक अनुबन्ध सेवायें, पोर्टर सुविधा यात्रियों की खोई हुई सम्पत्ति की सुरक्षा आदि आदि। यहाँ तक कि टिकिट लेने के लिए भी और यात्रियों को बैठने के लिए भी प्रारम्भिक सुविधाएं नहीं है। जहाँ देश और प्रदेश आगे बढ़ रहा है वहाँ टौंक के प्रति यह उपेक्षा का भाव निन्दनीय है।

मैं उपेक्षा करता हूं कि यातायात मंत्रीजी इस पर तत्काल कार्यवाही शुरू करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : हाँ, कहिये यातायात मंत्रीजी।

श्री दिग्विजय सिंह (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने टौंक में बस स्टेण्ट नहीं होने की चिन्ता व्यक्त की है मैं भी उनसे सहमत हूं। पर वहां पर इस वक्त हमको कोई जमीन उपलब्ध नहीं हो रही। मैं आशा करता हूं कि माननीय विधायक महोदय भी हमको सहयोग करेंगे और भूमि उपलब्ध करवा देंगे तो निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर टौंक के अन्दर बस स्टेण्ड का निर्माण करवा दिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें भूमि उपलब्ध कराने का सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आकाश में बस स्टैण्ड बन जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार के पास भूमि है, आकाश में नहीं बनता है। ऐसी कोई जगह नहीं है। यह निगम का दायित्व है और इसके अलावा कृषि विभाग

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

की जमीन है, पूर्व में आप कृषि विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं और वैसे कैबीनेट की की संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठकर बात कर लीजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं तो, मेरा तो तन मन धन से सम्पूर्ण रूप से पूरा सहयोग है। अब उसमें केवल यह है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करें और सद्भावना बनाये रखे जैसे उनियारा के प्रति रखी है उसी प्रकार से टौंक में रखे।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरी सद्भावना आपके प्रति और टौंक जिले के लिये ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री श्रीचन्द कृपलानी।... (व्यवधान). अब क्या रह गया। देयर इज नो एण्ड. 295 के अन्तर्गत उठा लिया, अब कितनी वार्ता करेंगे।

चित्तौड़गढ़ जिले में बाढ़ से उत्पन्न समस्या

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम प्रक्रिया 295 के तहत मैं चित्तौड़ जिले में आयी बाढ़ से उत्पन्न हुई समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 27 जुलाई को चित्तौड़ जिले में विशेषकर निम्बाहेड़ा में 10 घण्टे में 18 इन्च वर्षा हुयी तथा अचानक आयी बाढ़ के प्रकोप से चित्तौड़ जिले में सभी क्षेत्र शहरी व ग्रामीण इलाके क्षतिग्रस्त हो गये तथा जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक सहायता दी गयी लेकिन वह ऊट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति थी। बाढ़ से हुये नुकसानों से सैकड़ो मकान गिर गये व क्षतिग्रस्त हो गये। हजारों बीघा जमीन की फसलें नष्ट होने के साथ-साथ तीन-तीन फीट जमीन की मिट्टी बह गयी तथा जमीनें खराब हो गयीं किन्तु इसका मुआवजा सरकार ने अभी तक दिया नहीं है।

नुकसान निम्न प्रकार है जो विभागों ने मुआवजा सरकार से मांगा है :—

(1) सिंचाई विभाग ने 73.00 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे है इसमें मुख्य नुकसान गम्भीरी बांध व मुरलिया बांध क्षतिग्रस्त हुआ इनकी मरम्मत करवाना अति आवश्यक है।

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों व पुलियाओं को काफी नुकसान हुआ है उनकी मरम्मत के लिये 1 करोड़ 23 लाख रुपये की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करवाई जावे।

(3) नगरपालिका निम्बाहेड़ा क्षेत्र में 8 लाख 35 हजार का नुकसान हुआ है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का 75 हजार रुपये का नुकसान हुआ है व कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं।

इस तरह क्षेत्र में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है तथा सभी का सर्वे करवा कर मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राहत शीघ्र से शीघ्र पहुंचाने की

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

व्यवस्था की जावे ।

माननीय बाढ़ राहत मंत्रीजी यहां पर बिराज रहे हैं। मैंने आपसे भी काफी निवेदन किया लेकिन दो महीने होने के बावजूद कुछ भी कार्यवाही नहीं हुयी। थोड़ी आप व्यवस्था करिये तो काफी मेहरबानी होगी क्योंकि हालत बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मेघवालजी।

श्री कैलाश मेघवाल (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल भी एक ध्यान आकर्षण के जवाब में निवेदन किया था कि इस बार कुछ साधारण वर्षा सारे राजस्थान में हुयी है उससे नहरों के, बांधों के टूटने से और क्षतिग्रस्त होने से बहुत व्यापक स्तर पर नुकसान हुआ है। सामान्य बजट प्रावधान हैं उससे पूरा करना नहीं होगा जो वर्तमान बजट प्रावधान है उसके आधार पर नहरों की मरम्मत के और जगह-जगह आदेश दे दिये गये हैं लेकिन मैं मानता हूं कि वह कम है। इसलिये विशेष प्रावधान करनें की व्यवस्था की जा रही है और मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली फसल में पानी की आवश्यकता के पहले-पहले हम यह कोशिश करेंगे कि नहरें ठीक होकर के और कृषक को पानी मिल सके।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मकानों का नुकसान हुआ है।

श्री कैलाश मेघवाल : मकानों का तो सारा सर्वे होकर के....

श्री श्रीचन्द कृपलानी : इसके अलावा चित्तौड़ शहर के अन्दर कम से कम....

श्री कैलाश मेघवाल : शहर वाली बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलग है। दो तरह की स्थिति है। एक तो शहर में बाढ़ आ जाये जिसमें बड़े, बड़े व्यापारियों की दुकानें फ्लड से नुकसान होता है उसके लिये बीमा होता है दूसरा भी होता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर अतिवृष्टि से या बाढ़ से किसी तरह की कोई क्षति होती है, मकान गिरे है, उनको अगर मुआवजा नहीं मिला है तो मैं माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि वह मुझे सूचना उपलब्ध करवा दें मैं जिला कलक्टर को आज ही इस बात के निर्देश देउंगा कि सबको मुआवजा दे दिया जाये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी केवल मीठे-मीठे जवाब और आश्वासन देंगे या कुछ करेंगे भी।

श्री उपाध्यक्ष : आश्वासन के ऊपर आश्वासन कमेटी भी है उस पर कार्यवाही भी होती है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : गम्भीरी बांध की हालत तो बहुत गम्भीर है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपलानी जी हो चुका है। आप बिराजिये। माननीय चम्पालालजी।

डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति

श्री चम्पालाल बांठिया (पचपदरा) : मान्यवर उपाध्यक्षजी, मैं चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत चल रहे डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के बन्द हो जाने से उत्पन्न विशेष स्थिति पर विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। वर्तमान सरकार के प्रदेश में सत्ता में आने के पश्चात् निःसन्देह गांवों तक चिकित्सा सेवाओं का विस्तार हुआ है लेकिन दवाईयों की दुकानें वहां नहीं खुलने से ग्रामीण क्षेत्र में रोगियों को भयंकर परेशानी हो रही है। दवाई की दुकान अब चूंकि फार्मेसी में डिप्लोमाधारी ही खोल सकता है और प्रदेश में कुछ ऐसी संस्थायें जो डिप्लोमा का कोर्स चलाती है भयकर लूट कर रहे हैं और हजारों का डोनेशन लेकर घर बैठे कोर्स करवा कर परीक्षा पास करवा रहे हैं। दूसरी ओर राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के अन्तर्गत चलने वाला डिप्लोमा-फार्मेसी कोर्स की मान्यता फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा इस कारण रद्द कर दी गयी है कि इस कोर्स का प्रभारी अधिकारी जो विभागाध्यक्ष है निर्धारित योग्यता नहीं रखता है।

फार्मेसी कौंसिल आफ इण्डिया ने डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के मापदण्ड एज्युकेशन रेग्युलेशन बना रखे हैं जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है। यह मापदण्ड समस्त भारत में समान रूप से प्रभावी है। एवं डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता इन एज्युकेशन रेग्युलेशन के पूर्ण पालना पर ही दी जाती है।

एज्युकेशन रेग्युलेशन में स्पष्ट प्रावधान है कि डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स चलाने वाली संस्था अथवा विद्यालय को निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक नियुक्त करने होंगे। विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी सिर्फ वही अध्यापक हो सकता है जो फार्मेसी में बेसिक डिग्री अर्थात बी. फार्मा के साथ स्नातकोत्तर योग्यता रखता हो। इसके विपरीत विभाग में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध होते हुये भी कुछ वर्षो से विभाग के उच्च अधिकारियों की मेहरबानी से एक ऐसा व्यक्ति विभागाध्यक्ष बनाया गया जो फार्मेसी में डिग्री तो दूर डिप्लोमा भी पास किया हुआ नही था।

ऐसे व्यक्ति के हाथों से जो दुर्गति विभाग की हुयी है उसकी परिणति अन्ततः फार्मेसी कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता रद्द करने से हुयी जिससे सैकड़ों गरीब और विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। जो निजी विद्यालयों में हजारों रुपये की फीस और अनुदान व ऊपर की रकम देने की सामर्थ्य नहीं रखते लेकिन उक्त विभागाध्यक्ष, चिकित्सा निदेशालय के अधिकारियों की मिली भगत से ऐसा करने पर विवश कर दिये गये हैं ताकि निजी शिक्षण संस्थाओं को लाभ पहुंचता रहे। यह स्थिति फार्मेसी कौंसिल के बार-बार प्रतिवेदन में चेताने के पश्चात् उत्पन्न हुई है।

प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के साथ अधिक दुकानों की आवश्यकता है और पुराने दुकानदारों को अपना औषध

(श्री चम्पालाल बांठिया)

विक्रय का धन्धा जारी रखने की भी आवश्यकता है। विभाग के डिप्लोमा कोर्स में कुछ स्थान सुरक्षित ऐसे केमिस्टों के लिये थे उन्हें भी संकट उत्पन्न हो गया है।

मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्थिति में हस्तक्षेप कर पुनः उपलब्ध योग्य विभागाध्यक्ष को नियुक्ति देकर डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स प्रारम्भ करावें ताकि बढ़ती हुयी अधिक दुकानों एवं विशेष कर ग्रामीण क्षेत्र की मांगों को पूरा किया जा सके।

मान्यवर उपाध्यक्षजी, प्रदेश में, कस्बों और गांवों में चिकित्सा सेवाओं का बहुत विस्तार हुआ है. अनेक स्थानों पर चिकित्सालय क्रमोन्नत हुये है। तो इससे निश्चित रूप से जो बीमारियां है उनके लिये दवाइयों की दुकानों की आवश्यकता है। डिप्लोमाधारी ही दुकान चला सकते हैं और दूसरी तरफ वे जो लोग शहरों में बैठे हैं वे अपने नाम का दुरुपयोग करके दूरस्थ स्थानों पर दुकानें खोलते हैं और वहां पर जो डिप्लोमाधारी लोग नहीं है और ऐसी दुकानें चलाई जा रही है और जो अपना कोर्स था जो विभाग चला रहा था वह किस कारण से बन्द हो गया ...

श्री उपाध्यक्ष : आपने इसमें क्या पढ़ा था।

श्री चम्पालाल बांठिया : पढ़ लिया था। निवेदन आप सुन लीजिये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अगर वापस शुरू हो जायेगा तो उसमें कुछ लोगों का भला हो जायेगा। ग्रामीणों की जो लोग लूट कर रहे हैं, अलग-अलग डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं, पैसा ले लेते हैं और घर बैठे ही उनको बाद में परीक्षा दिलाकर उनको पास कर देते हैं।....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्ययन करके निश्चित रूप से कदम उठाये जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गोपाल सिंह (आहौर)

नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र के प्रारम्भ में विलम्ब

श्री गोपालसिंह (आहौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। पुरुष/महिला जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण सत्र तो अक्टूबर, 1991 में प्रारम्भ हो जाना चाहिए था, के 11 माह पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के बारे में। महोदय, निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर के द्वारा संचालित पुरुष/महिला जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण जो पिछले वर्ष अक्टूबर 1991 को प्रारम्भ हो जाना चाहिए था, आज 11 माह पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं हो सका है, इसके कारण जहां प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ की पहले से चली आ रही कमी में और बढ़ोतरी हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वहीं इससे प्रशिक्षणार्थियों में भी काफी रोष व्याप्त है।

इस बाबत मैंने सत्र में भी नियम 50

(श्री गोपालसिंह)

के तहत माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया था पर न तो उसका कोई जबाव ही आया और न ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। इसलिए मैं इस बार पुनः माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रत्येक पुरुष/महिला जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त आवेदनकर्ताओं से आवेदन-पत्र आमन्त्रित करने हेतु उपरोक्त विभाग ने क्रमांक प्रशि./ज.न./91/1165 दिनांक 16-8-91 के द्वारा एक विज्ञप्ति अखबारों में प्रकाशित की और उसमें योग्य पुरुष/महिला अभ्यार्थियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन-पत्र मांगे। उक्त विज्ञप्ति में राजस्थान के 15 प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची थी और वहां पर उपलब्ध पदों का विवरण महिला और पुरुष अलग-अलग रूप से अंकित था। उसके अनुसार 15-9-91 की सायंकाल पांच बजे तक आवेदन-पत्र भरकर प्रस्तुत करने थे।

उपरोक्त विज्ञप्ति के अनुसार हजारों अभ्यार्थियों ने आवेदन-पत्र भरकर सम्बन्धित केन्द्रों पर प्रस्तुत कर दिये। प्राप्त आवेदन पत्रों में से मैरिट क्रमानुसार चार केन्द्रों पर योग्यता सूची अक्टूबर में लगा दी गई, बाकी की सूची नहीं लगाई गई। बाद में जानकारी करने पर मालूम हुआ कि प्रशिक्षण सूची वाले नाम भी निरस्त कर दिये गये हैं और जो प्रशिक्षण अक्टूबर, 1991 से शुरू हो जाना चाहिये था, आज 11 माह बीत जाने पर भी शुरू नहीं हो सका है। अक्टूबर, 1992 में तो दूसरा सत्र शुरू हो जाना चाहिए था पर अभी अक्टूबर, 1991 का सत्र भी शुरू नहीं हो सका है।

इस बाबत अभ्यार्थियों ने बराबर मंत्री महोदय/मुख्यमंत्री महोदय/निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व अन्य अधिकारियों को मांग पत्र भेजे पर किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही नहीं राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ जयपुर ने अगस्त, 92 में भरतपुर के एक प्रशिक्षणार्थी श्री रामप्रसाद शर्मा की याचिका पर सरकार एवं चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग को आदेश दिये हैं कि वह वर्ष 1990-91 के लिए जनरल नर्सिंग कोर्स में आमंत्रित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण बराबर जारी रखे व इसे बन्द नहीं करे। इसके बावजूद राज्य सरकार सोयी पड़ी है और उच्च न्यायालय की अवमानना कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा पिछले सत्र में स्थगन प्रस्ताव देने, अनेक अभ्यार्थियों के बार-बार मुख्यमन्त्री व चिकित्सा-मंत्री महोदय से मिलने और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को निर्देश देने के बावजूद यह सरकार जो अपने को ग्रामीण क्षेत्र की सरकार कहती है और वह दावा करती है कि उसके बजट का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सेवाओं की पूर्ण उपेक्षा कर रही है और एक तरफ तो नर्सिंग स्टाफ की कमी का बहाना

(श्री गोपाल सिंह)

बनाकर नर्सिंग स्टाफ की भर्ती नहीं कर रही दूसरी ओर इस हेतु दिये जा रहे प्रशिक्षण को बन्द करने पर तुली हुई है। यदि पिछले वर्ष यह प्रशिक्षण दिया गया होता तो 900 की तादाद में नर्सिंग स्टाफ ट्रेण्ड हो जाता।

अतः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री महोदय व इस पवित्र सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स को तुरन्त शुरू करवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय श्री मोहलाल चौहान।

तहसील परबतसर जिला नागौर में अपूर्ण बांधों का निर्माण

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। तहसील परबतसर जिला नागौर में अकाल राहत के अन्तर्गत सन् 1985-86, 86-87, 87-88 व 92-93 में पीपोलाई बांध गोगवा, डोबालाई बांध परबतसर, खारिया बांध परबतसर, भूरावाला बांध पीपलाद, कंवलाद बांध, रावड़िया बांध, खारिवाली मकरी रघुनाथपुरा बांध, नाड़ातोड़ा बांधी पीलवा, कालेटड़ा बांध पीलवि कड़वा बांध, खोखिरिया बांध रोहन्दी बांधी, सांचोर बांध, गुलर बांध, व वाजोली बांध आदि का निर्माण कराया गया था, इन बांधों का कार्य केवल मिटटी में ही करवाये गये थे। कई बांधों का पीचिंग कार्य भी नहीं हुआ है। जिससे वर्षा के समय इन बांधों के टूटने की पूर्ण सम्भावना है।

बांध टूटने से काश्तकारों के खेतो व आबादी भूमि को भी नुकसान हो सकता है। इस वर्ष जुलाई, अगस्त में अतिवृष्टि के कारण कंवालद बांध नाड़ातोड़ा बांध पीलबा का कंवाद बांध आदि के टूट जाने से काश्तकारों के खेतों व कुओं की भूमि को भारी नुकसान हुआ है, बालू मिट्टी ऊपर फिर गई है, खेतों की व कुओं की भूमि खराब हो गई है। रावडियाद बांध गत वर्ष टूट गया था जो अपूर्ण पड़ा है। मड़सिया बांध की चादर नीची होने से पानी बहुत कम ठहरता है इसकी चादर ओवर पूलों होने से काश्तकारों के खेती को भारी नुकसान हुआ है।

बांधों के टूटने से सरकार की लाखों रुपये की धनराशि का दुरुपयोग हुआ है। अगर इन बांधों का कार्य पक्का नहीं करवाया गया तो मिट्टी के बांध टूट कर ही बह जाएंगे। सरकार की धनराशि का दुरुपयोग होगा। इन बांधों से कुओं का जलस्तर ऊंचा उठता है। यह बांध काफी लाभकारी है। इसलिये जनहित में इन बांधों का पक्का निर्माण करवाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय सिंचाई मंत्रीजी से मांग करता हूं कि इन अपूर्ण बांधों का पक्का निर्माण

(श्री मोहनलाल चौहान)

कार्य मरू विकास योजना के अन्तर्गत करवाया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये ।

श्री कैलाश मेघवाल (सिंचाई मन्त्री) : माननीय विधायक मुझसे इस बारे में पहले भी मिले थे और इन सारे अधूरे बांधों को पूरा करवाने के बारे में कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और एस्टीमेट बनवाये जा रहे हैं और वह सारे आने के निजी साधनों की उपलब्धता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को लिया जायेगा।

श्री मोहनलाल चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आश्वासन के बाद क्या चाहते है ?

श्री मोहनलाल चौहान : एक मिनिट उपाध्यक्ष महोदय, यह एक नीति से सबंधी मामला है। माननीय मन्त्रीजी आप यह जितने छोटे छोटे बांध बना रहे हैं और पानी रोक रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नीति के उद्देश्य जान लिये । माननीय श्री जनार्दनसिंह गहलोत ।

श्री मोहनलाल चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट । मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मत्री महोदय मैं नीति सम्बन्धी बात कर रहा हूं । माननीय मन्त्री महोदय यह जो भी बांध आप छोटे-छोटे बनवाते हैं अकाल राहत के अन्तर्गत और उन बांधों को आप तकनीकी दृष्टि से कहते हैं कि भाई इसे जो हमारे सिंचाई के काम नहीं आते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मोहनलाल जी बैठिये आप।

श्री मोहनलाल चौहान : मेरा यह निवेदन है कि ।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह कोई नीति वाली बात नहीं कर रहे हैं ।

श्री मोहनलाल चौहान : पानी रोकने के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : यह सदन के सभी जानते हैं ।

श्री मोहनलाल चौहान : पानी रोकने के लिए बांध बनाने नितांत आवश्यक है। एनिकट भी बनाना नितांत आवश्यक है। इससे कुओं का जलस्तर ऊंचा उठता है, आपकी नीति में परिवर्तन करना चाहिए । गांव के लोगों को पीने का पानी भी मिलेगा और बड़े-बड़े तालाब है जिनमें साल भर पानी ठहरते हैं उनको भी आप पक्के करवाइये । यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : अब बिराजिये आप । माननीय श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत ।

श्री बिजेन्द्रसिंह जाटव निवासी कठयारपुरा (धौलपुर) की पुलिस द्वारा पिटाई करने से मृत्यु

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा कार्य तथा प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के द्वारा माननीय गृहमन्त्री जी से गत दिनों पुलिस द्वारा एक हत्या किये जाने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि धौलपुर के अन्दर एक बिजेन्द्र

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

जाटव निवासी कठयारपुरा, थाना कोलारी तहसील का जिला धौलपुर में आता है जिसका पुलिस ने 24-8-92 को थाने के अन्दर भगवान सिंह जो आर. ए. सी. का सिपाही था उसके द्वारा बुलाया गया और बुलवाकर उसे थाने से में जाया गया। ले जाने के बाद 31-8-92 सात-आठ दिन थाने में रखा गया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। वहां पर थानेदार ने जो ओमप्रकाश है किशोर व रतनसिंह ने लोहे के सरियों से लठियों से उसकी पिटाई की और करीब एक हजार रुपये उसकी जेब में थे वह भी पुलिस वाले ने ले लिये श्री जाटव की पत्नी ने मुझे इस बात की शिकायत की है कि वह उसका इलाज कई दिनों तक करती रही और देशी इलाज से मरहम पट्टी करती रही लेकिन 16-9-92 को धौलपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया और भर्ती होने के बाद 19-9-92 को उसकी मृत्यु हो गयी। सही मायने में माननीय उपाध्यक्ष महोदय पुलिस ने उसे किस नियम के तहत थाने के अन्दर रखा और रखने के बाद इतनी पिटाई के बाद उसे छोड़ा क्यों गया।

गांवों के अन्दर इस प्रकार की परम्परायें है कि सही मानें में गावों में इलाज सही नहीं होता है देशी इलाज में लोग लगे रहते है इसके बाद हास्पिटल में उसकी हत्या हो गयी और पुलिस के अधिकारी उसको हत्या नहीं मान रहे हैं वह जाटव परिवार का व्यक्ति है और धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर जिले में इस प्रकार की वारदातें, इन जाटवों पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं उससे वातावरण वहां पर दूषित होता जा रहा है इस प्रकार की भावना जिले में है धौलपुर गया था वहां करीब 100-125 जाटव परिवार के लोग मिले और मुझे इस प्रकार की कई घटनायें बतायीं कि पुलिस की बर्बरता के कारण पुलिस थानों के अन्दर लोग पिटाई के कारण मारे जा रहे हैं।

इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा इसका विशेष तौर से ध्यान देकर जांच करायें और इस प्रकार की वारदात होने से रोकें क्योंकि कुम्हेर काण्ड के बाद इस प्रकार की प्रवृत्ति होने से निश्चित रूप से राजस्थान का वातावरण दूषित होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री से निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बंशीलाल पटवा।

मेजा बांध की नहरों की मरम्मत

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया व कार्य संचालन नियमों की नियमावली 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख।

भीलवाड़ा जिला स्थित मेजा बांध से कृषि के लिये सिंचाई हेतु पानी देने की तिथियां निकट आ रही हैं। किन्तु पीड़ा का विषय यह है कि बांध की राइट व लेफ्ट कैनाल तथा इनसे जुड़ी माइनर व अन्य छोटी नहरों का सफाई कार्य सिंचाई विभाग द्वारा अभी प्रारम्भ न करने से पानी देने व कृषकों को पानी लेने में कठिनाई आने वाली है।

(श्री बंशीलाल पटवा)

मेजा बांध की दोनों के नालों व माइनरों में जंजाल व कूड़ा कचरा बड़ी तादात में पड़ा है साथ ही अधिकांश नहर जर्जरित हो गयी है। ऐसी स्थिति में कृषकों को न पानी पूरा मिल सकेगा और न ही विभाग द्वारा व्यवस्थित दिया जा सकेगा। यदि यही स्थिति बनी रही तो पिछले वर्ष की भांति पानी वेस्ट हो कर नहरों में बेकार चलता रहेगा। और अनायाम कृषकों को पिछले वर्ष की भांति पानी की दृष्टि से खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।

इस वर्ष भीलवाड़ा के पुरका कानोडिया रीछड़ा का तालाब तथा साथी माटा बांध तथा अनेक सिंचाई के तालाब जो सिंचाई विभाग के होते हुए भी उन्हें रिपेयर नहीं कराया गया? वर्षा ऋतु में फूट गये जिनकी फूट भी आज तक बंद ना करने से इस वर्ष कृषकों को सिंचाई हेतु पानी ना मिल सकेगा।

जानकारी के अनुसार तालाबों तथा नहरों की सफाई हेतु, राज्य सरकार द्वारा फण्ड्स न देने से न तालाबों की फूट बन्द की गयी तथा न ही मेजा की नहरों की अभी तक सफाई व मरम्मत की गयी। परिणाम स्वरूप खेतों में कृषकों को पानी मिलने में कठिनाई आने वाली है। साथ ही कृषकों को सिंचाई हेतु पानी ना मिलने से गम्भीर हानि हो सकती है।

अत: 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख करते हुए राज्य सरकार तथा सिंचाई मंत्री महोदय से मांग के रूप में निवेदन करता हूं कि मेजा नहरों की सफाई व मरम्मत तथा जिले के उक्त तालाबों की फूट को बंद करने हेतु विशेष बजट के रूप मे धन देकर नहरों की सफाई व तालाबों व हाथी माटा बांध की फूट को बंद कराने का आदेश दें ताकि कृषकों के हितों की रक्षा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जीतमल जैन।

अलवर शहर में चल रहे प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि का आवटन

श्री जीतमल जैन (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अलवर शहर में 49 प्राथमिकता विद्यालय शिक्षा विभाग के संरक्षण में चलते हैं। उक्त राजकीय विद्यालयों में से 12 विद्यालय ऐसे हैं। जो पेड़ व आकाश के नीचे चलते हैं। क्या सर्दी, गर्मी एवं वर्षा में ऐसे खुले स्थानों पर चलने वाले विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा देना सम्भव है? यह अवस्था उनकी है जिन पर भारत का भविष्य निर्भर है।

प्राथमिक शिक्षा सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन की नींव है, इसकी उपेक्षा कर अच्छे नागरिकों के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती।

विधान सभा के एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने जो उत्तर दिया है वह हमारी विकृत मानसिकता का परिचय देती है। सरकार ने प्रश्न के उत्तर कहा कि जन सहयोग प्राप्त होने पर ही भवनों का निर्माण सम्भव है अन्यथा विद्यालय ऐसे ही चलेंगे।

(श्री जीतमल जैन)

यह हमारी विडम्बना है कि सरकार कई विभागों में होने वाले अपव्यय एवं कई संस्थाओं में होने वाले घाटे व गबन को सहन कर सकती है लेकिन भारत के भावी नागरिकों का भविष्य निखारने के लिए धन उपलब्ध नहीं करा सकती है ।

सरकार शीघ्र ही खुले आकाश में चलने वाले विद्यालयों के लिये भवनों के निर्माण हेतु धन उपलब्ध करायेगी, ऐसा मेरा सरकार से अनुरोध है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह दहिया ।

जालोर व भीनमाल विधान सभा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में कमी व बाधा

श्री प्रेमसिंह दहिया (भीनमाल) उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधान सभा की प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करते हुए जालोर जिले में अतिवृष्टि में विद्युत लाइनों के गिर जाने से पिछले दो तीन माह से जालोर विद्युत खण्ड के साथ पंचायतों की आपूर्ति में बाधा हुई है व भीनमाल विधान सभा क्षेत्र के ट्रान्सफार्मरों के ओवर लोड की समस्या से विद्युत आपूर्ति में हो रही कमी दूर करने के लिए विशेष उल्लेख कर रहा हूं ।

मान्यवर, जिले में अधिक बरसात से जब भी नदियों में प्रवाह तेज हो जाता है तो नदी के अन्दर जो विद्युत लाइनें लगी हुई है वह गिर जाती हैं । जालोर विद्युत मण्डल के ग्राम पाथेड़ी, देताकला, देता खुर्द विशाला मण्डकवाणा, कोमता आदि ग्रामों को दासपां 33 के. वी. ए. सब ग्रिड स्टेशन से विद्युत आपूर्ति होती है । उक्त आपूर्ति हेतु दासपां से एक विद्युत लाइन 11 के. वी. पोषाणा सब ग्रिड स्टेशन तक नदी क्रोस कर खींची गयी है । जिसके खम्भे नदी के अन्दर लगाये गये हैं । वहां से उपरोक्त ग्रामों को विद्युत आपूर्ति हेतु नदी से दुबारा नदी से विद्युत पोल लगाकर लाइनें खींची है । इस प्रकार इन गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए दो बार नदियों में खम्भे लगाकर विद्युत आपूर्ति की जा रही है । पिछले दो वर्षों की तरह इस बार भी नदी में अधिक पानी आने से दोनों लाइनें गिर जाती है । अतः नदी के दोनों ओर टॉवर पोल खड़े करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है ।

यदि दासपां में 1.6 के वी ए. का ट्रान्सफार्मर लगाकर इन गांवों को सीधी आपूर्ति की जावें तो इस समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है । माननीय मंत्री जी को एक प्रार्थना-पत्र देकर ग्राम वासियों ने विशाला में 11 के. वी. ए. ग्रिड स्टेशन स्वीकृति का निवेदन किया था और उन्होंने आदेश दिया था कि वह शीघ्र स्वीकृत हो जायेगा ।

भीनमाल विद्युत खण्ड के जूंजाणी व धूरबड़या 33 के. वी. ए. की ट्रान्सफार्मर ओवर लोडेड चल रहे हैं । उन पर कुल कितना लोड है यह विभाग के अधिकारियों को भी जानकारी नहीं है वहां पर 1.35 के. वी. ए. का एक अतिरिक्त ट्रान्सफारमर की आवश्यकता है । धूरबड़िया

(श्री जीतमल जैन)

में भी इसी तरह 3.15 के.वी. का अतिरिक्त ट्रान्सफार्मर लगाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। मोदरा 33 के.वी.ए. की लाइन पर ठेकेदारों व अभियन्ताओं की लड़ाई में काम रुका पड़ा है। विद्युत मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इसी वर्ष उक्त सब स्टेशन तैयार कर विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी। आश्वासन की पालना होनी चाहिए

घूरबड़िया से बागोड़ा के मध्य भी 11 के.वी.ए. की एक विद्युत लाइन का कार्य स्वीकृत होने पर भी चालू नहीं किया गया है। घूरबड़िया से बागोड़ा लाइन भी नदी में विद्युत पोलों के गिरने से प्रभावित होती है, अतः वहां पर भी टावर पोल की अतिशीघ्र व्यवस्था की जाय।

भीनमाल विद्युत खण्ड टेल एण्ड यानी आखिरी सिरे पर होने से ट्रिपिंग व फाल्ट मे आपूर्ति में व्यवधान होता है। इसके उपरान्त भी जब भी विद्युत कटौती होती है तो भीनमाल खण्ड की ही होती है, इसे रोका जाना चाहिए। आशा है मंत्रीजी इस पर गौर कर शीघ्र समस्याओं का समाधान करेंगे।

जालौर से रानीवाड़ा 133 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन इसी सत्र में पूर्ण होकर चालू होना था लेकिन विभाग की शिथिलता के कारण ऐसा नहीं हुआ। तिलोड़ा का 33 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन दो साल से स्वीकृत होने के उपरान्त भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है। सायला का 132 के.वी.ए. का ग्रिड स्टेशन भी लम्बे समय से विचाराधीन है। मन्त्रीजी से अपेक्षा है कि वे जल्दी निर्णय कर उसे स्वीकृत करावें। बड़मार के 33 के.वी.ए. के ग्रिड स्टेशन पर भी बड़े ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, वह लगाया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार मंत्री से डेपुटेशन समस्याओं के समाधान के लिए मिलते रहे, पर उसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। विधान सभा में विद्युत विभाग की एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। उसकी मीटिंग में मन्त्रीजी और सभी अधिकारीगण थे।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी, कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री प्रेमसिंह दहिया : मन्त्रीजी तो और किसी में लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सारी बातें तो डिस्कस हो नहीं सकती। व्यवस्थाओं के बारे में कौन नहीं जान रहा है ? विद्युत विभाग में कहां-कहां क्या-क्या हो रहा है, कौन-कौन काम कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह दहिया : डिस्कस नहीं कर रहा, एक ही लाइन में पूरा कर रहा हूं कि उस मीटिंग में मंत्रीजी की उपस्थिति मे उच्चाधिकारियों ने यह स्वीकार किया था कि वे निरीक्षण के लिए नहीं जाते हैं। जब निरीक्षण के लिए नहीं जाते हैं तो शिथिलता है विभाग के अन्दर। मन्त्री जी कुछ कर नहीं पा रहे। अगर इनसे यह विभाग नहीं सम्भलता तो किसी और को दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा।

जयपुर में श्मशानों की अवस्था

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मान्यवर, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जयपुर के श्मशानों की अवस्था सुधारने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

जयपुर नगर में 13 श्मशान थे। जैसा कि आप जानते हैं, ये मनुष्य के अन्तिम शरण स्थल हैं। जब दुःख से विचलित मनुष्य व परिजन उक्त स्थान पर अपने अन्यतम परिवारजन को वहां छोड़ने जाते हैं तब यदि वहां जानवर घूमते हों, गटर का पानी बहता हो, गन्दगी व्याप्त हो तो कितना बुरा लग सकता है। पर ऐसी स्थिति है।

श्री उपाध्यक्ष : सामान्यतः आप भाषण तो बहुत जल्दी-जल्दी दे देती हैं, पढने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब दिक्कत तो है, साहब।.. (व्यवधान) .. अब आप बोलेंगे नहीं। मैं किसी के बीच मे बोलती नहीं, चुपचाप सुनती हूं।

श्रीमती तारा भण्डारी : जैसा माहौल होता है वैसा गीत गाया जाता है।

श्री टीकमचन्द कान्त : इनका चश्मा खराब हो गया है, चश्मा दूसरा बनवाती नहीं। चश्मा दूसरा बनवाओ, ज्यादा नम्बर का लो चश्मा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम सब लोग वहां जब जाते हैं, चित्त अन्यथा होने लगता है। चांदपोल श्मशान, मण्डी खटीकान श्मशान; लालपोश श्मशान, आदर्श नगर श्मशान, कागजीवाड़ा–छीपीवाडा श्मशान, लाल कोठी श्मशान, बड़े श्मशानों की श्रेणी में आते हैं। इन सभी में तथा औरों में एक-एक श्मशान सेवक नहीं है, कार्टया नहीं है। कहीं-कहीं तो दो-दो, तीन-तीन श्मशानों में एक-एक है। मृत्यु दर के आंकड़े भी इसमे सही नहीं रह सकते, जबकि नगर परिषद को इन्हें रखना चाहिए। बल्कि चांदपोल श्मशान तथा अमृतपुरी श्मशान में तो जे.डी.ए. ने रिहायशी पट्टे तक काट दिये हैं। लाल पोश श्मशान में कुछ सालों से भयंकर कब्जे ही नही हो रहे बल्कि वहां अवैध रूप से पाड़ काटे जाते हैं। हम लोग जब वहां जाते हैं तो वहां आंत-ओटड़ी पड़ी होती हैं। कुत्ते उन्हें नोचते नजर आते हैं। भयंकर दुर्गन्ध के मारे रास्ता पार करना कठिन हो जाता है।

यद्यपि वहां बड़ी कठिनाई में तारबन्दी करायी है फिर भी आये दिन तार टूटे मिलते हैं। जिलाधीश महोदय तथा नगर परिषद के आयुक्त के माध्यम से सारा रखरखाव हो सकता है पर दोनों ही इस मामले में असमर्थ लगते हैं। चांदपोल श्मशान में मैंने अपने नाम से टेलीफोन लगवाया था कि कोई व्यक्ति यदि स्टेशन पर भी पहुंचे तो सूचना दे दे कि अभी रुका जाय और वह अन्तिम बार अपने प्रिय के दर्शन कर ले। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि वह टेलीफोन कांग्रेस सरकार ने कटवा दिया। (व्यवधान) .. आपको जब जानकारी नहीं है तब मत बोलिये। अपनी सरकार के नुमाइन्दे रहे हैं उनसे बात कर लीजिये। मैं यहां फ्लोर पर कोई असत्य तो बोलूंगी नहीं। आप बोल सकते हैं मैं नहीं बोल सकती।

श्री उपाध्यक्ष : आप चालू रखिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप इन्हें तो रोकते नहीं, मुझे टोकते है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह अवस्था तत्काल सुधारी जानी चाहिए। मुरलीपुरा, विद्याधर नगर, गांधी नगर, बजाज नगर, मालवीय नगर आदि उप नगरों में श्मशान हेतु जमीन सुरक्षित की जानी चाहिए। ये स्थान धुले-पुते तथा साफ-सुथरे होने चाहिये। मन्त्री महोदय यहां बैठे हैं वे मेरी बात से सहमत होंगे। इस बात से भी सहमत होंगे कि मृत्यु दर्ज करने का फार्म स्थान पर उपलब्ध कराया जाय, काट्या वहां रखा जाय। काट्या हर श्मशान में होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : उसकी क्वालिफिकेशन ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नही जानती, काट्या की क्या क्वालिफिकेशन होती है। मेरे परिवार में कोई काट्या नहीं हुआ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जामनगर, गुजरात में अगर कोई यह पूछे कि उस जगह दर्शनीय स्थल कौनसा हो सकता है तो वहां कहा जाता है श्मशान। जब मैंने एक-दो से सुना, वहां के नागरिकों से पूछा तो उन्होंने भी इसी का नाम लिया। मैं खुद देखने गयी और मन्त्री महोदय ने भी देखा है। वहां से एक नक्शा भी, जब आप नगर परिषद के सदस्य हुआ करते थे, लाये थे।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यमराज से लेकर रामायण का चित्रात्मक कथखण्ड, कवियों का खण्ड, ऋषियों-मुनियों का खण्ड, सावित्री- सत्यवान का खण्ड, शबरी द्वारा राम को बेर खिलाने का खण्ड; जितने भी धर्म प्रवर्तक भारतवर्ष में सनातन धर्म में हुए हैं उनका खण्ड, भारत माता का मन्दिर-इस प्रकार उस श्मशान को रचा गया है कि वहां आने पर आदमी अनावश्यक बातें न करे। कोयले से कुछ पोते नहीं, गन्दी बातें नहीं लिखे। वैराग्य का ज्ञान नहीं, अपनी संस्कृति का ध्यान करे। अगर वैसा हो जाय तो बहुत ही अच्छा। उसको दर्शनीय बनाया गया है वहां पर अगर वैसा नहीं हो सकता तो कम से कम व्यवस्थित रूप से सफाई. मृत्यु दर के आंकड़े कलेक्ट करने की व्यवस्था तो निश्चित रूप से की जानी चाहिए।

मैंने यहां की जो कार्यवाही रोककर यह बात रखी है, मैं चाहूंगी, मंत्री महोदय यहां बैठे है, उत्तर दें। मजाक की बात नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि गम्भीरता से इस बात को लें।

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, कुछ कहना चाहेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के श्मशान और कब्रिस्तान की दशा जैसी है, वह सब की जानकारी में है। उनके सुधार के लिये बहुत पहले एक योजना बन चुकी है और चांदपोल श्मशान को जो जामनगर वाला श्मशान है, उसके अनुरूप बनाने के लिए नक्शे भी मैंने मंगवा लिये हैं, कुछ अध्ययन भी वहां से हो गया है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

माननीय सदस्या को यह सब जानकारी है कि इनका विकास हो रहा है और कुछ दिनों में होने वाला है। इसलिये उन्होंने रखा तो अच्छा ही किया है ताकि ध्यान में आ जाय बात।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने विश्वास में लेकर कभी बताया नहीं। मेरी तो इच्छा है, इसलिये कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना नहीं चाहेंगी क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह सब इनकी जानकारी में हैं। निश्चित रूप से श्मशान और कब्रिस्तान....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : घाटगेट का कब्रिस्तान ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कब्रिस्तान, सभी। अगर किसी की चोइस हो तो पहले बता दो, उसको पहले ठीक करा देंगे। इनको निश्चित रूप से सामान्य सुविधाएं मिलनी चाहिये, यह आवश्यकता है। मैं ऐसा समझता हू कि बहुत जल्दी कोई न कोई कार्यवाही हो जायेगी।

श्री केदारनाथ शर्मा : चर्च का ग्रेवयार्ड हैं, उनके बारे में।

श्री भंवरलाल शर्मा : सब।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मेरा जो मूल प्रश्न था वह यह था कि अगर आप समझते हो....

श्री उपाध्यक्ष : इसका कोई एण्ड नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मृत्यु दर के आंकड़े कलेक्ट करने के लिये क्या आदमी प्रत्येक श्मशान में रखा जायेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हमने तो वहां कोई अगर मर जाता है तो उसकी हड्डियां नहीं जाय तो उसके ले जाने के लिये आदमी नियुक्ति कर दिया है। हरिद्वार ले जाते हैं हड्डियों को।

श्री नत्थीसिंह : वह नियुक्त आपने किया है या स्वयं सेवी हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो हमारे सांसद हैं, वे स्वयं इस काम को कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : वे स्वयं सेवी हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, तो कर रहे हैं इस काम को।

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशन गोपाल कोगटा।

दागला ग्राम में जैतारण तहसील में भूमि का गलत नियमन

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, विशेष उल्लेख अन्तर्गत कार्य संचालन के नियम 295 बाबत पाली जिले की जैतारण तहसील के ग्राम दागला

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

में गलत रूप से रेगुलराइज की गई भूमि को निरस्त करने के क्रम में।

उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान भू-अधिनियम के अनुसार किसी भी व्यक्ति को गोचर भूमि का आवंटन या रेगुलराइजेशन किया ही नहीं जा सकता तथा सिवायचक भूमि भी उन्हीं व्यक्तियों को आवंटित या रेगुलराइज की जा सकती है जो व्यक्ति भूमिहीन हो या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भूमि सीमा से कम भूमि वाला हो या अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति हो या भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त हो या विधवा या चयनित परिवार का व्यक्ति हो। भूमि आवंटित एवं रेगुलराइज करने के कानून-कायदा, नियम-उप नियम बनाये गये है, उसके अतिरिक्त भूमि आवंटन या रेगुलराइजेशन का अधिकार किसी भी अधिकारी में निहित नहीं कर रखा है।

प्रस्तुत मामले में राज्य सरकार के समक्ष एक ऐसा प्रकरण का इस उल्लेख के जरिये प्रस्तुत कर रहा हूं जिसमें भूमि आवंटन व रेगुलराइज करने की कोई भी पात्रता नहीं रखता है। श्री पोकर पुत्र माना जाति माली निवासी दागला के नाम सरहद मोजा दागला में ख. न. 205 रकबा 104 10 बीघा चाही एवं 6, 61, 67 एवं 60 कुल रकबा 42.11 बीघा बारानी जमीन है फिर भी राजस्व अधिकारियों की मिली भगत से पाली जिले की जैतारण तहसील के ग्राम दागला में गोचर भूमि जिसे जिला कलेक्टर पाली के आदेश क्रमांक आर एण्ड बी/3/362 दिनांक 23-1-61 को ख. न. 56, 89, 95, 98, 99 तथा 206 गोचर भूमि घोषित की गई जिसकी छाया प्रति इसके साथ संलग्न है। आदेश दिनांक 23-1-61 में भूल से ख. न. 206 के स्थान पर 306 का उल्लेख होने के कारण पुनः जिला कलेक्टर के अपने आदेश क्रमांक आर एण्ड बी/3,7533 दिनांक 24-11-61 को आदेश किया जिसकी छाया प्रति भी इसके साथ लगाई जा रही है।

उपरोक्त सारे तथ्य आवंटन अधिकारी के समक्ष होते हुए भी पोकर पुत्र माना जाति माली निवासी दागला तहसील जैतारण जिला पाली को रेगुलराइजेशन आदेश संख्या आर. टी/37/3041 दिनाक 21-7-66 को मोजा दागला के ख. न. 206 के रकबा 14.18 बीघा सारे नियम कानून को ताक में रखकर गलत आबंटन किया गया जिसका म्यूटेशन आज दिन तक किसी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया लेकिन उक्त घोषित गोचर भूमि ख.न. 206 के 14.18 बीघा जमीन पर पोकर पुत्र माना माली का कब्जा है जिससे उक्त क्षेत्र के पड़ोसी ग्राम दागला के मेसियां, हाजीवास, धूलकोट, मेहराई, निम्बेडा, बेड़ा, मामावास, ब्रह्मपुरी के लोगों में भारी असन्तोष है। मेरे विशेष उल्लेख के प्रश्न में सरकार से इस गलत उत्तर की मुझे शंका हो रही है। अधिकृत न्यायालय में जाकर आवंटन को निरस्त किया जाय।

लेकिन मेरा निवेदन है कि यदि कोई

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

व्यक्ति प्रथम दृष्टया ही रेगुलराइज करने का अधिकारी नहीं हो तथा कानून में जिस रेगुलराइजेशन या आवंटन माना ही नहीं जा सकता, ऐसे गम्भीर विषयों पर सरकार सीधा आदेश देकर ऐसे अतिक्रमी को भूमि से बेदखल किया जाना आवश्यक है जिससे पक्षकारों को बिना किसी औचित्य के अदालतों में नहीं जाना पड़े। इसके अतिरिक्त दिनांक 17-9-92 को इस प्रकार से गोचर भूमि पर काबिज व्यक्तियों को तत्काल हटाने का विशेष अधिकार राज्य सरकार को विधान सभा में पारित करवाया।

अतः इस विशेष उल्लेख के जरिये मैं माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि अतिक्रमी श्री पोकर पुत्र माना जाति माली को तत्काल ख. न. 206 की भूमि से बेदखल किया जाकर लोगों को भूमि राहत दिलायें।

मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से चाहूंगा कि इसके बारे में कुछ आश्वासन दें।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री ईश्वर लाल सैनी, चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के रैफरल अस्पताल के भवन का निर्माण

श्री ईश्वर लाल सैनी : मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो लक्ष्मणगढ रैफरल अस्पताल के भवन का निर्माण हो रहा है, वह 1185 नम्बर में ही निर्माण करायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर मुख्यालय पर वर्ष 1988-89 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफरल अस्पताल के रूप में क्रमोन्नत किया गया। उसे वर्ष भवन में परिवर्तन हेतु प्रावधान नहीं होने के कारण वर्ष 1990-91 में 10 लाख रुपये का प्रावधान आदेश संख्या.प 11/94 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 11/90 दिनांक 1-11-90 में किया गया। यह प्रावधान वस्तुतः वर्तमान चिकित्सा भवन में आवर्तन परिवर्तन हेतु होता है। नये मूल भवन के निर्माण हेतु लगभग 50लाख रुपये की आवश्यकता होती है। क्योंकि वर्तमान चिकित्सा भवन में आवर्तन परिवर्तन हेतु स्थानाभाव था अतः कस्बे के प्रमुख नागरिकगण और माननीय विधायक महोदय द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि अन्य सुविधाजनक स्थान पर नये भवन का निर्माण कराया जाय।

इस सम्बन्ध में माननीय विधायक द्वारा सिवाय चक की भूमि ख.नं. 1185 का चयन किया गया। उक्त भूमि पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। इस अतिक्रमण को हटाने के लिये अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर रीजन, जयपुर ने अपने पत्रांक 900 दिनांक 9 जुलाई, 1992 के द्वारा जिला कलेक्टर, अलवर को अवगत कराया कि मौजपुर सड़क पर ख. नं. 1185 पर 8-10 कच्चे मकानों का निर्माण हो रहा है और वहां पर लोढ़ा जाति के व्यक्ति ले-आउट

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

नहीं करने देते, भवन निर्माण हेतु निश्चित की गई भूमि पर कब्जा दिलवाया जाय। कार्य को गति देने हेतु दिनांक 14-7-92 को राज्य कुष्ठ अधिकारी, अतिरिक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर जिला, कुष्ठ रोग अधिकारी, अलवर ने लक्ष्मणगढ़ जाकर स्थिति का जायजा लिया। और पाया कि विद्यमान भवन में जो पहले से बना हुआ है, परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। कुष्ठ रोग निवारण की इकाई के लिए जो स्थान आवंटित है वह लक्ष्मणगढ़ कस्बे से ढाई किलोमीटर की दूरी पर है और इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु पर्याप्त स्थान है। यह भवन निर्माण से भूमि न केवल अतिक्रमण से बचाव हो सकेगी। जिला कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि कुष्ठ रोग निवारण इकाई भवन केवल एक किलोमीटर कस्बे की तरफ यानी शहर से डेढ़ किलोमीटर दूर है। इस रिपोर्ट से विधायक महोदय सहमत नहीं थे। अतः 20 जुलाई, 1992 को इस विषय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक महोदय को भी आमन्त्रित किया गया। इस बैठक में माननीय विधायक महोदय ने इस अभिशंसा से असहमति प्रगट की कि प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कुष्ठ रोग निवारण इकाई के भवन के परिसर में हो और उन्होंने आश्वस्त किया कि एक माह की अवधि में, यानी 20-8-1992 तक खसरा नम्बर 1185 का अतिक्रमण मुक्त आवंटन करवाने में वह सहयोग करेंगे और उसको मुक्त करवा देंगे। यह आवंटन अभी तक नहीं हो सका है।

अभी-अभी जानकारी जब मैंने जिलाधीश महोदय तो मुझे मिले नहीं और से ली है मुझे ज्ञात हुआ है कि 8-10 लोगों का अतिक्रमण हो रहा है उन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है। इस स्टे की तारीख भी डेढ़ महीने के बाद की पड़ी है। अधीक्षण अभियन्ता ने 22-8-1992 को और उसके बाद संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय ने दिनांक 7-9-1992 को जिला कलेक्टर, अलवर को अतिक्रमण मुक्ति हेतु आवंटन किए जाने हेतु स्मरण कराया है, किन्तु अभी तक भूमि का आवंटन अतिक्रमण होने के कारण नहीं हो पाया है।

जहाँ तक कुष्ठ रोग निवारण इकाई का प्रश्न है जिला कुष्ठ रोग इकाई 1-10-1982 को स्वीकृत की जाकर है विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में स्थापित की गई थी जिसके अधीन एक चिकित्सा अधिकारी, 4 नोन मेडिकल सुपरवाइजर, 20 नान मेडिकल असिसटेन्ट, एक वरिष्ठ लिपिक, एक कनिष्ठ लिपिक, एक लेब टेक्नीशियन, एक वाहन चालक, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद स्वीकृत किए गए थे।

वर्ष 1988 में हुई आर्थिक कटौती के फलस्वरूप एक वरिष्ठ लिपिक, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक वाहन चालक को कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाई लक्ष्मणगढ़ से अलवर में लगा दिया गया। लक्ष्मणगढ़ मुख्यालय पर एक चिकित्सा अधिकारी, एक

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कनिष्ट लिपिक, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक लेब टैक्नीशियन, एक नान मेडिकल सुपरवाइजर, एक नान मेडिकल असिस्टेन्ट ही कार्यरत रहे ... (व्यवधान) ... इन्होंने सवाल किया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उसका जवाब है ये। और शेष 3 नान मेडिकल सुपरवाइजर, 19 नान मेडिकल असिस्टेन्ट, सर्वेक्षण शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों पर कार्यरत थे। इस कुष्ठ रोग नियंत्रण इकाई को अस्पताल नहीं माना जा सकता। क्योंकि इसका मूल उद्देश्य तो कुष्ठ रोग का सर्वेक्षण, उनका शिक्षण उसके बाद उनका उपचार होता है। इस कुष्ठ रोग इकाई को समाप्त करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है।

मुद्दे की बात यह है कि कस्बे से दूरी की दृष्टि से जो स्थान विभाग द्वारा भेजी गई टीम द्वारा प्रस्तावित किया गया है, उसमें अब तो स्थान माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित है उसमें एक किलो मीटर का अन्तर है। आपने जो प्रस्तावित किया है वह डेढ़ किलोमीटर है शहर से और वह कुष्ठ रोग नियंत्रण केन्द्र ढाई किलोमीटर दूर है जहां विभाग के कुछ लोगों ने इन्सपेक्शन कर प्रस्तावित किया है। दोनों ही स्थान कस्बे से इतनी ही दूर है वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनवा देने से कस्बे की जनता को निरन्तर शिकायतें बनी रहेंगी और इसके बाद आगे भी इस बात का आग्रह किए जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिटी डिस्पेंसरी यथावत चलती रहे कि ऐसा गांव वाले आग्रह करेंगे जैसा कई जगह किया गया है।

अतः सभी बिन्दुओं से इस मुद्दे पर विचार करना होगा, स्थानीय जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो उपयुक्त स्थान उपलब्ध होगा वहां पर निर्माण की व्यवस्था की जायेगी। इसमें किसी प्रकार के राजनीतिक पूर्वाग्रह अथवा किसी उपलब्ध सुविधा को खतम करने का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ईश्वरलाल जी सैनी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नहीं यह सारे गांव का निर्णय था। सारा गांव इकट्ठा हुआ और उसके कम से कम 4-5 लैटर्स सी. एम. एण्ड एच. ओ. द्वारा एक्स ई. एन. पी डब्यू. डी ने लिखे हैं कि पैसा 10 रुपये मंजूर हो चुका है आप तुरन्त इस जमीन की व्यवस्था करें। यह भी बताया कि जो वर्तमान में डिस्पेंसरी है वह सिटी में है वहां पर हमारा इतना पैसा खर्च नहीं हो सकता है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो सकती है।

मैंने बहुत कोशिश की कि गांव के ईर्द-गिर्द नजदीक ही कहीं जमीन मिल जाए। फिर सारा गांव एकत्रित हुआ और उसने यह तय किया, जिसमें सारे गांव के लोग साथ थे, एक्स ई.एन., ए.ईएन. तहसीलदार पटवारी साथ थे और केवल मात्र जगह एक बन्ध बीच में पड़ता है इसके बीच में

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

इसकी बजह से डेढ़ किलोमीटर बाद हमारी वहां पर सिवाय चक जगह है, 400-500 एकड़ सिवाय चक जगह है, अगर गांव वाले चाहते तो कभी का उस पर कब्जा कर लेते लेकिन उसको गांव के विकास के लिए किसी गांव वाले ने उस पर कब्जा नहीं किया। जो आपने बताया कि अतिक्रमी है, अतिक्रमी वहां पर 1 किलोमीटर का जो पहाड़ी इलाका है, वह उनकी खुद की भूमि है, खुद काश्तकारों की भूमि है लेकिन यह भूमि मैन सड़क पर है इसलिए 10-12 लोगों ने अतिक्रमण कर लिया। कोई बात नहीं। इसके बाद पुलिस वालों को लैटर्स गए, पुलिस वहां गई, एस.डी.एम. वहां गए, आमना-सामना हुआ, उसके बाद कलेक्टर को भेज दिया गया। उन्होंने स्टे ले लिया था, जो आप स्टे की बात कर रहे हैं, वह स्टे एस. डी. एम. साहब ने दिया था, वह स्टे खतम हो चुका है।

इसके पहले कि निर्माण कार्य शुरू हो गया अतिक्रमियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं करने दिया, यह तो हमारी सिवाय चक जमीन है, अतिक्रमण किया हुआ है, हम कलेक्टर से मिले, तहसीलदार से मिले कि आप निर्माण करें। यह आपको स्वीकृति कलेक्टर से बाद में आपको पट्टा दिलवा देंगे। यहां तक बात हुई। इस बीच में निर्माण कार्य रुक गया। मैं कलेक्टर से मिला उन्होंने कहा कि आप वांछित मंजूरी मुझको भिजवा दें। कलेक्टर ने कहा कि एक्स.ईएन की तो बिल्डिंग बनेगी नहीं, यह बिल्डिंग बनेगी स्वास्थ्य विभाग की इस लिए वहां से मुझे लेटर दिलवा दें।

30 तारीख को आपने मीटिंग की, मैंने आपसे निवेदन कर दिया था कि एक महीने के अन्दर अन्दर आपको इस भूमि को कलेक्टर से आवंटन करा देंगे, सारी कार्यवाही पूरी हो चुकी है। तुरन्त एक्स. ईएन. से मिला, एक्स. ईएन. ने नक्शा बगैरह बनाकर सी. एम. एण्ड एच. ओ. को भेज दिया। फिर मैं कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने कहा कि असिस्टेंट डाइरेक्टर मिल चुके हैं और मुझसे यह कहा है कि यहां से जब तक मंजूरी न आ जाय तब तक आप कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। मैंने सी. एम. एण्ड एच. ओ. से लैटरफार्वड करवा दिया कि 1185 खसरा नम्बर में बने इसके लिए स्वीकृति डाइरेक्टर को भिजवा दिया। डाइरेक्टर से मिला उन्होंने यह कहा कि हमारे मंत्री महोदय ने पुनः मीटिंग बुलाई है।

मैं, श्रीमन्, आपसे 25-7 को मिला, 20-6 की मीटिंग के बाद 25-7 को फिर मिला। तब आपने एक बात कही कि मैं पुनः इसके सम्बन्ध में मीटिंग कर रहा हूं। मैंने कहा कि पुनः आप मीटिंग क्यों कर रहे हैं ? आपने कहा कि मुझसे धर्मवीर जी मिले थे, पी.सी.सी. के अध्यक्ष हैं जिले के, वह भी मीटिंग में आयेंगे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। आप उनको भी बुलवा लीजिए और सारी पार्टीज के अध्यक्ष हैं अलवर जिले में, उन सारों को बुलवा लीजिए, और संगठनों के अध्यक्ष हैं उनको भी बुलवा लीजिए मुझे कोई एतराज नहीं है। यह होस्पिटल बनेगा। वह बनेगा

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

ग्रामवासियों का ग्रामवासियों ने 5 दिन तक वहां पर उस अतिक्रमण को हटाने के लिए धरना दिया था। जिलाधीश खुद मौका देखकर आए हैं। जिलाधीश खुद इस बात से बिलकुल सहमत हैं कि इस लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र का विकास हो सकता है तो इधर की तरफ ही हो सकता है, मौजूदा साइड में जो हमारी सिवाय चक भूमि है। भूमि हमें फ्री में मिलेगी। आप कहते हैं कि बीच जमीन इतनी है वह तैयार है, उनसे भी खूब बात कर लो। वह बीच में इतनी गन्दी जगह है, जैसे उस हास्पिटल जैसी हैसियत हो जाएगी।

मैं आपसे यह वायदा करता हूं कि आपने जो कहा है कि डिस्पेंसरी की मांग करेंगे, कोई गांव वाले आपसे डिस्पेंसरी की मांग नहीं करेंगे। पिछले सत्र में भी आपसे डेपुटेशन मिला था, आपने डेपुटेशन को आश्वस्त किया था कि डिस्पेंसरी वहीं बनेगी जहां गांव वाले चाहेंगे। उसके बाद भी जब गड़बड़ी हुई तो फिर जीप में भर कर लोग आपसे घर पर मिले। आपने फिर आश्वस्त किया कि नहीं आप चिन्ता मत करो। मैंने निर्देश दे दिए हैं कि 1185 खसरा नम्बर की सिवाय चक भूमि है, वहीं बनेगी लेकिन केवल मात्र वहां से सैंक्शन हो जाए।

तहसीलदार ने सैंक्शन दे दी, पटवारी की सैंक्शन हो चुकी सिर्फ कागज कलेक्टर को जाने हैं यहां से डायरेक्टर के पास जो सी. एम. एच. ओ. ने पेपर्स भिजवाये हैं आप उन पेपर्स को भिजवा दीजिये, अगर आपको दुबारा मीटिंग करनी है तो वह भी कर लीजिये, मैं तैयार हूं और कलेक्टर बिलकुल तैयार बैठे हैं कि ज्यों ही मेरे पास डायरेक्टर का लैटर आया, मैं इस विभाग को यह जमीन आवंटित कर दूंगा। यही जमीन नहीं वहां दो तीन और है।

मुझे एक लैटर अभी वन विभाग का भी मिला है, वन विभाग का दफ्तर भी वहीं बनना है, और कोई जगह नहीं है उसके बाद हमने हमारा जो मेवात विकास बोर्ड है उससे हमने पैसे स्वीकृत कराये हैं पिछले साल ही। वहां पर विश्राम गृह भी बनना है। वह जो एरिया है वह सारा एरिया है जिसमें कम से कम सैंकड़ों बीघा जमीन ऑफिसेज़ के लिये है। अब हमारे पास इधर-उधर कोई जमीन नहीं है बाकी सब किसानों की जमीनें हैं किसान बहुत पैसों में, लाख-लाख, डेढ़-डेढ़, दो-दो लाख रुपये में किसान....

श्री उपाध्यक्ष : आप स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहें तो पूछ लीजिए।

श्री ईश्वरलाल सैनी : अब मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं। जब 20 तारीख की मीटिंग हुई थी तो मैंने उनसे निवेदन किया था। इन्होंने कहा था कि आपने एक महीने में इसको नहीं किया तो मैं इसको कुष्ठ निवारण केन्द्र बना दूंगा। मैं इसमें सम्बन्ध में आपसे माफी चाहूंगा, यह अंग्रेजी में है, श्रीमती उजला जी चली गई, उनके सामने पढ़ते हैं तो वह नाराज होती हैं। आपने इसमें लास्ट में

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

लिखा है—"The leprosy hospital, 2.5 Kms. away from Lakshmangarh, in that case the whole leprosy unit will be shifted to some other place." इसकी जगह आप हास्पिटल में ले जायेंगे। मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जिस वक्त 30 जनवरी, 1983 को महामहिम राज्यपाल श्री ओ. पी. मेहरा साहब थे, उन्होंने महात्मा गांधी के निर्वाण दिवस पर इनोरगेशन किया, जापान की डाक्टर्स की टीम आई थी, उन्होंने यहां दो जगह सलेक्ट की थी एक तो लक्ष्मणगढ़ सलेक्ट की थी और एक की थी डीग, लक्ष्मणगढ़ वालों ने वहां विद्रोह कर दिया कि यह तो छुआछूत का हास्पिटल है हम इसको यहां नहीं बनने देंगे। मैंने बड़ी मेहनत करके उनको समझाया। पहले यहां बनना था, उसके वहां डीग में बन गया। एक साल बाद मैंने उनसे, निवेदन किया तो उन्होंने यह जमीन गांव वालों ने खुद ने ढाई तीन किलोमीटर तय की कि यहां इसको बनवा दीजिये हमें कोई एतराज नहीं है। वहां बन गया। वहां 32 का स्टाफ आपने दिया था जिसमें एक जीप भी दी थी। जीप के ड्राइवर के बारे में आपने बोल दिया, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है मैं रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन आज हालत यह है कि....

श्री उपाध्यक्ष : खसरा नम्बर 1185 का मामला है।

श्री ईश्वरलाल सैनी : लेप्रोसी के जो कर्मचारी थे, डॉक्टर, जो लगा रखे हैं, इन्सपेक्टर्स भी, कम्पाउण्डर भी सारा स्टाफ, वहां पर केवल एक चौकीदार रह गया है और सारे हॉस्पिटल को आपने वहां शिफ्ट कर दिया है जबकि वहां पर जो रजिस्टर केस है लेप्रोसी के वह 324 केस रजिस्टर है। अब उन सबको वहां जाना पड़ता है। यह जब सेन्टर कायम हुआ जापान की उससे हुआ था। वहां सबसे ज्यादा केस लेप्रोसी के मेरे लक्ष्मणगढ क्षेत्र में आते हैं। 324 केस आज भी रजिस्टर है। आप रजिस्टर उठाकर देख लो। उनको जयपुर जाना पड़ता है। तो एक तो मेरा निवेदन यह है कि क्या मंत्रीजी आश्वस्त करेंगे कि जो शिफ्ट किया है डॉक्टर्स को और सारे स्टाफ को उनको लक्ष्मणगढ भेजेंगे। और दूसरा मेरा निवेदन है कि 1185 जो खसरा नंबर है उसमें जो 10 लाख मिला है, उसको बनायेंगे। आपने मुझसे दूसरी बात एक और कही थी....

श्री उपाध्यक्ष : लम्बी चौड़ी बात हो चुकी है। माननीय मंत्रीजी।

श्री ईश्वरलाल सैनी : इतने पैसों में दूसरा हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं मैं गांव वालों से भी और किसी से भी इसमें पैसे और दिलाऊंगा और जो पैसा हमको मिलता है चाहे जवाहर रोजगार योजना में हो या चाहे हमारा मेवात विकास बोर्ड में हो उसमें से पैसा इसको दिलाऊगा और इस हॉस्पिटल को पूरा करवाऊंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दो आश्वासन आप मुझे देंगे एक तो जो स्टाफ बदल दिया है अलवर में उसको वहां भेजेंगे और 1185 में जमीन की मैं फिर आपको गारन्टी देता हूं, जमीन कलेक्टर के मार्फत

(श्री ईश्वरलाल सैनी)

आपके विभाग को आवंटित कर दी जायेगी लेकिन एक लेटर आप डायरेक्ट से कलेक्टर साहब को भिजवा दीजिये, नक्शा सब उनके पास तैयार है। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुद्दा केवल इतना सा है कि दो स्थान प्रस्तावित हुये, एक स्थान जहां वह लेप्रोसी अस्पताल था उसमें बहुत जगह थी उसका है। दूसरा माननीय विधायक, 1185 खसरा नम्बर वाला मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो लेप्रोसी वाला था वह तो रिजेक्ट कर दिया हमने। प्रश्न इतना सा है कि 1185 खसरा नम्बर खाली होकर हमको मिल जाये, आप पत्र चाहते हैं वह पत्र में दो दिन में ही कलेक्टर के पास भिजवा दूंगा एक कोपी आपको दे दूंगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि लेप्रोसी अस्पताल वहीं चलेगा। एक बात जरूर है कि यदि कोई उपयुक्त स्थान शहर के नजदीक, क्योंकि यह डेढ कि. मी. दूर है, कोई मिला तो एक बार इस पर विचार हम दोनों मिलकर करेंगे और उसी में से कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं।

श्री ईश्वरलाल सैनी : यह 1991 में मंजूर हुआ है, 1990-91 में और मैं दो साल से कोशिश कर रहा हूं। और दो साल की कोशिश के बाद यह निर्णय निकला है कि वहां कोई जगह नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्दजी मेहता गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सांचोर में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा दिन-दहाड़े उत्पात मचाने से जनता में व्याप्त असन्तोष।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता (सांचोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांचोर के अन्दर बढ़ती हुई प्रगतियां, अपराध इन सबको देखते हुए माननीय गृह मंत्रीजी ने उप पुलिस अधीक्षक का कार्यालय खोला उसके लिए तो मैं उनको बधाई दूंगा। एक चोकी भी स्थापित की। मगर यह सब होने के पश्चात भी अपराधों में वृद्धि हुई है, तस्करी बढ़ी है उस पर कोई कन्ट्रोल नहीं हुआ। यहां तक एक घटना का मैं आपको वर्णन करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : ध्यान आकर्षित करना है आपको, बाद में कहिये आप।

श्री दिग्विजय सिंह (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री छोगाराम ब्राह्मण, साकीन सांचोर ने थाने पर रिपोर्ट प्रस्तुत की कि दिनांक 14-5-92 को करीब 10 ए. एम. पर श्री केवल राम जगदीश, हीरा राम, कांतिलाल, हरदा राम व नान जी बारेठ के साथ-साथ अपने घर ब्राह्मणों के बास की तरफ जा रहे थे कि एक जीप नं. जी. जे. 9083 में जय किशन, हरिराम, भागीरथ, मोहन लाल, रघुनाथ एवं भागीरथ पुत्र बगता सवार होकर आये जो लाठियों व धारियों से सुसज्जित थे। उन्होने आते ही केवलाराम आदि के साथ मारपीट की।

(श्री दिग्विजय सिंह)

जय किशन ने जगदीश के पांव में पिस्टल से फायर कर चोट पहुचाई, मोहन लाल ने नानजी के सिर में धारिए की, रघुनाथ ने केवलाराम के सिर पर कुल्हाड़ी की मारी व अन्य अभियुक्तों ने इनके दूसरे साथियों के साथ मार पीट की। इस घटना को चोपसिंह व मदरूपसिंह राव ने देखा। इस झगड़े के पीछे श्री शांतिलाल का षडयन्त्र होना बताया है। जिसने अभियुक्तों को उत्तेजित कर जीप उपलब्ध करवाकर भेजा है। जय किशन द्वारा किये गये रिवाल्वर के फायर से जगदीश के पांव की हड्डी टूट गई।

उपरोक्त रिपोर्ट पर अपराध संख्या 124 दिनांक 14-5-92 धारा 307, 147, 148, 149, 323, 341, 120 (बी) भा. दं. सं. व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत थाना सांचोर पर पंजीबद्ध कर घायल व्यक्तियों का मेडीकल करवाया गया, स्थानीय पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। गवाहान के बयान अंकित किये गये। अभियुक्त जयकिशन, हरिराम, भागीरथ, रमेश शांतिलाल को दिनांक 14-5-92 को ही गिरफ्तार किया गया। भागीरथ व हरिराम की निशादेही से लाठी व जय किशन से 32 बोर पिस्टल बिना लाइसेंसी बरामद किये गये।

घायल जगदीश की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त की गई। अभियोग के अन्वेषण से असन्तुष्ट होकर अभियुक्त रमेश द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर महानिदेशक पुलिस के आदेशों की अनुपालना में अभियोग का अन्वेषण सी. आई. डी. (सी. बी.) को स्थानान्तरित किया गया। अपराध शाखा के अधिकारी द्वारा किये गये अब तक के अन्वेषण से एवं चिकित्सा अधिकारी से घायल जगदीश के पैर में लगी चोट के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने के उपरान्त यह पाया गया है कि इस घटना में रिवाल्वर का उपयोग नहीं किया गया था।

अन्वेषण अधिकारी ने अभियोग में अभियुक्त हरिराम, भागीरथ, रघुनाथ, भागीरथ पुत्र बगला, मोहनलाल व मालाराम के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 324, 325, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का एवं अभियुक्त जयकिशन के विरुद्ध उपरोक्त धाराओं सहित 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत जुर्म प्रमाणित मानते हुए वैधानिक कार्यवाही करने हेतु अपना प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किया है।

अपराध शाखा के अनुसंधानकर्ता द्वारा गिरफ्तार शुदा जयकिशन की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि दिनांक 11-8-92 को पूर्ण होने व उसके विरुद्ध इस दिनांक तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत ले लिये जाने के लापरवाही पूर्ण कृत्य के लिए अनुसधान अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। अनुसंधान अधिकारी के विरुद्ध आरोप को देखते हुए इस अभियोग का पुनः सत्यापन अपर पुलिस अधीक्षक स्तर पर कराया जा

(श्री दिग्विजय सिंह)

रहा है।

इस अभियोग के मुख्य अभियुक्त श्री जयकिशन एवं भागीरथ का विगत रिकार्ड देखने से पाया गया कि ये आपराधिक प्रवृतियों में पूर्णतया लिप्त हैं। उसकी आपराधिक गतिविधियों के फलस्वरूप दिनांक 29-11-91 को इस अभियुक्त के विरुद्ध हिस्ट्रीसीट खोली गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 1986 से तस्करी, बलवा, कर्मकर्मचारियों व अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट एवं शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत 14 अपराध पंजीबद्ध हुए जिनमें से एक में एफ. आर. व 12 मुकदमों में न्यायालय में चालान पेश किये गये। जिनमें से 4 अभियोगों में राजीनामा द्वारा फैसले हुए हैं।

इसी प्रकार श्री भागीरथ के विरुद्ध अब तक 6 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं जिनमें भी चालान पेश किये जा चुके हैं। इन अभियुक्तों की अवांछनीय गतिविधियों को रोकने हेतु समय-समय पर धारा 107, 116 (3) व 110 जाब्ते फौजदारी की निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। अभियुक्त जयकिशन के विरुद्ध दिनांक 1-11-90 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट जालौर द्वारा दिनांक 20-1-92 से एक माह के लिए जिले से बाहर निष्कासित करने के आदेश जारी किये गये।

इन अभियुक्तों द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ दिनांक 25-8-92 को श्री प्रमुदयाल माहेश्वरी के पिता के साथ मारपीट कर उसको जबरन अपने साथ ले जाकर खाली कागजों, पर हस्ताक्षर करवाये जाने का अपराध किया गया। जिस पर श्री प्रमुदयाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर अपराध संख्या 222/92 दिनांक 25-8-92 धारा 147, 365, 342, 386, 323, 149, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत थाना सांचोर पर अभियोग पंजीबद्ध किया जाकर अभियुक्त किशोर जैन, भागीरथ विश्नोई, जयकिशन विश्नोई हरीश विश्नोई व अर्जुन विश्नोई के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित पाया गया है। इस अभियोग का अन्वेषण उप अधीक्षक पुलिस अपराध एवं सतर्कता, उप महानिरीक्षक पुलिस रेंज कार्यालय जोधपुर द्वारा किया जा रहा है। अभियुक्तगण घटना के पश्चात से अपने निवास स्थान से फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

निःसंदेह यह कहा जा सकता है कि अभियुक्त जयकिशन व भागीरथ व इसके अन्य साथियों की आपराधिक प्रवृतियां काफी बढ़ी हुई है परन्तु पुलिस को जब-जब भी इनके आपराधिक कृत्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तब इनके विरुद्ध अविलम्ब वैधानिक कार्यवाही की जाकर मामले न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं। अभियुक्त जयकिशन व भागीरथ के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही समय-समय पर की गई है एवं अभियुक्त जयकिशन के विरुद्ध गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की गई है। जयकिशन की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए उनके

(श्री दिग्विजय सिंह)

विरुद्ध रा. सु. का. के अन्तर्गत कार्यवाही करना भी विचाराधीन है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि पुलिस को जब-जब की इनके द्वारा किये गये अपराधों की रिपोर्ट/सूचना मिली तब ही वैधानिक कार्यवाही की गई है। अतः स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी इन अभियुक्तों से मिले हुए है, वह तथ्य सही प्रतीत नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मेहता जी।

श्री लक्ष्मीचन्द मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयकिशन की जो गतिविधियां हैं और इतना अपराध 15-15, 16-16 अपराध हो जाने के बाद भी दिन में गोली चलाना, मार्च पास्ट करना, बाजार के अन्दर भय पैदा करना और उसके बाद में समय पर चालान पेश नहीं होने के कारण 90 दिन में मजिस्ट्रेट को जमानत लेनी पड़ी और जमानत के पश्चात् उसने किडनेप का काम किया। जिस प्रकार से बम्बई में गुण्डा लोग पैसों की ताकत पर किडनैप करते हैं, यह प्रवृति सांचोर में शुरू हो गई और जयकिशन द्वारा की गई। ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार रासुका में या टाडा में बन्द नहीं करेगी और इतने अपराध होने के पश्चात् भी, तो मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से आश्वासन चाहता हूं कि ऐसे प्रवृतियों को रोकने के लिए उनको रोकथाम के लिए ऐसे व्यक्तियों को रासुका में बन्द करावें ...

(2.55 म. प.)

(श्री रमाकांत शर्मा, सभापति पदासीन)

अथवा भय के मारे कोई भी गवाही नहीं देगा, शहादत नहीं देगा और जिस प्रकार से 4 मुकदमों में ये बरी हुआ है, अन्यथा बरी हो जायेंगे। मैं माननीय गृह मन्त्रीजी से यह आश्वासन चाहूंगा कि वह मुझे विश्वास दिलाये कि जयकिशन जैसे व्यक्ति को रासुका में बन्द करेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : सभापति महोदय, सांचोर, से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही। मैंने अपने वक्तव्य में पहले ही कह दिया कि वह अपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है और हम निश्चित रूप से यह पूरा प्रयास करेंगे कि इनको गिरफ्तार करके रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही करेंगे और जिस अधिकारी ने यह चालान पेश करने में देरी की है, उसके विरुद्ध तो मैंने पहले ही आदेश दे दिया है, उसके विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाय जिसने चालान पेश करने मे देरी की है और उसकी जमा-हुई है। मैं आपको आज विश्वास दिलाता हूं कि ज्योंहि गिरफ्तार होगा हम गिरफ्तार करने में पूरी कोशिश करेंगे। उसके खिलाफ रासुका के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

श्री सभापति : हेमराज मीणा, माननीय राजस्व मत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय .

श्री बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, मैंने भी एक कालिंग अटेंशन दिया

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

था। मेरा नाम इसमें नहीं आया है। आप पता कर लें कार्यालय से।

श्री सभापति : इसमें नाम तो नहीं है साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : इसमें नाम दिया हुआ है। नाम की जगह छूटी हुई है।

श्री सभापति : नहीं, जगह नहीं छूटी हुई है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : छूटी हुई है, इसमें दिया हुआ है।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : नाम दिया हुआ है। मुझे ध्यान है।

देवनगर (जोधपुर) में सीलिंग से प्रभावित भूमि का बेचान

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, मैं देवनगर जोधपुर शहर में अधिकारियों की मिलीभगत से मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के माध्यम से सीलिंग से प्रभावित सरकारी जमीन के भूखण्ड काट कर बेच देने से राज्य सरकार को हुई हानि की ओर राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री गंगाराम चौधरी (राजस्व मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा माननीय विधायक महोदय ने मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड जोधपुर की देवनगर योजना के सम्बन्ध में की गई भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही तथा सम्बन्धित भूमि के बाबत नगर भूमि अधिकतम सीमा एवं विनियम नियम 1976 अरबन एक्ट के तहत की गई कार्यवाही में अनियमितता होना उल्लेखित किया है। इस प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति इस प्रकार है।

ग्राम जोधपुर के खसरा नम्बर 803/759 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 804/769 रकबा 22 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 808/771 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 812/760 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा नंबर 741/941 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा, कुल रकबा 34 बीघा 10 बिस्वा को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30-6-66 के अनुसार श्रीमती सुमित्रा देवी की खातेदारी में दर्ज की गई थी। श्रीमती सुमित्रा देवी ने यह भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा दिनांक 4-3-70 को श्री उम्मेद मल पुत्र देवचन्द ओसवाल गांधी को विक्रय कर दी।

तदुपरान्त राजस्व रिकार्ड में यह भूमि श्री उम्मेद मल पुत्र देवचंद की खातेदारी में अंकित हो गई। श्री उम्मेद मल ने इस भूमि में से 31 बीघा 8 बिस्वा भूमि को मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय करने का इकरारनामा दिनांक 15-2-81 को निष्पादित किया तथा दिनांक 23-9-81 को पंजीकृत विक्रय पत्र के द्वारा 31 बीघा 8 बिस्वा भूमि एक लाख बीस हजार रुपये में उक्त गृह निर्माण सहकारी

(श्री गंगाराम चौधरी)

समिति को विक्रय की गई। मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति ने तदुपरांत इस भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अतिरिक्त कलेक्टर, भूमि रूपान्तरण जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया तथा न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर भूमि रूपान्तरण जोधपुर के आदेश दिनांक 5-2-83, 3-8-83 एवं 2-12-83 के द्वारा इस समस्त भूमि का रूपान्तरण आवासीय एव वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया गया।

(3.00 म. प.)

माननीय विधायक महोदय ने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मे यह कहा है कि मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति को श्री उम्मेदमल द्वारा जो बेचान किया गया है वह उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में लेख है कि संबधित भूमि जोधपुर शहर की नगर संकुलन सीमा में स्थिति है, अत: इस भूमि पर अरबन एक्ट के प्रावधान लागू होते हैं। श्री उम्मेदमल द्वारा सक्षम अधिकारी नगर संकुलन जोधपुर के समक्ष अरबन एक्ट के प्रावधानों के अनुसार जो रिटर्न प्रस्तुत किया था उसके आधार पर सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर के न्यायालय में इस भूमि के संबध में कार्यवाही वर्ष 1976 में प्रारम्भ की गई थी। सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर ने इस कार्यवाही को उनके आदेश दिनांक 2-3-82 के द्वारा निर्णित किया है, जिसके अनुसार 50168 वर्ग मीटर भूमि को सीलिंग सीमा से अधिक माना गया है।

तत्पश्चात् अरबन एक्ट के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रिया अपनाते हुए सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर ने दिनांक 23-10-91 को उक्त अधिनियम की धारा 10 (5) के तहत एक नोटिस श्री उम्मेदमल को इस आशय का जारी किया कि वे 50168 वर्ग मीटर भूमि का कब्जा सचिव, नगर सुधार न्यास को नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस में सम्भला देवें। उक्त नोटिस के विरूद्ध श्री उम्मेदमल गांधी व मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति ने एक सिविल रिट याचिका संख्या 83/92 उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत की है। इस रिट याचिका में उच्च न्यायालय, जोधपुर ने दिनांक 7-1-92 को एक आदेश इस आशय का पारित किया है कि अग्रिम आदेश तक याचिका-कर्ताओं को विवादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया जावे, यदि उन्हें पूर्व में बेदखल नहीं कर दिया गया हो। उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के कारण यह भूमि अभी भी मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के कब्जे में है।

सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर के न्यायालय में इस भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही विचाराधीन होने के दौरान श्री उम्मेदमल ने दिनांक 9-4-85 को एक प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसे यह कृषि भूमि मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति को विक्रय करने हेतु अनुमति प्रदान की जावे। सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर ने इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दिनांक 15-4-81 को

(श्री गंगाराम चौधरी)

एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने, यह अंकित किया यह भूमि कृषि भूमि है, अतः कृषि प्रायोजन हेतु बचने की अनुमति प्रदान की जाती है। सक्षम अधिकारी के निर्णय दिनांक 15-4-81 की अनुपालना में दिनांक 29-4-81 को एक पत्र श्री उम्मेदमल को जारी किया गया जिसमें यह अंकित किया गया कि सम्बन्धित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनार्थ किया जा रहा है।

अतः अर्लसर एक्ट के प्रावधान इस भूमि पर लागू नहीं होते हैं एवं इस भूमि के विक्रय हेतु अनुज्ञा पत्र देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। तदुपरांत दिनांक 29-8-81 को सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर ने इसी पत्रावली पर एक आदेश पारित किया जिसमें उन्होंने यह अंकित किया कि इसी भूमि के सम्बन्ध में उनके न्यायालय में अर्लसर एक्ट के तहत कार्यवाही विचाराधीन है, अतः पूर्व में जारी पत्र दिनांक 20-4-81 द्वारा की गई अनुज्ञा को खारिज किया जाता है तथा उप पंजीयक, जोधपुर को सूचित किया जावे कि पत्र दिनांक 20-4-81 के आधार पर वे इस भूमि के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पंजीकृत नहीं करे। निर्णय दिनांक 29-8-81 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 1029 दिनांक 29-8-81 के द्वारा उप पंजीयक को निर्देशित किया गया कि पूर्व पत्र दिनांक 20-4-81 की अनुपालना में किसी दस्तावेज का पंजीयन नहीं किया जाये लेकिन जैसा कि ऊपर अंकित किया गया है उप पंजीयक अधिकारी ने इस भूमि के बाबत दिनांक 23-9-81 को एक विक्रय पत्र पंजीकृत किया जिसके द्वारा यह भूमि मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति, जोधपुर को विक्रय की गई।

जहां तक इस भूमि को आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किये जाने का सम्बन्ध है, मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति ने उनके हक में विक्रय पत्र पंजीकृत होने के उपरांत अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर के समक्ष आवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने यह भी अंकित किया था कि पूर्व में दिनांक 15-2-81 को श्री उम्मेदमल तथा मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के बीच इस भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में एक इकरारनामा निष्पादित किया गया था। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 19-10-82 द्वारा जोधपुर की नगर सीमा संकुलन सीमा में स्थित ऐसी कृषि भूमियों को अर्लसर एक्ट के प्रावधानों से मुक्त घोषित किया गया था जिनके बाबत दिनांक 20-8-81 से पूर्व विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया गया हो अथवा विक्रय इकरारनामा (एग्रीमेंट टू सेल) निष्पादित किया जा चुका हो। मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति ने अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण के समक्ष जो रूपान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें उन्होंने यह दर्शाया था कि इस भूमि के बाबत एग्रीमेंट टू सेल दिनांक 15-2-81 को निष्पादित किया गया था।

(31)

(श्री गंगाराम चौधरी)

अतः अतिरिक्त कलक्टर, भूमि रूपान्तरण, जोधपुर ने नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश दिनांक 19-10-82 के अनुसार इस भूमि को अरबन एक्ट के प्रावधानों से मुक्त मानकर भूमि रूपान्तरण के आदेश पारित किये हैं।

मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति ने भूमि रूपान्तरण हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उसमें उन्होंने इस राजकीय भूमि (रास्ता और नहर) को भी रूपान्तरित करवाने के लिये निवेदन किया था। यह राजकीय भूमि मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तय की गई भूमि के बीच में स्थित थी। राज्य सरकार के यह निर्देश थे कि यदि किसी व्यक्ति/संस्था ने राजकीय भूमि पर दिनांक 20-8-81 से पूर्व से कब्जा कर रखा है तो ऐसी राजकीय भूमि की कीमत, जो कि भूमि रूपान्तरण शुल्क के बराबर होगी, वसूल की जाकर सम्बन्धित व्यक्ति संस्था के पक्ष में रूपान्तरित की जा सकती है। इस प्रावधान के तहत अतिरिक्त कलक्टर, भूमि-रूपान्तरण, जोधपुर ने राजकीय भूमि रकबा 2558.2 वर्ग गज भूमि का रूपान्तरण मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी सीमित के पक्ष में स्वीकृत किया।

इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में माननीय विधायक महोदय ने यह भी लिखा है कि सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन, जोधपुर द्वारा उम्मेदमल के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज नहीं कराई नहीं है। इस सम्बन्ध में लेख है कि सक्षम अधिकारी नगर सकुलन जोधपुर में दृष्टया यह तय पाया कि उम्मेदमल ने मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति को जो भूमि विक्रय की है, वह आवासीय प्रयोजनार्थ की गई है, जबकि उन्होंने सक्षम अधिकारी के सक्षम विक्रय हेतु अनुमति लेने के लिए जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, उसके संलग्न शपथ पत्र मे यह अंकित किया था कि बेचान केवल कृषि कार्य के लिए किया जायेगा।

अतः श्री उम्मेदमल के विरुद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराने हेतु समस्त तथ्य वर्णित करते हुए एक पत्र दिनांक 30-6-92 को सहायक निदेशक, लोक अभियोजक जोधपुर को लिखा था, जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24-7-92 को सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर द्वारा सहायक निदेशक लोक अभियोजक के साथ विचार विमर्श भी किया था। इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है क्योंकि सहायक निदेशक, लोक अभियोजक ने कोई राय देने से पूर्व अन्य कुछ सूचनाएं चाही है। अतः एफ. आई. आर. दर्ज कराने का मामला वर्तमान में विचाराधीन है और सहायक निदेशक लोक अभियोजक से अन्तरिम राय प्राप्त होने के उपरान्त तदानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन है। सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर ने 50,168 वर्ग मीटर भूमि अरबन एक्ट के तहत राज्य

(श्री गंगाराम चौधरी)

सरकार में निहित करने हेतु आदेश पारित कर दिये हैं। लेकिन इन आदेशों के विरुद्ध उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा स्थगन दिये जाने के कारण इस भूमि का कब्जा नहीं लिया जा सका है। उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा विचाराधीन रिट में निर्णय के उपरान्त ही अन्य कोई कार्यवाही सम्भव हो सकेगी। सक्षम अधिकारी, नगर संकुलन जोधपुर के द्वारा उक्त रिट याचिका में जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है।

ज़िला कलक्टर जोधपुर ने सूचित किया है कि इस सम्पूर्ण मामले के सम्बन्ध में एक जांच लोकायुक्त महोदय के समक्ष भी विचाराधीन है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि यह मामला सबज्यूडिस है।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमराजजी।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब पढ़कर सुनाया है यह बिलकुल ही गोलमोल जवाब है। इसमें सारे तथ्यों को छुपाया गया है और जो कलक्टर की रिपोर्ट जोधपुर से आई है उस रिपोर्ट को भी इसके साथ में रखा नहीं गया है। कलक्टर जोधपुर की जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट यह स्वीकार किया है कि पग-पग पर इसमें बदमाशी की गई है, बेईमानी की गई है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा....कि देवनगर, जोधपुर शहर की जो भूमि है, पूर्व में चारागाह भूमि थी। इस चारागाह भूमि को ग्रीनलैण्ड बनाने के लिए कलक्टर, जोधपुर ने आरक्षित कर रखा था और यह एस. डी. एम. जोधपुर को निर्देश दिये हैं कि इस भूमि को किसी भी प्रकार से....

श्री सभापति : आप तथ्यों पर न जाकर प्रश्न पूछें तो ज्यादा उचित होगा। तथ्य तो सारे बता दिये गये हैं, अब एक-एक करके स्पेसिफिक प्रश्न पूछते चले जाइये।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री हेमराज मीणा : सभापति महोदय, कलक्टर ने जो आरक्षित की, उसके बाद भी उप जिला कलक्टर, जोधपुर ने इसको एक अतिक्रमी के नाम से और आवंटित की। आवंटित करने के बाद वह अतिक्रमी उस पर काबिज रहा। जब वह जमीन, ऐसा लगा कि जोधपुर शहर का विस्तार होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां पर जो जमीन के सरगना हैं, जो वहां के एक तस्कर माने जाते हैं, उम्मेद मल गांधी, उन्होंने इस 31 बीघा 8 बिस्वा जमीन 1970 में परचेज की। 1970 में यह भूमि खरीद कर उस जमीन को दांये-बांये न रखकर उन्होंने विचार किया कि इस जमीन को कैसे बचाया जा सकता है। 1976 के अन्दर अलसर एक्ट लागू हुआ। ज्योंहि अलसर एक्ट लागू हुआ तो उनके ध्यान में यह आया कि यह हमारी जमीन

(श्री हेमराज मीणा)

सीलिंग में आने वाली है, 1500 वर्ग गज जमीन से ज्यादा रख नहीं सकते।

इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने एक गृह निर्माण सहकारी समिति का सहारा लिया, जिस गृह निर्माण सहकारी समिति में उनके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी को पहले उसमें सदस्य बनाया, उनको मंत्री बनाया, उसके बाद स्वयं ने उस सहकारी समिति की सदस्यता ग्रहण की। जब उनको सदस्यता मिल गई, इसके बाद उन्होंने उस सहकारी समिति की यह जो जमीन है 31 बीघा 8 बिस्वा, इस जमीन को बेचने की कार्यवाही प्रारम्भ की।

सभापति महोदय, ज्योंहि बेचने की कार्यवाही प्रारम्भ हुई उससे पूर्व ही अरबन एक्ट लागू होने के कारण से इनके खिलाफ सीलिंग का मुकदमा दायर हो चुका था और ए. डी. एम. सीलिंग के यहां पर यह मामला विचाराधीन था। उन्होने इस बात को नकारते हुए यह बताया और एक छोटे से कागज पर एन. ओ. सी. ले ली डिपार्टमेण्ट से मिलकर। जब एन. ओ. सी. इन्होंने ली तो उसके आधार पर रजिस्ट्री करने के लिए इन्होंने आवेदन किया। ज्योंहि ए डी.एम. सीलिंग को यह पता लगा कि करोड़ों रुपयों की जमीन है, यह जमीन हमारे हाथ से जा रही है, उन्होंने इस एन. ओ. सी. को तुरन्त खारिज किया और उप रजिस्ट्रार, जो पंजीयन अधिकारी है, को एक चिट्ठी लिख दी कि इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाय।

सभापति महोदय, ए. डी. एम. सीलिंग के लिखने के बाद भी इन्होंने उस जमीन की रजिस्ट्री इस सहकारी समिति के नाम कर दी। इसके अन्दर भी एक बहुत बड़ी चाल हुई है। पंजीयन अधिकारी भी मिला हुआ था और जो ए. डी. एम. सीलिंग के छोटे कर्मचारी हैं उनकी भी इसके अन्दर मिलीभगत थी। उसके कारण से यह सारा जाल रचा गया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से वर्ष में हुई मिलीभगत ?

श्री हेमराज मीणा : यह जो मिलीभगत थी, तो सारी कांग्रेस के जमाने की और यह सारा मामला 1976 से लगातार था। 1976 मे ही...

श्री बुलाकीदास कल्ला : उम्मेदमल गांधी किस पार्टी का है... (व्यवधान)

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : अब आप करिये न कार्यवाही।

श्री हेमराज मीणा : ज्योंहि सहकारी समिति के नाम वह जमीन हुई, वास्तव में सहकारी समिति के नाम वह जमीन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीलिंग एक्ट के अनुसार अरबन सीलिंग उस समय लागू हो चुका था और उसके कारण से उनका मामला ए. डी. एम. सीलिंग के यहां विचाराधीन था, तो उस समय यह रजिस्ट्री करने का कोई भी अधिकार नहीं था और जब तक सीलिंग का फैसला नहीं होता तब तक किसी भी प्रकार से रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए थी। उसी प्रकार राज्य

(श्री हेमराज मीणा)

सरकार से एक सरकुलर निकाला गया कि जो जमीन 19-10-82 को उसके कब्जे में है, किसी के भी कब्जे में है, तो उसके ऊपर अरबन सीलिंग की छूट दी जा सकती है। इन्होंने अपने फर्जी दस्तावेज पेश किये, फर्जी दस्तावेज तैयार करके इन्होंने अरबन सीलिंग में छूट लेने का प्रयास किया। बिना गवर्नमेंट को सुने, न तो गवर्नमेंट को सुना गया, न नगर परिषद को सुना गया और इनके हक में इन्होंने फैसला लिया।

सभापति महोदय, इनके खिलाफ सीलिंग का फैसला हुआ जिसमें इनको 5-2-83 को ए. डी. एम. भूमि रूपान्तरण ने, सीलिंग का जो फैसला इनके खिलाफ हुआ, इसमें लगभग इनके खिलाफ पच्चीस हजार अठावन वर्ग फीट जमीन थी, वह इनके नाम की और जो सीलिंग एक्ट से बाहर की जमीन थी, इनकी जमीन को मुक्त किया। सभापति महोदय, सीलिंग एक्ट के बाद इन्होंने उस जमीन को रूपान्तरित करने का प्रयास किया। इन्होंने ए. डी. एम. सीलिंग से मिलकर, राजस्व अधिकारियों से मिलकर फर्जी एफेडेबिट प्रस्तुत किया कि यह हमारी जमीन है और हम इसको कृषि प्रयोजनार्थ काम में ले रहे हैं और इन्होंने एक रूपान्तरण की दरख्वास्त लैण्ड कन्वर्जन अधिकारी के यहां लगाई जबकि एक तरफ तो सीलिंग का मामला चल रहा है, दूसरी तरफ इन्होंने लैण्ड कन्वर्जन का मामला भी लगाया और राज्य सरकार की छूट को देखते हुए इन्होंने लैण्ड कन्वर्जन का प्रयास किया और अपने नाम पर जितनी जमीन इनकी नहीं थी, 31 बीघा 8 बिस्वा से भी अधिक जमीन को इन्होंने अपने नाम पर भूमि रूपान्तरण अधिकारी से मिलकर रूपान्तरण करवा लिया।

सभापति महोदय, जो रूपान्तरण हुआ, वह भी वास्तव में एक मिली भगत थी क्योंकि जब तक कोई कोर्ट का फैसला किसी मामले में विचाराधीन हो, जब तक कोई भी मामला निर्णीत नहीं हो जाय, तब तक इसका रूपान्तरण नहीं किया जा सकता। इस मामले में यू. आई. टी. ने भी आपत्ति की और गवर्नमेंट ने भी आपत्ति की हुई थी कि इसका रूपान्तरण नहीं किया जाय लेकिन तत्कालीन भूमि रूपान्तरण अधिकारी की सांठ-गांठ के कारण इनके नाम भूमि रूपान्तरित की गई। सभापति महोदय, आश्चर्य की बात तो यह है कि इनकी जो भूमि थी 60-58 कुछ वर्ग गज जमीन थी, इसके स्थान पर 72 हजार वर्ग गज जमीन रूपान्तरित की गई। सभापति महोदय, 72 हजार वर्ग गज जमीन इनके नाम रूपान्तरित की गई जबकि इनका प्रार्थनापत्र नहीं था। सभापति महोदय, जो 31 बीघा 8 बिस्वा जमीन थी उस जमीन के अन्दर एक सरकारी रास्ता था, एक सरकारी नहर थी उस सरकारी नहर को भी इन्होंने अपने नाम रूपान्तरित करवा लिया विभाग से मिली भगत करके, जबकि वास्तव में रास्ते और नहर का रूपान्तरण इनके नाम से नहीं होना चाहिए था। इसमें भी तत्कालीन भूमि रूपान्तरण अधिकारी की मिली भगत थी।

(श्री हेमराज मीणा)

इन्होंने इतना ही नहीं किया सभापति महोदय, अपने नाम भूमि रूपान्तरण करवाकर जो जमीन इनके पास कब्जे में नहीं थी और इनके रूपान्तरण ज्यादा हो गया, उसके बाद भी इन्होंने यू. आई. टी. के जो अधिकारी थे, उनसे मिलकर इस ज्यादा जमीन को यू. आई. टी. से इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और पूरी 72 हजार वर्गगज जमीन इन्होंने अपने कब्जे में कर ली। वास्तव में 72 हजार वर्गगज जमीन की कीमत आज की तारीख में अगर हम लगायें तो तीस करोड़ की वह जमीन थी जिसको इन्होंने अपने नाम हथिया लिया। सभापति महोदय, ज्योंहि इनके खिलाफ सीलिंग का फैसला हुआ, इन्होंने हाईकोर्ट में उसकी अपील की। हाईकोर्ट में अपील करने के बाद इतना टाइम इनको मिला था कि यदि इनके खिलाफ फैसला हुआ, सरकारी जमीन थी तो यू. आई. टी अगर चाहती तो उस समय इतना टाइम मिला था कि हाई कोर्ट की अपील के अन्दर लगभग एक महीने का मार्जिन था, यू. आई. टी. अगर चाहती तो अपने कब्जे में ले सकती थी लेकिन यू. आई. टी. के अधिकारी भी उसमें मिले हुए थे उसके कारण से उस जमीन को वह कब्जे में नहीं ले सके और श्रीगांधी के कब्जे में लगातार चल रही है। सभापति महोदय, यहां पर फर्जी दस्तावेज उन्होंने पेश किये। फर्जी दस्तावेज पेश करने में उनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने के आदेश हुए लेकिन वह इतने प्रभावशाली हैं, उनका जोधपुर के अन्दर इतना आतंक है कि कोई अधिकारी उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता, न कोई जन प्रतिनिधि उनके खिलाफ बोल सकता न उनके खिलाफ वहां कोई पत्रकार बोल सकता। यदि कोई बोलेगा तो उसकी हत्या कर दी जायेगी। ऐसी हालत जोधपुर शहर की इन्होंने बना रखी है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए (व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप खुद कैसे बोल रहे हैं....(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें....(व्यवधान)

श्री रामसिंह विश्नोई : नहीं-नहीं, आपने इस तरह की बात क्यों कहीं ...

श्री हेमराज मीणा : ज्यों ही एफ. आई. आर. दर्ज करने का आदेश ... (व्यवधान)

श्री सभापति : सुन लीजिए ...

श्री रामसिंह विश्नोई : कोई हत्या ही हो गई क्या, कितनी हत्याएं हुई आज तक ..

श्री हेमराज मीणा : ज्योंहि एफ आई. आर. दर्ज करने का आदेश हुआ

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, आज तक कितनी हत्याएं हो चुकी है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ... (व्यवधान)

श्री हेमराज मीणा : मैं आपको भी

(श्री हेमराज मीणा)

बताऊंगा इस बात को....सभापति महोदय ज्योंहि एफ. आई.आर. दर्ज कराने के आदेश हुए वहां के हाईकोर्ट को एक टेलीग्राम दिया। उस टेलीग्राम को मैं पढ़कर सुना रहा हूं आपको। यह धमकी का साक्ष्य है, यह प्रमाण है कि उन्होंने कितनी बड़ी धमकी दी है। कलेक्टर जोधपुर के भंवरलाल छीपा ने कई जगह बताया है कि मेरे खिलाफ प्रथम सूचना दर्ज हुई है। भूमि रूपान्तरण 1981 के अन्तर्गत हजारों भूमि रूपान्तरण के फैसले मेरे मामले की तरह ही आपके विभाग द्वारा जारी सैकड़ों अनुज्ञा पत्रों के आधार पर हजारों बीघा कृषि भूमि को आबादी में रूपान्तरण किया गया है। मेरे खिलाफ आप द्वारा यदि किसी प्रकार की प्रथम सूचना गलत आधार पर दर्ज करवाई गयी तो उसकी क्रिमिनल जिम्मेदारी आपकी व्यक्तिगत होगी।

इस षडयन्त्र में महेन्द्र मसाली भी शामिल है जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा पहले ही मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। टेलीग्राम प्रतिलिपि डाक द्वारा सूचना भेजी जा रही है। सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग राजस्थान, जयपुर, निदेशक नगर भूमि सीमा विवाद जयपुर, सक्षम अधिकारी नगर भूमि सीमा विवाद पावटा मण्डोर रोड, जोधपुर। उम्मेद मल गांधी देवगंज 47 देवनगर पालकी लिंक रोड जोधपुर। यह इनका खुद का लैटर पैड है सभापति महोदय। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि उनके खिलाफ इसी का परिणाम है कि आज दिन तक एफ. आई. आर. भी लाज नहीं हो सकी। अगर इस केस का हम पूरा विवेचन करें और तारीखवार हम इसको देखें तो इसमें हर क्षण, हर पल में, हर स्टेज पर बेइमानी और भ्रष्टाचार किया गया था और हर पल में अपनी जमीन को बेचने के लिए सारे खेल खेले गये हैं।

सहकारी समिति के अन्दर स्वयं का प्रवेश होना फिर उनकी पत्रिका प्रवेश कराना, पूरी गृह निर्माण सहकारी समिति पर कब्जा करना सभापति महोदय ज्योंहि कोआपरेटिव गृह निर्माण समिति के खिलाफ हाईकोर्ट का स्थगन आदेश होता है और सीलिंग एक्ट के अन्दर उसके खिलाफ फैसला होता है तो आप हाईकोर्ट में जाते हैं और हाईकोर्ट में जाने के बाद ही स्टे लेकर आते हैं। सभापति महोदय, स्टे मिला है यथास्थिति का लेकिन आज दिन तक वहां पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। यह सीड लीड लेकर प्लाट बेच रहे हैं लगातार। इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है हाईकोर्ट की भी लेकिन हाईकोर्ट का जो स्थगन आदेश था वह यथास्थिति का आदेश था लेकिन उसने उसकी भी अनुपालना नहीं की और अपने पक्ष में उस स्टे को मानते हुए सारी भूमि पर लगातार निर्माण कर रहे हैं, सभापति महोदय....

श्री सभापति : माननीय सदस्य इसमें बहुत लोग बोलने वाले हैं। कुछ औरों के लिए भी छोड़िये।

श्री हेमराज मीणा : ....इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। मैं चाहता हूं मान-

(श्री हेमराज मीणा)

नीय मन्त्री महोदय इसको गम्भीरता से लें या विधान सभा की जांच कमेटी बनायें या वहां के कलेक्टर जिसमें सरकार विश्वास रखती है उनसे जांच करवायें। सभापति महोदय, यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं जानता हूं हाईकोर्ट में क्या होता है। सरकारी वकील पेश होगा नहीं, सरकारी वकील नहीं जायेगा और एक तरफा फैसला हो जायेगा। इसमें कई फैसले ऐसे हुए हैं जो एक तरफा हुए हैं। इसी तरह लोकायुक्त का मामला चल रहा है। मामले के तथ्य छिपाये जायेंगे। यदि तथ्य सामने नहीं आयेंगे तो एक तरफा फैसला होगा और उसी के पक्ष में फैसला जायेगा। सभापति महोदय, जब तक सक्षम अधिकारी के द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं कराई जायेगी तब तक इसका कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता है। इसमें हर स्टेज पर बेईमानी की गई है ...

श्री सभापति : आप रिपीट कर रहे हैं।

श्री हेमराज मीणा : मैं समझता हूं कि जिसने बेईमानी की है और जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : श्री सुरेन्द्र गोयल

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। मैं इसके संबंध में जो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है उसके संबंध में चार पांच सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन करूंगा। मुझे मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या जोधपुर नगर में देवनगर में 31 बीघा 3 बिस्वा जमीन को जिलाधीश जोधपुर ने 3-9-53 को किसी भी व्यक्ति के नाम खाते नहीं बांधने के आदेश जारी किये गये हैं। वह उप-जिलाधीश, जोधपुर को दिनांक 2-9-53 को पाबन्द किया था कि यह चराई के लिए जमीन आरक्षित है और यह किसी के नाम नहीं करें। ऐसा कोई आदेश पारित किया गया था क्या ?

माननीय सभापति महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि यह जमीन जब चराई के लिए आरक्षित थी और उस पर कस्तूरा माली ने अतिक्रमण किया था। अगर अतिक्रमण किया था तो उसको बेदखल करने की कार्यवाही कर बेदखल किया गया था ?

तीसरा मेरा यह प्रश्न है माननीय सभापति महोदय कि यह जमीन चराई के लिए आरक्षित बताई गयी थी तो सुमित्रा देवी को धारा 88 में किस अधिकारी ने किस कारण से किस दस्तावेज के आधार पर खातेदार डिक्लेयर किया था ?

माननीय सभापति महोदय, मेरा चौथा निवेदन है कि जो सुमित्रादेवी को डिक्लेयर किया था उसके बाद नामान्तरण करने से पहले क्या तहसीलदार ने कलेक्टर के पास इस मुकदमें के रेफरेन्स के लिए कोई दस्तावेज पेश किये थे।

पांचवा मेरा निवेदन है माननीय सभापति महोदय कि वक्त जमीन शहरी क्षेत्र

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

में कब आई और सन् 1976 में सीलिग कानून के प्रभाव में आ जाने व यह जमीन शहरी क्षेत्र में आ जाने माफिक सीलिंग नियमों में 1500 वर्ग गज से ज्यादा जमीन होने से क्या उक्त जमीन बाबत सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी ?

छठा मेरा निवेदन है सभापति महोदय कि क्या उम्मेदमल ने दिनांक 9-4-81 को जोधपुर सीलिंग न्यायालय में झूठा शपथ पत्र इस आशय का पेश किया कि उसके खिलाफ कोई सीलिंग की कार्यवाही नहीं चल रही है और एन. ओ. सी. ले ली। क्या बाद में सीलिंग न्यायालय में पता चलने पर, झूठ सबूत पेश करने और एन. ओ. सी. लेने के खिलाफ एफ. आई. आर. लाज करवाने और उसका दुरुपयोग करने हेतु कोई कार्यवाही की गयी थी ? और वह एन. ओ. सी. कैंसिल करने हेतु सब-रजिस्ट्रार को लिखा गया था ?

माननीय सभापति महोदय, मेरा सातवां निवेदन है कि क्या इस प्रकार सब-रजिस्ट्रार को सूचित करने के बाद में भी दिनांक 22-9-81 का यह जमीन मारवाड़ ग्रामीण गृह निर्माण समिति के पक्ष में रजिस्ट्री द्वारा निष्पादित कर दी गयी थी ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? माननीय सभापति महोदय, सीलिंग न्यायालय में जब केस चल रहा था तो एन. ओ. सी. देने वाले अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, यह भी माननीय मंत्री महोदय बतायें। क्या 2-3-82 के सीलिंग न्यायालय के फैसले के बाद गृह निर्माण समिति के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिये ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है। उस अधिकारी के आदेश से गृह निर्माण समिति के नाम का अमलदरामद किसने किया ? उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी ?

माननीय सभापति महोदय, उक्त 31 बीघा 3 बिस्वा जमीन जिसका क्षेत्रफल 60791 वर्ग गज है न सुमित्रा का कोई हक और अधिकार था और न उम्मेदमल का कोई किसी प्रकार का अधिकार और हक था और न मारवाड़ गृह निर्माण समिति का कोई हक था। तो यह चराई की जमीन थी तो इसका रूपान्तरण किस अधिकारी ने किया और 11,838 वर्गगज का ज्यादा भूमि का भी रूपान्तरण कर दिया इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही करेंगे ? माननीय सभापति महोदय, क्या 15-2-81 का उक्त जमीन का बयान इकरारनामा मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में उम्मेद मल गांधी ने 19-10-82 को सीलिंग से छूट देने के आदेश राज्य सरकार द्वारा देने के बाद कूटरचना कर तैयार किया गया था और उसकी कोई जांच की गई और उस इकरारनामा के आधार पर क्या सीलिंग छूट ले सकते हैं ? माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय यह जानना चाहता हूं।

श्री सभापति : डा. चन्द्रभान

डॉ. चन्द्रभान (मण्डावा) : सभापति

(डा. चन्द्रभान)

महोदय, यह भूमि घोटाले का बहुत बड़ा मामला है। कुल मिलाकर यदि आज की तारीख में भूमि की दरों को ध्यान में रखा जाये तो यह 18 करोड़ से कम का मामला नहीं बनता है। सभापति महोदय, यह जानकारी मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि यह चरागाह की जमीन थी और सुमित्रा देवी गैर खातेदार थी। गैर खातेदारी जमीन का बेचान कैसे हो गया और फिर इसका कन्वर्जन कैसे हुआ और फिर इसको व्यवसायिक और आवासीय भूमि में कैसे बदला गया ?

आपने तो एक पढ़ा-पढ़ाया स्टेटमेण्ट था वह यहां हमारे सामने रटा-रटाया पढ़ दिया जो आपके विभाग ने आपको लिखकर दिया। सभापति महोदय, पिछले 22 साल से उम्मेदमल गांधी, नाम तो अपना गांधी रखते हैं, देवनगर में सेवा समिति चलाते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं। यह गांधी का नाम और देवताओं की नगरी में रहते हैं, जिसको बसाते है और पानी जनता को तो मालूम पिलाया या नहीं पिलाया इस सरकार को जरूर पिला दिया इन्होंने पानी और इसमें इनका सहयोग कौन-कौन कर रहे हैं, यू.आई.टी, आपका राजस्व विभाग, आपका भूमि रूपान्तरण का विभाग और आपका सहकारी विभाग, यह सब अधिकारी लोग जो इन ..(व्यवधान).. मैंने जब कह दिया कि यह मामला 20 और 22 साल से चल रहा है और जो-जो इस समय रहे होंगे, उन्हीं लोगों ने किया होगा।

सभापति महोदय, यह लैण्ड कन्वर्शन जिन लोगों ने किया और कौन लोग जांच में और कौन-कौन इन लोगों को सहयोग कर रहे थे, वह जो अधिकारी हैं उनका खुलासा माननीय मंत्रीजी की ओर से होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी ने तो इसकी जांच के बारे में कुछ नहीं, क्या-क्या हुआ, घटनाओं की चर्चा यहां पर कर दी, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को 16 विधायकों ने इसकी जांच के लिए कोई पत्र लिखा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जोधपुर गये थे तो उनसे कोई प्रतिनिधि-मण्डल मिला ? क्या जनता दल, कांग्रेस (आई), भारतीय जनता पार्टी और एम एफ.आई. इन लोगों ने इस घोटाले को उठाने के लिए समय-समय पर जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिये, प्रदर्शन किये ?

माननीय मंत्रीगण और वहां के विधायकगण और माननीय मुख्यमंत्रीजी को कोई ज्ञापन दिये ? और यदि यह सब-कुछ हुआ तो आज तक कोई जांच कमेटी बनाने का सरकार ने कोई काम क्यों नहीं किया ? पहले वालों ने क्या किया, उनकी रेट आप कब तक लगाते रहोगे, ढाई साल हो गया। आप लोगों के सामने यह मामला आ गया और यह मामला पहले भी उठ चुका है, तो आपने अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

सभापति महोदय, यह जो 34 बीघा फिर 31 बीघा और मारवाड़, यह गृह निर्माण समितियां तो, मैं कहना चाहूंगा

(डॉ. चन्द्रभान)

कि, सहकारिता के नाम पर कलंक हैं। यह सहकार की भावना से नहीं बनती हैं, जमीनों को दबाना, अतिक्रमण करना, खरीदना, किसी की जमीन खाली करवाना और बाद में धन कमाना, यह इनका उद्देश्य है और उम्मेदमल गांधी, क्या कहूं मैं, उनकी किस रूप में व्याख्या करूं, उनको तो दूरदर्शन से समाज सेवक का पद यह लोग, इस तरह से ले लेते हैं लेकिन इनके कारनामों को यदि देखा जाय तो यह पानी पिलाने की आड़ में क्या-क्या करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, जो पहले सदस्य ने कहा, खैर हत्या वगैरह कुछ नहीं हुई लेकिन यह आतंक फैलाने का और परेशान करने का काम करते हैं। चाहे वह पत्रकार हों, राजनेता हों, चाहे अन्य लोग हों, हमने इस मामले को उठाया, माननीय मुख्यमंत्रीजी को पत्र लिखने वाले जो विधायक थे, उनमें से एक में भी था। मेरे पास इनकी ओर से, देवनगर सेवा समिति के कोई मिस्टर रंगर हैं, उनकी ओर से एक पत्र आया और उस पत्र में जो लिखावट है, जो लिखा गया है वह ऐसा है कि जैसे हमने इनके खिलाफ शिकायत कर के कोई बहुत-बड़ा अपराध कर दिया है।

उन्होंने कहा कि आप हमारे जोधपुर के गांधी को, मारवाड़ के गांधी को बदनाम कर रहे हैं। मारवाड़ के गांधी, नाथूराम मिर्धा का नाम तो सुनते हैं, यह मारवाड़ के गांधी कहां से आ गये और कहां इनको बदनाम कर रहे हैं और इन्होंने कहा है, माननीय सभापति महोदय, पत्र में लिखा है जो अन्य माननीय सदस्य, जिन्होंने यह पत्र लिखा था उनके पास भी पत्र जरूर आया होगा कि हम तो सबकी पूजा करते हैं सबकी सेवा करते हैं। हमारी उम्मेद मलजी गांधी ने अधिकारियों की भी सेवा की है, वहां के, जो जोधपुर के स्थानीय विधायक हैं, उनकी भी सेवा की है और आपकी भी कोई जरूरत हो तो बताओ। इस तरह से इन्होंने किया और यह हर स्तर पर इन्होंने गड़बड़ियां की हैं। जो आपने बताया, लैण्ड कन्जवेंशन जो 60791 वर्ग गज भूमि का होना चाहिए था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, पॉईण्ट ऑफ आर्डर। इन्होंने कहा है कि जोधपुर के विधायकों की सेवा की है, तो इनको बताना चाहिए, कौन विधायक हैं? बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि क्या बोलना चाहिए था, क्या बोलना है।

श्री सभापति : इन्होंने यह नहीं कहा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, माननीय सभापति महोदय, हम नहीं सुनेंगे ऐसी बात। माननीय सभापति महोदय, इनको स्पष्ट करना होगा। यह कैसे कह दिया। यह बात नहीं, सभापति महोदय.... (व्यवधान)....

श्री सभापति : विधायकों के बारे में नहीं कहा इन्होंने। माननीय सदस्या, आप विराजिये, विराजिये (व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, जोधपुर के विधायकों का तो ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव है ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : यह कैसे कह दिया इन्होंने । नहीं, सभापति महोदय, यह बात स्पष्ट होगी । यह ऐसी बात नहीं कह सकते ।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही, मैं स्पष्ट कर रहा हूं ...

श्री सभापति : माननीय सदस्या, आप बिराजिये । मैं पूछता हूं इस बारे में ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां, यह आप पूछिये इनसे, आपने यह बात....(व्य.) ... कैसे कह दी यह बात ।

श्री सभापति : अब सुनिये तो सही आप, बैठिये । जब सुनेंगी न आप....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आपने कैसे कह दी यह बात ।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिए तो सही । एक मिनिट सुनिये तो सही आप । मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं ।

श्री सभापति : बैठिये ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, आरोप की बात नहीं है....

डा. चन्द्रभान : आप सुनने का कष्ट कीजिए, आप बीच में....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : इसमें कष्ट की क्या बात हो गयी ।

डा. चन्द्रभान : आप सुनिये तो सही । मेरे पास जो पत्र आया है वह, माननीय सभापति महोदय, कल आपको दिखा दूंगा । उस पत्र में है कि हम हमारे विधायकों की सेवा करते हैं आपको भी कोई आवश्यकता हो तो बताओ । इससे क्या अर्थ निकलता है, मुझे आप बताइये (व्यवधान) ...

श्री सभापति : बिराजिये, बिराजिये आप ।

डा. चन्द्रभान : वह पत्र माननीय हेतरामजी को भी मिला है और वह पत्र घर पर पड़ा है । मैं नहीं आरोप लगाता । मुझे कोई रंगर हैं, देवनगर सेवा समिति के, उनका पत्र है, मैं कह रहा हूं कि यह उम्मेदमल गांधी ऐसे पत्र लिखवाता है । आप उल्टा समझ रही हैं इसको.... (व्यवधान)....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, आपके ऊपर आरोप थोड़े है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, यह आरोप नहीं है । जो इनके पास पत्र आया है उसका विवरण दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री किशनाराम : पत्र आया है तो प्रस्तुत करें ...(व्यवधान)... हाऊस में बात बता रहे हैं ।

श्री सभापति : नहीं, यह पत्र की भाषा

(श्री समापति)

बता रहे हैं। यह कोई आरोप नहीं है, बिराजिये आप।

श्री किशनाराम : पत्र पड़ा है घर ... (व्यवधान)....

श्री समापति : माननीय किशनारामजी, बिराजिये आप।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय समापति महोदय, आरोप कैसे नहीं है।

श्री समापति : यह अपनी ओर से आरोप नहीं लगा रहे हैं। यह इनको जो पत्र दिया है, वह बता रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : आरोप कैसे नहीं है,... (व्यवधान)...

श्री समापति : यह, यह कह रहे हैं कि मेरे पास पत्र आया है उसमें यह भाषा है, उसमें यह भाषा है, तो आरोप कहां हुआ यह।

श्री रामसिंह विश्नोई ! आरोप तो हो गया न....

श्री समापति : आरोप उस आदमी ने लगाया है इन्होंने थोड़ी लगाया है आरोप। उसके खिलाफ जो कार्यवाही करनी हो वह कर देना....(व्यवधान)....

श्री किशनाराम : जिस पत्र के लिए यह बता रहे हैं वह पत्र तो....

श्री समापति : कृपया बिराजिये, व्यवधान नहीं डालिये....(व्यवधान)....

श्री किशनाराम : पढ़ कर के बताओ पत्र यह है।

श्री समापति : बिराजिये, बिराजिये।

डा. चन्द्रमान : समापति महोदय, जो पत्र मेरे पास आया है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, वही पत्र हेतरामजी बेनीवाल के पास आया है और वही पत्र माननीय राजेन्द्रजी के पास भी आया होगा, उसमें लेंग्वेज क्योंकि टाइप्ड है वह और मैं रख दूंगा कल सदन की मेज पर....

श्री समापति : हां, आगे कहिये अब आप।

डा. चन्द्रमान : और मैं, इसमें कोई वैसे चार्ज आप पर नहीं लगा रहा हूं....

श्री समापति : छोड़िये उस बात को, रिपीट मत कीजिए। आगे बात कीजिए आप।

डा. चन्द्रमान : हां, उस ओर से जो हो रहा है वह मैं आपके सामने, आप लोगों पर चार्ज नहीं है .. (व्यवधान)....

श्री रामसिंह विश्नोई : जोधपुर के एम एल ए हो गये सारे, और क्या होगा।

डा. चन्द्रमान : नहीं, ऐसा ही तो कहा है इन्होंने....(व्यवधान)....

श्री रामसिंह विश्नोई : नाम की जरूरत ही नहीं है इसमें। नाम की जरूरत है

(श्री रामसिंह विश्नोई)

ही नहीं। सारे जोधपुर के जो एम. एल. एज हैं, वह सब के ऊपर चार्ज हो गया।

डा. चन्द्रभान : उसने यह भी कहा है कि हम आपकी भी सेवा कर देंगे। वह तो हमारे लिये कहा है... (व्यवधान)... आप सुनने का कष्ट कीजिए, वह हमारे लिए भी कहा है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें, सुनिये उनकी बात। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास पत्र आया है, इसमें ऐसा लिखा है। वह गलत हो सकता है, यह कब कह रहे हैं कि उसमें जो लिखा है वह सही है। इन्होंने यह तो नहीं कहा कि इनका भी मत यही है यह तो यह कह रहे हैं कि ऐसा पत्र आया है।

श्री हेमराज मीणा : वह पत्र जो आया है, वह पत्र मैंने माननीय सदस्यों को पढ़वा दिया है। मेरे पास भी मौजूद है, यह विरोध पत्र सबके पास है।

श्री सभापति : माननीय मुख्यमंत्रीजी बोल रहे हैं, विराजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, पत्र में कुछ भी लिखा हो, पत्र में लिखी हुई बात, उसका रेफ्रेन्स या इंफ्रेन्स यह निकलता हो कि विधायकों पर भी लांछन आ सकता है तो उसमें अपनी जिम्मेदारी के साथ माननीय सदस्य बोलें, पत्र के आधार पर नहीं बोलें।

श्री नत्थीसिंह : माननीय मुख्यमंत्री जी इसको टिवस्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा है वह पत्र लिखा है वह गलत है, उनका कहना यह है। वह पत्र जो लिखा गया है उसमें धमकी दी गई है। पत्र में शिकायत करने वाले एम.एल.एज. को और जोधपुर के एम.एल.एज. को बदनाम किया गया है, उनका कहना यह है। यह थोड़ी कहना है, यह आरोप लगा रहे हैं।...(व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य समझे नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि उम्मेदमल गांधी की ओर से पत्र लिखवाया गया है, उसमें जो अधिकारी हों का विधायक लोग हों, उनको इनडायरेक्ट में कहना चाहिए कि एक थ्रेट है और एक प्रलोभन है, मैं तो यह बात कह रहा था और वह पत्र सबके पास है। हेमराज जी मीणा के पास है, आपके पास है....

श्री सभापति : हां, आप कह चुके हैं इस बात को, अब आगे बोलिये।

डा. चन्द्रभान : माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में आपसे मेरा एक निवेदन साफ रूप से है कि सरकार, चाहे वह पहली हो चाहे वतमान हो, यह उम्मेदमल गांधी के ऊपर, हाथ डालने में कतरा रही है और नहीं तो कोई वजह नहीं है कि अमानउल्ला नाम का तहसीलदार जो यू. आई टी. का तहसीलदार था, यह मामला डिस्ट्रिक्ट ग्रिवियेन्स कमेटी में भी गया था और जिलाधीश महोदय ने, यू. आई टी. के तहसीलदार को इसकी पूरी जांच करने के लिए लिखा था और कहा था, आदेश

(डा. चन्द्रभान)

दिये थे। अमानउल्ला ने जांच की और उन्होंने उम्मेदमल गांधी को दोषी पाया। उसके बाद में उम्मेद गांधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि इसी सरकार के चलते अमानउल्ला का स्थानान्तरण हो गया। यह 90 की बात है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कई बार इस सम्बन्ध में शिकायतें हुई हैं, कई बार इस सम्बन्ध में जिले के स्तर पर जांच हुई है और उसमें बार-बार दोषी पाया गया है फिर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है।

मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि यह आपने जो लिखा हुआ पढ़ दिया है, इससे काम नहीं चलेगा। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप इसके लिए हाई पावर कमेटी की घोषणा आज कीजिए और इस उम्मेदमल गांधी को कम से कम इतना तो पाबंद कीजिए कि जो जमीन आज के दिन उसके पास है; जिस मैटर को आप सबजुडिस बता रहे हैं वह उस जमीन को आगे नहीं बेचे। हाई पावर कमेटी आप बनाइये और कौन-कौन अधिकारी थे जिन्होंने समय-समय पर उम्मेदमल गांधी की मदद की है, इसमें यू. आई. टी. इसमें लैण्ड कन्जवर्शन, इसमें आपका रेवेन्यू और को-ऑपरेटिव डिपार्टमेण्ट, चारों किसी न किसी रूप से मिले हुए हैं। इनकी मिली भगत से कहना चाहिए कि कोर्ट में बार-बार आपने कहा कि गवर्नमेण्ट एडवोकेट खड़ा ही नहीं होता।

श्री रामसिंह बिश्नोई : जमीन की पोजीशन क्या है?

डा. चन्द्रभान : जमीन की पोजिशन तो आप बता रहे हैं कि मैटर सबजुडिस है। काफी जमीन तो बेच दी है, समय-समय पर बेचता रहा और और जमीन बेच देगा, सभापति महोदय।

अच्छा वह एक बात और कहता है, पानी पिलाता हूं। पानी जनता को तो पिला नहीं रहा है, इन विभागों को पिला दिया और किसी को क्या खिला दिया, यह सब जांच का विषय है। मैं इतना निवेदन करूंगा, हाई पावर कमेटी की घोषणा आज सरकार करे। पूरे तथ्यों की जांच होनी चाहिये, किन-किन लोगों ने किस-किस समय पर इन उम्मेदमल गांधी की मदद की। यह जो चरागाह की जमीन थी, सरकार की जमीन थी, इसका इस तरह दुरुपयोग हो गया, करोड़ों रुपयों का सरकार को नुकसान हो गया इसके बावजूद जांच आप करते नहीं। विधायक लोग आपको ज्ञापन देते हैं, पत्र लिखते हैं तो उल्टे विधायकों को ही धमकी देते हैं। इस तरह के व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री सभापति : धन्यवाद माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय सभापति जी, पूर्व सदस्यों ने विस्तारपूर्वक अपनी बात रखी है। जो तथ्य राजस्व मंत्रीजी ने बताये हैं, उनमें थोड़ी बहुत हेराफेरी है और सच्चाई से काफी दूर हैं। माननीय सभापतिजी, जोधपुर शहर में जब राजाओं

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

का राज था और शहर का विस्तार नहीं हुआ था उस समय यह पशुपालकों की चरागाह भूमि थी। इसमें किसी को खातेदारी नहीं दी गयी थी।

जैसा पूर्व सदस्यों ने यह बताया कि जिला कलक्टर, जोधपुर ने 1953 में यह पाबन्दी लगा दी थी कि किसी को खातेदारी नहीं दी जाय। उसके बाद किस प्रकार यह खातेदारी मिलने के बाद किस प्रकार उम्मेदमल गांधी ने यह जमीन खरीदी और किस प्रकार भूमि रूपान्तरण हुआ, यह सारा जांच का विषय है। कई बार इसकी जांच हुई है। जांच में अनियमितताएं पायी गयी हैं, इसमें भ्रष्टाचार पाया गया है।

मैं, सभापतिजी, आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, इसकी शुरू से लेकर अन्त तक जांच करें। इसकी सतर्कता विभाग ने जांच की, जिला कलक्टर ने जांच की, यू. आई. टी. ने जांच की। सब में यह पाया गया है कि यह जमीन जो भूमि रूपान्तरण में दी गयी है वह गलत भूमि रूपान्तरण किया गया है। इसकी जांच की जाय।

उसके बाद सहकारिता विभाग में इसकी इतनी शिकायतें हुईं। इसमें 150 प्लाट हैं, 150 प्लाट 1500 व्यक्तियों को दिये गये हैं बार-बार इसके प्लाट किसी न किसी नाम से ट्रांसफर कर दिये जाते हैं जिससे वास्तव में जिसने प्लाट खरीदा है उसको आज तक उसका प्लाट नहीं मिला पहले जब सहकारी समिति का गठन हुआ था उस समय कितने सदस्य थे? उसके बाद कितनी बार इसकी सूचियां बदली गयीं, कितनी बार इसके प्लाट बांट दिये गये? दूसरी बात जो आ रही है, यह भूमि अभी 60791 वर्ग गज होनी चाहिये। आज उस स्थान पर 72,000 वर्ग गज के ऊपर भूमि है। 72,000 है उसके बाद नाप की गयी तो 74,000 वर्ग गज भूमि आयी है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी और राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि भूमि वहां पर है, आप एक जांच बैठाइये और सारी भूमि की नाप करवा लीजिये। विवाद भूमि का है। 90 के पहले इस प्रकार का घोटाला हुआ है। 90 के बाद निरन्तर यह जांच होकर इसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये सरकार और प्रशासन कार्यवाही कर रहा है परन्तु मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि सारी बातें इस प्रकार की सामने आ रही हैं तो आपको देखना चाहिये, भूमि कितनी है। उम्मेदमल गांधी ने जब यह भूमि खरीदी थी उससे पूर्व एक साधारण क्लर्क था, आज उसने इतनी सारी सम्पत्ति अर्जित की है उसके ऊपर भी जांच की जानी चाहिये। जांच से पता लगेगा। जिस प्रकार का एक पत्र उसने निकाला, पत्र सब विधायकों के पास भेजा, पत्रकारों के पास भेजा और प्रशासनिक अधिकारियों के पास भेजा, डायरेक्टर इस प्रकार की धमकी देकर जन प्रतिनिधियों का और जो उसके विरुद्ध उठाने वाले हैं उनका चरित्र

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

हनन कराना चाहता है ।

मैं आपसे यह निवेदन करूंगा, इस पूरे मामले की जांच की जाय । '90 से पूर्व उसने जिस प्रकार की अनियमितताएं वहां की हैं उस पर लगातार जिस प्रकार की रिपोर्ट आयी है, 91 के अन्दर तहसीलदार यू. आई. टी. ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के आधार पर यह सिद्ध होता है कि उम्मेदमल गांधी ने जिस प्रकार की भूमि की अनियमितता की है वह हमारे सामने है । माननीय सभापति जी, सारे तथ्य आपके सामने आये हैं । इसकी तुरन्त जांच करवायें और 15 दिन में यह जांच पूरी की जाय जिससे सामने पता लग जायगा पूर्व सरकार ने उसको समर्थन देकर, आशीर्वाद देकर किस-किस ढंग से अनियमितताएं की हैं । जोधपुर में एक गम्भीर मामला बन गया है । जोधपुर शहर के आसपास चरागाह भूमि में लाखों वर्ग गज ऐसी भूमि है जिसमें लोगों ने इस तरह फर्जी खातेदारी लेकर, 58/2 हो, बड़ासरा की भूमि हो, और भूमि हो उसमें इस प्रकार की खातेदारी लेकर अपनी खातेदारी करवायी है । शहर का विकास रुक गया है । शहर में आवासीय समस्या का संकट आ गया है । यह हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी । हाउसिंग बोर्ड की जमीन उसके पास है । हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हुए हैं । यदि सरकार चाहती तो वह मकान ले सकती थी ।

मेरा आपसे निवेदन है कि सहकारिता विभाग की, राजस्व विभाग की और भूमि रूपान्तरण विभाग की जांच करवायी जाय । जांच से यह पता लगेगा । उम्मेदमल गांधी ने, एक नहीं अनेक जोधपुर के भूमि तस्करों ने इस प्रकार की भूमि आवंटन कराकर लोगों की आवासीय समस्या को जटिल कर दिया है और लोगों को लूटा है । फोर्जरी की है लोगों के साथ । लोगों को एक-एक मकान देकर सैकड़ों व्यक्तियों को भूमि आवंटन कर दिया गया है । यह सारा जांच का विषय है । माननीय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच करवायी जाय ।

श्री सभापति : धन्यवाद । विराजिये । माननीय श्री हजारी लाल ।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : सभापति महोदय, जब जांच हो रही है... (व्यवधान) ।

श्री सभापति : सुनिये आप । विराजिये, बिराजिये आप ।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मैं यह कह रहा हूं, ढाई साल में कार्यवाही क्यों नहीं हुई उसके खिलाफ ?

श्री सभापति : आप बिराजिये, माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं डालें । माननीय श्री हजारी लाल ।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इस सरकार ने नोटिस दे दिया जमीन पर कब्जा करने के लिये ।

श्री सभापति : कृपया बिराजें । सचेतक महोदय कुछ कह रहे हैं ।

सदन की कार्यवाही

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापतिजी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का प्रयोग सायं 4 बजे के स्थान पर सायं 4.50 बजे किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : अभी कैसे हो जायगा ?

श्री सभापति : मुखबन्द के समय की बात है केवल मात्र। मुखबन्द का समय जो चार बजे लिखा गया था कार्यसूची में उसको साढ़े चार करना चाहते हैं। क्या सदन की अनुमति है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, नो, नो। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नत्थी सिंह : अभी तो एक मांग पर बहस होगी, न्याय प्रशासन पर। उसके बाद विनियोग विधेयक पर बहस होगी। उससे पहले मुखबंद होगा। लेकिन आधा घंटे में आप बहस कराना चाहते हैं। इसलिये आप क्यों कर रहे हैं ? आप 6 बजे का समय रखिये। उस पर बहस शुरू करवाइये।

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अभी हाउस पांच बजे तक है। अभी हाउस का टाइम पांच बजे तक है, आगे बढ़ा देंगे।

श्री सभापति : ठहरिये साहब, पहले यह पूछ लूं। प्रस्ताव क्या है आपका ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : 4.50 पर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे इसी बारे में बोलना है।

श्री सभापति : इस बारे में है आपका व्यवस्था का प्रश्न ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी हां।

श्री सभापति : बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आज की कार्यसूची देखें, श्रीमन्, क्या यह सम्भव है ? संभव कैसे है ? 4.50 पर आप मुखबन्द लगा देंगे।

श्री सभापति : नहीं, सवाल यह है कि बाद में बढ़ा दिया जायेगा, अभी जबकि हाउस का ही समय नहीं बढ़ाया गया है पांच से आगे तो पांच से आगे कैसे कहा जा सकता है। इसलिये पांच के बाद में भी बढ़ा देंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इकजाई ले आयें प्रस्ताव। बढ़ा लें, इसमें कहां दिक्कत आ रही है ? आप बार-बार सदन का समय बरबाद करेंगे प्रस्ताव ला करके, एक दफा ही ले आइये आपको जो लाना है।

श्री सभापति : क्या कहना है माननीय मुख्य सचेतक जी ?

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : अभी 4.50 तक है।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि मुखबन्द का समय 4.50 कर दिया जाय ?

(स्वीकृत)

मुखबन्द का समय 4.50 तक बढ़ा दिया गया। माननीय हजारीलालजी।

देवनगर (जोधपुर) में सीलिंग से प्रभावित भूमि का बेचान

श्री हजारी लाल : सभापति महोदय, इस जमीन के घोटाले को 39 साल, 40 साल हो गये। मैं दो बातें पूछना चाहता हूं राजस्व मंत्री महोदय से। 39 साल की इस लम्बी अवधि में कौन-कौन अधिकारी इसमें दोषी रहे हैं ? करीब 20 जगह यह पाया गया है कि इस जमीन में जगह-जगह गैर खातेदारी हुई है, फिर खातेदारी हुई, फिर सीलिंग में आयी। हर जगह त्रुटियां हुई हैं। मेरा राजस्व मंत्रीजी से निवेदन है कि पूरी जांच की जाय और पूरी जांच में जो भी व्यक्ति दोषी है उसको दंडित किया जाय।

श्री सभापति : विराजिये।

श्री हजारी लाल : दूसरा मेरा निवेदन है कि वर्तमान में यह केस हाईकोर्ट में विचाराधीन हो सकता है बाकी 60791 वर्ग गज जमीन थी तो उम्मेद मल गांधी की हो सकती है। वर्तमान में कब्जा 74,000 वर्ग गज पर है। यह 14,000 वर्ग गज जमीन आज ही कब्जे राज लेकर नगर निगम को सौंपी जाय।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : जो बातें आ चुकी हों उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। नयी बात कह दें, सदन का आज बहुत बिजनस है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (जोधपुर) : माननीय सभापति महोदय, मैं जो भूमि घोटाला कांड के बारे में जैसा पूर्व वक्ता ने कहा है, उस बात पर न जाकर एक बात की जानकारी आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगी कि पूर्व सरकार ने यह मौका आने ही क्यों दिया और अब यह सामने बैठे हुए हैं मेरे सामने....

श्री हेतराम बेनीवाल : अब आपके यहां गड़बड़ी हुई है उसको रोको ना। (व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया व्यवधान नहीं डालें....(व्यवधान) सुनिये... (व्यवधान) सम्मान के साथ सुनिये।

श्री हेतराम बेनीवाल : माल तो अब उड़ाये जा रहे हैं।

श्री सभापति : कोई बात नहीं सुन लीजिए आप।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : नहीं क्या हो गया पूर्व सरकार कहें दिया तो ? क्या हो गया ? पूर्व सरकार के घोटाले....

श्री हेतराम बेनीवाल : जिन मंत्रियों ने जिन्होंने परवाह नहीं की...(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया शांत रहिये। सुनिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : माननीय सभापति महोदय, अपने पत्र दिनांक 20-8-81 के श्री गांधी के 10-4-81 के पत्र के जवाब में उल्लेख किया है कि यह जमीन

(श्रीमती सूर्यकांता व्यास)

ग्रीन बैल्ट प्लान में है। कृषि योजना की हैं इसलिए अनुज्ञा प्रदान करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सक्षम अधिकारी यह 29-8-81 को सब रजिस्ट्रार, जोधपुर को सूचित किया है कि गांधी के विरुद्ध सीलिंग में कार्यवाही चल रही है इसलिए गांधी रजिस्ट्री नहीं कर सकते, इसके बावजूद मिली भगत कर रजिस्ट्री करवायी। जब सीलिंग अधिकारी द्वारा 20-4-81 को अनुज्ञा पत्र खारिज कर दिया गया तो भी श्री गांधी द्वारा रजिस्ट्री की गई कार्यवाही निष्प्रभावी हो जाती है। प्रायः यह देखा गया है कि सहकारी समितियों की सांठगांठ में जमीनों का घोटाला किया गया है और इसके अन्दर पूर्व में जो भी कोई भी अधिकारी था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहूंगी कि उसके अन्दर जो कोई भी अधिकारी था और मिलीभगत से यह काम हुआ है, उसकी जांच करायी जाये। आज एक गरीब आदमी एक अपनी झोपड़ी बनाता है तो जाकर उसकी झोपड़ी गिरायी जा सकती है और इतना बड़ा गांधी ने घोटाला किया है, उसमें आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। मैं इसके लिए हमारे जो अधिकारी हैं उनको धन्यवाद दूंगी कि इस घोटाले को वे सामने लाये और इसकी जांच कराने के लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्रीजी से मांग करूंगी।

श्री सभापति : धन्यवाद। विराजिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : कि ऐसी सहकारी समितियां हैं जोधपुर के अन्दर जो घोटाले से भरी हुई हैं जैसे जगदम्बा सहकारी गृह निर्माण समिति है, ऐसी कई हैं। मैंने सभापति महोदय, इन समितियों के बारे में हमारे मंत्री महोदय को भी निवेदन किया है और सारा बताया है। मगर मैं यह चाहूंगी इस तरह से घोटाले की जमीनों का सख्ती से सख्ती पालना करके इसकी जांच करायी जाय और यहां जांच करने के लिए कमेटी लगायी जाये।

मैं चाहती हूं कि मुख्यमंत्रीजी हमारे यहीं नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से घोटाला हो। यह तो पूर्व सरकार के घोटाले हैं और हमारे मुख्यमंत्रीजी इसको उजागर कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि कैसी-कैसी जमीनें थी। गरीबों को तो न मिले और पैसे वाले लेकर बैठ गये। सामने बैठे जो माननीय सदस्य हैं, मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूं, मगर यह इस बात में व्यवधान डाल रहे हैं। यह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए और बीच में जब एक महिला बोल रही है तो उसको टोकाटाकी कर रहे हैं और मुझे इस बात की पीड़ा हो रही है कि इनको यह बात सोचनी चाहिए कि एक गरीब आदमी को तो जमीन नहीं मिले और यह लाखों, अरबों का घोटाला करने वालों को अपना सहयोग प्रदान करते रहे। इनकी वजह से आज हमको, हमारी सरकार को यह सामना करना पड़ रहा है और आज हम चाहते हैं किसी गरीब आदमी को कोई प्लाट मिले, कोई जमीन मिले तो उसको देने में असुविधा आ रही है और आप इस घोटाले की जांच के लिए एक

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

समिति गठित करेंगे, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी रहूंगी।

श्री सभापति : धन्यवाद । श्री मदन दिलावर । बहुत संक्षिप्त में, कृपया रिपीट न करें, समय का ध्यान रखें ।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, जब यह सारी बात सामने आ गई और अतिरिक्त कलक्टर जो वहां के हैं, उन्होंने जांच की है । उनके तथ्यों को बिल्कुल भी, जो मंत्री महोदय ने बताया है जवाब में, उसमें नहीं लिया गया है । जब वहां के तहसीलदार की रिपोर्ट है और पूर्व में भी जो सतर्कता समिति वगैरह ने जांच की है, उन सबमें भी इनको दोषी पाया गया है तो अभी तक एफ. आर. दर्ज नहीं कराने का क्या कारण रहा है, यह मंत्री महोदय बतायेंगे । कुछ प्रश्न मैं करना चाह रहा हूं माननीय मंत्री महोदय से, मैं उनका जवाब भी चाहूंगा कि क्या यह सही है जिस दिन इस जमीन का रूपान्तरण मारवाड़ गृह निर्माण के पक्ष में किया गया, उस दिन तक सीलिंग न्यायालय के निर्णय 2-3-82 के प्रकाश में जमीन का टाइटल उम्मेद गांधी के नाम ही था ।

क्या यह सही है कि अलसर एक्ट की सीलिंग की कार्यवाही पेंडिंग होने के दौरान उस जमीन का कोई भी विक्रय या हस्तांतरण नगर भूमि अधिकतम सीमा कानून के संशोधन 5(3) के तहत निष्प्रभावी हो जाता है और इस आधार पर अलसर की जमीन के सारे राजस्व रेकार्ड सुनने की स्थिति में आते हैं ।

सभापति महोदय, इसमें मेरा निवेदन है कि यह एक बहुत बड़ा जमीन का घोटाला है और यह उम्मेद गांधी पानी पिलाने के नाम पर, सेवा के नाम पर, सेवाभावी लोगों को बदनाम कर रहा है । सेवा करने वाले लोगों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इस प्रकार से निस्वार्थ सेवा की जा सकती है क्या ? तो इन सेवाभावी लोगों को बदनाम करके, उसकी आड़ में और यह सियार रूपी आदमी शेर की चमड़ी पहनकर घूम रहा है । इस सियार ने शेर की खाल पहन रखी है, इसको उतारकर फेंक देना चाहिए और वास्तव में यह सियार है । यह पूरे राजस्थान की जनता को बताना चाहिए और इसको हथकड़ियां डालकर जेल में ठूंस देना चाहिए । यह बहुत बड़ा भूमि घोटाला है इसलिए मेरा आग्रह है, कि इस प्रकार का निवेदन आप स्वीकार करें ।

(3. 55 म. प.)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : अन्य बोलने वाले माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस पर केवल आप पाइण्टेड क्वश्चन कीजिए । अब बहुत लम्बी चौड़ी यह बहस हो गई । एक घण्टा हो गया इसमें... (व्यवधान) हां होगा तो इसका एंड भी तो होना चाहिए ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : (अनुपस्थित) लक्ष्मीनारायण दवे ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट । मैं निवेदन करना चाहूंगा अब इतने लोग तो बोल लिये, क्या वह पाइण्टेड क्वेचन आने चाहिए थे ? पूरे भाषण हो गये। हमारे दल के ऊपर आरोप लगा दिये गये । अगर आप हमारे दल के एक भी माननीय सदस्य को अवसर नहीं देंगे तो हमारे दल का पाइण्ट ऑफ व्यू रख नहीं पायेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्योंकि उस दल के सदस्यों को तो आप पाइण्टेड क्वेश्चन की बात कर लें । जब हमारा वक्त आ रहा है तो आप कह रहे हैं पाइण्टेड क्वेश्चन पूछेंगे । यह डिसक्रिमीनेशन नहीं चलेगा, यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं इसमें यह जो जिस प्रकार की परिपाटी काल अटैंशन मोशन में है, आपको भी मौका दिया जायेगा ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : नहीं अब तक परिपाटी कहां चली गई । वह लोग बोले तो परिपाटी नहीं....

श्री उपाध्यक्ष : ना ना उनके तो नाम हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हां तो इनका भी नाम है । रामनारायण जी वर्मा का भी नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष : नाम है तो टाला नहीं जायेगा । बिराजो ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मगर आप जो कह रहे हैं ना पाइण्टेड क्वेश्चन ही पूछो, बोलो नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण बहुत हो चुका है इसके ऊपर ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : हमारे दल के तो एक ही सदस्य बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : यहां तो बात सदन में पूरी तरह से डिसकस हो चुकी है उसको उसी रूप से कहते रहेंगे क्या । माननीय दवे साहब .. (व्यवधान) भाषण देना तो अपना रात दिन का धंधा है ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (सोजत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज विधान सभा में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया, यह एक बहुत ही गंभीर और करीबन 30 करोड़ रुपये के घोटाले का मामला है । जोधपुर के अंदर बालोतरा में....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं दवे साहब जो बात आ चुकी है, उसको क्यों रिपीट करते हो ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : मैं टू दी पाइण्ट कहूंगा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें इंट्रप्शन मत करिये ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं नहीं हाउस में जो बात आ गई है उसको रिपीट करने से हाउस का टाइम ही वेस्ट होगा ।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : यह ऐसा सब्जेक्ट है....(व्यवधान) मेरी बात सुनिये । अभी स्टार्ट ही नहीं किया और आप कह रहे हैं कि टू दी पाइण्ट कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : यह 10 वक्ता क्या कह रहे थे अभी तक।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी प्रारम्भ ही नहीं किया....

श्री उपाध्यक्ष : नहीं प्रारम्भ करने का मैं नहीं कह रहा हूं। आप सवाल पूछ लो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप+++ माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : +++व्यवधान क्यों नहीं डालूंगा। It is my duty to check you. (व्यवधान) ऐसा नहीं है। मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वह कह रहे हैं कि+++रहे हैं, आप इसको एक्सपंज कराइये कृपया....(व्यवधान)

श्री रघुवीरसिंह कौशल : माननीय प्रद्युम्नसिंह जी आप+++ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह+++वाला शब्द एक्सपंज कीजिए....(व्यवधान) बोलिए दवे साहब। हां हो गया

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर में बालोतरा रोड के ऊपर खसरा नं. 751, 751/2, 759, 759/4, 769, 771, कुल रकबा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 17632 दिनांक 7-4-53 को जिला कलेक्टर जोधपुर ने एक आदेश जारी किया। यह जो जमीन चारागाह की भूमि है और इस चारागाह की भूमि को किसी लोगों को बेचान नहीं किया जायेगा, अलाटमैण्ट नहीं किया जायेगा और किन्हीं व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज नहीं की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् मांगीलाल सन ऑफ किस्तूर जो कि एक ट्रेस पास कि हैसियत से 41.10 बीघा जमीन के ऊपर टी. पी. दर्ज हुई उसके नाम की....

(4.00 म.प.)

उसके बाद इसी मांगीलाल किस्तूर की जो चारागाह की भूमि थी, इस चारागाह की भूमि को इस मांगीलाल किस्तूर ने सन् 66 के अन्दर सुमित्रा नाम की महिला को बेचान किया और सन् 66 के बाद सन् 77 के अन्दर उम्मेदमल गांधी के जरिये इस भूमि का बेचान किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मांगीलाल किस्तूर की भूमि थी उसने पहले तो रजिस्टरी बेचान सुमित्रा के नाम से करने की कोशिश की तो सब रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया। तो उसने उप खण्ड कार्यालय के अन्दर अण्डर सेक्शन 88 के तहत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत एक दावा पेश किया जिसमें एक्स पार्टी डिग्री हुयी बिना किसी राज्य सरकार को पार्टी बनाये एक्स पार्टी डिग्री हो गयी, 43.10 बीघा जमीन की डिग्री

+++अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

प्राप्त की गयी। सुमित्रा देवी ने सन् 70 के अन्दर मांगीलाल को जमीन बेचान कर दी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रमुख बात तो अब प्रारम्भ कर रहा हूं। जोधपुर के अन्दर नगरीय सन्तुलन सीमा अधिरोपण 1976, जोधपुर में दिनांक 9-3-76 को प्रभावी हुआ और इसके तहत इस उम्मेद मल गांधी ने 6-10-76 को सीलिंग कोर्ट के अन्दर ए. डी. एम. के यहां अपना रिटर्न पेश किया और पेश करने के बाद में 9-4-81 को एक एफिडेविट पेश किया और उसमें उल्लेख किया कि यह जमीन कृषि प्रयोजन के हिसाब से मैं बेचान करना चाहता हूं और ए.डी.एम. सीलिंग के जो अधिकारी थे अदालत को गुमराह किया। उनसे एन. ओ.सी. दिनांक 10-4-81 को जारी करवा दी। जब ए. डी. एम. सीलिंग को मालूम पड़ा कि अदालत को गुमराह करके उसने फर्जी तरीके से एक एन.ओ.सी. जारी की तो दिनांक 29-8-81 को ए. डी. एम. सीलिंग ने सब रजिस्ट्रार, जोधपुर को पुन: पत्र लिख कर निवेदन किया कि यह जो उम्मेदमल गांधी को एन.ओ.सी. जारी की गयी है उसके आधार पर किसी अन्य संस्थाओं को बेचने का अधिकार नहीं दिया जाय और जो पूर्व में एन.ओ.सी. जारी की है उसको निरस्त की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके पश्चात् 22-9-81 को सब रजिस्ट्रार ने ए. डी. एम. के आदेश का हवाला करके कानून को ताक में रख कर 22-9-81 को मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में, उम्मेदमल बेचान कर दिया। यह बेचान बिल्कुल वाईद और सब-इनिशियो था और नल एण्ड वाइड था क्योंकि आदेश ए. डी. एम. का जारी किया जा चुका था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उम्मेदमल गांधी ने यह इकरारनामा इस बेचान को मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में जो बेचान का बताया इसके पूर्व में 15-2-81 को एक इकरारनामा करने का उसने बताया था कि हमने एक इकरारनामा किया था जब उसने सेलडीड ट्रान्सफर मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में निष्पादित की उस वक्त इस इकरारनामे के बारे में किसी तरह का कोई हवाला नहीं दिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग निर्णय 2-3-82 को जिसमें 50 हजार 168 वर्ग मीटर ए. डी. एम. जोधपुर ने सीलिंग अधिकारी ने 50 हजार 168 वर्ग मीटर भूमि जो अधिशेष घोषित की गयी और उक्त निर्णय के विरुद्ध में मांगीलाल गांधी हाई कोर्ट में गया वहां वह याचिका बिना पेश किये ही खारिज हो गयी इसलिये दिनांक 2-3-82 को ए. डी. एम. सीलिंग, जोधपुर के द्वारा जो निर्णय दिया गया था वह निर्णय था 50 हजार 168 वर्ग मीटर भूमि है जो अधिशेष घोषित की जाती है, सीलिंग में घोषित की जाती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मांगीलाल गांधी अपनी करामात करते हैं, एक आदेश जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था 20-8-81 के पूर्व अगर कोई बेचान किया गया हो या इकरार किया गया हो तो उसके आधार पर

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

यह ट्रान्सफर किया जा सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मांगीलाल ने अपने बेचान को मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में निष्पादित किया उस वक्त इस इकरारनामे का उसमें कोई हवाला नहीं था। जब 20-8-81 का राज्य सरकार का यह आदेश हुआ तो उसने एक कूटरचना की, एक षड्यंत्र किया और एक फर्जी डाक्युमेण्ट तैयार किया। वह तैयार किया 15-2-81 का और 81 के हवाले से यह जमीन 50 हजार 168 वर्ग मीटर है। इसके आधार पर उसने नामान्तरण मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति के पक्ष में निष्पादित करने की कोशीश की।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस जमीन के अलावा नहर की जमीन, रास्ते के बीच की जमीन थी उसको भी उसने इस प्रकार निष्पादित कर दिया। 20-8-81 के पूर्व मांगीलाल गांधी ने किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। उसका कारण है कि बेचान जिस वक्त मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति, जोधपुर के पक्ष में निष्पादित किया गया था उसमें इसका कोई हवाला नहीं था। तो इस प्रकार मांगीलाल गांधी ने एक कूटरचना कर मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति से और लैण्ड कन्वर्शन अधिकारी, जोधपुर से मिलावट कर इस जमीन का रुपान्तरण करवा दिया। जो इल्लीगल और वाइड था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसने एक जो एफिडेविट ए.डी.एम. जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि एग्रीकल्चर जमीन का आधा एग्रीकल्चर जमीन के हिसाब से मै इसको बेचान करना चाहता हूं और जिस वक्त लैण्ड कन्वर्शन अधिकारी, जोधपुर के वहां उसने आवासीय प्रयोजनार्थ अपना प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें भी मांगीलाल गांधी का एफिडेविट दिया था। दोनों एफिडेविट मांगीलाल गांधी ने दिया। यह दोनों ही फ्रौड थे, नल एण्ड वाइड थे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि उस एफ. आई. आर. को लोक अभियोजक आज छह महीने और आठ महीने हो गये उस मांगीलाल गांधी के विरुद्ध आज तक एफ. आई. आर. लाज नहीं की गयी। यह एक प्रकार का षड्यंत्र है। यह करीब 30 करोड़ रुपये की जमीन का घोटाला है।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया। भाषण देने से मंत्रीजी जवाब नहीं देंगे। आप पाइंटेड सवाल करो सवाल तो पूछते नहीं हैं आप कोई भी। अब भाषण का क्या जवाब आयेगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंटेड प्रश्न है। जो रिटर्न पेश किया, जो एफिडेविट ए. डी. एम. मिनिंग के वहां पेश किया और कृषि प्रायोजनार्थ के हिसाब से पेश किया उसके पश्चात् इस उम्मेदमल गांधी आवासीय प्रायोजनार्थ कि हिसाब से लैण्ड कन्वर्शन आफिस, जोधपुर के यहां प्रार्थना पत्र देकर यह आवासीय भूमि कन्वर्शन करायी, यह उसका फ्रोड है। इसलिये उसने जो फ्रोड किया हैं, जो रिटिंग की है, अदालत को गुमराह किया उसके खिलाफ तत्काल एफ

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

आई आर लाज की जाय।

दूसरा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 20-8-81 का राज्य सरकार का जो आदेश था कि जो एग्रीमेंट बेचान 20-8-81 के पहले अगर कोई निष्पादित किया हुआ है तो उसके आधार पर कन्वर्जन किया जा सकता है। तो उसने जब मारवाड़ गृह निर्माण सहकारी समिति जोधपुर के पक्ष में निष्पादन किया उसके पहले उसने इस प्रकार का कोई एग्रीमेण्ट नहीं किया। इसलिये इसमें उसने एक कूटरचना करके एक फ्रोड एग्रीमेण्ट तैयार किया। यह आफ्टर रजिस्टरी के पश्चात्। इसलिये यह भी आफटर फ्रोड है। इसलिये उस उम्मेदमल गांधी के खिलाफ एफ आई आर लोज कि जाय। यह 30 करोड़ रुपये की भूमि घोटाला है।

मैं माननीय मंत्री महोदय, और गृह मंत्रीजी यहां पर बिराजे हुये हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ऐसे भूमि घोटाले काण्ड के व्यक्ति को टाडा के अन्दर बन्द किया जाय और करोड़ों रुपये की भूमि है उस भूमि को राज्य सरकार तत्काल एक्वीजीशन करके 145 के तहत एटेचमेंट करके अपने कब्जे में ले। यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रामनारायण वर्मा। आपसे निवेदन यह करूंगा, मैं तो सारे सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप उत्तर चाहते हो तो भाषण के तो आते नहीं है। सवाल का उत्तर तो सवाल से ही आता है। (व्यवधान) कोई प्रश्न पूछे तो उसका रिप्लाई आ सकता है। माननीय वर्मा साहब बोलिए। कोई जानना ही नहीं चाहता तो क्या उत्तर देंगे मंत्रीजी।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय आसन सदन में सर्वोपरी है, हम आसन का आदर करते हैं। लेकिन साथ के साथ यह भी निवेदन करूंगा, जिस मामले में चर्चा हो रही है वह मामला कोई 30 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 37 करोड़ की बात कर रहा है, कोई 25 करोड़ की बात करता है। मेरा जहां तक ख्याल है। उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ी देर पहले चर्चा हुई थी, विधानसभा भवन के बारे में यदि सरकार थोड़ी सी भी श्रद्धा है सरकार में....

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइण्ट पर आओ माननीय वर्मा साहब।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं पाइण्ट पर आ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर विधानसभा में चले गये, बहुत बोल चुके लोग।

श्री रामनारायण वर्मा : बिल्कुल, यदि ईमानदारी से है तो 40 करोड़ से तो नया विधानसभा भवन बन सकता है। इतना बड़ा घोटाला माननीय उपाध्यक्ष महोदय राजस्थान में हुए जा रहा है और उसके बारे में कोई विचार नहीं है और यह मामला

(श्री रामनारायण वर्मा)

जब उठा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी विधायक ने विशेष कर सोजत से आने वाले विधायक महोदय ने, जोधपुर से आने वाली विधायिका ने और किशनगढ़ से आने वाले माननीय विधायक ने काफी जोर शोर से इस बारे में कहा और इतना कुछ कह दिया कि सरकार सारी बातों के तथ्यों को लेकर अगर चाहे तो निश्चित तौर से कोई जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। साधारण से मामले में उपाध्यक्ष महोदय कमेटी बिठाई जाती रही है। इस मामले में क्या करने जा रही है सरकार।

मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा, आप जोधपुर संभाग के हैं। इतना बड़ा घोटाला आपके यहां हुआ है, जोधपुर में आप इण्टरेस्टेड हैं। गरीबों को आज की तारीख में भूखण्ड काटकर नहीं दिये जा रहे हैं। जिस एक्ट में जमीन जब्त हुई है उस एक्ट के तहत आपने जमीनों को सरकार के कब्जे में लेने के लिए आज दिन तक क्या कार्यवाही की, क्या इस बारे में आश्वस्त करेंगे। इसके साथ ही मेरा निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला जब सामने आया है 84 में आया, 85 में आया, मैं यह नहीं कहना चाहता। मैं तो यह कहना चाहता चाहता हूं कि 7-12-1977 को किस पार्टी की सरकार थी। मैं उस समय सदन में सदस्य नहीं था। माननीय सदस्य सब जानते हैं कि 7-12-77 को, मैं फिक्स डेट बता रहा हूं। उस तारीख को यह मामला सामने आया। 77 से 80 तक किसकी सरकार थी और इसके बाद किसकी सरकार थी। माननीय सभापति महोदय मैं बिल्कुल फैक्ट पर आ रहा हूं। आप भी भ्रष्टाचार मिटाने की बातें कर रहे हो।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : कौन सी सरकार की बात कर रहे हो कौनसी सरकार थी 77 से 80 के बीच में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हो।

श्री रामसिंह बिश्नोई : एक साल की सरकार से क्या उम्मीद करते हो।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय बारां से आने वाले विधायक महोदय घोटाले में नहीं आपमें माद्दा है तो आप मुख्य मंत्रीजी जी पर दबाब डालिये ना। हम सदन में आपके साथ हैं अभी राजस्व बोर्ड के चेयरमैन की कमेटी बिठाई है यह साधारण मामला नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है जिसको लाइटली लेकर के माननीय बारां से आने वाले माननीय विधायक जिनका हम बहुत आदर करते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़ते रहे हैं। क्वेश्चन आवर में भी आप आधा-आधा घण्टा इस बारे में लड़ते हैं कि राजस्थान से भ्रष्टाचार समाप्त हो और यह भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। उपाध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जीती मक्खी निगलने की चेष्टा मत करें।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने जो कुछ कहा इसमें एक प्रश्न और लेता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। इस मामले में कौन अधिकारी सबसे ज्यादा जिम्मेवार है ? सबसे ज्यादा दोषी है और उस अधिकारी के खिलाफ क्या किया गया ? मैं आपको तारीख बताता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 8-2-82 सबसे पहले मामला 8-2-82 को चला। ए. डी. एम. लैण्ड कन्वर्सन भू-रूपान्तरण जोधपुर में कौन-कौन से थे। मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जहां तक ख्याल है माननीय राजस्व मन्त्रीजी को मैं व्यक्तिगत आज की तारीख में नहीं जानता हूं।

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय सदस्य कलक्टर ने आदेश दिया है। वहां जमीन में किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए आदेश दिए हुए हैं। जब आपकी सरकार थी तब कलेक्टर ने आदेश दिये हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : बिलकुल दिये हैं इसलिए मैं उसी पर आ रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के आदेश देने के बावजूद, कांग्रेस गवर्नमेण्ट का टाइम था। कांग्रेस गवर्नमेण्ट ने आर्डर दिया था कि इस जमीन को कहीं किसी तरह से डिस्पोज आँफ नहीं किया जाय, किसी को बेचान नहीं किया जावे और इसका रूपान्तरण नहीं किया जाये। इन सारी बातों के बावजूद 8-2-82 को ए. डी. लैण्ड कन्वर्सन, जोधपुर ने तहसीलदार को चिट्ठी लिखी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान होगा माननीय राजस्व मन्त्रीजी नहीं तो नम्बर मैं बता देता हूं। आपकी हिम्मत है क्या ? मैं इसलिए कह रहा हू. कि यह मामला तो किसी साधारण अफसर से जुड़ा हुआ नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार का जीता जागता नमूना है। राजस्थान में 40 करोड़ रुपये की जमीन का।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : वह कौनसा काल था जब चिट्ठी लिखी। उस वक्त कौनसा काल था। जबकि बात है आपकी सरकार के समय की।

श्री रामनारायण वर्मा : राजस्थान कौन अधिकारी चला रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह मंजूर कर रहे हैं।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं कहां मंजूर कर रहे हैं। लेटर नम्बर 386 8-2-82.

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामनारायण वर्मा : उसके बाद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जमीन जिसके बारे में मेरे साथी विधायक साहिबान ने 31 बीघा 8 बिस्वा को यदि आप क्षेत्रफल में आंके तो 60791 वर्गगज होता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 60791 वर्गगज की जगह कुल जमीन का रूपान्तरण किया गया है 72629 वर्ग गज का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किसके द्वारा किया गया है, कौन अधिकारी है।

(श्री रामनारायण वर्मा)

राज किसका भी हो। सोजत से आने वाले विधायक इस बात को कह दें आप और हम सब भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूद करने की बात करें। एक बात तो सैद्धान्तिक आप तैयार होइयेगा। हम सरकार से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लड़ने की बात कर रहे हैं। समझाने की बात कर रहे हैं। निवेदन की बात कर रहे हैं। आप कहते हो, लेकिन आप दब जाते हो सरकार के सामने मेरा निवेदन करना इतना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि 4 बीघा से ज्यादा जमीन या जो भी रकबा बैठता है सरकारी जमीन का रूपान्तरण कर दिया। जीती मक्खी निगल ली। और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरा दुर्भाग्य है कि इतने अच्छे राजस्व मंत्रीजी हमारे यहां बैठे हुए हैं। इसके बावजूद इसमें कार्यवाही नहीं की जा रही है। माननीय राजस्वमंत्री जी 3 महीने हो गये फौजदारी मुकदमा दर्ज कराने के लिए क्या 3 महीने लग गये। इतनी ढीली और मैं यह कहूं कि इतनी यह बिल्कुल तन्त्र नहीं रहा सरकार में जिन्दी है या मुर्दा है। तीन महीनों में तो ऐसे घोटाले में 40 करोड़ के घोटाले के मुकदमा दर्ज कराने की बात नहीं करते। तीन महीनों तक राय लेने की बात नहीं करते। सरकार बहुत बड़ी मशीनरी है। माननीय राजस्व मंत्रीजी आप इस मामले में....

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय सदस्य यह सरकारी जमीन थी। आप इनको बताकर के सारा खत्म कीजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कि तीन महीने तक मुकदमा दर्ज नहीं हो और राजस्व मंत्रीजी इस बात को लाइटली ले। मेरा जहां तक मानना है उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी इस बात की ताईद करेंगे कि तीन महीने तक। कौन अधिकारी या जिन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अब सुनकर के आप बोलिये। आप उसमें नहीं बोले जिसमें राजस्व मंत्री जी को बोलना होता है। सदन को आप विश्वास में लीजियेगा। सदन इस मामले में इतने बड़े घोटाले में पुरजोर शब्दों में मांग करता है और आपके साथ है। आप उनको नेस्तनाबूद करने में आज जो कुछ व्यवस्था करेंगे सदन आपके साथ है। यह सदन की आवाज है मैं निवेदन कर रहा था माननीय दो खसरा नम्बर। आप शांत रहिये कोई नहीं है आपका (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं जो कह रहा हूं उसमें बोले।

श्री रामनारायण वर्मा : आपके समाज का और मेरे समाज का कोई नहीं है आप डरते क्यों हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप डरा रहे हो। मेरा तो नाम आने के बाद भी खड़ा नहीं होता।

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आपको निवेदन कर रहा था। वो खसरा नम्बर है उपाध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 752 और 780 इनकी जमीनें होंगी 4 बीघा 5 बिस्वा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 4 बीघा 5 बिस्वा जमीन है। मेरे से बेहतर राजस्व मंत्रीजी इस बात को जानते हैं, जोधपुर की ऐसी बस्ती की जमीन 4 बीघा की कीमत क्या हो सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आज की तारीख में, इस बात को माननीय राजस्व मंत्रीजी जानते हैं। इतनी कीमती जमीन 4 बीघा सरकारी जमीन आप इसमें सीलिंग में, सैक्टर में अकेले सारी जमीन को खा गये, लेकिन जो जमीन सरकारी है जिसमें सम्वत् 2041 से भी किसी का कब्जा नहीं दिखाया गया है। राजस्व रिकार्ड में कब्जा नहीं है। उस जमीन का स्थानान्तरण कर दें। यह सारी बातें माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर बातें हैं।

इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं पोइण्टेड बात आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा 16 विधायकों ने ठीक है पहले भी जांच हुई। ए. डी. एम सतर्कता ने जांच की। ए. डी एम. सतर्कता की जांच आपके पास पड़ी है तीन साल से, आप राज में हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल से क्या किया इन दोषियों के खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई। आपने जमीन का कब्जा क्यों नहीं लिया। अभी हाईकोर्ट में इसका केस पड़ा है आपके खिलाफ स्टे है। और अगर स्टे है तो आपने उसको खारिज करवाने के लिए क्या किया। स्टे नहीं है तो यह हमारा दुर्भाग्य है कि यह सरकार ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जमीन को कब्जे में करने, सरकार के खिलाफ इतने काम हो रहे हैं राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार का आज मनोबल बढ़ता जा रहा है। यह घोटाले, थोड़ी देर पहले बात आई कि एक सोसाइटी बनी हुई है। विधान सभा में की जमीन पर कब्जा हो रहा है। आये दिन मैं रोजाना देखता हूं कभी कोई सम्मेलन होता है, कभी कोई बाबा आता है, कभी कौन आता है और आधी से ज्यादा जमीन जो पहले जमीन थी उससे दुगुनी पर कब्जा कर लिया। यह हालत आज राजस्थान में हो रही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। कानून हाथ में ले रहे हैं लोग, और आप इसको देखते जा रहे हैं।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 16 विधायकों ने मुख्यमंत्रीजी से निवेदन किया था। 16 विधायकों के निवेदन के बाद राजस्थान सरकार ने क्या किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? यह बहुत गम्भीर बात है। इसके बारे में आप क्या बता पाएंगे। इसके साथ ही माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह 19-10-82 का सीलिंग मुक्ति का आदेश 20-8-81 के पूर्व के सौदों पर था तो फिर 23-9-81 को जब रजिस्ट्री हुई माननीय उपाध्यक्ष महोदय को नल एण्ड वाइड है। कानून की मंशा में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब उसक कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद उसकी ऊपर एक्ट कैसे हुआ। किस कारी के द्वारा उसके ऊपर एक्ट किया गया और किया गया। पहली बात तो

(श्री रामनारायण वर्मा)

रजिस्ट्री कैसे हुई, किस अधिकारी द्वारा की गई।

यह बड़ा स्कैण्डल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक अधिकारी या एक राजनेता या एक भूमिपति इन्वाल्व नहीं है। इसमें एक लिंक है उसमें जब तक आप नहीं जायेंगे, किसी अच्छे व्यक्ति पर हाथ नहीं रखेंगे तब तक इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही न्यास के सचिव इस समय क्या कार्यवाही कर रहे हैं? क्योंकि काफी बातें सदन में आ चुकी हैं मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री और चूंकि सदन में नेता बैठे हुए हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी मैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह निवेदन करना चाहूंगा वह यह कि इस मामले की गम्भीरता को देखते हुए और सदन में जिस तरह की चर्चा हो रही है इतना बड़ा घपला हो रहा है करोड़ों रुपए का घपला है और जिस तरह के लोग इन्वाल्व हैं आप मान्यवर, इन अफसरों के खिलाफ क्या करना चाहते हैं क्या करेंगे यह आपका अपना विवेक है लेकिन एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि छोटे-छोटे मामलों में कमेटियां बिठायी जाती रही है।

40 करोड़ के भूमि घोटाले के मामले में क्या आप राजस्व मण्डल के अध्यक्ष को जांच का काम नहीं सौंप सकते है। मैं अपनी ओर से भी और सदन की भावनाओं को समझते हुए निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि आप भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते हैं। भ्रष्टाचार समाप्त कर रहे हैं या तो हाउस की कमेटी बैठायें या राजस्व मण्डल के अध्यक्ष को काम सौंपिए मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्रीजी इस भ्रष्टाचार को पनपने नहीं देंगे और इस भ्रष्टाचार को नेस्तनाबूत करने के लिए कमेटी बनायेंगे और जांच रिपोर्ट देंगे उस पर अमल करेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीर सिंह कौशल।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बांरा): दो मिनट बोलूंगा।

श्री रामसिंह विश्नोई : 20 करोड़ का मामला दो मिनट में।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आप जोधपुर के लगते हो। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला है और यह मामला एक सेम्पल है कि भूमि माफिया राजस्थान में किस प्रकार से काम करते हैं। इस मामले का राष्ट्रीय समाचार पत्रों से लेकर राजस्थान के समाचार पत्र कोई नहीं बचा होगा जिसने डिटेल नहीं दी हो। कोई राजनीतिक दल नहीं बचा होगा जिसने ज्ञापन नहीं दिया हो। वहां के जनप्रतिनिधि जितने हैं सबने आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये उनकी भी मांग है सब तरफ से मांग उठने के बाद भी यह सर्वशक्तिमान व्यक्ति का कोई कुछ नहीं बिगड़ सका इसलिए आज जनता

(श्री रघुबीर सिंह कौशल)

की गुहार प्रदेश के इस सर्वोच्च सदन में है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट में एक प्रश्न उपस्थित करता हूं। कलक्टर आदेश देते हैं कि यह चारागाह भूमि है इस पर किसी को खातेदारी अधिकार न दिया जाय और एस. डी. ओ. दोनों पार्टियों की अनुपस्थिति में खातेदारी अधिकार देता है और खातेदारी अधिकार हुए उसकी रजिस्ट्री उम्मेदमल गांधी को हो गयी। उसने अरबन सिलिंग में अपनी रिटर्न पेश की और शपथ पत्र दिया कि यह कृषि योग्य भूमि है उसीके लिए काम आयेगी, अब क्योंकि फाड करने के लिए को-आपरेटिव सोसायटी चाहिए उम्मेदमल गांधी फाड नहीं कर सकता था। उम्मेदमल गांधी ने एक सोसायटी बनायी उनकी श्रीमती उसकी अध्यक्ष। उम्मेदमल गांधी ने सारी भूमि अपनी पत्नी के नाम कराने की परमिशन चाही। अरबन सिलिंग ने इन्कार कर दिया कि इसकी रजिस्ट्री नहीं की जानी चाहिए उसके बाद भी सब रजिस्ट्रार के के पास लिखित सूचना होने के बाद भी रजिस्ट्री हो गयी। उपस्थित कर रहा हूं प्रश्न। एस डी. ओ. ने दोनों पार्टियों की एब्सेन्स में खातेदारी अधिकार दे दिये।

सब रजिस्टार ने लैण्ड सिलिंग के मना करने के बाद भी रजिस्ट्री कर दी और सोसायटी बन गयी। सोसायटी में आप समय नहीं देंगे मैं बताऊं किस–किस साल में कौन–कौन अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहे। कभी पति कभी पत्नी, कभी पत्नी कभी पति यह सोसायटी रही है। जब इनके नाम जमीन आ गयी तो यह सज्जन क्या करते हैं। यू. आई. टी. के सचिव ने नोटिस दिया अरबन सिलिंग ने जब इनकी जमीन एक्वायर कर ली, आदेश दिया कि 50 हजार वर्ग गज जमीन छोड़िए। यह कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का आदेश वापस ले लिया कि हमें सरकार ने रिलीफ दे दिया और वापस आ गये।

उपाध्यक्ष महोदय, इनका विक्रय लेख जो सोसायटी के नाम जमीन हुई है वह है 22-9-81 का और सरकार का आदेश था जिससे अरबन सिलिंग की छूट मिली थी वह था 20-8-81 को। इनकी रजिस्ट्री हुई 22-9-81 को इसका लाभ इनको नहीं मिल सकता था लेकिन हाई कोर्ट में कह दिया कि मुझे लाभ मिल गया। फाड किया, एक इकरारनामा 15-2-81 को लिखा फर्जी अब यह फर्जी कैसे है? फर्जी इसलिए है कि विक्रय लेख में इस इकरारनामे का कोई नाम नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है विक्रय लेख में कि 50 हजार केश ले लिये 6 महीने में 70 हजार लूंगा। इकरारनामे में लिखा है कि 5 हजार एडवान्स ले लिये और उसके लिए जो रिपोर्ट आयी है उपाध्यक्ष महोदय, कलक्टर ने स्पष्ट लिखा है कि यह इकरारनामा फर्जी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ता है कलक्टर की रिपोर्ट आयी है मंत्री महोदय के पास, तथ्यात्मक रिपोर्ट है। एक, एक शब्द सही है। यहां मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया कलक्टर की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

रिपोर्ट ही बदल गयी इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती है। फिर माननीय उपाध्यक्ष महोदय हाई कोर्ट से केस वापस लिया 4-2-83 को। एक नमूना पेश कर रहा हूं 4-2-83 को हाई कोर्ट का फैसला होता है उसी दिन नकल लेते है और 5-2-83 को लेण्ड कन्वरजन हो जाता है। एक दिन में कितना शक्तिशाली पुरुष है। 4 तारीख को फैसला हुआ है 5 को लैण्ड कन्वरजन हो जाता है। कितनी जमीन का उनके खाते की जमीन है 60 हजार वर्ग गज और लैण्ड कन्वरजन होता है 72 हजार वर्ग गज का। इस व्यक्ति की ताकत बता रहा हूं। 12 हजार वर्ग गज जमीन कहां से आयी। उसके बाद कब्जा 74 हजार वर्ग गज पर है। यू. आई. टी. ने नापतोल की उसमें 74 हजार पर काबिज है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद यह सज्जन जाता है यू. आइ. टी. में वहां जाकर कहता है कि आपने हमारी 3500 वर्ग गज जमीन पर कब्जा कर लिया है इसजिए 5 हजार गज जमीन दीजिए और यू. आई. टी. सेक्रेटरी ने अपने ला असिसटेंट से पूछता है कि क्या पोजिशन है। लीगल असिसटेण्ट कहता है कि इस का फैसला हो चुका है अरबन सीलिंग का सारी लैण्ड गवर्नमेंट में वेस्ट करती है। लीगल असिसटेण्ट की इस राय के बाद सेक्रेटरी उसको 4 हजार वर्ग गज जमीन दे देता है और उसके बाद....

श्री रामसिंह बिश्नोई : सेक्रेटरी कौन है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह पुरानी बात है छोड़ो। चार हजार वर्ग गज जमीन लेने के बाद

श्री रामसिंह बिश्नोई : नाम सेक्रेटरी का बताने में क्या आपत्ति है ?

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मुझे नाम याद होता तो बता देता। जोधपुर के लोगों को पीड़ा हो रही है।

श्री रामसिंह बिश्नोई : हमें यह पीड़ा हो रही है कि आप बहुत दिनों बाद बोल रहे हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : उपाध्यक्ष महोदय, चार हजार वर्गगज जमीन मुफ्त में ले ली उसके प्लाट काटकर मकान बनाकर कहते हैं यू. आई. टी. में पहुंच गये। आपने जमीन दी थी वह बहुत खराब है मुझे अच्छी जमीन दो फिर यू. आई. टी. 4 हजार वर्ग गज जमीन दे देती है। 8 हजार वर्ग गज हो गयी। फिर कहता है कि जो हमारी जमीन है उसमें आम रास्ता है और नहर आयी है उस पर हमारा कब्जा है यह लैण्ड कन्वरजन कर दो उसको भी कर दिया। यू. आई. टी. लेण्ड कन्वरजन और रेवेन्यु डिपार्टमेंट मैं कहता हूं कि यह कार्यवाही उस उम्मेदमल गांधी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ होनी चाहिए जो इस साजिश में शामिल थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे भी आगे 82 में सक्षम अधिकारी ने 2-3-82 को जमीन गवर्नमेंट में वेस्ट कर दिया और उसके बाद भी लेण्ड कन्वरजन हो रहा है। उसके

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

बाद भी सारे लाभ ले रहा है। उसके बाद भी यू. आई. टी. इस गवर्नमेंट लैण्ड को उसकी मानकर के जमीन दे रही है, और अलाट कर रही है।

आप तो वकील रहे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। क्या लैण्ड सीलिंग का मामला चलते समय कोई भी बेचान लीगल है? नल एण्ड वाइड है। तो जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, वे नल एण्ड वाइड है उनकी कोई वक्त नहीं। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भूमि माफिया किस प्रकार कितना आगे की सोचकर जमीनों पर किस प्रकार कब्जा करता है और सरकारी अधिकारियों को अपने चंगुल में कैसे फंसाता है, यह इसका एक सैम्पल है। ऐसे बीसियों लोग हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब को-आपरेटिव आ गयी। को-आपरेटिव में भ्रष्टाचार तो वैसे मिट ही गया है, बहुत कम रह गया है। अभी जो रीसेण्ट रिपोर्ट आयी है आडिटर की, आडिटर ने लिखा है कि रजिस्टर अपूर्ण है, क्रमांक नहीं हैं, सदस्यों के बाप के नाम नहीं हैं, सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है। तो फिर को-आपरेटिव सोसाइटी है क्या यह? 780 मैम्बर थे, अब 85 रह गये। इनका दफ्तर उम्मेद मल गांधी के घर में चलता है। कैसी को-आपरेटिव सोसाइटी है? कितने डिपार्टमैण्टों को मुट्ठी में बन्द रखकर यह भूमि माफिया चल रहा है, उसका यह एक छोटा-सा सैम्पल है।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट से ये मिल गये आदेश कि इसका कब्जा न लिया जाय। उसकी पालना तो करनी पड़ेगी, पर किस किस पग पर क्या क्या गलती है, इसकी जांच आप किसी से करवाओ न करवाओ पर कलेक्टर, जोधपुर की रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। इसमें एक एक तथ्य है कि कहां-कहां फोरजरी हुई है। इकरारनामे में फोरजरी हुई है। जो लैण्ड थी है, जिसमें नहर आती है, माननीय मंत्रीजी, आपने स्वीकार किया है कि उसके कब्जे में थी। है कोई रेवेन्यू रिकार्ड ऐसा कि उनके कब्जे में थी जो आपने कन्वर्जन कर दी? एक नहीं। उसके पास कोई सबूत नहीं। मुझे आश्चर्य इस बात पर हुआ कि आज कलक्टर की रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर यहां जवाब दिया गया। यह भूमि माफिया के खिलाफ कार्यवाही करने का बहुत अच्छा प्रमाण नहीं है।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहूंगा कि यह जो भूमि माफिया का एक नमूना हमारे सामने आया है ऐसे नमूने को यदि कोई दण्ड मिल गया तो दूसरे भूमि माफियाओं की भी आंखें खुलेंगी। आज इस सदन में यह डिस्कस हुआ है, मुझे लग रहा कि मुख्य मंत्री जी इस मामले में बहुत गम्भीर हैं। 1991 में यह कार्यवाही हुई है। 1982 का फैसला है, 1982 से 50 हजार वर्ग गज लैण्ड गवर्नमेंट में वेस्ट कर रही है। क्यों नहीं किसी ने नोटिस लिया आज दिन तक? क्या कारण कोई थे? कारण बताएं। लेकिन 1991 में नोटिस दिया। कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सारा

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

फ्राड ही फ्राड है। यदि वह जमीन पर कब्जा न करे तो फ्रॉड का केस नहीं चल चल सकता, 420 का केस नहीं चल सकता, झूठे शपथ पत्र का केस नहीं चल सकता और एफ. आई. आर. लॉज क्यों नहीं हो रही है? कौन अधिकारी दोषी हैं जिसने एफ. आई. आर दर्ज नहीं करायी? इतनी देरी का कारण कौन है? उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उनको जैसी रिपोर्ट बनाकर दी गयी है वैसा उन्होंने विश्वास कर लिया। लेकिन आप यदि कलक्टर की रिपोर्ट से मिलवाएंगे अधिकारियों से तो आप देखेंगे कि इसमें पग पग पर फ्राड है। मुझे आप से पूरी आशा है कि आप रेवेन्यू बोर्ड के किसी मैम्बर से जांच कराने की सदन में घोषणा करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : हो गया। बहुत है। बाद में पूछ लीजिए कोई हो तो। उत्तर तो आने दीजिए। कोई रह जाता है तो पूछिये। अगर सन्तुष्ट हो जाते हैं तो फिर क्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रकरण में माननीय राजस्व मन्त्री जी ने एक तथ्यात्मक विवरण इस सदन में प्रस्तुत किया है। उसी तथ्य के आसपास माननीय सदस्यों ने भी इस चर्चा में कई प्रश्न उठाये हैं। मैं ऐसा समझता हूं, जिस प्रकार की चर्चा इस सदन में हुई है, वास्तव में गम्भीर मामला है और इस मामले को गम्भीरता से ही लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम इस बात की तो प्रशंसा करेंगे कि 60 हजार वर्ग गज भूमि में से लगभग 50 हजार वर्ग गज भूमि सरकार के कब्जे में लेने के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है। इसमें हाई कोर्ट का स्टे आ गया। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, जब तक हाई कोर्ट का निर्णय नहीं होगा तब तक इस पर कब्जा करना सम्भव नहीं है। लेकिन मैं इतना निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की जांच की मांग की गयी है, माननीय राजस्व मंत्री जी स्वयं ने कहा, इस मामले को लोकायुक्त भी देख रहे हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि लोकायुक्त के पास आज की सारी विधान सभा की कार्यवाही, उसका विवरण सरकार की ओर से भेज दिया जाएगा। जो भी पत्रावलियां वे सरकार से चाहते हैं उन पत्रावलियों को वहां से मंगवाकर लोकायुक्त जिस प्रकार से भी जांच करना चाहें, जांच कर सकेंगे।

साथ ही इस समय जो 50 हजार भूमि के ऊपर स्टे है, उस सम्बन्ध में भी कहीं बीच में कोई फर्जी कार्यवाही हुई है या किसी न किसी प्रकार का फ्रॉड किया है या कोई गलत हलफनामा दिया है तो इस मामले की भी लोकायुक्त जांच करके राज्य आफेंस बनता है। काग्निजेबल आफेंस सरकार को लिखेंगे कि काग्निजेबल बनाकर उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

होगा । मैं समझता हूं, लोकायुक्त पर हमको विश्वास करना चाहिए । मैं लोकायुक्त को सदन की भावनाओं से भी अवगत कराऊंगा कि इस मामले में जितनी जल्दी जांच पूर्ण हो सके उस जांच को पूर्ण कराया जाय ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : जो गृह निर्माण सहकारी समिति है उस पर प्रशासक नियुक्त किया जाय और वह भंग की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये । माननीय नेता महोदय बोल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : निर्माण कार्य के सम्बन्ध में आज ही जिलाधीश से बात करूंगा कि इस जमीन के अन्दर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में हाई कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए ।

श्री राजेन्द्र गहलोत : सहकारी समिति भंग की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा समाप्त हुई ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपने कहा था मैं बोलने की इजाजत दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्या कहा ? मैंने कहा, आप सन्तुष्ट हो जाएंगे । लोकायुक्त से जांच के बाद इसमें कुछ रहता नहीं है ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : 2-3 प्रश्न करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या जरूरी है ? उत्तर आ चुके हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : एक तो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष : वह हो चुका सारा । मुकदमा दर्ज करने का कह दिया ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : डाकूमेंट्स जो जो प्रस्तुत किये, एक तो, 1953 में यह जमीन थी सरकारी जमीन....

श्री उपाध्यक्ष : यह नहीं बैठेगा.... (व्यवधान)... कल्ला साहब, सभी बातें आ चुकी हैं ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं दो मिनट में अपनी बात कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट में क्या होगा ? उत्तर आ चुके हैं सारे ।

माननीय रामनारायण जी विश्नोई प्रदेश में उपलब्ध रासायनिक खाद का समुचित वितरण नहीं होने से किसानों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे ।... (व्यवधान)....

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैंने कालिंग अटेंशन मोशन दिया है, पर आपने नहीं बोलने दिया । उसके बाद में आपने कहा, मैं प्रश्न करने की इजाजत दूंगा । आप प्रश्न क्यों नहीं करने दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : जब आ गया लोकायुक्त से जांच करने का।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार को मेरे प्रश्नों का डर क्यों है ?

श्री उपाध्यक्ष : कौन से प्रश्न हैं आपके ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप मुझे प्रश्न करने तो दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, कल्ला साहब। आई विल नॉट अलाउ।...(व्यवधान).... कृपया सहयोग कीजिए। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि सदन की कार्यवाही आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ायी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है। क्या, कल्ला साहब ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं सिर्फ 2-3 प्रश्न करूंगा।

मुखबन्द के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री ओमप्रकाश गुप्ता (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मुखबन्द का समय सायं 4.50 की बजाय सायं 6 बजे निश्चित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मुखबन्द का समय 4.50 की जगह 6.00 बजे के लिए निश्चित किया जाय ?

(स्वीकृत)

मुखबन्द का समय सायं 6.00 बजे निर्धारित किया जाता है। माननीय कल्ला साहब।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

देवनगर (जोधपुर) में सीलिंग से प्रभावित भूमि का बेचान

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 1953 में इस जमीन को चरागाह के रूप में रखा गया था। उसके बाद 1966 में यह किस तरह खातेदार के खाते में दर्ज हुई ? इसके बाद 1970 में विक्रय नामा हुआ। उस विक्रयनामे के बाद इस जमीन को असत्य शपथ पत्र पेश करके अदालत में अथवा सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत जिन जिन के सामने यह मामला विचाराधीन रहा वहां तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नये तथ्य क्या हैं ? ये तो आ चुके हैं सारे रिकार्ड पर।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक तारीख बताना चाहता हूं कि 4-12-1983 को उम्मेद मल गांधी ने एक दरख्वास्त देकर हाई कोर्ट से इस मामले को निकाल लिया और 5 तारीख को स्थानान्तरण हो गया। वह अधिकारी कौन है और उसके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? एक दिन में सारा रूपांतरण कर दिया। और रूपांतरण के बाद इस जमीन में जितनी जमीन नहीं थी, 60,000 वर्ग मीटर की जगह 72,000 वर्ग मीटर किस तरह से रूपांतरण किया गया और कब्जा जब वहां पर देखने में आता है तो 74,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा है।

इस सारी भ्रष्टाचार के मामले में, करोड़ों रुपये का जमीन घपला, राजस्थान सरकार के लिये मुसीबत बना और सरकार यह कहती है कि कांग्रेस के वक्त में। कांग्रेस के वक्त में कुछ नहीं हुआ। जिन-जिन अधिकारियों ने कोई भी काम किसी भी वक्त में किया है, आप उसकी जांच कराइये और मैं कहता हूं कि हाउस की कमेटी से इसकी जांच कराइये और जांच कराने के बाद में जिन लोगों ने इसमें घपला किया है, उसके खिलाफ सरकार कार्यवाही करें। लीपापोती की कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो कोई फ्रॉड डाकूमेंट्स पेश किये गये हैं, उसके खिलाफ में पूरी जांच होकर उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इन सब के लिये कह दिया है। सारी बातों को लोकायुक्त देख लेंगे। कहां हलफनामा गलत दिया है, कहां फर्जी कार्यवाही की गई है, वह सब बातें देख लेंगे। लोकायुक्त की रिपोर्ट हाउस में आवेगी। उस रिपोर्ट के वक्त और अगर कमी रहती है तो चर्चा हो सकती है। हमारी किसी आदमी को बचाने की नीयत नहीं है। जितना सदन के सदस्यों ने कहा है कि बहुत बड़ा फ्राड है, इसलिये लोकायुक्त को सारी प्रोसिडिंग्स, जिसमें आपने जो कहा है वह भी शामिल करके, भेज देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राम नारायण विश्नोई।

श्री प्रकाश चन्द बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय, सोसाइटी में तो प्रशासक लगवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये आप। माननीय विश्नोई साहब।

शासकीय वक्तव्य

रासायनिक खाद की अनुपलब्धता से किसानों को असुविधा

श्री रामनारायण विश्नोई (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, दिनांक 25 अगस्त 1992 को भारत सरकार की तरफ से उर्वरकों के सम्बन्ध में एक नई नीति की घोषणा की गई थी और माननीय सदन के सदस्य और राजस्थान के काश्तकार इस बात से बहुत चिन्तित थे क्योंकि कुछ उर्वरकों की कीमत अनियंत्रित कर दी गई

(श्री रामनारायण विश्नोई)

थी और उससे कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हो गई थी। भारत सरकार की तरफ से 26 अगस्त, 1992 को टैलेक्स मैसेज प्राप्त हुआ। उस टैलेक्स मैसेज के मुताबिक यह आदेश दिया गया कि 25 अगस्त, 1992 के रोज जिन होलसैलर्स और रिटेल डीलर्स के पास जो स्टाक है, उस स्टाक का वेरिफिकेशन करके वह स्टाक अनियंत्रित जो उर्वरक हैं उनको पुराने रेट के ऊपर बेचा जाय। इस टैलेक्स के आने पर राजस्थान के कृषि अधिकारियों द्वारा तमाम जिलों के अन्दर उप-खण्ड और खण्डों में सूचना दी गई और जो भी स्टाक था, उसका वेरिफिकेशन किया गया।

श्री प्रेमसिंह दहिया : हमारे यहां नहीं हुआ।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैंने इस सम्बन्ध में 22-9-1992 को एक वक्तव्य दिया था और उस वक्तव्य के मुताबिक 24 अगस्त, 1992 को राज्य में 18,690 मैट्रिक टन तो डी. ए. पी. उपलब्ध थी, 4622 मैट्रिक टन सुपर फास्फेट और 2602 मैट्रिक टन यूटेन का पोटाश विक्रेताओं के पास उपलब्ध था। माननीय उपाध्यक्षजी, करीब-करीब तमाम काश्तकारों को और बहुत से माननीय सदस्यों को भी एक यह भ्रम था कि जो भी उर्वरकों का, खाद का स्टाक जो मैन्यूफेक्चरर्स का था और गोदामों के अन्दर पड़ा है, वह भी पुरानी रेट के अन्दर बिकना चाहिये। पर जो टैलेक्स मैसेज आया था, उसके मुताबिक यह क्लियर कर दिया गया था। मैं वह टैलेक्स मैसेज पढ़कर के बता रहा हूं Government have also decided modification of previous order, that all stocks of decontrolled fertilizers acquired by wholesellers and retail deales other than the manufacturers and tool handling agents whether in government, private or co-operative sectors including agro-industries corporations, apex co-operative marketing federations and other institutional agents shall be sold by them at prices not exceeding the maximum prices prevailing on 26th Aug. 1992. इस टैलेक्स मैसेज के....

डा. चन्द्रभान : इसका प्रचार कराया क्या? पुरानी तारीखों में खाद बेचने के लिए किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है।... (व्यवधान) इसका आपने प्रचार कराया क्या अखबारों में ?

श्री उपाध्यक्ष : आप स्टेटमेंट तो देने दीजिये, डा. साहब।

श्री रामनारायण विश्नोई : हां, इसका प्रचार कराया।

श्री हेतराम बेनीवाल : आज से पहले सूचना ही नहीं है। डिपार्टमेंट ने कोई सूचना नहीं दी।....(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : तीन हजार किसानों पर लाठीचार्ज हो गया। इतनी जगहों पर लाठीचार्ज हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में ही कह दीजिये आप।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, इस टैलेक्स के जरिये यह स्पष्ट था कि जो मैन्यूफैक्चरर्स के पास माल है, चाहे वह गवर्नमेंट के गोदामों में हो और जो होलसैलर्स और रिटेल डीलर्स को नहीं बिका गया है, जिसकी सब्सिडी गवर्नमेंट आफ इण्डिया से उनको नहीं मिली है, वह पुरानी रेट के अन्दर बेचा जायेगा। इस टैलेक्स के आने के बाद गवर्नमेंट आफ राजस्थान की तरफ से इस सम्बन्ध में सम्बन्धित कृषि निदेशक द्वारा 26 अगस्त को, उसी दिन जब 26 अगस्त को यह टैलेक्स प्राप्त हुआ, उसी दिन कृषि निदेशालय द्वारा समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को दूरभाष एवं तार द्वारा सूचना दे दी गई थी जिससे कि इस नीति का अनुसरण प्रभावशाली तरीके से किया जा सके। इस नीति के सम्बन्ध में प्रमुख समाचार पत्र, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी पर भी किसानों को जानकारी दे दी गई थी। 26 तारीख को अगर आपने दूरदर्शन और पत्र पढ़े हो . । यह कोई गलत सूचना नहीं है। इस प्रकार से ...

डा. चन्द्रभान : आपने अखबारों में कहां एडवर्टाइजमेंट दिया ?

श्री रतना राम चौधरी : मंत्री महोदय, जिला वाइज स्टाक की सूची कृपा करके दें ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि हमारे जिले में कितना स्टाक था।

डा. चन्द्रभान : गृह मंत्रीजी के यहां भी इसी सवाल को लेकर लाठीचार्ज हुआ है। वहां जनता को जानकारी नहीं है, मंत्रीजी। और आपने एडवर्टाइजमेंट दिया क्या, मैं यह पूछना चाहूंगा।

श्री रामनारायण बिश्नोई : यह जानकारी नहीं होने की वजह से हुआ होगा। इसलिये, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज भी बहुत से काश्तकारों को और बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जो स्टाक ...

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में बोलने का राइट नहीं है क्या ? आप इनको वक्तव्य तो देने दीजिये।

श्री रामनारायण बिश्नोई : जो स्टाक आज गोदामों के अन्दर रखा हुआ है, उस स्टाक को किस रेट पर बेचा जाय, जैसा मैंने निवेदन किया, टैलेक्स में बिलकुल स्पष्ट निर्देश थे कि जो माल बिक चुका है, जो विक्रेताओं के पास आ चुका है, होलसैलर्स और रिटेलर्स के पास जिसकी सब्सिडी गवर्नमेंट आफ इण्डिया से मैन्यूफेक्चरर्स को और हैंडलिंग एजेंट को नहीं दी गई है, वह माल पुरानी रेट के अन्दर बेचा जायेगा। उसके बाद में स्थिति इस वजह से बिगड़ी कि जो स्टाक मैन्यूफेक्चरर्स के पास था, उस स्टाक की कीमतें मैन्यूफेक्चरर्स ने डिक्लेयर नहीं की थी इन्स्पाइट आफ सो मैनी रिपीटेड रिक्वैस्ट्स बाई द गवर्नमेंट आफ

(श्री रामनारायण विश्नोई)

इण्डिया और तमाम राज्य सरकार के कृषि निदेशालय के अधिकारी गवर्नमेंट आफ इण्डिया से सम्पर्क में थे। माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार बराबर इस बात से चिन्तित थे कि हिन्दुस्तान के अन्दर काश्तकार बहुत मुसीबत के अन्दर है, किस रेट के अन्दर उनको खाद उपलब्ध की जाय और इसका क्या निराकरण किया जाय। जब स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो अभी कल माननीय कृषि मंत्रीजी, भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि हम एक हजार रुपया प्रति टन के हिसाब से इसके अन्दर सब्सिडी देंगे और इस रेट के हिसाब से, माननीय उपाध्यक्षजी, ...

श्री हेतराम बेनीवाल : प्रति मैट्रिक टन।

श्री रामनारायण विश्नोई : हां, मैट्रिक टन। जो रेट, खाद की अनियंत्रित दरें डी.ए पी, मिश्रित खाद और एम. ओ. पी. के जो रेट बढ़ चुके थे, करीब 8500 डी.ए.पी के रेट आ चुके थे, इसी तरह से मिश्रित खाद के 4220 से 7500 हो गये थे और एम.ओ.पी. 1700 से 6200 रुपये हो चुके, उसके रेट अब 7,000 और 7,500 होने की सम्भावना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मीट्रिक टन को छोड़कर प्रति कट्टा बता दो। .. (व्यवधान) आप तो प्रति कट्टा बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : उसके अनुसार प्रति कट्टा भी निकालेंगे।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, कल जो 28-9-92 को माननीय कृषि मंत्री श्री बलरामजी जाखड़ ने घोषणा की है, माननीय कृषि मंत्री, भारत सरकार इस बात में बड़े चिन्तित थे कि इसके लिये कोई न कोई रिलीफ काश्तकारों को दी जाय। तो इस घोषणा के मुताबिक। हजार रुपया प्रति टन कमी की गई है खाद के अन्दर। इस हिसाब से राजस्थान सरकार को 17.33 करोड़ देने का प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किया गया है। इस रेट से एक हजार रुपया प्रति टन के हिसाब से कम करके काश्तकारों को खाद बेची जायेगी। घोषणा कल की गई है, टैलेक्स की सूचना अभी आई नहीं है, शाम तक या कल तक सूचना आने के बाद तमाम अधिकारियों को इसकी बाबत निर्देश दे दिये जायेंगे। यह स्थिति बनी हुई है और भारत सरकार की तरफ से .. (व्यवधान) कल घोषणा की गई है, टैलेक्स मैसेज आने के बाद सारी व्यवस्था की जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : भारत सरकार की नीति बता रहे हैं, जनार्दन सिंहजी।

डा चन्द्रभान : आप कल क्यों कर रहे हैं, घोषणा क्यों कर रहे हैं जब केन्द्रीय मंत्री पर यकीन नहीं है आपको ?

श्री रामनारायण विश्नोई : भारत सरकार ने जो घोषणा की है....

श्री रतना राम चौधरी : फसल बोने का समय चला जायेगा।....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप ।

श्री रतनाराम चौधरी : स्थिति विम-यर करें और जो सेन्ट्रल गर्नमेंट सब्सिडी देती है, वह राजस्थान की....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, रतनारामजी ।

श्री रतनाराम चौधरी : वह माफ करके किसानों को राहत दिलाई जाय । यह मेरा आपसे निवेदन है ।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान सरकार के कृषि अधिकारी भी उपस्थित थे कल वहां पर । भारत सरकार के कृषि मंत्री, माननीय श्री बलरामजी जाखड़ ने जो घोषणा की है उस घोषणा के मुताबिक राजस्थान को 17.33 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाये जायेंगे और उसके मुताबिक व्यवस्था जो है कल से राजस्थान के अन्दर भी लागू कर दी जाएगी, 1 हजार प्रति टन के हिसाब से जो रिलीफ दी जाएगी उस रिलीफ के मुताबिक काश्तकारों को खाद बांटी जाएगी । जो स्टाक 25-9-1992 को... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपा कर सुनिए ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने 70 करोड़ दिया है उसमें आपने क्या दिया है ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : अभी तो भारत सरकार की तरफ से हुई है घोषणा हमारी तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । .... आर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 1 हजार प्रति टन की घोषणा भारत सरकार की तरफ की गई है और राजस्थान सरकार की तरफ से यह कोशिश की जाएगी कि कम से कम 1500 रुपये प्रति टन का इनको फायदा मिले, 500 रुपये की राजस्थान की तरफ से भी कोशिश की जा रही है । ... (व्यवधान) ...

श्री यदुनाथ सिंह : घोषणा हो गई क्या ?

डा. चन्द्रभान : घोषणा कर दी क्या आपने ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : इस सदन के अन्दर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मेरा निवेदन है कि स्टेटमेंट आ रहा है । कृपा कर व्यवधान मत कीजिए । ....आप स्टेटमेंट नहीं सुनना चाह रहे हैं क्या ? कम से कम सुनिए तो सही । (व्यवधान) ...

डा चन्द्रभान : ऐसे स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : नहीं प्रयत्न क्या किया जाएगा ? जब भारत सरकार ने 1 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से दिए हैं तो राजस्थान सरकार भी 1 हजार या 1500 की घोषणा कर रही क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह अभी कर रहे हैं। आप बैठिए तो सही। .... आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं।....(व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : क्या प्रयत्न कर रहे हैं, राजस्थान के किसान तो मर रहे हैं।

डा. चन्द्रभान : ऐसे स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : क्या प्रयत्न कर रहे हैं, राजस्थान का किसान तो मर रहा है। ...(व्यवधान)

श्री यदुनाथसिंह : प्रयत्न कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं? .. (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : वहां खाद ब्लैक में मिल रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : यहां भी किसानों के हित में घोषणा होनी चाहिए। (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। कृपया सहयोग कीजिए। (व्यवधान)....

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : 1 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से राजस्थान सरकार को भी घोषणा करनी चाहिए। ....(व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए, आपको बोलना है और भी चांस मिलेगा। आपने कह दिया बैठिए।....(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह है स्टेटमेंट कि प्रयत्न कर रहे हैं।...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : यह किसानों का मामला है ...(व्यवधान) ...राजस्थान सरकार को भी घोषणा करनी चाहिए .. यह किसानों का मामला है....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब बिराजिए।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।....

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है।....

श्री उपाध्यक्ष : गम्भीर मामले पर ही माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कृषि मंत्रीजी कर रहे हैं कि प्रयत्न करेंगे, क्या प्रयत्न करेंगे? घोषणा करें सदन के अन्दर।

श्री यदुनाथसिंह : फसल तैयार खड़ी है। बोने के लिए और आप कह रहे हैं कि प्रयत्न कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं.... .... (व्यवधान)....

श्री रामेश्वर दयाल यादव : कोई प्रयत्न सुनने के लिए हम आए हैं यहां पर?

श्री उपाध्यक्ष : आप उनको सुन तो लीजिए ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सुन लें ?

श्री नत्थीसिंह : बुआई का समय निकल जाएगा । इसलिए राजस्थान सरकार को भी 1 हजार प्रति टन की घोषणा करनी चाहिए । ....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : क्या राजस्थान सरकार नहीं कर सकती है ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मसला है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : यह राजस्थान के किसानों का मामला है ।

श्री रतनाराम चौधरी : किसानों की चने की बुआई का समय आ गया है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है। (व्यवधान)...

श्री नत्थीसिंह : मंत्रीजी भी तो किसान हैं या सेठ हैं ? (व्यवधान)....

डा. चन्द्रभान : कल से राजस्थान में खाद 1 हजार रुपये प्रति टन से, 500 का प्रयत्न कीजिए तो आज के मूल्य और कल की तारीख में क्या भाव मिलेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि कृपा कर........ (व्यवधान)....

श्री रघुनाथसिंह : इस तरह का स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इस तरह का स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे हम । (व्यवधान)

श्री नत्थीसिंह : यह खाद का किसानों का मामला है मंत्री महोदय....(व्यवधान) किसानों के हित के लिए तो बोलो । .... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरो पर है।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : गृहमंत्री जी के क्षेत्र में लाठीचार्ज हो गया ।

श्री प्रभुलाल पटेल : राजस्थान सरकार खाद के पैसे कितने कम करेगी यह तो बतलाए कम से कम । ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए ।

श्री प्रभुलाल पटेल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मसला है ...... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट अभी चालू हुआ है, एण्ड थोड़े ही हुआ है। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों का मसला है, घोषणा करवाइए किसानों के हित के लिए, खाद की सब्सिडी के लिए घोषणा । केन्द्रीय सरकार ने 1 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से कर सकती है तो . (व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थीसिंह जी क्या कह रहे हैं ? ....(व्यवधान) ...

श्री रतनाराम चौधरी : केन्द्रीय सरकार ने 1 हजार रुपये प्रति टन का दिया

(श्री रतनाराम चौधरी)

है तो राजस्थान सरकार को भी........ (व्यवधान) ...

(4·55 म. प.)

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो कृषि मंत्रीजी ने घोषणा की है कि 1 हजार रुपये प्रति टन की, उससे 50 रुपये कम होगा। आप कह रहे हैं कि 18 हजार और इतने हमारे डी. ए. पी. के थे लेकिन कहीं एक कट्टा भी किसी को नहीं मिल रहा है, लाठी चार्ज हो रहा है और आज भी हजारों किसान जगह-जगह खड़े हैं, मिल नहीं रहा है। हमारी व्यथा यह है। आप कहते हैं कि व्यवस्था करेंगे, आप कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे। 1 हजार रुपये भारत सरकार ने कम किये हैं 500 रुपये हम मिला देंगे, कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे? सरकार यहां बैठी है, विधान सभा यहां है, आप बताएं कितना देंगे आप ?... (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : बैठिए आप।

श्री नत्थीसिंह : इनसे बस की नहीं है। मुख्य मन्त्रीजी मौजूद हैं। वह मसले की गम्भीरता को समझें।.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रामेश्वरदयाल यादव। (व्यवधान)...

श्री नत्थीसिंह : आप बोलिए।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। श्री रामेश्वरदयाल यादव। ...(व्यवधान)....आपको भी बुलवाऊंगा। आप एक एक करके बोलिए, बोल लीजिए। मेरी आवाज आज तेज नहीं है इसलिए धीमी आवाज को सुन कर.... (व्यवधान)... एक एक को, सबको बुलाऊंगा। पर आप एक-एक करके बोलिए।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्रीजी ने अभी कहा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रीजी ने 1 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से कोई रिबेट देने की बात कही है। मेरा एक निवेदन तो यह है कि जगह-जगह लाठी चार्ज हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, फसल का टाइम है और राजस्थान के नजदीक हरियाणा और पंजाब जैसे प्रदेशों में कोई सैल्स टैक्स नहीं लगता है, चुंगी नहीं लगती है और राजस्थान के अन्दर सबसे बड़ा किसानों पर बोझ यह और है। मैं राजस्थान के किसानों की ओर से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने 1 हजार रुपये तय किए हैं तो राजस्थान सरकार भी 1 हजार या 1500 रुपये प्रति टन के हिसाब से, क्या तय करना चाहते हैं, स्पष्ट घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। श्री परसरामजी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : Have you completed your statement Hon'ble minister ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, कम्प्लीट नहीं किया है।

श्री परसराम मदेरणा : He has not completed the statement, so let him complete first.

श्री अध्यक्ष : एक बार सुन लें। फिर आप बोल लीजिए। मंत्रीजी आप पूरा कीजिए। कम्प्लीट कर दीजिए स्टेटमेंट आप।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि खाद के मामले में राजस्थान के काश्तकार भी आन्दोलित हैं और इस सदन का हर सदस्य इस बारे में चिन्तित है। पर मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि खाद के मामले में राजस्थान सरकार की तरफ से न तो पिछले साल अनुदान था और न इस साल राजस्थान सरकार कोई अनुदान देने जा रही है। और माननीय सदस्य... (व्यवधान) ...

श्री यदुनाथसिंह : अभी तो कहा है। (व्यवधान) ...

डा. चन्द्रभान : अभी तो कहा था। ... (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी मदेरणा बोल रहे हैं। बैठिए आप।.... (व्यवधान) ... श्री परसरामजी मदेरणा बोल रहे हैं। ....(व्यवधान)

श्री नरपतसिंह : आपने अभी-अभी कहा है। ...(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी बोल रहे हैं ना। आप भी बोल लीजिए। फिर आपका ही है।

श्री यदुनाथसिंह : नहीं सुनना चाहते हैं स्टेटमेंट।

श्री रामेश्वरदयाल यादव : नहीं सुनना चाहते हैं, अभी कहा है घोषणा करें। आपने कहा है प्रोसीडिंग्स देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : आपने स्टेटमेंट पूरा कर लिया ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : नहीं ?

श्री अध्यक्ष : आप स्टेटमेंट पूरा कर लीजिए।... (व्यवधान)...

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसिडिंग्स उठा कर देख लें, अभी घोषणा की थी। (व्यवधान)....

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रोसीडिंग्स उठा कर देख लीजिए। आपने घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष : एक बार स्टेटमेंट पूरा हो जाने दीजिए। फिर आप बोल लीजिए।

(5.00 म. प.)

(व्यवधान) आप एक बार स्टेटमेंट पूरा हो जाने दीजिये... (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है मेरा....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक बोले तो सुनें ... (व्यवधान) ...

श्री नत्थीसिंह : अभी इन्होंने कहा कि हम कुल डेढ़ हजार देंगे और अभी बदल गये।

श्री यदुनाथ सिंह : आप उपाध्यक्षजी से पूछ लीजिये....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक एक बोलिये, एक-एक करके बोलेंगे तो समझ में आयेगा.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, किसानों को इन्होंने लूटा दिया।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिये। प्रश्न इस बात का है अध्यक्ष महोदय मंत्री महोदय स्टेटमेंट दे रहे थे आसन पर उपाध्यक्ष महोदय मौजूद थे उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने एक हजार रुपये की सब्सिडी देने की बात कहीं है और राजस्थान सरकार पांच सौ रुपये देने का विचार कर रही है अभी ही मन्त्री महोदय इस बात से बदल रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी किसान वर्ग से आते हैं इनसे आप पूछ लीजिये, आप प्रोसीडिंग उठा कर देख लीजिये। सरकार के मन्त्री स्टेटमेंट दे और बदल दे। अध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री स्टेटमेंट देते हैं और अपनी बात को खुद ही बदल दें तो....

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी का बयान है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : हां मन्त्रीजी ने कहा है। आप प्रोसीडिंग देख लीजिये। ....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय आसन पर बैठे थे। यह भी किसान परिवार से आते हैं, गलत बयान नहीं देंगे।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी खुद बदल गये हैं हमारा यही विरोध है।....(व्यवधान)

श्री प्रद्युमनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रीजी मुख्य मंत्रीजी से घोषणा करवाना चाहते हैं। कृषि मंत्री कैसे कर देंगे इसलिये वह मुख्य मंत्रीजी से घोषणा करवाना चाहते हैं लगता मुझे ऐसा ही है कि मुख्य मंत्रीजी ने उनकी क्लास ली कि आपने यह घोषणा कर कैसे दी। .. (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मुख्य मंत्रीजी, पांच सौ मंत्रीजी ने की है आप हजार कर दीजिये। ... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : भारतीय जनता पार्टी पहले घोषणा करके पलटी थी और अब मंत्रीजी घोषणा करके पलट गये।.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी समझ में यह नहीं आता की खाद की कीमत बढ़ाई भारत सरकार ने और आलोचना कर रहे हैं आप राजस्थान सरकार की। (व्यवधान) कीमत तो आपने बढ़ा दी।

श्री यदुनाथ सिंह : हम तो दोनों की कर रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : किसान विरोधी सरकार नहीं चलेगी किसान विरोधी सरकार.. (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं चलेगी नहीं चलेगी.... (व्यवधान)

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसान विरोधी है। किसान को खाद देना नहीं चाहती है, किसान का उत्पादन चाहती नहीं है। राजस्थान के किसान के हकों के ऊपर कुठाराघात कर रही है। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह राठौड़ : केन्द्र सरकार ने कीमत बढ़ा दी ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री परसरामजी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मन्त्रीजी ने जो 22 तारीख को वक्तव्य दिया उसी के सम्बन्ध में आज फर्टीलाइजर के प्रकरण को लेकर इसके डिस्ट्रीब्यूशन स्टोक और भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडी दी गई है उसके सम्बन्ध में कल माननीय सदस्य ने अपने विचार रखे थे इसलिए आज उनको आपने वक्तव्य देने के निर्देश दिये। सबसे पहला प्रश्न कृषि मन्त्रीजी मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं जब टेलीग्राम आपके पास में, टेलेक्स गवर्नमेंट आफ इण्डिया का 26 अगस्त को आया था तो आपने जो 22 तारीख के अपने वक्तव्य में और आज के वक्तव्य में यह बात कही है कि 18 हजार 690 मैट्रिक टन डी.ए.पी स्टोक में थी तो मैं यह पूछता हूं कि 24 तारीख का तो आपने स्टोक का क्वांटम बता दिया कि स्टोक में थी, 25 तारीख का स्टोक क्या था ? और 26 तारीख को स्टोक क्या रहा और 26 तारीख के स्टोक के बाद में आपको इस बात के निर्देश दिये टेलेक्स से कि जो स्टोक अभी आपके पास में है उसका वितरण आप पुरानी रेट्स पर करवायेंगे, उस स्टोक को सीज करने के सम्बन्ध में, ताकि किसी प्रकार की ब्लेक मार्केटिंग नहीं हो, टेम्पटेशन जो लोगों को बहुत जबर्दस्त था, प्राइज इन्क्रीज का ट्रिमेंडियस था, आपकी सरकार ने और कृषि विभाग ने इसके सम्बन्ध में क्या स्टेप लिया ? एक, अभी तो एक प्रश्न आया है। मैं आपसे पांच प्रश्न पूछूंगा।

दूसरा प्रश्न यह है कि आपके आदेशों की अनुपालना में क्या बात बनी, तथ्यात्मक स्थिति क्या रही ? उस डी.ए.पी के वितरण के सम्बन्ध में आपने कौन-कौन सी जगह पर सुपरवाइजरी स्टाफ लगा दिया ताकि उसी पुरानी रेट पर किसानों को डी.ए.पी. अवेलेबल हो सके। आपने 22 तारीख को अपने स्टेटमेंट में एक बात और कही थी कि सितम्बर और अक्टूबर में रबी के सीजन में 83 थाउजेण्ड मेट्रिक टन की आवश्यकता पड़ती है लेकिन हमारे पास अवेलेबिलिटी 63 थाउजेण्ड मेट्रिक टन की है। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 63 थाउजेण्ड मेट्रिक टन आपके पास अवेलेबिलिटी स्टोक की थी यह मेन्यूफेक्चरर के पास में थी या विक्रेताओं के पास में थी ? मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं कि कोई डी. ए. पी. का मेन्यूफेक्चरर राजस्थान स्टेट में है और मेन्यूफेक्चरर के पास में क्या भारत सरकार के इस प्रकार के आदेश थे कि उस तारीख में जो स्टोक है वह भी पुरानी रेट पर बेचा जायेगा ?

तीसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो मेरा

(श्री परसराम मदेरणा)

अनुमान है और आपके कृषि विशेषज्ञों का अनुमान है कि रबी के सीजन में टोटल डी. ए. पी. की आवश्यकता पड़ती है वह एक लाख 50 हजार मीट्रिक टन की मांग है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अवेलेबिलिटी आपके विक्रेताओं के पास ही होगी और जैसा आप कह रहे हैं शायद और तो इसकी आवश्यकता है तो नहीं राजस्थान में यहां और अगर विक्रेताओं के पास में अवेलेबिलिटी थी तो यह अवेलेबिलिटी आपने 22 तारीख को यहां पर बताई तो क्या आपने इस बात पर असटेन किया कि 18,600 मीट्रिक टन, 67,000 टन की जो अवेलेबिलिटी है, वह 26 तारीख से पहले वाली तो कौनसी है और उसके बाद वाली कहां से आई है ? और उसमें अब आपको करीब 90,000 टन की और आवश्यकता है इस रबी की सीजन में, क्योंकि आपके पास में डेढ़ लाख टन की मांग है तो 83,000 टन तो आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिये अक्टूबर माह में और कुछ आपकी एम. ओ. पी. भी 7,000 टन के आसपास होगी तो 90,000 टन की और आवश्यकता आपकी रबी की सीजन के लिए पड़ेगी । इसके प्रोक्योरमेंट में, इसको लाने में और काश्तकारों को वितरण के सम्बन्ध में आपने क्या कार्यवाही की है ?

मेरा चौथा प्रश्न यह है कि डी. ए. वी. के सम्बन्ध में 200 करोड़ रुपये और एम ओ. पी. के 140 करोड़ रुपये की सब्सिडी भारत सरकार ने कल घोषणा की है । इस घोषणा से पूर्व जितनी भी यहां पर कम्पनियां थी, क्योंकि राजस्थान में इफको और गुजरात की स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी जोर सरदार यूरिया यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करती है और उसके बाद में और जो कम्पनियां हैं, 4-5 इम्पोर्टेड डी. ए. पी. को लाकर बेचती है यहां पर, आप मुझे यह बतावें कि भारत सरकार की घोषणा से पूर्व, जो रात को की गई है और कल शाम तक, आपने विक्रेताओं ने जिसमें 2 तो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आपकी गुजरात की स्टेट फर्टिलाइजर कम्पनी और इफको गुजरात, इन्होंने क्या रेट फिक्स की थी यहां पर, उस बढ़ी हुई रेट के ऊपर कितने हजार मीट्रिक टन यूरिया और एम. ओ. पी. वितरण किया जा चुका है किसानों को कल रात तक ?

मेरा अन्तिम प्रश्न यह है, अध्यक्ष महोदय, कि तब भारत सरकार 1000 रुपये प्रति टन सब्सिडी देने जा रही है, इस सब्सिडी के बाद में जो प्राइसेस कम्पनियों ने डिक्लेयर की है, उस पर बराबर बेच रहे हैं पिछले सप्ताह भर से, सप्ताह भर से नहीं 10-15 दिन से, 410 रुपये की प्राइस फिक्स की है इफको ने, गुजरात में फिक्स की है 438 रुपये, यह चारों ही कम्पनियां जिनके पास में भी यह स्टाक है और उनके पास उनके पास विक्रेता है यहां पर, एजेन्टस हैं चाहे वह आई. पी. एल. हो पी. वी. एल. हो, एच. ई. सी. हो और कृभको हो, इन्होंने अपनी रेट फिक्स कर दी है और यह रेट 438 रुपये की हुई है । क्या आपको इसकी जानकारी है और अब उसके बाद में यह जो सब्सिडी 1000 रुपये प्रति टन दी जायेगी । इसके बाद में मार्केट में अलग-अलग कम्पनियां क्या रेट फिक्स करेंगी ?

(श्री परसराम मदेरणा)

अन्त में मेरा कहना यह है कि आपने वितरण के मामले में जो 18690 टन भी, जगह-जगह शार्टेज पाये हुए। आपने उस स्टाक को सीज क्यों नहीं किया और सीज करने के बाद में उसका वितरण करने के लिए फूल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार क्यों नहीं किया? जब रेट का डिफरेंस इतना ज्यादा आ रहा था, करीब 350 रुपये के आस-पास था और अभी आपने-आपने स्टेटमेंट में यह बात कह चुके हैं कि केन्द्र सरकार 1000 रुपये की सब्सिडी दे रही है तो राजस्थान सरकार भी बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है 500 रुपये की सब्सिडी देने पर। जो भी फर्टिलाइजर वहां पर राजस्थान में आ रहा है।

यहां पर एक भी मेन्युफेक्चरर नहीं है सिवाय चम्बल फर्टिलाइजर केमिकल्स है। यूरिया तो कर ही रहा है, मुझे मालूम नहीं। वह डी. ए. पी. भी मेन्युफेक्चर करता है या नहीं करता है। शायद डी. ए. पी. नहीं कर रहा है। इसका मतलब डी. ए. पी. लाकर बेचता है। मैंने जिन 4 कम्पनियों का नाम लिया, उसमें 5 वीं कम्पनी आपकी चम्बल फर्टिलाइजर केमिकल्स भी है क्योंकि वह इम्पोर्टेड लाकर बेचती है और इसलिए 5 कम्पनियां हैं यहां पर। जितना भी आपके पास में फर्टिलाइजर आ रहा है सब तरह का, उसके ऊपर सेल्स टैक्स ले रहे हैं, चुंगी भी आप ले रहे हैं और किसानों की तरक्की के लिए, उनकी उन्नति के लिए आप कह रहे हैं कि 61 प्रतिशत हमने बजट रखा है पूरे बजट का टोटल आउट ले का, मेरा आपसे अनुरोध है कि 61 प्रतिशत की जगह आप 62 प्रतिशत कर दीजिये लेकिन ये 500 रुपये एक दफे कहने के बाद में इतनी जल्दी सोमर साल्ट कर लेना आपका और यू टर्न ओवर जो है आपका इमिजियटली दूसरी बात कह देना किसी भी सरकार के लिए शोभाजनक बात नहीं है। मैं समझता हूं, मैंने जो प्रश्न खड़े किए हैं, पहले आप उत्तर उनका दे दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेतराम जी। अच्छा, पहले उत्तर दे दीजिये। माननीय मंत्रीजी।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि मामला वास्तव में बहुत गंभीर है और अगर थोड़ा सा शांति से सुनेंगे तो हर बात का निराकरण किया जायेगा। मैं सबसे पहले यह निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया कि खाद के बारे में राजस्थान की सरकार की कोई नीति नहीं है, खाद के बारे में भारत सरकार की नीति के मुताबिक कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार ने पिछली बार भी अनुदान की राशि कम की और उसके हिसाब से 5 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार को भारत सरकार की ओर से अनुदान दिये गये तथा 54 रुपये प्रति कट्टे के हिसाब से डी. ए. पी. को हमने लघु सीमांत काश्तकारों को और दूसरे काश्तकारों को अनुदान के रूप में उसी पैसे में से पैसा दिया था यह सेल्स टैक्स राजस्थान के अन्दर पहले से लग रहा है, चुंगी भी लग रही है, कोई नई बात नहीं है। जो स्थिति

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

आज खाद के बारे में उत्पन्न की गई है, वह स्थिति जैसा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि भारत सरकार की तरफ से डिकंट्रोल्ड होने की वजह से अचानक भाव बढ़े।

इसमें राजस्थान सरकार का कोई किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है राजस्थान की सरकार की तरफ से जो कदम उठाये गये हैं, वह कदम टेलेक्स पर, जैसा मैंने निवेदन किया, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य यह जानना चाहते है कि राजस्थान की सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये। राजस्थान सरकार की तरफ से 26 तारीख को ही जो कदम उठाये जाने चाहिये थे अखबारों के जरिये, दूरदर्शन के जरिये, रेडियो के जरिये और सब जगह यह सूचना दे दी गई थी अधिकारिकों के मार्फत, कि पुराना स्टाक जो होलसेलर्स के पास में हैं, रिटेलर्स के पास में है, वह पुराना स्टाक केवल ओल्ड रेट के अन्दर बेचा जाय और उस पुराने स्टाक का वैरिफिकेशन, जैसा मैंने....

श्री परसराम मदेरणा : टेलीग्राम में भी कह दिया, समाचार पत्रों में भी कहा आपने, स्टाक सीज करने के लिए कोई कदम उठाये या नहीं उठाये ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदस्य को यह सूचना देना चाहता हूं कि तमाम 30 जिलों के अन्दर, जो स्टाक था अलग-अलग, वह तमाम स्टाक लिया गया और 30 जिलों के अन्दर....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : इन्होंने यह पूछा कि सीज किया है कोई ? एक भी बोरी राजस्थान के अन्दर कृषि विभाग ने सीज नहीं की है। किस जगह किया आपने ? कोई सीज नहीं की। सीज की है तो बतावें। (व्यवधान) आप कह रहे हैं करवाया है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण बिश्नोई : बताऊंगा, वह ही बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, कल भी जो चिन्ता व्यक्त की गई, इसी बात पर थी कि (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिचौलियों के बल पर ब्लेक करा रही है। सवाल तो कल भी यही था....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : सारे राजस्थान में... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हिन्दुस्तान में किसी भी राज्य में सीज किया हुआ हो तो बता दें, सीज कर सकते हैं। किसी भी राज्य ने नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : राजस्थान की सरकार ने सीज किया या नहीं किया, किसानों ने सीज किया है 1000 कट्टे कोथून के अन्दर ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज। देखिये, एक मिनट सुनिये, मेरी बात तो सुन ले आप। (व्यवधान) ऐसा है, जब डिकंट्रोल हो गया, किसी प्रकार का नियंत्रण रहा नहीं तो

(श्री अध्यक्ष)

क्या कानून सरकार ठीक कर सकती है, जवाब दे दीजिये इनको। इन्हीं को जवाब दे दीजिये ना। यह तो कानून व्यवस्था है कि डिकन्ट्रोल हो गया, ठीक कर सकती है कि नहीं, बता देंगे। माननीय परसरामजी ने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं, स्पेसिफिक जवाब वे दे रहे हैं। आप बीच में डिस्टरबेंस मत करिए। सुन लीजिए।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने वास्तव में स्पेसिफिक क्वश्चन्स पूछे हैं और मैं स्पेसिफिक जवाब उनका देना चाहता हूं और दे रहा था माननीय सदस्य ने यह पूछा कि राजस्थान सरकार की तरफ से क्या कदम उठाये गये? राजस्थान सरकार की तरफ से टेलेक्स मैसेज के मुताबिक वेरिफिकेशन उसी रोज 26 और 27 तारीख को किया गया अधिकारियों द्वारा तमाम 30 जिलों में जितना-जितना स्टॉक जिस-जिस व्यापारी का था वो लिया गया और जैसा मैंने 22 सितम्बर के स्टेटमेंट में स्पष्ट कर दिया था डी. ए. पी. का 18 हजार मैट्रिक टन स्टॉक था उस स्टाक को या दूसरा जो स्टॉक था तमाम जिलों में किसी को एक कट्टा, किसी को दो कट्टे, किसी को 4 कट्टे ...

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : यह बिल्कुल गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : बीच में मत बोलिए।

श्री अध्यक्ष : प्लीज। प्लीज। आप बात सुन ही नहीं रहे हैं। आप बैठिए। आप सुनना नहीं चाहते?

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा ! यह स्टेटमेंट किस काम का?

श्री अध्यक्ष : देखिए, माननीय सदस्य मुझे ऐसा लग रहा है आज आपका मूड नहीं है। मैं अभी डिमाण्ड्स पर आता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : इनका मूड नहीं है, हमारा मूड है।

श्री अध्यक्ष : तो डिमाण्ड्स पास हो जायेगी आप करते रहिए। देखिए, डिमाण्ड्स पास हो जायेगी, आप चाहे जितने करिए डिमाण्ड्स पास हो जायेगी। आप इस तरह की स्थिति क्यों ला रहे हैं? आप शांति से सुनिए। पहले उनकी बात पूरी होने दो। मैंने 20 बार कहा बीच में मत बोलिए। जब वे बोलकर बैठ जायें आपको बराबर मौका दे रहा हूं फिर मौका दूंगा। देखिए, किसानों की वकालत सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्य चाहते हैं। यह मत समझिए कि इसमें किसी का एकाधिकार है। सारे माननीय सदस्य चाहते हैं किसानों का हित चिन्तन हो। फर्स्ट सरकार नीति स्पष्ट कर रही है। आपने पाइंटेड क्वेश्चन पूछे हैं और पाइंटेड क्वेश्चन का जवाब आ रहा है और आप बीच में खड़े हो जाते हो। आप देखिए, इस मर्यादा को भंग करोगे तो मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि मैं अगला सारा काम करवा दूं। आप हल्ला करते रहेंगे तो भी हो जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

यह क्या बात है ? समझिए बात को आप ।

श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा : यह तो हमें दिखता ही है कि आप यह करेंगे ।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत् सदस्यों से यह निवेदन करना चाह रहा था कि सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाये जा सकते थे वे कदम उठाये गये हैं और किसी प्रकार की कोई ढील नहीं बरती गई है। तमाम जिलों के अन्दर जहां-जहां भी स्टॉक था हर जिले का स्टॉक ले करके वेरिफिकेशन करके और भारत सरकार के भी निर्देश थे कि जो स्टॉक आपके पास है काश्त का समय आ चुका है काश्तकारों को बंटवा दीजिए । जो स्टाक जिन जिलों में था वहां तमाम स्टाक बंटवाया गया है ।

माननीय सदस्यों की यह चिंता सही भी हो सकती है बहुत सी जगह में इस बंटवारे के अन्दर कुछ घपले भी हो सकते हैं । राजकीय-कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मचारी उसमें शामिल हो सकते हैं, कृषक भी इसमें शामिल हो सकते हैं और 5-5, 10-10 आदमियों के, काश्तकारों के नाम थे वे 2-2, 4-4 कट्टों की पर्ची ले जा सकते हैं । एक आदमी फायदा ले सकता है तो दूसरा आदमी बिना फायदे के रह सकता है, ऐसे मामले सुनने में आये हैं । परन्तु इस संबंध में जहां कहीं भी शिकायत हुई है उन शिकायतों पर कार्यवाही की गई है और कार्यवाही की जायेगी ।

माननीय सदस्यों को इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं । जहां इस तरह के डिकंट्रोल मामले होते हैं वहां हमेशा किसी न किसी तरह का हर आदमी नाजायज फायदा लेने की कोशिश करता है । काश्तकारों ने भी फायदा लेने की कोशिश की है । बहुत से काश्तकारों ने जो साधन-सम्पन्न काश्तकार थे उन्होंने दूसरे नामों से पर्चियां कटाकर 10-10, 20-20, 50-50 कट्टे ले लिए हैं । जहां कहीं भी हमें सूचना मिली है, हमें सूचना मिली दौसा के अंदर वहां 4 ट्रक सीज किए गए । पुलिस ने केस दर्ज....

श्री रामसिंह बिश्नोई : यह काम कर्मचारी कर सकते हैं, मार्केटिंग का मैनेजर कर सकता है, चेयरमैन कर सकता है । काश्तकारों का क्या लेना-देना है ? काहे का काश्तकारों को शामिल करते हैं इसमें ।

श्री परसराम मदेरणा : मेरा पहला स्पेसिफिक प्रश्न यह था **when you receive the telex on 26th of August.**

स्टॉक दे रहे हैं आप 24 तारीख का । आप कोई भगवान थे जो आपको मालूम हो गया कि 24 तारीख का स्टाक लेने की बात करेंगे और 25 तारीख का स्टाक क्या था । और 26 तारीख का क्या था आप 24 तारीख के स्टाक को पहले ही कैसे मानकर चल रहे हो ? जब आपको टेलीग्राम से जो निर्देश दिया वो भारत सरकार का 26 तारीख को मिला और आपने 26 को आदेश जो भेजा कम्प्ला-

(श्री परसराम मदेरणा)

इस के लिए तो 24 तारीख को बार-बार जो बता रहे हो कि 24 को वह स्टाक 18690 था उसमें मुझे शंकायें हो रही हैं। आप एक दिन पहले की सूचना बताना चाहते हैं....

श्री अध्यक्ष : वो स्लिप आफ टंग हो गया। 24 का कैसे हो सकता है जब आदेश ही 26 को आया।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह बिलकुल जिम्मेदारी के साथ कहा है और 26 तारीख....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदेश आये हैं 26 तारीख को और आदेश में यह आया कि 25 तारीख को जो स्टाक था वह पुरानी रेट्स पर बिकेगा।

श्री रामनारायण विश्नोई : मैंने यह जिम्मेदारी के साथ कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : 25 तारीख को बिकेगा यह आदेश आये लेकिन यह कह रहे हैं 24 को हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं 26 का कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : 24 को स्टाक यह था, आज भी कहा है और उस दिन भी कहा है। इनका स्टेटमेंट बहुत साफ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो स्टाक 24 को था वो ही स्टाक 25 को रहेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो मैंने पूछा है। 24 को स्टाक क्या था, 25 को क्या था और 26 को स्टाक क्या था।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गोपालगढ़ से आने वाले सदस्य को बताना चाहता हूं कि टेलेक्स के अन्दर यह क्लीयर था, 26 तारीख को यह टेलेक्स आता है और टेलेक्स के अन्दर यह था--"Immediately arrange 100% stocks verification of all fertilizers as on 25th of August, 92."

और हमारे अधिकारियों ने यह समझा कि इससे एक दिन पहले का स्टाक हमको ले लेना चाहिए ताकि इसमें कोई गड़बड़ न हो। इसलिए 24 तारीख का स्टाक लेने में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है कि इस दिन के अन्दर एकाध दिन पहले का जो है...

श्री परसराम मदेरणा : इसमें इन्होंने जो बहुत ही विजिलेंस दिखाई है यही तो घपला है।

श्री रामनारायण विश्नोई : कोई विजिलेंस नहीं है, घपला किस बात का? 27-4-90 को घपला हो सकता था....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको इस विजिलेंस की तारीफ करनी चाहिए।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से [illegible]

(श्री रामनारायण बिश्नोई)

करना चाह रहा था कि वास्तव में स्टाक तो लेना ही 24 तारीख का, 25 तारीख का चाहिए था ताकि उससे एक दिन पहले भी किसी ने स्टॉक में हेराफेरी नहीं की है। तो 24 अगस्त का स्टॉक लिया गया, वो ही 25 अगस्त का था और उसके बाद में ज्यों-ज्यों बंटता गया वैसे कम होता गया है। उसके अन्दर स्टॉक जिस तरह का अधिकारियों ने बांटा है वो बांटने के बाद में जो आज की स्थिति है वो यह है। माननीय सदस्यों ने यह भी स्पेसिफिक पूछा कि क्या आज आप इस स्थिति में हैं कि काश्तकारों को खाद दे सकेंगे? आज की जो स्थिति है गुजरात स्टेट फर्टीलाइजर की 23 हजार टन उनके पास खाद मौजूद है। हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर के पास 20500 टन मौजूद है। पी.पी.एल.....

श्री नत्थी सिंह : कौनसी रेट का ?

श्री रामनारायण बिश्नोई : यह सारा का सारा नई रेट का है। पुरानी रेट का जो है वह मैंने बता दिया वो ही है और पुरानी रेट का करीब करीब 90 पर्सेन्ट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है राजस्थान के अंदर।

श्री नत्थी सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है। यह कह रहे हैं 90 पर्सेन्ट पुरानी रेट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। यह गलत बात है। यह वास्तव में गलत बात है कि पुरानी रेट में 90 पर्सेन्ट नहीं 10 पर्सेन्ट भी नहीं मिला है। सब ब्लैक हुआ है और इसमें 100 करोड़ का घपला है। यही हमारी व्यथा है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो स्टॉक हमारे पास 24, 25 तारीख के वेरिफिकेशन से मिला उस स्टॉक को ओल्ड रेट के अंदर बेचा गया है और जहां कहीं भी कोई बचा है उसी रेट के अंदर वो बेचा जा रहा है। अब मौजूदा रेट के अंदर जो स्टॉक है हमारे पास में वह सेफिसियेंट स्टॉक है। तमाम कम्पनीज का जो भी फर्टिलाइजर्स कम्पनीज हैं (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अगली रबी की फसल के बारे में आपने बताया। आपने कहा है कि एक लाख 50 हजार मैट्रिक टन लेना है, आपके पास अभी 80 हजार है वो बताया है।

श्री रघुनाथ सिंह : अध्यक्षजी, मंत्रीजी ने कहा है पुरानी रेट का करीब-करीब। करीब-करीब क्या होता है? अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा था पुरानी रेट का 90 पर्सेन्ट करीब-करीब। आप फिक्र कीजिए कल तक पुरानी रेट का कितना खाद बंट गया, घोटाला तो इसमें हुआ है अध्यक्ष महोदय। घपला इसमें हो रहा है। पंसारी की दुकान पर खाद बिक रहा है। किसान भटकता फिर रहा है। घपला तो उसमें हो रहा है।

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : मंत्रीजी अगर आप चाहो तो एक-एक हजार कट्टे एक-एक गोदामों में पड़े हैं, आप सीज तो कीजिए हम बता रहे हैं। आप करना नहीं चाहते। हम बता रहे हैं कुछ तो करो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक बात सुनिये। विराजिए।

श्री प्रकाशचन्द सेठी : करना ही नहीं चाहते, हम बता रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। अब आप बैठिये तो सही। माननीय मंत्रीजी ने इस बात को स्वीकार किया और आप लोगों का भी यही कहना है कि जो पुराना स्टाक था वह उन्होंने ले लिया है, उसमें घपले हुए हैं। सुनिये आप, कुछ लोगों ने भिन्न-भिन्न नामों से स्टाक किया है, उसी को तो कह रहे हैं आप, और वह अब ब्लैक में बेच रहे हैं, तो यह इन्होंने मंजूर किया है... (व्यवधान) वह कह रहे हैं ...

श्री यदुनाथ सिंह : फिर क्या किया सरकार ने, सरकार काहे के लिए होती है ?

श्री अध्यक्ष : आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं ? इन्होंने गौसा का उदाहरण दिया कि वहां से शिकायत आई, उसकी जांच हुई, एक्शन लिया....

श्री रामनारायण बिश्नोई : चार ट्रक वहां पर पकड़े हैं, केस दर्ज हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : इसी तरह से जहां-जहां भी इस प्रकार की शिकायत आयेगी कि अमुक आदमी ने स्टाक खरीद कर अकेले अपने पास रख लिया है उसकी जांच की जायेगी, उसके खिलाफ एप्रोप्रियेट एक्शन लिया जावेगा, यह बता चुके हैं....

श्री यदुनाथ सिंह : जांच कब तक करेंगे श्रीमन्....

श्री अध्यक्ष : और क्या करेगी सरकार ? यदि कोई आफेन्स....

श्री यदुनाथ सिंह : सरकार विजिलेंट नहीं है अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : देखिये आप अब इस बात को मिलाइये मत। डिकन्ट्रोल्ड होने के बाद सरकार के अधिकार लिमिटेड हो गये, इस बात को मानिये आप। जब कन्ट्रोल्ड कमाडिटी हो तो सरकार को फुल पावर है लेकिन जब वह डिकन्ट्रोल हो जाये तो जितना स्टाक उनके पास जमा हुआ है उस स्टाक को प्रोपरली डिस्ट्रीब्यूट करवाये, उसमें घपले हो तो उसकी जांच करे। यही तो हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : मिल ही नहीं रहा श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं मिल रहा है तो उसके कारण बताये न, वह कारण बता दिया है इसलिए नहीं मिल रहा है। वह कारण बता दिया। सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर रही है कि कुछ लोगों ने, बड़े काश्तकारों ने उसका स्टाक किया है....

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर : समय निकल जायेगा तो क्या करेंगे।

श्री अध्यक्ष : उस बात को सरकार मान रही है और जैसे गौसा में हुआ, वैसा

(श्री अध्यक्ष)

और जगह भी है, आप लोग भी बताइये, वह करेंगे। पूरा कर दिया आपने.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल स्पेसिफिक यह पूछा है कि क्या सरकार आज इस स्थिति में है कि जिस खाद की आवश्यकता है वह खाद उपलब्ध है या नहीं। जैसा मैंने निवेदन किया, आपके माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि आज हमारे पास विभिन्न फर्टीलाइजर कम्पनियों का 27355 टन खाद उपलब्ध है और एक हजार रुपये टन भारत सरकार की तरफ से जो अनुदान की राशि दी जायेगी, वह कम करके बेचा जायेगा। मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : मेरा इसके साथ कम्पलीट क्वेश्चन यह था कि जब पुरानी रेट पर यूरिया पचास के. जी. का 249 रुपये का था, उसके बाद में अभी जो कम्पनी यहां पर वितरण कर रही है, जो खुद मैन्यूफेक्चर कर रही है या उनके एजेन्ट्स और दूसरी इम्पोर्टेड जो कर रही है पांट कम्पनी है वह, आज प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस क्या है ? मेरा यह भी स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि एक हजार रुपये टन देने के बाद में प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, जो डि-कन्ट्रोल वाला है, उसकी क्या रहेगी ? पांच सौ रुपये आपके जोड़ने के बाद में क्या रहेगी ?

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिये।

श्री रामनारायण बिश्नोई : माननीय अध्यक्षजी, उसकी रेट आज की तारीख में 425-430-470 तक है, अनुदान देने के बाद 350 से 375 तक वह रेट रहेगी.... (व्यवधान).... पचास रुपये कट्टा कम उसमें किया....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : एक राय, एक राय, 375 या 350, यह बताइये... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आफिसियल रेट मैं बता देता हूं। मैं रेट बता देता हूं। 25-8-92, उसके पहले दर थी डी.ए.पी. की 4680 रुपये प्रति मैट्रिक टन। 25-8-92 को जब 26 तारीख का नया नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद में इसकी रेट हो गई 8500 रुपये प्रति मैट्रिक टन। मतलब चार हजार रुपये के करीब बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में जब एक हजार का कन्सेसन दिया ...

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, 8500 सब में नहीं हुई है, कई आठ हजार हुई है, कई में आठ हजार पांच सौ हुई, आप एक फिगर दे रहे हैं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं डी. ए. पी. बोल रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : हां, डी.ए.पी., डी.ए.पी. में दो रेट हुई है, आठ हजार भी हुई है और आठ हजार पांच सौ भी हुई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं दे रहा हूं, आप बात तो सुनिये। देखिये, फर्क तो आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं भी यह खाद यूज करता हूं और आप भी करते हैं। तो रेट बढ़ी है वह सब को भोगनी पड़ रही है....

श्री परसराम मवेरवा : आप एक आदमी, आफिसर भोपालगढ़ भेज दीजिए आज....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आज बताता हूं आपको।

श्री परसराम मवेरवा : भोपालगढ़ के अन्दर काश्तकारों ने पिछले दस दिन से 450 रुपये प्रति कट्टा से डी. ए. पी. खरीदी है... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि एक हजार रुपये का कन्सेसन देने के बाद अब रेट हो गई सात हजार और सात हजार पांच सौ। मिश्रित खाद का इसी प्रकार से 4220 का भाव था, जब सरकार ने डिकन्ट्रोल किया तो 7500 का हो गया। अब एक हजार का कन्सेसन दिया तो और छह हजार और छह हजार पांच सौ हो गया। एम. ओ. पी. का 1700 का था वह बढ़कर 6200 हो गया 265 प्रतिशत की वृद्धि की है, आज उसकी कीमत जा रही है 4700 और 5200। आपने दो प्रश्न और खड़े किये। एक तो प्रश्न यह खड़ा किया कि आपने स्टाक को सीज नहीं किया। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ कार्यवाही हुई है वह भारत सरकार ने की है।

इतनी आशा हम भी करते थे कि भारत सरकार 26 तारीख को एक आर्डर, टेलेक्स मैसेज हमको दे, क्या भारत सरकार उसके पहले सूचना नहीं दे सकती, और 26 तारीख को कह दे कि 24 तारीख का स्टाक है, 25 का स्टाक कितना है, उस स्टाक का वेरीफिकेशन किया जाय, एक दिन बाद में या उसी दिन फिर नोटिफिकेशन आता है, टेलेक्स मैसेज आता है कि आप 25 तारीख का नहीं, 24 तारीख का स्टाक लीजिए। आखिर डिकन्ट्रोल भारत सरकार ने किया है, डिकन्ट्रोल की प्रोब्लम है, इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता, डिकन्ट्रोल से लोग ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, इसका कोई फुलप्रूफ सिस्टम नहीं आ सकता। यह कोई एक राज्य में नहीं है, एक देश में नहीं है।

अगर डिकन्ट्रोल करना है तो भारत सरकार को राज्य सरकारों को कान्फीडेन्स में लेना चाहिए था, कान्फीडेन्स में लिया नहीं। अगर तीन दिन पहले भारत सरकार यह कह देती, 20 तारीख को ही कह देती कि हम 26 तारीख को डिकन्ट्रोल करने वाले हैं तो मैं ऐसा समझता हूं, दो दिन में हम इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते थे कि जहां-जहां भी स्टाक पड़ा है उनको पुरानी रेट पर बिकाने के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। अचानक आप डिकन्ट्रोल करें और डिकन्ट्रोल करके यह कहें कि एक-एक दुकान के ऊपर कोई बैठ जाय, यह सम्भव नहीं है, यह ह्यूमनली पोसीबल नहीं है। इसलिए मुझे यह एग्री करने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ ब्लेकमार्केटिस्ट ने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ब्लैक किया है, कुछ लोगों ने किया.... (व्यवधान)

अब एक मैं कहता हूं, सारे लोगों ने किया या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने किया होगा। आज जो मुगालता हो रहा है वह मुगालता यह है कि मैन्युफैक्चरर का और डीलर्स के वेयरहाउसेज एक ही जगह है। लोग यह समझते हैं कि इन वेयर हाउस में जो माल निकलता है वह माल पुरानी रेट के ऊपर बिकना चाहिए जबकि कायदे में जो भारत सरकार ने पालिसी बनाई है उस पालिसी के अनुसार मैन्यूफेक्चरर पुरानी रेट पर बेचने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है, डीलर यह रेस्पोन्सिबल ठहराया गया।

इसलिए डीलर का वेयरहाउस या मैन्यूफेक्चरर का वेयरहाउस या होलसेलर का वेयर हाउस, वह एक ही स्थान पर होने के कारण हर आदमी को, काश्तकार तो छोड़िये, अगर मैं भी वहां वेयरहाउस से सामान लेने जाऊंगा तो मेरा भी एक इम्प्रेशन बनेगा कि इसका माल तो मिलता है कम कीमत पर, इसका माल मिलता है ज्यादा कीमत पर, यह जो ज्यादा कीमत पर माल बेच रहे हैं, यह ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैकमार्केटिंग कर रहे हैं। इसलिए अगर आप इस बारे में चिन्तित हैं, मैंने खुद ने प्रधान मन्त्रीजी को आज के तीन दिन पहले टेलीफोन किया था कि लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है, मैंने स्वयं ने भी बात की कि डिकन्ट्रोल करने के साथ जो किसानों के साथ एक प्रकार का अन्याय हुआ है वह अन्याय नहीं होना चाहिए।

मैंने उनसे खुद से निवेदन किया था कि सारे राजस्थान में नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में इस खाद के कारण लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन क्रियेट होगी। मुझे खुशी है कि एक हजार रुपये तो उन्होंने कन्सेसन दिया लेकिन सदन की इस प्रकार की भावना है, इस भावना के आधार पर मदेरणा साहब, आपकी तरफ से भी मैं केन्द्रीय प्रधानमन्त्री को फिर चिट्ठी-तार आज दूंगा कि विधान सभा में इन रेट्स को कम करने की मांग की जा रही है जिसमें कांग्रेस के माननीय सदस्य भी शामिल हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि आपके और हमारे दोनों के प्रयासों से इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई सुविधा मिलेगी

श्री परसराम मदेरणा : मैं प्रधानमंत्री को जो चिट्ठी भेज रहा हूं, उसका मेरे पास में प्रारूप तैयार है

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बस ठीक है। तो देखिये, आपके और मेरे मत एक मिल रहे हैं न। मैं भी चाहता हूं कि रेट्स कम हो। अब मुझे खेद है कि मेरे लैटर के ऊपर तो एक हजार की कमी की मेरे पास सूचना आई, परसरामजी ने लैटर लिखा, उस पर कान्सीडेंस ही नहीं लिया गया। यह एक दुर्भाग्य की बात है, मैं समझता हूं, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ....

श्री परसराम मदेरणा : आपके फोन

(श्री परसराम मदेरणा)

से कुछ नहीं हुआ है, भारत सरकार के कृषि मंत्री पिछले बीस दिन से लगातार कई मीटिंग, सब कमेटी केबिनेट की हुई है, मुझे पता है इस बात का, आप कहां जा रहे हैं, पूरे का पूरा श्रेय लेकर वहां बैठना चाहते हैं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मैं मानता हूं....

श्री परसराम मदेरणा : मुझे-मुझे दो दो रोज पहले तो टेलीफोन किया....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं श्रेय नहीं लेता, मैं श्रेय आपको देता हूं... (व्यवधान) मैं खतम करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राजस्थान की सरकार क्या देना चाहती है किसानों को ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह सारा क्रेडिट परसरामजी मदेरणा को देना चाहता हूं कि उनके कहने से यह रेट्स....

श्री परसराम मदेरणा : नहीं-नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप ठहर तो जाओ....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : आप अनुदान दे दो, क्रेडिट मत दीजिए....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अब आप ठहर तो जाओ। सारा क्रेडिट मैं परसरामजी मदेरणा को और कांग्रेस पार्टी को देना चाहता हूं कि इनके कहने से रेट कम हुई। मैं समझता हूं, और कोशिश करिये कि रेट ओरिजनल रेट पर आ जाय, उसमें क्या दिक्कत है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप क्या दे रहे हैं, आप भी तो कुछ दीजिए....(व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द बैरवा : आप क्या घोषणा करना चाहते हैं, घोषणा करिये आप....

श्री प्रेमसिंह बहिया : राजस्थान सरकार क्या सब्सीडी देना चाहती है, वह बताइये आप....

श्री रामनारायण वर्मा : स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, वह बताइये....(व्यवधान)

श्री प्रेमसिंह बहिया : केन्द्रीय सरकार तो करीब, राजस्थान गवर्नमेंट क्या करने जा रही है ...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आपने राज्य सरकार से कन्सेशन्स मांगे हैं कि राज्य सरकार को कुछ अनुदान देना चाहिए। हिन्दुस्तान में किसी राज्य सरकार ने जिसमें कांग्रेस पार्टी के भी राज्य हैं वहां भी खाद इसी भाव से बिकेगा। किसी कांग्रेस पार्टी राज्य ने कोई कन्सेशन दिया हो तो बता दें। आप जो यह बात कर रहे हैं कि राजस्थान में इस सरकार ने कोई कन्सेशन नहीं दिया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और बाकी के सब ने कन्सेशन दे दिया हो, कांग्रेस पार्टी का राज्य आन्ध्रप्रदेश में, कर्नाटक में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में और गुजरात में है किसी भी राज्य ने किसानों को एक कौड़ी का कन्सेशन दिया हो तो फिर आप मुझे कहें कि दूसरे राज्यों ने तो कन्सेशन दे दिया और आपने किसी प्रकार का कन्सेशन नहीं दिया। आपसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बंगाल ने कोई कसेशन दिया हो तो मुझे यहां कहें। कोई कन्सेशन नहीं है....

श्री हेतराम बेनीवाल : ... आप माफ कर दो फिर... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय ऐसी स्थिति में यहां यह जिक्र किया जाये कि खाद का राजस्थान में यह होगा, खाद का राजस्थान में यह हो गया, भारत सरकार ने किसानों के साथ यह की + + + कि है ... (व्यवधान) ...

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) ...

अनेक माननीय सदस्य : कांग्रेस सरकार किसान विरोधी है....(व्यवधान)....

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्य मंत्री ने यह दर्शाया है कि उनको भी खाद के लिए बड़ी भारी फिक्र है। खाद नहीं मिल रहा है........(व्यवधान)....

अनेक माननीय सदस्य : ....(व्यवधान) ....सरकार किसान विरोधी है... (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री अफीस अहमद खान (चुनाव राज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं निर्वाचन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें :-

(1) अधिसूचना संख्या एफ 1 (1) (2) पी/इलेक/ 92/4224 दिनांक 26 सितम्बर, 1992
(2) अधिसूचना संख्या एफ (1) (1) पी/ इलेक/ 76/917 दिनांक 17 अप्रेल, 1989
(3) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (1) पं. चु. 78/1226 दिनांक 8 मई, 1989 एवं
(4) अधिसूचना संख्या एफ. 1 (1) (1) पी/ इलेक/ 76/125 दिनांक 8 जनवरी, 1991—

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अफीस अहमद खान)

जिनके द्वारा राजस्थान पंचायत तथा न्याय उप समिति निर्वाचन नियम, 1960 में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरसिंह कौशल,

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 1992-93 का 42 वां एवं 42 वां प्रतिवेदन

श्री रघुवीरसिंह कौशल (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : (शोरगुल के बीच) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति, 1992-93 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं :—

(1) राजस्थान राज्य होटल निगम से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 1968-69 के प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक समिति का 41 वां प्रतिवेदन, एवं

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल राजकीय उपक्रम समिति, 1973-74 के उन्नीसवें प्रतिवेदन (प्रकेकरण प्रतिवेदन वर्ष 1969-70) में समाविष्ट सिफारिशों की क्रियान्विति विषयक समिति का 42 वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : वित्तीय कार्य। श्री शांतिलाल चपलोत,

अनुपूरक अनुदान की मांग

मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन की प्रस्तुति

श्री शांतिलाल चपलोत (न्याय राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6-न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,86,000 (सत्ताईस लाख छियासी हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

मांग संख्या 6 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 6 मुख्य शीर्षक न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री कुबेर खान (रामगढ़)

(1) समाज के पिछड़े वर्गों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदनलाल सैनी (गुढ़ा)

(2) न्याय प्रशासन में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(3) न्याय प्रशासन में कर्मचारियों की कम संख्या के कारण सस्ता एवं सुलभ न्याय मिलने में हो रही देरी से

(श्री मदनलाल सैनी)

उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(4) न्याय प्रशासन के ढांचे को पुनर्गठन किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

डा. उज्ला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

(5) लोक अदालतों के काम को गति दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(6) न्यायालयों में लम्बित विवादों के शीघ्र निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा)

(7) भीलवाड़ा नगर में ढेर सारे पेण्डिग मुकदमों को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(8) न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(9) न्याय प्रशासन में मितव्ययता लाने सम्बन्धी उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

(10) न्याय प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां)

(11) केन्द्रीय पूल से वाहन प्राप्त नहीं करके नये वाहनों के लिए की जा रही फिजूल खर्चों पर चर्चा के लिये ।

(12) राज्य विधि आयोग के चयन में की जा रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(13) विधि सलाहकार एवं परामर्शदाता (का कंसेल) में अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों को समुचित स्थान देने पर बरती जा रही शिथिलता पर चर्चा के लिये ।

श्री हरीसिंह (महुआ)

(14) राज्य में विधि आयोग के गठन में की जा रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)

(15) विधि आयोग का गठन जिस उद्देश्य से किया गया है, उसकी पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(16) सस्ता एवं समय पर न्याय नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(17) न्याय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा वाहनों का दुरुपयोग करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।

(18) राज्य विधि आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।

(19) न्याय प्रशासन की बिगड़ती स्थिति के

(श्री रामस्वरूप)

बारे में चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

श्री बुलाकी दास कल्ला (बीकानेर)

(20) [illegible]रित न्याय उपलब्ध कराने में प्रशासन की विफलता पर चर्चा के लिये।

(21) अधीनस्थ न्यायालयों के जजों की सुरक्षा पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद)

(22) विधि आयोग की परिधि में विस्तार कर बार के सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने पर चर्चा के लिये।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया)

(23) गरीब व अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के के लिये।

(24) न्याय व्यवस्था की निष्पक्षता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रेम सिंह दहिया (जीनमाल)

(25) राज्य सरकार से पीठासीन अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन, भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु रजिस्ट्रार जोधपुर हाई कोर्ट द्वारा मांगी गई राशि आवंटित करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 6 पर विचार

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री कुबेर सां, श्री मदन लाल सैनी, डा. उज्ज्वला अरोड़ा, श्री बंशी लाल पटवा, श्री रामनारायण वर्मा, श्री हरिसिंह (महुआ), श्री रामस्वरूप मीणा, श्री गोविन्दसिंह गुर्जर, श्री बुलाकीदास कल्ला, श्री हेतराम बेनीवाल श्री प्रेमसिंह दहिया....(व्यवधान)....

मांग संख्या 6 का पारण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 27,86,000 (सताईस लाख छियासी हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांगों का पारण

मूल अन्य अनुपूरक अनुदान की शेष मांगों (1992-93) का पारण

मांग संख्या 3

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 3-सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,00,000 (एक लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी

मांग संख्या--5

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5-प्रशासनिक सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष मे किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,09,000 (तीन लाख नौ हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या--7

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,96,00,000 (एक करोड़ छियानवे लाख) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी, ।

मांग संख्या--16

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 38,75,000 (अड़तीस लाख पिचेत्तर हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,48, 48,000 (एक करोड़ अड़तालीस लाख अड़तालीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,30,000 (दो लाख तीस हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,10,75,000 (तीन करोड़ दस लाख पिचेत्तर हजार) रुपये तक की राशि और प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22, क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,37,23,000 (दो करोड़ सेंतीस लाख तेईस हजार) रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,73,40,000 (पांच करोड़ तिहेत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--26

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,32,50,000 (दो करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,01,00,000 (बारह करोड़ एक लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(श्री अध्यक्ष)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--28

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000 (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-29

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,57,000 (एक करोड़ दस लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-31

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या– 31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 19,000 (उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-33

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 15,67,38,000 (पन्द्रह करोड़ सड़सठ लाख अड़तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या--36

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,42,30,000 (सात करोड़ बयालीस लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या—37

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 69,96,000 (उनहत्तर लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-38

प्रश्न यह कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10.16,64,000 (दस करोड़ सोलह लाख चौसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या--39

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या—39 पशु पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,36,42,000 (तीन करोड़ छत्तीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या4-1

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,29,000 (उनसठ लाख उनतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-42

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000 (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या--48

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या--48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,27,00,000 (चौदह करोड़ सत्ताईस लाख) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

अतिरेक अनुदान की मांगों (1984-85) का पारण

मांग संख्या--15

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या--15 पेंशन व अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 1,62,34,430 (एक करोड़ बासठ लाख चौंतीस हजार चार सौ तीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या--20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रूपये 9,46,124 (नौ लाख छियालीस हजार एक सौ चौबीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-21

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या—21 सड़कें एवं पुल के संबंध में 31 मार्च 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 67,17,363 (सड़सठ लाख सत्रह हजार तीन सौ तिरेसठ) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि अतिरेक की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,220 (चवालीस हजार दो सौ बीस) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

मांग स्वीकार की गई ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या-27

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या—27 पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,49,92,765 (इक्कीस करोड़ उनचास लाख बानवे हजार सात सौ पैंसठ) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-28

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या—28 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,45,407 (एक लाख पैंतालीस हजार चार सौ सात) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-35

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या--35 विविध, सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 25,58,909 (पच्चीस लाख अठावन हजार नौ सौ नौ) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-45

प्रश्न यह है कि अतिरेक अनुदान की मांग संख्या—45 राज्य कर्मचारियों को ऋण के सबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 51,51,786 (इक्यावन लाख इक्यावन हजार सात सौ छियासी) तक की राशि प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-48

प्रश्न यह है कि अतितेक अनुदान की मांग संख्या—48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष में किए गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,88,000 (सैंतीस लाख अट्ठयासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

विनियोग विधेयक ।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं । ... .(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी । (व्यवधान) आगे चलिये । पुरःस्थापित करिये, पुरःस्थापित करिये ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करता हूं ....(व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ का प्रस्ताव..

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ।....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान, श्री मदन लाल सैनी ....(व्यवधान)

श्री जुबेर खान : ....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, पाइण्ट आफ आर्डर....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने आज जो लोकतंत्र का गला घोटा है यहां पर । आपने लोकतंत्र की हत्या की है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिये.... (व्यवधान)... बैठिये-बैठिये आप...(व्यवधान) ... एक मिनट ....(व्यवधान).... प्लीज-प्लीज ... (व्यवधान).... एक मिनट बैठिये आप सुनिये, बिराजिये आप ।

(6.00 सायं)

(व्यवधान) देखिये, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है ?

अनेक माननीय सदस्य : आप कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं, आप कर रहे हैं ।... (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : आप कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुबेर खान, श्री मदन लाल सैनी, श्रीमती उजला अरोड़ा, श्री बंशीलाल पटवा, श्री रामनारायण वर्मा, श्री हरिसिंह महुआ, श्री रामस्वरूप श्री गोविन्दसिंह गुर्जर,....(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हम बोलना चाहते हैं, आप बोलने देंगे तो....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये। बोलते क्यों नहीं हैं, मैं नाम पुकार रहा हूं। श्री जुबेर खान, फिर से बोल रहा हूं। श्री जुबेर खान' श्री जुबेर खान(अनुपस्थित) श्री मदनलाल सैनी।

एक माननीय सदस्य : लोकतंत्र की हत्या करने वाली दोनों पार्टी हैं।........ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनमाल सैनी।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास रखो।

श्री यदुनार्थसिंह : आप बोलने दो, साहब, हमें पार्टिसिपेट करना है विधेयक पर।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : इतना हत्यारा नहीं हो सकता लोकतंत्र का।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर।... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री मदनलाल सैनी, नहीं बोल रहे हैं। उजला अरोड़ा, नहीं बोल रही हैं। बंशीलाल पटवा, नहीं बोल रहे हैं। श्री रामनारायण वर्मा। बोलिये, बोलिये।....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, बोलिये। .. (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : बोलिये, बोलिये।

श्री यदुनाथ सिंह : सब खड़े हो जाते हैं।...(व्यवधान) यह बोलने दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई। बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की अनियमित कार्यवाही आज आपने की है, विधान सभा के........ (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आरोप हमारे पर लगा रहे हो अव्यवस्था स्वयं फैलाने वालों।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जिस समय पर अव्यवस्था हो तो आप उसको नियंत्रित करें, तो आप उसको अल्पकाल के लिये स्थगित कर दें, वार्ता करें। मुझे दुख है नेता महोदय चालीस साल से....

श्री अध्यक्ष : अब आप बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : इस सदन के सदस्य हैं .. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : This is a point of dis-order, no point order.

श्री पूनमचन्द विश्नोई : कभी ऐसा नहीं हुआ है, दस साल तक मैंने अध्यक्षता की है उस असेम्बली की।

श्री अध्यक्ष : चलिये, श्री हरिसिंह महुआ । अब हो गया । ....(व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपने जिस गैर जिम्मेदारी का काम किया है ...

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय ने पूरा मौका दिया है आपको बोलने का । ...(व्यवधान) आप बोलना नहीं चाह रहे और आप शुरू से+++ रहे हो ।

एक माननीय सदस्य : खूब शोषण किया है किसानों का ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अगर इस तरह से मांगे पारित होने लग जायेंगी....

एक माननीय सदस्य : दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओ ।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली जाओ वहां से बढ़ा लाओ खाद के पैसे ।

श्री मोतीलाल मीणा : स्पीकर साहब, अव्यवस्था आपकी पार्टी के लोग फैला रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली से पैसे बढ़वाते हो, यह गलत है ।

एक माननीय सदस्य : दिल्ली दूर नहीं है, जाइये, दिल्ली जाइये ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दस साल के मेरे वहां इस आसन पर....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके पास बोलने को कुछ भी नहीं है । इतनी बार पुकार लिया, एक शब्द तो कोई बोला नहीं । बाहर निकल गये, कभी अन्दर आ गये कभी बाहर निकल गये, कभी यहां बैठ गये । क्या है बोलने को आपके पास ? कुछ नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : किसानों का गला घोंटने वालों दिल्ली जाओ ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : केवल एक मांग पास करवाने की कोशिश की, विपक्ष वाले वाक आउट करके चले गये । लेकिन जब घोर अव्यवस्था हो उस अवस्था में आप प्रस्ताव पारित करवा रहे हो ?.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सारी बातें केन्द्र सरकार को सुनाओ आप दिल्ली ।

एक माननीय सदस्य : विश्नोई जी, पूरी दिल्ली और पूरे हिन्दुस्तान..... (व्यवधान) किसानों का शोषण किया है आपने ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप आये हो पहली और आखिरी दफा, क्या बात कर रहे हो ?

एक माननीय सदस्य : किसानों के विरोधी हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : घड़ियाली आंसू बहा रहे हो आप ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राज-

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के अनुसार अपलोपित किये गये ।

(श्री अध्यक्ष)

स्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्षजी + + + ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

अनेक माननीय सदस्य : वी वांट डिविजन। वी वांट डिविजन।

श्री अध्यक्ष : चलिये, डिविजन. डिविजन।

एक माननीय सदस्य : तमाम परम्पराओं को तोड़ दिया. तमाम कार्यवाही + + + है।

एक माननीय सदस्य : किसानों के हत्यारों चुप रहो।

श्री अध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा किसी का भी। डिविजन हो रहा है, इसमें किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : XXX

श्री मदनलाल सैनी : XXX

अनेक माननीय सदस्य : XXX

श्री अध्यक्ष : डिविजन हो रहा है। डिविजन हो रहा है इसलिये कोई अंकित नहीं होगा कुछ अंकित नहीं हो रहा है। कुछ अंकित नहीं हो रहा है।

(मत विभाजक घंटी)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(मत-विभाजन)

(मत विभाजन के पश्चात)

मत-विभाजन

हां पक्ष

क्रम संख्या	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अनंग कुमार
2.	श्री अब्दुल हादी
3.	श्री अमृत लाल
4.	श्री अर्जुन दास मदान
5.	डा.उजला अरोड़ा
6.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता
7.	श्री कन्हैया लाल
8.	श्री कालीचरण सर्राफ
9.	श्री कालूराम गुर्जर

+ + + शब्द/ अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

1	2
10.	श्री किशन गोपाल कोगटा
11.	श्री किशना राम नाई
12.	श्री कुन्दन लाल
13.	श्री कृष्ण कुमार गोयल
14.	श्री गंगाराम चौधरी
15.	श्री गमीर लाल मीणा
16.	श्री गुलाब सिंह
17.	श्री गुलाम मुस्तफा खान
18.	श्री गोपीराम जाट
19.	श्री चतुर्भुज
20.	श्री चम्पालाल बांठियां
21.	श्री चुन्नीलाल (उदयपुर ग्रामीण)
22.	श्री चुन्नीलाल (खण्डार)
23.	श्री चुन्नीलाल इंदलिया
24	श्री चुन्नीलाल धाकड़
25.	श्री छगन लाल
26.	श्री जगत सिंह दायमा
27.	श्री जगन्नाथ
28.	श्री जितेन्द्र सिंह
29.	श्री जीतमल जैन
30.	श्री जीवराम कटारा
31.	श्री टीकम चन्द कान्त
32.	श्रीमती तारा भण्डारी
33.	श्री दिग्विजय सिंह
34.	श्री नफीस महमूद खान
35.	श्री नवनीत लाल निनामा
36.	श्री नारायण लाल
37.	श्री प्रभुराम ग्रासिया
38.	श्री फूलचन्द (नीम का थाना)
39.	श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर)
40.	श्री बंशी लाल पटवा
41.	श्री बाबूलाल खांडा
42.	श्री बालचन्द
43.	श्री भंवलाल शर्मा (सरदार शहर)
44.	श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)
45.	श्री भैरूलाल बैरवा
46.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
47.	श्री मदन दिलावर
48.	श्री मदन लाल सैनी
49.	श्री मदन मोहन सिंघल
50.	श्री महावीर प्रसाद
51.	श्री मांगीलाल मेघवाल
52.	श्री मिश्रीलाल चौधरी
53.	श्री मोहन मेघवाल
54.	श्री रखबचन्द मीणा
55.	श्री रघुवीर सिंह कौशल
56.	डा. रतन लाल जाट
57	श्री रमजान खां
58.	श्री रमाकान्त
59.	श्री राजपाल सिंह शेखावत
60.	श्री राजेन्द्र गहलोत
61.	श्री राजेन्द्र राठौड़
62.	श्री रामकिशोर मीणा

1	2
63.	श्री रामकिशोर सैनी
64.	श्री कैलाश मेघवाल
65.	श्री रामनारायण विश्नोई
66.	श्री रामप्रताप कासनिया
67.	श्री रामस्वरूप (रायसिंह नगर)
68.	श्री रामेश्वर भारद्वाज
69.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
70	श्री लक्ष्मीचन्द मेहता
71.	श्री लक्ष्मी नारायण दवे
72.	श्री लालचन्द डूडी
73.	श्री विजय सिंह झाला
74.	श्री मती विद्या पाठक
75.	श्री शम्भूदयाल बड़गूजर
76.	श्री शांति लाल (रामसमंद)
77.	श्री शांतीलाल चपलोत (मावली)
78.	श्री शिव किशोर सनाढ्य
79.	श्री श्रीचन्द कृपलानी
80.	श्री सम्पत सिंह
81.	श्री सांवर लाल
82.	श्री सुरेन्द्र गोयल
83.	श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास
84.	श्री हजारी लाल
85.	श्री हरलाल सिंह खर्रा
86.	श्री हरिश चन्द्र
87.	श्री हीरालाल आर्य
88.	श्री हीरासिंह चौहान
89.	श्री हुक्माराम मेघवाल
90.	श्री हेमराज
91.	श्री नन्दकिशोर शर्मा

ना पक्ष

क्रम संख्या	सदस्य का नाम
1	2
1.	श्री अमीन खां
2.	प्रो. केदार नाथ शर्मा
3.	श्री गोपालसिंह (आहोर)
4.	श्री घासीलाल
5.	डा. चन्द्रभान
6.	श्री जनार्दनसिंह गहलोत
7.	श्री जुबेर खान
8.	श्री दयाराम परमार
9.	श्री दिलसुख राय
10.	श्री देवेन्द्रसिंह
11.	श्री नत्थीसिंह
12.	श्री निर्भय लाल
13.	श्री परसादी लाल मीणा
14.	श्री पूनमचन्द विश्नोई
15.	श्री प्रकाश चन्द्र बैरवा
16.	श्री प्रद्युम्न सिंह
17.	श्री प्रभुलाल
18.	श्री प्रेमसिंह दहिया
19.	श्री बिरधा राम चौधरी
20.	श्री बुलाकी दास कल्ला

1	2
21.	श्री मनीराम
22.	श्री मोहनलाल चित्तौड़िया
23.	श्री मोहनलाल (परबतसर)
24.	श्री मोहनलाल (जायल)
25.	श्री मोहम्मद माहिर भ्राजाद
26.	श्री यदुनाथ सिंह
27.	श्री रतनाराम चौधरी
28.	श्री राजेन्द्र पारीक
29.	श्री रामनारायण वर्मा
30.	श्री रामस्वरूप (टोडाभीम)
31.	श्री रामसिंह विश्नोई
32.	श्री रिछपाल सिंह
33.	श्री विनोद कुमार
34.	श्रीमती सुचित्रा भ्रार्य
35.	श्री सुनील कुमार विश्नोई
36.	श्रीमती सुमित्रा सिंह
37.	श्री हीरालाल देवपुरा
38.	श्री हेतराम बेनीवाल

विभाजन का परिणाम हां पक्ष में 91
ना पक्ष में 38

राजस्थान विनियोग [संख्या-4] विधेयक को विचारार्थ लिया गया। प्रभारी मंत्रीजी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मन्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : भ्रध्यक्ष महोदय, भ्रभी जिस विनियोग विधेयक को पारित करने के लिये वित्त मंत्री भ्रौर मुख्य मंत्रीजी ने यह प्रस्ताव किया है मैं उसका विरोध करता हूं भ्रौर विरोध इसलिए करता हूं कि यह सदन भ्रौर यह सरकार इसलिये है कि इस प्रदेश की जनता की बहबूदी बढ़े। भ्राज स्थिति यह भ्रायी है, सदन में भी भ्रायी कि राजस्थान की सरकार ने यह साबित कर दिया कि वह किसी भी तरह से राजस्थान के गरीब किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग की हित चिन्तक नहीं है। जब यह सवाल इस सदन के सामने पैदा हुभ्रा कि यहां पर खाद गांव में मिल नहीं रही है, लोगों पर लाठी चार्ज हो रहा है, लोगों की लाइन खड़ी है पर एक बोरा खाद नहीं मिल रहा है भ्रौर जो खाद का स्टाक 18 हजार भ्रौर इतना बताया गया, दूसरा सुपर फास्फेट का 4 हजार से ज्यादा बताया गया। उसके वितरण में 100 करोड़ का घोटाला हुभ्रा है, ब्लैक मार्केटिंग हुयी है।

ऐसी स्थिति राजस्थान में जब हुयी है

(श्री नत्थीसिंह)

यह जिम्मा और किसी का नहीं है राजस्थान की सरकार का है और राजस्थान की सरकार यहां पर फेल हुयी है यह कह राजस्थान की सरकार नहीं बच सकती कि यह जो दाम बढ़े है वह भारत सरकार ने बढाये हैं। ठीक है, भारत सरकार ने बढ़ाये है, हमने उसका विरोध किया है उस दिन भी विरोध किया है लेकिन वितरण व्यवस्था आपकी है और आप कितनी गैर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे है इसका उदाहरण अध्यक्ष महोदय, आपके सामने आया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि 1000 रुपया पर मैट्रीक टन भारत सरकार ने कम किया है और हम 500 रुपये कम से कम इसमें प्रयास करेंगे कि 500 रु. कम करें लेकिन दो मिनट बाद ही मुख्य मंत्रीजी की आंख देखी और फिर गये एकदम इस तरह से जैसे क्लास में हैड मास्टर की आंख दिख गयी बच्चा चुपचाप बैठ जाता है। इस तरह की बात करते हो आप.... (व्यवधान) ...आप बैठिये, मेरी बात सुनिये। आप बिराजिये, आप कह चुके हैं, मेरी बात सुन लें आप। आप बिराजें। (व्यवधान) ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। किशनारामजी बैठिये। अब बोलने दीजिए इनको।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार किसान के लिये चिन्तित नहीं है। इतनी अच्छी बरसात हुयी है। मुख्य मंत्रीजी कह रहे थे मैंने वहां पूछा और कहा कि अच्छी बरसात हुयी है। क्या फायदा हुआ। बरसात हुयी, बरसात होने के बाद किसान अपने हल-बैल लेकर तैयार खड़ा है, फसल बोयेंगे लेकिन राजस्थान की सरकार को इस बात के लिये चिन्ता नहीं, किसान के लिये खाद नहीं, डी.ए.पी. खाद किसी भाव नहीं मिला।

आप कहते हो 450 और 400 के भाव, जो डी. ए. पी. खाद मांगनें गये हैं उसके दण्डे मिले है, गालियां मिली है, लाठियां मिली है। यही सरकार का काम है, यह कर रही है सरकार, यह राजस्थान की सरकार की व्यवस्था है और फिर जब हम सदन में इस बात को उठाते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें दुःख है, ऐसे वक्त पर राजस्थान की सरकार जिम्मेदारी वहन नहीं कर सकती और हमारी बात नहीं सुनी जाती है, इस सदन में हमें बात कहने का मौका नहीं दिया जाता। ऐसी सरकार को कोई भी अनुदान और बजट मन्जूर करें यह बात शोभाजनक नहीं है। अब मैं कहना चाहता हूं हमारा देश, प्रदेश कृषि पर आधारित है, सारी व्यवस्था कृषि पर आधारित है।

कृषि अगर कृषि नहीं है तो राजस्थान का विकास नहीं है, राजस्थान नहीं है और आज उसी कृषि का जब मामला आता है, व्यवस्था करने की बात आती है तब राजस्थान की सरकार फेल होती है। बार-बार कहा जाता है कि दाम इन्होंने बढ़ाये और किसी प्रदेश की सरकार ने किसी तरह का अनुदान नहीं दिया। आपने कहा है, केवल बंगाल का नाम लिया।

(श्री नत्थीसिंह)

मैं कृषि मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या बंगाल में खाद के ऊपर किसी तरह का सेल्स टैक्स है। अगर आप बंगाल की बात करते है तो खाद पर सेल्स टैक्स भी माफ कर दीजिये उससे ही किसान को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। वह भी हिम्मत आप नहीं करते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं आप किसी हालत में किसान को सुविधा नहीं देना चाहते हैं, किसान की बहबूदी का और राजस्थान की बहबूदी का आपको ख्याल नहीं है और आज राजस्थान में अराजकता का दौर है, किसान परेशान है। अभी गृह मंत्रीजी यहां बिराजें, इनके ही इलाके में लाठी चल रही है, वहां किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है। मैं जहां भी गया, भरतपुर में हजारों किसान खड़े हैं एक कट्टा नहीं मिलता। आप कहते हैं हमने दिला दिया। कहां से दिला दिया। सारा का सारा ब्लैक में गया और किसानों का नाम ले रहे थे मुख्य मंत्रीजी कि किसानों ने किया। यह सारा का सारा ब्लैक मार्केट में उन व्यापारियों ने किया है जिनके साथ आपके प्रशासन की मिली भगत है, उन्होंने यह किया है और किसान मर रहे हैं।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं, हमें दुःख इस बात पर आया अध्यक्ष महोदय, आज जब यह चर्चा चल रही थी, आपने भी हमारी बात सुनी नहीं, सरकार ने सुनी नहीं। आप हमारे अधिकारों की रक्षा करे नहीं, आप ही बतायें हम कहां जायेंगे। किसान पीड़ित है, आज किसान तड़फ रहा है, उसको खाद नहीं मिल रहा है, सरकार सुन नहीं रही है, यह बहरी बनी बैठी है व्यापारियों से मिली हुयी है और अध्यक्षजी से हम विनय करें तो अध्यक्षजी हमारी बात सुनते ही नहीं। आखिरकार आपने हमको बताया, सिखाया कि हमने अनुशासन रख कर हमने बहुत मर्यादा रखी, लेकिन हमें दुःख हुआ जब हम डिविजन मांग रहे हैं हम नहीं गये, हम नहीं गये हम इसलिये रहेंगे, हम चाहते थे कि हम कोई कड़वाहट की, मर्यादा तोड़ने की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें दुःख हुआ। संरक्षक हमारा कौन है। आसन, अध्यक्ष हमारा संरक्षक है कि लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम मांग रहे है डिविजन, हम कह रहे नोट हैव इट और उसके बाद हमारी बात नहीं सुनी जा रही है।....कम से कम आज चौथी टर्म है इस सदन में, राज्य सभा में भी 6 वर्ष रहा, मैंने यह तो नहीं देखा कभी भी कि विपक्ष मांग करे कि हमें डिवीजन दो और उसकी बात सुनी नहीं जाय। इस राजस्थान में यह हाल है। सरकार गैर जिम्मेदार है, संवेदनहीन है, किसान पिट रहा है. सदन में हमारी बात सुनी नहीं जाती है ऐसी सरकार को एक पैसा देने का भी धर्म नहीं है। इस विनियोग विधेयक को सर्वसम्मति से अस्वीकार करे, असफल करें तब राजस्थान के हितों के साथ आप कोई न्याय कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह... उपस्थित नहीं है ?

आप में से कोई बोलेगा ?

आप बोल रहे है ? पूनम चन्द जी

(श्री अध्यक्ष)

बोल रहे हैं ?

श्री यदुनाथ सिंहजी आप बोल रहे हैं। जब तक वह नहीं आयें बोल लें।

आ गये हैं प्रद्युम्न सिंहजी। ठीक है बाद में बोल लेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख और पीड़ा के साथ कहना पड़ता है किन्हीं कतिपय कारणों से जब से इस देश में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार का पतन हुआ देश के किसानों का जैसे कोई धणी धोरी ही नहीं रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं इसके बाद का घटनाक्रम आप देखें देश में आर्थिक व्यवस्था खराब होने के नाम पर, बैलेंस आफ पेमेण्ट के नाम पर, देश की आर्थिक नीतियों को उलट पुलट दिया गया और देश में एक स्वतन्त्र स्वच्छन्द निर्भीक और जिसको डी कण्ट्रोल कहें अर्थव्यवस्था का इस देश में प्रादुर्भाव शुरू किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस देश को मल्टी नेशनल के लिए चारागाह बना दिया गया और जब केन्द्रीय सरकार उन नीतियों को लागू कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय आडवाणीजी स्वागत कर रहे थे अमेरिका में हिन्दुस्तान की सरकार का गुणगान कर रहे थे क्योंकि अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि भाजपा का मेनीफेस्टो और इनका पोलिटिकल थोट यह है कि स्वतन्त्र व्यापार होना चाहिए हम यहां लगातार चार्ज लगाते जा रहे हैं आर्थिक नीतियों के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों पार्टियां मिली हुई हैं एक दूसरे से। केन्द्रीय सरकार ने आज हिन्दुस्तान को मल्टीनेशनल के लिए

(6.35 साय)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जिस प्रकार से खोल दिया है उपाध्यक्ष, महोदय, देश आर्थिक गुलामी की ओर जा रहा है। आज यह कहा जा रहा है कि देश का बेलेंस आफ पेमेण्ट खराब हो गया है, गड़बड़ा गया देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गयी। देश का विकास करना है तो हमें आई. एम. एफ. से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा लज्जाजनक स्थिति किसी देश की नहीं हो सकती है। आई.एम.एफ. का प्रतिनिधि बजट कमेटी में बैठकर प्रतिनिधित्व करे, बजट के एस्टीमेट बने बजट प्रपोजल बने उनमें बैठकर आई. एम. एफ. के आदमी हम को डायरेक्शन दे इससे ज्यादा लज्जाजनक स्थिति और नहीं हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, भाजपा इसी सरकार की लगातार स्तुति करती रही है कि बहुत अच्छी सरकार है। नरसिंह राव से बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक देश में नहीं हुए क्योंकि इनका जो थोठ है, इनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को नरसिंहराव लागू करने का काम कर रहे हैं।

(श्री यदुनाथ सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, 51 प्रतिशत इक्विटी शेयर, जब बाहर के पूंजिपति कर लेंगे तो इस देश के छोटे-मोटे कुटीर लघु उद्योगों की बात तो छोड़िए, बिड़ला टाटा जो नजर आ रहे हैं उनको भी निगल जायेंगे। आज यह ट्रेंड शुरू हो गया है हमारे देश के व्यापारी आज हिन्दुस्तान के बाहर जाकर अपने उद्योग धन्धे को लगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि उसको नजर आ रहा है कि यहां पर मल्टीनेशनल हमको निगल जाने का काम करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी नोन इश्यूज को इश्यू बना रही है। उसके लिए रोटी का सवाल अहम सवाल नहीं है, रोजगार का सवाल अहम सवाल नहीं है। आपको याद होगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब चुनाव हो रहे थे देश में परिवर्तन की बात चल रही थी उस समय भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे साथ मिलकर कहा था हम देश में नयी अर्थव्यवस्था का निर्माण करेंगे जिसमें हर हाथ को रोजगार दिया जायेगा, गांव में पैसा खर्च किया जायेगा, हर खेत को पानी दिया जायेगा, गांव के विकास पर बजट का पैसा खर्च होगा कर्ज माफ किये जायेंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, उन नीतियों को लागू करने के बजाय एक रथ यात्रा के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर इस देश के साथ बहुत बड़ा + + + की गयी जो लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया था उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद की बात चल रही थी। तीन हजार करोड़ रुपये पिछले वर्ष सब्सिडी कम की। 3 हजार करोड़ रुपये किसान की जेब से निकाल लिये यह सिलसिला लगातार चालू रहेगा। डंकल प्रस्ताव ले लीजिए, आई. एम. एफ. ले लीजिए, वर्ल्ड बैंक ले लीजिए, वह तो किसी भी प्रकार के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मना कर रहे हैं सब कुछ खुला होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अभी देश इस स्थिति में नहीं पहुंचा कि यहां पर बहुत पिछड़े लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पिछड़ा तबका है, दूर दराज के एरिया में लोग रहते हैं उनको सपोर्ट के बिना इस देश में लोगों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं रखा जा सकता है। जो शिकंजा कसता जा रहा है उससे देश को बचाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, खाद पर पैसा खत्म किया, खाद पर सब्सिडी लेता कौन है? वहम बना हुआ है कि खाद पर सब्सिडी किसान को मिलती है। किसान को नहीं मिलती है। सब्सिडी मिलती है उद्योगों को। फर्टीलाइजर उद्योग हैं उसको सब्सिडी मिलती है। पिछले वर्ष ही 91 में 100 करोड़ का स्केण्डल पकड़ा गया। इण्डस्ट्री है नहीं और पूरी सब्सिडी ले ली नाम किसान के खाते में लिखा है। पंजाब की फैक्ट्री है फर्टीलाइजर की सब्सिडी नाम

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री यदुनाथ सिंह)

किसान के खाते में लिख रहे हैं और सब्सिडी खा गया उद्योगपति । उद्योग लगाया नहीं और नाम किसान के खाते में जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, पैट्रोल के दाम बढ़ाये, खाद के दाम बढ़ाये, डीजल के दाम बढ़ाये, बिजली के भाव बढ़ाये जो कुछ है वह हमारे सामने है । आज देश का किसान निरीह बना देख रहा है क्योंकि जो नेतृत्व उभरा था किसानों का राष्ट्रीय मोर्चे के समय में वह आज छिन्न-भिन्न हो गया है यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि आई. एम एफ. के कहने पर, वर्ल्ड बैंक के कहने पर, बी. जे पी की तो यह नीति है कि खुला व्यापार होना चाहिए अमेरिकी पैटर्न होना चाहिए । देश के सामने बहुत बहुत बड़ा खतरा और चुनौती है, उन शक्तियों से आगाह करना चाहता हूं कि वह शक्तियां देश को गुलाम बनाना चाहती है ।

इसलिए देश में जागृति पैदा करें और इन खतरों से देश को बचाने का काम करें । उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा चल रही थी मुझे बड़ा दुख है कि फर्टीलाइजर पर जब बहस चली किसानों को खाद नहीं नहीं मिल रही । भगवान की दया से बहुत अच्छी वर्षा हुई है । खेत तैयार हैं, बीज डालना चाहता है खाद की उससे पहले आवश्यकता है, खाद नहीं मिल रही है और स्थिति यह बनी है उपाध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है और राज्य सरकार को बचने भी नहीं दिया जायेगा । आज पंसारी की दुकान पर खाद मिलती है, मोची की दुकान पर खाद है, जनरल मर्चेण्ट की दुकान पर खाद है लेकिन किसान को किसी कीमत पर खाद उपलब्ध नहीं हो रही है । हाहाकार मचा हुआ है, हम क्षेत्र में जाते हैं । मैं दो दिन के लिए अपने क्षेत्र में गया खाद के सिवाय दूसरी बात नहीं । मेरे पास बड़े लोग आये । कलक्टर से बात की । ज्यादा खाद है, व्यापारी दबाये पड़े हैं । पता नहीं कि कौनसी कण्ट्रोल की खाद है, कौनसी पहली रेट का है कौनसी दूसरी रेट की है । किसान को मालूम नहीं हम को मालूम नहीं । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि किसी कारण से बहस टूट गयी बीच में ऐसा घटनाक्रम पैदा हुआ ।

मैं चाहता यह हूं कि सरकार अब किसानों को खाद किस प्रकार से मिले, इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करें और किसान के ऊपर जो इस टाइम क्योंकि किसानों के लिए एक-एक दिन भारी पड़ रहा है । इसलिए मैं इतना ही कहते हुए उपाध्यक्ष महोदय कि इन खतरों से हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और जो अनुपूरक अनुदान की मांगे सरकार लाई है, उनका मैं विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं कि बजट की सैंक्टिटी खत्म कर दी गई । प्री बजट है एक बजट खत्म हुआ । पार्लियामेण्ट का सेशन अभी खत्म हुआ । उसके बाद पैट्रोल, डीजल, गैस के भाव बढ़ा दिये, यानि पार्लियामेण्ट और एसेम्बलीज को बाईपास करके जो बजट की सैंक्टिटी को खत्म किया जा रहा है जो देश के सामने

(श्री यदुनाथसिंह)

बहुत बड़ा खतरा है। मैं चाहूंगा कि सरकार और चीजों की तो मुझे ज्यादा आशा नहीं है लेकिन इस टाइम किसानों के खेत तैयार पड़े हैं, खाद उसको किस प्रकार से उपलब्ध कराया जावेगा इसकी व्यवस्था करने में अपना पूरा प्रयत्न और प्रयास करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रद्युम्नसिंहजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जो विनियोग विधेयक यहां प्रस्तुत किया गया है मैं उसका विरोध करता हूं। जैसा आपको ज्ञात है कुछ दिन पहले इसी सदन के अन्दर बिजली की कीमत बढ़ाने के बारे में, डीजल, पैट्रोल और खाद की बढ़ती कीमतों के बारे में सदन के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुई थी, उसके बाद यहां पर किसानों को जो खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है, और जिसको उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है। उस बारे में आज मंत्री महोदय का एक वक्तव्य यहां सदन के अन्दर आना था। माननीय मंत्री, कृषि मंत्रीजी न जाने किस आधार के ऊपर इस सदन के अन्दर यह कह बैठे कि भारत सरकार ने जो किसानों को राहत देने के लिए एक हजार रुपये प्रति टन की डी. ए. पी. पर जो राहत की घोषणा की है, हम उसके ऊपर 500 रुपये प्रतिटन राहत देंगे। उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पलटा खाया और पलटा खाने के उपरान्त इस सदन के अन्दर वाद-विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद हंगामा हो गया।

मेरा आपसे निवेदन है कि यह बात सही है कि डी. ए. पी. खाद का डी-कन्ट्रोल होने से खाद की कीमतें बढ़ी क्योंकि खाद के ऊपर सब्सिडी के रूप के अन्दर केन्द्र सरकार को बहुत बड़ा घाटा था और जो प्रोजेक्शन आया उसमें कहा गया कि 95-96 के अन्दर यह घाटा 11 हजार करोड़ रुपये का हो जायेगा। आपने उसी चर्चा में जो पूर्व में चर्चा हुई थी आरोप प्रत्यारोप की बात चली और हमने कहा कि आपने बिजली पर दो दफे कीमतें यहां बढ़ाई है। यहां कहा गया कि बिजली बोर्ड को जो घाटा है उस घाटे के कारण हमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। उस दिन बाद विवाद होकर के बात वहीं समाप्त हुई तो हमारा सिर्फ यह कहना था। आज हमारी मुख्य रूप से खाद के बारे में दो मांगे थी।

एक आपकी राजस्थान सरकार खाद के वितरण के मामले में बहुत बुरी तरह से अपने दायित्व का निर्वहन करने में फेल हुई है और उसका नतीजा यह हुआ कि जो खाद बाजार में पहले से उपलब्ध था वह भली प्रकार से किसानों को बंट जाता पुरानी रेट के ऊपर तो राजस्थान के किसान को कुछ राहत मिलती. लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सदन के अन्दर कहा कि भारत सरकार ने हमको समय के ऊपर सूचना नहीं दी इसलिए हम इफेक्टिव तौर से उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं कर पाये तो फिर प्रश्न यहां आया कि कई राज्यों के अन्दर खाद के ऊपर बिक्री कर और चुंगी नहीं ली जा रही है। अब खाद के ऊपर कितना पर्सेण्ट का आपका सेलस

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

टैक्स है मुझे इसकी जानकारी नहीं है लेकिन निश्चित रूप से खाद के ऊपर 8 प्रतिशत था।

श्री रामनारायण बिश्नोई : 6 पर्सेण्ट।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यहां 6 पर्सेण्ट का सेल्स टैक्स है तो आज आप 6 परसेण्ट की जो राहत किसानों को देते हैं तो करीब-करीब 25 रुपये की राहत और चुंगी के ऊपर, चुंगी को मिलाकर के सब करीब 25-30 रुपये की राहत किसानों को मिल सकती है तो 50 रुपया भारत सरकार ने एक कट्टे के ऊपर और 30 रुपये की राहत अगर राजस्थान सरकार देती है तो किसानों को एक बहुत बड़ी राहत हो जायेगी और उसके बाद भारत सरकार ने इम्पोर्ट खोल दिया है। इम्पोर्ट का माल जब देश के अन्दर डी. ए. पी. का आने लगेगा तो निश्चित रूप से उस खाद की कीमत जो आज चार सौ, साढ़े चार सौ के बीच में बिक रहा है, यह खाद निश्चित रूप से सवा तीन सौ, साढ़े तीन सौ के बीच में बिकेगा और किसान को राहत मिलेगी। लेकिन मुख्यमन्त्री ने कहा कि किसी अन्य राज्य में बिक्रीकर के अन्दर राहत नहीं दी है, किसी अन्य राज्य ने सब्सिडी की राहत नहीं दी है, इसलिए मैं भी राहत देने में असमर्थ हूं। आप तो हर मामले के अन्दर कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। किसानों को राहत देने की बात कर रहे हैं, किसानों को सुविधा पहुंचाने की बात करते हैं। आपने हर खेत में पानी पहुंचाने की बात की। आप पानी नहीं पहुंचा रहे हैं तो कम से कम खाद में तो कुछ राहत दे दीजिये राज्य सरकार की तरफ से। इसमें आपकी ही वाहवाही होने वाली है लेकिन नहीं, और राज्यों ने किया है। कई मामलों में तो मुख्यमंत्रीजी गिनाते हैं कि हम उन राज्यों से आगे हैं। हम उन राज्यों से आगे चल रहे हैं, लेकिन खाद में जब राहत देने का सवाल किसान को आता है तो राहत देने के लिए मुख्यमन्त्रीजी कतई तैयार नहीं है।

तो मेरा आपसे निवेदन था, मैं मांग करता हूं सरकार से कि सरकार खाद के ऊपर, जो बिक्रीकर और खाद के ऊपर जो चुंगी ली जा रही है उसको समाप्त करें जिससे किसानों को थोड़ी बहुत राहत मिले। दूसरी तरफ मैं आपसे मांग करता हूं कि अब भी समय है वितरण की जो आपकी मशीनरी है, इसको आप इफेक्टिव रूप से लागू कीजिये क्योंकि आज तरह-तरह की बातें आती है, अखबारों में भी आ रहा है, लोगों ने खाद को इधर-उधर कर दिया और इस कारण से लोगों को खाद नहीं मिला, ब्लेकमार्केट हुआ खाद के अन्दर। उसकी जिम्मेदारी आपके अधिकारियों की है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी है लेकिन आपने उस तरफ कोई ध्यान दिया नहीं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह तो मेरी मांग खाद के बारे में रही। क्योंकि इस साल ही राहत देने की बात है। निश्चित रूप से मेरा मत है कि जो खाद का इम्पोर्ट सरकार ने खोला है, खाद का इम्पोर्ट शुरू होने के बाद किसान को

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

निश्चित रूप से राहत भविष्य में मिलेगी लेकिन आज सवाल जो है राहत देने का है, उसके ऊपर सरकार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, सरकार ने जो बेरोजगारी की समस्या राजस्थान के अन्दर मुंह वाये खड़ी है। हजारों की संख्या के अन्दर बेरोजगार युवक इधर से ऊधर मारे मारे फिर रहे हैं। रोजगार का कोई साधन नहीं है। आपने सब प्रकार की भर्तियों के ऊपर सिर्फ मेडिकल डिपार्टमेण्ट की भर्ती को छोड़कर के और शिक्षा विभाग की भर्ती को छोड़कर के आपने सब विभाग की भर्तियों के ऊपर बैन लगा रखा है। आज उसका नतीजा यह है। दूसरी और बात आपने सिंचाई विभाग के अन्दर, आपने फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के अन्दर, आपने पी. डब्ल्यू डी डिपार्टमेण्ट के अन्दर हजारों की संख्या में मजदूरों को जो कई साल से काम कर रहे थे आपने घर बिठा दिया। और तो और मुख्यमंत्रीजी आपके धौलपुर के अन्दर फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के अन्दर 3-3 साल, 4-4 साल से जो फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट में मजदूर थे उनको निकालकर के आपने बाहर बिठा दिया और मैं मानता हूं कमी बेसी पूरे राज्य के अन्दर यह की यह स्थिति है। एक तरफ आप लोगों को नौकरी से निकालते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हो। यह कहां की आपकी नीति है। कौनसी वेलफेयर स्टेट की आप बात कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग करता हूं आज आपकी संवेदनशीलता का हाल तो यह है कि आज हमारे स्वास्थ्य निरीक्षक, सेनिटरी इन्सपेक्टर जो कितने महीनों से हड़ताल पर बैठे हैं। आज भी जगह खाली पड़ी हुई है। आप उन जगहों को भरना नहीं चाहते हैं। आप उनको रोजगार नहीं देना चाहते हैं। किस प्रकार की आप इकोनोमी करना चाहते हैं। लोगों को रोजगार नहीं देकर के लोगों के पेट पर आप लात मार रहे हैं। आपने वादा किया कि हम उनको नौकरी देंगे, आप नौकरी नहीं दे पाये।

अब मैं उपाध्यक्ष महोदय, बात करता हूं भ्रष्टाचार की। मुख्यमंत्रीजी रोज यहां जोर-शोर से कहते हैं कि मैं राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। हमें बड़ी खुशी है आप भ्रष्टाचार समाप्त करें। हम आपका सहयोग करना चाहते हैं लेकिन आज स्थिति क्या है? कौनसा ऐसा विभाग है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप पुलिस को लें, राजस्व विभाग को ले लें, एक्साइज को ले लें, सेल्स टैक्स को ले लें, ट्रान्सपोर्ट को ले लें। किसी विभाग को ले लें। क्या आपके पी. डब्ल्यू. डी. में कमीशन खाना लोगों ने बन्द कर दिया है। आपके सिंचाई विभाग में लोगों ने कमीशन खाना बन्द कर दिया है? क्या आपके पी. एच. ई. डी. के लोगों ने कमीशन खाना बन्द कर दिया है?

आज स्थिति यह है कि चारों तरफ भ्रष्टाचार का साम्राज्य बढ़ता चला जा रहा है। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात थी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। ऐसी

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सरकार जो विनियोग विधेयक लायी हो, मैं उसका विरोध करता हूं। भ्रष्टाचार में कहीं कमी आती तो हम मान लेते, पर भ्रष्टाचार में कमी भी नहीं आयी है इस प्रान्त के अन्दर। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ढाई साल आपको राज में आये हुए हो गये हैं, अपने मैनीफैस्टो में जो आपने हर हाथ को काम देने की बात कही थी, हर खेत को पहुंचाने की बात कही थी, कहां है पानी?

एक मैगावाट नयी बिजली का जनरेशन इस प्रदेश के अन्दर नहीं हुआ। लोगों को वोल्टेज नहीं मिलेगा। आने वाले वक्त में किसानों की मोटरें नहीं चलेंगी, मोटरें बुरी तरह से जलेंगी, फुकेंगी। आप कहां किस वोल्टेज की बात कर रहे है? किस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं? किस जनरेशन की बात कर रहे हैं? नये कनेक्शन आप दे रहे हैं नये गावों को आप निश्चित रूप से दे दीजिए, एग्रीकल्चर के कनेक्शन दीजिए लेकिन आज जनरेशन तो है ही नहीं। आपका जनरेशन नहीं है तो जो एग्जिस्टिग लोग हैं उनको बिजली की क्या स्थिति बनेगी, यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं।

कौनसी आपकी नयी योजनाएं हैं? घोलपुर थर्मल की आप रोज बात करते हैं, सूरतगढ़ की आप बात करते है, चित्तौड़ की बात करते है। जनरेशन के नाम पर बिग सिफर है। मांग और आपूर्ति में यह जो गैप है उसको आप कैसे पूरा करेंगे? विरासत में राजस्थान को क्या देकर जाएंगे? इस पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन लोगों को बिजली मिल रही है, राजस्थान में बिजली का भयंकर संकट आने वाला है जिसकी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सम्पत सिंह जी।

श्री सम्पतसिंह (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर आज यह सदन चर्चा कर रहा है। सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज सदन में खाद की कीमतों को लेकर जो उत्तेजक वातावरण आपने देखा, उसके बारे में हम लोगों को चिन्ता है और होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष इसी माननीय सदन ने खाद के बारे में एक संकल्प पास किया था पार्टी भावनाओं से ऊपर उठकर और केन्द्र को भेजा था।

मैं फिर विनती करूंगा कि आज उसी तरह के हालात बन चुके हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बी. जे. पी. हो, आज देश की अर्थव्यवस्था क्या है क्या नहीं है, यह दूसरा विषय है। लेकिन तुरन्त बिजाई शुरू होने जा रही है तब हम अर्थशास्त्र की किताबों को लेकर खेत में बैठेंगे, मेड पर जाकर किसान से बहस करेंगे तो अपने परिवार-कुटुम्ब के लोग ही हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। कुछ बातें ऐसी हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिनका युद्ध स्तर पर, तुरत-फुरत इन्तजाम किया जाना चाहिए। और करना हमको पड़ेगा भी। चार दिन के बाद सरसों की बिजाई शुरू होगी,

(श्री सम्पतसिंह)

दूसरी फसलों की बिजाई शुरू होगी। जैसा सदन के नेता ने कहा, उनकी भावना के हिसाब से कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों से भी अपील करेंगे कि इसमें वे पार्टी भावना से ऊपर उठें। आन्ध्रप्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां के किसान की आर्थिक स्थिति क्या है इस बहस में नहीं पड़ें। या कि किसी प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति क्या है और वहां वर्तमान नियम-कानून क्या हैं।

जैसा माननीय मदेरणा साहब भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि वे वालिएण्टरिली चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधान मन्त्री जी को कि वर्तमान में राजस्थान के किसान की क्या हालत है। निश्चित रूप से अपने पत्र में उन्होंने विस्तृत चर्चा की भी होगी। जब वे सब तरफ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं फिर यहां सदन में कौनसी ऐसी परेशानी है। तमाम पार्टी भावनाओं से ऊपर उठकर सर्वसम्पति से एक संकल्प फिर से सदन पास करे पिछले साल की तरह। खाद के मामले में बीज के मामले में केन्द्र सरकार से कोई मदद मिल सकती हो तो उसमें हमें कोई कोताही नहीं करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, क्यों? आज बहुत-से राजकीय उपक्रम ऐसे हैं जिन्हें हमें घाटा सहन करके भी चलाना पड़ रहा है और चलाना चाहिए। मुझे याद आता है, एक बार हेमवती नन्दन बहुगुणा जी से तमाम राजकीय उपक्रम के बारे में चर्चा की थी। उनके बारे में एक सर्वमान्य बात थी कि वे समाजवादी प्रणाली के प्रखर समर्थक हैं। उनसे कहा कि जब घाटे में चल रहे हैं तो इनको बन्द क्यों नहीं करते। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि थानों पर भी कोई आमदनी नहीं होती, पुलिस स्टेशन पर भी कोई मुनाफा नहीं होता, क्या इनको बन्द कर दें? इनको प्राइवेट में दे दें? कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारे देश की हालत ऐसी नहीं है कि हम फ्री इकोनामी को एडॉप्ट कर लें।

आज हमें कमजोर तबके की बात को मद्देनजर रखना पड़ेगा और उसके लिए विशेष कानून-नियमों का पालन करना पड़ेगा जो पहले से बने हुए हैं, और आगे भी परवाह करनी पड़ेगी। आज हमको यह भी देखना पड़ेगा, उदाहरण के लिए, आज रोडवेज का 36 करोड़ का टैक्स भरने के बाद भी, जो पहले नहीं भरा गया, पौने चौदह करोड़ का मुनाफा किया है। हिन्दुस्तान में कोई और प्रान्त ऐसा नहीं है जहां रोडवेज ने इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में पौने चौदह करोड़ का मुनाफा किया हो। इन बातों को लेकर हमारे दूसरे राजकीय उपक्रमों की स्थिति क्या है? उनकी हालत तो सुधरे। इन बातों को देखते हुए हमें एक दूसरे उपक्रम में एक हैल्दी कम्पिटीशन डवलप करना चाहिए। लेकिन जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं उनके बारे में भी निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी, आर. टी. डी. सी. के बारे में तमाम चर्चाएं होती

(श्री सम्पत सिंह)

है। जनसाधारण कहता है और आज तो दुनिया का अर्थशास्त्र भी बदल रहा है। आज सोवियत रूस भी जिसका नाम भी सोवियत रूस नहीं रहा, समाजवादी चीजों से अलग हटकर सोचने को मजबूर है। तो हम क्यों उस चीज को ढोते जाएं ? आज हमारे स्कूलों में छोटे छोटे नन्हे-नन्हे फूल-से बच्चों के पढ़ने के लिए उनके सिर पर तो छत नहीं है, लेकिन बहरोड़ का मिडवे देखो, दूसरे और मिडवे देखो।

कौनसी सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम दही-पकौड़े बेचें। हमें कानून और व्यवस्था पर सबसे पहले ध्यान देना है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था सबसे पहले सुधारनी चाहिए। हमारी शिक्षा की क्या हालत है। वह दिन दूनी सुधरे, दिन दूनी घटे नहीं ऐसी व्यवस्था करें बजाय इसके कि हम करोड़ों-अरबों रुपये इस आर.टी.डी.सी. पर खर्च करें। ठीक है, हमारा पर्यटन उद्योग बढ़े, फले, फूले। पूरे देश में जब बढ रहा है तो राजस्थान में इसकी विद्युत सम्भावनाएं हैं, बढ़े। फारेन एक्सचेंज उससे आये बढ़े। लेकिन ऐसी चीजों पर कुछ लक्ष्मण रेखा हमको खींचनी चाहिए और अन्तिम फैसला यह करना चाहिए कि जनता की गाढ़े पसीने की कमाई का रुपया राजकीय उपक्रमों के सरकारी अफसर, चाहे जनता के चुने हुए नुमाइंदे उनके चेयरमैन, अध्यक्ष बनते हों, उन पर खर्च न किया जाय। प्रदेश के विकास के ऊपर वे तमाम चीजें खर्च हों, इस बात की निश्चित रूप से व्यवस्था हमको करनी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्तमान सरकार से विनती करना चाहूंगा, एक आम इम्प्रेशन राजस्थान में यह दे रखा है कि केन्द्र ने जब खाद की कीमत बढ़ायी तो किसान का नुकसान होगा। राजस्थान सरकार अगर किसान के लिए हमदर्दी नहीं दिखाएगी तो भी किसान का नुकसान होगा। वहां तो कांग्रेस पार्टी का राज है और यहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, जिसमें जनता दल (डी) शामिल है। हमारा सौभाग्य है, हमें फक्र है कि इतनी प्रगतिशील सरकार के पक्ष में हम सत्ता में हैं।

मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। अगर कोई सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध हो तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थान के किसान का दुर्भाग्य देखिये। कहते हैं कि मछली को तो भुनना, तेल में भुने तो और घी में भुने तो। कांग्रेस की मार पड़े राजस्थान के किसान पर तो उसकी बदकिस्मती और भारतीय जनता पार्टी की मार पड़े, जनता दल (डी) की मार पड़े तो उसकी बदकिस्मती।

(7.00 रात्रि)

आज जिन रीति-नीतियों को लेकर हमने तन-मन से जो समर्थन राजस्थान की सरकार को दिया हुआ है, अभी भी, उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण। माननीय नदबई से आने वाले माननीय सदस्य पीड़ा व्यक्त कर रहे थे राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार की ध्वस्त होने की। वह भा.ज.पा. ने ध्वस्त की है क्या ? यह हमारे

(श्री सम्पत सिंह)

अपने अन्तर्द्वन्द थे जो इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी हम गिरे और जो जो जनसाधारण ने हममें और हमारे नेताओं में विश्वास व्यक्त किया था, उसके विश्वास को, उसके एहतमात को जो चोट लगी है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10-20 साल तक अपना विश्वास पुनः अर्जित कर पायेंगे (व्यवधान) यह तो भारतीय जनता पार्टी ही खुदकुशी नहीं कर लें तब तक तो सम्भव है नहीं और मुझे लगता है कि कुछ तो मन उनका है। कुछ-कुछ उनका मन यूं है कि आज सदन में काफी उत्तेजित वातावरण हुआ और मुझे अफसोस है कि हमसे बेहतर सोचने वाले माननीय सदस्य, कांग्रेस पार्टी के लोग जब कह रहे थे तो आंख मींचकर हल्ला मचा रहे हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का? आखिर हमको सोचना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज अपने वर्ग चरित्र को हम कभी नहीं भूल सकते। आज अगर खाद का ब्लैक होता है तो वह किसान ने ब्लैक नहीं किया है, वह किसी फौजी ने ब्लैक नहीं किया है, वह किसी सरकारी आदमी ने ब्लैक नहीं किया है, वह निश्चित रूप से जिसने रुपया लगा रखा था, जिसने करोड़ों रुपया अपना लगा रखा था, उस आदमी ने ब्लैक करके फिर धन कमाया। इस धन कमाने की प्रवृत्ति पर, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य से हम निवेदन करते हैं कि निर्मम चोट करनी चाहिये, जो महाजनी व्यवस्था पैदा होती जा रही है। इस पर निर्ममता से चोट करनी चाहिए तभी आप अपने किसानों की और मजदूरों की यथार्थ में मदद कर पायेंगे वरना किताबों में बहुत अच्छी बातें लिखी रहती हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

आज आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के पास समाजवादी मुल्क जा रहे हैं। भारतवर्ष में जिस पार्टी का भी राज रहा हो, वह सब गये हैं। उसमें हमारा हिस्सा होता है, अगर हम उनसे रुपया लेते हैं तो कौनसी परेशानी है। पिछले साल राजस्थान की सरकार ने 500 करोड़ रुपये की अपनी योजना बनाई सिर्फ इस वास्ते बनाई कि राजस्थान की जो सम्पर्क सड़कें हैं उनको बनाया जाय जिससे हमारी मंडियों में, हमारे छोटे, कस्बों में एक तरह से विकास की गंगा शुरू हो। अगर दुनिया की बड़ी से बड़ी संस्था से अगर कर्ज लेते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई बुरी बात नहीं करते, कोई गाय नहीं मार रहे। वह रुपया हमारा है, उसमें से लेते हैं।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हो क्या रहा है? हम रुपया ले रहे हैं पहले के कर्ज को और पहले के कर्ज के ब्याज को ही चुकाने के लिये। इस प्रवृत्ति पर रोक लगानी होगी और जब तक जन साधारण इस पर नहीं उठेगा... मुझे उपाध्यक्ष महोदय, आज तकलीफ भी है। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय अपने कक्ष में मेरी बात को सुन रहे हों, भगवान करे कि वे सुन रहे हों मेरी बात को। वे सर्वसम्मति से तो नहीं चुने गये लेकिन निर्विरोध जरूर चुने गये। आज चाहे पक्ष में ये बैठे हो,

(श्री सम्पतसिंह)

कल को हम बैठेंगे सौभाग्य से ।

तो क्या प्रजातन्त्र में विपक्ष का गला दबा दिया जायेगा ? आज कौनसी ऐसी आफत आ रही थी, कौनसा ऐसा कोई हवाईजहाज छूट रहा था कि दिन छिपने से पहले अपने सारे बिल पास कर लें । जब बहुमत हमारा है तो मैं समझता हूं कि आधे राजस्थान का गला नहीं दबाना चाहिये था और कम से कम प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ोतरी देनी चाहिये थी, बढ़ावा देना चाहिये था । हमारी तमाम गैलेरी में लोग बैठे हुए हैं, वे क्या कहेंगे? आज राजस्थान विधान सभा की नजीर दूसरे प्रान्तों में दी जाती है । तो कम से कम हम यहां हाथ उठाने वाली भेड़ें तो नहीं हैं कि हां-हां बिना वजह करते जायेंगे। हम तर्कसंगत बात करेंगे और इसी बात के लिये हमने समर्थन दे रखा है ।

मैं माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता और सदस्यों से भी विनती करूंगा कि यह वहम निकाल दें कि आपकी अकेले की सरकार है । आप हर जगह जो यह इम्प्रेशन दे रहे हैं, वह आप हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना स्वयं का नुकसान कर रहे हैं । किसी से मदद लेकर, किसी से कर्जा लेकर फिर मुकर जाय और फिर इस तरह की बेहयाई की बात करें । इस राजनीति में अगर आपकी बात का विश्वास है तो ही है वरना इसमें बात का विश्वास डिगने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं शब्दों के साथ दुबारा से सदन के नेता से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं कि वे अपनी संकल्प की बात को फिर दोहराये, हो सकता है कि गुड-सैंस प्रिवेल हो और कांग्रेस पार्टी के माननीय नेतागण, सदस्यगण फिर से विचार करें, जनता दल के माननीय नेतागण और सदस्यगण फिर से विचार करें और फिर एक रूप में वह ही पार्टी भावना से उठकर पिछले साल की तरह एक उदाहरण पेश करें और एक संयुक्त संकल्प पास करें और उसको केन्द्र सरकार के पास भेजें कि जो रुपया आपने खाद में बढ़ाया है, उसको किसी भी रूप से चाहे वह काटे नहीं, किसी भी रूप से मदद करकर राजस्थान के गरीब किसान की, सौभाग्य से अबकी बार बरसात हुई है वरना 6-6 साल लगातार फ्रोम हारवेस्ट टू हारवेस्ट अकेले जो नागरिक झेलता है, उसकी कमर टूट जायेगी, उस आदमी का कलेजा टूट जायेगा । इसलिये उसको इमदाद देना जरूरी है ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमाकान्त जी ।

श्री रमाकांत शर्मा (थानागाजी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है जिस प्रकार से युद्ध के अन्दर दूसरे देश आक्रमण करते हैं, उसी प्रकार हमारी आर्थिक स्थिति पर

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कुछ विदेशी सत्ताएं बराबर आक्रमण कर रही हैं। आइ. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है जिसके अन्दर हमारी सारी की सारी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा रही है, एक ऐसा डर लग रहा है जैसे बाहर के जो लोगबाग हैं वे सारे के सारे हमारी जो वित्तीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करके हमारे ऊपर आर्थिक साम्राज्य पैदा कर देंगे।

थोड़े दिन पहले ही पैट्रोल की कीमत बढ़ी, डीज़ल की कीमत बढ़ी, रसोई गैस की कीमत बढ़ी और अब खाद की कीमत बढ़ गई। दिल थाम कर बैठिये, अब दवाईयों की कीमत भी बढ़ने वाली है। जिस जिस चीज पर विदेशी पैसा लगाने वाला है, विदेशी लोग यहां पर बड़ी बड़ी फैक्टरियां लगाने वाले हैं, वह हमारे देश के अन्दर बहुत बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो जो इस प्रकार की हाई टेक्नालाजीकल चीजें हैं, उन सब चीजों की कीमतें बढ़ेंगी। एक समय ऐसा भी आने वाला है, बहुत ही शीघ्र, कि खाद्य पदार्थ भी फैक्टरियों में पैदा होने लगेंगे और सारे के सारे जो हमारे रहने और खाने के तौर तरीके हैं वह बदलेंगे। खाद्य पदार्थ भी बड़ी-बड़ी विदेशी कम्पनियां यहां आयेंगी, वह बनायेंगी और उनकी कीमत भी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी।

जिस प्रकार से सब चीजों की कीमतें आज बढ़ रही हैं उसका कारण हमारी आर्थिक नीति पर बाहरी विदेशी आक्रमण का असर है, इस बात से हमको बहुत अच्छी तरह से सतर्क रहना पड़ेगा। यह कोई ऐसी बात नहीं है कि अचानक ही किसी एक चीज की प्राइस बढ़ गई हो। भारत सरकार के वित्त मंत्री ने एक प्रकार का फ्लड गेट ओपन किया है लिबरलाइजेशन का। लिबरलाजेशन अत्यंत आवश्यक है, यह इसलिये तो जरूरी है कि कोई आदमी कोई फैक्टरी लगाना चाहे, वह लगाये, उस पर कंट्रोल, परमिट और इस प्रकार की जो चीजें हैं, वह समाप्त होनी चाहिये, और वह फैक्टरी लगा पाये। परन्तु चाहे विदेशी कम्पनियां हों, चाहे यहां की कम्पनियां हों, यदि किसी चीज का सीमित उत्पादन होता है, तो लिबरलाइजेशन का यह अर्थ नहीं कि साइकल बनाने वाले पांच आदमी मिलकर साइकल की कीमत पांच हजार रुपये रख दें और गरीब आदमी साइकल की कीमत पांच हजार रुपया दे। बाहर की कम्पनियां यदि आ रही हैं और यहां पर मोटर बनायें या कोई फर्नीचर बनायें या किसी प्रकार का कालीन बनायें और वे दस या 15 कम्पनियां आपस में मिलकर ऊंचे रेट पर सामान बेचें, यह अर्थ नहीं है।

समझ में नहीं आता, दो दिन पहले जिसकी चार हजार रुपये कीमत थी वह एकदम बढ़कर आठ हजार रुपये हो गई, तो ऐसे कौन से उनके खर्च बढ़ गये? जो खाद बनाने वाली कम्पनियां हैं, उनको कौन सा फिक्स्ड कास्ट या वैरियेबल कास्ट या बिजली की कीमत या स्टाफ की कीमत बढ़ गई? ऐसा कोई खर्चा नहीं बढ़ा, जिससे चार हजार की चीज आठ हजार में

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बिकने लगे। शत प्रतिशत एकदम कीमत बढ़ गई। यह आइ. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्री से जो बात कहते हैं वह तत्काल उसको इस प्रकार से मान लेते हैं जैसे कि वह किसी प्रकार के दबाव के अन्दर हों या उनको कोई किसी प्रकार प्रकार से ब्लैक मेल के अन्दर हों। इस प्रकार से जो हमारी आर्थिक है वह स्थिति सारी की सारी बिगड़ रही है, खराब की जा रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि 500 रुपये की राजस्थान सरकार सब्सिडी दे दे। जहां 4 हजार से 8 हजार रुपये किए गए, पहले तो उन्होंने 4 हजार से 8 हजार रुपये कर दिए। भारत सरकार पर क्या जोर पड़ा उन्होंने कह दिया कि हम 1 हजार रुपये कम करते हैं। यह तो इस तरह की एक अजीब बात हुई कि पहले तो किसी पर टैक्स लगा दें कि हम 10 हजार रुपये आपकी जेब से छीनते हैं और उसके बाद लीजिए हम बहुत बड़े आदमी हैं, दानदाता हैं उस कारण से 5 हजार रुपये का दान देते हैं। जिन लोगों ने 4 हजार से 8 हजार रुपये कर दिए यदि वह 1 हजार रुपये कम करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं की।

परन्तु स्थिति यह है कि राजस्थान सरकार के सामने एक प्रकार की समस्या है हम और स्कूल खोलें, हम और सड़कें बनाएं, हम और अस्पताल बनाएं, हम किसानों के लिए नहरें बनाएं, हम किसानों के लिए एनिकट्स बनाएं, हम किसानों के लिए बांध बनाए, हम किसानों के लिए पानी पहुंचाएं. बहुत सारे काम करने हैं और यह 500 करोड़ रुपये से कई करोड़ों का फर्क पड़ जाएगा और एक कट्टे पर क्या फर्क पड़ेगा. 10 रुपये या 20 रुपये का फर्क पड़ेगा। जहां 4 हजार से 8 हजार की कीमत बढ़ाई है, जिन लोगों ने वह कीमत वापस ले लें और 4 हजार रुपये की जाय। ऐसे कुछ प्रयोस भारत सरकार द्वारा किए जायं। और इस बात को लिब्रलाइजेशन के तहत उन उद्योगपतियों और खास तौर से बाहर से आने वाले उद्योगपतियों को छूट दी जा रही है, एक प्रकार से शोषण करने की, उस शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाए। यह अत्यन्त आवश्यक है।

राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही, उनसे पहले भी बात कही गई कि साहब नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है. फोरेस्ट डिपार्टमेंट से हटाए जा रहे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट से हटाए जा रहे हैं और दूसरे विभाग से हटाए जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण देना चाहता हूं 20 वर्ष तक मेरे गांव की वाटर सप्लाई स्कीम पर एक आदमी काम करता था और दोनों वक्त पानी मिलता था और कभी कोई दिक्कत नहीं थी। सवेरे 1 घंटा मिलता था और शाम को 1 घंटा मिलता था। एक समय आया उसके अन्दर 1 से 21 आदमी लगा दिए गए और अब 21-21 दिन तक पानी नहीं मिलता है और वह 21 आदमी बैठे रहते है। यह मेरे गांव

(श्री रमाकान्त शर्मा)

की स्थिति ही नहीं है वह स्थिति सारे गांवों की इस प्रकार की कर दी गई है। इरिगेशन के अन्दर आओ भाई लोगों वर्कचार्ज में, फोरेस्ट के अन्दर आओ भाई लग जाओ वर्कचार्ज के अन्दर।

इस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपया वर्कचार्ज के ऊपर खर्च हो रहा है, इस प्रकार के लोग लगा दिए गए हैं जिनका अनुत्पादक व्यय है। वह सारा का सारा रुपया यदि आज बचा हुआ होता तो उस रुपये के आधार पर हम नई वाटर सप्लाई लगाते, हम नई बिजली के काम में उसको लगाते और उन पर जो आदमी लगने वाले होते जो एम्प्लायमेंट जनरेशन ज्यादा होता विस्पत देखा जाए तो हमने अनुत्पादक खर्चों के अन्दर इस प्रकार से पैसा लगा दिया। इस प्रवृत्ति को तो रोकना ही होगा। इस प्रवत्ति को रोककर मितव्ययता करें, उस पैसे को उत्पादक करने वाले जो काम हैं उन पर लगाना होगा। उससे इकोनोमी के अन्दर बूस्टर अप होगा और इकोनोमी बूस्टर अप के तहत एम्प्लायमेंट बढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी तरफ आप मत देखिए। मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं अपनी बात। प्रश्न आया, नगर से आने वाले माननीय सदस्य का। उन्होंने कहा कि थाना कौनसा हमको प्रोफिट देता है, इसलिए उसको क्यों चला रखा है, क्यों नहीं उसको बन्द कर दिया जाए?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, थाने और उत्पादन से सम्बन्धित जो संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल बन्द नहीं किया जा सकता है। राजस्थान सरकार हो या भारत सरकार हो या कोई केन्द्रीय सरकार हो, कुछ चीजें जो व्यवस्था की होती है। व्यवस्था के लिए तो सारा का सारा टैक्स लेकर, पैसा लेकर व्यवस्थाओं पर खर्च करना ही पड़ता है।

परन्तु राजस्थान सरकार को या किसी भी सरकार को कभी ऐसे कामों के अन्दर, जो उन्होंने खुद ने उदाहरण दिया कि दही बेचने का काम या चाय बेचने के काम के अन्दर पैसा हम अपना लगाए और फिर वहां यह बात कहे कि साहिब जो आदमी यहां पर लगाए हैं वह हटाये नहीं जाएं यह बात सोचने की है, हमको इस प्रकार के खर्चों के अन्दर पैसा व्यय नहीं करना चाहिए।

एक बात दूसरी ओर कही गई आई. एम. एफ. से और वर्ल्ड बैंक से पैसा लाया जाए। मैं सहमत हूं नगर से आने वाले माननीय सदस्य से कि पैसा लाने में कोई एतराज की बात नहीं है। पर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 10 वर्षों के अन्दर जो पैसा लाया गया है और अनुत्पादित व्यय में खर्चा किया गया, हमारी इकोनोमी में कोई लाभ नहीं हुआ और 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का जो विदेशी कर्जा हो गया है। मैं समझता हूं कि जो आज विदेशी कर्जा हो गया है उसका ब्याज देने के लिए भी हमको विदेशों से पैसा लाना पड़ रहा है। हम इस प्रकार से ट्रेप में आ गए हैं डेट ट्रेप में आ गए हैं, वास्तविकता में डेट ट्रेप के अन्दर आ गए हैं और इसी कारण है कि आई. एम. एफ.

(श्री रमाकान्त शर्मा)

और वर्ल्ड बैंक आज हमको आंख दिखा कर हमारी जिस चीज की प्राइस बढ़ाना चाहते हैं वह बढ़वा देते हैं।

अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों को बुरा लगेगा, परन्तु स्थिति यह थी कि, यह बात तो उसी तरह से हो गई की "उल्टा चोर कोतवाल को दंड दे"। एक ऐसी स्थिति सदन में पैदा कर दी गई। जिसके तहत सदन के अन्दर कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। बात यह थी कि खाद की कीमत भारत सरकार ने बढ़ाई, अव्यवस्था भारत सरकार ने पैदा कर दी, जो अव्यवस्था पैदा कर दी उसके बारे में यदि कोई यहां सुनने को तैयार नहीं था तो फिर आल्ट्रनेटिव क्या बच गया था। कंपेलिंग सरकमस्टांसेज के अन्दर जो बात पैदा हुई .. (व्यवधान)

श्री प्रकाशचन्द्र बैरवा : यह अव्यवस्था राजस्थान सरकार ने पैदा की है।

श्री रमाकान्त शर्मा : हम अपने आप को अनुशासन के अन्दर रखते, अनुशासित तरीके से कह सकते थे .. (व्यवधान).... । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चेयर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं ...बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि... (व्यवधान). उसके बावजूद भी हमको बोलने का मौका दिया जा रहा है जिससे सब लोग अपनी अपनी बात कह सकते हैं।

श्री रामनारायण बर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : क्या है, कहिए।

श्री रामनारायण बर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो बात यहां सदन में कुछ समय पहले हुई उसके बारे में थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य....(व्यवधान)....

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या व्यवस्था का सवाल है ?

श्री रामनारायण बर्मा : मैं जो अर्ज कर रहा हूं उसको सुनिए तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई व्यवस्था का सवाल है ?

श्री रामनारायण बर्मा : आप एक लाइन भी नहीं सुनेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या है ?

श्री रामनारायण बर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि डिस्प्यूट सदन में शुरू हुआ वह डिस्प्यूट 500 रुपये राजस्थान सरकार के अनुदान की बात ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है माननीय वर्मा साहब। श्री जनार्दनसिंहजी।

श्री रामनारायण बर्मा : झगड़ा यह है कि राजस्थान सरकार 500 रूपये अनुदान दे या नहीं दे। इस मामले का.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। यह व्यवस्था का सवाल नहीं है। माननीय श्री जनार्दनसिंह जी।

श्री रामनारायण वर्मा : आपको मिस लीड कर रहे हैं (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा विनियोग विधेयक के द्वारा जो पूरक मांगें लाई गई हैं मैं उनका विरोध करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले सदन काफी गर्म वातावरण में पहुंच गया था। यह बात सही है कि राजस्थान की एक परम्परा रही है और उन गरिमाओं का निर्वहन होता रहा है जिसके कारण से राजस्थान अपने आप में गौरव महसूस करता है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं, वह एक गम्भीर सोचने का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जिस प्रकार की व्यवस्था चाहे सदन में सरकार की तरफ से आए चाहे आसन की तरफ से आए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां चुने हुए प्रतिनिधि हैं, राजस्थान की जनता ने हमें चुन कर भेजा है। यह बात दूसरी है कि आज सत्ता भारतीय जनता पार्टी और जनता (दिग्विजय) की पार्टी के बहुमत की है। यह बात भी सही है कि हमारे विरोध से सरकार गिरने वाली नहीं है। यह बात भी सही है कि हमारी जो बात हो वह स्वीकार करें, यह भी कोई आवश्यक नहीं है।

लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातन्त्र में कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परम्पराएं होती हैं, नियम होते हैं उनके तहत हर आदमी अपनी बात यहां पर कह सकता है। यह अधिकार किसी को नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधियों का गला घोटें और उनकी बात को सुना ही नहीं जाए। प्रश्न तो इस बात का था कि राजस्थान के अन्दर खाद के वितरण का मामला था। सही मायने में माननीय कृषि मंत्रीजी से व्यक्तिगत कोई कारण नहीं था, कोई उनसे नाराज होकर कोई बात कह रहे हों, किसी भी माननीय सदस्य कि शायद वह भी मंशा नहीं थी। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हम जानते हैं कि कृषि मंत्रीजी स्वयं बहुत मजबूर हैं, उनकी कठिनाइयां हैं, वह सरकार में जरूर हैं, मंत्री हैं कृषि के लेकिन सही मायने में उनके हाथ में नियंत्रण नहीं है।

राजस्थान के अन्दर खाद के वितरण का जो सवाल है वह उन बिचौलियों के हाथ में पहुंच चुका है, आज हम यहां पर केवल मात्र भारत सरकार की दुहाई देकर बचना चाहें, कि भारत सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है। हमने उस समय भी जब इस सदन में मुद्दा आया था सर्वसम्मति से चाहे वह कांग्रेस पार्टी के लोग हों, कांग्रेस साइड के लोग भी उस समय बैठे हुए थे, माननीय श्री पूनमचन्द जी बिश्नोई साहब, हमारे बुजुर्ग सदस्य, उन्होंने उस समय भी इस बात को उठाया था कि यह

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

मामला राजस्थान के किसानों का है, राजस्थान के किसानों के हित में इधर बैठने वाले हों हमको सब को सामूहिक चाहें उधर बैठने वाले हों प्रस्ताव देना चाहिए।

लेकिन मैं देखता हूं कि जब हमने यह बात उठानी चाही कि खाद की सप्लाई की समस्या आ रही है, असली मुद्दा था खाद के वितरण व्यवस्था में जिस प्रकार की कमजोरी सरकार के द्वारा हो रही है उससे मैं सोचता हूं कि सरकार आंख मूंद कर बैठी है और बिचौलिए धन कमाने में लगे हुए हैं। सरकार की आंखें मूंदी हुई हैं, किसानों का शोषण हो रहा है। प्रश्न इस बात का था। हमारे उधर बैठने वाले साथी खुश जरूर हो सकते हैं। मगर राजस्थान की जनता, राजस्थान के किसान इन्हें बख्शने वाले नहीं हैं समय आने पर। अभी को-आपरेटिव के चुनावों में इन्होंने नतीजे देख लिए, पचायत के चुनाव करवा कर नतीजे देख लें, राजस्थान की सरकार विधान सभा के चुानव करवा कर देख लें। राजस्थान के किसान इस ढंग से बदला लेंगे, शायद इनको विश्वास नहीं है। यह गलत फहमी हम लोगों को भी थी, हम लोगों को भी गलत फहमी थी कि कांग्रेस का राज कभी आने वाला नहीं है लेकिन राजस्थान की जनता बहुत समझदार है और वह जिस प्रकार से फैसला करती है इसका आभास भैरोंसिंह जी को और उनकी सरकार को समय आने पर मालूम पड़ेगा।

इसलिये माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार बिचौलियों ने इस खाद के वितरण में जो व्यवस्था बिगाड़ी है वह सही मायने में काला बाजारी करने वाले, पैसे लगाने वाले, उस पर हमारे विचार हम रख रहे थे। भारत सरकार ने कल घोषणा की, हमारा एक ही तो मुद्दा था कि राजस्थान सरकार जिसमें जनता पार्टी के सदस्य, जनता पार्टी दिग्विजय सिंह के सदस्य सबने उस समय भी एक मांग की थी, सुमित्रासिंह जी ने भी उस समय यह मामला उठाया था कि राजस्थान सरकार को उनको सब्सिडी देने के लिये कुछ फैसला करना चाहिये। ठीक है भारत सरकार ने गलती की चलिये साहब उसका नुकसान तो हमको ही होने वाला है।

भैरोंसिंह जी वाहवाही लूट लेते, किसानों की सब्सिडी की घोषणा कर देते। राजस्थान के मुख्य मन्त्री बहुत होशियार है, कीर्तिमान के अन्दर तो, सदन में बार-बार कहते हैं, बहुत उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में सबसे आगे हूं, पंचायतों में फेमिली प्लानिंग के अन्दर जिस प्रकार पाबन्दी लगाने की बात की थी उस समय दिल्ली के अन्दर जो मीटिंग हुई प्रधान मंत्रीजी की उपस्थिति मे और भैरोंसिंहजी ने कहा कि मेरी इस बात को सबने सराहा है, मेरे पीछे सब सरकारें लग जायेगी, मैं मुख्य मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं कि वह भी इस प्रकार की कोई पहल कर लेते राजस्थान के किसानों की खाद की समस्या के लिये कोई कीर्तिमान हासिल कर लेते और राजस्तान के किसानों को फायदा हो जाता, कीर्तिमान तो उन्हीं को मिलने वाला था, सरकार तो उन्हीं की थी।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये हमने एक ही मुद्दा उठाया था माननीय उपाध्यक्ष महोदय भारत सरकार ने एक हजार की सब्सिडी दी है तो एक हजार की सब्सिडी राजस्थान सरकार भी और देकर कीर्तिमान हासिल करे, किसानों की हितैषी अगर सरकार है तो यह निर्णय करना चाहिये। अगर राजस्थान के किसानों को हितैषी नहीं है तो नहीं करिये, आपकी मर्जी है। हमारा यहीं मुद्दा था उसी में विवाद खड़ा हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं राजस्थान की खाद की बात ही नहीं है, अगर राजस्थान की विधान सभा के माननीय सभी सदस्य अपने-अपने दिलों पर हाथ रख कर देखें और अपने-अपने तहसील के अन्दर देखें सार्वजनिक वितरण व्यवस्था जिस प्रकार बिगड़ी हुई है, आज मिट्टी का तेल तहसीलों में है नहीं, चीनी मिल नहीं रही है, मोटा कपड़ा जो मिस यूज जाता था आज मिल नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सप्लाई विभाग तो सही मायने में यहां पर लगता ही नहीं है, या तो रामकिशोरजी सप्लाई मंत्री के बस की बात नहीं है। मैंने एक चिट्ठी मुख्य मंत्रीजी को लिखी, राजस्थान के सप्लाई मंत्रीजी को लिखी और मैंने स्पेसिफिक यह बातें लिखी कि इस प्रकार का सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्दर घपला हो रहा है, काला बाजारी करने वाले लूट रहे हैं, लोगों को चीनी सही मायने में उपलब्ध नहीं हो रही है।

कहा कि हमने जांच करा ली है और ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। राजस्थान की हर तहसील की हालत यही है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोगों को तीन-तीन महीने से मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। आज फोरेस्ट के जो डिपो थे लकड़ी जलाने के लिये जगह-जगह डिपो खोले थे वह बन्द कर दिये। आज हालत यह है कि फोरेस्ट के पेड़ काटने किसान जाये तो मुश्किल, रोटी बनाने की मुश्किल है, गैस की सप्लाई समय पर नहीं मिल रही है, कई जगह इस प्रकार की स्थितियां बन रही है। उन स्थितियों के अन्दर आज हमारा कर्तव्य है कि हम जनता के द्वारा चुनकर आए हैं कम से कम रोजमर्रा की आवश्यकता की चीजें हम उपलब्ध नहीं करवा पाते इससे ज्यादा इस सरकार को डूब मरने की बात है।

आज चाहे मेरी बात का विरोध करने के लिए माननीय सदस्य कुछ भी कह सकते हैं सत्ता पक्ष के लोग लेकिन उनको अपने-अपने दिल को टटोलना चाहिए देखना चाहिए कि क्या हालत हो रही है उनकी। आज मैं सोचता हूं कि सारी हालत चरमरा गई है। राजस्थान का सप्लाई विभाग, निश्चित तौर से उसका कोई नियन्त्रण नहीं है। आज अगर, माननीय मंत्रीजी थोड़ी देर पहले बैठे थे मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कितने छापे मारे, कितने केसेज बनाये, इसलिये मजबूरी है वह सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग बैठे हैं, इसलिए उन पर छापे नहीं डलते। इसलिये दुर्भाग्य है इस बात का, ऐसी स्थिति में मेरा तो

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यही कहना है कि सरकार यह चाहती है कि लोगों की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का सुचारू रूप से इन्तजाम नहीं देना है तो उनकी सरकार की मर्जी है। दुख पा रहे हैं, जितने दिन पाना है पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कीर्तिमानों की बात बहुत करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन के अन्दर कई बार कहा कि राजस्थान में भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए हम बहुत गम्भीर एक्शन ले रहे हैं। आज मुझे बताइये कौनसा कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार था, मैं इसको भूल नहीं सकता, मैं बताये बिना नहीं रह सकता चाहे कोई सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो लेकिन भ्रष्टाचार.... (व्यवधान) उस समय भी करने वालों ने किया है चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपके टाइम पर भ्रष्टाचार की रेंज बढ़ी है... (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : भ्रष्टाचार आज पराकाष्ठा से ऊपर है। आप तो नजर ही नहीं मिला सकते। आप चुनाव करवा करके देखो आपको पता लग जायेगा कि आपने क्या भ्रष्टाचार किया है.... (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : मैं नहीं समझता था कि माननीय सदस्यों को भी भ्रष्टाचार से तकलीफ हो रही है। मैं सोचता था कि राजस्थान के कुछ कर्मचारी ही कर रहे हैं। इससे तो यही बू आती है कि शायद आप लोग भी सब शामिल है इसमें। मैं आप पर कोई चार्ज नहीं लगा रहा हूं। इसका मतलब ऐसा लगता है कि सरकारी अधिकारियों से जिस प्रकार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है आपकी पार्टी के कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लगे हुये हैं और हालत यह है कि आपके लेटर पैड बिक रहे हैं, चाहे स्थानान्तरण के अन्दर बिक रहे हैं, थानों में बिक रहे हैं...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : जो भ्रष्टाचार है वह तो चालीस साल के शासन में.... (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : एक अधिकारी का ट्रान्सफर है, (व्यवधान) आज जनता पार्टी के लेटर पेड पर स्थानान्तरण की चिट्ठी जाती है, वह अधिकारी जब राजी कर लेता है दूसरा वही माननीय सदस्य दुबारा लेटर पेड लेकर जाता है कि साहब यह अधिकारी तो बहुत अच्छा था, मई 15 दिन पहले तो खराब था। आप लिख करके लेटर पेड दे रहे हो उसका स्थानान्तरण हो जाता है, मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि कई लोगों को भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर हटाया जाता है.... (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : यह सुझाव दे रहे हैं, कोई साबित नहीं कर सकता।

(श्री किशनाराम नाई)

आप + + + लांछन लगाते हैं....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने +++शब्द का इस्तेमाल किया है जो असंसदीय है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : +++शब्द को एक्सपंज कर दिया जाये।

श्रीमती तारा भण्डारी : आप लोगों ने तो जो किया है ना उसको गिनाते गिनाते तो सारी उम्र बीत जायेगी. (व्यवधान) भ्रष्टाचार का यह केन्सर फैलाया ही आपने है। (व्यवधान)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या अभी बहुत जोर जोर से अपनी बात रखना चाह रही थी लेकिन जब विधान सभा के बाहर मिलती है....

श्रीमती तारा भण्डारी : गैस महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया हम करें क्या। घर में जायें तो बच्चे और पति सब झगड़ा करते हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भ्रष्टाचार इन्होंने महंगा कर दिया। (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : चालीस सालों में जमीन में घुसा दिया है उसको निकालने में टाइम लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय किशनाराम जी बिराजिये आप....(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : सारा बजट ही खराब कर दिया है आप लोगों ने।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाली माननीय सदस्या (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन को सम्बोधित करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : आसन को ही सम्बोधित करके ही कह रहा हूं। सिरोही से आने वाली माननीया सदस्या लगता है कि बहुत नाराज हो रही है लेकिन मुझे दुःख इस बात का है, सदन में तो इस ढंग से बात कह रही है लेकिन जब लोबी में मिलती है तो कहती है कि हमारी सरकार में कुछ नहीं है। आपका राज ही ठीक था....(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपसे बात करने गई थी क्या यह (व्यवधान) आपके पास कोई मुद्दे की बात नहीं है तो आप बैठ जाओ। आप अनावश्यक रूप से क्यों असत्य बोल रहे हैं।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : माननीय

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान के अन्दर एक तरफ तो खाद के मामले में इतनी मार हो रही है। पिछली बार सरकार ने किसानों के ऊपर एक और अत्याचार कर दिया। इतना बड़ा, बिजली के ऊपर पैसा लगा दिया। रेट आपने बढा दी, उससे मैं सोचता हूं कि किसान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आप इसकी केटेगराइज अगर करते, हम यह नहीं कहते।

हम यह नहीं कहना चाहते, अगर घाटे को कम नहीं किया जाय, चाहे वह कोई भी सरकार होगी, बिजली बोर्ड हो या और कोई बोर्ड हो, उसके घाटे की कमी कमी करने की कोशिश करेगी लेकिन इस प्रकार की जो उस पर मार हो रही है, किसानों पर जिस प्रकार की मार हो रही है, उसको क्लाइफरकेशन कर सकते हैं कि बड़े किसानों की रेट अलग हो, कितनी भूमि है उसके पास, छोटे और बड़े किसान एक सीमा में आ गये। आज उद्योग वाले के ऊपर मार होती तो हमको समझ में आता लेकिन घरेलू कनेक्शन वाले के ऊपर मार हो गई इसलिए मैं सोचता हूं इस सरकार ने सही मायने में जिस प्रकार से अन्याय किसानों के साथ किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी समय है कि राजस्थान सरकार उसको या तो वापस ले या उसकी केटेगरीज बदलें ताकि कम से कम किसानों के ऊपर इसकी मार नहीं हो, साधारण घरेलू कनेक्शन लेने वालों पर मार नहीं हो, जो मिडल क्लास आदमी है, जिसके पास बिजली है तो ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार जिस प्रकार से इस सरकार में कीर्तिमान हासिल कर चुका है उसके बारे में मैं....

श्री उपाध्यक्ष : बहुत बोल चुके हैं। संक्षिप्त कीजिये।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत :....आपके माध्यम से सदन को कहना चाहता हूं, आज इस प्रकार की हालत प्रशासन की बन चुकी है कि आज लगता ही नहीं कि कोई पुलिस है। पुलिस के नाम से कोई नहीं लगता कि पुलिस है भी। आज हम जिन इलाकों से आते हैं चाहे वह भरतपुर का इलाका हो, चाहे धौलपुर का इलाका हो चाहे सवाई माधोपुर का इलाका हो।

हम वहां पर घटना देखते हैं, ऐसा लगता है कि जिस इलाके से जीतकर आते हैं तो ऐसी स्थिति में वहां यह देखते हैं कि साधारण आदमी, गरीब आदमी सही मायने में अच्छी तरह से जी नहीं सकता। आज डकैती की समस्या बनी हुई है। वह जंगल में काम नहीं कर सकता। अगर भैंसों को चराने जाय तो मारा जाय।

आज गाय भैंसों को चराने जाय जंगल में तो वह मारा जाता है। भेड़ पालकों की बड़ी प्रोब्लम है, वह उससे मारा जाता है। इसी के साथ साथ डकैतों की परेशानी। आज साधारण जो सबसे गरीब तबके का आदमी है, वह सही मायने में बहुत परेशान

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

है। पुलिस के पास में जाने की उसकी क्षमता नहीं है, समझदार है नहीं, अगर कोई रिपोर्ट कराने जाय तो उसको पहले रिश्वत देनी पड़ती है।

हालत यह हो गई है उपाध्यक्ष महोदय, कल मैं धौलपुर से आ रहा था। एक जाटव को सात दिन तक थाने में बंद रखा और उसके बाद उसको जब छोड़ा गया, उसके बाद वह अस्पताल में जाकर मर गया और फिर पुलिस कहती है कि वह पिटाई से नहीं मरा। इसी प्रकार के कितने ही जाटवों के बारे में मैं सोचता हूं, कुम्हेर का कांड मैं सोचता हूं, राजस्थान के लिए इतना दर्दनाक कांड था, उसके बाद अगर आपने इस बात को गम्भीरता से नहीं लिया तो मैं....

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह किस्सा धौलपुर की कोठी वालों ने बताया होगा।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : किसी ने बताया, मैं तो भैरोंसिंह जी की कॉन्स्टिट्वेंसी को देखकर आया हूं और माननीय मुख्य मंत्रीजी की कॉन्स्टिट्वेन्सी में इतने अत्याचार हो रहे हैं, राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी की कॉन्स्टिट्वेन्सी में जितने जाटवों पर अत्याचार हो रहे हैं शायद और कहीं पर नहीं हो रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है तो ऐसी स्थिति के अन्दर आज मुख्य मंत्री जी की कॉन्स्टिट्वेन्सी की यह हालत है, उससे आप राजस्थान की हालत, अव्यवस्था देख सकते हैं....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, उनको तो कोई स्थाई कॉन्स्टिट्वेन्सी तो है नहीं इसलिए वह क्यों चिन्ता करें, और कहीं चले जायेंगे। क्या फर्क पड़ता है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र कर रहा था। मैं ऐसी घटना करौली की बताना चाहता हूं। करौली के अन्दर एक व्यक्ति को किसी डिमांड के अन्दर गिरफ्तार किया गया किसी केस के अन्दर, उसकी ज्यूडिशियरी में भेज दिया गया और जेल में भेज दिया गया, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक आदमी जिसको कि ज्यूडिशियरी में भेजा है और जेल के लोकअप में है और वहां पर उसका मर्डर हो जाय, जेल के अन्दर दूसरे कैदी ने दूसरे कैदी को मार दिया, इससे ज्यादा क्या + + + बात हो सकती है।

आज सबसे ज्यादा सुरक्षित कहीं नहीं, जंगल में आदमी सुरक्षित नहीं, सड़क पर आदमी सुरक्षित नहीं, और जेल में अगर कोई है तो वह सुरक्षित नहीं ऐसी हालत कहीं हो सकती है लेकिन मैं सोचता हूं कि भई, लोकअप में जाने के बाद पुलिस कस्टडी में तो शायद नहीं मारा जायेगा लेकिन पुलिस कस्टडी के बाद जेल के अन्दर कैदी मारा जाय और बाकायदा सुनियोजित तरीके से प्लाण्ड वे में उसका मर्डर कर दिया गया, ऐसी स्थिति आपके लॉ एण्ड आर्डर की राजस्थान की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जनार्दन सिंह गहलोत)

विनियोग विधेयक का मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर चन्द्रभान जी।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अफसोस की बात है आज किसानों और .. (व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : उधर से कोई बोलने वाले नहीं है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : हां बोलेंगे। इसके बाद में मदन जी सैनी बोलेंगे।

डा. चन्द्रभान :....खेती से जुड़े मसले पर जब चर्चा हो रही थी तो सत्ता पक्ष के लोगों ने आज जिस तरह का विघ्न डाला उपाध्यक्ष महोदय, उससे सरकार की नीयत पर शंका होती है। जहां तक सब्सिडी का सवाल है, मुझे यह जानकर चिन्ता हो रही है कि जब बिजली के मसले पर चर्चा हो रही थी तो सदन के नेता ने कहा कि यह सब्सिडी का कंसेप्ट है यह बहुत खतरनाक है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि सोवियत यूनियन के बिखराव में एक बड़ी वजह सब्सिडी थी।

उपाध्यक्ष महोदय, सब्सिडी एक तरह से उन लोगों को मदद है जिन लोगों की क्रय शक्ति अच्छी नहीं है और मैं कहना चाहूंगा कि यह "सरवाइवल आफ दी फिटेस्ट" डार्विन के सिद्धान्त की जो लोग वकालत कर रहे हैं, जरा देश को समझने का काम करें, इस देश में जो दबे कुचले, कमजोर वर्ग के लोग हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, उन्हें सहारे की आवश्यकता है और यही वजह है कि सब्सिडी का कंसेप्ट भी इसी के तहत है चाहे वह हुकूमत केन्द्र की हो चाहे वह हुकूमत राजस्थान की हो।

जैसा अभी नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी चर्चा में यह बात कही है कि चाहे थोड़े दिन के लिए राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार रही हो, उस हुकूमत ने गांव के लोगों के लिए, किसानों के लिए या उन लोगों की अर्थ व्यवस्था जो गांव के गरीब किसान हैं, उनको सुधारने के लिए प्रयास किया और अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आई.एम.एफ., वर्ल्ड बैंक या जो भी विदेशी एजेंसी हो, जो सस्ते ब्याज की दरों पर जो विकासशील देशों को धन देती है और कौनसी सरकार ऐसी है भारत में जिसने धन नहीं लिया।

यह बात सही है कि कोई भी हुकूमत रही हो उसने धन लिया लेकिन सवाल धन लेने का नहीं है, कर्जा लेने का नहीं है। सवाल यह है कि किन शर्तों के ऊपर लिया। आज किस तरह से आई एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक के द्वारा शर्तें इम्पोज की जा रही हैं, वह बहुत खतरनाक है और उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ रूप में कहना चाहता हूं, हिन्दुस्तान का पूंजीपति वर्ग, आज जब हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर को आई. एम. एफ. और वर्ल्ड बैंकों के द्वारा

(डा. चन्द्रभान)

पिटाई हो रही है तो वह खुश हो रहा है लेकिन जब विदेशी कम्पनियां हिन्दुस्तान में आएंगी और यह जो व्यापार करने वाले भारत का पूंजीपति वर्ग, उद्योगपति हैं, इनका माल उनके सामने नहीं बिकेगा तब ये लोग भी इसके विरोध में खड़े हो जायेंगे तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज चाहे वह कांग्रेस हो चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, यह जो हिन्दुस्तान के किसान और मजदूर वर्ग की पिटाई हो रही है, यह पिटाई अन्य तबके की भी होगी लेकिन चूंकि आज मुख्य रूप से सवाल खाद का था और पहले बिजली पर भी यहां चर्चा हो गई।

डीजल हो चाहे खाद हो चाहे बिजली, ये सब किसान से जुड़े हुए मसले हैं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहि कहना चाहता हूं कि किसान जिस खाद को लेना चाहता है वाजिब दरों पर, सस्ते दरों पर तो मैं नहीं कहता क्योंकि पहले भी जो दरें थी, किसान का उत्पादन और फसलों के मूल्यों को ध्यान में रखा जाय तो कम नहीं थी और उन दरों पर भी किसान खाद खरीदता है वह देश का उत्पादन बढ़ाना चाहता है और देश का उत्पादन तब तक नहीं बढ़ेगा तब तक खेती का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इससे देश खुशहाल नहीं हो सकता।

ये जो 84-85 करोड़ की जनता है, उसका पेट भरने के लिए उत्पादन बढ़ाना चाहता है और यदि खाद के ऊपर सब्सिडी को खत्म कर दिया जायेगा तो देश के उत्पादन में गिरावट आएगी, देश के अन्न भण्डारी जो भी है, वह भी कम होंगे और देश की आम जनता को इसका असर भुगतना पड़ेगा और हमारा जो एक्सपोर्ट है उस पर भी उसका सीधा असर पड़ेगा तो मैं यह कहना चाहता हूं, नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले सत्र में भी यह चर्चा हुई थी और हम लोगों ने सर्व सम्मति से संकल्प लिया था और केन्द्र सरकार से मांग की थी कि राजस्थान के किसानों की आर्थिक हालत खराब है, उन्हें सस्ते दामों पर खाद मिलनी चाहिये तो यह प्रस्ताव आज भी लिया जाना चाहिये और मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि ...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : उस समय कांग्रेस वालों ने संकल्प का बहिष्कार किया था।

डा. चन्द्रभान : लेकिन हम लोगों ने तो साथ दिया था। मैं कांग्रेस के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करूंगा कि वह राजस्थान के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस संकल्प या जो प्रस्ताव आज लिया जाय, जो केन्द्र सरकार को भेजा जाय उसका समर्थन करें लेकिन केवल केन्द्र से यह उम्मीद करते रहे। केन्द्र ने 1000 रुपये मीट्रिक टन के हिसाब से घटाया है लेकिन घटाया तो सही, राजस्थान की सरकार भी कुछ मदद तो करें... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आप इस बढ़े हुए का क्या समर्थन कर रहे हो? काश्त-

(श्री लक्ष्मी नारायण दवे)

कारों की हत्या हो गई और आप समर्थन कर रहे हो डॉक्टर साहब। ..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए किशनाराम जी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इनको अपनी बात कहने दीजिए। बार-बार व्यवधान मत कीजिए, यह कोई तरीका भी नहीं है।

डा. चन्द्रभान : मैं तो उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहता हूं कि जो खाद का डी. ए. पी का एक कट्टा 240 रुपए में बिकता था वह 240 में ही किसान को मिले, मेरे कहने का अर्थ तो यही है लेकिन उन्होंने 1000 मैट्रिक टन के हिसाब से घटाया और माननीय कृषि मंत्रीजी जब स्टेटमेंट दे रहे थे तो इनकी भावना भी उसमें परिलक्षित हो रही थी कि वे खुद तो इच्छा रखते हैं कि 500 रुपए का अनुदान राजस्थान सरकार दे लेकिन मुख्यमन्त्रीजी के आते ही वे अपने बयान से पलट गए और मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसे फैसले करती है, यह कहती है किसानों की चिन्ता सबको है।

किसानों की चिन्ता नहीं, पोपुलरटी के लिए और लॉयल्टी के लिए करते हैं। केरल में इनका सम्मेलन हो रहा था तो इन्होंने एक बार घोषणा कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य हैं वहां पर खाद पर सब्सिडी दी जायेगी और किसानों को सस्ती खाद दी जायेगी। बाद में उलट दिया। इसी तरह से अभी मंत्रीजी इस बात को उलट गए।

मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार से तो हम मांग करेंगे ही कि खाद सस्ती मिले लेकिन आप लोग तो सेल्स टैक्स और चुंगी का पैसा है उसको भी घटाने का काम करो। हरियाणा की सरकार कर रही है जो कांग्रेस की है। तो कम से कम उसको तो कम करने का काम करो। यह प्रस्ताव लिया जाय, कम से कम इतना तो किया जाय कि सेल्स-टैक्स व चुंगी जो 8 पर्सेन्ट है उसे आप लोग माफ करने को तैयार है। नहीं आपको क्या राइट है? किस आधार पर आप केन्द्र से मांग करते हो कि केन्द्र इसके लिए ज्यादा छूट दे।

तो उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव हो और उसमें राजस्थान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी व जनता दल (डी) की जो मिलीजुली सरकार है उसको यह बात कहनी चाहिए कि सेल्स टैक्स व चुंगी की जो दरें है वो खाद पर नहीं रखेंगे।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज विनियोग विधेयक पर चर्चा है। अनुदान मांगें भी यहां पर आई सरकार को ज्यादा धन की आवश्यकता है? सरकार को किस काम के लिए ज्यादा धन की आवश्यकता है? कम से कम इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। 6 महीने से आप देख रहे हैं अभी अकाल राहत कार्य शुरू हुए थे, केन्द्र से 48 करोड़ रुपया फिर मिला था लेकिन अभी अधूरे काम पड़े हैं उनको पूरा कराने के लिए कोई संकल्प है इन लोगों का कि जो अकाल के अधूरे काम हैं उनको सरकार पूरा करेगी।

(डा. चन्द्रभान)

शिक्षा और चिकित्सा की क्या चर्चा करें यहां पर कई बार चर्चा हो चुकी। सरकारी अस्पतालों में उपाध्यक्ष महोदय, मुफ्त और सस्ती चिकित्सा की बात तो छोड़िये महंगी चिकित्सा भी लोगों को उपलब्ध नहीं हो रही है। शिक्षा की स्थिति यह है, अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य यह बात कह रहे थे कि आप लोगों ने नौकरियों पर पाबन्दी लगा रखी है। हमारे दल के लोगो ने 25 तारीख को प्रदर्शन किया हमारी युवा शाखा और छात्र संघ ने और केवल नौकरियों पर ही पाबन्दी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय। एक तरफ सरकार यहां राजस्थान का औद्योगिक विकास करना चाहती है और दूसरी तरफ स्कूलों के अन्दर उद्योग अध्यापकों के जो पद हैं उनको तोड़ने का काम किया है, उनको अभी तक समायोजित नहीं किया जा रहा है। पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए रोजगार का कोई इन्तजाम नहीं है। स्वास्थ्य निरीक्षकों का मामला यहां पर आया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्यास कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसको सरकार रखना नहीं चाहती है, उसे लागू नहीं करना चाहती है।

चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, चाहे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, चाहे बिजली के उत्पादन में, चाहे खाद या अन्य दूसरी जीसों की जो किसानों के उत्पादनों को बढ़ाने के लिए जरूरी है उन सबके सम्बन्ध में यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है। भ्रष्टाचार को यह सरकार रोक नहीं सकती है, विकास के काम यह सरकार कर नहीं सकती तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि यह पैसा किस लिए सरकार हमसे लेना चाहती है। यह सदन के सामने और राज्यपाल महोदय से क्यों अलग से लेना चाहती है? आप नौकरी किसी को दे नहीं रहे हो, आप विकास के काम करते नहीं हो, बिजली आप ज्यादा पैदा कर नहीं सकते, शिक्षा और चिकित्सा आप लोगों को दिला नहीं सकते, सड़कें आप बना नहीं सकते तो आप किसलिए पैसा लेना चाहते हो?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं और सरकार से फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्रीजी यहां पर उपस्थित नहीं है मैं उनसे कहना चाहता हूं यदि आप अन्त्योदय के पक्षधर हैं, आप कमजोर तबकों के पक्षधर हैं, तो आपको कमजोर तबकों को सहारा देने की नीति का समर्थन करना चाहिए और किसान तबका आज बिखरा हुआ हो सकता है लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है, जिस तरह से खाद, बिजली और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं इनके खिलाफ किसान संगठित होगा और किसानों की शक्ति जब संगठित होगी तभी किसानों को राहत मिलेगी। इस सरकार मे मुझे कोई उम्मीद नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री चुन्नीलाल जी इन्दलिया।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन में आज विनियोग विधेयक पर विचार हो रहा है। मैं भी इस सम्बन्ध में मेरे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार के सामने बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं। चाहे खाद की हो, चाहे डीजल की हो चाहे और कोई मुद्दा हो सरकार पर गम्भीरता से इन चुनौतियों का मुकाबला करने की जिम्मेदारी है।

मैं आपकी मार्फत विद्युत मन्त्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के उन 6 जिलों को आज कृषि कुओं के लिए आप अपने आंकड़े लेकर हाउस में आए उसके लिए वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जबसे राजस्थान बना लम्बे अर्से से, करीब 40-45 साल तक चाहे सरकार किसी के हाथ में हो लेकिन पश्चिमी राजस्थान के बारे में चाहे खेती का विकास हो चाहे और कोई मुद्दा हो आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। परन्तु हमारे मौजूदा विद्युत मंत्रीजी ने अकाल के नाम पर पश्चिमी राजस्थान के 6 जिलों को 1000 कुओं का जो कनेक्शन लेकर हाउस में आये हैं वह वास्तव में आपने बहुत बड़ा काम किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं विद्युत मंत्री महोदय ने भूतपूर्व सैनिक और उनकी विधवा औरतों के लिए भी यदि किसी औरत ने या भूतपूर्व सैनिक ने अपने खेत में इस अकाल को समाप्त करने के लिए सिंचाई के लिए कुआ खोदा है तो यह भी आंकड़े लेकर आये हैं कि भूतपूर्व सैनिकों को खेती के लिए हम कनेक्शन देंगे।

इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, विकलांगों के लिए कई तरह की योजनायें है। परन्तु सही मायने में कृषि मंत्रीजी ने इस बार विकलांगों की मदद की है कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में जिन विकलांग लोगों ने अपने खेत में कुआ खोदा है उनको भी ये प्रायरटी के आधार पर कनेक्शन देंगे। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदया, बीकानेर जिले में 1800 कनेक्शन मिले हैं आपको पता होना चाहिए कल्लाजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, 500 कुएं तो मेरे ध्यान में हैं जो कनेक्शन का इन्तजार कर रहे हैं इनको पता ही नहीं है। अभी राज्यपाल महोदय बीकानेर आये थे तो इन्हीं के गांव के गिरधारीजी मोविया ने कहा था कि 500 कुएं खुदे हुए हैं उनके कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। खुद तो मांग रहे हैं और दूसरों को कनेक्शन दे रहे हैं।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल्लाजी इस बारे में क्या कह रहे हैं? आपको क्या मालूम है।

श्री उपाध्यक्ष : इनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है,

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

मंत्रीजी कह देंगे। 1800 कुओं के कनेक्शन दिए हैं तो मैं मान लूंगा। इनकी बात को क्या मानूं मैं ? मंत्रीजी कह दें... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। जब इनकी बात नहीं मान रहे हो तो विवाद क्यों कर रहे हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ये असत्य कह रहे हैं। मंत्रीजी कह देंगे तो मैं मान लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है आपने विरोध प्रकट कर दिया, अब विराजिए।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : मंत्रीजी कह देंगे। 1800 कुओं को कनेक्शन दिए ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कल्ला साहब आप बैठिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं तो बैठ जाऊं लेकिन ये बोल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय इस बात का कौन निराकरण करेगा....

श्री उपाध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि असत्य बात है तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हो ? आप कह चुके हैं, वो बात कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी कोई उत्तर नहीं देंगे आपको। मंत्रीजी क्यों उत्तर देंगे इस समय ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : इस हाउस में असत्य और मिथ्या कथन नहीं किये जाने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, आप सारा अनुभव होते हुए क्या कर रहे हो ? माननीय चुन्नीलाल जी।

श्री गुलाबसिंह राजपुरोहित : ये जो भी बात कह रहे हैं वह असत्य कह रहे हैं।

श्री रामसिंह विश्नोई : ये नोखा से आते हैं और ये बीकानेर से आते हैं। यह बीकानेर जिले का मामला है। कहीं अकेले को नहीं दे दिए 1800, इसलिए पूछ रहे हैं कि वाकई में कितने दिए हैं और विद्युत मंत्रीजी ने आपस में बांट लिया है कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब ऊर्जा मंत्रीजी तो आज कोई स्टेटमेंट लेकर आये नहीं है। माननीय चुन्नीलाल जी... (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब बीकानेर के हैं, बुद्धिजीवी हैं और पढ़े-लिखे आदमी हैं और बहुत जिम्मेदार हैं,—मैं इनकी कद्र करता हूं लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

जानकारी इस मामले में कम है, मैं जो कुछ हाउस में बोल रहा हूं, वह जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ...

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, 1800 कुएं ही नहीं है बीकानेर जिले में....

श्री बुलाकी दास कल्ला : 1800 कुओं को कनेक्शन देने का प्रश्न ही नहीं है। मंत्रीजी बता दें कि एक हजार कुओं का कनेक्शन आपने दिया है क्या, आप बतायें, क्या बात करते हो, हवा में लट्ठ मार रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजिए। यह पिछले साल भर से कह रहे हैं, कुएं ज्यादा खुदे हैं, कनेक्शन हुए होंगे। हां, इंदलिया जी, बोलिए आप।

श्री चुन्नी लाल इन्दलिया : रामसिंहजी, मेरी बात सुनो। कल्लाजी, आपको शांति रखनी चाहिए, बहुत जिम्मेदार पार्टी के आप माननीय सदस्य हो, आपको गम्भीरता से बात सुननी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जो विद्युत कनेक्शन पश्चिमी राजस्थान के छह जिलों को दिये हैं वह लैटर मेरे पास है, चोरी अगर संस्कारों की आप लोगों के साथ हमारी है तो निश्चित रूप से हम करेंगे। आपका भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + से हाउस को....

श्री हेतराम बेनीवाल : + + + है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : + + + लोग + + + सोचेंगे। तो इसलिए आप मेहरबानी कीजिए, सुनिये। बीकानेर जिले में जितने कुए खुदे हुए हैं 31-3-92 से, जिन कुओं में पानी आ चुका है उन सबको बीकानेर जिले में कल्लाजी, कनेक्शन मिलेगा। यह आदेश आज हो चुका है, आदेश की प्रतिलिपि मेरे हाथ में है, आप लोगों में जनरल नालेज की बात तो है नहीं और आप चाहे कितनी ही चेष्टा करोगे, यह लैटर आपको नहीं दूंगा....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर....

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रोटेस्ट है आपका सुमित्रासिंहजी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऑन ए पाइंट ऑफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक उसी तरह की कार्यवाही है जैसे कि सदन के नेता कोई भी कागज दिखा कर कह देते हैं कि यह मेरे पास है, यह आदेश नहीं हैं, यह कोई और ही कागज है, यह आदेश नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो चुन्नीलाल जी कह रहे हैं...

श्री ओमप्रकाश गुप्ता : कल्ला साहब, जबानी जमा खर्च नहीं है, आदेश है उनके पास।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्रीमती सुमित्रासिंह : नहीं-नहीं, यह आदेश नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : इसमें पाइंट ऑफ आर्डर का क्या बात है, सच्चाई, सच्चाई है....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, यह लोग चाहते क्या हैं... (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : कहने का अधिकार है उनका अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह इस्तीफा देंगे, इससे कम हुआ है तो ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं किसी तरह की बात किसी से पूछ ही नहीं सकता, आप बिराजिए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते, +++ कर रहे हैं तो.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह कह रहे हैं, अपनी तरफ से सही कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मेरी जानकारी में है, 600 कुंए खुदे हुए पड़े हैं किसानों के, बीकानेर जिले में, उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्लाजी, यह सवाल डिस्प्यूटेड नहीं है, इसको विवाद क्यों बना रहे हैं, वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : गलत बात नहीं करने दूंगा मैं, गलत बात नहीं होने देंगे हम....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर मेरी बात को दोहरा रहा हूं ....

श्रीमती तारा भण्डारी : और कितने कुएं चाहते है....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह जो आदेश पढ़ रहे हैं उसकी कापी यहां सदन की मेज पर रख दें, हम देखना चाहते हैं....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : हां, मेज पर रखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह भी कम्पेल नहीं कर सकता उन्हें, माननीय सदस्य चाहेंगे तो रख देंगे।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : कल्ला साहब, आप फील्ड के आदमी नहीं हैं....

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जिस कागज को कोट करते हैं, रखना पड़ता है...

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि रखा जावे ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : कल्ला साहब, सुनिये, ग्राप मेरे लीडर हैं, मैं ग्रापकी कद्र करता हूं लेकिन ग्राप फील्ड के ग्रादमी नहीं है । ग्राप कालेज के लेक्चरर हो सकते हैं, हम फील्ड में रहते हैं, हमको ज्ञान है इस मामले का । सुमित्राजी, ग्रांख क्यों दिखा रही हैं, लैटर मेरे हाथ में है....

श्री उपाध्यक्ष : ग्रब ग्रापका सम्मान भी कर रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ग्राप चाहते हैं कि यह लैटर ग्रापको दे दूं, झुंझुनूं भी इसमें शामिल है, ग्राप चाहते हैं कि झुंझुनू के लोगों को ग्राप चिट्ठी लिखो कि मैंने यह काम करा दिया है, झुंझुनूं है उपाध्यक्ष महोदय, छठे नम्बर पर, जोधपुर है, बीकानेर है, चूरू है, जैसलमेर है, बाड़मेर है । ग्रगर यह बात....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सदन में घोषणा हो चुकी है इस बात की ...

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : फिर ग्राप एतराज क्यों कर रही हैं इस बात का....

श्रीमती तारा भण्डारी : यह झुंझुनू की तरक्की नहीं चाहती ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : तो इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बिजली के बारे में कहा....(व्यवधान)

श्री रतनाराम चौधरी : पश्चिमी राजस्थान में सिरोही जालौर नहीं है क्या ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : नहीं है....

श्री रतनाराम चौधरी : नहीं तो उनको शामिल नहीं किया ग्रापने ...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इस कागज के ग्रन्दर नहीं है....

श्री रतनाराम चौधरी : सिरोही, जालौर को ग्रापने पश्चिमी राजस्थान से कैसे ग्रलग कर दिया । ग्राप पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हो तो सिरोही, जालौर के साथ ग्रापने भेद क्यों रखा ?

श्रीमती तारा भण्डारी : पिछले साल 350 कनेक्शन हुए सिरोही में, ग्राप क्या जानो सिरोही की बात, 350 कनेक्शन दिये हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ताराजी, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि व्यवधान पैदा न करें । ग्राप बिराजिए चौधरी साहब । इंदलिया साहब, ग्रपनी बात कहिये ।

श्रीमती तारा भण्डारी : सिरोही की बात यह क्या जाने, पिछले साल 350 कनेक्शन जो रिकार्डेड कनेक्शन हैं, वह दिये हैं इस सरकार ने ..

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई विषय नहीं है इस समय, वह ग्रपनी बात कह रहे हैं ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कनेक्शन की बात समाप्त करता हूं । पश्चिमी राजस्थान के इस कागज में

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

छह जिले हैं। दूसरा कोई जिला नहीं है....

श्री रामसिंह विश्नोई : उपाध्यक्ष, महोदय, पहले तो यह क्लियर करा लें कि वाकई में ही बीकानेर जिले में 1800 कनेक्शन हुए हैं तो यह अच्छी बात नहीं है, एक जिले में इतने कनेक्शन कैसे दे दिये, यह प्रश्न पैदा होता है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं अकेले बीकानेर जिले की नहीं कह रहा हूं, छह जिले हैं इसमें।

श्री रामसिंह विश्नोई : हां, यह बात है।

श्री उपाध्यक्ष : अब ठीक कर दिया न इन्होंने। ही हेज करेक्टेड हिज वर्सन। बिराजिए अब। अब कोई एतराज नहीं है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, तो बस ठीक है। मैं यही तो करेक्ट कराना चाहता था। अब पता लग गया न कि फील्ड का आदमी कौन है, यह है या मैं हूं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को कृपा करके मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति से, साधारण सदस्य से आप द्वेष करोगे तो आपके लायक बात नहीं है इसलिए आपको गम्भीरता से मेरी बात को सुनना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : आपके डोमेस्टिक कनेक्शन तो नहीं है कहीं ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह तो ठीक नब्बे दिन बाद आपका दौरा कराऊंगा और खेत में फव्वारे चलेंगे परसरामजी मदेरणा साहब, हम भी आपके वर्कर हैं, हम आपकी रीढ़ की हड्डी हैं, आपकी बात पर हम विश्वास करते हैं अगर चुन्नीलाल इंदलिया असत्य बोलता है....।

श्री परसराम मदेरणा : फील्ड, फिल्ड करके आप इस हाउस के अन्दर रूतबा मत जमाइये। यह फुटबाल का फील्ड नहीं है, मैं भी खेत का रहने वाला हूं, खेत की बात करो। फील्ड की बात मत करो। फील्ड तो क्रिकेट का भी है, फुटबाल का भी है, बालीबाल का भी फिल्ड है। कौन से फील्ड की बात कर रहे हो....

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : माननीय मदेरणा साहब, यह विषय आपके लायक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपसे वाद-विवाद करने के लिए तैयार भी तो नहीं हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : हम भी आपके राजनीतिक कार्यकर्त्ता हैं, अगर हम हाउस में असत्य बोलेंगे तो परसरामजी मदेरणा साहब, आपके लिए भी अच्छा नहीं है।

श्री रामसिंह विश्नोई : माननीय सदस्य, कोई सीमा होती है। किसी मंत्री

(श्री रामसिंह विश्नोई)

की, किसी पार्टी की +++ करने की सीमा होती है, आपको अपनी सीमा में रहना चाहिए ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : न तो +++ करने की आदत है मेरी ...

श्रीमती [illegible] भण्डारी : आप इतनी बात सुन भी नहीं सकते ...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : रामसिंहजी साहब, जिन लोगों ने प्रयास किया है, आपने प्रयास नहीं किया है .

श्री रामसिंह विश्नोई : जब आपको मालूम ही नहीं है, कैसे कह दिया आपने ...

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : क्या कह दिया ?

श्री रामसिंह विश्नोई : 1800 कनेक्शन बीकानेर में हुए ही नहीं हैं, आपने कैसे कह दिया (व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : देखिए, ऐसे नहीं चलेगा । मैंने सही कहा है यह, लैटर मेरे हाथ में है... (व्यवधान)

श्री किशनाराम नाई : ...आसन को संबोधित करके कहना चाहिए ..

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मैं हाउस की टेबल पर रखूंगा....(व्यवधान)....या तो मैं रिजाइन करूंगा या आपको करना पड़ेगा, हाउस की टेबल पर रख देता हूं, क्या बात करते हैं आप....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामसिंहजी... (व्यवधान) आर्डर प्लीज, चुन्नीलालजी, आप अपनी बात पूरी कीजिए । अब बिराजिए । थोड़ा सहयोग कीजिए ....(व्यवधान) बिराजिए आप ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए, आपको पैरवी नहीं करनी चाहिए मेरी, मैं अपने आप मलट लूंगा और मैं आपकी पैरवी पर कोई जिंदा भी नहीं रहना चाहता । उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा मुद्दा ले रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूरी कीजिए अपनी बात को ।

श्री सम्पत सिंह : माननीय सदस्य, आप चाहे कितना ही मना करो, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य चुनाव तक में मदद करेंगे ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मुद्दा है जीवन धारा और 28 बीघा से नीचे काश्तकार, जो छोटी श्रेणी के काश्तकार हैं उन लोगों के लीए, जिन लोगों के कुए बनाने के लिए इस सरकार ने जो मदद की है....

श्री रतनाराम चौधरी : जीवन धारा तो शिड्यूल कास्ट के लिए है ...

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : जीवन धारा शिड्यूल कास्ट के लिए है ...

श्री रतनाराम चौधरी : हां, शिड्यूल कास्ट के लिए ही है जीवन धारा, बाकी छोटे काश्तकार जो हैं, सवर्ण है, उनके लिए नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आप सुनिये। 28 बीघा से नीचे का काश्तकार चाहे किसी बिरादरी का हो, खेत में कुआ बनाने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान में अकाल पीड़ित गांवों में बहुत से कुए खुदे और मैं जिस बात को कह रहा था, इस भयंकर अकाल को समाप्त करने के लिए जो गांव में एक नया युग चल रहा है, कल्ला साहब, आपको पता नहीं है, आपको गांव में ले जाऊंगा ....

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप बार-बार नाम क्यों ले रहे हैं ख्वामख्वाह...

श्री उपाध्यक्ष : उनको क्यों संबोधित करते हैं आप।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : आपके खेत में भी कुआ है, आपके खेत में भी फव्वारे चल रहे हैं लेकिन इस बात को आप भूल गये हो (व्यवधान) खेत है, काश्तकार है, ऐसी बात नहीं है...

श्रीमती सुमित्रासिंह : अभी तो कह रहे थे कि फील्ड के आदमी नहीं है और अब कह रहे हैं कि खेत है ..

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : फील्ड में घरवाली काम कर रही है, यह थोड़े ही कर रहे हैं, क्या बात कर रही हैं आप सुमित्राजी। तो जीवन धारा के जरिये से और छोटे काश्तकारों को खेत में कुआ बनाने के लिए जो मुख्यमंत्रीजी, आपने एक योजना प्रस्तुत की है राजस्थान में, इस योजना के तहत पूरे अकाल को समाप्त करने की तो मैं गारंटी नहीं लेता लेकिन जिस किसान के खेत में कुआ बन चुका है और बिजली का कनेक्शन मिल चुका है उस घर से अकाल हमेशा के लिए चला गया। मुझे इस बात की खुशी है, चाहे आप कितना ही विरोध करो और चाहे आप कितनी ही आंख दिखाओ, मैं मेरी बात निश्चित रूप से कहूंगा। एक ही व्यक्ति की थोड़ी-बहुत आंख में मुझे+++ है वह बैठे हैं तब तक मैं अपनी बात भी पूरी सही नहीं रख सकूंगा, फिर भी.... (व्यवधान) नहीं, मुख्यमंत्रीजी से मैं नहीं डरता, उधर बैठे हैं एक,...

श्री उपाध्यक्ष : मदेरणाजी।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : उनकी मैं कद्र करता हूं लेकिन अब की बार मदेरणा साहब, मैं आपको इन्वाइट करता हूं नोखा तहसील, हम आपके पड़ोसी हैं ....

(8.00 रात्री)

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

....आपको उन गांवों में जाना चाहिए जहां जाटनियां बलून्डा मारकर कुआ खोद रही हैं और खेतों मे फुव्वारे चल रहे हैं और जेठ में मई और जून में सफेद टींडसियां और गायें काकड़ी खा रही हैं, उन किसानों को आपको दिखाऊंगा। आपको इस बात की खुशी होगी मदेरणा जी कि जितना भक्त मैं आपका हूं ईमानदारी से मैं किसी और का नहीं हूं। परन्तु आप आंख दिखाते हैं सही बात कहते हैं। तो एक बात सही है कि गुरु भी किसी चेले को आंख दिखाये तो असली चेला वही जो गुरू की आंख से न डरे।

उपाध्यक्ष महोदय, जीवनधारा छोटे काश्तकारों के लिए निश्चित रूप से यह बात कहने के लायक है कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद खास तौर मे राजस्थान में किसी की भी सरकार हो चाहे भैरोंसिंह की पहले वाली सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो धरती के नीचे के पानी को तोडकर जमीन के ऊपर लाकर हरियाली पैदा करने का काम किया है तो मदेरणा साहब मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि इस सरकार ने किया है और करना चाहिए अपने को यह काम। इनसे पहले करना चाहिए। मैं तो मारवाड़ी आदमी हूं। मैं आपकी बात को नीचा नहीं देखना चाहता हूं। आप इनसे आगे रहें काम करने मे।

अगर नजदीक हैं तो हम आपके काश्तकारों के जो लीडर्स हैं मुखिया और भैरोंसिंह जी कोई बी.जे पी. के ही नहीं हैं बल्कि भैरोंसिंह जी राजस्थान के काश्तकारों की और राजस्थान के गांव की एक सम्पति हैं जो पचायत एक्ट को यहां लाये हैं। अगर ईमानदारी से पंचायत संशोधन वार्डों का और रिजर्वेशन अनुसूचित जाति और जनजाति को तहेदिल से आप प्रतिनिधित्व देंगे तो मदेरणा साहब 40 साल तक इस दौड़ को नहीं पहुंच सकेंगे और कोई नीति ही बदल जायेगी क्योंकि नीति ही जल्दी जल्दी बदल जाती है आप भी थोड़ा थोड़ा डराये रखो और मैं भी दिग्विजयसिंह जी से कहता हूं कि आप इतने ढीले मत रहो।

राज्य की जिम्मेदारी अगर किसी की सबसे ज्यादा है मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत भी से ज्यादा है, तो दिग्विजयसिंह जी आपकी है। जितना हमको प्रतिनिधित्व मिला है, भारी प्रतिनिधित्व मिला है और फिर चेहरे में उदासी। उदासी को दूर करो और थोड़ थोड़ गुर्राते रहो। अगर राजस्थान को सही चलाना है तो समय कोई ज्यादा नहीं है। दो साल पूरे करने हैं। कर जाओ काम। नम्बर आपका ही रहेगा कि दिग्विजयसिंह जी साथ नहीं होते तो मैं कहता हूं कि बी. जे. पी. सरकार नहीं चलाती।

मा. भैरोंसिंह जी और बी. जे. पी. के सदस्य सुन लो भैरोंसिंह जी राजस्थान की सम्पति हैं। आप नाराज हों तो आप अपनी शक्ति को पहचान लो इसलिए दिग्विजय सिंह जी आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो पंचायतों में रिजर्वेशन महिलाओं और हरिजनों के लिए है वह पूरा कर जाओ बस बेड़ा पार है। सारे के सारे झड़ जायेंगे।

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

मदेरणा साहब जिस तरह राजस्थान में जागीरी समाप्त हुई, जिस तरह से राजस्थान में माननीय भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को मैं याद दिला रहा हूं कि राजस्थान की जागीरी उस जमाने में समाप्त हुई उसी तरह से 45 साल की जो नयी जागीरी है उस एक्ट के तहत सारे समाप्त हो जायेंगे और दबे हुए इन्सान, गरीबी की रेखा से नीचे और चालीस साल तक पंचायत भवन में झाडू देते रहे वहां ग्राम पंचायत का सरपंच बनकर गांव में पंचायत राज चलायेगा लेकिन मुख्य मंत्री जी मैं डरता हूं कि आपकी मंशा क्या है।

अगर आप ईमानदारी से उस गरीब का प्रतिनिधित्व और रिजर्वेशन कर देंगे तो निश्चित रूप से नये जागीर जो चालीस साल में बने वह सारे समाप्त हो जायेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अपने कथन को माननीय सदस्य पांच मिनट तक सीमित रखें। श्री जगमालसिंह यादव

श्री जगमालसिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी अभी अलवर जिले से आया हूं सदन में कुछ घंटे पहले। माननीय नदबई से आने वाले माननीय सदस्य ने जो व्यथा रखी थी मैं उनकी बात से शत प्रतिशत सहमत हूं कि इस समय अलवर और भरतपुर में विशेषकर सरसों की बिजाई चालू हो गयी। सवाल इस बात का नहीं रहा कि खाद के भाव बढ़े या नहीं किसान के लिए पहला प्रश्न हो गया कि खाद की उपलब्धि होगी या नहीं होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे सदन को देखकर एक अजीब तमाशा सा नजर आया कि अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने बी. ए. सी. में केरोसिन, डीजल, रसोई गैस और खाद और बिजली की बातों पर बहस कराई और उसकी कीमतें बढ़ीं। मैं एक ही बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि सदन में जिस तरह की बहस चल रही है भेड़ पर कोई ऊन नहीं छोड़ता है। भेड़ शुक्रगुजार है उसकी जो उसकी चमड़ी को ऊन के साथ नहीं काटता है। अभी कांग्रेस के माननीय सदस्य विशेषकर जो सीनियर सदस्य बैठे हैं मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं कि इस हाउस में आप आज क्या सिद्ध करना चाहते हैं खाद के भाव बढ़ाकर और सत्ता पक्ष की तरफ बैठने वाले बिजली के दाम बढ़ाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं।

यहां बहस एक ही हो रही है कि माननीय विपक्ष की तरफ बैठने वाले सदस्य कांग्रेस के सदस्य जोर जोर से बोलकर अपने तर्कों के आधार पर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि इस राजस्थान का जो भी सत्यानाश किया उन किसानों पर जो भी मार पड़ी उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल दिग्विजयसिंह की सरकार है। इधर बिजली के दाम बढ़ने पर, उधर खाद के दाम बढ़ाने पर यह सिद्ध करके जोर जोर से बी.जे.पी. के लोग कि कांग्रेस ने किसानों को मार दिया। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा हूं कि

(श्री जगमालसिंह यादव)

भेड़ पर ऊन न इन्होंने छोड़ी और न उन्होंने छोड़ी है। फर्क इतना है कि उसकी चमड़ी को कैंची से किस ने कम काटा और किस ने ज्यादा काटा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सदस्य ग्रभी यहां बहस कर रहे थे कि खाद का कट्टा जो पहले 200 रुपये में मिलता था ग्राज मार्केट में 450 रुपये में नहीं मिल रहा है। 200 रुपये ग्रौर 175 रुपये भारत की सरकार ने रेट बढ़ाये। फिर बड़ी बहादुरी करके वाहवाही लूटी, कल ग्राकाशवाणी पर जो हमने सुना कि 50 रुपये कट्टे के हिसाब से रेट कम कर दी ग्रौर ग्रब बी.जे.पी. की सरकार से कह रहे हैं कि हमने 50 रुपये कट्टे कम कर दिये हैं ग्रब ग्राप सेल्स टैक्स कम कर दो।

मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बिलकुल इस तरह की बहस हो गयी कि कोई बच्चा टाफी मांगने खड़ा हो तो उसको टाफी नहीं देकर किसी ऊंची दीवार पर बैठा दो तो वह टाफी मांगना तो भूल जायेगा ग्रौर वह केवल यही कहेगा कि मुझे नीचे उतारो, मैं गिरूंगा। तो यह तो यह बात सिद्ध करना चाहते हैं कांग्रेस के लोग ग्रौर दूसरी बात ग्राप कहते हैं कि सेल्स टैक्स कम कर दो, सैल्स टैक्स माफ कर दिया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या ग्राप इस बात से सहमत हैं कि राज्य सरकार के संसाधन ग्रौर भारत सरकार के संसाधनों में कोई मुकाबला है? राजस्थान सरकार या किसी भी सूबाई सरकार का कोई साधनों का सबसे बड़ा जरिया है ग्रौर उनके संसाधन बढ़ाने का सबसे बड़ा कोई जरिया है तो वह सैल्स टैक्स है। इतनी मर्दानगी ग्राप ही क्यों नहीं करते किसानों के इतने बड़े हमदर्द हैं ग्राप लोग तो ग्रापने 50 रुपये बैग पर कम कर दिये तो ग्राप ग्रौर 50 रुपये बैग पर कम कर दो। यही नहीं है उधर जो कांग्रेस पक्ष में किसान लाबी के लोग बैठे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय केवल राजस्थान में ही यह कशमकस नहीं है।

हम लोगों के ही दिमागों में यह कशमकश नहीं है यह कशमकश भारत सरकार में जो भी किसान प्रतिनिधि बैठे हैं इस भारत सरकार को बाकायदा ग्रपने एतराज के नोट दिये हैं कि ग्रगर किसानों की जो सब्सिडी का मामला है, खाद की सब्सिडी का मामला है यह हटा दिया गया तो निश्चित तरीके से कांग्रेस की लोकप्रियता के ऊपर एक ग्रसर पड़ेगा।

तो मैं चाहूंगा कि ग्राप लोग किसान हैं कम से कम किसानों के प्रति वफादार रहकर, पार्टी की तरफ भी वफादार रहें। दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक बहुत बड़ा नजारा देखा। इस बार क्या होता है कि हर साल सत्ता पक्ष ग्रौर विपक्षी दल के विधायक दल की बैठक होती है। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से इस बार मुख्य मंत्री जी हम सबको बुलाकर बैठा कर समझा नहीं सके, पढ़ा नहीं सके, ट्यूटर हैं हमारे यह .. कांग्रेस चोट कर रही थी। किसको, किसके खिलाफ,

(श्री जगमालसिंह यादव)

कांग्रेस के माननीय सदस्य चोट कर रहे थे ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ और हमारे माननीय सदस्य हां-हां कर रहे थे जैसे हमने ही ठेका ले लिया हो कि इसको बचाने का काम हमारा है। इस मार्केट में ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी ही है इसलिए सदन का एक ही दिन रह गया है, माननीय मुख्यमंत्रीजी, बोलेंगे तो हम रोला तो मचायेंगे आपके इशारे पर ही।

इस सदन में उत्तेजना का वातावरण भी हम आपके इशारे पर बनायेंगे लेकिन इतना कृपया आप इशारा बता दिया करें, या पहले दिन मीटिंग हो तो आप अपने सचेतक को सचेत कर दें कि वह हम को समझा दें कि कब कांग्रेस के लोग बोलें तो हमको दंगा करना है और कब चुप रहना है। आज तो इन्होंने ऐसा सिद्ध करके दिखाया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात मैं रख रहा हूं, आज तो ऐसा सिद्ध करके दिखाया जैसे माननीय मुख्य मंत्रीजी भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ही इस राजस्थान में किसानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं और यह आज आपने दंगा करके बताया है कि जब ब्लैक मार्केट पर चोट हो रही हो तो हम को सहमति दिखानी चाहिए और खड़े होकर कहना चाहिए कि आप जो यह कह रहे हो बाकायदा सरकार को यह करना चाहिए।

मैं दावे से कह सकता हूं मुख्यमन्त्री में यह है। मैं दुबारा मन्त्री बनने के लिए आपकी + + + नहीं कर रहा हूं, आप में बाकायदा किसान है। अगर इस भारतीय जनता पार्टी में मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप हैं तो यह बी. जे. पी. है। आज दिन तक तो हालात यह है कल को चाहे भैरोंसिंहजी से भी बड़ा कोई नेता हो जाय। आज दिन तक तो भैरोंसिंहजी को पर्यायवाची रूप में माना जाता है कि यह भारतीय जनता पार्टी में है, आगे आपकी काटट भी है, दूसरी पार्टी भी है लेकिन एक मौका मिला ...

श्री सम्पतसिंह : कल मुख्यमंत्रीजी नहीं थे, सदन बहुत अच्छी सुचारु रूप से चला था और नया नेतृत्व उभर कर आ चुका है। उस सवाल का जबाब मिल चुका है कि भैरोंसिंहजी शेखावत के बाद कौन ? कल भंवरलालजी शर्मा, दिग्विजयसिंहजी, ललितकिशोरजी चतुर्वेदी, बहुत अच्छा सदन चलाया....(व्यवधान)....

श्री जगमालसिंह यादव : तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना जा रहा था कि हाउस में जब किसानों से सम्बन्धित और गरीबों से सम्बन्धित किसी भी मसले पर गम्भीरता से जब बहस हो रही हो या कोई विचार माननीय सदस्य, इस पक्ष के या उस पक्ष के रख रहे हों तो उसको गम्भीरता से ही लेना चाहिए। अभी जैसा

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री जगमालसिंह यादव)

माननीय नगर से माने वाले सदस्य ने कहा कि जैसे पिछली बार एक संकल्प हमने रखा कि हमारे संसाधन तो सीमित हैं, हमने अगर सेल्स टैक्स पर पूरी छूट दे दी तो इस राजस्थान का विकास रुकेगा और दूसरे विकास के कार्य रुक जायेंगे।

इसलिए मेरा यह प्रस्ताव है, मैं भी अपनी राय जाहिर करता हूं नगर से आने वाले माननीय सदस्य की राय से राय मिलाते हुए कि यह सदन एक संकल्प ले और भारत सरकार को मजबूती से इस मामले में निवेदन करे कि चाहे वह इस खाद की छूट के और सब्सिडी के इस मुद्दे पर, मद पर हमको कोई मदद नहीं दे, किसी दूसरे मद पर हम को मदद दे।

दूसरे, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी बाजार से आया। बाजरे की कटाई चालू हो गई, बाजरा निकल कर आ गया। आज कैसी विडम्बना है, किसान के साथ कोई उसके दुख-दर्द को नहीं देख रहा है। बाजार भाव बाजरे का 200 रुपये प्रति क्विंटल है। इसका मतलब होता है कि 500 किलो बाजरा बराबर 50 किलो खाद, मतलब खाद के मामले में तो यह कहा जाता है, खाद कूड़ा-करकट है। खाने की चीज 500 रुपये, 500 किलो बराबर 50 किलो, तो, उपाध्यक्ष महोदय, किसान की हालत यह क्या होती जा रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी यहां भाषण दिये जा रहे थे कि रशिया टूट गया, सब्सिडी छोड़ने से। मैं इस राय का नहीं हूं रशिया टूटने का जो सबसे बड़ा कारण था, जो प्रेस में मैंने पढ़ा है, जिस तरह की ओपीनियन्स आ रही हैं, हालत यह हो गयी कि रशिया ने अपनी खेती को डनलप नहीं किया। रशिया चांद पर भी कम्पीट कर गया, रशिया दूसरे ग्रहों पर अमेरिका के मुकाबले में कम्पीट कर गया लेकिन इस दुनिया में जो सबसे बड़ा दूसरा क्षेत्रफल वाला देश था उसने खेती पर अपना ध्यान नहीं दिया और टैक्निकल तरीके से आगे बढ़ता गया और कम्पीट करता गया।

हालात यह हो गये, उपाध्यक्ष महोदय, जब माननीय गोर्बाच्योव साहब के यह खिलाफ क्रांति और यह सुधारवादी कदम उठाये जा रहे थे और रशिया का प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए बाध्य हो गया कि समाजवादी व्यवस्था से पीछा छूटे तो एक ब्रैड के पैकिट के लिए 3-3 किलोमीटर की जहां लाईन लगती थी, उसका कारण था उस देश को खेती में प्रोत्साहन नहीं देना, तो आज भारत में भी यही हालत बनते जा रहे हैं।

मोनेटरी फण्ड इस शर्त के साथ हम को मदद देने को तैयार है कि आप खाद में से सब्सिडी घटाइये, मोनेटरी फण्ड हमको इस बात के लिए फण्ड देने को तैयार है कि डीजल पर दाम बढाइये, मोनेटरी फण्ड यह दूसरे सब हम पर लगा ले, मेरे कहने का अर्थ है कि इस देश की खेती में जो भी चीज काम में आती है, उन सब पर सब्सिडी काटी जाय। वह सब चीज महंगी की जाय। इस शर्त पर आज

(श्री जगमालसिंह यादव)

हम को वर्ल्ड बैंक और मोनेटरी फण्ड ऋण देने को तैयार है, तो यह हालत रशिया जैसी आज नहीं तो कल इस देश में भी आने वाली है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय है कि जिस तरह से खाद के मामले में कांग्रेसियों से विशेषकर मेरी अपील है कि आप तो कम से कम यहां क्या सिद्ध करना चाहते हैं इस हाऊस में जोर-शोर से बोल-कर ? आप इस राजस्थान की जनता को इतना जताना चाहते हो कि यह खाद की कीमत भैरोंसिंह की सरकार ने बढ़ाई है, यह खाद की कीमत राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढाई है, इसलिए कांग्रेस के माननीय वरिष्ठ सदस्यों से मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जनता इस बात को बखूबी जानती है कि खाद की कीमत बढ़ाने का काम दिल्ली सरकार का है।

इसलिए खाद महंगा करने के पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते हो। इस डीजल, जो सीधा मार किसान पर कर रहा है, इसकी रेट बढ़ाने के पाप से आप मुक्त नहीं हो सकते और उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि बिजली के जो दाम बढ़ाये हैं इससे किसान जरूर याद रखेगा और चाहे वह पाप आप कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, अब इस मंच की मार्फत, इसका उपयोग कर के हम यह सिद्ध कर दें, प्रेस की मार्फत कि हमने बिजली के दाम नहीं कांग्रेस की भारत सरकार ने बढ़ाया है या आप यह सिद्ध कर दें कि खाद के दाम बी.जे.पी. की सरकार ने बढाये हैं, हमने नहीं बढ़ाया, तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस सदन में न तो सेल्स टैक्स में छूट दी जा सकती, वरना हमारे पास कोई संसाधन नहीं है इसलिए यह संकल्प हम लें। अभी आप कह रहे थे कि, साहब, कुएं खोदने में तो अकाल बढ़ जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद नहीं जानते हैं, भारत सरकार के यहां एक बिल का मसौदा तैयार होकर विचाराधीन है जिसमें यह बिल लाया जा रहा है भारत सरकार द्वारा कि पानी खोदने का काम, पानी जमीन से दोहने का काम चाहे वह खेती के काम आ रहा हो, चाहे वह दूसरे के काम आ रहा हो, उसके लिए भारत सरकार के अधिकारियों से, दूसरे लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो ही किसान ट्यूबवैल बना सकेगा वरना नहीं बना सकेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आने वाली सृष्टि कब तक चलेगी, कब तक नहीं लेकिन दिल्ली में बैठे उन पैण्ट बाबुओं से मैं यह ही बात कहना चाहता हूं, जो इस बजट को बनाते हैं जो इस देश की नब्ज को नहीं जानते वह इस बिल को बनाकर क्या लेना चाहते हैं? कांग्रेस सरकार कि कोई किसान किसी दिन ट्यूबवैल खोद उस पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। अगर किसानों को गेहूं की फसल पैदा करनी है, वह ट्यूबवैल बिना सरकार के बनाये अगर खोद

(श्री जगमालसिंह यादव)

लिया तो उसको सजा भी होगी और उसको दण्ड भी दिया जायेगा और बात करते हैं किसानों के समर्थन की।

माननीय भोपालगढ़ से आने वाले सदस्य अभी कह रहे थे, किसान है; किसान का दर्द आप जानते हैं लेकिन माननीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों से मेरा निवेदन है कि आप दिल्ली सरकार पर भी इस बात का प्रभाव डालो कि खाद आपने बढ़ा दिया, डीजल का भाव आपने बढ़ा दिया, बिल पार्लियामेंट में आने वाला है। मैं कह रहा हूं, मसौदा तैयार है। उसमें यह है कि ट्यूबवैल नहीं खोद सकता है, ट्यूबवैल लगेगा अपनी सिंचाई के लिए तो भारत सरकार की इजाजत चाहिए। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, केवल कृषि मंत्रीजी, आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं ऐसा तो जवाब दे मत देना जैसा पहले दिया आपने। अलवर और भरतपुर के सुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर, जो कृषि विभाग का था उसको आपने मालवा के नजदीक कोटा में लगा दिया। मध्य प्रदेश जायेगा दिल्ली का और हरियाणा से लगता हुआ किसान। सुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर का आफिस जो पहले भरतपुर में था, हम तो यह उम्मीद करते थे कि अलवर भेजोगे आप और आपने अलवर और भरतपुर के जो किसान हैं, जो लोग पीड़ित है, जो काम करने के मोह में, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपने हम को कोटा के नीचे लगा दिया....

(समय समाप्ति-सूचक-घण्टी)

हम कोटा में जायेंगे। हम अपने छोटे-मोटे काम निकालने सुपरिण्टेडेण्ट इंजीनियर के काम के लिए हम भरतपुर और अलवर से कोटा जाते घूमेंगे। आपका कौन आफिसर है, जो प्लान बनाता है? कम से कम आपके पास फाइल आयी होगी, आपने अलवर और भरतपुर को जब कोटा में लगाया तो जरा भी सोच नहीं आयी आपके दिमाग में कि अलवर और भरतपुर का आदमी कोटा जाता पहले तो हम जयपुर से ही दुखी थे। हमारे सुपरिण्टेण्डेण्ट इंजीनियर जयपुर बैठते थे। हम समझते थे अलवर आयेगा और अब आपने कोटा लगा दिया, तो किसानों के लिए आप जो ध्यान करने की बात है, ऐसी बात है जो कामनसेन्स एप्लाई करते हों, वहां तो आप कम से कम इस तरह की बात करें।

इसके साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विनियोग विधेयक का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रो0 केदार नाथ।

श्री केदारनाथ शर्मा : माननीय, अभी जो सैड एपीसोड हुआ उसके बाद मन में नहीं आ रहा था कि कुछ बोलूं। 23-24 तो दिल्ली में एक काफी बड़ी हिस्टोरिक मीटिंग हुई। उसमें काफी बड़े फैसले किये। माननीय अध्यक्षजी ने 24 तारीख को डिबेट इनिशियेट की थी। मान्यवर, माननीय अध्यक्षजी ने काफी कुछ अच्छे काम किये। जीरो आवर को रेगूलेट किया है, 295 भी यहां इंट्रोड्यूस किया है, कमेटी सिस्टम को वह इंट्रोड्यूस करने जा रहे

(श्री केदारनाथ शर्मा)

हैं, क्वेश्चन आवर को भी काफी रेगुलेट किया, एक अच्छा डाइनिंग हाल बना दिया और बड़ा हाल बनाने के प्रपोजल भी बना रहे हैं, चल रहा है और आज अध्यक्षजी ने जो रेस्ट्रेण्ट खो दिया, जो पेशेन्स खो दिया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मामूली-सी बात थी। हाउस को एडजोर्न कर देते 15 मिनट

(8.20 रात्रि)

(श्री हरिशंकर मामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

के लिए, आपके चेम्बर में बात हो जाती, एवोइड हो जाता सारी की सारी एपीसोड ही एवोइड हो जाता।

माननीय मुख्यमन्त्रीजी, केवल आप एक बी. जे. पी. के लीडर नहीं हो, हाऊस में आप हाऊस के लीडर भी हो, आप भी एवोइड कर सकते थे। इसलिए इतना ही कहना है कि जब भी माननीय भैरोंसिंहजी, आप यहां हाऊस में हों, ऐसे हालात पैदा हो जाय, तो आप बड़े होशियार हो, एवोइड करने में बड़े होशियार हो, मन्योर में बढ़े होशियार हो, मगर यह भी आज मौका खो दिया आपने, अपोर्च्यूनिटी दिखायी है, उसे भी खो दिया।

माननीय कृषि मंत्रीजी, भाषण दे रहे थे, एक ही सांस में दो बातें कह गये। यह कह गये कि मैं 500 रुपया सब्सिडी बढ़ाने पर सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं। इतने में माननीय भैरोंसिंहजी आ गये। अध्यक्षजी, माननीय भैरोंसिंहजी लाइक कालोसस की तरह हैं, अंग्रेजी में एक लब्ज है Like Colossus, he doth override roughshod.

सब पर जैसे वह होता है न, कि आरे की तरह। आरा फिरता है न, साहब, गले तो नहीं कटते मगर वह आधे मरे रह जाते हैं। .. (व्यवधान) .. क्या होता है, हां, रन्दा, जिसको कहते है रन्दा तो माननीय जनता दल (डी) के वरिष्ट मैम्बर, हाई कोर्ट के लीडिंग एडवोकेट, कृछ किसानों के हमदर्द भाषण देना शुरू कर दिया 500 की बात, यह नहीं पता लगा कि यह फाइनेन्सेज का मैटर है।

यह कृषि का नहीं है, यह आलुबुखारे का नहीं है, यह ग्वार और फली का मामला नहीं है, फाइनेन्सेज का मैटर है, यह भी नहीं मालूम, भूल गये। इतने में ही माननीय भैरोंसिंहजी आ गये। और झगड़ा आपने हमने शुरू कर दिया। डेढ घंटा हाऊस का बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं थी। बड़े रेलेवेन्ट क्वेश्चन माननीय परसरामजी ने पूछे, बड़े रेलेवेन्ट क्वेश्चन थे। वह कोई जवाब दे रहे थे, हाफ हार्टेड जवाब दे रहे थे क्योंकि जवाब तो था नहीं उनका। तो मामूली बात के लिये आज, अध्यक्षजी आपने रेस्ट्रेण्ट खो दिया। आपने हमारी तरफ देखा ही नहीं न पाइन्ट आफ आर्डर हमारा सुना, न हमारी डिविजन की मांग सुनी, आपने यूं ही पास कर दी जैसे बात को भूल जाते हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी, यहां अभी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी लीडर आये थे, आपको एक सर्टिफिकेट दे गये कि

(श्री केदार नाथ शर्मा)

आपने फाइनेन्सेज को बड़ा अच्छा कंट्रोल किया और कुछ बातें और भी कर गये कि बैकवर्ड जो आपकी स्टेट है इसके लिये आइन्दा प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में कुछ नयी चीजें करूंगा कुछ और पैसा देने की बात करूंगा। बार्डर एरिया इम्प्रूवमेंट की बात हुई. आइन्दा जो तीन साल के लिये छोड़ दी थी उसको फिर दुबारा अपने हाथ में लेकर कुछ काम करूंगा। यहां यह भी चर्चा की गयी कि टेंथ फाइनेन्स कमीशन की जो टर्म्स आफ रेफरेन्स है उसमें बैकवर्ड स्टेट्स के बारे में बहुत कम प्रोविजन होगा राहत के लिये, मदद के लिए उनकी भी आपने चर्चा की। यह सर्टिफिकेट तो आपने ले लिया।

माननीय गृह मंत्रीजी. जितनी आपने ढाई साल में कमेटीज बनायी है, जो आपने वायदे किये फ्लोर पर, वह देखो, उनकी सैंक्टिटी क्या रही? व्यास कमेटी बनायी आपने, वह मालूम नहीं किस आलमारी में धूल चाट रही है, यह पता नहीं है। श्री. मंगलबिहारी जो बड़े ही आनेस्ट आफिसर रहे हैं, उनके साथ शायद हमारे अपने चेयरमैन हैं आई.जो.एन.पी. के वह भी उसके मैम्बर हैं, कुछ और मैम्बर भी हैं, वह कमेटी की रिपोर्ट इस बात की थी कि वह जब आप वहां बैठते थे परसरामजी की जगह तो कुछ आफिसरों के खिलाफ आपने एलीगेशंस लगाये थे, कुछ करप्शन के चार्जेज लगाये थे। स्क्रीनिंग का उन्होंने किया, रिपोर्ट पेश कर दी, एक साल हो गया, उसका पता नहीं, कहां गयी। माथुर कमेटी की भी ऐसे ही पड़ी है। और भी कई कमेटीज आपने बनायीं।

मैं भ्रष्टाचार की बात इसलिये नहीं कहना चाहता, जब बोफोर्स केस में दिल्ली की हाईकोर्ट की डबल बेंच से इन्वेस्टीगेशन के दौरान एफ. आई. आर. को क्वेश कर सकती है, लैटर्स आफ रेरोगेटरी को क्वेश कर सकती है तो मैं भ्रष्टाचार के बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता। 31 माह के बाद, सोलंकीजी के स्तीफे के बाद जिसने अपने काउंटर पार्ट में एक मिस्टीरियस आदमी को लैटर दिया, लैटर भी कौनसा स्केण्डलर लैटर, मैं उस आदमी का नाम नहीं जानता, उसको उन्होंने लैटर दे दिया, मैं जानता नहीं, लेकिन लगातार 25-30 दिन वहां रहे, अध्यक्षजी, कैसे इसको सटेल किया जाय, कैसे प्रभावित किया जाय इन्वेस्टीगेशन को, सही बेनीफिशियरीज हमारे सामने आये नहीं, यह लगातार कोशिश सरकार की चलती रही आज।

इसलिये करप्शन की बात नहीं करता। दूसरा, अभी बैंक्स स्केण्डल हुआ, सिक्योरिटीज का स्केम हुआ उसमें अगर दो मन्त्री यह लैटर डाल दें लिफाफे में अनमार्कड और वह भी डालें अपने कांग्रेस के लोगों को, जो मैम्बर हैं जोइन्ट पालियामेंट्री कमेटी के कि आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता स्लो डाउन करो, यह पूरा इन्वेस्टीगेशन हो ना पाये, पूरा अनर्थ हो नहीं पाये, क्या चीज है इसके पीछे, क्या राज है, ओरिजन क्या है इस स्केम का। यह भी लैटर आपके सामने आये, तो क्या करोगे आप इस देश का।

तीसरी बात मैं इसलिये कह रहा था,

(श्री केदार नाथ शर्मा)

माननीय अध्यक्षजी, आज जुडिशियरी पर बोलने का मौका नहीं मिला, लगातार एक्जीक्यटिवज की साजिश ही है, इस देश में आहिस्ता-आहिस्ता जुडिशियरी के पास इनीशियेटिव था अपाइंटमेंट्स का और ट्रांसफर्स का, वह छीन कर नष्ट कर लिया। अब ह्युमिलियेट करने की बात और कर रहे हैं, इनको ह्युमिलियेट करो।

अगर अध्यक्षजी, जुडिशियरी ह्युमिलियेट हो जाती है, अपने इण्डिपेंडेंस का रास्ता छोड़ देती है तो बताइये इस देश में डेमोक्रेसी कभी रह नहीं सकती। यह ठीक है इमरजेंसी में तीन आपने हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेज को सुपरसीड किया चीफ जस्टिस में, ठीक बात है। 16 जजों का तबादला किया। बड़ी कोशिश की इमरजेंसी के दौरान, केशवानन्द भारती जो बड़ा इम्पार्टेण्ट केस था, हिस्टारिक केस था, उसको आपने रिव्यू करने की बात कही मगर रिव्यू हो नहीं पाया। ऐसी बातें चलती रहीं। अब यह कोड आफ कंडक्ट ले आय आप। जजेज बैठकर अपना कोड आफ कण्डक्ट बना लें, अपने पर रेस्ट्रेण्ट एक्सरसाइज करें, यह समझ में आती है मगर यह नहीं, एक एक्जीक्यूटिव इनीशियेट करे, यह 15 पाइंट हैं, आपको मानने पड़ेंगे, मेरा ख्याल यह है, ह्यूमिलियेशन, इस देश की जनता जो डेमोक्रेट है जो प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों में विश्वास करती है वह कभी भी इस इनीशियेटिव को, जो कोड आफ कण्डक्ट है, वह एक्सेप्ट नहीं करेगी मैं इसलिये यह बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरी बात बी जे पी की जो सरकार हैं यहां और यू पी में, हम नहीं सोचते थे कि हिस्ट्री को रिवर्स करने की कोशिश करेंगी। कास्ट का वायरस हमारी सारी सोशल लाइफ में साइनस के रूप में घुस गया इस मन्दिर के नाम से, अयोध्या के नाम में। यह ठीक है यूफोरिया से आपको फायदा मिला, इमोटिव एक्शन से आपको फायदा मिला, मैं मानता हूं इस बात को। मगर कब तक यह फायदा लेना चाहते हो आप? इस कास्ट पर आज फिजिकल डिविजन आपने कर दिया। फिजिकल डिविजन, साइकलोजिकल तो बहुत पहले से ही था। मन्दिर वहीं बनेगा जहां माननीय राजीवजी 89 को उसका शिलान्यास कर गये थे।

हम जुडिशियरी की भी रेस्पेक्ट करते हैं, बी. जे. पी. की हाई कमान कहती है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया कि आप पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, नम्बर एक, इस जगह को ट्रांसफर नहीं करोगे नम्बर दो, मस्जिद का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उस पर किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आने दोगे। अब आपने पक्का कांक्रीट प्लेटफार्म बना दिया, उसको ट्रांसफर भी कर दिया और एक बालकनी भी खींच दी ओवर शैडो करने के लिये, चारों तरफ मस्जिद के ट्रेन्चेज खोद दीं, एक थोड़ा सा पानी छोड़ दिया अपने आप दलान से मस्जिद में चला जायगा।

यह कोर्ट, जुडिशियरी के प्रति आपकी रेस्पेक्ट है। यह देश की मिलियन जनता के प्रति आपकी रेस्पेक्ट है। बी. जे. पी.

(श्री केदार नाथ शर्मा)

का हाईकमान जब यह सोचता है इस रैली के बाद, चार माह के बाद जब रिलीजिज्रस पर वर ऊंचा पहुंचेगा दीवाली और दशहरे के बीच में, हम इस देश में कोई और चीज पैदा करेंगे यहा, इस लाइन पर माननीय प्राइम मिनिस्टर को बात कहलवानी है। यह रास्ता ठीक नहीं है। मान्यवर, यहां पर माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने हमें यह कहा, भाषण दिया कि मैंने ट्राइबल एरिया में पचास पर्सेण्ट नौकरियों का प्रोविजन कर दिया। ढाई साल में, मैंने पूछा मेरे दोस्त जो बैठे हैं आदिवासी इलाके के नुमाइन्दे, एक भी आदमी को नौकरी, एम्प्लायमेंट नहीं दिया।

कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान बैंक का कर्जा नहीं माफ हुआ। कुछ हमने कहा केसेज वापस होंगे; केसेज भी वापस नहीं हुए। जो 25-30-40 साल से गुजारे के लिये जमीन उन्होंने वहां पर ली है कब्जे में, उस पर खातेदारी हक कोई ट्राइबल को देने की बात नहीं कही। यह तो इस ट्राइबल की बात है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये आपने कहा, तीन महीने में सारा बैकलॉग खत्म कर देंगे। ऊपर से सेण्टर की यह हिदायत है कि मार्च, 92 तक आप सारा बैकलाग भर दें। अगर नहीं भरते तो हम कानून बनायेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि आप सर्वे करो कि मैनुअल स्केवेंजर जो हैं, जो मैला ढोते हैं, कितने आदमी आपके हैं, कैसे इनको डेप्लाय किया जाय, कितना पैसा आप चाहते हो। वह भी सर्वे नहीं किया आपने। न तो शिड्यूल्ड कास्ट्स की बात, न ट्राइबल्स की बात। पढ़े-लिखे नौजवानों को व्यास कमेटी की रिपोर्ट के बाद रोजगार की बात, वह भी नहीं हुई। तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी आप देहातों में चले जाओ। जब से आपने पंचायतों को भंग किया, जो गरीबी के उन्मूलन के सारे प्रोग्राम थे, आपके इकानामी तो आपने सम्भाल ली, फाइनेन्सेज को आपने बैटर कर दिया मगर देहात साफ कर दी आपने। वहां पावर्टी बढ़ी है, गरीबी की रेखा के नीचे ज्यादा लोग आये हैं, यह भी असेसमेंट करो आप। आपने 6 महीने में सारे डिपार्टमेंट्स का इवेल्यूएशन किया। अच्छा है, करना चाहिये आपको। वह तो और मुख्य मन्त्री भी करते।

मुझे बताइये आप, एक साल में देहातों में लोग गरीबी की रेखा से ज्यादा हुए हैं या कम हुए हैं? कोई एप्रेजल नहीं, कोई इवेल्यूएशन नहीं इस बात का।

मै यहां पर यही निवेदन करना चाहता था, आपने देहातों के लिये काम भी किया, ऐसी बात नहीं है, आपने बारानी इलाके मे लगान भी माफ किया, पंचायतों में पहले चार आने मिलता था, आपने अनुदान दो रुपये कर दिया। कुछ है इंट्रेस्ट आपका। मगर ओवर आज जो ट्राईलिंग मिलियन्स देहातों के है, जिसको लैण्ड लेस लेबर कहते हैं, सेंटर कहता हैं आप उसके लिये कोई संगठन बनाओ, कोई कानून बनाओ उनका प्रोटक्शन करोगे आप, मगर हमारी सरकार का कोई

(श्री केदार नाथ शर्मा)

बिल्कुल उसके बारे में प्रोग्राम नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई विज़न नहीं, कोई पर्सपेक्टिव नहीं। तो मैं इसलिये नहीं कह रहा कि हम 6 माह, के बाद मिलेंगे। कुछ पालिसी मैटर्स है, इस 6-6 महीने के अंदर-अंदर कितनी बार आयोजित अपोजिशन लीडर्स को आपने विश्वास में लिया ला एण्ड आर्डर की दृष्टि से, एक बार तो पचायतों में तो लिया है शायद आपने रिआर्गेनाइज़ेशन में मगर उसके बाद अभी तक ग्रुप लीडर्स की मीटिंग करके जो स्टेट की ला एण्ड आर्डर की पोजिशन है इकोनोमी है, अकाल है, बरसात है, अनेक मसले उठते हैं।

माननीय भैरोंसिंहजी आपने कभी किसी को विश्वास में लिया नहीं तो यह डेमोक्रेसी सैक्टर नहीं है। कुछ महीने खींच जाओ आप दो साल रहो, ढाई साल रहो। ऐसा लगता है कि आपका और आनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मेल हो गया आपस में अंदरूनी ऐसा कि डीलिंग ऐसी कर देना। अण्डर डीलिंग रहती है क्या कुछ। अण्डर करण्ट कहो, कुछ करें। ढाई साल तक हम भी राज करें, आप भी राज करें। आप तो यह चाहते हो कि चार साल में से ढाई साल का राज मिल जाये। तो पहले तो हम कोगेट के एरिये में घुसे हैं, अब साउथ में और घुस जायें डेलीबरेट करके। खैर वह तो परसराम जी का काम है घुसने दें कि नहीं दें।

मैं इसलिए कह रहा था कि कुछ मसले आपके सामने हैं। अब आप कई मीटिंग करते हो अभी आप करके आये हो इलीशिट इमाइग्रेशन इलाके की। बंगलादेश के लोग अध्यक्षजी, वहां से आते हैं, काफी लोग, 99 पर्सेण्ट गरीबी की मार से हैं और क्रोस करके बाड़मेर, जैसलमेर जाते हैं और पकड़ कर ले आते हैं सैलस में डाल देते है, ज्युडिशियल सैलस में डालते हो, कभी पुलिस के थाने में ले आते हो, यह भी आपके सामने गंभीर समस्या है।

अध्यक्षजी, यहां पर और भी काफी मेण्टल लेवल की मीटिंग हुई। रावी व्यास, जमना के पानी के बारे में और वाटर मैनेजमेण्ट के बारे में और लेबर डिपार्टमेण्ट की काफी मीटिंग्स हुई हैं इनके ऊपर। हमें नहीं मालूम कि हमारा लेबर डिपार्टमेण्ट, हमारा लेबर मिनिस्टर क्या बोलकर आया है? क्या बोलकर आया है इण्डस्ट्रियल, नया बिल पेश हुआ उसके बारे में क्या बोलकर आया है? जो ट्रेड यूनियन का बिल आ रहा है, उसके बारे में क्या बोलकर आया है। और भी कई फैसले होने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारा ट्रेड यूनियन, हमारी सरकार की ओर से लेबर फ्रण्ट में क्या कोई पोश्चर करके आये हैं, यह हमें मालूम नहीं। तो मैं कहा करता हूं माननीय भैरोंसिहजी की तारीफ भी किया करता हूं मैं। Bold in political front but weak on action. एक्शन अभी चल नहीं पाया, ढाई साल में कि हम देख सके कि राजस्थान की जनता को कोई राहत पहुंच जाये बेसिकली, कोई नयी वेल्यूज पैदा हो जायें। शिक्षा का जगत देख लीजिए, और जगत देख लीजिए,

(श्री केदार नाथ शर्मा)

जिस भी फील्ड में आप जाओ तो हम फेल्योर हैं। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता।

तीसरी बात अध्यक्षजी, मैं आपकी बात पर एक निवेदन करना चाहता हूं अभी हमने राकेट का फैसला किया, जो रूस की टूटी फूटी फैडरेशन है हमारी, रशिया के क्रैश के बाद जो फैडरेशन बनी है उसके अंदर राकेट का फैसला किया है। उससे पहले क्यूबा को व्हीट भेजने का फैसला किया। अमरीका को यह चीजें पसंद नहीं। अमरीका का एक ही एम है माननीय परसराम जी कि हमारी है जीसपी को आप एक्सेप्ट करो। जब तक हमारा नोन प्रोलीप्रेशन, ट्रीटी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, नोन प्रोलीप्रेसन, जब तक हमारे डकल के फार्मूले को आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक हमारे ट्रिप्स, ट्रिम्स और हार्ट, यह तीन नाम हैं। आज इतना समय नहीं है।

मैंने काफी अध्ययन किया है। इनको जब तक आप एग्रीमेण्ट में शामिल नहीं होंगे, अमरीका आपको खुले तौर पर कोई ज्यादा पैसा देने वाला नहीं है और उसकी मार क्या है ? असर क्या है एग्रीकल्चर सैक्टर में खाद की कीमत बढ़ गई। खाद का कन्जम्पशन कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा और खेती बाड़ी में जो सैल्फ सफिशियंसी हमने एडोप्ट की है, अर्न की है, वह डिसमेंटल हो जायेगी। एथं प्लान में जो मेन आपका है कि खेती बाड़ी का प्रोडक्शन बढ़े, सेल्फ एम्प्लायमैण्ट ज्यादा बढ़े लोगों की ज्यादा अर्निंग्स हो और वोट की प्रिजेंटरी आगे बढ़े और पब्लिक सैक्टर में इजाफा हो, यह अमेरिकन की आइज में बहुत बुरा है।

तो माननीय परसराम जी आपको याद है कि यह खाद की कीमत के पीछे भी यही राज है, यही फिलासफी है अमेरिकन के हावी होने की। इसलिए जितना भी हो पाये, यह समय हमारे साथ हो, इसके खिलाफ लॉबी पैदा हो, वातावरण बने ताकि अमरीका को सबक मिल जाये कि हम ईराक नहीं हैं। हमने एशिया में अपनी एक बहुत बड़ी कल्चर, खुद की इमेज और पर्सनल्टी सारे एशिया के अन्दर इनडेमनिटी एस्टब्लिश कर दी है। मैंने ज्यादा नहीं बोलते हुए कुछ बातें कहीं हैं। अध्यक्षजी, मुझे क्षमा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं, माननीय सदस्यों ने जो अपना भाषण शुरू किया... (व्यवधान) पहले मेरा सुन लीजिए। तो आज की अव्यवस्था के बारे में कहा कि मैंने अपनी पेशेंस खो दी। इसके पहले माननीय सदस्य नत्थीसिंहजी ने कहा था कि इसके इतिहास में, असेम्बली के, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर माननीय विश्नोई जी खड़े हुए, पाइण्ट आफ आर्डर। उन्होंने क्या कहा, मैं समझ नहीं सका।

मैं इस संबंध में 20 मार्च, सन्, 1982 जिसमें अध्यक्ष श्रीमान् विश्नोई जी मौजूद थे और परसराम जी मदेरणा भी मौजूद थे और मांगों का सवाल था। यही पाइण्ट आफ आर्डर उठा था। घनश्याम तिवाड़ी, यदुनाथसिंह, गुलाबसिंह कटारिया, प्रताप

(श्री अध्यक्ष)

सिंह, वीरेन्द्र प्रतापसिंह, इन सबने कहा कि हमको डिवीजन चाहिए। डिवीजन के ऊपर काफी हल्ला गुल्ला हुआ। सारी मांगे बिना डिवीजन के पारित कर दी गई। यह आपको पढ़कर सुना दूं आप कहें तो। यह 50 पेज का है पूरी प्रोसीडिंग्स ...

श्री पूनमचंद विश्नोई : ऐसा है, पाइण्ट ऑफ आर्डर उठाया, दो मांगे उस वक्त इस तरह से पास हुई थीं। उस वक्त मुझे फिर अहसास हुआ कि अपन गलती कर रहे हैं। जितने रुकने लगे, उतने वाक आउट हो गये। जब पूरा हो गया। बात यही थी....

श्री अध्यक्ष : नहीं ऐसा है ...

श्री पूनमचंद विश्नोई : बात यही हुई थी। यह कभी नहीं हुआ। एक है, उनको मैं पहले स्वीकार किया, फिर मैंने शुरू किया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं यह कह रहा हूं ....

श्री पूनमचंद विश्नोई : दो एक मांग निकली थीं उस वक्त।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह कह रहा हूं कि वाक आउट की भी एक परिपाटी है। इसी प्रकार कुछ सदस्यों ने वाक आउट किया, कुछ सदस्य बैठे रहे तो यह पाइण्ट आफ आर्डर रेज किया गया कि जो सदस्य बैठे हैं, आदरणीय हैं और जो बहिगमन करके चले गये इन पर पांच-पांच सौ रुपये का जुर्माना होना चाहिए। इसी में है यह आपकी अध्यक्षता में उठा है। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि यहीं तक नहीं बल्कि यह हुआ है कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में यह काला दिन है तो श्रीमान् विश्नोईजी ने कहा कि यह काला दिन कौन बना रहा है? यह स्वयं सोचें।

मैंने तो आज आपको पहले चेतावनी दी थी कि डेढ़ घण्टे से आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अंत में अपनी सारी बात कह दी। मैंने हरेक को मौका दिया, हरेक को मौका दिया बोलने के लिए कि आप बोलते जाइये लेकिन आखिर समय की पाबंदी सब पर है और मैंने चेतावनी भी दी कि यदि आप इसी तरह से करते रहेंगे तो यह सारी मांगें पास हो जायेंगी। यह चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं है कि मैंने हताहत किया है। मगर इसके बावजूद भी इस तरह के जो अशोभनीय दृश्य पैदा होते हैं, माननीय सदस्य यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस की गरिमा केवल अध्यक्ष के खिलाफ कुछ भी बोल देने से तो रहेगी नहीं और मैं नियमों से बधा हुआ हूं, मैं समय से बंधा हुआ हूं और इसलिए मुझे हाउस का बिजनस पूरा कराना है, यह मेरा दायित्व है। मेरे लिये सरकार और विपक्ष में कोई भेद नहीं है।

मैं आप लोगों को पूरा अवसर दूंगा तो सरकार का काम चलाना भी मेरा दायित्व है। मैं किसी एक पक्ष की तरफ

(श्री अध्यक्ष)

झुक नहीं सकता और इस प्रकार के अोकेजन, यह तो मैंने एक बताया है, बाकी मैंने स्वयं देखा है 85 से लेकर 90 तक कि हर बजट में इसी तरह से मांगें पास हुई हैं। मैं खुद मौजूद था तो इसलिए यह कोई नयी बात हुई हो, ऐसा नहीं है लेकिन इस तरह से होना, यह उचित नहीं है। इस पर आप भी विचार करें। मैं भी विचार करूंगा। यदि मुझे लगा कि कहीं मैं एक्सेस कर रहा हूं तो मैं भी उस पर अपना आत्म निरीक्षण करूंगा। आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी आत्म निरीक्षण कीजिए। मैं तो अकेला हूं। आप सब मिलकर पेशेंस खो देंगे तो मै अकेला ही हूं।

मैं आपसे कोई बड़ा ऊंचा तो हो नहीं सकता। जैसे आप मनुष्य हैं, वैसे मैं भी हूं। आप 50 आदमी पेशेंस खो सकते हैं तो मैं 51वां आपके पीछे हूं। आपके आगे तो हूं नहीं। इसलिए ऐसे दृश्य उपस्थित नहीं हो, इसकी हम चिन्ता करें। भविष्य में भी चिन्ता करें तो मैं समझता हूं हाउस की गरिमा रहेगी और अब जो हो गया है उसके बाद भी मैंने तो एप्रोपियेशन बिल पर आपने डिवीजन काल किया था तो मैं देखिये इसमें एप्रोपियेशन भी ऐसे ही पास हुआ मैंने तो उसमें आपको डिवीजन दिया है और फिर आपने कहा हम बोलना चाहेंगे तब मैंने उसमे भी कोई आपत्ति नहीं की। श्री हेतरामजी बोलिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा निवेदन करने का आशय यह था कि अध्यक्ष को जब अव्यवस्था हो तो व्यवस्था कायम करने के कई तरह के अधिकार हैं। सदस्य को चेतावनी दी जा सकती है, उसको बहिर्गमन के लिए बाध्य किया जा सकता है....

श्री अध्यक्ष : मैंने चेतावनी दी थी कि हल्ला गुल्ला रहा तो मांगें पास हो जायेंगी, यह मैंने कहा था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्षजी, अव्यवस्था की स्थिति में किसी प्रस्ताव को पास कराना, यह जनतंत्रवाद का हनन है।

श्री अध्यक्ष : तो मैने आपको फोलो किया है। आप मेरे पूर्व अध्यक्ष हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मैंने कहा था जब मैंने, वह स्थिति सामने नहीं है। आप पुस्तक मे भी नहीं ले सकते। मैंने जब एतराज किया था, निवेदन किया था कि ...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष के नाते जो आपने व्यवस्थाएं दी हैं, उससे बाध्य हूं मैं। आज हूं, आज नहीं हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक दफे दो मांगें पास हुई थीं, दो मांगे केवल और .

श्री अध्यक्ष : कब ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उस वक्त।

श्री अध्यक्ष : इसमें। यह सारी

(श्री अध्यक्ष)

डिमाण्ड, टोटल....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : उसके बाद में बहिर्गमन कर गये जब मैं .. (व्यवधान).... बहिर्गमन कर गये एतराज करते हुए। सारी नहीं हुई बहिर्गमन के बाद हुई हैं। बहिर्गमन कर गये सब ।

श्री अध्यक्ष : मैं बताता हूं। आपने पूरी मांगें बहिर्गमन करने के बाद आधी मांगें, आधी मांगें पहले पास करी ।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दो मांगें पहले और मुझे उसी वक्त गलती का अहसास हो गया और आज भी जब मैंने शुरू किया था तो मैंने यही कहा था कि केवल एक उदाहरण है जब दो मांगें जल्दबाजी में पास हुईं, मुझे अहसास हुआ कि यह गलती हो रही है क्योंकि इसका विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है तो उस स्थिति के अन्दर बिना व्यवस्था यदि....

श्री अध्यक्ष : इसका श्रेय तो फिर विपक्ष को जाना चाहिये जो बहिर्गमन करें और दुबारा आकर उन्होंने मांग नहीं की। यह तो श्रेय इनको ही जाना चाहिये यदि वह आपकी तरह वापस आकर कह दे डिविजन, डिविजन मांगा गया है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मांगों को पारित करना बहिर्गमन के बाद और कोई विकल्प ही नहीं था।

श्री अध्यक्ष : हां, तो फिर बहिर्गमन कभी ना ही करना चाहिये था।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : तो बहिर्गमन यहां किया नहीं था हमने....

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप फिर आ गये।

श्री अध्यक्ष : यही तो बात है कि बहिर्गमन करते तो फिर बहिर्गमन करते। आपने बहिर्गमन भी नहीं किया और डिविजन भी मांगते रहे। अजीब बात है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां, बहिर्गमन नहीं किया तो या तो हमको आपको बहिर्गमन करवा देना चाहिये था। सही स्थिति यही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह कौन सा तरीका है....

एक माननीय सदस्य : निकालने का।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : निकाल दीजिये बाहर वह ज्यादा उचित होगा बनिस्पत इसके कि हम विरोध कर रहे हैं आप अव्यवस्था की स्थिति में प्रस्ताव पारित करवा रहे हैं। यह सबसे खतरे की बात है, यह मैं आपको बता दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे विश्नोई साहब आप तो बहुत....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप सब जानते-बूझते है, आप छाती पर हाथ रख कर कह दीजिये, ऐसा हुआ है पहले

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मेरी छाती पर हाथ रख कर कहता हूं एक सवाल का जवाब दे दीजियें ।....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : हां ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तक गुलोटिन एप्लाई करने के बाद में किसी डिमाण्ड के ऊपर वोट की मांग की गई है क्या ?

श्री पूनमचन्द विश्नोई : गुलोटिन के बाद में डिविजन काहे का हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं होता तो आपने गुलोटिन एप्लाई करने के बाद यह सब कुछ किया है ।

श्री अध्यक्ष : किया ठीक टाइम पर । आपका जो टाइम तय किया हुआ था एग्जेक्टली उसी टाइम मांगें शुरू की है । (व्यवधान)....एग्जेक्टली जो टाइम तय किया था उसी समय ....

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं हुआ है । अव्यवस्था की स्थिति थी, हम पाइण्ट आफ आर्डर उठा रहे थे आपने सुना तक नहीं । गुलोटिन आप एप्लाई करते तो शांत वातावरण में गुलोटिन एप्लाई किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री हेतरामजी बोलिये । चलिये हेतरामजी बोलिये । हां, बोलिये, हां शुरू करिये ना आई एम नोट डिबेटिंग, यह कोई डिबेट नहीं है । आप शुरू करिये हेतरामजी । हो गया, मैंने अपनी बात जो कहनी थी बता दी ।

श्री हेतराम बेनीवाल (संगरिया) : अध्यक्ष महोदय, मुझ पर थोड़ी सी कृपया मेहरबानी करें । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस में जो कुछ आज हमने देखा है वह सरकार का चरित्र है । हम सिर्फ यही शिकायत कर रहे थे कि खाद के भाव तो बढ़ा दिये और खाद के भाव बढ़ने से सारे राजस्थान में क्योंकि पिछले 10-15 सालों में पहली बार बरसात हुई है इसलिये सारा राजस्थान त्राहि-त्राहि कर रहा है कहीं खाद नहीं मिल रही है ।

हम एक ही निवेदन कर रहे थे कि जो खाद पड़ी है या पड़ रही थी उसको आपने बंटवाया कि नहीं बंटवाया और इस बात पर जितना हल्ला किया और जितनी गड़बड़ी की सारी गड़-बड़ी की जड़ एक ही बात थी कि यह सवाल क्यों उठा । हम इनको +++ निकालते आप राजी थे । हम यह कहते नरसिंह राव ने गड़बड़ी कर दी, सत्यानाश कर दिया, अमेरिका को बेच दिया, सब ठीक था बड़ी तालियां बजती । जब हमने यह कह दिया उन्होंने अमेरिका को बेच दिया सब कुछ ठीक पर आपने जो कुछ बचा था राजस्थान में, राजस्थान में आपकी जिम्मेदारी थी माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी की कि जो कुछ राजस्थान में

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री हेतराम बेनीवाल)

खाद थी 78 हजार की जरूरत है उसमें से 18 हजार थी आप बचा कर इसको रख लेते और राजस्थान के गरीब काश्तकार को यह मिल जाती।

मैं समझता हूं राजस्थान की जनता माननीय मुख्य मन्त्रीजी आपके साथ होती और केन्द्र सरकार से लड़ती। पर आपने क्या किया? आपने उसको बेच दिया, आपका सम्बन्ध जिन लोगों से है आप उनके खिलाफ कोई कदम उठाने की हिम्मत कर नहीं सकते। और यही वजह है कि राजस्थान की खाद पूरी की पूरी दो दिनों के अन्दर उठ गयी और ब्लैक मार्केट में चली गयी। अब आप कहते है कि हम तो कर ही नहीं सकते केन्द्र के कारण। केन्द्र ने कौन सा हाथ पकड़ लिया आपका। आपका पूरा का पूरा डिपार्टमेण्ट, पूरा का पूरा तन्त्र जो कृषि विभाग है, ग्राम सेवक से लेकर डायरेक्टर तक एक गांव गांव से लेकर पूरे जयपुर तक तंत्र जुड़ा हुआ है। सब लाइसेंस वहीं देते हैं सबको पता है कि किस के पास खाद पड़ी है। पर अमल में यह हुआ कि आप और व्यापारी दोनों मिल गये माल ताल पी गये। दो सौ रुपये करोड़ की खाद थी आपके पास, 100 करोड़ हजम कर गये बीच में। वह कहां गया। वह 100 करोड़ रुपये कहां है। वह कोई घोटाला नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं है क्या?

माननीय अध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैंने आपसे 273 के तहत परमिशन मांगी है और मैं आपकी आज्ञा से जो मुख्य मन्त्रीजी ने एलान किया था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत कुछ करेंगे। आज घोटाले पर बड़े तेज तर्रार थे कि हम 40 करोड़ का घोटाला पकड़ रहे हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार में जो गंगानगर जिले में जमीन के संबंध में घोटाले हो रहे है और जिस तरह से भूमि चोर अधिकारियों से मिल कर करोड़ों रुपये की जमीन हड़प रहे हैं। ऐसा घोटाला राजस्थान में कहीं नहीं हुआ और विशेष तौर पर जब यह बिल आया था, एक पोंग डेम के सिलसिले में एक अमेण्डमेण्ड किया था कि पोंग डेम के विस्थापितों की जो जमीन है उस जमीन को राजस्थान सरकार कब्जेधारी है उनको देगी। वह जमीन 800-900 मुरब्बा जो पोंग डेम अलोटीज को मिली हुई है। वह जमीन वहां के जो कब्जेधारी लोग हैं उनको देंगे। उस वक्त एक स्कैण्डल सारे गंगानगर इलाके के अन्दर जो बड़े-बड़े भू-पति है वह सब इकट्ठे हो गये। मैं इल्जाम लगाता हूं आज असेम्बली के अन्दर कि कोई वजह नहीं है कि तीन-तीन एस. पी. हमारे बदले गये तीनों एक से, एक से--एक चढ़कर हैं। और मैं आज हाउस के अन्दर उन अधिकारियों के खिलाफ इल्जाम लगाता हूं, मेरे पास सबूत है। मैं सबूत को पेश करना चाहता हूं। समय जरूर लगेगा पर मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करूंगा।

जो अलाटमेण्ट आप देखेंगे वैसा अलाटमेण्ट शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और वह एक बार हो जाये अधिकारी गलती कर ले। संजय पुरोहित वहां एस. डी. एम. थे और संजय पुरोहित एस. डी. एम. बन

(श्री हेतराम बेनीवाल)

कर गये उन्होंने पोंग डेम अलोटीज का अलाटमेण्ट शुरू किया और इस पोंग डेम अलोटीज के लिये उन्होंने अखबार में, अखबार में एक लिस्ट छपी है उनमें कब्जों के नाम थे कि इन-इन पर इस-इस का कब्जा है। जितने कब्जे के नाम है उनमें से एक भी आदमी को जमीन अलाट नहीं हुयी। सारी दूसरे आदमियों से पैसे लेकर जमीनें अलाट कर दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेरे पास अलाटमेंट के आर्डर्स है।

माननीय अध्यक्षजी, देखिये, एक दिन में अलाटमेण्ट हुआ, एक दिन में कैन्सिलेशन हुआ। रोशनलाल है, रोशनलाल को नोटिस दिया गया और रोशनलाल के कब्जे में है, रांझाराम उसके कब्जे में जमीन है उसको भी नोटिस दिया कि तेरी जमीन खारिज कर दी, 15 6 को, 15.6 को नोटिस देते ही 15.6 को अलाट कर दी। 15.6 को नोटिस दिया और केन्सिल कर दी जमीन और केन्सिल करके कब्जे में ले ली। दूसरा, उसी दिन उसी तारीख को जगराजसिंह पुत्र हाकिमसिंह, उसको अलाट कर दी। उसी दिन पैसे भरा लिये, उसी दिन कब्जा दे दिया, एक दिन में यह एक ही केस नहीं है। यह जो रोशनलाल है, रोशनलाल का यह डैथ सर्टिफिकेट है। यह 3-2-79 को इसकी मृत्यु हो गई। यह सर्टिफिकेट हिमाचल प्रदेश से लाया गया है।

हिमाचल-प्रदेश के मजिस्ट्रेट का सर्टिफिकेट है कि यह 27-7-90 का, 3/79 को जो मर गया उसका इकरारनामा हाकिमसिंह के लड़के जगराजसिंह ने 11 साल बाद बना लिया और 11 साल बाद हलफनामा बनाकर के यह एप्लीकेशन दी है। यह एप्लीकेशन में लिखा है जगराजसिंह ने कि मैं मेरा रोशनलाल की जमीन पर कब्जा है और रोशनलाल का मेरे पास इकरारनामा है 27-7-90 का। 27-7-90 का इकरारनामा है और मेरा उस जमीन पर कब्जा है, मेरे को जमीन दी जाये। इसमें एक कॉलम है माननीय अध्यक्ष जी, यह देशद्रोही नहीं है। कालम विशेष तौर से रखा गया है उस इलाके के लिए और कमेटी बनाई, श्री चतुर्वेदी जी वहां देखने के लिए गये थे कि किसी देशद्रोही को तो जमीन अलाट नहीं की है।

यह इसमें कालम है यह कि आवेदक या उसका परिवार राष्ट्र विरोधी किसी गतिविधियों में शामिल नहीं है। यानि एक दिन के अन्दर राष्ट्रद्रोही की गतिविधियों का पता भी लगा लिया पूरा और पता लगाने के बाद उसको अलाट कर दी। अलाटमेण्ट जो आर्डर है, उस अलाटमेण्ट आर्डर को जारी करते वक्त एक को नहीं की। माननीय अध्यक्ष जी, इसको दूसरा मुरब्बा और अलाट किया इसी आदमी को वह है रूपलाल का उसके कब्जे में था रामकुमार। उस सर्वे रिपोर्ट में रामकुमार का नाम है और अलाट कर दिया जगराजसिंह को।

श्री अध्यक्ष : यह भी हाकिम सिंह को अलाट हुआ है।

श्री हेतराम बेनीवाल : हाकिमसिंह को।

श्री अध्यक्ष । यह भी उसी को हुआ है।

श्री हेतराम बेनीवाल : उसी को।

श्री अध्यक्ष : उसके खिलाफ देशद्रोही का कोई है।

श्री हेतराम बेनीवाल : यह जो हाकिमसिंह है। यह हाकिमसिंह टाडा में रहा है, हाकिम सिंह के लड़के को रखा है। इसके घर में सन् 1985 में दो उग्रवादी मारे गये इसी के घर पर इसको 11 मुरब्बे अलाट किये गये। माननीय अध्यक्ष जी और एक दिन में आर्डर हुआ है। 11 के 11 जो आर्डर हैं वे 156 के और यह इकरारनामा। इकरारनामें में मैं आपसे निवेदन करूं। यह उर्दू में साइन हुए इकरारनामे पर एक ही आदमी के।

श्री अध्यक्ष : यह सारी पर भी जिन-जिन को आप रैफर कर रहे है टेबल पर अपनी लिस्टें रखें।

श्री हेतराम बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष जी इस इकरारनामे में एक जगह उसके साईन है उर्दू में और उसी आदमी का अगूंठा लगा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह मदनलाल है जिस मदन लाल के खुद के कब्जे में जमीन है। इस रिकार्ड में लिखा है कि उसका खुद का कब्जा है और खुद के कब्जे वाली जमीन को केन्सिल कर दिया जबकि जिसके खुद के कब्जे में जमीन है उस अलाटी की जमीन कैन्सिल नहीं हो सकती। उसके द्वारा कैन्सिल कर दी। कैन्सिल करके लिख दिया कि हाकिमसिंह के लड़के का नाम ही नहीं है। हाकिमसिंह के 4 लड़के के नाम जमीन है 4 मुरब्बे। दो मुरब्बे उसके नाम है एक उसके साले के नाम इस तरह से एक परिवार को 11 मुरब्बे जमीन दी उस सिम्पल 15-6-92 को। एक दिन में तो केन्सिल की, एक ही दिन में अलाट कर दी, एक ही दिन में पैसा भरा लिया, एक ही दिन में कब्जा दे दिया। 28 लाख रुपये।

माननीय अध्यक्ष जी मैं निवेदन करना चाहूंगा यह किसान जिसके पास 10 बीघे जमीन है कुल। जो इसने एप्लीकेशन दी है उसमें लिखा है मेरे पास 10 बीघा जमीन है और 10 बीघा जमीन वाले किसान के पास 28 लाख रुपये कहां से आएंगे। एक दिन में भरे, एक साथ 28 लाख रुपये और मैं निश्चित कहना चाहता हूं हाऊस के अन्दर कि 28 लाख रुपये भरे हैं उसने राजस्थान सरकार को और 28 लाख रुपये आत्मप्रकाश पारीक को। एक किस्सा नहीं है इस तरह के 80 मुरब्बों का अलाटमेण्ट किया है। 80 मुरब्बों के। एक दिन के अन्दर यह 11 नहीं है, 5 केस हुए है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे पास इसके हलफनामें है, उनका पूरा रिकार्ड है। एक ऐसा केस है मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा एक तो यह एस. डी. एम. थे जो वहां पर रहे, दूसरे एक एस. डी. एम. और था मुझे एतराज है राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल के सदस्य बैठे हैं।

एक तो गलती हो सकती है कि एक अधिकारी भ्रष्ट था, बेईमान था, पैसे लेता था, उसी जगह आपने दूसरा अधिकारीऐसा ही भेज दिया। यह एक अधिकारी था संजय पुरोहित। एक जमीन के सिलसिले में यह

(श्री हेतराम बेनीवाल)

संजय पुरोहित के केस में यह हुआ कि एक व्यक्ति के जो जमीन थी उसने उसकी जमीन के सिलसिले में दरख्वास्त दी और यह दरख्वास्त दी उस गरीब ने अलाटी ने कि मेरी जमीन पर जबरदस्ती दर्शनसिंह और बल्लभ कोचर ने कब्जा कर रखा है।

संजय पुरोहित ने अदालत में 183 का दावा किया। 183 का दावा चलता रहा। 183 के दावे के एक महीने के बाद उसने अपने जवाब दावे में यह दिया दर्शन सिंह और बल्लभ कोचर नें। यह उसका दावा है। दावे के अन्दर जमीन खारिज कर दी। जमीन खारीज करके तहसीलदार को रिसिवर बनाया। तहसीलदार को जमीन सौंप दी। जमीन सौंपने के बाद उस दावे के अन्दर एक एप्लीकेशन ली बल्लभ कोचर की। पहले तो उस बल्लभ कोचर और दर्शनसिंह ने यह बयान दिया कि हमने जमीन एक साल के लिए ठेके पर ली थी इसकी जमीन सिर्फ ठेके पर ली थी ताकि वह जमीन उनको मिल जाये, फसल उनको मिल जाये इसलिए दावे के रिकार्ड में है उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दी उन आदमियों ने कि यह तो हमारा कब्जा था और 10 साल पहले का उस गरीब का एक फर्जी अंगूठे इकरारनामा। इकरारनामा पेश किया और उस 183 के दावे को खारिज कर दिया। उसी दिन 6-5-92 की बात है 6-5-92 को खारिज कर दिया दावा और उसी दिन अलाटमेंट कर दिया। उसी दिन पैसे भरवा लिये। दो मुरब्बे उसने एक साथ एक आदमी को उसी गरीब की जमीन को केन्सिल करके ले लिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मेरे पास वह रिपोर्ट है। जो अखबार में सर्वे रिपोर्ट छपी है उसमें कहीं भी यह उसकी सर्वे रिपोर्ट छपी है। इस सर्वे रिपोर्ट में यह जिनको अलाट की है उनका नाम नहीं है। सर्वे रिपोर्ट में यह छपा है कि ये अलाटी हैं और अलाटी की जगह वह कब्जाधारी है। यह सर्वे रिपोर्ट राजस्थान सरकार ने करवाई थी। 30 अप्रैल से पहले और उस सर्वे रिपोर्ट में यह देखा गया था कि इस जगह पर कौन काबिज है। पूरी रिपोर्ट आई क्योंकि यह लोग काबिज नहीं थे उस भूमि पर और इसके पास पैसा था, साधन थे उन अधिकारियों से मिलकर के और उस सर्वे रिपोर्ट को जिसके नोटिस में यह लिखा है कि आपकी इसलिए केंन्सिल की जाती है कि आप सर्वे रिपोर्ट में आप नहीं आपकी जगह और बैठा है तो यह खुद नहीं थे उनकी जगह अलाट कर दी सारे को। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा संजय पुरोहित ने 125-30 मुरब्बे इस तरह से केंन्सिल करके अलाट किये। उस अलाटमेंट में उस आदमी नें एक करोड़ से ज्यादा रुपये खाये। एक करोड़ का मैं सबूत देना चाहूंगा कि उनके पिताजी है उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता वह एस. ई. हैं आपकी राजस्थान सरकार में।

यह संजय पुरोहित थे महीने भर में यह धाप गया। एक रोड़ रुपये इतने ज्यादा थे कि सारी तरफ नोट दिखने लगे। गंगानगर जिले में जो बैंक हैं छोटे-छोटे उन सब में इसने पैसे जमा कराये। वे बोरियो में पैसे भरे। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोरी जो है बोरी में 100-100

(श्री हेतराम बेनीवाल)

के नोट भरता था और वह उठाकर के जोधपुर लाता था मैं इसलिए सबूत दूंगा बोरी का कि उसके पिताजी के पास से एक बोरी पकड़ी गई। वह गटर में पैसे दबा दिये। वह गटर में पैसे खराब हो गये। टट्टी लग गई वह खराब हो गये। वे होटल से लेकर गये के बैंक में। बैंक वालों ने नोट फेंक दिये तो वे साफ करके ले गये थे। बदबू आ रही थी उसने नोट फेंक दिये, नोट नहीं लेंगे।

वे दूबारा वह और उसकी पत्नी एस. ई. और उसकी पत्नी प्रिया होटल में ठहरे जोधपुर में और उन्होंने साढे तीन लाख रुपये धोये। पहले तो उनको धोया किया, वाश बाश करके साढ़े तीन लाख रुपये छुपा दिये। मैं आपसे निवेदन करूं कि यह पकड़े कैसे गये। कि साढ़े तीन लाख रुपये छुपा दिये तो किसी होटल के बैरे ने देख लिया अन्दर नोट ही नोट है और उसने शिकायत कर दी, पुलिस ने उनको पकड़ लिया, नोट पकड़े गये उन सारे नोटों पर जो गड्डी थी उन पर गंगानगर की मोहर थी, गंगानगर की मोहर थी और उसके बाद उनके लाकर्स जो पकड़े गये, भरतपुर में और दूसरी जगह, उनमें 20 लाख रुपये थे, 20 लाख रुपये। एक व्यक्ति के पास जो राजस्थान का एक अधिकारी है।

(9.00 रात्रि)

उसके पास 20 लाख के अगर नोट और केश पकड़े जाय और इस तरह के अलाटमेंट करते हो उसके बाद भी राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी जिन्होंने इस हाउस में एलान किया था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचारियों की नाक से निकलवा लूंगा।

मुझे एक समझ में आता है कि संजय पुरोहित तो ले गया एक करोड़ पर आत्मप्रकाश को क्यों भेजा था। संजय पुरोहित ले गया एक करोड़ तो बाकी पैसे लेने के लिए भेजा था। जिस आत्मप्रकाश के खिलाफ इतनी शिकायतें थी उसने जाते ही शुरू कर दिया काम।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा गंगानगर जिले में और खास तौर से भूमि के घोटाले में मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी गंगानगर जिले में एक एक व्यक्ति के पास 70-80 मुरब्बे काश्त करने को है। राजस्थान कैनाल पूरी तरह से जो आज कहते हैं मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ऐसे गिरोह जो पाकिस्तान से स्मगलिंग करते हैं जिनके उग्रवादियों से किसी न किसी रूप में संबंध रहे है। ऐसे लोग इन अधिकारियों की वजह से जमीन प्राप्त करने में कामयाब रहे हैं और उन्होंने लाखों रुपए देकर जमीन ली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी भूमि के काण्ड की इन्क्वायरी करायी जाय। 60-70 मुरब्बे जिस व्यक्ति के पास है, जांच करायें। आज क्या वजह है कि भूमिहीन गरीब काश्तकारों को तीन-तीन बार अलाटमेंट करते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

(श्री हेतराम बेनीवाल)

मैं निवेदन कर दूं एक-एक आदमी को तीन-तीन बार अलाट हुई। एक ही मुरब्बा तीन-तीन को अलाट हो गया। इस तरह की स्थिति है। लोग लाखों कमाकर चले गये तीन-तीन को अलाटमेन्ट करके, किसान रोते फिरते हैं। गंगाराम जी के पास लाइन लगी रहती है कि हमारे ऊपर कृपा करो एक ही मुरब्बा तीन को अलाट हो गया। मेरा मुरब्बा मिलता नहीं कोई उठाकर ले गया।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में से अगर भ्रष्टाचार के सिलसिले में अगर कदम उठाया है तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए जिन लोगों के खिलाफ इस तरह की इल्जाम है। अंत मे एक निवेदन करना चाहूंगा हाउस से विशेषकर भाजपा और जनता दल (डी) है उनसे कि राजस्थान के गरीब लोगों पर और राजस्थान के किसानों पर रहम करो और हमें भी क्षमा करेंगे अध्यक्षजी की आज जो हाउस में हुआ है निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि मैं तो पहली बार आया हूं अगर इस तरह पास करना शुरू हो गया हम चीखते रहे मान लो थोड़े हैं हम कम है हम यह कहें कि वोट कराओ आप सुनेंगे नहीं। हम तो बात नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक वेल्यूज है उसको कम करने की कोशिश किसी भी सदस्य को, किसी भी पार्टी को नहीं करनी चाहिए यह अपने पैर काटने की चीज है। मैं उम्मीद करूंगा कि हम इस मामले में सचेत होकर हाउस की गरिमा को रखेंगे। मैं यह डाक्यूमेण्ट हाउस में रखने की इजाजत चाहूंगा।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मेरे पास हैं सब कागज।

श्री अध्यक्ष : जिनको लिया हैं उनको टेबल पर रख दीजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कागज हैं तो ससपेण्ड तो नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : भैरोंसिह शेखावत।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि आज देश की आर्थिक नीतियों के संबंध में बड़ा विषद विवेचन किया है। इस विवेचन का लाभ मुझे भी मिला है और निश्चित रूप से अन्य माननीय सदस्यों को भी इस विवेचन का लाभ मिला है।

खाद के विषय से चर्चा शुरू हुई और हम अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ नीति तक पहुच गये। अध्यक्ष महोदय, यह सब जानते हैं कि देश कर्जदार है लगभग 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का इस देश पर कर्जा है और यह भी सही है कि मूल धन हम नहीं चुका पा रहे हैं। इसके ब्याज को चुकाने के लिए हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सारा उत्तरदायित्व इस सरकार का है। इस बात की चर्चा में इम्प्रेशन यह क्रियेट करने की कोशिश की गयी जैसे इस देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ने का उत्तरदायित्व हमारा है।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किसी माननीय सदस्य ने यह प्रश्न नहीं किया कि यह कर्जा क्यों हुआ? यह कर्जा किसने लिया। इस कर्ज का उपयोग कार्य में किया गया। इस कर्ज के कारण देश की उत्पादन शक्ति किस क्षेत्र में कितनी बढ़ी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। अब तक अध्यक्ष महोदय, 1947 से लेकर 1992 तक ढाई वर्ष 1977 से 1980 तक और 1 वर्ष अभी इन साढ़े तीन वर्षों को छोड़कर इन 45 वर्षों में यदि राज्य इस देश में रहा है तो केवल कांग्रेस पार्टी का रहा है।

अब इन साढ़े 43 वर्षों की आर्थिक नीतियों का परिणाम यदि इसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जाय मैं समझता हूं उचित नहीं होगा लेकिन आपके इस अधिकार के बारे में मैं कोई आक्षेप नहीं करना चाहूंगा। अगर देश को उस समय सम्भाल कर रखते जितना कर्जा लिया उसको उत्पादन कार्य में व्यय करते देश की उत्पादन शक्ति बढ़ाते तो कर्ज का भी चुकारा कर दिया जाता और कर्ज से देश को लाभ भी मिलता।

अब आज कर्ज में देश डूब गया, कर्ज में देश जब डूब जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई आदमी सहायता करने के लिए तैयार नहीं होता। उस स्थिति में शोषण करने की प्रवृति बढ़ती है। पहले कर्जदार कर्जा देगा, कर्ज का चुकारा नहीं होगा तो काश्तकार की भूमि लेने की कोशिश करेगा, भूमि ले ली तो मकान लेने की कोशिश करेगा, मकान ले लिया तो पशु और बाकी का धन लेने की कोशिश करेगा यह कर्ज देने वाले की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। कर्जा मैंने खेते में खाद डालने के लिए लिया है और दादा के मौसेर पर रुपया खर्च कर दूं तो खेती के उत्पादन से जो मैं कर्ज का चुकारा करना चाहता था वह कर्ज का चुकारा नहीं कर सकूंगा और एक दिन मजबूर होकर उस कर्जदार को मुझे अपनी जमीन बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, यदि आज उस स्थिति पर विचार करें तो 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज यदि हिन्दुस्तान में उत्पादन कार्यों पर खर्च हो जाता तो न तो इस देश में गरीबी रहती न ही इस देश में बेकारी रहती न इस देश में प्रति व्यक्ति आय में किसी प्रकार की कमी होती लेकिन जब डूब गये तो जा रहे हैं अमेरिका हमें कर्जा देओ और कर्जा देने वाला देखता है कि इनके पास कोई साधन नहीं है कि देश में रोज मर्रा का खर्चा चला सके। बेलेंस आफ पेमेण्ट को मेण्टेन कर सके। फोरन एक्सचेंज रिजर्व को बनाकर रख सके यह स्थिति नहीं है तो यह बात बिल्कुल सही है और मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि विश्व बैंक हो या आई. एम. एफ. हो, उनकी शर्तों पर हमें झुकना पड़ रहा है। हम से मतलब भारत सरकार से और जब झुकना पड़ रहा है। तो उसके कारण खाद भी महंगी करायी जा रही है।

पैट्रोल और डीजल महंगा करवाया

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जा रहा है, सारे गवर्नमैण्ट सैक्टर में कीमतें बढ़ायी जा रही हैं, नीतियों में परिवर्तन कराया जा रहा है, लिबरलाइजेशन के नाम पर मल्टीनेशनल्स को यहां इन्वाइट किया जा रहा है, ये सब बातें उसका परिणाम हैं उस परिणाम से बचने का तरीका क्या ?, यदि बचने का तरीका एक ही हो कि जो कुछ कर्जा हमने लिया है उसका चुकारा हम नहीं करें, या उससे बचने का तरीका यह हो कि हम देश में जो कुछ भी हमारे पास पूंजी है उस पूंजी का इस प्रकार से उपयोग करें कि हमें भविष्य में ज्यादा कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं हो और जो कुछ भी हमारे पास पूंजी है ईमानदारी से उस पूंजी को उसी रूप में हम काम लेकर अपनी उत्पादन शक्ति को बढ़ाएं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है, पिछली 26 तारीख को आस्टियरिटी कमेटी के नाम पर एन. डी. सी. की मीटिंग बुलायी जाने वाली थी। सारे राज्यों के मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया। सारे राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को बुला कर जो कुछ आस्टियरिटी कमेटी ने सिफारिशें की थीं उन सिफारिशों को लागू किस प्रकार कराया जाय, इस सम्बन्ध में बैठक से बुलायी गयी। इस सरकार की विश्वसनीयता कितनी है ? समिति के चेयरमैन हैं प्रोफेसर केदारजी की पार्टी के श्री बीजू पटनायक। उस कमेटी ने सिफारिश की कि डी. ए. फ्रीज किया जाय, बोनस फ्रीज किया जाय।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : स्तीफा दे दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रिजाइन तो बाद में किया, कमेटी की रिकमण्डेशन की बात मैं कर रहा हूं।

हमारे लोगों ने कहा कि आप एक बार प्राइसेज को फ्रीज कर दो कि आज के बाद हिन्दुस्तान में मूल्य वृद्धि नहीं होगी। उसके बाद इन प्रश्नों के ऊपर विचार किया जा सकता है कि डी.ए. फ्रीज किया जाय या नहीं। लेकिन मूल्य वृद्धि को तो सरकार रोक नहीं सकती, तो वह सरकार डी. ए. को फ्रीज नहीं कर सकती। वह बोनस को फ्रिज नहीं कर सकती। प्रोफेसर साहब, आप मुझे बहुत लम्बा-चौड़ा उपदेश दे रहे थे। आपकी पार्टी ने कभी इस बात पर विचार किया है कि डी. ए. फ्रीज करने का, बोनस फ्रीज करने का परिणाम क्या होगा ? उस समय तो किसी ने विचार नहीं किया।

मुझे दुख है कि बीजू पटनायक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी, बीजू पटनायक ने त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र इस बात पर दिया कि भारत सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने के साथ साथ डी. ए. बढ़ा दिया, चर्चा करने के साथ-साथ बोनस बढ़ा दिया। आज उसी पार्टी के सदस्य मुझे आर्थिक श्रोत बताते हैं, आर्थिक नीतियों पर उपदेश देते हैं। मुझे क्षमा करेंगे, मैं उसको मानने को तैयार नहीं।

श्री नत्थीसिंह : बीजू जी इनके बस में नहीं है, आप जानते हैं इस बात को।

श्री केदारनाथ शर्मा : न मैं उनके बस में हूं न वे मेरे बस में हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनके बस में नहीं हैं, मैं यह समझता हूं, लेकिन प्रोफेसर केदार एक वक्तव्य तो दे सकते थे कि यह हमारी पार्टी की नीति नहीं है। लेकिन आज तक नहीं बोले।

श्री केदारनाथ शर्मा : अंग्रेजी में कहावत है : He follows none and none followed me.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, पण्डित जी, व्यक्तिशः आपको नहीं कह रहा। आपकी पार्टी के नेता वी पी. सिंहजी नहीं बोले, आपकी पार्टी के अध्यक्ष बोम्मई साहब नहीं बोले। कोई नहीं बोले, सब हजम कर गये।

श्री केदारनाथ शर्मा : चिन्तन कर रहे हैं वे। सोल सर्चिग हो रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चिन्तन कर रहे हैं कोई बात नहीं। आप किस नतीजे पर पहुंचे, आपकी मर्जी की बात है। लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूं कि चर्चा करें उस चर्चा करने का कोई आधार होना चाहिए। आपने हम पर तो आरोप लगा दिया कि हम व्यापारियों की संस्था हैं, व्यापारियों का हम हितचिन्तन कर रहे हैं। लेकिन इसी बात पर मैं आप पर आरोप लगाऊं कि मजदूरों और सरकारी कर्मचारियों का शोषण करने के लिए आस्टियरिटी कमेटी में आपकी पार्टी ने ये सिफारिशें की हैं ? मैं नहीं कहना चाहता। मजबूरियां होंगी। लेकिन जो बोलें तो थोड़ा सावधानी से बोलें कि हम कह क्या रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, यहां कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस की लिबरलाइजेशन की पालिसी का समर्थन किया है।

श्री यदुनाथसिंह : बढ़ चढ़ कर। अमेरिका में जाकर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बहुत बढ चढकर किया। आपको यह पता होगा कि इस सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी लायी थी।

श्री यदुनाथ सिंह : दिखाने के लिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लायी थी न ? लेकिन आपने तो मजबूरी में ही हमारा साथ नहीं दिया।

श्री नत्थीसिंह : हम आपकी जेब में थोड़े ही खेलेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन आप बताइये, जनता दल, बी. जे. पी. दोनों कम्युनिस्ट पार्टियां और बाकी के लोगों ने नरसिंह राव की सरकार का विरोध किया। मैं नत्थी सिंहजी, आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका यह नया दल उस समय कहां था ?

श्री नत्थीसिंह : खाद के मामले में सबसे पहले दिया, डीजल के मामले में सबसे

(श्री नत्थीसिंह)

पहले दिया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं केवल अविश्वास के प्रस्ताव की बात कर रहा हूं। आपने कहा कि नरसिंह राव की नीतियों का विरोध....

श्री नत्थीसिंह : हमने बड़ा साफ कहा था वहां हाउस में कि हम सरकार को गिराकर अभी चुनाव कराना नहीं चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मतलब यह है कि नरसिंह रावजी की गवर्नमैण्ट के खिलाफ जब विपक्ष ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा तब आपने उस सरकार के खिलाफ वोट नहीं दिया। अब यह सदन अन्दाजा लगा ले कि इस सरकार से मिला हुआ कौन है। इस सरकार से हम मिले हुए हैं या ये जिन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया ?

श्री देवेन्द्रसिंह : लोक सभा के उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ तब कौन मिला हुआ था ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे मिले हुए थे न हम, आपके कहने का मतलब यह है न ? मैं एक और बताऊं आपको कि यह मिलने-जुलने की प्रक्रिया नहीं है, यह इस विधान सभा में भी हुआ है। विपक्ष का उपाध्यक्ष चुना गया और कांग्रेस सत्तारूढ़ दल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, यह कई विधानसभाओं में हुआ है। यह मिलने-जुलने का सवाल नहीं है यदि आप यह चाहते हैं, और मन में यह महसूस करके चलते है कि बी. जे. पी. कांग्रेस से मिल गयी तो क्या आप कहने को तैयार हैं ?

श्री देवेन्द्र सिंह : मजबूरी हो जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप जो जोर-शोर से बोल रहे थे कि नरसिंह राव सरकार से मिल लिये, हाथ मिला लिया, यह कर लिया वह कर लिया, वे जरा यह देखें कि मौका आया था नरसिंह राव की सरकार को हटाने का उस समय हम नरसिंह राव की सरकार के खिलाफ नहीं थे।

श्री यदुनाथसिंह : क्रीएशन तो आपका है। नेशनल फ्रण्ट की सरकार को नहीं गिराते तो नरसिंह राव आते कहां से ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बैकग्राउण्ड क्या था क्या नहीं, उसको छोड़िये।

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप जा रहे हो तो हम थोड़ा और जा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको कह रहा हूं कि बड़े जोर से बोल रहे थे। अगर एक महीने पहले इस सरकार के खिलाफ वोट दे देते तो खाद की कीमत नहीं बढती, पैट्रोल की कीमत नहीं बढती डीजल की कीमत नहीं बढती। यह सारा जो किसानों के साथ अन्याय हुआ है वह उस सरकार ने किया जिस सरकार को आपने बचाया था।

श्री नत्थीसिंह : लिकिन बिजली की कीमत भी बढ़ा रहे हो आप तो ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जो कुछ कहा मैं बोला नहीं। यह तो मैं ताजा बात कर रहा हूं। खाद की कीमत ताजा बढ़ी है और आपने अविश्वास प्रस्ताव का विरोध बहुत ताजा किया है। पुरानी बातें कहने की बजाय मैं तो ताजा बात कह रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह स्मरण हो जाये।

मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, आप काश्तकार को यह समझते हो कि काश्तकार के बुद्धि नहीं है? यह आपकी गलत धारणा है। काश्तकार को यह मत समझो कि हमने विधान सभा में कह दिया कि खाद की कीमत भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ गयी। आज राजस्थान और हिन्दुस्तान का किसान इस बात को जानता है कि खाद की कीमत किसने बढ़ाई है। खाद की कीमत बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इसको अच्छी तरह पहचानता है।

मैं मेरे सामने बैठे हुए मित्रों से कहना चाहता हूं, आपने यहां घोषणा पत्र का जिक्र किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्र का पालन नहीं किया। आपने तो वोट लिये जनता को यह कहकर कि 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। भूल गये? घोषणा पत्र में तीन लाइनों में लिखा हुआ है, उस बात को आप भूल गये?

श्री यदुनाथ सिंह : 100 प्रतिशत बढा दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे, वह कहां गयी? क्या महंगाई कम करने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की नहीं है? महंगाई कम करने की जिम्मेदारी, हिन्दुस्तान का जिस प्रकार का आर्थिक तन्त्र है उस आर्थिक तन्त्र में दिल्ली में जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी है। आपको 100 दिन याद नहीं रहे। 100 दिन याद ही नहीं रहे, जो कुछ आपने जनता से वायदा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, आज आप महंगाई बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। डीजल की कीमत आपने बढ़ायी, पैट्रोल की कीमत आपने बढ़ायी, सभी प्रकार की खादों की कीमत आपने बढ़ायी। रसोई गैस की कीमत आपने बढ़ा दी, पी. डी. एस. में सामान जो बिकता है, उसकी कीमत आपने बढ़ाई, रेल्वे भाड़ा आपने बढ़ाया, पोस्टल सर्विसेज के चार्जेज आपने बढ़ाये, लोहे की कीमत आपने बढ़ाई, सीमेंट की कीमत आपने बढ़ाई और फिर आज कहते हो। मैं कहूं कि क्या यह उत्पादन पब्लिक सैक्टर में होता है?

श्री रामसिंह विश्नोई : बढ़ाई नहीं, बढ़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या ये सब चीजें जो मैंने बताई है....

श्री रामसिंह विश्नोई : नेता महोदय, दिल्ली में सरकार आपकी रही, उसकी वजह से बढ़ानी पड़ी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्कुल सही है। यह बहुत सही है, आप कह रहे हैं।

मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रहा कि केवल इस हिसाब से मत सोचो हूं कि हमने चीजों की कीमत बढ़ाई है। आज वह सरकार यदि कहें कि चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि उस सरकार पर आरोप लगाने के पहले आपको इस बात का विचार करना चाहिये कि खाद की कीमत दो बार बढ़ी, एक बार सब्सिडी विदड्रा की, दूसरी बार आपने खाद की कीमत बढ़ा दी और खाद की कीमत बढ़ा दी और खाद की कीमत बढ़ाकर अब एक हजार रुपया प्रति मीट्रिक टन आपने कम किया। अब यह जो जगमालसिंहजी या सम्पतसिंहजी ने कहा था कि बच्चा टाफी मांगता हो, टाफी नहीं देने के लिए दिवाल के आले में बैठा दो।

आपने पहले कीमत बढ़ा दी और कीमत बढ़ाने के बाद आप कहें कि हम एक हजार रुपया कम कर रहे हैं, एक हजार रुपया कम कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आपने आज के 15 दिन पहले जो हजार रुपये ज्यादा बढ़ा के अन्याय किया था? 4 हजार बढ़ाया, उसमें एक हजार कम किया। तो 3 हजार आपने बढ़ा दिया और एक हजार रुपया आपने कम किया किस आधार पर? सारे राजस्थान में विरोध होने लगा। परसरामजी ने पत्र लिखा, हमने भी पत्र लिखा, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने भी पत्र लिखे होंगे। जानते वे भी है कि काश्तकार इस बात से बड़े नाराज हैं।

मैं सम्पत सिंहजी और जगमाल सिंहजी के सुझाव को स्वीकार करता हूं। यदि जो चीज हमारे काबू में नहीं है, उस चीज को काबू में लेने के लिये यह सदन सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पास करें और करके सदन के सभी माननीय सदस्य अलग-अलग पक्ष के एक डेपुटेशन लेकर दिल्ली चलें। मैं आपकी लीडरशिप स्वीकार करूंगा, आप हमारे नेता होंगे, हम आपके फालोअर होंगे, प्रधान मंत्रीजी के पास चलिये और काश्तकारों पर जो 3 हजार रुपये प्रति मीट्रिक टन का बोझ आया है, इसको कम करवाइये। इस सदन में प्रस्ताव पास करने से दिक्कत क्या है?

मैं आज आपको यह बता देता हूं कि आपके यहां आज जो स्थिति है, वह सारे राज्यों में चल रही है। सारे राज्यों में चल रही हैं। यदि सब राज्य मिलकर के केन्द्र सरकार के पास चलेंगे, निश्चित रूप से खाद की कीमतें कम होंगी और जब आप मुझे कह रहे हैं कि आपको श्रीगणेश करना चाहिये तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा को इस बात का श्रीगणेश करना चाहिये कि सब पार्टियों ने मिलकर बढ़ी हुई खाद की कीमतों का विरोध किया है। मेरा विश्वास है कि हमने यहां से शुरूआत हो तो हिन्दुस्तान की हर विधान सभा इस प्रकार का प्रस्ताव पास करेगी और भारत सरकार को झुकना पड़ेगा। अब यदि वास्तव में खाद की कीमत कम करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खड़े हो।

श्री रामसिंह बिश्नोई : वे कहेंगे कि बिजली की कीमत पहले कम करो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अच्छा, एक काम करिये। खाद की कीमत हटा दीजिये और बिजली की कीमत मैं बिदड़ा करता हूं। एग्रीड (व्यवधान) अब आज से इनका विरोध करना शुरू करो।

मैं इसलिये कह रहा हूं कि चर्चा करना और किसी मामले को उछालना बहुत आसान है। मैंने जब कहा कि 18,000 टन वह पुरानी कीमत के अन्दर बिकना चाहिये। मेरे ऐसी जानकारी है कि लगभग 1,44,000 टन खाद का उपयोग गत वर्ष राजस्थान में हुआ था। इस साल का भी इतना आंकड़ा थोड़ा बढ़ाकर होगा। अब उसमें 18,000 टन यह था तो पुरानी रेट पर बिकना चाहिये था लेकिन 1,44,000 में 18,000 अगर पुरानी रेट पर पर भी बिक जाता, जो मैं समझता हूं कुछ बातों को छोड़कर बिका है, लेकिन मान लीजिये नहीं बिका, आपका कहना मैं मान लूं कि वह नहीं बिका तो क्या किसानों को 18,000 टन को माइनस करने के बाद जो 1,28,000 टन की आवश्यकता है, वह क्या सस्ते भावों पर मिलेगा ? वह सस्ते भावों पर नहीं मिलेगा। तो जहां मेजोरिटी का उसका सारा सार है और उसमें जो अधिकांश हिस्सा है, वह अधिकांश हिस्सा तो बढ़ी हुई रेट्स के आधार पर किसानों को मिलेगा।

अब 18,000 के मामले में आपने कहा, हालांकि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि इसमें किसी प्रकार की ब्लेक मेलिंग नहीं हो लेकिन मैं आपको एक बात कह के चलता हूं कि मेरी जगह कोई भी बैठ जाय, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन यदि अचानक कोई आपकी सारी कण्ट्रोल्ड इकोनामी को चलते-चलते आपकी किसी चीज को डिकण्ट्रोल करें, अचानक डिकन्ट्रोल करेंगे तो व्यवस्था में चाहे यदुनाथसिंजी बैठे हो, चाहे नत्थीसिंहजी बैठे हो, चाहे लम्बा भाषण देने वाले प्रो. केदार बैठे हो, मैं समझता हूं कि जो कुछ हम व्यवस्था कर पाये, उतनी व्यवस्था भी नहीं कर पाते, फिर भी मैं सदन का आह्वान करता हूं कि यदि आपकी जानकारी में कहीं भी इस बात की तनिक भी हवा मिल जाय कि अमुक आदमी ने ब्लेकमार्केटिंग किया है, किसी अमुक आदमी ने इस प्रकार कालाबाजारी की है तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के खिलाफ जो भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, करेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई सन्देह नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की खुशकिस्मती है कि 1947 से लेकर आज तक राजस्थान में पहली बार सर्वत्र सुखद बरसात हुई है। पहली बार। काश्तकार बड़ा सुखी था, काश्तकार की उमंग बढ़ी है, काश्तकार की अपेक्षा बढ़ी है, काश्तकार यह कल्पना करता है कि इतने क्षेत्र में सरसों बोऊंगा, इतने क्षेत्र में गेहूं बोऊंगा, इतने क्षेत्र में चना बोऊंगा, उसका यह उत्पादन होगा, मेरी गरीबी मिटेगी, मेरी आर्थिक समस्याओं का समाधान होगा। आदमी जब अपेक्षा ज्यादा करता है और उस समय झटका लगता है तो दर्द ज्यादा होता है। आज उसकी अपेक्षा थी कि

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पुरानी रेट के ऊपर खाद की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा और मुझे खाद जैसे पुराने समय में मिलती थी, उसी प्रकार की पुरानी दरों पर मुझे खाद मिल जायेगी। इस आशा पर कुठाराघात किसने किया है ? प्रकृति ने कृपा की और बरसात अच्छी हुई लेकिन दिल्ली की सरकार ने उसकी आशाओं पर कुठाराघात किया है। उसको नहीं चिन्ता है।

श्री हेतराम बेनीवाल : थोड़ा झटका आपने भी दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कह दिया है, पहले ही कह दिया है। मैं उस चीज को छिपाऊंगा नहीं। अगर किसी ने गलती की है तो पकड़ा जायेगा, सजा होगी, सब कुछ होगा लेकिन मैंने कहा कि 1,44,000 टन में केवल 18,000 टन में सारी बात को लेकर आप यह कहें कि राजस्थान के काश्तकारों की तबाही केवल राजस्थान की सरकार ने ही कर दी है, ऐसी स्थिति नहीं है।

अभी माननीय प्रो. केदार और उनकी पार्टी बिहार मे यदि बहुत अच्छी हो रही है तो मुझे दे दें मैं उदाहरण के रूप में उसको स्वीकार करूंगा।

श्री केदार नाथ शर्मा : बची-खुची पार्टी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बची-खुची लेकिन बिहार के मुख्य मन्त्री तो बचे हुए हैं। उन्होंने खाद के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की हो, मुझे बता दें, उन्होंने कोई किसी प्रकार के टैक्सेज में रियायत दी हो, मुझे बता दें और कांग्रेस के मित्रो से भी कहना चाहूंगा कि एक तरफ आपने खाद की कीमत बढ़ा दी, किसी भी कांग्रेस के राज्य में चाहे आक्ट्राई की हो, चाहे सैल्स टैक्स की हो किसी भी प्रकार की रियायत दी हो, तो मुझे उदाहरण दें। भाव तो सब एक जगह हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : आप घटा दोगे तो वह सरकार आपकी पूंछ उखाड़ लेगी क्या ? आप घटा दो। आप उनको फालो क्यों कर रहे हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं, अध्यक्ष महोदय, इसलिये निवेदन कर रहा था कि अब यहां व्यापारियों की बात कही गई। मैं इतना बताना चाहता हूं कि आज फर्टिलाइजर की कम्पनी किसके कब्जे में है ? यह सही है कि कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में है। लेकिन अधिकांश प्राइवेट सैक्टर में हैं। आपने देखा होगा कि डीलर तो उसी भाव से बेचेगा, उसी भाव से बेचेगा जो पहले भाव था लेकिन मैन्यूफैक्चरर्स के ऊपर यह लागू नहीं होता और मैन्यूफैक्चरर ज्यादा प्राइवेट सैक्टर में है। तो यदि कांग्रेस के मित्र हमको व्यापारियों की संस्था बतायें तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी तो पूंजीपतियों की संस्था है न। प्राइवेट सैक्टर में तो माल का उत्पादन हो गया, उसकी, कीमत पुरानी कीमत नहीं रही। उसकी नई कीमत आ गई, उस नई कीमत पर पूंजी-

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पति माल बेचता है तो आपको कोई चिन्ता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, कई बार पहले भी यह प्रश्न आया था। फर्टीलाइजर पर सब्सिडी दी जाती है, वह सब्सिडी फर्टीलाइजर के ऊपर काश्तकार को कम मिलती हैं और उद्योगपतियों को ज्यादा मिलती है। हम तो केवल एजेन्ट थे, हम तो उनके, मैन्यूफेक्चरर्स के माल को बेचने वाले एजेन्ट्स थे लेकिन सब्सिडी मिलती थी करोड़पतियों और अरब पतियों को। आज वह करोड़पति और अरबपति इनके फर्टीलाइजर का मैन्यूफेक्चर करने लग गए, पुरानी कीमत के आधार पर मैन्यूफेक्चर कर लिया, उसकी तो आपको चिन्ता नहीं हुई और यहां पर आपको चिन्ता होने लग गई कि 18 हजार टन, ये व्यापारियों की सस्था है, ये यूं है, ये यूं हैं। मैं समझता हूं कि कोई किसी पर आरोप लगाए उसके पहले अपना चेहरा शीशे में देख ले तो असलियत का पता लग जाएगा और उसके बाद में बोलने की कुछ चेष्टा करेगा।

(9.30 रात्रि)

(श्री हीरासिंह चौहान, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज फिर कहना चाहता हूं कि कुछ दिनों में प्राइसेज फिर बढ़ने वाली हैं कई चीजों पर सर्विस चार्जेज बढ़ने वाले हैं, यह सब कुछ व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जैसा सदन के माननीय सदस्यों ने कहा कि राजस्थान सरकार की ओर से भी इस पर विचार किया जाए। राजस्थान में सैल्स टेक्स लगता है 6 प्रतिशत, पड़ोसी के राज्यों में, गुजरात में यहां पर लगता है 4 प्रतिशत। मैं राजस्थान में भी सैल्स टेक्स को घटा कर 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत ले आऊंगा।

यह सब कुछ करने के बाद भी इस किसान की खाद के कारण से जो समस्या पैदा हुई है उसका समाधान तो केवल तब ही होगा जब दिल्ली की सरकार खाद की बढ़ी हुई रेट्स को वापस ले। यह वापस लेने की क्षमता विधान सभा राजस्थान में है, राजस्थान विधान सभा अगुवाई करे, सारा देश प्रद्युम्नसिंहजी आपका, यदुनाथसिंहजी आपका, आपके नत्थीसिंहजी का परसरामजी आपका, सब का फालो करेगा। हम सब यहां से मार्च करें।

श्री यदुनाथसिंह : चलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं भी साथ हूं आपके, अपने अकेले ही क्या चलें? कांग्रेस पार्टी के मित्रों को तैयार करो। यह सब तैयार हो जाएं, यहां से रवाना हो जाएं कल विधान सभा एडजोर्न होने के बाद... (व्यवधान)...

श्री नत्थीसिंह : यह भी सोचेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चलो दिल्ली और दिल्ली चलो का नारा लगाकर काश्तकार सहित पहुंच जायं पालियामेंट भवन पर, प्राइम मिनिस्टर के 3 रेस कोर्स मार्ग पर और वहां जाकर दस्तक देवें कि किसानों के साथ आपने अन्याय किया है, अत्याचार

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया है, किसानों के साथ विश्वासघात किया है, इस विश्वासघात को वापस लेग्रो। मैं ग्रपनी पार्टी की तरफ से तैयार हूं। ग्राप कहें तो ग्रभी तैयार हूं, रवाना हो सकता हूं, ग्राप कहें तो कल शाम को, ग्राप जिस समय भी ग्राज्ञा देंगे कि भैरोंसिंह मार्च करो, भैरोंसिंह तैयार हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ग्रपन सब एक साथ चलेंगे तो ज्यादा ग्रच्छा होगा ... (व्यवधान)....

श्री रघुवीरसिंह कौशल : चलेंगे श्री प्रद्युम्नसिंहजी ?

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो यह प्रसंग मैं खत्म करता हूं। ग्राप लोगों ने काफी जोर से मुझे ग्रादेश दिया ग्रौर मैं समझता हूं कि मेरा भी फर्ज है कि कितना इस समय एक संकट में फंसा हुग्रा है। जिसका उसको मैं ग्रपना सहयोग कर सकूं, मैं सहयोग करूं। ग्रापने वाणी से सहयोग किया है ग्रौर मैंने कर्म से सहयोग किया है। इस ग्राधार पर इस चेप्टर पर मैं ग्रब ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं ....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ग्रापने 500 रुपये की बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : 500 रुपये नहीं, ग्राप तो लूट लेग्रो मुझे.. (व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : क्योंकि ग्राप इस चेप्टर को समाप्त कर रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं ग्रौर ग्राप स्पष्टीकरण देंगे जिन प्लान्ट्स या फैक्टरीज में मैन्यूफेक्चर हो रहा था फर्टीलाइजर्स का, ग्रापके कहने का ग्रर्थ यह निकल रहा है, क्योंकि डाइरेक्टली इसमें सब्सिडी दी जा रही थी फैक्टरीज को तो फैक्टरीज ने सब्सिडी भी ले ली ग्रौर जो मैन्यूफेक्चर स्टाक है उसके भाव भी बढ़ा दिए। ग्राप यह कह रहे हैं क्या ? यह सम्भव ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्राप बता दें, ग्रापकी जानकारी क्या है ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरी जानकारी यह है कि उनको सब्सिडी नहीं दी गई उस स्टाक पर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ग्रच्छा, ठीक है। ग्रपन जानकारी कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रपन साथ दिल्ली चलें, दिल्ली जायेंगे,

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, दिल्ली चलेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : दिल्ली में स्पष्टीकरण बहुत ग्रच्छी तरह से फिर दुबारा कर लेंगे (व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों मिल कर स्पष्टीकरण कर लेंगे, ले लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : पर स्पष्टीकरण मैं केवल यह कह रहा हूं....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मिलने वाला, ठीक है। दोनों मिल कर, परसराम जी राजस्थान के काश्तकारों की कई समस्याओं का समाधान कर देंगे, परसरामजी अपन दोनों मिल जाएं तो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मुख्यमंत्री जी एक बात और कहूं मैं इसलिए कह रहा था कि इस पर कुछ डिसीजन हुए हैं मोडिफाइड पालिसीज पर, मोडिफाइड पालिसीज के जो ग्राफ शूट्स और जब तक आप उसका कोई मैकेनिज्म तैयार नहीं करेंगे, या गाइड लाइन्स इश्यू नहीं करेंगे तो वह रेट जो 450 रुपये लिए हैं, कल थे वे लोग यहां पर ....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, सही है आपकी बात।

श्री परसराम मदेरणा : इसलिए मैं यह कह रहा था कि अभी मैंने इस सम्बन्ध में जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका तो जवाब दिया नहीं कि आप क्या मैकेनिज्म कर रहे हैं इस 1 हजार रुपये का करने का और कितने दिन में होगा। वह नहीं करेंगे तो वह तो प्राइवेट आदमियों के हाथ में है, अब स्टाक जो प्राइवेट लोगों के पास है वह तो अपनी मरजी से बेचेंगे। इसलिए कोई न कोई मैकेनिज्म इन्वालव करना पड़ेगा, गाइड लाइन्स देनी पड़ेगी। मेरा मतलब यह था कहने का।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कन्ट्रोल इकोनोमी को मार्केट इकोनोमी में आप कन्वर्ट करना चाहते है तो डेमोक्रेसी में एक झटके से नहीं हो सकती है। जहां डेमोक्रेटिक सारा ढांचा है उस ढांचे में बिलकुल डी-कंट्रोल इकोनोमी को आप एक कंट्रोल इकोनोमी में नेक्स्ट मोर्निंग सुबह 12 बजे उठे और उठकर आप घोषणा कर दें कि आज से डी-कंट्रोल । के ओस हो जाएं कन्ट्री में, जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। आपको किसी चीज को डी-कंट्रोल भी करना था, आप यह चाहते थे कि फर्टीलाइजर का हमको डी-कंट्रोल करना है तो यह भी आपकी जानकारी में था कि आज तक जिसको कन्ट्रोल कोमोडेटीज के रूप में देते जा रहे हैं, सब्सिडाइज आइटम्स के रूप में हम इसकी बिक्री कर रहे हैं तो यह विचार करना चाहिए था।

जैसा आज कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वर्ल्ड बैंक और आई. एम. एफ. सबसे बड़ा उनका हमला है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हिन्दुस्तान का गिरे और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन गिरे और हिन्दुस्तान भी कटोरा लेकर संसार में अनाज मांगने के लिए निकल जाएं। आज जब इस प्रकार की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में केन्द्रीय सरकार को सोचना चाहिए था कि डेमोक्रेसी में इस तरह की चीज टोलरेबल नहीं है डेमोक्रेसी को सूट नहीं करती है। जनता को आगाह करते, जनता को विश्वास में लेकर शनैः शनैः हम डी-कंट्रोल की व्यवस्था करते तो मैं समझता हूं कि शनैः शनैः जहर पिया जा सकता है लेकिन आपने अचानक 10 गोलियां जहर की टिका दी और बाद में कहें कि हमें तो 11000 करोड़ रुपये का 1995—96 में फर्टीलाइजर के क्षेत में घाटा होने का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

अनुमान था और इस आधार पर हमने एकदम डी-कन्ट्रोल कर दिया। कोई भी हिन्दुस्तान के बाहर आपकी इस समझदारी की प्रशंसा नहीं करेगा और खास तौर से लोकतांत्रिक देशों में। इस प्रकार की डिक्टेटरशिप अगर चलेगी तो हिन्दुस्तान में केआस हो जाएगा, हिन्दुस्तान में ला एण्ड आर्डर की प्राब्लम क्रिएट होगी, हिन्दुस्तान में लोग खड़े होंगे और सरकारें नहीं चलने देंगे। अगर लोकतंत्र में अर्थ-तंत्र को, इन दोनों को आप लड़ाना चाहते हैं, लोकतंत्र और अर्थतंत्र में किसी प्रकार का विरोधाभास पैदा करना चाहते हैं तो ऐसे लोकतंत्र में न अर्थशास्त्र चलेगा और न ऐसे अर्थतंत्र से लोकतंत्र चलेगा।...(व्यवधान)....

श्री परसराम मदेरणा : मुख्य मंत्रीजी लोकतंत्र में कोई भी इस सदन की माननीय सदस्य अगर लम्बा भाषण देता है तो बराबर टोंट कस रहे हैं, अगर वह जो कोई बात कहता है उसको अधिकार है। आपने भी तो इस सदन में सबसे ज्यादा-2 घंटे के भाषण टिकाए हैं और आज गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य को आप उपदेश दे रहे थे कि मुझे लम्बा चौड़ा उपदेश का लम्बा भाषण दे दिया। बहुत कम बात कहते हैं, कभी कभी बोलते हैं और वह भी बहुत रिलेवेंट बात कहते हैं।....(व्यवधान)....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मान गया।

श्री परसराम मदेरणा : उनको तो आपने यह कहा और आज आप....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं समझ गया।

श्री परसराम मदेरणा : यह आप लोकतंत्र के नाम पर जहां आनरकी लाना चाहते हैं। माननीय सदस्य के राइट्स पर कुठाराघात कर रहे हैं। अगर वह बोल रहे थे, कोई बात कह रहे थे—**he is within his rights here in this sovereign House.**

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, मदेरणा साहब, मैंने वकालत तो नहीं की लेकिन मैंने कई बार जब वकील तर्क-वितर्क करते हैं उसमें उसका जब कमजोर पक्ष होता है, बिल्कुल कमजोर पक्ष होता है तो दूसरे वकील से कहता है कि आप आज खाना खाकर नहीं आए...(व्यवधान)...

श्री परसराम मदेरणा : वह तो बोलते नहीं है, बड़प्पन है उनका। लेकिन यह लम्बे भाषण वाली बात कही, बहुत अच्छा भाषण था। बहुत सारगर्भित भाषण था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका पक्ष कुछ कमजोर पक्ष वाले वकील का सा है। आपका तर्क मैं समझ गया आपका तर्क उस कमजोर पक्ष वाले वकील का सा है जो तर्क से दूसरे वकील को हरा नहीं सकता तो इसको कह रहा है कि आप खाना खा कर नहीं आये, ज्यादा मत बोलो, मेरी समझ में नहीं आता, इसका मतलब मैं

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

समझ गया आपके पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : आप एक घंटे बोलो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक घंटा नहीं मैंने तो तीन घंटे तक आपकी आलोचना सुनी है। मैं समझता हूं ज्यादा ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रो. साहब मेरे मित्र है उसमें आप कोई वहम नहीं करें यह मित्रता आपकी तरफ नहीं जायेगी, आप चाहे उनकी कितनी वकालत कर लें ये मेरे साथ है तो रहेंगे। मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यहां पर एक प्रश्न आया, मैं समझता हूं इस चीज का अन्त इसी से होगा कि यदुनाथसिंहजी, सम्पतसिंहजी, जगमालसिंह जी सब मिल कर कांग्रेस पार्टी के साथ अभी बैठ जाओ मैं भाषण खतम करू उस समय तक संकल्प लिख कर ले आओ अपने साथ....(व्यवधान)

श्री मोहम्मद माहिर आजाद : आप रखिये ना, सदन के नेता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं सदन के नेता की तरफ से आपको अधिकार देता हूं आप पेश कर दो इसकी कोई ऐसी बात नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा उठाई गई उसका भी जिक्र करना चाहता हूं यहां पर एक माननीय सदस्य बोले कि भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ और बोले इस आधार पर कि कांग्रेस पार्टी का राज गया तब से भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। इसका मतलब कांग्रेस राज को ठेका था भ्रष्टाचार फैलाने का और मेरा काम था उसको मिटाने का.. ..(व्यवधान) सुनिये आप।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप तो फैक्ट्स अपनी तरफ से पैदा करते हैं, जो प्रश्न यहां उठाये नहीं गये उसका उत्तर देने लगते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैने आपका नाम नहीं लिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, से इतना ही कह सकता हूं अभी माननीय हेतरामजी ने कुछ मामले रखे हैं, वह मामले मेरी जानकारी में हैं, इन सबकी जांच चल रही है। आपने जो कागज रखे वह कागज भी जब हमने मंगवाये उस समय तैयार हुये थे इसके सम्बन्ध में दो काम थे एक तो जिनकी जमीन का इस प्रकार अलोटमेंट कर दिया उनको किस प्रकार लीज दी जाये हमने रूल्स में अलोटमेंट किया और व्यवस्था की कि साठ दिन के अन्दर-अन्दर इस फैसले को रिव्यू या क्या होगा रिव्यू के लिये अप्लीकेशन दे दे, साठ दिन की उनको मोहलत दी, ज्यों ज्यों यह फैसला हुआ इस रिव्यू के बाद कि सारे कागज फर्जी पेश किये गये उसके बाद सारी जो अब तक जांच हुआ और यह दोनों चीजें ज्यों-ज्यों मिलेगी जो भी ऑफिसर उसके लिये दोषी पाया जाये उसको सजा मिलेगी।

आपने एक आदमी के लिये कहा। जिस समय से हमको जानकारी मिली कि इसने पैसा कमाया है, हमने एक के पीछे एजेन्ट लगाये, भरतपुर में बैंक के लोकर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

खोले हैं, जोधपुर में भी उन्होंने यहां रुपये घुले हुए बताये थे वह ए. सी डी. ने पकड़े हैं, जो लोग खा गये उनकी कोशिश तो जरूर कर रहे हैं कि जो खा गये वह रुपये वापस आये यह भी कोशिश चल रही है। इसमें जिन लोगों ने दोष किया है उनके खिलाफ काफी सख्त कार्यवाही हो, आवश्यकता हो तो उनका प्रोसीक्यूशन किया जाये ऐसी स्थिति में आप कहें कि भ्रष्टाचार रुका नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। मैं इस दलील में ज्यादा नहीं जाना चाहता।

मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो व्यवस्थायें हमने की है उसके कारण से लोग पकड़े निश्चित रूप से जा रहे हैं, अब उस पकड़ने से कितने लोगों के पास कितना माल मिलता है, और कितना माल नहीं मिलता है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक सरकारी आफिसर के खिलाफ हमने एक मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि उसने करप्शन किया है लेकिन इस मामले में इस विधान सभा के माध्यम से मेरे को कहा जा रहा है कि उसको आप बहाल करो तो अब कहीं न कही तो चीजों की रोकथाम करनी पड़ेगी और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार को सब मिल कर इस प्रकार एक अभियान के रूप में चला करके खत्म करने को कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से इसके कारण से फर्क पड़ेगा और जो कुछ हम व्यवस्था ठीक प्रकार से चाहते हैं, वह व्यवस्था ठीक प्रकार से बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सम्पतसिंह जी ने कहा आर. टी. डी. सी. के मामले में कि आप होटलें और चाय पकोड़े की दुकानें क्यों चला रहे हैं ? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूं कि राजस्थान सरकार को चाय पकोड़े की दुकानें नहीं चलानी चाहिये लेकिन दुकानें छोड़ दें तो उसके साथ एक समस्या आती है, एक-एक मिड वे के ऊपर पचास-पचास, साठ-साठ सर्विसेज के लोग लगे हुये हैं उनको बन्द करने के साथ उनको कहां ले जाऊं। जब तक उनके लिये कोई व्यवस्था मैं नही कर पाता तब तक उसको बन्द करने में मेरी मजबूरी है। मैं आपको इतना सा कह सकता हूं कि मैं उनको बन्द करूंगा लेकिन साथ-साथ जो आदमी एम्प्लाइड है उनको मैं बेकार नहीं करना चाहता, उनके सामन्जस्य में समय जरूर लगे रहा है लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की कर रहा हूं कि जहां सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये, जहां सरकार को खड़ा नहीं होना चाहिये, जहां सरकार को किसी काम में दखल नहीं करना चाहिये वहां सरकार किसी भी रूप में दखल नहीं करे, यह मेरी इच्छा है और मैं समझता हूं सदन के माननीय सदस्यों की सबकी इच्छा है।

अब प्रश्न आता है इस बिल के सम्बन्ध में। यहां यह चर्चा की गई कि यहां जिस प्रकार का वातावरण बना है वह आज के पहले कभी नहीं बना। मैं समझता हूं विश्नोई साहब मैं 1952 से देखता आया हूं, प्रो केदार इस बात की गवाही होंगे कि एक बार हम शांति से मौन धारण करके बैठ गये और वहां पर तीन दिन

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तक बैठे रहे....

श्री परसराम मदेरणा : बिल नम्बर कौनसा है, थोड़ा सा बता दें। चार है कि तीन हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : चार है हां सप्लीमेन्ट्री है, आप एक्सेस वाली बात सोच रहे थे क्या। उसी पर तो बोल रहा हू। उस पर बोलने का सवाल नहीं है, जो माननीय सदस्यों ने कहा है उनका जवाब दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप बिल पर बोले ही नहीं। बिल का नाम लेकर दूसरी बातें शुरू कर दी। मैं सोच रहा था कि बिल पर आकर आप समाप्त करोगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल के बारे में मुझे बोलने की इसलिये आवश्यकता नहीं है कि बिल का किसी ने विरोध नहीं किया। आखिर में बैठते वक्त यही कह गये कि मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं और जो कारण बताये उस विनियोग विधेयक में क्या लिखा है, मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय सदस्यों ने न तो उसको देखा और न उसकी आलोचना की।

श्री यदुनाथ सिंह : देखा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने देखा है बहुत बढ़िया है। यहां पर प्रद्युम्नसिंहजी भ्रष्टाचार की बात कर गये, बहुत लम्बी-चौड़ी कर गये। आपको मालूम है कि फर्टीलाइजर के कारण से काश्तकारों को कितना नुकसान हुआ है। मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता लेकिन लगभग 9 हजार करोड़ रुपये बैंक स्केम में सरकार के और निजी लोगों के इसमें चले गये, इससे बड़ा कोई हिन्दुस्तान में भ्रष्टाचार हुआ, मैं समझता हूं नहीं हुआ होगा। जहां आपने भ्रष्टाचार का कीर्तिमान कायम किया है, हिन्दुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों में कांग्रेस की और कोई बात लिखी जाये या नहीं लिखी जाये यह बैंक स्केम लिखा जायेगा। मैं समझता हूं उसके लिये आपका नाम गिनीज बुक में भी लिखा जायेगा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बोफोर्स का क्या हुआ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : छोड़िये बोफोर्स को, बोफोर्स तो दब गया, इसमें। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं....

डा. चन्द्रभान : स्वर्ण में कैसे लिखा जायेगा, स्वर्ण सुना है हमने।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं मैंने काले अक्षर कहा है। उसके लिये सोना खराब करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिये मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आलोचना करने से पहले यदि आलोचना करने वाले अपना मुंह शीशे में देख लें तो इस प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसलिये फिर अन्त

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

मैं यही बात कहना चाहता हूं कि माननीय कांग्रेस के सदस्य यदि वास्तव में काश्तकारों का हित चाहते हैं, काश्तकार की सेवा करना चाहते हैं, तो हम सब मिलाकर यहां से परसों के दिन दिल्ली के लिये मार्च करें और प्रधानमन्त्री जी को कहें कि डीजल के भाव कम करो और खाद के भाव कम करो और वह यहां खाद के भाव कम कर देंगे तो वहीं से मैं आदेश दे देऊंगा कि बिजली के जो भाव बढ़ाये थे वह कम हो गये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 1992 को पारित किया गया।

माननीय मुख्य मंत्रीजी।

विधेयक का पुरः स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992

विधायी कार्य

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने कुछ कहा है इसलिए मैं दो मिनट तो बोलूंगा ही।

विधेयक पर विचार

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे फिर बोलना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिए जाने के लिए प्रस्ताव रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या--3) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक 1992

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को पारित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1992 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांति लाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायणजी बोलेंगे क्या आप? (व्यवधान) काफी टाइम हो गया।

श्री नत्थीसिंह : इसको सलेक्ट कमेटी को दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का मेरा प्रस्ताव है। माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा के सत्र में जो भी विधेयक पेश किये गये हैं उनमें 80 प्रतिशत वो विधेयक हैं जिनमें किसी न किसी तौर पर या तो सजा बढ़ाई गई है या जुर्माना बढ़ाया गया है या ड्यूटीज बढ़ाई गई है। इसके द्वारा जनता पर जो असहनीय भार डाला जा रहा है यह काफी गंभीर बात है। राजस्थान की जनता इस बात को देख रही है कि इस सरकार की कथनी और करनी में कितना अन्तर है।

माननीय उपाध्यक्षजी, आपने जो ड्यूटीज बढ़ाई है ऐसा कौनसा आइटम है जिसमें 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से ज्यादा ड्यूटीज नहीं बढ़ाई गई हो? जो स्थिति इस विधेयक के माध्यम से पैदा की जा रही है, आप इसमें देखेंगे जितने भी कन्वेंस है कम कीमत के कन्वेंस पर ड्यूटीज कम होनी चाहिए थी लेकिन अब जो ड्यूटी बढ़ाई गई है वह कम कीमत के कन्वेंस के बजाय ज्यादा कीमत के कन्वेंस पर कम होगी व कम कीमत के वेचान पर ज्यादा होगी। इस प्रकार यह जो विधेयक पेश किया गया है उसको किसी भी प्रकार जन-

(श्री रामनारायण वर्मा)

हित में नहीं कहा जा सकता और मैं तो यह निवेदन करूंगा कि यदि सरकार जनता के हित की बात सोचे और ईमानदारी से बात करें तो इस विधेयक को विथड्रा करे और इसको एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकी दास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने के जो उद्देश्य दिये हैं उन उद्देश्य में राज्य सरकार ने यह कहा है कि इसकी द्वितीय अनुसूची में जो स्टाम्प दरें दी गई हैं उसमें स्लॉ-स्लैब्स में जो अलग-अलग प्रकार की रेट थी उसको एक ही दर कर दी है कि जो सम्पत्ति का बाजार मूल्य होगा उसका 10 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क के रूप में लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में मेरा ऐतराज़ है कि हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो छोटे-छोटे विक्रयनामे करते रहते हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे रहते हैं उनको और अमीरों को एक साथ रखकर राज्य सरकार ने अच्छा नहीं किया। पहले स्टाम्प शुल्क विक्रयनामे जो होते थे उसके मूल्य के ऊपर और उसकी कितनी-कितनी राशि है उसके आधार पर रखे जाते थे लेकिन अब इन्होंने गुड़ और खल एक ही भाव कर दिया है। इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं।

साथ ही इन्होंने अन्य अनुच्छेदों का संबंध जहां तक है वहां दरें डेढ़ प्रतिशत से दो प्रतिशत बढ़ाने की बात की है। जबकि उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको इनके अनुच्छेदों को पढ़कर सुनाऊं तो आप ताज्जुब करेंगे कि 1952 का जो मूल अधिनियम संख्या-4 जिसकी द्वितीय अनुसूची का इन्होंने संशोधन किया है उसके अनुच्छेद-1 के स्तम्भ सं. 2 में अभिव्यक्ति "एक रुपया" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो रुपये", अनुच्छेद 2 के स्तम्भ सं. 2 में शब्दों "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपए"। इस प्रकार पूरे अनुच्छेदों को मैं पढ़कर सुनाऊं तो प्रायः प्रायः इन्होंने, यह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं अनुच्छेद 10 के स्तम्भ सं. 2 में–मद सं. (1) में शब्दों "दो सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये", मद सं. (2) में शब्दों "एक हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "दो हजार रुपये" किया है।

इस प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत और दो प्रतिशत नहीं कम से कम 100 प्रतिशत बढ़ोतरी की है। मैं जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार को इस स्टाम्प शुल्क की वृद्धि से कितनी आय प्राप्त होगी? और इसका भार किन-किन लोगों पर पड़ेगा? मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद राज्य सरकार को जब तक स्टाम्प शुल्क से आय प्राप्त हो

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रही थी उससे लगभग सवा दो गुनी व ढाई गुनी प्राप्त होगी और यह भार गरीबों पर पड़ेगा। ज्यादातर विक्रयनामे गरीब लोग आपस में अपनी सम्पति को बेचकर करते हैं। आपने सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन कर जो स्टाम्प शुल्क को बढ़ाया है यह राजस्थान की गरीब जनता के साथ अन्याय किया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि टैक्स बढ़ाने का, स्टाम्प शुल्क बढ़ाने का एक तरीका होता है। कोई भी हम टैक्स बढ़ाते हैं तो 6 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत करते हैं। अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत लम्बा चौड़ा भाषण दे गये लेकिन यह नहीं बोले कि आपने बिजली की दरें बढ़ाई, राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों की दर बढ़ाई और स्टाम्प शुल्क में पिछले दरवाजे से जो दरें बढ़ाई हैं इसका भार राजस्थान की गरीब जनता पर पड़ेगा और यह राजस्थान की जनता के बर्दाश्त के बाहर है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो शत प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दी। जो टैक्स बढ़ाने के सिद्धान्तों के बिल्कुल विपरीत है। टैक्स जो होते हैं डाइरेक्ट व इनडाइरेक्ट होते हैं। यह डाइरेक्ट टैक्स की परिभाषा में है। इसका कर भार उसी व्यक्ति पर लगेगा जो इससे संबंधित है। इसके कर को विदर्तित करने की बात होती तो कोई समझ में आती। यह सीधा काश्तकारों के ऊपर गरीब जनता के ऊपर जो स्टाम्प शुल्क बढ़ाया है इसका मैं घोर विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको एक माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री प्रेमसिंह जी दहिया। (अनुपस्थित)

माननीय श्री परसराम मदेरणा।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु निर्दिष्ट करने का मेरा प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव मैंने इसलिए प्रस्तुत किया है कि इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स में एण्ड रीजन्स प्रभारी मंत्रीजी ने दो बड़े कारण दिये हैं। एक तो कारण बताया है रेशनलाइजेशन ऑफ रेट स्ट्रक्चर और दूसरा उन्होंने बताया है कि आर्टिकल 23 को भी रेशनलाइज किया जाना आवश्यक था और इस रेशनलाइजेशन के फलस्वरूप

As far as the other articles are concerned, the rates have been increased by 1½ –2%.

(10.00 रात्रि)

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी आर्टिकल्स की लिस्ट बनाई है। मैंने बहुत ध्यान से देखा है, यह आर्टिकल में जो अमेंडमेंड करने जा रहे हैं 36 आर्टिकल जो शिड्यूल

(श्री परसराम मदेरणा)

साथ में अमेंडमेंट हो रहा है मुझे कोई भी आर्टिकल ऐसा नहीं मिला जिसमें, अभी रेट जो इन्क्रीज की है इन्होंने । 1-2-3 आइटम्स तो ऐसे मिले जिसमे एक में 45 प्रतिशत है और 4 में 75 प्रतिशत है, 3 में 80 प्रतिशत है और सभी में 100 प्रतिशत बढ़ेगी और इस सदन में जैसा कि मैं कल कह रहा था, इस वक्त सरकार जो यह अमेंडिंग लॉज ला रही है । सभी के अंदर पेनल्टी और जुर्माना और प्रजेन्ट रेट के एस्केलेशन के नाम से और रुपये के डिवेल्यूएशन के नाम से यह फंदा राजस्थान के सिटीजन की नेक पर कसा ला रहा है । मैं तो ऐसा सोच रहा था कि जब आप स्टाम्प लॉ में इतना परिवर्तन कर रहे हैं और स्टाम्प रेट एकदम डबल कर रहे हैं एवरेज 95 प्रतिशत तक । इसी से तो आपकी रेवेन्यु होगी, उसी से कृषि मन्त्रीजी 500 रुपये सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, तीसरा मेरा एतराज यह है कि आर्टिकल 23 को....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह रहस्य कैसे मालूम हो गया आपको ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सदन के बाहर बताया था इन्होंने ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इशारे में बताया हो सकता है ।

श्री रामनारायण विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य शायद यह समझ रहे हैं कि मैंने यह कहा है कि 500 रुपये की सब्सिडी राजस्थान सरकार की तरफ से दी जायेगी । यह मैंने किसी भी स्टेज पर नहीं कहा, न मेरी यह मंशा थी । मेरी मंशा यह थी कि जो मैन्युफेक्चरर्स हैं उनके साथ बैठ करके कोशिश करेंगे कि वे भी अपनी तरफ से राजस्थान के अन्दर जो माल है, उसको कुछ सस्ता बेचे ताकि 500 रुपये टन कम करवाया जा सके... (व्यवधान) शुरू से मैं यही कहना चाहता था, आपने इस मुद्दे को बिना मतलब उसके साथ जोड़ दिया । (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम आपको बहुत ज्यादा ठीक समझते थे कि आप इस तरह से इस बात का मिसकन्फ्यूज नहीं करेंगे ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में जो सबसे कांस्विवेंस अमेंडमेंट किया है, वह शिड्यूल के अन्दर आर्टिकल 23 में किया है और आर्टिकल 23 के जरिये इसमें एक बात तो यह किया है कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव लागू किया है और इसमें कन्वेंस जो है, उसको परिभाषा सेक्शन 2 (10) में दी हुई है । कन्वेंस मेंन तो बांड आता है, न कन्वेंस के अन्दर एग्रीमेंट टू सेल आता है, और न कन्वेंस के अन्दर इरिवोकेबल पावर आफ अटार्नी आता है । सेक्शन (2) में आ रहे हैं । सेक्शन 2) प्रिंसिपल एक्ट हैं, सब्सटेंटेटिव लॉ है लेकिन स्पष्टीकरण के अन्दर एक्सप्लेनेशन देकर के और 20 जगह बांड्स और इसके एग्रीमेंट में आर्टिकल 23 में

(श्री परसराम मदेरणा)

ओरबिट में लाए हैं the ten percent of market value से स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। पहले एक स्लेब था। उस स्लेब के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि हम इसके लिए रेशनलाइस भी कर रहे हैं। इसमें प्रोपर्टी की वेल्यू हो गई, लेकिन प्रोपर्टी की वेल्यू बढ़ने के बाद में 10 प्रतिशत ऑफ दी मार्केट वेल्यू लाकर के आपने आर्टिकल 23 में इस प्रावधान का हवाला डिफरेंट आर्टिकल्स में 20 जगह दिया है कि बांड का और कन्वेंस का, ऐसे कोई भी कानून के लिए विधिवेत्ता हैं, इस प्रकार का अमेंडमेंट सिर्फ एक्सप्लेनेशन के जरिये किया जाय और सेक्शन 2 (10) में यह नहीं आता। यह बैड लॉ है और उसका सलेक्ट कमेटी को भेजने का एतराज यह है उपाध्यक्ष महोदय कि किसी भी मकान को गिरवी रखना हो या किसी मकान को गिरवी देना, उसके ऊपर भी स्टाम्प ड्यूटी का भार पड़ेगा। कई लोग ऐसे हो सकते हैं समाज में जिनकी आमदनी का स्त्रोत केवल एक मकान है और इस प्रकार से इसका बोझ गरीब पर भी पड़ सकता है, एक मकान, छोटे मकान का मालिक जिसकी आमदनी का एक मात्र स्त्रोत किराये के अलावा कुछ नहीं है, उनके ऊपर भी पड़ सकता है और ऐसी विधवाएं हैं जो मकान किराये से अपनी जिन्दगी बसर करती हैं, उनके ऊपर भी पड़ सकता है।

स्टाम्प एक्ट की जो मूल परिभाषा है, जो डेफिनेशन सेक्शन (2) में दी गई है, उसको शक्ल बदली है। शिड्यूल के अन्दर एक्सप्लेनेशन देकर भी किया जा सकता है ला में और क्योंकि ये तावड़तोड़ में सरकार सभी को तो कन्वेंस मान रही है, जो कन्वेंस है नहीं। कैसे हो सकता है कन्वेंस। बांड के सम्बन्ध में एक बात कहूं। बांड का जहां तक सवाल है, सेक्शन 2 (5) में जिसको डेफिनेशन दी है कि 'Bonds' includes any instrument where by a person obligates himself to pay money. बांड अगर भंग होता है तो उसमें उल्लेखित राशि होती है उसको लौटानी पड़ती है। एग्रीमेंट में डेमेजेज देना पड़ता है, पावर आफ अटार्नी में न तो राशि लौटानी पड़ती है, न डेमेजेज देना पड़ता है। इन सबको कन्वेंस मान लेना मैं समझता हूं, यह इनहेरेंटली लीगल डिफेक्ट है और इसलिए इस बिल में कोई भी लीगल लेकुना नहीं रहे, लीगल इन्फरमिटि नहीं रहे। मुझे बहुत स्पष्ट दिख रही है, इसलिए इसको सलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नत्थी सिंह जी।

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है, स्टाम्प विधि अनुकूलन (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1992, इसके द्वारा लगभग दुगुनी स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाई जा रही है और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा रहा है। उसको प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का मेरा प्रस्ताव है। भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में काफी विस्तार से तर्क दिये हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कहना चाहता हूं। जब

(श्री नत्थी सिंह)

जनता पर इतना बड़ा भार डाला जा रहा है और फिर उस पर आप विचार भी नहीं करना चाहे, सरकार तुरन्त लाये और उसको पास करा लें, तो इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने का इसके ऊपर पूरा विचार होना चाहिये। आपकी टैक्स की विधि क्या है।

अभी जैसा माननीय कृषि मंत्रीजी कह रहे थे, अब मुश्किल तो यही है कि, अभी कहा कि मेरी यह मंशा नहीं थी, आप तो पहले कह चुके हैं, हैड मास्टर की आंख देखकर बदल गये। नहीं तो मंशा तो बहुत साफ थी। आप कहते हैं कि हमारे संसाधन समिति हैं। ससाधन आप बढ़ाना भी चाहते हैं लेकिन जिसके ऊपर संसाधनों का भार डाल रहे हैं, उनको फायदा देने के लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं, उसको करना नहीं चाहते। अभी खाद की बात आई, 500 रुपये देना चाहेंगे, फिर आपने कहा नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, सलेक्ट कमेटी को जायेगा तो इसमें जो लेकुबाज है, जो कमियां है, उन पर भी विचार होगा और उसको रेशनलाइज किया जा सकेगा। इस सरकार में प्रवृत्ति आ गई है कि अभी माननीय गृह मंत्रीजी यहां बैठे हैं मुख्य मंत्रीजी भी थे, वह एक दिन ही रहे दिल्ली में और उपाध्यक्ष महोदय, वहां आप भी थे, सबसे ज्यादा जोर इसी पर दिया था कि कोई भी विधेयक पास किया जाय, कोई भी बिल पास किया जाय, सबसे पहले उसको सलेक्ट कमेटी में तो कम में कम भेजा जाय, यह प्रथा पड़नी चाहिए।

आजकल यह प्रथा पड़ गई है कि बहुत जल्दी-जल्दी विधायिका से, विधान सभा से पास करा लो, कभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दो। वहां पर साफ तौर पर था, अगर सदनों की गरिमा रखनी है, सदनों की इज्जत बढ़ानी है तो यहां विधेयक लाये जाते हैं उनको इनवेरीवली, ज्यादातर इसको पहले प्रवर समिति में दिया जाना चाहिए, टाइम आप एक महीने का दो, जल्दी का दो, अगले सत्र से पहले आ जाय लेकिन यहां उलटी बात है। यह तो ठीक है कि बिल आया है, नहीं तो यह आर्डिनेंस पहले लाते और यहां फिर एकदम बुलडोजर की तरह उसे पास करा लेते। यह प्रथा बंद होनी चाहिए। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करिये ताकि वहां शांति के साथ, ध्यान के साथ इस पर विचार हो और जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये अभी। प्रभारी मंत्रीजी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा इसमें नाम था....

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं है नाम ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा इसमें नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं है नाम ।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन से विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमने....

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या ?

श्री शांतिलाल चपलोत : बीच में मत बोलिये । 29 जून, 1990 को, कांग्रेस की हुकूमत में एक हजार रुपये पर 170 रुपये के स्टाम्प लगते थे हमने 1990 में आने के पश्चात् उस पर शुल्क घटाया है, 170 से 125 रुपये किया है । उपाध्यक्ष महोदय, अब की बार हमने उसमें रेशनल करने के लिए एक हजार रुपये पर और पच्चीस हजार रुपये के बाद एक हजार रुपये पर केवल मात्र सौ रुपये किया है जबकि साढ़े बारह रुपये उस पर लगते थे । आज तक, मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरीके से सन् 1987 में, जो उस समय की हुकूमत थी, उस समय का यह शिड्यूल मैं पढ़कर सुना रहा हूं, कन्वेंस का चार्ज बता रहा हूं । कन्वेंस को और बांड को भी लोगों ने अच्छी तरह से समझने की चेष्टा नहीं की है, मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं, बांड और कन्वेंस में बहुत फर्क है । कन्वेंस का मतलब है ट्रांसफर से, बांड का मतलब ट्रांसफर से नहीं है ।

उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय पचास हजार रुपये की रजिस्ट्री कराने पर सन् 87 में जो राशि लगती थी वह यह थी, 5400 के ऊपर लगती थी और अब हमने केवल मात्र पांच हजार रुपये शुल्क किया है । काश्तकारों को आज बहुत तकलीफ होती है, नौ कैटेगरी बना रखी थी पहले । हजार पर क्या लगेगा, नौ हजार तक पर क्या लगेगा, उसके बाद पच्चीस हजार तक क्या लगेगा, उसके बाद पच्चीस से पचास हजार तक क्या लगेगा, पचास से पिचहत्तर हजार तक क्या लगेगा और पिचहत्तर हजार से तीन लाख तक क्या लगेगा, यह सारी अलग-अलग कैटेगरीज थी । उससे किसानों को बहुत तकलीफ होती थी, केलकुलेशन में भी तकलीफ होती थी । इस बात को मद्देनजर रखकर हमने यह रेशनलाइज करके सब का एक कर दिया कि भाई, दस पर्सेन्ट कर दो । 17 प्रतिशत से हम घटाते-घटाते दस प्रतिशत ले आये जो उस हुकूमत में, सन् 87 में, मैंने स्वयं ने उस बात को, आंदोलन को उठाया था, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, सन् 87 में इन्होंने किस तरीके से बढ़ाया था । उस शिड्यूल का भी मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जो 87 में बढ़ाया इन्होंने वह तारीख मैं आपको सुनाना चाहता हूं, 18-5-87 से इन्होंने यह बढ़ाया था, सौ रुपये पर सत्रह रुपये...

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से, यह जो आप

(श्री रामनारायण वर्मा)

बढ़ाने की बात कर रहे हो, यह किस तारीख को स्टे हुआ था और कब तक रहा था, आपने बढ़ाया था या घटाया था, आप इतना बता दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : तो तारीख बता रहे थे । विराजिए न अब....(व्यवधान)

श्री शांतीलाल चपलोत : आपके समझ की बात नहीं है यह ।

श्री रामनारायण वर्मा : यह तो स्टे था । यह तो उसी, आन दी वेरी डे, स्टे ले लिया था । इस तरह की कोई कन्वेंस रजिस्टर्ड नहीं हुई । आपने आंदोलन किया था, हम भी साथ थे, वह तो कांग्रेस गवर्नमेंट का इस तरह बढ़ाने का था, वह तो स्टे कर दिया था....

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिए आप ।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे ...

श्री रामनारायण वर्मा : करना चाहिए था वह तो । आप फैक्ट्स तो सामने रखिये । किस तारीख को स्टे किया था और कब तक स्टे रहा और उसके बाद आपने कब बढ़ाया ? ।

श्री शांतिलाल चपलोत : 18-5-87 को....

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिए वर्मा साहब ।

श्री रामनारायण वर्मा : आपने जून में बढ़ाया और आज आप बढ़ा रहे हैं तो यह फैक्ट तो बताइये आप । + + + मत कीजिए...

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप ।

श्री शांतिलाल चपलोत : आप किसी सदस्य की बात को जरा सुनने का माद्दा भी रखें ।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए आप ।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं माननीय उपाध्यक्षजी, आप + + + नहीं करें, आपको जानकारी नहीं हो तो देखकर आ जायं कल...(व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत :....जानते ही नहीं, यह जबरदस्ती बोल रहे हैं ।

श्री रामनारायण वर्मा : आपको ज्ञान नहीं हो तो आप ट्रेनिंग ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, विराजिए । विराजिए ।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री रामनारायण वर्मा : नहीं,+++ नहीं करें माननीय उपाध्यक्षजी। फैक्ट को फैक्ट बतायें। किस तारीख को स्टे किया, आपको जानकारी है बता दीजिए आप।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह तो सौ प्रतिशत पैसा बढ़ा दिया, शत-प्रतिशत।

श्री शांतिलाल चपलोत : मैं सुन रहा हूं, आप सुनिये तो सही पहले।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, बिराजिए आप।

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, 18-5-87 को यहां इस सदन के मार्फत जो रेट्स बढ़ाई गई थी कन्वेंस की, उसमें एक हजार रुपये की यदि रजिस्ट्री करवानी है, एक हजार रुपये के मूल्य की, यानि पच्चीस हजार के बाद की बात कर रहा हूं मैं, उस पर 170 रुपये प्रति हजार के स्टाम्प लगते थे और अब हमने, उसको सौ रुपये कर दिया। अभी तक और गत साल यानि 90 में हमने 125 रुपये किये थे उसको, उसको भी हमने पच्चीस रुपये और घटाया है जिससे गरीब आदमी को, काश्तकारों को कोई तकलीफ न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके की बात यहां उठाई गई है कि आपने कुछ में पैसा बढ़ाया है एक या एक डेढ़ प्रतिशत इसमें, उपाध्यक्षजी, खेत का एक कोना भी पच्चीस हजार में नहीं आता है। इसको लाने के पीछे मंशा यह है कि काश्तकार ठगा नहीं जाय। काश्तकार यदि जमीन बेचता है तो कई बार स्टाम्प को बचाने के लिए कम की रजिस्ट्री करवाता है, उसकी जमीन यदि एक्वायर हो जाती है तो उसे कम से कम उसका कम्पनसेशन तय किया जाता है इसलिए काश्तकार पूरे का पूरा कम्पनसेशन प्राप्त करे इसलिए भी हमने यह तय किया है कि इसका मूल्य कम किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पहले पांच लाख बीस हजार के आस-पास स्टाम्प लगते थे, सन् 87 में और अब हमने उसका रेशनलाइजेशन किया, पचास हजार रुपये से ज्यादा नहीं लगेगा। इस तरीके से हमने किया है, हमने किस किसान के साथ कुठाराघात किया है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं। बाण्ड्स-काश्तकार के जो काम आते हैं वह एफिडेविट काम आते हैं, एफिडेविट पर हमने किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया है। काश्तकार को नोटेरी से काम पड़ता है तो नोटेरी का कोई शुल्क हमने नहीं बढ़ाया है, काश्तकार को यदि काम पड़ता है किसी प्रकार के छोटे बाण्ड्स का, तो उस पर नहीं बढ़ाया है। हमने बढ़ाया है, जो लोग आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन, आर्टिकल ऑफ मेमोरेण्डम, कम्पनी लॉ में सुधार करके और कम्पनी लॉ में जिस तरीके का प्रावधान करने हैं तो उस पर

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांतिलाल चपलोत)

हमने ज्यादा टैक्स करने की चेष्टा की है, उस पर हमने लगाया है तो मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्यों को बड़े पूंजीपतियों पर पैसा लगाने में किसी प्रकार का समर्थन उनको करना चाहिए कि नहीं, उन पर नहीं लगाया जाय। मैं नहीं समझता कि काश्तकारों को रिलीफ देने में आपकी इस प्रकार की भावना क्यों हो रही है कि काश्तकार को किसी प्रकार की रिलीफ नहीं दी जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यदि सुधार नहीं किया जायेगा तो यदि मान लो, एक लाख की भी रजिस्ट्री काश्तकार ने करवाई तो उसको कम से कम दो-दो, तीन-तीन हजार रुपये का फर्क इसमें पड़ जायेगा, इस सुधार में, इसलिए हमने इसको रेशनलाइज करने की चेष्टा की है। इन्होंने कन्वेंस के लिए जो बात कही है, बाण्ड्स के लिए, जो बात कही है, बाण्ड्स और कन्वेंस में, बहुत फर्क है। बाण्ड रिपेबल किसी चीज के लिए लिखा जा सकता है कि मैं रिपे करूंगा, उसका बाण्ड हो सकता है, कन्वेंस के चार्ज का मतलब यह है कि फुल्ली ट्रांसफर उसमें कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहे ट्रांसफर मोरगेज से हो तो भी वह ट्रांसफर है तो उसमें कन्वेंस का चार्ज लगेगा। यदि खरीदता है तो भी उस पर कन्वेंस का चार्ज लगेगा, बाण्ड पर किसी प्रकार का, एक हजार रुपये उधार लिये हैं, उसका बाण्ड भरा है तो उस पर किसी प्रकार का कन्वेंस चार्ज नहीं लगेगा, उस पर 60 रुपये, 70 रुपये नहीं लगेंगे या सौ रुपये नहीं लगेगा। उसमें दो रुपये, तीन रुपये, चार रुपये लगेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस शासन में एक कमेटी का निर्माण किया था और यह तय किया था कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बैठेगी और इसका रेशनलाइजेशन करेगी, उस समय उन्होंने यह तय किया था उस बात को ध्यान में रखकर उसी अनुरूप इसको रेशनलाइज करके एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी में दस-बारह बड़े अधिकारी रखे।

....माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी ने यह कहने की चेष्टा नहीं की है कि हमने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कितनी कोशिश की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय हमने एक पेनल भी बनाया है कि किस तरीके से लोग पेनल में आकर रजिस्ट्री करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बड़े शहर हैं, बड़े शहरों में 5 आर.ए.एस. अधिकारी लगे हुए हैं तो वह पांचों वाई रोटेशन एक एक के पास वेलुएशन के लिए जायेंगे और जो सब-रजिस्ट्रार है वह उसकी रजिस्ट्री करेगा। वेल्यु वह बतायें पांचों जने इसलिए भ्रष्टाचार पर एक अंकुश लगेगा वरना एक आदमी के पास ही जाते तो हमेशा कुछ न कुछ लोग देकर ही मामला तय होता था इसलिए उसके रोटेशन का पांच जनों को इसमें किया है। मैं समझता हूं कि इससे बढ़िया बिल कभी न आया है, न आयेगा। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इसको पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को सुपुर्द करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक का पारण

राजस्थान स्टाम्प विधी (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाये।

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इस बिल के जरिये किसान को राहत मिलेगी। हमारे कई माननीय सदस्यों ने पूर्व में कहा था कि अगर आप इस शिड्यूल को देखेंगे तो आपने जो वृद्धि की है वह 45 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की आपने वृद्धि की है। ऐसी स्थिति साफ हो जायेगी माननीय उपाध्यक्ष महोदय कि आपको इस पद से कितनी आमदनी होती थी और अब आपको इस अमेन्डमेन्ट के बाद कितनी आमदनी होने जा रही है ? आपने केलकुलेट तो किया होगा माननीय मंत्री महोदय आप कृपया यहां बतायें वरना आपने जो कुछ कहा है वह सिर्फ असत्य भाषण की श्रेणी में आयेगी।

दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था, एक बात मंत्री महोदय ने यहां पर और कही। आप मार्केट वेल्यु के ऊपर 10 फीसदी लगायेंगे। अब मार्केट वेल्यु कौन तय करता है वहां बैठकर। सारी करप्शन की जड़, भ्रष्टाचार की जड़ मार्केट वेल्यु का जब असेसमेन्ट प्रोपर्टी के मामले में, जमीन के मामले में तय करते हैं जो रजिस्ट्रेशन आफिसर है जिसके यहां रजिस्ट्री होती है सब-रजिस्ट्रार है सारी बेईमानी की जड़ वहां बैठती है। बड़े शहरों के लिए तो आपने कह दिया कि रोटेशन से करायेंगे। कुछ आफिसर्स तय करेंगे लेकिन

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

तहसील स्तर के ऊपर या सब-तहसील स्तर के ऊपर जिन अधिकारियों को वहां रजिस्ट्रेशन के अधिकार मिले हुए हैं वहां पर मनमाने तरीके से किसानों को स्टाम्प ड्यूटी लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। यह सब लोगों को विदित है यहां पर। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उसके लिए आपने मार्केट वेल्यु का जो अधिकार आपने दे दिया है वहां पर, अब एक गांव की जमीन है उपाध्यक्ष महोदय गांव के पास की जमीन है जिसको हमारे यहां गौड़ की जमीन कहते हैं वह ज्यादा कीमती है और उसी गाव के अन्दर जो दूरी के ऊपर जमीन है जिसे हाल की जमीन कहते हैं उसकी कीमत कम है लेकिन अधिकारी वहां पर जायेगा उसको खिलाइये।

तो इसके अन्दर किसानों का जो हरेसमेन्ट हो रहा है उसके अन्दर क्या करने जा रहे हैं जिससे कि वहां जो सब-रजिस्ट्रार की मनमानी है उसको किस प्रकार से आप रोकना चाहते हैं और क्या आप किसान को रिलीफ देना चाहते हैं उसके बारे में आप यहां पर बतायें। अब आपने कहा कि मैंने आन्दोलन किया। आपने फलां बात कर दी और भ्रष्टाचार कम कर दिया, ऐसा बिल कभी आया है ना कभी आयेगा। अपने मुंह से आप मिया मिट्ठू बनो तो बनते रहिये आप। हकीकत यह है कि आज किसान को सबसे बड़ा हरेसमेन्ट सब-रजिस्ट्रार के एक्शन से हो रहा है। वहां आप क्या करने जा रहे हैं नम्बर । वहां 2 परसेन्ट, 2½ परसेन्ट और 3 परसेन्ट तक की रिश्वत है। यही सारी की सारी स्थिति पूरे राजस्थान में है और हमारे जिले में तो भयंकर है।

अभी कलक्टर ने आकर एक तहसीलदार को और एक नायब-तहसीलदार को सस्पेन्ड किया है। सालों से चिल्ला रहे थे। नया कलक्टर गया उसने किया और पुराने कलक्टर ने कोई कार्यवाही ही नहीं की। मानते हैं सब लोग वहां पर। यहां पर शिकायत की रजिस्ट्रार साहब के यहां कोई असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार इन्क्वायरी करने गये धौलपुर के अन्दर मनिया में वह भी दाम ले आये और छोड़ आये। मेरी कम्पलेन्ट थी खुद की। इन्क्वायरी करने गये और वहां से दाम ले आये और आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। एक सब-रजिस्ट्रार गया था आपका वह भी पैसे ले आया। सब को मालूम है और कुछ नहीं हुआ। उसी गांव में सस्पैण्ड किया है। तो आपका क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? क्या आपकी जांच की प्रक्रिया है और क्या आपके आफिसर्स का जांच का तरीका है और क्या मोरल करेक्टर है?

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इसके बारे में कीजिए। मार्केट प्राइस आप कैसे तय करेंगे इसके लिए मेरा सुझाव है कि वहां आप एक कमेटी गठित कीजिए। कमेटी पहले भी पूर्व में गठित की गयी थी लेकिन मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती थी उनकी। उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं हो रही है और आपने जो किसानों को राहत देने की बात की है कागज में तो राहत हैं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

वरना मौके पर किसान की स्टाम्प ड्यूटी के माध्यम से आज राजस्थान से किसानों की और छोटे लोगों की भयंकर, लूट हो रही है। आपके महकमे में भयंकर भ्रष्टाचार है इसको आप रोकने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं इसके ऊपर भी प्रकाश डालने की चेष्टा करें आप।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह बिल कांग्रेस सरकार लाई थी। हम यहां विपक्ष में थे और मैंने भी माननीय भंवर लालजी शर्मा ने भी और भी जो लोग थे उस समय में हम सब ने इसका विरोध किया था और बहुत आन्दोलन हुआ था और सरकार को वापिस लेना पड़ा था आप फिर लाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि इसका मैंने अध्ययन किया है। इसमें छोटे तबके के लोगों को जो बार-बार कोर्ट में जाते हैं स्थान विक्रय करते हैं या हलफनामा भरते हैं उन लोगों को ज्यादा दिक्कतें होंगी, यह मेरा निवेदन है। बड़े लोगों को यहां पर टच कम किया है। यह बात सच है कि आपने 9 केटेगरी को बताया सीधे ही 1 का दो, 2 का 5, 5 का 10, 10 का 50, 50 का 100 और 100 का 1000-इस तरह से बढ़ाने के लिए आपको सलाह किसने दी? अगर यह अधिकारियों की समिति थी केवल तो आपको देखना चाहिए था कि आम जनता के ऊपर इसका कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा और कितनी परेशानी आयेगी। आप एक विधायकों की समिति बनाते, वकीलों की समिति बनाते जिसमें विधायक हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, इसको दोबारा देखें आप। यह मेरा कोई बोलने के लिए बोलना मकसद नहीं है, मेरा मकसद केवल यह है आप इसकी व्यवहारिकता को देखें और आपने दत्तक पर भी लगा दिया। आपने छोटे-छोटे लोग, जो 500 से हजार रुपये, इतना छोटा ऋण लेते हैं उस पर भी बढ़ा दिया। अब पांच सौ, हजार रुपया दो हजार रुपया, पांच हजार रुपया कौन उधार लेगा? बहुत गरीब आदमी।

मान्यवर, इन सब चीजों को आपको देखना चाहिए। मैं यही निवेदन करना चाहूंगी कि फिर आपको कहीं दूसरे ढंग से इसको वापिस लेना पड़ा, ठीक नहीं रहेगा। हम समय को देख कर चलें। गरीब की परेशानियों को देख कर चलें। छोटे छोटे मामलों में झगड़े किस बात के हैं कोर्टों में, जमीन के और जमीन ही के झगड़ों के कारण मर्डर होते हैं। आये दिन कोर्ट में केस बढ़ते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगी, इन झगड़ों को समाप्त करने की और हमारा विचार होना चाहिए। इन झगड़ों को सुलझाने के लिए पैसे बढ़ाने की बात कहां से आ गयी। मेरी समझ में नहीं आयी। मान्यवर, माननीय मंत्री महोदय को मैं सलाह देना चाहती हूं कि इस पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी वित्त राज्य मंत्रीजी ने अपनी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

रिप्लाई में जो बातें बताई वह बिलकुल तथ्यों से परे हैं। मैं वित्त राज्य मंत्रीजी का ध्यान शिड्यूल की धारा 23 की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें इन्होंने जो 9 स्लैब दिये हुए हैं उनको एक करने की बात कही है और यह कहा है कि मैंने बहुत बड़ी रिलीफ दी है रिलीफ दी आपने पूंजीपतियों को। आपने 5 लाख रुपये की जो सम्पत्ति का कोई विक्रय करता था उस पर पहले स्टाम्प ड्यूटी, आपने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा है कि एक लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, उसको अब केवल मात्र 50 हजार स्टाम्प ड्यूटी लगेगी लेकिन आपने उन 9 स्लैब्स को समाप्त कर, उपाध्यक्ष महोदय, जहां बाजार मूल्य 50 रुपये से अधिक न हो, पहले 3 रुपये स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, अब लगेगी पांच रुपये। जहां 50 रुपये से अधिक हो किन्तु 100 रुपये से अधिक नहीं हों, पहले लगते थे पांच रुपये, अब लगेंगे 10 रुपये। पहले जहां 100 रुपये से अधिक हों किन्तु 300 रुपये से अधिक न हों, 15 रुपये लगते थे, अब लगेंगे 30 रुपये। जहां 300 रुपये से अधिक हो किन्तु 500 रुपये से अधिक नहीं हो, पहले लगते थे 25 रुपये अब लगेंगे 50 रुपये तो यह आपने स्टाम्प ड्यूटी गरीबों पर बढ़ायी है या अमीरों पर बढ़ाई है ?

यह तो स्पष्ट है कि इन्होंने बड़े-बड़े जो पूंजीपति और धन्ना सेठ, ठेकेदार, लम्बरदार, इन लोगों को तो इन्होंने फायदा दिया है लेकिन गरीबों का शोषण करने वाली यह सरकार, जो अपने आप को प्रगतिशील कहती है लेकिन यह प्रगतिशील नहीं है। यह पूंजीपतियों की सरकार है, ठेकेदारों की सरकार है ... (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : .... आपने दवाब में वापिस लिया। आप कैसे बोल रहे हो भाई....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपको पता ही नहीं है, बिल पास हो गया था क्या....

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप कैसे बोल रहे हो, आप उस समय थे आपने उसकी तरफदारी की थी, आप कैसे बोल रहे हो ?

श्री बुलाकीदास कल्ला : बिल पास हुआ था क्या (व्यवधान)... यह सरकार की नीतियों का स्पष्ट द्योतक है कि एक तरफ तो आप केन्द्रीय सरकार के बारे में, जो यहां विषय नहीं था, एप्रोप्रियेशन बिल के बारे में एक शब्द नहीं बोले माननीय मुख्यमंत्रीजी और खुद वित्त मंत्रीजी के रूप में पैसे बढ़ा रहे हैं और कहीं छिपे हुए हैं।

राजस्थान की जनता के ऊपर करोड़ों रुपयों का स्टाम्प ड्यूटी के रूप में जो मार पड़ेगा यह राजस्थान की जनता चुनावों में इसको देखती है। मैं इसका विरोध करता हूं और अभी भी कहता हूं कि आपको सद्‌बुद्धि आनी चाहिए। आप स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाइये, पांच लाख रुपये की सम्पत्ति जो बेचता है, उसके ऊपर, 10 लाख रुपये की सम्पत्ति बेचता है, उसके ऊपर, कम्पनियों के ऊपर बढ़ाइये, हम स्वागत करेंगे लेकिन आप गरीबों पर

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

पर जहां 3 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी थी उसको बढ़ा कर 5 रुपये करें, जिसकी 25 रुपये की स्टाम्प ड्यूटी थी, उसको 50 रुपये करें, यह घोर अन्याय है राजस्थान की गरीब जनता पर। मैं इसका विरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप आज इसका पारण करायें उससे पहले जो नीचे के स्लैब्स हैं, कम से कम 25 हजार रुपये तक का जो विक्रयनामा करते हैं, उसके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी जो पहले थी, वही वह करें तब जाकर के... (व्यवधान)

श्री शांतिलाल चपलोत : उससे कम किया है हमने तो और ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी ... (व्यवधान) ...

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या कम कर दिया ?... (व्यवधान) .. उपाध्यक्ष महोदय, जो अन्य अनुच्छेदों में इन्होंने शत-प्रतिशत की है उन अनुच्छेदों में....(व्यवधान)....

श्रीमती उजला अरोड़ा : हाऊसिंग बोर्ड का मकान एक लाख से बढ़ कर 5 लाख का हो गया ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजलाजी....

श्रीमती उजला अरोड़ा : उसमें आप 50 हजार रुपये की रजिस्ट्री करेंगे, कौन लेगा आपका हाऊसिंग बोर्ड का मकान....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय उजलाजी, आप कहां बात कर रही हैं ? ....(व्यवधान)

श्री हेतराम बेनीवाल : यह हमारे हक में बोल रही हैं आज....(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, अभी आपने 10 हजार रुपये से अधिक हो किन्तु 25 हजार रुपये से अधिक नहीं हो, वहां 50 हजार रुपये । अब 25 हजार तक की जो सम्पत्ति विक्रय करेगा उस पर लगभग ढाई सौ रुपये की स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। अन्य अनुच्छेदों में जो आपने शत-प्रतिशत बढ़ोतरी की है माननीय भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरे 36 के 36 अनुच्छेदों का पूरा-विश्लेषण रखा है और आन एन. एवरेज जो 95 प्रतिशत बढ़ोतरी की है, मैं उसकी बात से इत्तिफाक रखता हूं और आपके माध्यम से पुरजोर अपील करता हूं कि सरकार पारण से पहले-पहले इस बढ़ी हुई स्टाम्प ड्यूटी को वापिस ले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि पूर्व में 50 हजार रुपये की मैं नहीं समझता गंगानगर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर या ऐसी कोई जगह है जहां एक लाख रूपये या 50 हजार रूपये बीघा से कहीं जमीन मिल जाती हो, मुझे ऐसा पता नहीं, हो सकता है, आप मुझे करेक्ट करें। तो वहां के लोगों को कितना अधिक फायदा होगा, जिस व्यक्ति को पहले 50 हजार की रजि-

(श्री शांतिलाल चपलोत)

स्ट्री करानी पड़ती थी वह 5405 रुपये देने पड़ते थे शुल्क के और अब उसको केवल 5 हजार रुपया देना पड़ेगा, तो हमने तो इसको किया है, यह तो साफ है। राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है। आपको यह बिलकुल साफ-साफ नजर आ रहा है, यहां लिखा हुआ है, आप उसको झुठलाना चाह रहे हैं... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप क्या पूछ रहे हैं ?

श्री रतनाराम चौधरी : पांच हजार रुपये, 10 हजार रुपये बीघा से ज्यादा जमीन की हमारे वहां कीमत नहीं है। किसानों पर आपने बोझ डाला है।

श्री शांतीलाल चपलोत : तो भी उस पर बोझ नहीं गिरेगा, वह भी मैं सुना देता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनिट, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री शांतीलाल चपलोत : उसका रेशनलाइजेशन किया है। उसको पहले 10 हजार रुपये की रजिस्ट्री कराने में कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेशन नहीं कर पाता था, अब तो सीधा-सीधा कैलकुलेशन करना है तो.... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या पूछ रहे हैं ? एक सवाल।

श्री रामसिंह बिश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कह रहा था, स्टाम्प ड्यूटी ज्यादा होने के कारण लोग चोरी-छिपे कम, जो रजिस्ट्री 10 लाख की होनी चाहिए थी उसको 5 ही करा देंगे इसलिए मेरे ख्याल से जो स्टाम्प ड्यूटी, ज्यादा पैसों को कम किया है वह वास्तविक ठीक किया है... (व्यवधान) ...

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है ....(व्यवधान)....

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह थोड़ा स्पष्टीकरण चाहूंगा कि जो मार्केट की वैल्यू और उसके ऊपर 10 पर्सेण्ट बढ़ाने की जो बात की है, तो आपने मार्केट वैल्यू का क्या क्राइटेरिया रखा....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने पांच आर. ए. एस. अधिकारियों को... (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह क्वेश्चन आवर है क्या, यह क्वेश्चन आवर नहीं है....

श्री शांतिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक मीटिंग होगी जो डिटरमिन करेगी आफ्टर थ्री मन्थ कि किस तरह की मार्केट वैल्यू है, उसमें विधायक, प्रधान और आफिसर्स, तहसीलदार बैठेंगे, तो यह लोग बैठकर के तय करेंगे कि यहां की क्या मार्केट वैल्यू है और आफ्टर एवरी थ्री मथ इसकी मीटिंग होगी, तो मार्केट वैल्यू तय होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं कि इतना भार चढ़ जायेगा और बड़ी भारी आमद हो जायेगी,

(श्री शांतिलाल चपलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना कुल मिलाकर राजस्थान में गत वर्ष स्टाम्प ड्यूटी पर....

श्री उपाध्यक्ष : हां, ठीक है अब.... (व्यवधान)....

श्री शांतिलाल चपलोत : एक मिनट, मैं बताता हूं। माननीय कल्ला साहब ने जो प्रश्न पूछा था, इसलिए कह रहा हूं मैं

श्री उपाध्यक्ष : अब हो गया। अब बिराजिये आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1992 पारित किया गया।

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा (व्यवधान)....

विधायी कार्य

परिनियत संकल्प
राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आसान से विनम्र निवेदन करूंगा कि थोड़ा इनको कब्जे में रखें। बड़े वाचाल हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : वह तो आपसे अनुरोध कर रहे थे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या अनुरोध कर रहे थे... (व्यवधान) ...

श्री रामनारायण वर्मा : बहुत वाचाल हो रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलिये-बोलिये आप।

श्री रामनारायण वर्मा : यह इसी तरह से जनता में भी बोलते हैं। वह तो कहते हैं कि लूट रहे हो और यह कहते हैं, नहीं, उपभोग है। यह कोई बात हुई, साहब, बोलने नहीं देते, सदन में नहीं बोलने देते।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलने दे रहे हैं, बोलिये आप....(व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह देखें... (व्यवधान)....

श्री रामनारायण वर्मा : दो लाख का बैंक का कर्जा है, 50 हजार का खा गये। आपको (व्यवधान) लूट कर खा रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : उनको खुद को समय का ध्यान है, आप थोड़ी देर शांत रहेंगे तो जल्दी बोल जायेंगे।

श्री रामनारायण वर्मा : सहकारिता के माध्यम से। आप बोलते क्यों हैं, रोकते

(श्री रामनारायण वर्मा)

क्यों हैं आप। हम आसन से बात करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा जी, समय सीमा का ध्यान रखें। सारे सदस्यों की भावना का।

श्री रामनारायण वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिनियत संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 1992 को प्रख्यापित राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 2) को अस्वीकार करता है।" उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा विधि मंत्रीजी से कि राजस्थान सिविल कोर्ट (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेन्स, 1992 जो इन्होंने अगस्त 12, 1992 को नोटिफाई किया है उसमें आब्जेक्ट्स और रीजन्स दिये हैं। यह जो परिपाटी सी डाल ली है, सरकार ने, सत्र नहीं था, किस तारीख को जारी किया आपने ? 12 तारीख को। सत्र कब प्रारम्भ हो रहा है ? 16 तारीख को। तो मेरा निवेदन करना है, माननीय उपाध्यक्ष जी, इन्होंने जो सिविल कोर्ट के गठन की बात की है, कौनसा सिविल कोर्ट गठन किया आपने ? सरकार के खिलाफ केसेज नहीं हों। सरकार के अधिकारियों को कहां तक बचायेंगे आप ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने संशोधन नहीं पढ़े क्या ?

श्री रामनारायण वर्मा : मैं आर्डिनेन्स पर बोल रहा हूं। आप बहुत सीनियर हैं, आप उनसे कहिये मुझे करेक्ट करें, डायरेक्ट करने की बजाय। मैं आर्डिनेन्स की बात कर रहा हूं। आर्डिनेन्स जो पेश किया है, माननीय उपाध्यक्ष जी, उस आर्डिनेन्स में इन्होंने जो आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स दिये हैं उसके बारे में निवेदन करूं। कतिपय विशेष प्रकार के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये मैसेज किया गया था कि ऐसे विशिष्ट सिविल न्यायालयों के गठन के लिये उपबन्ध किया जावे। कौन से सिविल न्यायालय के लिये आपने गठन किया ? केवल आर्डिनेन्स जारी करने के लिये, एक आर्डिनेन्स की संख्या बढ़ाने के लिये यह आर्डिनेन्स जारी किया गया है। इन्होंने जो स्लैब बढ़ाया है, माननीय उपाध्यक्षजी, 5 हजार की स्लेब की जगह इन्होंने 25 हजार, 10 हजार की जगह इन्होंने एक लाख। अब आज तो अमेंडमेंट आ गया लेकिन जो आर्डिनेन्स पेश किया उस आर्डिनेन्स को पेश करने के लिये ऐसी कोई इमीजियेट आवश्यकता नहीं पड़ गयी थी जिसके लिये आप आर्डिनेन्स पेश करते। विधि मंत्रीजी ने अभी एक उसके लिये कहा है, कानून जिस तरीके का पास हुआ कब स्टे हुआ ? कांग्रेस सरकार ने तो उसको जारी करने के साथ स्टे कर दिया क्योंकि जनता की भावना नहीं थी। जनता की भावना के खिलाफ इस तरह से हो, आपने एक लाख का किया उसमें आप अमेंडमेंट कर रहे हो केवल थोड़ी सी बात होने के आधार पर। आप ऐसे कानून बनाने जा रहे हो, जिससे राजस्थान जल रहा है। राजस्थान जो जल रहा है वह तो जल रहा है लेकिन आपको भी साथ के

(श्री रामनारायण वर्मा)

साथ जला देगा। इसलिए यह सदन से मैं पुरजोर निवेदन करता हूं कि इस आर्डिनेन्स को यह सदन अस्वीकार करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री कमलेन्द्र सिंहजी। (अनुपस्थित) माननीय प्रोफेसर केदारनाथ जी।

श्री केदारनाथ शर्मा : मान्यवर, सरकार ने वकील समुदाय से बैठकर बातचीत करके जो फैसला किया है मैं उसका स्वागत करता हूं। आब्जेक्शन इस बात का था कि मुंसिफ कोर्ट्स को सरकार के खिलाफ जो सूट थे या प्लीडिंग्स थीं उनको सुनने अधिकार बन्द कर दिया। नम्बर एक... (व्यवधान) वह मैंने स्वागत किया था।

श्री उपाध्यक्ष : स्वागत कर दिया इन्होंने।

श्री केदारनाथ शर्मा : दूसरा यह है कि यह क्लाज 3 में पार्ट 2 और एक क्लाज जो 4 था उसमें 19 (1) स्पेशल कोर्ट्स का प्रोविजन। अब यह फैसला किया है हाई कोर्ट के आनरेबल चीफ जस्टिस से मिल करके, बातचीत करके, कंसल्टेशन करके जब भी समय मिले, जब भी वक्त आये उनके बिना कंसल्टेशन के स्पेशल कोर्ट्स का निर्माण नहीं होगा। मेरे ख्याल से दोनों अमेंडमेंट मान लिये हैं और वकीलों को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ी अच्छी हड़ताल की, बड़े शांतिलाल रहे, सरकार को बधाई देता हूं कि उनकी बातें मानीं। इसलिए मैं मूव नहीं कर रहा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसरामजी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्षजी, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य यह समझ रहे हैं कि इस प्रकार का प्रावधान, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन का पहले नहीं था, यह बात सही नहीं है। आर्डिनेन्स के क्लाज 4, स्पेशल सिविल कोर्ट्स

"Wherever the State Government is of the opinion that it is necessary to do so it may, in consultation with the High Court........"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस आर्डिनेन्स के प्रामलगेशन के ऊपर मुख्य एतराज यह है कि सिविल प्रोसिजर कोड में जुरिस्डिक्शन डिफाइन किया हुआ है, टेरीटोरियल जुरिस्डिक्शन, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, कदर मैटर्स जुरिस्डिक्शन। जहां तक पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन को इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया है उसका तो मैं करता हूं स्वागत। आज जो कुछ भी अमेंडमेंट लाये हैं उन अमेंडमेंट्स के संदर्भ में, उनके कंटेंट के अन्दर आर्डिनेन्स का जो मेरा परिनियत संकल्प है उस पर मैं कुछ कहने जा रहा हूं। लेकिन अभी जो अमेंडमेंट आज आया है, आर्डिनेन्स बिल के रूप में आयेगा विचारार्थ, ऐम्स एण्ड आब्जेक्ट्स दिये गये हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है।

गवर्नमेंट सरटेन स्पेशल टाइप्स आफ केसेज को स्पेशल सिविल कोर्ट्स को

(श्री परसराम मदेरणा)

कांस्टीटयूट करके चौथे प्रकार का एक जुरिस्डिक्शन क्रियेट करना चाहती है अपने लिये, जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन है। सिविल प्रोसिजर कोड में तीन प्रकार के जुरिस्डिक्शन हैं लेकिन यह जो स्पेशल जुरिस्डिक्शन लिया जा रहा है, अन्ततोगत्वा इसका रिजल्ट यह होगा, लॉ कमिश्नर ने बहुत स्पष्ट कहा पहले, हो, सी. पी. सी. के सैक्शन 18 में, दो महीने का नोटिस दिया जाता था और स्वयं ने लॉ कमिश्नर ने रिकमण्डेशन की है कि गवर्नमेंट आर्डिनरी लिटीगेंट और आर्डिनरी सिटीजन के एट पार खड़ी होनी चाहिये. इसका स्पेशल स्टेटस नहीं रहना चाहिये। गवर्नमेंट ने यह तो किया है अमेंडमेंट के जरिये, आदरणीय मंत्रीजी ने क्लाज 4 में एनी मैटर जिसके सम्बन्ध में कोई भी सूट या प्रोसिडिंग्स इंस्टीट्यूशन, हियरिंग एण्ड डिटरमिनेशनस, की जो सिविल नेचर का हो, एनीमैटर पब्लिक इम्पार्टेंस का है

coming within the scope of special enactment and in which the State Government, any local authority or other authority within the territory of the State of Rajasthan or under the control of the State Government is a party

बी. और सी. को अब अमेंडमेंट में, जो है, इन्होंने परव्यू के बाहर निकाला है स्पेशल कोर्ट्स की, लेकिन अभी तक सरकार जो है आर्डिनरी सिटीजन से हायर रहना चाहती है, स्पेशल कोर्टस में पब्लिक इम्पार्टेंस के मैटर्स में। एनी मैटर आफ पब्लिक इम्पार्टेंस, यह सरकार अपने पास जो जुरिस्डिक्शन ले रही है, यह आर्बीटेरी है। इस आर्बीट्रेरी जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करने की इस आर्डिनेन्स में और बिल में कोई भी गाइड लाइन नहीं रखी गयी है। अनफेटर्ड पावर्स ले रही है डिस्क्रिशनरी, गवर्नमेंट। पब्लिक इम्पार्टेंस क्या? किसी भी मैटर को, एनी मैटर को पब्लिक इम्पार्टेंस का मान कर स्पेशल कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर दिये जायेंगे।

आज पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, हालांकि उसका स्पेशल ला है लेकिन क्योंकि चुनाव हो रहे हैं उसमें कोई रिट एप्लीकेशन में स्टे आ गया, इससे पंचायत चुनावों के अन्दर पब्लिक इम्पार्टेन्स का मैटर है, इसको पब्लिक इम्पार्टेंस समझ करके हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि इस पर स्पेशल कोर्ट कांस्टीट्येट कीजिये। इसलिये पब्लिक इम्पार्टेंस वाला मैटर जो है, आल अम्ब्रेसिंग है जिसको राजस्थान के मुख्य मंत्री और लॉ मिनिस्टर दोनों मिल कर इस निर्णय पर पहुंचेगे कि यह पब्लिक इम्पार्टेंस का है, वही पब्लिक इम्पार्टेंस का है।

Any matter of public importance will go to a special court.

इसलिये इसमें अमेंडमेंट जो सरकार लायी है, इस अमेंडमेंट में अपने स्टेटस को, लॉ कमिश्नर ने कहा नहीं, तुम अपना स्टेटस ऊपर हायर नहीं बढ़ा सकते, बराबर रखो

(श्री परसराम मदेरणा)

प्राडिनरी सिटीजन के There is a rule of law in the country. सभी को बराबर अपाचुनिटी होनी चाहिये । कुछ केसेज पब्लिक इम्पार्टेन्स के नाम वहां से निकाल कर मानलो पब्लिक यूटिलिटी लिटीगेशन चल रहा है जो हाई कोर्ट में सीधी रिट होती है, कल आप कह दोगे, यह पब्लिक इम्पार्टेन्स का मैटर है इसलिये डिस्ट्रिक्ट जज के पास जायगा, वहां से जुरिस्डिक्शन डिबार कर रहे हो आप। इसलिये यह अमेंडमेंट भी लाये, बिल को भी इन्होंने डेफर कराया चार पांच दिन तक मुख्य मंत्रीजी ने बार एसोसियेशन और एडवोकेट्स की काफी मीटिंग्स की, उनसे परामर्श भी किया और उनके सोल घिस गये बूट्स के आपके बंगले और लोकल सेल्फ मिनिस्टर के बीच में, एडवोकेट जनरल के बीच ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपसे भी अनुमति ली।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी अनुमति वनुमति कुछ नहीं आयी। मेरा तो क्लाज 3 में अमेंडमेंट था, वैसा ही अमेंडमेंट लाये हो।

मैं तो यह सोच रहा था कि गवर्नमेंट यह अमेण्डमेंट नहीं लायेगी क्योंकि इसमें एक कोमा का ही कहीं फर्क नहीं है लेकिन वह बात यह है ना क्योंकि यह अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट है इसलिए हमारा अमेण्डमेण्ट तो अलग आयेगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो गवर्नमैण्ट अभी इस आर्डिनेन्स के जरिये कुछ तब्दीलियां जरूर की हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं। कुछ संशोधन किये हैं लेकिन स्पेशल कोर्ट का जो है, मैंने उपाध्यक्ष महोदय, जो अमेण्डमैण्ट दिया था, वह अमेण्डमैण्ट दिया था कि आज क्लाज 4 को डिलीट कर दिया जाये, ओमिट किया जाये। क्योंकि आपके रूल्स आफ प्रोसीजर रूल 65 में मैं डायरेक्टली नेगेटिव अमेण्डमैण्ट दे नहीं सकता था, इसलिए वह एक्सेप्ट नहीं किया और मुझे इनफोर्म कर दिया गया कि आप उस पर बोल सकते हैं। क्योंकि मैं अभी आर्डिनेन्स पर बोल रहा हूं, फिर मैं क्लाज 4 पर भी बोलूंगा। यह पावर गवर्नमैण्ट ले रही है, यह डिसक्रेशनरी पावर है।

गवर्नमैण्ट एनी मैटर के नाम से सिंगल आउट कर रही है कुछ मैटर्स को। सिंगल मैटर करने के लिए यह आरबिट्रेरी है और आरबिट्ररी डिसक्रिशन ले रही है और आरबिट्ररी डिसक्रिशन भी गाइडलाइन के द्वारा ले रही है और वह गाइडलाइन ज्यूडिशियल और फेयर डिसक्रिशन नहीं रहेगा, इसकी कोई भी व्यवस्था नहीं की है इसलिए क्योंकि खुद ही यह गवर्नमैण्ट मानती है, मिनिस्टरी इंचार्ज भी मान रहे हैं और मुख्यमंत्रीजी भी मानते हैं कि आर्डिनेंस हम ले आये जल्दी और आर्डिनेंस के डेढ़ महीने के बाद में इनको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया कि यह तो गलत मामला है, इसमें 3, 4 क्लाजेज में अमेंडमैंट कर दो।

मैं यह चाहता हूं कि 3, 4 क्लाजेज में अमेण्डमैण्ट करने के अलावा पिवयुनरी वाला तो रख दिया जाये और कोर्ट वाला जो

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डिनेंस लाये हैं. उस संबंध में यह सदन मेरा परिनियत संकल्प स्वीकार करे ताकि इसको आउट राइट अस्वीकार कर दिया जाये और रिजेक्ट किया इस आर्डिनेंस को।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरालाल देवपुरा (अनुपस्थित) माननीय सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस जो गवर्नमैण्ट ने 12 अगस्त को प्रोमलगेट किया, इसको मेरा सकल्प है कि अस्वीकार किया जाये। क्योंकि वास्तव में अगर आप देखें तो गवर्नमैण्ट खुद अस्वीकार कर रही है जिन प्रोवीजंस की वजह से प्रदेश के अंदर एजिटेशन पैदा हुआ, मैं उस बात के लिए मुख्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम इस वाजिब बात को सुनने का कष्ट किया। मैंने 273 का नोटिस इसमें दिया है और मेरा उसमे मेन एलीगेशन यह है कि प्रजेण्ट गवर्नमैण्ट केसेज ज्यूडिशरी को सबज्यूगेट करने की कोशिश कर रही है। पर चूंकि यह कदम जो इन्होंने रिट्रेस किया है इसलिए आई रिजर्व माई राइट कि मैं फिर कभी इस बात की चर्चा करूंगा....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज ही बोल दो न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं नहीं आज नहीं, आज आवश्यक नहीं है। आज आवश्यक नहीं है मुख्यमंत्रीजी क्योंकि आज आपने रिट्रेस कर लिया वह एटमोसफियर बन नहीं पायेगा। अगर मैं बोलूंगा तो आप उसको पक्चर कराना चाहेंगे वह मैं नहीं करने वाला। तो उपाध्यक्ष महोदय, यह भी एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि आज सौभाग्यवश हमारे मुख्यमंत्री वरिष्ठतम विधायक हैं और इतना इधर बैठकर कांग्रेस गवर्नमैण्ट को इन्होंने सीवियर मोस्ट लैंग्वेज के अन्दर क्रिटीसाइज किया है कि साहब आप आर्डिनेंस प्रोमलगेट करते हो।

मुख्यमंत्रीजी एक बात बता दीजिए कि आर्डिनेंस के प्रोमलगेशन का क्या जस्टिफिकेशन है। 12 अगस्त में आप आर्डिनेंस प्रोमलगेट कर रहे हैं 16 सितम्बर से असेम्बली हो रही है। एक उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक भ्रांति दूर करना चाहता हूं यह निश्चित रूप से एक आंदोलन था जो वकीलों ने चलाया, वकीलों ने आगे बढ़ाया और वकील समुदाय से आपकी बात हुई और आप निष्कर्ष पर पहुंचे और हकीकत में यह कोई वकील समुदाय की तकलीफ नहीं थी जिसको लेकर के आंदोलन चलाया गया। यह आम जनता को तकलीफ थी जिसको लेकर राजस्थान का वकील समुदाय खड़ा हुआ Advocate constitute intellectual class in the State. You must appreciate this.

तो ऐसा नहीं है क्योंकि जहां आपने स्टेट को पार्टी, या आफिशियल पार्टी not only this, स्टेट की इन्स्ट्रूमेंटलीटी कोई

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हो उसको बना दिया है हमने पंचायत समिति में अगर पांच रुपये किसी के अटक गये, मैं समझा जाओ आप स्पेशल कोर्ट के अन्दर । खैर वह सब आग्र्यूमैण्ट हो चुके हैं, मुख्यमंत्रीजी ने उनको उचित मानकर वापस लिया है । एक जब क्लॉजवाइज आयेगा मैं इसमें और अर्ज करूंगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि मेरे पास जो कागज है उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्लाज 4 के अन्दर 19 (ए) में बी.ओ.सी. डिलीट करने को कहा, तो यह किया कि नहीं किया डिलीट । मेरे पास तो कागज है नहीं । वह बहुत आवश्यक है । क्लाज 4 में 19 (ए) जो आप नया इन्सर्ट कर रहे है उसमें बी.ओ.सी......

श्री उपाध्यक्ष : हटा दिया है ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : डिलीट कर दिया तो उसके बाद तो यह परपज साल्व हो जाता है । स्पेशल कोर्ट, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं यदि राज्य सरकार के सामने ऐसी कोई समस्या रही हो । हो सकता है ट्रांसफर्स के विषय में राज्य सरकार को रोजाना ट्रांसफर करके यह उपाध्यक्ष महोदय, वास्तविक बात है । गवर्नमैण्ट की डिफिकल्टी को भी हमको समझना चाहिए लेकिन वह बड़ा इल एडवाइज्ड और नेवली ड्राफ्टेड बिल है यह । तो वह ओब्जेक्ट पूरा नहीं होता उससे । तो मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप ट्रिब्युनल को ट्रांसफर की पावर दे दें, वह उनका फैसला कर दे ।

There is a problem with you, I know that, and I appreciate this.

लेकिन उसका यह उपचार नहीं है कि आपने तमाम गरीब जनता को एकदम आउट करके कर दिया, तो उसका आप उस तरीके से सोच सकते है । जहां तक स्पेशल कोर्ट का सवाल है वह अपने आप में जस्टिफाइड है । कोई स्पेशल इनैक्ट के अन्दर कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस पर आप कर सकते हैं तो वह प्रोवीजंस अमेण्ड होने चाहिए थे, वह हो गये । अंत में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि भविष्य में आप इस तरह का इम्पोर्टेंस है तो आपको बार कौंसिल के बहुत से इंटेलेक्चुएल लोगों की जो एपेक्स बोडी है, उससे कनसल्ट करने में कहीं कोई झिझक नहीं होनी चाहिए । हाउस में तमाम तरह की ओपीनियंस आती हैं, पार्टीवाइज एप्रोच भी नहीं होती है तो अंत में मुख्यमंत्रीजी ने सदाशयता का जो परिचय दिया है, इस पर खुले दिमाग से विचार करके इस बिल के अन्दर.. (व्यवधान) आप ऐसे एक्ट किया करेंगे तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है । उपाध्यक्ष महोदय, यह अमेण्डमैण्ट्स मेरे दिये हुए हैं लेकिन यह नहीं है मेरा कोई आग्रह नहीं है । जो अमेण्डमैण्ट गवर्नमैण्ट ला रही है, यह अमेण्डमैण्ट प्रिसीडेंस लेगे प्राइवेट मेम्बर के ऊपर, यह बिल्कुल सही है । लेकिन जो अमेण्डमैण्ट मैं मूव कर चुका हूं, वह मैम्बर्स में सरक्यूलेट हो चुके

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

हैं। कायदा तो यह है मुख्यमंत्री जी वह अमेण्डमैण्ट मेरे आपको एक्सेप्ट करने चाहिए। आप नहीं करेंगे वह अलग बात है लेकिन कायदा यह है मुख्यमंत्रीजी आप स्वयं जानतें हैं कि जो अमेण्डमैण्ट सरक्यूलेट हो चुके हैं और मैं मूव कर चुका हूं कायदे से वह एक्सेप्ट करने चाहिए। आपने तो आज मूव किये हैं लेकिन मेरे अमेण्डमैण्ट तो सरक्यूलेट हो चुके, तो आपको एक्सेप्ट करने चाहिए और एक्सेप्ट करने का मतलब यह है कि आप एकनोलेज करते हैं कि यह अमेण्डमैण्ट ठीक है और आप अगर नहीं मानें तो आपकी मर्जी, मेरा इसमें कोई आग्रह भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 अगस्त को यह लाया गया था, सवा महीने का पीरियड था। यह पता नहीं था कि कब चलेगी विधान सभा और यह सोचा गया था कि पिक्युनरी जुरिडिस्कशन पांच हजार का जुरिस्डिकशन.. (व्यवधान) मैं दो मिनट ही कह रहा हूं। पांच हजार रुपये का जुरिस्डिकशन मुंसिफ मजिस्ट्रेट को सन् 1970 में किया था। उसके पश्चात् बराबर यह मांग आती रही और रुपये का भी डिवैल्यूएशन हुआ, कुछ केसेज भी ज्यादा बढ़ने लग गये कि इसलिए हमने यह सोचकर मुंसिफ मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिकशन का 25 हजार कर दिया जाये और सिविल जज का उस समय एक लाख तक करने का था और वापस अमेण्डमैण्ट किया कि 50 हजार का किया जाये, यह इतना सा है और स्पेशल कोर्ट्स का जहां तक सवाल है, मान लो यहां कोई महामारी हो गई है उसमें किसी का कंपनसेशन तय करना है। या किसी गरीब आदमी को रिलीफ किसी प्रकार की दी जाये या नहीं दी जाये उसके लिए इस प्रकार का कोई हो तो उसमें स्पेशल कोर्ट की जा सकती है। इसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना है और आप इसको पास करायेंगे और इसमें कोई बात नहीं है सारी जनता ने इसको एप्रीशियेट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि माननीय श्री रामनारायण वर्मा द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प "यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 1992 को प्रख्यापित राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या-2) को अस्वीकार करता है।' को स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

माननीय मंत्रीजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव

(श्री शांतिलाल चपलोत)

करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती उजला अरोड़ा !

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। मेरे जयपुर नगर के बार कोन्सिल के सारे वकीलों को बधाई देती हूं कि उन्होंने आन्दोलन किया। मैं सरकार को भी धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यह एक अच्छा निर्णय लिया है। मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन पर बात करनी चाहिये और बात करने से मामले सुलझ जाते हैं। नीचे वाली कोर्ट्स में, एक तो हमारी कोर्ट्स में इतने मामले अटके हुये हैं मैं कहना चाहती हू कि एक स्पेशल कोर्ट, आम आदमी के मामलात के जो मामले हैं उनके करनी चाहिये अलग से बनानी चाहिये जिस प्रकार से एक कोर्ट आपने पहले भी पारिवारिक न्यायालय की बना रखी है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी, अगर आप देखेंगे कि जो अधिकारियों की गलती के मामले कोर्ट में जा रहे हैं। हाई कोर्ट ने मुख्य मंत्रीजी को व मुख्य सचिव को पत्र लिख कर बताया है कि किन-किन मामलों में अधिकारी ला कोर्ट में पहुंचे नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगी उसी कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसले किये, जिन फैसलों में कोर्ट ने पैसे का जुर्माना किया। वह जुर्माना टाइम पर जमा नहीं किया गया। और जो नीचे वाले अधिकारी थे उनको वहां भेजा गया कोर्ट अपीयर होने के लिये। तो हाई कोर्ट ने उन्हीं को बुलाया जिन अधिकारियों की गलती थी और उन अधिकारियों को फिर भी वहां नहीं भेजा गया।

मान्यवर, इस तरह के हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी अधिकारी कोर्ट में उपस्थित नहीं होते और कोर्ट में उपस्थित नहीं होते और जुर्माना सरकार को भरना पड़ता है अभी-अभी यह चर्चा थी कि रोडवेज ने 14 करोड़ रुपया कमा कर दिया हैं। हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और पैसे जमा नहीं किया और यहां आप यह दिखा रहे है कि हमने कमाई कर ली। अगर आपका स्टे खारिज हो जाय तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा एक पैसा भी आपकी बचत नहीं होगी। मान्यवर, ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें अधिकारी नहीं जाते। मैं पिछले दिनों की घटना बताना चाहती हू किसी तबादले के मामले में पंचायत राज्य मंत्री और मुझ पर यह मुकदमा किया गया कि हमने तबादला कर दिया है। मैं मारी-मारी फिरी।

मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी आदमी,

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कोई भी अधिकारी पत्रावली प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हुआ। पांच मुकदमों में मुझे उपस्थित होकर के और मेरी वजह से वह सारा मामला आगे आया और मेरा नाम निकाला गया और खारिज किया गया। सरकार तो तबादला करेगी विधायक कहां से उसमें फंसेंगे। लेकिन अधिकारीगण समय पर उपस्थित नहीं होते। इन सारे मामलों के लिये अलग से कोर्ट भी आपको बनानी चाहिये, देखना चाहिये कि कोर्ट्स पर कितना भार पड़ा हुआ है। अधिकारी को समझना चाहिये कि हाई कोर्ट में जिसको प्रस्तुत होना है, कोर्ट की इज्जत करने के लिये उसको प्रस्तुत होना चाहिये। आप इन सब मामलों को भी देखेंगे। मुझे तो मौके पर कहना था इसलिये मैंने निवेदन किया है। और जो मंत्री महोदय यहां पर संशोधन लाये हैं, मैं यह कहना चाहूंगी कि इन मामलों पर भी मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव और विधि मंत्री ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री बिरधाराम चौधरी (अनुपस्थित) माननीय श्री जनार्दन सिंह गहलोत (अनुपस्थित) श्रीमती रमा पायलेट (अनुपस्थित) माननीय श्री बुलाकीदास कल्ला।

श्री बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि मंत्री जो राजस्थान मंत्रीमण्डल में बैठे हैं वह भी यहां पर विधेयक पर विचार करने केलिये तैयार नहीं है। पूरे राजस्थान में बवेला हो गया, इतनी लम्बी वकीलों की हड़ताल चली और यहां पर मंत्रीगण चाहते है कि दो ही मिनट में विधेयक पास हो जाय ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : उस समय तो आपने मुझे कहा ही नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा मेरे कहने से ही करते हो क्या आप। मुझे यह पता नहीं था नहीं तो मैं कह देता।

श्री परसराम मदेरणा : आप कहते हो ...

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : तो राजस्थान की जनता के हितों के विपरीत आप आचरण करते हो हमने सोचा चुप रहना ठीक है नहीं तो यह निश्चित तौर पर....

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपकी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो इनको कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, मैं बार एसोसिएशन में गया था अभी तीन दिन पहले सन्डे को। मैंने इस आर्डिनेंस के संबंध में कोई चर्चा ही नहीं की। वह ठीक है आप लाये हो, गवर्नमेंट लाना चाहती है, गवर्नमेंट बिजनेस है। इस सम्बन्ध में....

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं तो इनको कह रहा हूं आप कहां बीच में खड़े हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, कल्ला साहब कुछ कहेंगे ।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्पेशल सिविल कोर्ट की स्थापना के बारे में जो मुद्दे रखें मैं उनसे सहमत हूं ! आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह अपील करता हूं कि स्पेशल कोर्ट का मिसयूज होगा और राज्य सरकार ज्युडिशियरी में हस्तक्षेप बढ़ा रही है यह उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करना यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। हमारे संविधान में और नीति के जो निर्देशक तत्व है उनमें सस्ता और सुलभ न्याय दिया जाना चाहिये। राज्य सरकार इस आर्डिनेंस के द्वारा इस प्रदेश को चलानी चाह रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के खिलाफ मुद्दे पास किये हैं कि वहां अध्यादेश के माध्यम से ही सरकार चल रही है। इसी तरीके से यहां पर आप विधान सभा सवा महीने में हो रही थी पर आपने इस अध्यादेश को जारी करवा कर आप क्या करना चाहते थे। इस अध्यादेश के लागू होने के बाद आपने क्या-क्या कदम उठाये। स्पेशल सिविल कोर्ट की कोई औचित्य नहीं है।

इसके साथ-साथ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के और तन्त्र न्यायाधीश को काम दिये थे उसके बारे में हमारे मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधनों को एज इट इज स्वीकार किया उसके लिये तो हम धन्यवाद देते है। लेकिन आयन्दा आप ध्यान रखें कि आप हाउस की सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दें या बार कौन्सिल से राय लेकर इस प्रकार के मुद्दों पर विचार विमर्श के बारे में लाये ताकि जनता का अहित नहीं हो। इसलिये मैं अभी भी यह कहता हूं कि स्पेशल के मामले में इस बिल को एक माह के लिये जनमत जानने को परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री लक्ष्मीनारायणजी दवे। (अनुपस्थित) माननीय श्री हीरालालजी देवपुरा (अनुपस्थित) माननीय श्री नत्थीसिंह जी।

श्री नत्थीसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह पहली दफा इस सेशन में जो राज्य-सरकार ने परिचय दिया है कि यह अपनी की हुयी जल्दबाजी की भूल को स्वीकार करती है। चाहे वकीलों का आन्दोलन हुआ हो, जो आर्डिनेंस लाये जल्दी में घिसा मारा और उससे जो अहित हो रहा था। एक तरफ आपकी नीति कि हम सुलभ और सस्ता न्याय दें, नजदीक से नजदीक कोर्ट को ले जायें। मुन्सिफ कोर्टस बढ़ाते हैं, तहसीलों में ले जाते हैं और वहां इसके द्वारा कर रहे थे वहां गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के अधिकारियों को उससे मुक्त कर रहे थे उनकी ज्युरिस्डिक्शन से उस गलती को तो आपने सुधार लिया इसके लिये तो धन्यवाद।

लेकिन सुधारा तब जब वकीलों ने काफी आन्दोलन किये, हड़तालें की। लेकिन उसके साथ-साथ मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूं, वैसे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि इनको पावर होनी

(श्री नत्थीसिंह)

चाहिये । मैं तो कहता हूं कि जो आप ला रहे हैं क्लोज-4 में स्पेशल कोर्ट की पावर वह बहुत ही स्वीपिंग पावर । एक तरह से यह संशोधन करके जनमत का आदर किया है दूसरे बैंक डोर से अधिकारों को पुनः अपने पास लेना चाहते हैं । पब्लिक इम्पोर्टेन्स के नाम पर आपने कहा है मैं समझता हूं यह सही नहीं है । इसको और आप जनता से पूरी राय लीजिये साफ है कि यह जो आप संशोधन ला रहे है, अब जो संशोधन लाये हैं इसको भी आप एक माह के लिये जनमत जानने के लिये सिफारिश करिये । कोई ऐसी जल्दी नहीं है आपको फौरन उसे करें लेकिन यह इसका निश्चित रूप से दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग पहले हुये हैं । इतनी स्वीपिंग पावर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरिसिंह जी, (अनुपस्थित) माननीय श्री परसादी लाल मीणा, (अनुपस्थित) श्री प्रेमसिंह दहिया, (अनुपस्थित) प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के लिए माननीय श्री रामनारायण जी वर्मा, नहीं बोलना है । माननीय श्री रामकरणसिंह जी, (अनुपस्थित) माननीय श्री गोपालसिंह जी खण्डेला (अनुपस्थित) माननीय श्री सुरेन्द्र जी व्यास । माननीय श्री हेतराम जी बेनीवाल ।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री हेतराम बेनीवाल : उपाध्यक्ष जी मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय । मेरा लम्बा-चौड़ा नहीं है । मुझे तो मुख्य मन्त्री जी से एक बात आप सुन तो लो । जैसे आपने वकीलों की सुनी है और एक बार आन्दोलन करके वकीलों ने आपको जिस तरह से सवक दिया है । पहले वकीलों की बात आपने सुन ली । इस तरह से और भी जनता है राजस्थान में है करोड़ों लोग हैं । उन पर जब आप कोई कानून बनाते हो, उन पर कुछ भार बढ़ाते हैं तब नहीं विचार करते । मैं आपको इस कदम का स्वागत करता हूं । आपने देर आयद दुरुस्त आयद मान लिया तो इस तरह से संवेदनशील होकर के बाकी जनता को भी सुना करो । यह जो वकील, बजट का नहीं है । बड़े वकील थे । आपका कोई मेल-जोल ही ऐसा था । बड़े-बड़े लोग थे, वकील आये और मान ली उनकी । पर जनता की नहीं मानते, लाखों लोग थे । तो मेरा निवेदन है कि उसके प्रति भी सब की सुना करें यह मेरा निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मन्त्रीजी ।

श्री शांतीलाल चपलोत (राज्य मन्त्री, विधि) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि संशोधित रूप में इसे पारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : हां बिराजिये । प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को विचारार्थ किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड दो में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

खण्ड दो स्वीकार किया गया।

खण्ड 3 प्रभारी मन्त्री संशोधन प्रस्तुत करेंगे। खण्ड तीन।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मन्त्री, विधि) : उपाध्यक्ष महोदय, Clause 3.

In clause 3, in section 19 of the Rajasthan Civil Courts Ordinance, 1950 (Ordinance No- 7 of 1950), hereinafter referred to as the principal Ordinance, as being substituted by the clause,-

(i) in clause (i), for the expression "does not exceed one lac rupees", expression "does not exceed fifty thousand rupees" be substituted, and....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गुलाम मुस्तुफा खान।

श्री गुलाम मुस्तुफा खान : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो अमेण्डमेंट दिया था वह माननीय मन्त्रीजी ने मान लिया।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक बात है। माननीय श्री परसराम जी मदेरणा :

श्री शांतिलाल चपलोत : (ii) in clause (ii), the expression "except a suit or original proceeding of a civil nature in which the State Government or any officer of the State Government in his official capacity is a party, "be deleted,"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री परसराम जी मदेरणा।

श्री परसराम मदेरणा : नागौर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेण्डमेंट रखा था। नागौर से आने वाले माननीय सदस्य

(श्री परसराम मदेरणा)

ने अमेण्डमेंट मूव नहीं किया लेकिन यह प्रभारी मन्त्रीजी वही अमेण्डमेंट लाये इनका अमेण्डमेंट 50 हजार रुपये, एक लाख रुपये के स्थान पर सब्स्टीट्यूट करने का था। प्रभारी मन्त्रीजी जो अमेण्डमेंट लाये, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कन्फ्यूजिग है। आपने ऊपर तो इंग्लिश में जोर-जोर मे बोल रहे थे और जहां एक्चूवल अमेण्डमेंट है 'in clause (i), of Clause 3, in section 19 in clause (i) the expression "does not one lac rupees" expression "does not exceed" not exceed,.. does not exceed, not exceed fifty thousand rupees, I have never come across such a drafting in my life.

इसमें एक्सीड जो आप ज्यादा कर गये, लम्बे-लम्बे कदम रख रहे हो, एक कदम पीछे रखो one step forward and two steps backward.

यह अमेण्डमेंट आपने ठीक नहीं किया बहुत लचर किया है इसको ठीक करना चाहिए था। इसमें मेरे अमेण्डमेंट क्लाज तीन में दो अमेण्डमेंट है उपाध्यक्ष महोदय। पहला अमेण्डमेंट जो सर्कुलेट हुआ है, विधान सभा सचिवालय द्वारा, मैं प्रोविजो के बाद में बात करूंगा। कि मेरा प्रोविजो क्लाज तीन के अन्त में है, लेकिन क्लाज तीन के (ii) में जो मेरा अमेण्डमेंट है वह यह है :

"except a suit or original proceeding of a civil nature in which the State Government or any officer of the State Government in his official capacity is a party."

(व्यवधान) आपको 500 रुपये के अनुदान की जो छींक आ रही है। आपका अमेण्डमेंट जो है "except a suit or original proceeding of a civil nature in which the State Government or any officer of the State Government in his official capacity is a party,"

मिनिस्टर से मैं यह पूछता हूं मेरे और आपके अमेण्डमेंट में जो सेमीकालन का फर्क है क्या ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप क्यों बोल रहे हो।

श्री परसराम मदेरणा : मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस प्रभारी मिनिस्टर को मेरा अमेण्डमेंट के बारे में ऐसा आ गया है यद्यपि अमेण्डमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नागौर वाले मैम्बर का अमेण्डमेंट आया तो उस अमेण्डमेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। यह ओवर राईटिंग पावर लेकर के हम तुम्हारा एक्सेप्ट नहीं करते। यह सदन में किसी डेमोक्रेट का बिहेवियर नहीं है। अभी तो डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतन्त्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक परम्पराओं की ये बहुत बात कर रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीसुरेन्द्र जी व्यास ।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रोविजो कहां गया । मेरे प्रोविजो की अब आवश्यकता इसलिए नहीं रही है क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है । गवर्नमेण्ट की तरफ से अमेंडमेंट आ गया है इसलिए अब यह रिडन्डेंट है और मैं इसको विथड्रा करता हूं ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, I need not move this amendment सरकार अमेण्डमेंट ले आई है इसलिए मैं विथड्रा करता हूं । भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की भाषा ही यूज करता हूं मैं कि एक्सेप्ट करना चाहिए था आपको डेमोक्रेटिक तरीका तो वही है ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड चार । प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे ।

श्री शांतिलाल चपलोत (राज्य मंत्री, विधि) : in clause 4, in section 19—A of the principal Ordinance, as being inserted by the clause, for sub-section (1), the following be substituted namely:—

"(1) Whenever the State Government is of the opinion that it is necessary to do so, it may, in consultation with High Court, establish by notification in the Official Gazette, a Special Civil Court for the institution, hearing and determination of suits and other proceedings of a civil nature in respect of any matter of public importance,";

श्री परसराम मदेरणा : अभी, क्लाज चार में जो संशोधन रखा है, रबकर क्लाज सदन के सामने है, इसको डिलीट किया जाये ।

I am within my rights under Rules of Procedure, rule 65.

और मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मैं वह आर्ग्यूमेण्ट तो दे चुका हूं लेकिन मुझे एक बार रिपीट करना पड़ रहा है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट के सेक्शन 15 और 20 से लेकर के बीच में तीन प्रकार के जुरिस्डिक्शन है :—Territorial jurisdiction, pecuniary jurisdiction and subject matter juriscication.

(श्री परसराम मदेरणा)

गवर्नमेंट अब स्पेशल कोर्ट्स पब्लिक इन्टरेस्ट जिसको वह समझेगी । यह स्पेशल जुरिस्डिक्शन का अख्तियार अपने पास लेना चाहती है और जो अख्तियार लेना चाहती है उससे वह अपने स्टेटस को आर्डिनरी लिटीगेन्ट से हायर रखना चाहती है, गवर्नमेंट का इस अमेण्डमेंट से जो इरादा है कि इन दी मैटर्स आफ लिटीगेशन जो प्रिविलेज्ड पर्सन और इस प्रकार की स्पेशल कोर्ट्स कायम करने की जो गवर्नमेंट की पालिसी है और स्पेशल जुरिसडिक्शन किसी स्पेशल कोर्ट्स को एस्टाबिलिश करना जो गवर्नमेंट का इरादा है वह लोकतन्त्र की सभी भावनाओं के प्रतिकूल है और जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मैं उस 54वें ला कमीशन की रिकमन्डेशन को भी पढ़ रहा हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर ला कमीशन बैठाया सरकार ने आनरेबल जस्टिस दवे की चेयरमैनशिप में ..

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उसमें यह नहीं है । आप इम्प्रेशन यह देने जा रहे हैं....

श्री परसराम मदेरणा : आप बीजू पटनायक की बात कर रहे थे। बीजू पटनायक की रिपोर्ट पर चर्चा एक घंटे तक की ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इम्प्रेशन यह दे रहे हो कि यह कमीशन रिपोर्ट नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : Can't you wait for the report ? यह गवर्नमेंट का आर्बीट्रेरी पावर लेने का आपका जो इरादा है, इसमें लिखा है सैक्शन 80 में, which provides for compulsory notice before the institution of a suit against the Government or a public officer is being mitted because it is held that the State or public officer should not have a privilege in the matter of litigation and against the citizen, and he should not have a higher status than ordinary litigant in this respect.

भारत के ला कमीशन की सिफारिशों को भारत सरकार ने माना और पार्लियामेंट ने माना है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमने भी माना है ।

श्री परसराम मदेरणा : एक्सेप्शन करने जा रहे हैं तो यह राजस्थान के मुख्यमन्त्री भैरोंसिंह शेखावत जो राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं और इस सदन के माननीय और सम्माननीय नेता भी हैं । इस प्रकार के जो जो रिजोल्व कर रहे हैं स्पेशल ज्यूरिडिक्शन के। ज्यूरिडिक्शन के एनी मैटर्स को पब्लिक मैटर्स का नाम लेकर स्पेशल कोर्ट्स बनायेंगे । इसमें इनका क्या फर्ज होगा । जे. डी. ए. एक्ट में एक सेशन जज है उनको भी ऐसे मैटर्स आ जाये तो इमीजिएटली डिसीजन के लिए लगाया है । है या नहीं कृषि मंत्रीजी ।

श्री रामनारायण बिश्नोई : काहे का ।

श्री परसराम मदेरणा : जे.डी.ए. में ।

श्री रामनारायण बिश्नोई : मुझे पता नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : कृषि मंत्रीजी से इसलिए पूछा है कि वह पता तो आपको है क्योंकि जो बार कौंसिल का अध्यक्ष रहे उसको सब पता होगा लेकिन इतने ही निकले। मुझे जानकारी नहीं थी। अब इसकी ए.सी.आर. कौन लिखता है। उपाध्यक्ष महोदय, कमिश्नर जे. डी. ए. इनकी सी. आर. लिखता है हायर ज्यूडिशियल सर्विस का प्रसाईडिंग आफिसर है उसकी अन्तोगतत्वा स्थिति क्या है? कमिश्नर पूछता है इस मामले में क्या करना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कबसे लिखने लगा है।

श्री परसराम मदेरणा: कब से कब से कर रहे हैं। हर वक्त ही कब से आ जाता है। आपसे, कब से गप्प से। मैं यह नहीं कह रहा था। मैं उदाहरण दे रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पब्लिक इण्ट्रेस्ट की गाइड लाइन दीजिए, इसको डिफाइन कीजिए। कैसा मैटर होगा पब्लिक इण्ट्रेस्ट का। नहीं तो यह प्योर नहीं है, ज्यूरिसियस नहीं है, आर्बिटरी है स्पेशल कोर्ट्स को बनाना चाहे रहे हैं, स्पेशल कोर्ट्स को कोन्सटीट्यूट करने जा रहे हैं। स्पेशल स्टेटस लेना चाहते हैं, स्पेशल पोजिशन लेना चाहते हैं।

मैं ऐसा मानता हूं कि कुछ अमेण्डमेंट लाकर, प्रावधान रखा है प्रभारी मंत्रीजी आपने यह ऐसा कानून है जिसमें किसी भी मैटर को पब्लिक इण्ट्रेस्ट का करके आप कन्सलटेण्ट्स इन हाई कोर्ट को स्पेशल कोर्टस को कांस्टीट्यूट करने का है यह नहीं कि पब्लिक इम्पोर्टेन्स क्या है यह हाई कोर्ट को नहीं दिया अगर यह हाईकोर्ट को सब्जेक्ट मैटर देते हैं तो एनी मैटर पब्लिक इम्पोर्टेन्स का कौन सा है तो मैं यह मानता हूं कि यह डिसक्रिएशन राज्य सरकार के पास नहीं हो। डिसक्रिएशन लिया है पब्लिक इम्पोर्टेन्स को डिसाइड करने का सरकार द्वारा और एक्जीक्यूटिव द्वारा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे कि आप जल्दी कीजिए स्पेशल कोर्ट्स कोन्स्टीट्यूट करने के लिए।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस अमेण्डमेण्डेड क्लोज को जो सदन के सामने है इसे कन्वेंसिंग और अन रिफ्यूटेबल जो एडवान्स किया है उसको वेट करके आपको सूझ बूझ और विवेक से काम लेना चाहिए। सरकार की अन लिमिटेड आर्बिटरी डिसक्रिएशन की जो प्रवृति है उसको रोका जाना चाहिए। इसलिए इस अमेण्डेड क्लोज को डीलिट किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर प्रसाद जी। पेश नहीं कर रहे हैं। श्रीसुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह डिलिशन का क्लोज मेरे को नहीं मिला। है। I am moving but I was told that the Government has also come forward with an amendment deleting sub clause (c).

(श्री सुरेंद्र व्यास)

आटोमेटीकली डीलिट कर दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-4 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड-4 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड- 4 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया ।

खण्ड-5 कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

खण्ड-5 स्वीकार किया गया ।

खण्ड-6 प्रभारी मंत्रीजी संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री शांतिलाल चपलोत : in clause 6, in section 21 of the principal Ordinance, as being substituted by the clause, for the existing sub-section (2), the following be substituted, namely :—

"(2) Save as aforesaid, an appeal from a decree or order of a munsiff shall lie to the District Judge." and

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड-6 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय ।

श्री गुलाम मुस्तफाखान : मेरा नाम है ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है फिर भी आप बोल सकते हैं । आप बोलना चाह रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : जब-जब भी कोई अमेण्डमेण्ट प्रभारी मंत्रीजी लाते हैं तो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यह अमेण्डमेण्ट क्यों ला रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ।

श्री परसराम मदेरणा : यह सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तो आप तो ज्ञान के भण्डार हैं लेकिन मैं प्रभारी मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप यह अमेण्डमेण्ट क्यों लाये हैं इसका कोई कोरलेशन आपने कोई अमेण्डमेण्ट दूसरा किया है उसको कोन्सीक्वेशनल है क्या यह ? कारण दिये नहीं । मैं अमेण्डमेण्ट मूव कर रहा हूं कभी भी ऐसा नहीं हुआ । हमको तो आप कह रहे हैं कि आप आर्ग्यूमेण्ट एडवान्स कीजिए और आप खड़े होकर पढ़ लेते हैं यह प्रिविलेज प्रोजिशन इस हाउस में नहीं है आपको । यह टेंडेंसी तो अब भी आपकी है

(श्री परसराम मदेरणा)

जो इस तरह से आर्बिटरी तरीके से लाये हैं।

इसमें आपका आग्यूमेण्ट क्या है? लाजिक क्या है?

श्री शांतिलाल चपलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पहले आर्डिनेंस लाये थे और जनहित में यह लाना आवश्यक था। सारे लोगों से बातचीत की है। लोगों की सुविधा के लिए हमने यह अमेण्डमेण्ट वापस प्रस्तुत किया है। बार कौंसिल से बात हुई है, एक नहीं 25 व्यक्तियों से बात की है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 6 में जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 6 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 6, संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मन्त्री जी नया खण्ड 6 (क) अन्तः स्थापित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री शांतिलाल चपलोत : Insertion of new clause 6-A After the existing clause 6, the following new clause 6-A be inserted, namely :-

"6-A. Amendment of section 21-A, Rajasthan Ordinance No. 7 of 1950.—In section 21-A of the principal Ordinance, for the expression "(Amendment) Act, 1956. (Rajasthan Act 6 of 1956)", the expression "(Amendment) Act, 1992 (Rajasthan ACt— — —of 1992)" shall be substituted."

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि नया खण्ड 6 (क) अन्तः स्थापित करने को जो संशोधन प्रस्ताव प्रभारी मंत्री ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

नया खण्ड 6 (क) अन्तः स्थापित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्ड 7 व 8, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 7 व 8 स्वीकार किये जायें?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 7 व 8 स्वीकार किये गये ।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये ।

प्रस्ताव कीजिए कि पारित किया जाय ।

विधेयक का पारण

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992

श्री शान्तिलाल चपलोत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 को संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1992 संशोधित रूप में पारित किया गया ।

श्री रामनारायण जी वर्मा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिए चर्चा

नियम 127 के अन्तर्गत उठाया गया प्रश्न

कृषकों के लिये प्रारम्भ नवीन योजनाओं का लाभ

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : आपकी इच्छा के मुताबिक आपकी जानकारी के लिए लाना चाहता था ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में पिछले तीन सालों में कृषि विभाग ने कुछ नयी योजनाएं प्रारम्भ की हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, राजस्थान नगर निगम विधेयक जो आ रहा है वह इतना लम्बा है कि कल उस पर चर्चा हो नहीं सकती । जब उसको सलैक्ट कमेटी में रैफर कर रहे हैं तो कल कोई बिल तो है नहीं, यह लिया जा सकता है कल ।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनट की चर्चा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, आज ही कर लो ।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय उपाध्यक्ष जी, इन तीन वर्षों में कृषि विभाग के माध्यम से कुछ नयी योजनाएं प्रारम्भ करने की बात कही गयी है । उन योजनाओं में जीवन धारा, 20 सूत्री प्रोग्राम तीस

(श्री रामनारायण वर्मा)

जिले तीस काम, अपना गांव अपना काम, इन्दिरा आवासीय योजना, अन्त्योदय, गोपाल योजना, बायो गैस योजना, मैसिव प्रोग्राम, सिंचाई सुविधाएं, ऊर्जा और एफारेस्टेशन हैं। माननीय उपाध्यक्ष जी, इसके अलावा तीन योजनाओं में मुख्य योजना जो कृषि विभाग ने प्रारम्भ की है वे हैं सहभागी कृषि विकास, दूसरी भागीरथ योजना और तीसरी है किसान मण्डल।

माननीय उपाध्यक्ष, सहभागी कृषि विकास योजना जो इन्होंने प्रारम्भ की है मेरा जहां तक ख्याल है इन योजना के तहत कोई नयी उपलब्धि राजस्थान में नहीं हुई। अनाज और दलहन की उपज बढ़ाने की बात कही गयी है। सहभागी योजना में इन्होंने क्या कार्य किया है अलावा इसके 50 हजार पैम्फलेट्स इन्होंने पब्लिश करवा दिये, प्रिण्ट करवाकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिये डिस्ट्रीब्यूटर भी किनको किये है ? गांव की किसी चौपाल में सहभागी योजना का पैम्फलेट नहीं मिलेगा, पंचायत में सहभागी योजना का पैम्पलेट नहीं मिलेगा। यहां तक कि पंचायत समिति में भी इस योजना के पैम्फलेट नहीं मिलेंगे। ट्रेनिंग के नाम पर इन्होंने खर्चा किया है, पर ट्रेनिंग कहीं नहीं दी है। रिकार्ड में ट्रेनिंग दी है। उस ट्रेनिंग का खर्चा जोड़ा जाय तो वह खर्चा लाखों रुपए बैठता है।

इसी तरह भागीरथ योजना का आप देखें, 1992-93 में इन्होंने कोई चयन नहीं किया है। भागीरथ योजना का जो प्रारूप इन्होंने दिया है, काफी उलझनभरी स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय रामनारायण जी सवाल पूछ रहे हैं और रामनारायण जी जवाब देंगे। हम भी बैठे रहें क्या ? दोनों निपट लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप जवाब दे दीजिए। यू रेज्ड एवरी पाइन्ट।

श्री रामनारायण वर्मा : दो बातें और कहना चाहता हूं। चूंकि मुख्य मंत्रीजी भी बिराजमान है और कृषि मंत्री जी भी मौजूद हैं।

पम्प एण्ड शो, प्रचार प्रसार। और कोई मकसद इस सरकार का नहीं है। कि केवल किसान का नाम लेकर, खेती-बाड़ी की बात करके इसका उपयोग हो, इससे कोई बहबूदी की बात नहीं हो, कोई फायदे की बात नहीं हो। ऐसी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर खर्चा किया जा रहा है, इनके कागजात बनाये जा रहे हैं। इन योजनाओं को समाप्त किया जाय।

जैसे भागीरथ योजना के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 1992-93 के लिए आपका कोई लक्ष्य नहीं है और आपने उपलब्धि बता रखी है--इतने मैट्रिक टन दलहन की फसल पैदा हुई, फव्वारा सैट। यह सारी की सारी प्रगति आपने बता रखी है। फव्वारा सैट का भागीरथ योजना से क्या लेना देना। इस तरह से जो योजनाएं इन्होंने लागू करने की बात

(श्री रामनारायण वर्मा)

की है वे केवल प्रचार प्रसार के लिए हैं। राजस्थान में इन योजनाओं के मामले में आप चौपाल में जाएंगे तो वे हंसते हैं, राजस्थान की सरकार पर हंसते हैं।

इस तरह की योजनाओं पर जो लाखों रुपए खर्च किये गये हैं, सारी बातों को जानने का राजस्थान की जनता का अधिकार है, राजस्थान के किसान वर्ग को अधिकार है। थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि किसान का हित देख रहे हैं। किसान की तो एक लाख पचास हजार रुपए बीघा की जमीन है, लेकिन जहां एक एक बिल्डिंग एक-दो करोड़ की बिकती है वहां किसको फायदा होता है? किसान के नाम से यह सरकार काम करने की बात करती है, किसान के नाम पर बहबूदी लाने की बात करती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि इन योजनाओं को कागजों से हटाया जाय, इनके नाम पर जो खर्चा किया जा रहा है उसको बन्द किया जाय। वह पैसा कृषि विभाग की दूसरी योजनाओं पर जो आलरेडी लागू है, खर्च किया जाय। किसान की बहबूदी के बारे में, सोचा जाय, कागजी खानापूर्ति करने के बारे में नहीं सोचा जाय।

श्री रामनारायण बिश्नोई (कृषिमंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, राजस्थान में पिछले 2-3 सालों में कृषि विकास के लिए सहभागी कृषि विकास योजना, भागीरथ योजना और किसान मण्डल योजनाएं शुरू की गयी हैं। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमें इस बात का गर्व है और खुश है कि राजस्थान का कृषि विभाग जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से काम कर रहा है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में ...

श्री रामनारायण वर्मा : आप ईमानदारी से मानते हैं क्या कि ये योजनाएं सही चल रही हैं? यदि नहीं मानते हो तो विथड्रा कर लीजिए। इतनी-सी बात तो है इसमें।

श्री रामनारायण बिश्नोई : जब कभी राष्ट्रीय स्तर पर मीटिंग्स होती हैं, कान्फ्रेंसेज होती हैं, और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले राजस्थान के कृषि विभाग के कार्य का आंकलन किया जाता है तो हम वहां बहुत ऊंचे स्थान पर ठहरते हैं। राजस्थान के अन्दर जिस प्रकार के कृषि अधिकारी काम कर रहे है, उन अधिकारियों की वजह से पिछले 2-3 सालों के अन्दर बहुत अच्छे नतीजे निकले हैं और जो लक्ष्य निर्धारित किये गये है उन लक्ष्यों से बढ़कर के काम किया गया है।

माननीय सदस्यों ने यह चिन्ता भी व्यक्त की है कि इन योजनाओं पर खर्चा कुछ ज्यादा किया जा रहा है। मैं माननीय उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों के अन्दर किसान मण्डल बनाये गये हैं। किसान मण्डलों पर प्रशिक्षण के लिये मामूली खर्च किया

(श्री रामनारायण विश्नोई)

जा रहा है । यह कोई खर्चा नहीं है। प्रसार के लिये पुस्तिकाएं दी गई हैं, जिनके अन्दर यह बताया गया है कि अब किसान आइन्दा कृषि विस्तार अधिकारी के ऊपर ही मुनस्सर नहीं रहे, किसानों को व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिये। इस वजह से यह योजना चालू की गई है। इन योजनाओं पर किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1992 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक रात्रि 11.41 बजे बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर, 1992 के म. पू. 11.00 तक के लिये स्थगित हुई।)

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या 248 की सूची

मुकदमा संख्या 323/92 जुर्म धारा 457, 380 भा. दं. सं. थाना चौमू जिला जयपुर देहात में निम्नलिखित माल बरामद किया की सूची।

1. रुपये 18,000/- नकद।
2. एक सीलिंग फैन ऊषा रंग सफेद
3. एक इलैक्ट्रिक प्रेस वीडियोकोन।
4. एक इलैक्ट्रिक टार्च जिस पर किसान टार्च लिखा हुआ।

धारा 102 जा. फो. में जब्त माल की सूची:-

1. एक टेप रेकार्ड सोनियो (सेनो) 0670853396
2. एक स्टेपलाइजर रोलेक्स 12 वोल्ट स्पीकर पायोनर

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या 250 की सूचना

कोटा जिले के उन उप-नगरों, पंचायत समिति, तहसील व उपखण्ड मुख्यालयों की सूची जहां आयुर्वेद विभाग की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है—

क्र. सं.	स्थान का नाम	
1.	सुकेत	1981 की जनगणना अनुसार नगरीय क्षेत्र।
2.	सांगोद	तहसील व पंचायत समिति मुख्यालय, नगर पालिका।
3.	सुल्तानपुर	पंचायत समिति दीगोद का मुख्यालय।
4.	पीपल्दा	तहसील मुख्यालय।
5.	दीगोद	तहसील मुख्यालय।

परिशिष्ट संख्या—3

तारांकित प्रश्न संख्या 253 की सूची

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित दुकान योजना शहरी के अन्तर्गत यू. आई. टी. के द्वारा निर्मित दुकानों का आवंटन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा दिनांक 23-3-91 की सूची निम्न है:—

क्र. सं.	नाम/पिता का नाम जाति	आवंटित दु. सं	आवंटित दुकान का स्थान
1.	श्री बी. एल. नरवाल/श्यामलाल मेहतर	4	शिवपुरा
2.	,, राजेश कुमार/नन्दलाल मेहरा	19	जे. के. के सामने
3.	,, बाल किशन/मदन लाल कोली	13	गोविन्दनगर
4.	,, प्रभुलाल/मदन लाल बैरवा	15	,, ,,
5.	श्रीमती आशा कुमारी/लक्ष्मीनारायण मेहतर	3	केशवपुरा
6.	श्री राजकुमार/राधाकिशन हरिजन	16	जे. के. के सामने
7.	,, बेटालाल/निन्हेलाल जाटव	12	गोविन्द नगर
8.	,, कमलेश कुमार/जगन्नाथ कोली	20	जे. के. के. सामने
9.	,, ईश्वरलाल/मोहनलाल	9	गोविन्द नगर
10.	,, गौरी शंकर/त्रिलोकचन्द मोची	1	शिवपुरा
11.	,, कैलाशचन्द्र/त्रिलोकचन्द मोची	4	केशवपुरा
12.	,, जगदीशप्रसाद/गोरीशंकर रैगर	2	,, ,,
13.	श्रीमती सुशीला/धर्मस्वरूप धोबी	5	जे. के. के सामने
14.	श्री सूरजमल/देवलाल मेहर	2	,, ,,
15.	,, नरेन्द्र कुमार/देवीदान	14	गोविन्दनगर
16.	,, सुरेशचन्द्र/बाबूलाल बैरवा	10	,, ,,
17.	,, श्रीमती कन्याबाई/रघुनाथ बैरवा	16	,, ,,
18.	,, बाबूलाल/मथुरालाल मेहर	8	केशवपुरा

1	2	3	4
19.	श्री केसरीलाल/आनन्दीलाल बैरवा	3	शिवपुरा
20.	,, राजकुमार/उद्धवदास सांखिया	7	केशवपुरा
21.	,, भगवानदास/कन्यालाल कोली	7	गोविन्द नगर
22.	,, ओमप्रकाश/अमरलाल खटीक	2	शिवपुरा
23.	,, रामकिशन/बाबूलाल रैगर	11	गोविन्दनगर

डी. आर. डी. ए. द्वारा निम्न दुकानों का दिनांक 12-8-92 को कब्जा दिया गया।

क्रमांक	नाम/पिता का नाम	दुकान नं.	आवंटित दुकान का स्थान
1	श्री गौरी शंकर/त्रिलोक चन्द	1	शिवपुरा
2	,, ओम प्रकाश/अमर लाल	2	,,
3	,, केसरी लाल/आनन्दी लाल	3	,,
4	,, बिहारी लाल/श्याम लाल	4	,,
5	श्रीमती आशा कुमारी/लक्ष्मी नारायण	3	केशवपुरा
6	,, कैलाश चन्द/त्रिलोक चन्द	4	,,
7	,, राजकुमार/उद्धवदास	7	,,
8	,, बाबूलाल/मथुरा लाल	8	,,
9	,, सूरज मल/देव लाल	2	जे. के. के सामने
10	,, श्रीमती सुशीला/धर्म स्वरूप	5	,,
11	,, राजकुमार/राधाकिशन	16	,,
12	,, राजेश कुमार/नन्द लाल	19	,,
13	,, कमलेश कुमार/जगन्नाथ	20	,,

परिशिष्ट-4

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके)

तारांकित-प्रश्न एवं उनके उत्तर

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र से जैसलमेर बाड़मेर के ग्रामों को पेयजल

255. श्री अमीन खां (शिव) : एवं श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी व पशुओं के पीने के पानी के लिए वर्तमान स्रोत अपर्याप्त है ? यदि हां, तो पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

(2) क्या सरकार इन्दिरा गांधी नहर के पानी को पीने के पानी व पशुओं के पीने के लिए उपलब्ध कराने की कोई योजना रखती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा उसमें जिला बाड़मेर, जैसलमेर के कितने ग्रामों को सम्मिलित किया जावेगा ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां, सीमावर्ती 4 जिलों अर्थात बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर में भूमिगत स्वच्छ पेयजल स्त्रोतों का अभाव है, परन्तु बीकानेर एवं जैसलमेर जिलों में आंशिक रूप से एवं श्री गंगानगर जिले के विस्तृत क्षेत्रों में नहरों का पानी उपलब्ध है । श्रीगंगानगर जिले में अधिकांश पेयजल योजनाएं इन्दिरा गांधी नहर, भाखड़ा एवं गंग कैनाल स्त्रोतों से क्रियान्विति की जा चुकी है तथा शेष हेतु कार्यवाही प्रगति पर है । इसी प्रकार बीकानेर जिले में भी लगभग 40 प्रतिशत ग्रामों की तथा जैसलमेर में लगभग 7 प्रतिशत ग्रामों की पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन इंदिरा गांधी नहर स्त्रोत से किया जा चुका है । बाड़मेर जिले में नहरी पानी अभी उपलब्ध नहीं है । इन तीनों जिलों में भविष्य में नहरों के विकास तथा धन संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दीर्घकालीन योजना है ।

(2) मरूस्थलीय जिलों हेतु सामान्यतः दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में इन्दिरा गांधी नहर ही एक मात्र पेयजल स्त्रोत प्रतीत होता है । इन्दिरा गांधी नहर स्त्रोत से समस्त संभावित जिलों की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु अभी प्रारम्भिक रूपरेखा ही बनायी गई है तथा पेयजल योजनाओं हेतु मात्रा आरक्षित की जा चुकी है । बाड़मेर तथा जैसलमेर जिलों हेतु इन्दिरा गांधी नहर स्त्रोत से बनाये गये प्रारम्भिक प्रस्तावों को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति दी जा चुकी है । सर्वेक्षण एवं डिजाइन हेतु एक खण्ड जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है । इन प्रस्तावों में सम्मिलित ग्रामों की वांछित तहसीलवार संख्या परिशिष्ट "क" पर संलग्न है ।

परिशिष्ट "क"

जैसलमेर व बाडमेर जिलों हेतु इन्दिरा गांधी नहर स्रोत से बनाई गई प्रारम्भिक योजना के प्रस्ताव में सम्मिलित ग्रामों की तहसीलवार संख्या :—

क्र. सं.	लिफ्ट का नहर नाम	जिला	तहसील	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या
1.	बाडमेर लिफ्ट योजना	(क) जैसलमेर	जैसलमेर	142
		(ख) जैसलमेर	पोकरण	5
2.	पोकरण-फलसून्ड लिफ्ट योजना	(क) जैसलमेर	पोकरण	82
		(ख) बाडमेर	बाडमेर	313
			शिव	88
			चौहटन	7
3.	जोधपुर लिफ्ट योजना	(क) जैसलमेर	पोकरण	3
			योग	640

श्रीगंगानगर जिले की सिंचाई परियोजनाएं

256. **श्री हेतराम बेनीवाल** (संगरिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रीगंगानगर जिले में तीन सिंचाई परियोजना-भाखरा, गंग एवं इन्दिरा गांधी नहर में कुल कितनी भूमि सिंचित घोषित की गई है और इन सिंचाई योजनाओं के सिंचित क्षेत्र में आने वाली कितनी भूमि असिंचित रह गई है ?

(2) प्रत्येक योजना में सिंचित भूमि को पानी की उपलब्धता प्रति हजार एकड़ कितनी है, क्या इसमें भिन्नता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी केनाल के उपलब्ध पूरी क्षमता का पानी उपयोग में नहीं लिया जा रहा है ? जबकि तीनों परियोजनाओं की नहरें एक ही स्थान से निकलती हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त पानी की उक्त परियोजनाओं के क्षेत्र में जो भूमि असिंचित पड़ी है उसके लिए उपयोगार्थ क्या वर्तमान नहरों को चौड़ा करके या ऊंचा करके इस्तेमाल किया जा सकता है ? यदि हां, तो सरकार की

(श्री हेतराम बेनीवाल)

इसके बारे में क्या योजना है ?

(5) तीनों परियोजनाओं में सिंचित क्षेत्र में पिछले दो वर्ष में कितनी भूमि में सिंचाई करके बिजाई की गई है, प्रत्येक परियोजना का प्रत्येक फसल का क्या औसत रहा है ?

(6) क्या सरकार तीनों परियोजनाओं में एक जैसा पानी उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भाखड़ा, गंग एवं इ. गा. न. का सी.सी.ए. क्रमश: 7.60 लाख 9.20 लाख एवं 9.19 लाख एकड़, तथा तीनों परियोजनाओं का कुल 25.99 लाख एकड़ है। असिंचित क्षेत्र का अभी पूर्ण सर्वेक्षण नहीं हुआ है।

(2) भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र में मोघे पर पानी की उपलब्धि (वाटर अलाउन्स) 2.4 क्यू., गंग नहर परियोजना की.एल.एन.पी. नहर क्षेत्र में 5.12 क्यू., समेजा नहर क्षेत्र में 3.84 क्यू. करणीजी नहर क्षेत्र में 2.68 क्यू. तथा इसके शेष क्षेत्र में 2.56 क्यू. प्रति हजार एकड़ है। इ. गा. नहर के प्रथम चरण में वाटर अलाउन्स 5.23 क्यू. प्रति हजार एकड़ है। यह भिन्नता परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्र एवं परियोजना को अन्तर्राज्यीय समझौतों के अनुसार आवंटित पानी की भिन्नता के कारण है।

(3) यह सही है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य पूर्ण न होने के कारण द्वितीय चरण की नहरों को पूर्ण क्षमता से नहीं चलाया जा रहा है। परन्तु राजस्थान के हिस्से के पानी का पूर्ण उपयोग इस परियोजनाओं के प्रथम चरण एवं गंग व भाखड़ा क्षेत्र में किया जा रहा है।

(4) इंदिरा गांधी नहर के अतिरिक्त पानी को गंग नहर के हैड पर तथा भाखड़ा क्षेत्र के सम्पर्क स्थल 1 से 3 तक लिंक द्वारा किया जा सकता है। नहरों की क्षमता बढाकर असिंचित भूमि को पानी देना सम्भव है। इसके बारे में राज्य सरकार द्वारा अभी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(5) तीनों परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में की गई सिंचाई का दोनों फसलों का विवरण निम्न अनुसार है :—

क्र. सं.	नहर प्रणाली	सिंचित क्षेत्र (लाख एकड़ों में) 1990-91	1991-92	औसत
1.	गंगनहर	8.10	7.73	7.91

(सिंचाई मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	भाखड़ा	8.84	8.92	8.88
3.	इंदिरा गांधी नहर (0 से 74 कि.मी.)	11.99	11.59	11.79
	कुल :—	28.93	28.24	28.58

(6) तीनों परियोजनाओं पर अलग-अलग वाटर अलाउन्स के मुद्दे का अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष इन्दिरा गांधी नहर मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

छबड़ा-छीपाबड़ौद में डीजल पम्प व्यवस्था

257. **श्री नन्दकिशोर शर्मा** (छबड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) छबड़ा विधान सभा क्षेत्र में डीजल वितरण की क्या व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1992-93 में डीजल पम्प छबड़ा व छीपाबड़ौद लगाये जाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब, तक ?

उत्तर

(1) छबड़ा क्षेत्र में डीजल की व्यवस्था पास के ही डीजल पम्प मैसर्स कबाई फिलिंग स्टेशन, कबाई से है।

(2) राज्य सरकार द्वारा छबड़ा व छीपाबड़ौद में डीजल पम्प लगाये जाने के लिए राज्य स्तरीय समन्वयक (**State Level Coordinator**) को लिखे जाने पर उन द्वारा इस सम्बन्ध में साध्यता के बारे में सर्वे कराने उपरान्त उक्त दोनों स्थानों में पेट्रोल पम्प लगाना साध्य माना है। इस पर अग्रिम कार्यवाही केन्द्र सरकार और तेल चयन आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तेल कम्पनीयों द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा इसे जल्दी क्रियान्वन करने के लिए लिखा गया है।

सीमावर्ती क्षेत्र की तारबंदी में आयी भूमि का मुआवजा

258. श्री रामस्वरूप मेघवाल (रायसिंह नगर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर (जिला श्रीगंगानगर) का सीमावर्ती तारबन्दी क्षेत्र में कुल कितना रकबा किसानों का है ?

(2) क्या सीमावर्ती तार बन्दी में आए हुए रकबे का मुआवजा किसानों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो किस-किस को ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) तहसील रायसिंहनगर के सीमावर्ती तारबंदी क्षेत्र में राजकीय 463-10 बीघा व निजी 1622-11 बीघा कुल 2086-01 बीघा भूमि आई है।

(2) काश्तकारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है। रक्षा मंत्रालय व बी.एस.एस. द्वारा तारबंदी से पूर्व केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही नहीं करने के फलस्वरूप किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा सका है।

राजस्थान विश्वविद्यालय में हिन्दी विषय का निर्धारण

259. श्री मोहम्मद माहिर आजाद (झुन्झुनू) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान विश्वविद्यालय का हिन्दी विषय का प्रथम वर्ष टी. डी. सी. से एम. ए., एम. फिल. का पाठ्यक्रम अभी तक नहीं बना है जबकि कालेजों में विधिवत् पढ़ाई भी प्रारम्भ हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) यदि पाठ्यक्रम 1992 में हिन्दी विषय के निर्धारण में राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिनियम 42 का उल्लंघन हुआ है तो इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्रों की डिग्रियों पर क्या कोई असर पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 28-29 अगस्त, 1991 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की बैठक में 1991 की परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को 1992 की संबंधित परीक्षाओं के लिए लागू करने का निर्णय इस संस्तुति के साथ किया कि पाठ्यक्रम मण्डल के सदस्यों द्वारा लिखित पुस्तकों को पाठ्यक्रम से निरस्त कर दी जावे। राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष से एम. फिल तक की कक्षाओं के हिन्दी विषय के पाठ्यक्रम वर्ष 1993 की परीक्षा हेतु नहीं बने हैं किन्तु कला संकाय ने बहुमत से अपनी दिनांक 15-9-92 को आयोजित विशेष बैठक में 1992 के लिए स्वीकृत पाठ्यक्रम को यथावत् वर्ष 1993 की सभी परीक्षाओं के लिए स्वीकार कर लिया है किन्तु इस निर्णय की पुष्टि शैक्षणिक परिषद और

(उच्च शिक्षा मंत्री)

तत्पश्चात् सिण्डीकेट की आगामी बैठकों में में होनी बाकी है।

(2) विश्वविद्यालय ने वर्ष 1992 के हिन्दी पाठ्यक्रम के निर्धारण में राजस्थान विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन के सबंध में प्रोफेसर श्याम लाल की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की थी जिसकी रिपोर्ट पर सिण्डीकेट द्वारा विचार किया जाना बाकी है। विश्वविद्यालय का विचार है कि इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत उत्तीर्ण छात्रों की डिग्रियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

जिला झुन्झुनू में आपराधिक प्रकरण

260. **डा. चन्द्रभान** (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) एक जनवरी 1992 से 31 अगस्त, 1992 तक राज्य में हत्या एवं चोरी की कितनी घटनाएं हो चुकी हैं तथा इसमें जान-माल का कुल कितना नुकसान हुआ है ?

(2) झुन्झुनू जिले में कुल कितनी घटनाएं घटी हैं तथा कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि ये घटनाएं गत वर्ष के मुकाबले काफी ज्यादा हैं ? क्या इन्हें रोकने के लिए सरकार पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण करना चाहती है ?

(4) क्या सरकार झुन्झुनू जिला में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु वहां की पुलिस फोर्स की संख्या में वृद्धि तथा फोर्स को आधुनिक हथियार देने और अन्य साधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में एक जनवरी, 1992 से 31 अगस्त, 1992 तक की अवधि में हत्या के 999 अपराध एवं 10680 चोरी के अभियोग पंजीबद्ध हुए। हत्या के अपराधों में 979 व्यक्तियों की जाने गई तथा चोरी घटनाओं में 9,00,96,452.77 रुपये की सम्पत्ति का माल चोरी हुआ।

(2) झुन्झुनू जिले से उक्त अवधि में 30 घटित हत्या के अपराधों में 34 व्यक्तियों की जाने गई। इस जिले में 179 चोरी की घटनाएं घटित हुई। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इन घटनाओं में निम्न तालिका के अनुसार आंशित वृद्धि अवश्य हुई है, जो जनसंख्या में वृद्धि एवं राज्य में बढ़ती आबादी के है। इन घटनाओ को रोकने के लिए सरकार द्वारा पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण समय-समय पर किया जा रहा है।

(329)

(गृह मंत्री)

झुंझुनू

———	वर्ष	दर्ज अपराध	वृद्धि	वृद्धि का%
हत्या	1-1-91 से 31-8-91 तक	26	4	15.38
	1-1-92 से 31-8-92 तक	30		
चोरी	1-1-91 से 31-8-92 तक	148	31	20.95
	1-1-92 से 31-8-92 तक	179		

जी हां–सरकार पुलिस का आधुनिकीकरण कर रही है। झुंझुनू में आधुनिक हथियार दिये जा चुके हैं।

(4) जी हां। झुंझुनू जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक अपर पुलिस अधीक्षक, एक उप अधीक्षक, दो उप निरीक्षक, चार सहायक उप निरीक्षक, तीन हैड कांस्टेबल, 31 कांस्टेबल, कांस्टेबल ड्राईवर 4, एक वरिष्ठ लिपिक कम स्टेनो व दो कनिष्ठ लिपिक के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त इस जिले में अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार लाने हेतु आधुनिक हथियार भी दिये जा चुके हैं।

जिला झुंझुनू में 1-1-1992 से 31 अगस्त, 1992 तक हत्या एवं चोरी की घटनाओं की तालिका।

क्र. सं.	शीर्षक	पंजीबद्ध अपराध	हत्या में मारे गये व्यक्तियों की संख्या
1.	हत्या	30	34
2.	चोरी	179	—

भारतीय होम्योपैथिक कालेज, भरतपुर का मान्यता प्रकरण

261. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या भारतीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, भरतपुर को राजस्थान सरकार ने 1986 में डिग्री पाठ्यक्रम (बी.एच. एम. एस.) हेतु छात्रों के प्रवेश के लिये अनुमति प्रदान की थी ? यदि हां, तो किस कानून व नियम के तहत राजस्थान सरकार को यह अधिकार प्राप्त है ?

(2) क्या यह कालेज केन्द्रीय होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद् (सी. सी. एच.) द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्डों की पूर्ति करता है ? यदि नहीं, तो राज्य सरकार ने किस आधार पर मान्यता दी ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान बोर्ड ऑफ होम्योपैथिक मेडिसन ने राजस्थान सरकार से इस कालेज की मान्यता रद्द करने का आग्रह किया था ?

(4) क्या राज्य सरकार इस कालेज में पढ़ रहे छात्रों के प्रति उत्तरदायी है ? यदि हां, तो इनके भविष्य के विषय में क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड ने दिनांक 20-8-86 को अनुमति प्रदान की थी ।

(2) जी नहीं । केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक मापदण्ड विनियम 1983 (Minimum Standards of Education Regulations, 1983) की धारा 3 में न्यूनतम स्तर 5 वर्ष के अन्दर-अन्दर पूर्ण करने का प्रावधान है, इसी को दृष्टिगत रखते हुये राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धता देने के निर्देश दिये गये ।

(3) जी नहीं । राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा मण्डल ने राज्य सरकार द्वारा भारतीय होम्योपैथिक कालेज भरतपुर को समय-समय पर प्रोवीजनल सम्बद्धता देने बाबत लिये गये निर्णयों पर कालेज द्वारा न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने बाबत आपत्तियां की गई थी ।

(4) राज्य सरकार छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुये मामले पर यथासम्भव सहृदयता पूर्वक कार्यवाही कर रही है ।

भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव

262. **श्री नत्थीसिंह** (कुम्हेर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य

(श्री नत्थीसिंह)

सरकार ने जहां अन्य सहकारी केन्द्रीय बैंकों के चुनाव कराने के आदेश दिये हैं, वहीं अकेले भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान सहकारी संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी सहकारी संस्था में दो वर्ष से अधिक प्रशासक रखने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है? यदि हां, तो भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के मामले में दो वर्ष से अधिक समय के लिए प्रशासक रखने का गैर कानूनी आदेश राज्य सरकार ने क्यों दिया है?

(3) क्या यह सही है कि पिछली बार जब केन्द्रीय सहकारी बैंकों के चुनाव हुए थे तब भी भरतपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनावों को राज्य सरकार द्वारा रोका गया था तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश से ही वह चुनाव कराये गये थे?

उत्तर

(1) जी हां। चूंकि दी भरतपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. की स्थिति राज्य के अन्य सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंकों से भिन्न है। यह बैंक लम्बे अर्से से, बैंकिंग रेगूलेशन एक्ट की धारा 11 की पालना नहीं कर रही है, जिसके कारण इस बैंक को नाबार्ड द्वारा ऋण हेतु पुनर्वित्त सुविधा भी नहीं मिल रही है। इस बैंक को पुनर्जीवित तथा पुनर्स्थापित करने के लिए नाबार्ड, राज्य सरकार एवं शीर्ष सहकारी बैंक के सहयोग से 5.00 करोड़ रुपये से अधिक राशि के आर्थिक सहयोग की परियोजना तैयार कराई गई है जिसका पैकेज एक्शन प्लान अभी विचाराधीन है। इसी बीच प्रशासक की लगभग डेढ़ वर्ष की कार्यावधि में बैंक द्वारा ऋण वितरण तथा ऋण वसूली आदि के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और इस बैंक की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पैकेज एक्शन प्लान के अनुसार वित्तीय सहयोग के अलावा अन्य कार्यवाहियां की जानी आवश्यक हैं। ऐसी विशेष परिस्थितियों में इस बैंक को सुदृढ़ करने एवं इसकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने की दिशा में लगातार प्रयासरत रहने की दृष्टि से बैंक में कुछ और समय के लिए प्रशासक की व्यवस्था रखना उपयुक्त समझा गया है। इस कारण फिलहाल भरतपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के चुनाव नहीं कराने का निर्णय लिया है।

(2) जी हां। यद्यपि राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 (राजस्थान सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 के अनुसार किसी भी सहकारी संस्था में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रशासक रखने का प्रावधान है। किन्तु प्रश्न के भाग एक में वर्णित कारणों से राज्य सरकार ने इस बैंक में प्रशासक की नियुक्ति हेतु निर्धारण समय सीमा एक वर्ष और (कुल 3 वर्ष से अनधिक) बढ़ाने हेतु राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 139 के अन्तर्गत विधिवत छूट प्रदान की है।

(सहकारिता मन्त्री)

(3) जी हां ।

करौली में जलाऊ लकड़ी का डिपो

263. श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या करौली उप वन संरक्षक कार्यालय के अन्तर्गत करौली में जलाऊ लकड़ी का डिपो स्थित था ?

(2) क्या इसे अब बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पुनः खोलने का विचार रखती है ?

(3) यदि बन्द किया गया है तो क्या जलाऊ लकड़ी के अभाव में वनों की कटाई नहीं होगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । डिपो पुनः खोलने का विचार नहीं है ।

(3 वनों में कटने योग्य लकड़ी की अनुपलब्धता के कारण ही डिपो बन्द किया गया है अतः डिपो बन्द करने से जो मात्र .13 प्रतिशत कस्बे को जलाऊ लकड़ी की मांग पूरी करता था, वनों की कटाई पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

पीड़ित हरिजनों को सहायता

264. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा) : क्या समाज कल्याण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991-92 में हरिजनों पर अत्याचार के कितने मामले प्रकाश में आये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) हरिजन अत्याचार पर कितनी राशि किन-किन मदों में पीड़ितों को दिये जाने का प्रावधान है ?

(3) पिछले वर्ष कुल कितनी राशि हरिजन अत्याचार के तहत पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई ।

(4) क्या सरकार उपलब्ध करवायी जा रही सहायता राशि को पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो उक्त राशि को बढ़ाने के सम्बन्ध मे क्या भावी योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में 1-4-91 से 31-3-92 तक अनुसूचित जाति पर अत्याचार के 4930 अभियोग पंजीकृत हुए, सूची संलग्न है ।

(2) हरिजन अत्याचारों से पीड़ितों को निम्न प्रकार आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है—

(समाज कल्याण राज्य मन्त्री)

अत्याचार की किस्त	प्रदान की जाने वाली सहायता राशि
1. हत्या	10,000/-
2. स्थाई शारीरिक क्षति	10,000/-
3. अस्थाई शारीरिक क्षति	2,000/-
4. पक्के मकान का नुकसान	2,000/-
5. बलात्कार	5,000/-
6. कृषि एवं अन्य प्रकार की सम्पति का नुकसान	2,000/-

(3) पिछले वर्ष 91-92 में अनुसूचित जाति पर होने वाले अत्याचार के अंतर्गत 4,96,492/- रुपये की राशि पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई।

(4) जी हां।

वर्ष 1991-92 में प्रकाश में आये मामलों की सूची

दिनांक 1-4-91 से 31-3-92 तक अनुसूचित जाति से सम्बन्धित—

क्र. सं.	शीर्षक	पंजीकृत अपराध	चालान	अन्तिम प्रतिवेदन	अन्वेषणाधीन
1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	52	38	7	7
2.	गम्भीर चोट	166	125	24	17
3.	बलात्कार	123	74	38	11
4.	ना. सु. एवं संरक्षण अ. 1955	68	25	38	5
5.	गम्भीर क्षति	102	37	55	10
6.	अन्य भा. द. सं.	1884	703	1165	16

1	2	3	4	5	6
7.	अनु. जाति/जनजाति अ. नि. अ. 1989	2535	924	1508	103
	योग—	4930	1926	3835	169

अनुसूचित जाति से सम्बन्धित अभियोग उनका विवरण दिनांक 1-4-92 से 31-8-92 तक निम्न प्रकार से है—

1	2	3	4	5	6
1.	हत्या	14	12	2	—
2.	गम्भीर चोट	55	42	4	9
3.	बलात्कार	20	15	4	1

335

1	2	3	4	5	6
4.	गम्भीर क्षति	19	8	9	2
5.	ना. सु. एवं संरक्षण अधि. 1955	11	5	6	—
6.	अन्य भा. द. सं.	525	198	313	14
7.	अनु. जाति/जन जाति	529	185	278	66
	योग	1173	465	616	92

दुग्ध संग्रहण

265. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या दुग्ध विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्थित दुग्ध प्लान्टों/संघों में अलग-अलग कितना दुग्ध आ रहा है ? क्या यह सही है कि अलग-अलग दुग्ध प्लाटों/संघों में अधिकारी व कर्मचारी प्लांटों के दुग्ध क्षमता के आधार पर पदस्थापित हैं जबकि प्लान्टों/संघों पर दुग्ध उनकी क्षमता से कम आ रहा है ? इस प्रकार से होने वाले घाटे को कम करने के क्या उपाय किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अलग-अलग प्लान्टों/संघों में घी/पाउडर बनाने के पश्चात् लम्बे समय तक रोके रखने के पश्चात् घी महंगा होने का समय आता है तो इसे नीलाम करके अधिकारी प्लान्टों/संघों को घाटे में डाल देते हैं ? यदि हां, तो पिछले दस वर्षों में अलग-अलग प्लान्टों/संघों में इस प्रकार कितना घाटा रहा और इस बाबत किन-किन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि बाजार में दुग्ध के भाव और डेयरी के दुग्ध के भाव में 1½ से दो गुना अन्तर है गांवों में 80 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां दुग्ध नहीं आने से घाटे में चल रही हैं ? यदि हां, तो इन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को घाटे से उबारने के लिए क्या उपाय विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य के विभिन्न दुग्ध संघों में वर्तमान में 2.41 लाख लीटर प्रतिदिन दुध का संकलन किया जाता है। संघवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दुग्ध संघों पर पदों की स्वीकृत दूध क्षमता के आधार पर की गई है। परन्तु दूध आवक को देखते हुए विभिन्न संघों पर अधिकारी एवं कर्मचारी के पद-स्थापित किये हुए है। संघों के अधिन दुग्ध संयत्रों पर उनकी दुग्ध क्षमता की तुलना में दुग्ध की आवक कम है। संघों में क्षमता के अनुसार दूध लाने एवं संघो के घाटे को कम करने हेतु निम्न उपाय किये जा रहे है।

(क) दुग्ध उत्पादकों को उनके दूध का उचित मूल्य का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा है।

(ख) दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध की क्रय दरों को निश्चित किये जाने का कार्य जिला दूध संघों को सौंपा गया है जिससे उनके दूध का उचित मूल्य मिल सके।

(ग) जिला संघों में नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का गठन किया जा रहा है।

(घ) कुछ संघों में विशेष रूप से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का भी गठन किया जा रहा है।

(ङ) सहकारिता विकास कार्यक्रम को सम्पूर्ण राज्य के जिला संघों में लागू किया जाकर, दुग्ध उत्पादकों, कार्यकारिणी के सदस्यों एवं सहकारिता से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों में सहकारिता

(दुग्ध विकास मंत्री)

की भावना पुनः जाग्रत करवा कर लति-शीलता लाने हेतु एक वृहद कार्यक्रम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द की सहायता से लागू किया जा रहा है।

(च) जिला संघ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर दुग्ध उत्पादकों को नियमित भुगतान किया जा रहा है।

घी एवं पाउडर का फैडरेशन एवं संघों द्वारा कोई नीलाम करके बेचान किसी भी समय नहीं किया गया। अतः नीलामी के कराण संघों/प्लांटो को घाटा नहीं हुआ है।

(2) यह सही नहीं है। डेयरी संघों द्वारा दूध का क्रय गुणवता के आधार पर किया जाता है। इसी प्रकार जो दूध विक्रय किया जाता है जैसे स्टेण्डर्ड, टोण्ड सम्पूर्ण क्रीम युक्त दूध इत्यादि की दरें किस्मि एवं गुणवता के आधार पर निर्धारित की जाती है। डेयरी द्वारा बेचान किया गया दूध पाश्चरीकृत होता है इसमें पैकिंग, परिवहन एवं अन्य खर्चे सम्मिलित है।

(3) यह सही नहीं है कि ग्रामीण दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों में 80 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां घाटे में चल रही है, परन्तु स्थिति इसके बिल्कुल विपरित है वर्ष 1991-92 में 93.77 प्रतिशत दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां लाभ में है।

परिशिष्ट "क"

राजस्थान डेयरी फैडरेशन में वर्तमान में संकलित औसतन दूध का संघवार विवरण

(वर्ष 1992--93 में माह सितम्बर, 92 में दिनांक 10-14 सितम्बर तक)

	अजमेर	अलवर	भरतपुर	भीलवाड़ा	जयपुर	कोटा	टोंक-सवाई माधोपुर	बांसवाड़ा	उदयपुर	बीकानेर	चूरू	श्रीगंगानगर	जालोर	जोधपुर	पाली	सीकर	कुल
प्रतिदिन दुग्ध संकलन की मात्रा (हजार लीटर में)	47	19	2	26	16	4	5	3	9	31	1	26	8	18	25	1	241.0

नगर पालिका, नागौर द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृति

266. **श्री गुलाम मुस्तुफा खान** (नागौर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले कुछ महीनों में नागौर नगरपालिका मण्डल द्वारा निम्न पत्रावलियों में भवन निर्माण की स्वीकृति दी थी ?

(अ) श्री बाबूलाल देवड़ा, ख. नं 53 पत्रावली संख्या 265/90-91

(ब) कान्ता पत्नी श्री रामदेव पत्रावली संख्या 338/91-92

(स) चाखुदेवी पत्नी श्री माजुलाल पत्रावली संख्या 158/91-92

(द) मोहन राम पुत्र श्री आदुराम पत्रावली संख्या 317/91-92

(2) यदि हां, तो इनकी स्वीकृति पत्र की छाया प्रतियां तथा इन पत्रावलियों में संबंधित मौका निरीक्षण रिपोर्ट की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इन सभी पत्रावलियों में निरीक्षक ने यह रिपोर्ट दी थी कि संबंधित भूमि नगरपालिका की भूमि है तथा प्रार्थियों के पास कोई भी मालिकाना हक नहीं है ? यदि हां, तो फिर अध्यक्ष, नगरपालिका मण्डल व कार्यकारी प्रशासनिक अधिकारी ने उक्त पत्रावलियों में भवन निर्माण की स्वीकृति क्यों दी ? उक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी की या नहीं ? यदि नहीं, तो कब जारी की जावेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त मामलों में मंत्री जी को शिकायत भी नागौर में पेश की थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) अनियमित स्वीकृति देने के लिए उत्तरदायी अध्यक्ष व प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । यह सही है कि नगरपालिका मण्डल, नागौर द्वारा भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई है ।

(2) निर्माण स्वीकृति पत्रों की तथा पत्रावली में उपलब्ध मौका निरीक्षक रिपोर्ट की छाया प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) जी नहीं । भवन निर्माण की स्वीकृति पुश्तैनी व पुराने कब्जे मानते हुए दे दी गई थी । पालिका मण्डल द्वारा इस पर दिनांक 24-9-92 को निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है ।

(4) जी हां । इस बारे में जांच कर निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है ।

(5) अभी पूर्ण प्रकरण पर जांच करवाई जा रही है । जांच के बाद ही दोषी

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पाए जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) क्षेत्र में सिंचाई मद के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

267. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :—क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में निम्बाहेड़ा (छोटी सादड़ी) विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई मंद के अन्तर्गत किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई व कितनी राशि विभाग द्वारा खर्च की गई ?

(2) क्या सरकार इस वर्ष विभाग के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कौन-कौन से अधूरे कार्यों या नये कार्यों को सरकार करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं। निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग का कोई कार्य अधूरा नहीं है।

७८६

निम्बाहेड़ा एवं छोटी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे कार्यों का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	संविदा संख्या व वर्ष	संविदा राशि	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	माह 3/92 तक का व्यय
1.	निर्माण कार्य स्पील वे एवं विगवाल बाडी मान सरोवर सिंचाई परियोजना तहसील निम्बाहेड़ा	2/90-11	46.44	3-7-90	15-12-93	43.29
2.	अस्थाई सहायक अभियन्ता कार्यालय का निर्माण बाडी परियोजना	4/90-91	1.11	25-7-90	24-10-90	0.83
3.	अस्थाई कनिष्ठ अभियन्ता आवास IV टाईप का निर्माण कार्य बाडी परियोजना	5/90-91	0.91	25-7-90	24-10-90	0.14

1	2	3	4	5	6	7
4.	अस्थाई सहायक अभियन्ता आवास का निर्माण बाडी परियोजना	6/90-91	1.10	25-7-90	24-10-90	0.50
5.	अस्थाई क्लर्क पटवारी आवास का निर्माण बाडी परियोजना	1/91-92	1.02	27-7-91	26-11-91	0.74
6.	कृषि भूमि का मुआवजा					89.50
						135.00 लाख

बेसिक केसिलिटीज मुआवजा गंभीरी परियोजना

1.	सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य गाईड बन्ध से दाई मुख्य नहर चेन -89 से 103 मी.	22/91-92	3.83	25-1-92	24-4-92	0.25

1	2	3	4	5	6	7
2.	सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य अरणिया से फ्लड ओवजर पटरीहज तक गम्भीरी बांध	23/91-92	3.07	25-1-92	24-4-92	1.29
3.	सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य गंभीरी नदी काजवे से गाइड बंध तक।	24/91-92	2.09	25-1-92	24-3-92	0.86
4.	सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य रेम्प से मिट्टी के बांध गम्भीरी डेम चैन 37 से 63	34/91-92	4.62	27-3-92	26-6-92	1.86
5.	सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य उरणिया से गम्भीरी नदी काजवे तक	18/91-92	3.08	25-1-92	24-4-92	1.78
					योग :	6.23

बूंदी जिले की धान फसल पर लेवी वसूली

268. **श्री रामनारायण वर्मा** (नैनवा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या बून्दी जिले में पैदा होने वाले धान की किस्म के बारे में विभाग को भारतीय खाद्य निगम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भारतीय खाद्य निगम के पत्र (रिपोर्ट) को आधार मानकर विभाग द्वारा लेवी वसूली की कार्यवाही की गई है ? यदि नही, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? अब उक्त पत्र के आधार पर कब तक एवं क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(3) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम द्वारा बूंदी जिले में पैदा होने वाले धान की दर्शाई गई किस्मों के विवरण को त्रुटिपूर्ण मानती है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा पत्र लिखा गया है ? कृपया पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) इस प्रकरण में कौन दोषी है तथा उनके खिलाफ क्या कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) बून्दी जिले में पैदा होने वाले धान की किस्म के बारे में वर्ष 1984 के बाद विभाग को भारतीय खाद्य निगम से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। वर्ष 1984 में प्राप्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पूर्व में उपरोक्त भारतीय खाद्य निगम के पत्र (रिपोर्ट) के आधार पर लेवी वसूल नहीं की गई है। इस वर्ष यदि भारतीय खाद्य निगम बासमती चावल होने का प्रमाण-पत्र जिन मिलों को दे देगी, उनसे लेवी वसूल नहीं की जावेगी। पूर्व की वसूली के लिए अब कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

(3) भारतीय खाद्य निगम को पत्र लिखा जावेगा कि जिन चावल मिलों के पास बासमती चावल का प्रमाण पत्र नहीं है तथा लेवी से मुक्त किस्म का चावल नहीं है तो लेवी वसूल की जावेगी।

(4) यह मामला पूर्णतः अभी प्रकाश में आया है। मामले का पूर्ण परीक्षण कराया जा रहा है। यदि कहीं अनियमितता पाई जायेगी तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

सैटलमेंट विभाग की समाप्ति पर वैकल्पिक व्यवस्था

269. **श्री सालिग राम** (बयाना), **श्री बिरधा राम चौधरी** (मकराना) एवं **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(श्री सालिगराम)

(1) क्या राज्य सरकार सैटलमेंट विभाग को समाप्त कर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि माननीय गृह मन्त्री महोदय द्वारा इस सम्बन्ध में विगत विधान सभा में इस विभाग को समाप्त करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो उसे अमल में लाने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(2) जी हां । माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने यह कहा था कि राज्य सरकार सैटलमेन्ट विभाग को समाप्त कर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है । अध्यक्ष, राजस्व मण्डल से इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्ताव चाहे गये थे जो राज्य सरकार को प्राप्त हो गये हैं तथा राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के लिए बजट आवंटन का आधार

270. **श्री बुलाकी दास कल्ला** (बीकानेर) : क्या मुख्य (आयोजना) मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में 30 जिले—30 काम, अपना गांव-अपना काम तथा अनटाईड फण्ड योजना के अन्तर्गत जिलेवार कितनी-कितनी राशि वर्ष 1991-92 और 1992-93 में योजनावार व्यय करने हेतु प्रस्तावित की गयी और कितनी व्यय की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त योजनाओं में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि दी गयी और कितनी राशि राज्य सरकार द्वारा व्यय की गयी ?

(3) उक्त योजनाओं के बजट आवंटन का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) तीस जिले तीस काम एवं अनटाईड फण्ड योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि एवं व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ठ 1 एवं 2 पर संलग्न है ।

(2) अपना गांव अपना काम योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 एवं 1992-93 में जिलों को उपलब्ध कराई गई राशि एवं व्यय की गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ठ-3 पर संलग्न है ।

तीस जिले तीस काम, निबन्ध राशि एवं अपना गांव अपना काम योजना राज्य योजनान्तर्गत हैं । इनमें केन्द्र सरकार द्वारा कोई राशि उपलब्ध नहीं कराई जाती है ।

तीस जिले तीस काम एवं निबंध राशि योजनाओं में जिलों को बजट आवंटन

(मुख्य आयोजना मन्त्री)

का निम्न आधार है :—

(ए) जिले की जनसंख्या पर	60%
(बी) जिले के क्षेत्रफल पर	20%
(सी) जिले की अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या पर	20%
योग	100%

(3) अपना गांव अपना काम योजनान्तर्गत बजट आवंटन का आधार निम्न प्रकार से है—

1. जनसहयोग एवं ग्राम पंचायत द्वारा	50%
(न्यूनतम जन सहयोग 30 प्रतिशत आवश्यक है)	
2. राज्य सरकार के आयोजना मद	50%

जिला स्तर पर जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत रक्षित 20% राशि अन्य स्त्रोतों से ।

परिशिष्ट—1

30 जिले 30 काम योजनान्तर्गत वर्ष 1991-92 व 1992-93 में जिलेवार आवंटन व व्यय

(व्यय माह अगस्त 92 तक)

(राशि लाख रुपये में)

क. सं.	नाम जिला	1991-92 आवंटन	1991-92 व्यय	1992-93 आवंटन	1992-93 व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	72.12	36.96	68.88	—
2.	अलवर	90.04	57.46	90.52	—
3.	बांसवाड़ा	64.36	52.18	64.84	—
4.	बांरा	40.52	18.95	40.76	—
5.	बाड़मेर	81.68	08.40	81.68	—
6.	भरतपुर	63.96	39.48	63.48	—
7.	भीलवाड़ा	71.80	61.76	69.52	—

1	2	3	4	5	6
8.	बीकानेर	67.88	64.14	71.24	11.40
9.	बून्दी	36.16	22.64	36.64	—
10.	चित्तौड़गढ़	71 92	51.45	69.28	04.34
11.	चुरू	70.44	57.25	71.28	—
12.	दौसा	37.44	22.98	39.60	—
13.	धौलपुर	29.76	09.89	29.64	15.16
14.	डूंगरपुर	47.08	23.63	47.08	—
15.	गंगानगर	119.08	42.13	119.56	—
16.	जयपुर	136.16	85.88	143.24	—
17.	जैसलमेर	55.34	41.50	56.08	—
18.	जालौर ××	53.16	33.21	52.68	—
19.	झालावाड़	43.80	18.88	42.48	—
20.	झुन्झुनू	57.56	44.78	57·92	—

×× माह मार्च, 92 तक व्यय राशि

349

1	2	3	4	5	6
21.	जोधपुर	97.04	85.64	96.80	—
22.	कोटा	49.48	08.14	50.08	—
23.	नागौर	90.40	83.55	91.72	—
24.	पाली	70.88	52.18	66.80	21.62
25.	राजसमंद	37.32	34.27	36.24	00.40
26.	सवाई माधोपुर××	93.08	31.02	92.72	—
27.	सीकर	66.28	59.98	68.32	—
28.	सिरोही	34.00	33.46	32.92	—
29.	टोंक	46.00	40.75	45.16	—
30.	उदयपुर	105.36	87.64	102.84	—
	योग—	2000.00	1310.18	2000.00	52.92

×× माह मार्च, 92 तक व्यय राशि

परिशिष्ट-2

निबंन्ध राशि वर्ष 1991-92 व 92-93 में जिलेवार राशि आवंटन व व्यय

(व्यय माह अगस्त, 92 तक)

(राशि लाख रुपये में)

क. स.	नाम जिला	1991-92		1992-93	
		राशि आवंटन	व्यय	राशि आवंटन	व्यय
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	54.10	31.53	51.66	00.23
2.	अलवर	67.50	48.26	67.89	....
3.	बांसवाड़ा	49.70	43.47	49.70	05.00
4.	बारां	30.40	17.84	30.57	....
5.	बाड़मेर	51.20	22.32	61.20	....
6.	भरतपुर	48.00	41.67	47.61	....
7.	भीलवाड़ा	53.90	43.91	52.14	....

351

358

1	2	3	4	5	6
8.	बीकानेर	50.80	45.37	52.29	03.75
9.	बून्दी	28.00	14.50	28.05	....
10.	चित्तोड़गढ़	54.00	50.25	51.96	....
11.	चुरू	52.80	56.12	53.46	08.01
12.	दौसा	28.10	17.96	29.70	....
13.	धौलपुर	22.20	10.29	22.00	....
14.	डूंगरपुर	35.30	28.06	35.30	....
15.	गंगानगर	89.20	76.67	89.67	02.74
16.	जयपुर	102.10	84.66	107.43	....
17.	जैसलमेर	41.40	42.59	42.06	01.49
18.	जालौर ×	39.40	21.42	39.31	....
19.	झालावाड़	32.80	26.50	31.86	....
20.	झुन्झुनू	43.10	42.53	43.44	....

× व्यय की सूचना माह मई. 92 तक

चूरू, सीकर, टौंक जिलों में P. W. D. द्वारा ज्यादा व्यय

1	2	3	4	5	6
21.	जोधपुर	72.80	58.68	72.60	08.93
22.	कोटा	37.10	08.15	37.56	....
23.	नागौर	67.70	58.69	68.79	01.02
24.	पाली	53.10	42.53	50.10	20.31
25.	राजसमंद	27.80	25.71	27.18	....
26.	सवाई माधोपुर ×	69.60	46.66	69.54	....
27.	सीकर	49.70	60.25	51.24	....
28.	सिरोही	25.50	23.93	24.89	....
29.	टोंक	34.40	36.42	33.87	...
30.	उदयपुर	78.10	69.11	77.13	....
	योग—	1500.00	1196.05	1500.00	49.48

× व्यय की सूचना माह मई, 92 तक

चूरू, सीकर, टोंक जिलों में P. W. D. द्वारा ज्यादा व्यय

परिशिष्ठ-3

अपना गांव अपना काम योजना--

क्र. सं.	नाम जिला	प्रावधान 91-92	राज्य सरकार द्वारा रिलीज राशि	कुल व्यय 91-92	प्रावधान 92-93	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 92-93 में रिलीज	(व्यय अगस्त 92 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अजमेर	225.00	45.00	41.78	225.00	22.50	7.31
2.	अलवर	275.00	55.00	82.37	275.00	27.50	20.76
3.	बांसवाड़ा	125.00	25.00	15.48	125.00	12.50	6.65
4.	बांरा	100.00	20.00	14.95	100.00	10.00	--
5.	बाड़मेर	150.00	30.00	29.12	150.00	15.00	8.43

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	भरतपुर	225.00	45.00	36.16	225.00	22.50	3.23
7.	भीलवाड़ा	200.00	40.00	45.37	200.00	20.00	4.83
8.	बीकानेर	100.00	20.00	44.77	100.00	10.00	50.61
9.	बूंदी	100.00	20.00	18.27	100.00	10.00	5.32
10.	चित्तौड़गढ़	175.00	35.00	50.55	175.00	17.50	4.20
11.	चूरू	175.00	35.00	72.60	175.00	17.50	7.09
12.	दौसा	100.00	20.00	19.13	100.00	10.00	1.52
13.	धौलपुर	75.00	15.00	18.18	75.00	7.50	0.40
14.	डूंगरपुर	100.00	20.00	36.00	100.00	10.00	17.77
15.	गंगानगर	275.00	55.00	66.33	275.00	27.50	61.05
16.	जयपुर	375.00	75.00	45.77	375.00	37.50	22.92
17.	जैसलमेर	25.00	5.00	12.76	25.00	2.50	4.40

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	जालोर	125.00	25.00	17.58	125.00	12.50	2.88
19.	झालावाड़	125.00	25.00	29.69	125.00	12.50	1.96
20.	झुंझनूं	175.00	35.00	34.14	175.00	17.50	26.22
21.	जोधपुर	225.00	45.00	54.45	225.00	22.50	4.70
22.	कोटा	125.00	25.00	22.06	125.00	12.50	0.99
23.	नागौर	250.00	50.00	1.25	250.00	25.00	2.32
24.	पाली	200.00	40.00	19.20	200.00	20.00	7.12
25.	राजसमंद	100.00	20.00	18.92	100.00	10.00	0.71
26.	स. माधोपुर	225.00	45.00	37.34	225.00	22.50	0.20
27.	सीकर	200.00	40.00	64.39	200.00	20.00	3.52
28.	सिरोही	75.00	15.00	5.23	75.00	7.50	0.43

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	टोंक	125.00	25.00	31.34	125.00	12.50	4.39
30.	उदयपुर	250.00	50.00	45.33	250.33	25.00	14.37
	योग–	5000.00	1000.00	1030.51	5000.00	500.06	296.30

(358)

राज्य में साम्प्रदायिक/जातीय दंगों से हुई क्षति

271. **श्री सम्पतसिंह** (नगर) एवं **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) एवं **श्री गोपालसिंह खण्डेला** (खण्डेला) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में जनवरी, 1992 से अगस्त, 1992 तक कुल कितने साम्प्रदायिक एवं जातीय दंगे हुए तथा उनमें कुल कितनी जनधन की क्षति हुई ? इन दंगों के क्या कारण रहे ? सरकार ने अब तक अपराधी एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? संबंधित दंगों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आलोच्य अवधि में तीन साम्प्रदायिक दंगे हुए जिनमें 2 जन हानि हुई व संपत्ति का नुकसान अनुमानतः 414485/- रुपये का हुआ। कुल 11 अभियोगों तथा निरोधात्मक कार्यवाही में 188 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि में जातीय दंगे 14 हुए जिनमें जन हानि 18 हुई एवं सम्पति का नुकसान अनुमानतः 78,22,335/- रु. का हुआ। जातीय दंगों से संबंधित कुल 33 मुकदमें दर्ज हुए। मुकदमों तथा निरोधात्मक कार्यवाही में कुल 91 व्यक्ति गिरफ्तार हुए।

साम्प्रदायिक दंगों का मुख्य कारण धार्मिक जुलूसों के दौरान नारेबाजी एवं जातीय दंगों का मुख्य कारण परम्परागत रूढ़िवादी रीति रिवाज, भूमि विवाद रहे हैं। कुम्हेर के जातीय दंगों में अधिकारियों की गलती के बारे मे सरकार जांच कर रही है। अन्य मामलों में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है। साम्प्रदायिक दंगे एवं जातीय दंगों की सूची परिशिष्ट "क" व "ख" पर अंकित है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

आयुर्वेद विभाग के वाहन

272. **श्री शांतिलाल चपलोत** (राजसमन्द) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग में चालू एव नकारा हालात में वाहनों की संख्या मय किस्म के कितनी है ?

(2) चालू वाहनों का कहां-कहां और किस कार्य के लिए उपयोग हो रहा है ? तथा अनुपयोगी वाहन वर्तमान में कहां-कहां है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आयुर्वेद विभाग में उपलब्ध चालू व अनुपयोगी वाहनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

359

(आयुर्वेद मंत्री)

वाहन किस्म	चालू वाहन	अनुपयोगी वाहन
कार	1	1
जीप	4	—
स्टेन्डर्ड	1	—
ट्रेकर	1	1
मेटाडोर	1	—
एफ.सी.	9	1
ट्रक	4	—
योग :—	21	3

(2) वांछित सूचना के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट-क)।

आयुर्वेद विभाग में उपलब्ध चालू, नकारा व अनुपयोगी वाहनों का विवरण (15-9-92 की स्थिति)

क्र सं.	कार्यालय, जहाँ वाहन उपलब्ध है।	वाहन किस्म,	कार्य, जिसके लिये वाहन का उपयोग हो रहा है।
चालू वाहन			
1.	निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर	कार	निदेशक द्वारा निरीक्षण एवं अन्य उपयोग हेतु।
2.	,, ,, ,,	जीप	अतिरिक्त निदेशक द्वारा निरीक्षण एवं अन्य उपयोग हेतु।
3.	,, ,, ,,	जीप	वाहन दुर्घटना ग्रस्त होकर अनुपयोगी पड़ा है।
4.	उप निदेशक, जोधपुर	जीप	निरीक्षण कार्य हेतु।
5.	,, ,, कोटा	ट्रेकर	,, ,,
6.	,, ,, उदयपुर	मेटाडोर	निरीक्षण एवं औषध वितरण कार्य हेतु।
7.	,, ,, बीकानेर	जीप	,, ,,

1	2	3	4
8.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, अजमेर	स्टेण्डर्ड	निरीक्षण व परिवार कल्याण कार्य है ।
9.	शल्य चल चिकित्सा अधिकारी इकाई, अजमेर	ट्रक	चिकित्सा शिविरों में उपयोग हेतु ।
10.	रसायनशाला, अजमेर	ट्रक	औषध वितरण कार्य हेतु ।
11.	,, ,, उदयपुर	ट्रक	,, ,,
12.	,, ,, जोधपुर	मिनि ट्रक	,, ,,
13.	,, ,, भरतपुर	एफ. सी.	,, ,,
14.	औषध वितरण केन्द्र, बीकानेर	एफ. सी.	,, ,,
15.	,, ,, अजमेर	एफ. सी.	,, ,,
16.	,, ,, कोटा	एफ. सी.	,, ,,
17.	,, ,, जयपुर	एस. सी.	,, ,,
18.	जिला आयुर्वेद अधिकारी, बाड़मेर	एफ. सी.	चल चिकित्सा इकाई के द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ।
19.	,, ,, जैसलमेर	एफ. सी.	,, ,,

1	2		3	4
20.	,, ,,	बीकानेर	एफ. सी.	निरीक्षण एवं औषध वितरण कार्य हेतु ।
21.	,, ,,	बांसवाड़ा	एफ. सी.	,, ,,

नकारा वाहन

1.	निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर	कार	—
2.	उप निदेशक, जयपुर	ट्रेकर	—
3.	औषध वितरण केन्द्र, उदयपुर	एफ. सी.	—

363

जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियों में अनियमितताएं

273. श्री महावीरप्रसाद जैन (टोंक) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा के गत सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 42, जिसका उत्तर विभाग द्वारा दिनांक 22-6-92 को प्रेषित किया गया था जिसमें जयपुर की 80 गृह निर्माण सहकारी समितियों में गम्भीर अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित था, तत्संदर्भ में अब तक प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे हैं एवं प्रत्येक समिति में अलग-अलग कौन-कौन व्यक्ति दोषी रहे हैं ? सूचना विस्तार से सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

गत सत्र के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर दिनांक 22-6-92 में जिस 80 गृह निर्माण सहकारी समितियों में अनियमितताओं का उल्लेख था, तत्सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई है । सहकारी अधिनियम के अंतर्गत उक्त 80 समितियों में से प्रस्तावित सभी 65 गृह निर्माण सहकारी समितियों में अधिनियमान्तर्गत जांच राजपत्रित अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है । पुलिस कार्यवाही हेतु प्रस्तावित सभी 29 गृह निर्माण समितियों के सम्बन्ध में पुलिस में एफ.आई. आर. दर्ज करा दी गई है, जिनमें से 9 समितियों के 40 व्यक्तियों के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत हो चुके हैं । सभी 80 समितियों में तातारीख आडिट कराया जा रहा है । उक्त समितियों में से 30 समितियों में निर्वाचन कराया जाना था, जिनमें से 26 समितियों के निर्वाचन करा दिए गए हैं । जिन 29 समितियों में अवसायन की कार्यवाही प्रस्तावित थी उनमें से 18 समितियों में अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही कर दी गई है, एक मामला न्यायालय में है तथा शेष 10 समितियों में उक्त कार्यवाही से पूर्व अधिनियमान्तर्गत आवश्यक जांच/निरीक्षण कराये जा रहे है । 5 समितिओं के सम्बन्ध में मामले की जानकारी में लाये जाने थे जो ला दिए गए हैं तथा 5 समितियों से लेन देन न करने की सार्वजनिक विज्ञप्तियां दैनिक समाचार पत्रों में जारी करना प्रस्तावित था, जो कर दी गई है । उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विभाग द्वारा उक्त गृह निर्माण सहकारी समितियों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही अमल में लायी गई है ।

अरावली पर्वत विकास योजनान्तर्गत राज्य को जापान से सहायता

274. श्री टीकमचन्द कान्त (रेवदर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जापान सहायता के अन्तर्गत अरावली विकास हेतु राजस्थान को इस वर्ष कितनी राशि उपलब्ध हुई है ? जिलेवार उक्त राशि का आवंटन कितना-कितना किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि आबू पर्वत एवं उसके आस-पास के क्षेत्र हेतु जो कि

(श्री टीकमचन्द कान्त)

वनवासी बाहुल्य क्षेत्र है, कोई विशिष्ट योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या उसको विशेष तौर से धनराशि उपलब्ध कराई गई है ?

उत्तर

(1) जापान सहायता के अन्तर्गत राजस्थान में अरावलि विकास हेतु इस वर्ष 14.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अरावली वृक्षारोपण योजना में आगामी 5 वर्षों में 500 हैक्टेयर वृक्षारोपण कार्य एवं 7 एनीकट पर 55.29 लाख रुपये व्यय होंगे।

जिलेवार राशि का आवंटन वर्ष 1992-93 अरावली वृक्षारोपण परियोजना, राजस्थान, जयपुर

(राशि लाख रुपयों में)

(टेन्टेटिव आवंटन)

	जिले का नाम	राशि का आवंटन
1.	अलवर	68.33
2.	बांसवाड़ा	55.52
3.	चित्तौड़गढ़	121.45
4.	झुन्झुनू	56.19
5.	जयपुर	398.63
6.	नागौर	79.53
7.	पाली	48.79
8.	सीकर	78.33
9.	सिरोही	42.51
10.	उदयपुर	284.055
	योग	1233.335

राज्य में डेयरी उत्पादित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

275. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या दुग्ध विकास राज्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान डेयरी के उत्पादनों में वर्ष 1991-92 में कितनी वृद्धि हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डेयरी उत्पाद एवं वितरण में उक्त वर्षों की बचत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त उत्पादों पर क्रय विक्रय में कितनी वार किस-किस मद में कीमतें बढ़ाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखे।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 में राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादित दुग्ध पदार्थों में हुयी वृद्धि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 1991-92 में डेयरी फैडरेशन द्वारा दुग्ध पदार्थो के उत्पादन एवं विपणन में हुयी बचत का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) वर्ष 1991-92 में 30 मै0टन घी तमिलनाडू डेयरी फैडरेशन से रुपये 78.55 प्रतिकिलो कर सहित (15 किलो के टिन में) की दर से क्रय किया गया है।

इसी अवधि में 10 मै0टन दुग्ध पाउडर सांभर काटा दुग्ध संघ, हिम्मत नगर से रुपये 49.92 प्रतिकिलो कर सहित की दर से उदयपुर दुग्ध संघ द्वारा क्रय किया गया।

दुग्ध उत्पादों के विक्रय मूल्यों पर समय-समय पर किये गये परिवर्तन का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न है।

वर्ष 1991–92 में राजस्थान को-ग्रापरेटिव डेयरी फैडरेशन द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादों में हुई वृद्धि का विवरण

क्र. सं.	दुग्ध उत्पादन का नाम	उत्पादन 90-91	(मैट्रिक टन में) 91-92	(वृद्धि प्रतिशत में)	
1.	दुग्ध संकलन कुल (लाख लीटर में)	1,331.6	1,090.0	(—)	18.1
2.	औसतन प्रतिदिन (हजार लीटर प्रतिदिन)	365	299	(—)	18.1
3.	घी	1,877	1,750	(—)	6.8
4.	एस0एम0पी0 (स्कीम मिल्क पाउडर)	1,581	1,793	(+)	13.4
5.	डब्लू0एम0पी0 (होल मिल्क पाउडर)	239	30	(-)	87.4
6.	मक्खन	68.1	144.7	(+)	112.5

वर्ष 1991-92 में डेयरी फैडरेशन के अधीन संयंत्रों एवं विभिन्न दुग्ध संघों द्वारा प्रमुख दुग्ध उत्पादों का उत्पादन, विपणन एवं बचत का विवरण

क्र. सं.	दुग्ध उत्पादक	प्रारम्भिक स्टाक 1-4-91 को	उत्पादन	खरीद	अन्य प्राप्ति इकाई/संघों से	कुल मात्रा	विपणन	इकाइयों/संघों में वितरण एवं खपत	शेष स्टाक 31-3-92 को
1.	घी	165.6	1750	30	71.0	2016.6	1126 (X)	12.8	877.8
2.	स्कीम मिल्क पाउडर	451.3	1793	10	—	2254.3	1370	423.4	460.9
3.	होल मिल्क पाउडर	294.9	30	—	—	324.9	313	11.9	—
4.	मक्खन	10.5	144.7	—	—	155.2	134	9.1	12.1

(X) 1126 मै0 टन में 56 मैट्रिक टन दुग्ध संघों/संयत्रों द्वारा अन्य संघों/संयत्रों को विपणन किया गया भी शामिल है।

वर्ष 1991-92 में दुग्ध उत्पादों के विक्रय मूल्यों में समय-समय पर किये गये परिवर्तन का विवरण

दुग्ध उत्पाद का नाम	1991-91											
	अप्रेल, 91	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च,92
घी (1 किलो पोली पैक में)	72.00	75.00	78.00	78.00	85.00	90.00	90 00	90.00	90.00	86 00	85.00	80.00
घी (1 किलो टिन में)	79 00	79.00	82.00	82.00	89.00	94.00	94.00	94.00	94.00	90.00	90.00	90.00
घी (2 ,, ,, ,,)	157.00	157.00	163.00	163.00	177.00	187.00	187.00	187.00	187.00	179.00	179.00	179.00
घी (5 ,, ,, ,,)	385.00	385.00	400.00	400.00	435.00	460.00	460.00	460 00	460.00	440.00	440.00	440.00
एम.एम.पी.(500 ग्राम) (स्कीम मिल्क पाउडर) (कार्टून पैक)	30.00	मार्च, 92 तक कोई वृद्धि नहीं कि गई ।										
स्कीम् मिल्क पाउडर (500 ग्राम पोली पैक में)	27.25	मार्च 92, तक कोई वृद्धि नहीं की गई ।										
स्कीम मिल्क पाउडर 1000 ग्राम पोली पैक में-	93-50	मार्च, 92 तक कोई वृद्धि नहीं की गई ।										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25 किलो स्कीम मिल्क पाउडर	44.00	48.00		दिसम्बर, 91 तक कोई वृद्धि नहीं की गई						70.00	50.00 से 54.00	52.00 54.00
मक्खन (100 ग्राम)	7.00	अगस्त, 91 तक कोई वृद्धि नहीं की				7.85	जनवरी, 92 तक कोई वृद्धि नहीं की ।				8.00	8.00
मक्खन (500 ,,) (केवल भारतीय सेना के लिए)	34.00	,,			,,	38.25	,,		,,		38.00	38.00
डब्लू.एम.पी. 10 किलो में		रुपये 64.00 प्रति किलो एक्स प्लांट कर रहित ।										
एस.एम.पी. 25 किलो में		रुपये 35.00			,,		,,					
घी (15 किलो टिन की कर सहित दरें (प्रति टिन)	1035.00 (21-1-91) से		1108.91 (20-6-91)			1131.75 (7-8-91)	1288.93 (24-9-91)		,,	,,	1196.62 (4-2-92)	

369

चुंगीकर समाप्ति हेतु गठित मथुरादास माथुर कमेटी की सिफारिशें

276. **श्री हरीश भामनानी** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि मथुरादास माथुर कमेटी ने चुंगी कर समाप्त करके उसके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने की सिफारिश की है ? यदि हां, तो उसे कब लागू किया जावेगा ?

(2) क्या मथुरादास माथुर कमेटी अपनी रिपोर्ट देने के बाद भी काम कर रही है ? यदि हां, तो अब इस कमेटी के द्वारा क्या काम शेष है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

(3) क्या सरकार राज्य में चुंगीकर समाप्त करने के लिए मथुरादास माथुर कमेटी द्वारा सुझाए गए विकल्प को ही मानने का विचार रखती है या अन्य कोई विकल्प भी सरकार के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या-क्या हैं ?

(4) क्या सरकार राज्य में चुंगी कर की दरों को समाप्त करने तक राज्य में चुंगीदर एक समान हो, इस प्रकार का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) जी हां। इस बारे में निर्णय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(2) जी हां। श्री मथुरादास माथुर कमेटी द्वारा चुंगी कर समाप्त करने के कारण, नगरपालिका की वित्तीय संसाधनों की वृद्धि के उपाय सुझाने के विषय में राय देने के लिए इस समिति की अवधि दिनांक 31-12-92 तक बढ़ाई गई है।

(3) यह समस्त प्रकरण राज्य सरकार के पास निर्णयार्थ विचाराधीन है।

(4) जी नहीं। अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

अम्बापुर सिंचाई परियोजना (अजमेर) की लागत

277. **श्री श्रीकिशन सोनगरा** (अजमेर पूर्व) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अम्बापुरा सिंचाई परियोजना (अजमेर) कितनी लागत से कब सम्पूर्ण हुई ? यह कार्य किस ठेकेदार द्वारा करवाया गया ? उक्त परियोजना के अन्तिम बिल का भुगतान कब व किसके द्वारा किया गया ?

(2) इस वर्ष यह बांध कितनी जगह से टूटा व उन जगहों पर बांध का भराव गेज क्या था तथा बांध के टूटने के क्या-क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) अम्बापुर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत मिट्टी के बांध का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है लेकिन परियोजना में कुछ

(सिंचाई मंत्री)

विविध कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। इस परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति रुपये 45.32 लाख की 1984-85 में प्राप्त हुई थी तथा अगस्त, 92 तक इस पर रु. 72.93 लाख रु. का व्यय किया गया है। इस परियोजना के विभिन्न कार्य भिन्न-भिन्न ठेकेदारों के माध्यम से करवाये गये थे, जिनकी सूचना परिशिष्ट "अ" में संलग्न है। विभिन्न कार्य के अंतिम बिलों के भुगतान संबंधी सूचना परिशिष्ट "ब" में दर्शाई गई है।

(2) इस वर्ष अम्बापुरा बांध चैन 51 से 88 के मध्य 3 जगह पर तथा एक जगह चेन 117 पर डाऊन स्ट्रीम से कट लगाने से कुल 14 जगह पर टूटा था। जिन-जिन हिस्से में बांध टूटा है उन स्थानों पर बांध के टूटने से पूर्व जमीन की जगह से ऊपर पानी की ऊंचाई निम्नानुसार आंकी गई है:—

क्रम संख्या	जमीन की सतह से ऊपर पानी की ऊंचाई (फुट में)
1	2
1.	8.47
2.	8.47
3.	5.51
4.	5.53
5.	5.26
6.	5.26
7.	4.43
8.	4.43
9.	5.08
10.	4.55
11.	2.98
12.	2.87
13.	2.63
14.	पानी डाऊन स्ट्रीम से आने पर कट लगा है।

बांध के टूटने के कारणों की विस्तृत जांच करवाई जा रही है।

अम्बापुरा सिंचाई परियोजना पर ठेकेदारों द्वारा करवाये गये कार्यों की सूचि

क्र. सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम
1.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट चैन 20 से 44 (मिट्टी का कार्य)	मै0 त्रिलोक चन्द सोगानी
2.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट चैन 44 से 55 (मिट्टी व पिचिंग का कार्य)	” ”
3.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट चैन 55 से 105 (मिट्टी व पिचिंग का कार्य)	” ”
4.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्लूस आन अम्बापुरा प्रोजेक्ट चैन 60.50	श्री नाथू नदाफ
5.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्लूस आन अम्बापुरा प्रोजेक्ट 13.40	” ”
6.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट चैन 13.40 से 16.50 इनक्लूडिंग डी/एस बकेट एण्ड बैंक बार	श्री अब्दुल गफार
7.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ गाइड बन्ध एण्ड एप्रोच फीडर ऑफ अम्बापुरा प्रोजेक्ट	” ”

1	2	3
8.	कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ ग्रम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट ग्रर्थ वर्क चैन 7.00 से 13.40 एण्ड 103 से 121	श्री ग्रब्दुल गफार
9.	कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ ग्रम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट बाइट वाश, कटिंग फाम चैन 13·40 से 16—	चै. त्रिलोकचन्द सोगानी
10.	कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ ग्रम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट-वी. ग्रार. बी. चैन 17.00 एण्ड 50 ग्रॉन फीडर ग्रम्बापुरा से जरजोड़ला टैंक जूनिया	,, ,,
11.	कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ ग्रम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट, कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ केनाल स्केप एट चैन 14.00 से 24.00 एण्ड 52.00 ग्रॉन फीडर ग्रम्बापुरा से जड़जोड़ला टैंक जूनिया	,, ,,
12.	कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ ग्रम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट वर्क एण्ड पिचिंग ग्रॉफ जरजोड़ला टैंक से जूनिया फाम चैन 0 से 93	,, ,,
13.	कन्स्ट्रक्शन ग्रॉफ रिमडनिंग वर्क ग्रॉफ स्लूस ग्रॉफ ग्रम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट चैन 60.50	श्री ग्रालमगिर

1	2	3
14.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ अपस्ट्रीम अप्रोच चैनल ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट	श्री नाथू नदाफ
15.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ वी. आर. बी. ऑन मेन कैनाल ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट	,, ,,
16.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ सी. डी. वर्क ऑन मेन केनाल ऑफ अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट जड़जोड़ला होकर जूनिया	,, ,, श्री सतीश चन्द जोशी
17.	कैरिज एण्ड स्प्रेडिंग ऑफ बरडा ऑन अम्बापुरा इरीगेशन प्रोजेक्ट चैन 19 से चैन 121	श्री अनिल राहोड़िया
18.	कन्स्ट्रक्शन ऑफ मेन कैनाल जड़जोड़ला टैंक	श्री सियाराम जाजड़ा

परिशिष्ट "ब"

अम्बापुरा सिंचाई परियोजना के बांध कार्यों पर ठेकेदारों द्वारा कराये गये पूर्ण कार्यों की सूची

क्र.स	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य की अन्तिम भुगतान करने की तिथि	अन्तिम भुगतान करने वाले अधिकारी का नाम
1.	कन्स्ट्रक्शन आफ अम्बापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट चैन 20 से 44 (मिट्टी का कार्य)	मै. त्रिलोक चन्द सोगानी	28/2/90	12/9/91	अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई खण्ड अजमेर
2.	कन्स्ट्रक्शन आफ स्लूस आन अम्बापुरा प्रोजेक्ट चैन 60.5	श्री नाथु नदाफ	28/6/90	29/3/91	,,
3.	कन्स्ट्रक्शन आफ अम्बापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट चैन 13.40	,,	27/7/90	21/12/90	,,
4.	कन्स्ट्रक्शन आफ अम्बापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट चैन 44 से 55 (मिट्टी व पिचिंग का कार्य)	मै. त्रिलोक चन्द सोगानी	4/7/90	12/9/91	,,
5.	कन्स्ट्रक्शन आफ अम्बापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट चैन 55 से 105 (मिट्टी व पिचिंग का कार्य)	,,	18/11/91	30/3/92	,,
6.	कन्स्ट्रक्शन आफ अम्बापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट चैन 13.40 से 16.50 इन्क्यूयडिंग डी/एस बर्कट एण्ड बैंउ बार	श्री अब्दुल	20/9/90	29/3/91	,,

1	2	3	4	5	6
7.	कन्स्ट्रक्शन श्राफ श्रंबापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट वर्क चौन 7.00 से 13.40 एण्ड 103 से 121	श्री ग्रब्दुल	17/1/91	29/3/91	,,
8.	कन्स्क्शन श्राफ श्रंबापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट बाय—वाश कटिंग चैन 13.40 से 16	मै. त्रिलोक चंद	3/91	28/3/91	,,
9.	कन्स्ट्रक्शन श्राफ श्रंबापुरा इर्रीगेशन प्रोजेक्ट श्राफ बी. श्रारः बी. चैन 17.00 एण्ड 50 श्रान फीडर श्राफ श्रंबापुरा से जडजोडला टैंक जूनिया	,,	23/4/91	31/3/92	,,
10.	कन्स्ट्रक्शन श्राफ बी. श्रार. बी. श्राफ डी/एस श्राफ वेस्ट वीयर श्राफ श्रंबापुरा प्रोजेक्ट	श्री नाथू नदाफ	23/3/92	30/3/92	,,
11.	कन्स्ट्रक्शन फ्राम मैन कैनाल फाम जड़जोड़ला टैंक	श्री सिया राम भाजरा	14/3/91	27/12/91	,,

सिरोही जिले में भूमि रूपान्तरण के मामले

278. श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 में कुल कितने मामले भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही बाईपास के दक्षिण के भाग की कृषि भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित नहीं करने की नीति नगर नियोजन विभाग द्वारा तय की गई थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि रूपान्तरित कर दी गई है ?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त नीतिगत निर्णय में कब किसके द्वारा परिवर्तन किया गया और क्यों ? उक्त क्षेत्र की कौन-कौन सी भूमि रूपान्तरित की गई है और किस प्रयोजनार्थ ?

उत्तर

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1989, तथा 1990 में कुल 1198 मामले भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(2) जी नहीं ।

(3 एवं 4) जी हां । राज्य सरकार द्वारा कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था सिरोही बाई-पास के खसरा नम्बर 2234, 2233, 2223, 2222, 2274 व 2675 की कृषि भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किया गया है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया ।)

भूमि रूपान्तरण के निपटाये गये मामले

		वर्ष 1989	1990	1991
1.	कलक्टर कार्यालय, सिरोही द्वारा निर्णित किये गये मामलें	5	5	—
2.	उपखण्ड अधिकारी सिरोही			
	द्वारा निर्णित मामलें			
	तहसील, सिरोही	83	206	145
	तहसील, शिवगंज	51	123	58
	तहसील, रेवदर	39	31	29

3. उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत

द्वारा निपटाये गये मामलें

तहसील, पिण्डवाड़ा (शहरी)	185	....	....
तहसील, आबू रोड़ (शहरी)	10	54	25
तहसील, पिण्डवाड़ा (ग्रामीण)	48	3	7
तहसील, आबू रोड़ (ग्रामीण)	81	....	....
कुल योग :	512	422	264

महा योग :-1198

परिशिष्ट—5

अतारांकित प्रश्न संख्या 341 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1992-93 में महाविद्यालयों में खोले गये विषयों की सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित विषय	स्तर
1.	राजकीय महाविद्यालय, पाली	जैनोलोजी	डिग्री स्तर
2.	राजकीय महाविद्यालय, गंगापुरसिटी	जुलोजी	डिग्री स्तर
3.	राजकीय महाविद्यालय, डीडवाना	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर	डिग्री स्तर
4.	राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर	टैक्सटाइल ड्राइंग प्रिंटिंग	डिग्री स्तर
5.	राजकीय महाविद्यालय, बून्दी	स्टेनो टाईपिंग	डिग्री स्तर
6.	राजकीय महाविद्यालय, करौली	इन्वेस्टीगेटिव बायोलोजी	डिग्री स्तर
7.	राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	वाणिज्य संकाय	--डिग्री-स्तर
8.	राजकीय महाविद्यालय, सीकर	पी.जी. डिप्लोमा इन इन्टरप्रन्योरशिप	पी.जी. स्तर
9.	राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़	गृहविज्ञान (कला संकाय)	डिग्री स्तर
10.	राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर।	समाज शास्त्र	पी. जी. स्तर

379

684

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1992-93 में क्रमोन्नत किये गये कन्या महाविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय
1.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर।	1. राजनीति शास्त्र 2. मनोविज्ञान
2.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, कोटा	1. संगीत 2. अर्थशास्त्र
3.	राजकीय कन्या महाविद्यालय, बीकानेर	1. अर्थशास्त्र 2. राजनीति शास्त्र

परिशिष्ट-6

अतारांकित प्रश्न संख्या 346 का विवरण अस्पष्ट होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखो गयी।

परिशिष्ट--7

अतारांकित प्रश्न संख्या 350 की सूची

परिशिष्ट "क"

सिरोही-शिवगंज विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 1991-92 में स्वीकृत एवं स्थापित हैण्डपम्पों का विवरण

(क) वर्ष 1991-92 में स्वीकृत हैण्डपम्प

ग्रामीण क्षेत्र 25

शहरी क्षेत्र शून्य

(ख) उपरोक्त स्वीकृतियों के विरुद्ध स्थापित हैण्डपम्प

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	तहसील	हैण्डपम्पों की सं.
1.	वावली	16	सिरोही	1
2.	सिन्दरथ	33	,,	1
3.	कालन्दी	20	,,	1
4.	जामोतरी	5	,,	1
5.	नून	43	,,	1
6.	पोसालिया	14	शिवगंज	1
7.	पालड़ी (एम)	65	,,	1
8.	सरदारपुरा	61	,,	1
9.	रूखाडा	35	,,	1
10.	खेमडिया	48	,,	1
11.	बागसीन	59	,,	1
12.	बडगांव	42	,,	1
13.	केराल	4	,,	1
14.	सगालिया	31	,,	1
15.	बाखेडा	60	,,	1

1	2	3	4	5
16.	चोटीला	56	शिवगंज	2
17.	सतापुरा	2	सिरोही	1
18.	नवाडा	17	,,	1
19.	मडोया	28	,,	1
20.	अणगोर	22	,,	1
21.	जामोतरी	5	,,	1
22.	गोईली	27	,,	1
23.	केसरपुरा	39	शिवगंज	1
24.	कुकडीखेडा	44	,,	1

परिशिष्ट-8

अतारांकित प्रश्न संख्या 357 की सूची

भाग (2) की सूची

क्र. सं.	नाम कस्बा	क्र. सं.	नाम कस्बा
1.	श्रीगंगानगर	9.	अनूपगढ़
2.	पदमपुर	10.	सादूलशहर
3.	श्रीकरणपुर	11.	हनुमानगढ़
4.	रायसिंहनगर	12.	संगरिया
5.	केसरीसिंहपुर	13.	नोहर
6.	गजसिंहपुर	14.	भादरा
7.	सूरतगढ़	15.	श्री विजयनगर
8.	पीलीबंगा	16.	रावतसर

क्र. सं.	नाम गांव	क्र. सं.	नाम गांव
1.	मिर्जेवाला	21.	गोलेवाला
2.	मोहनपुरा	22.	बडसाना
3.	गणेशगढ़	23.	रावला
4.	चुनावढ	24.	थालडका
5.	सुजावलपुर	25.	फेफाना
6.	श्रोडकी	26.	रोजडी
7.	नेतेवाला	27.	पल्लू
8.	दौलतपुरा	28.	सिलवाला खुर्द
9.	उद्योग विहार	29.	ग्रार डी 365
10.	15 जंड	30.	सलेमगढ मासानी
11.	रतेवाला	31.	छानीबडी
12.	रिडमलसर	32.	चन्दूरलाली
13.	बींझ वायला	33.	जरखडावली
14.	रामसिंहपुर	34.	लालगढ़ जठान
15.	टिब्बी	35.	पतरोडा
16.	डबलीरठान	36.	मोरजण्डखारी
17.	पक्कासराणान	37.	सलेमपुरा
18.	तलवाडा	38.	घोलोपाल
19.	सूरेवाला	39.	ग्रार. डी. 281
20.	जैतसर		

क्र. सं.	शिकायत जिसके विरुद्ध प्राप्त हुई	शिकायत का विवरण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4
1.	मै. कुमावत एण्ड क., करनपुर	चीनी समय पर न देना आदि	500/-जप्त सरकार व अनुज्ञापत्र नि0
2.	मै. राजेन्द्र कुमार सन्तलाल, संगरिया	,, ,,	200/-जप्त
3.	मै. रतनलाल अग्रवाल, वा. सादुलशहर	तेल वितरण में अनियमितताएं	300/- जप्त
4.	मै. महावीर प्रसाद, ग्रायल विक्रेता सादुलशहर	,, ,,	200/- जप्त
5.	मै. राजेन्द्रकुमार फण्डा, वा. न. 7 व 10, पदमपुर	चीनी वितरण मे अनियमितताएं	30/- ,,
6.	मै. पुहराम/हरीचन्द्र, वा. नं. 11 ए	,, ,,	792/- ,,
7.	मै. विजयकुमार ख्यालीराम, वा. नं. 15 सी	,, ,,	2070/- ,,
8.	मै. जयप्रकाश/इन्द्रचन्द, वा. नं. 4 व 16, मादरा	,, ,,	100/- ,,
9.	मै. अशोककुमार/रामकिशन, भादरा	,, ,,	25/- ,,
10.	मै. जगदीशप्रसाद/शंकरलाल, वा. नं. 2, करनपुर	,, ,,	200/- ,,

1	2	3	4
11.	मै. गुलशन कुमार ओमप्रकाश, वा. नं. 33, गंगानगर	चीनी वितरण में अनियमितताएं	100/- ,,
12.	मै. श्यामसुन्दर, उ. मू. दु. वा. न. 4, संगरिया	,, ,,	200/- ,,
13.	मै. अशोककुमार, आयल विक्रेता, केशरीसिंहपुर	तेल वितरण में अनियमितताएं	200/- ,,
14.	मै. विमा आयल स्टोर, गंगानगर	,, ,,	150/- ,,
15.	मै. विनोद आयल स्टोर, गंगानगर	,, ,,	150/- ,,
16.	मै. अग्रवाल आयल स्टोर, गंगानगर	,, ,,	200/- ,,
17.	मै. प्रकाश आयल स्टोर, श्री गंगानगर	,, ,,	200/- ,,
18.	मै. रामनिवास मोतीराम, उ. मू. दु., सादुलशहर	,, ,,	300/- ,,
19.	मै. गोविन्दराम किशनलाल, उ. मू. दु. सादुलशहर	,, ,,	200/- ,,

385

1	2	3	4
20.	मै. ओमप्रकाश क., संगरिया	तेल वितरण में अनियमितताएं	1712/- „
21.	मै. पन्ना आयल स्टोर, टीबी	„ „	300/- „
22.	मै. दिवान आयल स्टोर, रोजडी	„ „	200/- „
23.	मै. ओम आयल क0, संगरिया	„ „	विचाराधीन है।
24.	उचित मूल्य दुकान वार्ड नं. 5, पीलीबंगा	चीनी वितरण में अनियमितातऐं	„ „
25.	मुरलीधर गुप्ता के विरूद्ध	केरोसीन आयल की कालाबाजरी	जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
26.	ग्राम सेवा सहकारी समिति, छानीबडी मादरा	खाद्य सामग्री ब्लेक में बेचना	जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। कार्य वाही जेरकार है।
27.	जिला रसद अधिकारी एवं कर्मचारी	केरोसीन आयल की कालाबाजारी	संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरीक्षकों द्वारा जांच की जा रही है।
28.	टीबी तहसील के आयल डीलरों के विरुद्ध	„ „	„ „

1	2	3	4
29.	डीलर श्री कृष्णलाल	खाद्य सामग्री वितरण में अनियमिततायें ।	संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों/प्रवर्तन निरिक्षकों द्वारा जांच की जा रही है ।
30.	पीलीबंगा के राशन के डीलर के विरुद्ध	"	"
31.	उ. मू. दु., नं. वा. 13, पीलीबंगा	"	"
32.	वार्ड नं. 12 व 5 के उ. मू. दु. मावरा	करोसीन की कालाबाजारी	"
33.	उ. मू. दु., के विरुद्ध	राशन व्यवस्था में सुधार हेतु	"
34.	घडसाना में केरोसीन विक्रेताओं के विरुद्ध	केरोसीन की कालाबाजारी बाबत	"

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 358 की सूची

भाग 2 की सूची

क्र. सं.	सिवाना	वितरित की गई वस्तुएं (मात्रा क्विंटलों में)		(मात्रा टिनों में)	(के. एल.)	(गांठों में)
	नाम गांव	गेहूं	लेवी चीनी	पामोलीन	केरोसीन	नि. कपड़ा
1	2	3	4	5	6	7
1.	समदडी	21975	2724	62	1204520	11
2.	जेठन्तरी	3497	1023	30	27060	....
3.	राखो	3190	689	25	45730	....
4.	कोठडी	1534	370	10	66040	1
5.	मंजल	3867	850	47	126286	2
6.	रामपुरा	1100	526	....	5720	....

1	2	3	4	5	6	7
7.	मोयो का बाड़ा	365	152	....	880	....
8.	अजीत	3143	818	....	188780	2
9.	खेजडीयालो	407	251	....	1100	....
10.	अयंण्डी	2695	459	15	19860	2
11.	फूलन	491	228	10	5500	....
12.	सिवाना	29458	4149	....	1443090	7
13.	गालिया	2299	354	15	....	....
14.	मोकलसर	15490	2008	50	722260	4
15.	मेलो	4409	869	....	13860	2
16.	मिठोडा	348	658	20	150000	....
17.	देवन्दो	1124	171	5	10580	1
18.	अजियाणा	2663	489	10	....	....
19.	मवडो	2151	355	10	....	....

1	2	3	4	5	6	7
20.	थापण	2359	424	20	42020	....
21.	मूठली	2173	321	18	....	....
22.	इन्द्राणा	4808	1041	35	29700	....
23.	धोरा	1657	617	....	18920	1
24.	मागवा	1762	627	....	14520	1
25.	पादरू	4784	1705	105	190380	4
26.	कुण्डल	420	566	....	....	....
27.	सिणेर	2357	433	15	7740	....
28.	घारणा	2694	619	30	3960	....
29.	कारमावास	2956	825	50	80460	3
30.	सावरड़ा	496	47	....	....	....
31.	बामसोण	1607	486	40	24980	....
32.	रोणीदेशोपुरा	3980	547	45	51770	1

1	2	3	4	5	6	7
33.	अम्बों का वाडा	3190	759	20	194060	4
34.	खण्डप	3697	766	....	54920	2
35.	पंऊ	2457	540	35	7920	....
36.	रमणियों	5376	615	20	60460	2
37.	कुसोप	6127	795	21	58080	1
38.	कोठाड़ो	1087	440	20	57940	3
39.	मलरोंकावाडा	4820	475	55	47080	1
40.	चिरड़िया	1121	140	....	660	....
41.	मोतीसरा	2327	314	...	10600	2
42.	सेवालो	3230	341	20	34100	3
43.	सरवडो	1833	233	....	31780	1
44.	गुडानाल	4741	708	20	16500	1
45.	पावरलोकला	82	6	20	...	1

1	2	3	4	5	6	7
46.	डोडस	....	21	....	....	....
47.	कांकराला	....	....	....	1320	....
	सिन्दरी					
1.	करना	605	421	....	38080	....
2.	पायलाखुर्द	4995	692	....	3500	....
3.	खारामहेचा	2902	43	....	21480	....
4.	सिन्दरी	13034	1316	....	1460000	....
5.	मुका	1735	506	....	....	....
6.	मण्डावला	3378	589	....	12000	....
7.	सड़ा	3524	736	....	16900	....
8.	धनवा	1390	472	....	17780	....
9.	गोलिया महेचा	1244	106	....	15460	....

1	2	3	4	5	6	7
10.	जूनामोठाखेड़ा	2060	836	....	9620	....
11.	दाखा	2700	551	....	108540	....
12.	लोलावा/टूकिया	1723	145	....	....	....
13.	गालानाडो/वाडोकोढाणी	2847	208	....	....	....
14.	मरणियालो	....	48	...	....	....
15.	डडालों	....	....	....	135180	....
16.	पालयांकला	....	....	....	7600	....
17.	करडो	....	....	....	60000	....

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 377 की तालिका

एच वितरिका पर चक 4 एच समीपस्थ चकों की तुलनात्मक सिंचाई क्षमता पिछले वर्षों की

परिशिष्ट "क"

(वर्ष 1987-88 से वर्ष 1991-92 तक)

चक	सी.सी.ए. (एकड़ों में)	सिंचाई सघनता (प्रतिशत)					
		87–88	88–89	89–90	90–91	91–92	औसत
1	2	3	4	5	6	7	8
3 एच	819	127	139	140	146	150	140
2 एच/1	425	120	137	144	138	149	138
2/एच/11	441	93	115	121	128	135	118

1	2	3	4	5	6	7	8
4 एच	901	109	125	132	126	137	126
5 एच	734	189	126	125	125	125	122

नोट :—सिंचाई सघनता डिजाईन्ड से अधिक है। सिंचाई क्षमता 118 प्रतिशत से 140 प्रतिशत है। इस अन्तर का कारण इन चकों में ट्यूबवैलों द्वारा, सिंचाई का होना मुख्य कारण है। वैसे चकों की औसतन सिंचाई लगभग 125 प्रतिशत है।

परिशिष्ट 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 379 का विवरण

परिशिष्ट--अ

जिला सवाई माधोपुर के अन्तर्गत संचालित छात्रावासों में आवास कर रहे छात्र/छात्राओं की संख्या एवं वर्ष 1990-91 एवं 91-92 में दी जाने वाली सहायता का विवरण।

क्र. सं.	नाम छात्रावास मय योजना	स्वीकृत छात्र संख्या	दिया गया अनुदान: प्रवेशित संख्या	1990-91	प्रवेशित संख्या	1991-92	सुविधायें
1.	राज. अनु. जाति छात्रावास, सवाई माधोपुर	80	80	128519	80	160822	विभाग द्वारा जिलों में संचालित सभी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा, भोजन, वस्त्र,
2.	राज. अनु. जनजाति कन्या छात्रावास, सवाई माधोपुर	25	24	43205	24	53722	कपड़े, जूते, मोजे, चप्पल,

397

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, खण्डार	25	25	45766	25	54881	बालकटिंग, स्टेशनरी आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जिसके लिये रुपये 250/- प्रति छात्र/छात्रायें प्रतिमाह 9½ माह के लिये राशि उपलब्ध करवाई जाती है। कक्षा 6 से 8 के छात्र/छात्राओं को रुपये 40 तथा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं को 60/- रुपये राशि सत्र में एक बार पुस्तकों/स्टेशनरी के लिए उपलब्ध करवाई जाती है।
4.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, शिवाड	25	25	45756	25	57391	
5.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, ईसरदा	25	—	—	25	53023	
6.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, बामनवास	25	25	45479	25	55997	
7.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, नादोती	25	25	44687	25	54813	
8.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, महुवा	60	60	97550	57	85595	
9.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, टोडाभीम	25	25	45004	25	52527	
10.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, सपोटरा	25	19	35133	25	42723	

396

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	राज. अनु. जनजाति छात्रावास, मडरायल	25	22	39169	25	54638	
12.	प्रति. अधीक्षक, आदिमजाति छात्रावास, गंगापुरसिटी	35	35	63073	35	70585	
13.	राज. अनु. जाति छात्रावास, करौली	60	58	88670	60	119778	
14.	राज. अनु. जाति छात्रावास, हिण्डौन	40	38	63452	38	75009	
15.	राज. अनु. जाति छात्रावास, गंगापुर सिटी	25	—	14850	25	53510	
16.	राज. हरिजन छात्रावास, सवाई माधोपुर	25	25	46303	25	56965	
17.	राज. हरिजन छात्रावास, बोली	25	15	29299	18	42056	

परिशिष्ट—12

अतारांकित प्रश्न संख्या 391 की प्रति

नये पशु चिकित्सालय खोलने के मापदण्ड

1. जिले एवं तहसीलों में उपलब्ध पशु संख्या (गोवंश इकाईयां)
2. पूर्व से कार्यरत एवं भविष्य में सम्भावित स्थापित किये जाने वाले पशु चिकित्सालय/औषधालयों में आपस में कम से कम 10 से 16 किलोमीटर का अन्तर।
3. छटी योजना काल में सभी तहसील, पंचायत समिति एवं नगर परिषद मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा संस्था कायम करना।
4. मरु क्षेत्र में गांवों की दूरी एवं आबादी वाले क्षेत्रों को भी ध्यान में रखकर स्थान निर्धारित करना।
5. ग्रामीण क्षेत्र में स्थान चयन हेतु भवन, डाक आवागमन के साधन आदि न्यूनतम सुविधाओं एवं जनसंख्या को भी ध्यान में रखा जावेगा। बड़े शहरों में प्रत्येक 80 हजार आबादी पर एक पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध कराने का लक्ष्य ध्यान में रखा गया है। जिले की पशु संख्या मुख्य आधार है।

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 की सूचना

सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भारत सरकार से वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के संबंध में प्राप्त राशि (राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	1985-86	1986-87	1987-88	1988-89	1989-90	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सी.ए.डी. प्रोजेक्ट आर.सी.पी.	2.97	1.86	1.50	3.90	0.18	10.41
2.	जल आपूर्ति एवं मल निष्कासन	5.33	10.19	5.94	19.80 (—)	0.38	40.88
3.	मध्यम सिंचाई परियोजना	10 00	4.71	0.05	—	—	14.76
4.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार योजना	0.98	2.21	1.27	0.73	6 52	11.71
5.	सिंचाई प्रशिक्षण	0.01	0.07	3.60	—	—	3.68
6.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी (आईडा)	—	2.67	3.26	3.70	1.80	11.43
7.	राष्ट्रीय वानिकी (यूऐड)	—	1.44	0.79	—	—	2.23
8.	राज्य सड़क परियोजना	—	—	—	—	0.31	0.31

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	राष्ट्रीय जल प्रबन्ध परियोजना	—	—	—	—	0.18	0.18
10.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना चरण-1	--	—	—	—	0.74	0.74
	योग	19.29	23.15	16.41	28.13	9.35	96.33

परिशिष्ट—2

वर्ष 1992-93 में भारत सरकार से बाह्य सहायता परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि एवं आवंटन पर किया गया व्यय

(व्यय माह जुलाई 92 तक)

(राशि करोड़ रुपये)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्त राशि	किया गया व्यय
1	2	3	4
1.	राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी	2.07	4.15
2.	राज्य सड़क परियोजना	4.03	11.02
3.	बांध सुरक्षा	1.98	0 59
4.	तकनीकी शिक्षा	0.17	6.41
5.	राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना	0.35	1.77
6.	समन्वित जल ग्रहण विकास	(—) 0.01	0.86

1	2	3	4
7.	जल संसाधन प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण	0.03	0.61
8.	राजस्थान लघु सिंचाई परियोजना	—	1.01
9.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-2 में सुधारात्मक अभियांत्रिकी उपाय	—	0.12
10.	इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-2 में वनारोपण एवं चरागाह विकास	—	1.08
11.	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल विकास	—	0.38
12.	डूंगरपुर जिले में सघन बंजर भूमि विकास परियोजना	—	0.06
13.	अरावली वृक्षारोपण परियोजना	—	0.44
	योग	8.62	28.50

404

शुद्धि-पत्र

29 सितम्बर, 1992

क्र. सं.	पंक्ति	स्तम्भ	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	1	3	श्री शांतीलाल चपलोत	श्री शांतिलाल चपलोत
2.	25	4	श्री शांतीलाल चपलोत	श्री शांतिलाल चपलोत
3.	1	5	,, ,, ,,	,, ,, ,,
4.	25	5	,, ,, ,,	,, ,, ,,
5.	1	5	,, ,, ,,	,, ,, ,,
6.	7	6	,, ,, ,,	,, ,, ,,
7.	6	27	258	253
8.	1	35	श्री हेतराम बेनीबाल	श्री हेतराम बेनीवाल
9.	1	45	श्रीमती उजाला अरोड़ा	श्रीमती उजला अरोड़ा
10.	1	63	(मुख्य वित्त मंत्री)	(मुख्य (वित्त) मंत्री)
11.	32	69	नाथद्वारा	अजमेर पूर्व
12.	6	113	विरूद्ध	विरुद्ध
13.	15	118	क्रमोन्नात	क्रमोन्नति
14.	1	157	(श्री भैरोंसिंह शेखावत)	(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
15.	फोलियो	181	नियम 265 के अन्तर्गत-विशेष उल्लेख	नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख
16.	1	199	(श्री हरीश चन्द्र कुमावत)	(श्री हरिश चन्द कुमावत)
17.	12	375	श्री भेरोंसिह शेखावत	श्री भैरोंसिंह शेखावत
18	11	378	श्री अफीस अहमद खान	श्री नफीस अहमद खान
19.	1	379	(,, ,, ,, ,,)	(,, ,, ,, ,,)
20.	9	379	42 वां एवं 42 वां प्रतिवेदन	41वां एवं 42वां प्रतिवेदन
21.	3	380	मांग संख्या-6 न्याय प्रशासक की प्रस्तुति	मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन की प्रस्तुति
22.	20	457	श्री जनार्द सिंह गहलोत	श्री जनार्दन सिंह गहलोत

1	2	3	4	5
23.	22	548	श्री परसराम मदेणा	श्री परसराम मदेरणा
24.	13	561	राजस्थान स्टाम्प विधि (ग्रनुकूलन) (दितीय संशोधन) विधेयक, 1992	राजस्थान स्टाम्प विधि (ग्रनुकूलन) (द्वितीय संशोधन, विधेयक, 1992
25.	8	575	श्री शांतीलाल चपलोत	श्री शांतिलाल चपलोत
26.	16	591	,, ,, ,,	,, ,, ,,
27.	24	616	,, ,, ,	,, ,, ,,
28.	1	627	(श्री सुन्रेद्र व्यास)	(श्री सुरेन्द्र व्यास)
29.	2	642	समय माव	समयाभाव
30.	1	666	(मुख्य ग्रायोजना मंत्री)	(मुख्य (ग्रायोजना) मंत्री)
31.	1	673	परिशिष्ठ--3	परिशिष्ट--3